

समाजशास्त्र आदि विज्ञानों की तरह भाषा-विज्ञान में भी, इसके प्रमेयों के अति विस्तृत तथा जटिल होने से और इसकी अवस्था थोड़ी होने से, वैसी निश्चयात्मकता अभी तक नहीं आई है।

अभी तक इस विज्ञान में प्रायः इसके प्रमेयों का केवल संग्रह, तुलना और वर्गीकरण ही किया गया है। भिन्न-भिन्न काल और देश में बिखरी हुई भाषाओं को कुछ सामान्य भाषावर्गों में बाँटने की चेष्टा की गई है। इस पर भी पृथिवी पर फैली हुई भाषा का क्षेत्र इतना विस्तृत और जटिल है कि अभी तक उसके एक अंश पर ही ध्यान दिया गया है। इसलिए इस परिमित आधार पर जो सिद्धान्त भाषा-विज्ञान में अभी तक स्थिर किये गये हैं उनकी दृष्टि में, भाषा-क्षेत्र के अधिकाधिक ज्ञान होने पर परिवर्तन होने की संभावना है।

२—भाषा-विज्ञान का विषय

भाषा-विज्ञान का विषय इतना ही विस्तृत है जितनी कि मनुष्यजाति; क्योंकि इसका सम्बन्ध मनुष्यमात्र की भाषा से है।

(१) किसी भी स्वरूप में किसी भी देश में पाई जानेवाली मानवीय भाषा इस विज्ञान का विषय है।

(२) आज-कल की जीवित भाषाओं के साथ-साथ भाषा-विज्ञान में उन प्राचीन मृत भाषाओं पर भी विचार किया जाता है जो किसी प्रकार लेख आदि द्वारा सुरक्षित हैं।

(३) इतना ही नहीं, परस्पर सम्बन्ध रखनेवाली आधुनिक तथा प्राचीन भाषाओं के निश्चित स्वरूप के आधार पर उनके शब्दों आदि की दोषशून्य तुलना द्वारा कल्पित उनकी मूल-भाषा का भी विचार भाषा-विज्ञान में हो सकता है। परन्तु इस अवस्था में मूल-भाषा के काल्पनिक होने से उसके आधार पर कोई दृढ़ और निश्चित सिद्धान्त स्थिर नहीं किये जा सकते।

उक्त प्रकार की मूल-भाषा का मुख्य उदाहरण भारत से यूरोप तक फैली हुई भारत-यूरोपीय भाषाओं की मूल-भाषा (= भारत-यूरोपीय

तुलनात्मक भाषा-शास्त्र

अथवा

भाषा-विज्ञान

अर्थात्

तुलनात्मक भाषा-शास्त्र के सिद्धान्तों का प्रतिपादन तथा
संसार की भिन्न-भिन्न भाषाओं के परस्पर सम्बन्ध
की सरल और सुबोध व्याख्या

लेखक

डाक्टर मङ्गलदेव शास्त्री

एम० ए०, एम० ओ० एल० (पंजाब), डी० फिल० (ऑक्सफर्ड);
पूर्व-प्रिंसिपल, गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, बनारस;

तथा

अध्यक्ष

वैदिक स्वाध्याय मन्दिर, बनारस

प्रकाशक

इंडियन प्रेस (पब्लि०), प्राइवेट लिमिटेड, अजमेर

पञ्चम बार }
२,००० }

सन् १९५६

{ मूल्य ६)

भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की भाषाओं के परस्पर तुलनात्मक अध्ययन से विद्वानों ने भारत-यूरोपीय जातियों की मूल-जाति के रहने-सहने और विचारों के विषय में जो खोज की है वह भाषा-विज्ञान के उपयोग का एक रोचक और स्पष्ट उदाहरण है।

(ख) इसी प्रकार मनुष्य-जाति-विज्ञान, जिसमें भिन्न-भिन्न मनुष्य-जातियों की वंश-परंपरा आदि पर विचार किया जाता है, बहुत कुछ भाषा-विज्ञान का सहारा लेता है।

(ग) बहुत कुछ भाषा-विज्ञान के आधार पर ही मत-विज्ञान, जिसमें मनुष्य-जाति के भिन्न-भिन्न धार्मिक विश्वासों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, और पुराण-विज्ञान, जिसमें भिन्न-भिन्न जातियों की परम्परागत पौराणिक गाथाओं पर तुलनात्मक विचार किया जाता है, इन दोनों की सृष्टि आधुनिक काल में हुई है। भिन्न-भिन्न मनुष्य-जातियों की भाषाओं के, विशेषकर प्राचीन भाषाओं के, तुलनात्मक अध्ययन से पौराणिक गाथाओं के स्वभाव, सृष्टि और विकास पर, तथा मनुष्यों के धार्मिक विश्वासों के इतिहास पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ा है।

(घ) भाषा-विज्ञान का साक्षात् रूप से एक बड़ा उपयोग भाषाओं के, विशेषकर परस्पर सम्बन्ध रखनेवाली भाषाओं के, सीखने में किया जा सकता है। अब तक भाषाओं के नियमों को उनके कारण समझाये बिना ही बतलाया जाता रहा है। भाषा-विज्ञान से उनके कारणों के समझने-समझाने में बड़ी सहायता मिल सकती है।

उदाहरणार्थ, संस्कृत में तृतीया विभक्ति के एकवचन में 'करिन्' शब्द से 'करिणा' (करिन् + ण) बनना स्वाभाविक है—परन्तु 'हरि' शब्द से 'हरिणा' कैसे बना ? यह सहज में समझ में नहीं आता। भाषा-विज्ञान से यह जानकर कि 'करिणा' के साथ सादृश्य ही इसका कारण है सब बात स्पष्ट समझ में आ जाती है। भाषा-विज्ञान से अपरिचित मनुष्य इसका कारण पाणिनि मुनि के—“आढो नास्त्रियाम्^१”—इस सूत्र को ही बतायेगा। इसी प्रकार संधि के नियमों का कारण भाषा-विज्ञान से ही स्पष्ट होता है।

प्रकाशक
इंडियन प्रेस (पब्लि०), प्राइवेट लिमिटेड,
इलाहाबाद

मुद्रक
अमलकुमार बसु,
इंडियन प्रेस, प्राइवेट लिमिटेड,
बनारस-ब्रांच ।

(१) वाक्यविज्ञान

वाक्य-विज्ञान में वाक्यों का स्वरूप, वाक्यों का परस्पर सम्बन्ध, वाक्यान्तर्गत शब्दों या पदों का परस्पर सम्बन्ध तथा आपेक्षिक क्रम आदि का वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाता है। भिन्न-भिन्न भाषाओं में वाक्यों की गठन अथवा वाक्यान्तर्गत पदों के क्रम में जो भेद देखा जाता है उसका समाधान इसी शाखा के विशेषाध्ययन से हो सकता है।

आगे परिच्छेद ३ में हम दिखलायेंगे कि वास्तव में वाक्य ही भाषा की चरमव्यक्ति या इकाई होते हैं; क्योंकि हम वाक्यों में ही सोचते हैं। इसलिए वाक्य-विज्ञान का महत्त्व स्पष्ट है। परन्तु वाक्य-विज्ञान की दृष्टि से किसी भी भाषा का वास्तविक अध्ययन ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक प्रक्रिया के अवलंबन के बिना असंभव है। इसके लिए स्व-सम्बन्धी वर्तमान तथा प्राचीन अनेक भाषाओं की सहायता लेना अनिवार्य होता है। इसी कठिनाई के कारण अभी तक इस शाखा ने विशेष उन्नति नहीं की है। वास्तव में वाक्य-विज्ञान, जिसका तुलनात्मक होना आवश्यक है, अभी तक अपनी प्रारम्भिक अवस्था में ही है।

(२) पदविज्ञान

पदविज्ञान का सम्बन्ध वाक्य को बनानेवाले शब्दों या पदों के स्वरूप अथवा रचना के अध्ययन से है। इसको रूपविज्ञान भी कह सकते हैं।

किसी भाषा के शब्दों का स्वरूप कैसा है? क्या उनकी रचना प्रकृति और प्रत्यय के योग से हुई है? यदि ऐसा है, तो उनमें प्रकृति और प्रत्यय का योग किस प्रकार का है? अर्थ की दृष्टि से शब्दों में संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि भेद की क्या उपपत्ति हो सकती? इस प्रकार शब्दों के सम्बन्ध में प्रत्येक दृष्टि से अध्ययन ही इस शाखा का विषय है।

कड़ने की आवश्यकता नहीं है कि पदविज्ञान में भी ऐतिहासिक और तुलनात्मक दृष्टि की आवश्यकता होती है।

निर्वचन-शास्त्र (= निरुक्त) अथवा शब्दव्युत्पत्ति-विचार का अन्तर्भाव पद-विज्ञान में हो जाता है।

संस्कृत

हिन्दी को

संसार की सर्वोत्कृष्ट भाषाओं की

श्रेणि में लाने का

प्रयत्न करने वालों की

सेवा में

परिचय की और सूक्ष्म तथा बहुमुखी विवेचनाशक्ति की आवश्यकता होती है। इसी कठिनता के कारण भाषाविज्ञान की इस शाखा ने अभी तक कोई विशेष उन्नति नहीं कर पाई है।

(५) प्रागैतिहासिक अनुसन्धान

ऊपर (पृष्ठ ६-१०) भाषा-विज्ञान के उपयोग को दिखाते हुए हमने इस विषय की चर्चा की है। मनुष्य-जातियों की प्रागैतिहासिक परिस्थिति पर शब्दकोष, शब्द-व्युत्पत्ति आदि के वैज्ञानिक विवेचन से काफी प्रकाश पड़ सकता है, इस बात का थोड़े ही काल से विद्वानों ने अनुभव किया है। इसी लिए अभी तक यह अनुसन्धान भी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में ही है। तो भी इसकी सहायता से कई-एक प्राचीन जातियों के अति प्राचीन इतिहास और संस्कृति पर बहुत कुछ प्रकाश विद्वानों ने डाला है। उदाहरणार्थ, आर्यों का आदिम निवास-स्थान, उनकी विभिन्न शाखाएँ, उनकी सभ्यता, उनका रहना-सहना, इत्यादि बातों के विषय में हमारी आधुनिक जानकारी का आधार विद्वानों का भाषाविज्ञान की दृष्टि से प्रागैतिहासिक अनुसन्धान ही है।

उपर्युक्त शाखाओं का विशेष अध्ययन विशेषज्ञ विद्वानों का ही काम है। तो भी, भाषा-विज्ञान के छात्र के लिए इनका सामान्य परिचय होना आवश्यक है।

५—व्याकरण और भाषा-विज्ञान

भाषा-विज्ञान के स्वरूप को स्पष्टतया बुद्धि-गत करने के लिए यह आवश्यक है कि उसका सम्बन्ध व्याकरण से दिखलाया जावे। व्याकरण किसी भाषा के ज्ञान के लिए ही सीखा जाता है। इसलिए बहुत संभव है कि भाषा-विज्ञान के स्वरूप के साथ व्याकरण के स्वरूप का संकर हो जाने से दोनों का यथार्थ स्वरूप पृथक्-पृथक् न समझ पड़े; परन्तु थोड़े से विचार से दोनों का भेद स्पष्ट हो जायगा।

(क) सबसे प्रधान भेद व्याकरण और भाषा-विज्ञान में यह है कि ठीक-ठीक अर्थों में व्याकरण कोई विज्ञान नहीं है, किन्तु एक कला है; परन्तु भाषा-विज्ञान, जैसा कि उसके नाम से ही प्रतीत है, एक विज्ञान है। यह ठीक

(ग) इससे यह न समझना चाहिये कि भाषा-विज्ञान में साहित्य का कोई उपयोग नहीं है। इसके विपरीत, भाषा-विज्ञान को साहित्य से बड़ी भारी सहायता मिलती है। (१) किसी भाषा का स्वरूप, उसके साहित्य को पढ़े बिना, ठीक-ठीक सरलता से समझ में नहीं आता। (२) इससे भी अधिक बड़ी सहायता भाषा के समय-भेद से होनेवाले ऐतिहासिक परिवर्तनों के समझने में और उसके आधार पर किसी भाषा के ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन में साहित्य से मिलती है। उदाहरणार्थ, भारतयूरोपीय भाषाओं में विशेषतः, और संसार भर की भाषाओं में सामान्यतः, भाषा-विज्ञान की दृष्टि से जो संस्कृत की प्रधानता है उसका मुख्य कारण संसार के सबसे प्राचीन वेद के साहित्य का उसमें होना ही है।

(घ) इसके साथ ही, एक साहित्यज्ञ को भी साहित्य के, विशेषकर आचीन साहित्य के, अध्ययन में भाषा-विज्ञान से सहायता मिल सकती है। इसका कुछ निर्देश हम ऊपर भाषा-विज्ञान के उपयोग को बताते हुए कर चुके हैं। अति-प्राचीन-कालीन साहित्य का समझना तो भाषा-विज्ञान पर बहुत कुछ निर्भर होता है। क्योंकि अनेक शब्द उस साहित्य में ऐसे हो सकते हैं जिनका उसके पीछे के साहित्य में या तो पता ही नहीं होता, या पता होने पर भी उनके अर्थों में बड़ा भेद पड़ गया होता है। ऐसी अवस्था में सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी भाषाओं की तुलना से, या भाषा-विज्ञान में बतलाये गये किसी दूसरे उपाय से ही, उन शब्दों का अर्थ किया जा सकता है।

७—भाषा-विज्ञान और बहु-भाषा-ज्ञान

ऊपर कहा गया है कि भाषा-विज्ञान का आधार भिन्न-भिन्न भाषाओं की तुलना पर है। इससे यह समझा जा सकता है कि भाषा-विज्ञानी के लिए बहुत-सी भाषाओं का पूरा-पूरा विद्वान् होना आवश्यक है। भाषा-विज्ञान को न जाननेवाले भाषा-विज्ञानी से प्रायः ऐसी आशा भी करते हैं। परन्तु थोड़े-से विचार से ही यह बात लपट हो जावेगी कि भाषा-विज्ञानी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि जिन भाषाओं पर भी वह विचार करे उनका पूरा पूरा विद्वान् हो।

प्राक्कथन

चिरकाल से हमारी यह धारणा रही है कि अपनी मातृ-भाषा की उन्नति किये बिना जातीय दुरवस्था का सुधार नहीं हो सकता। मातृभाषा को अपनाये बिना साधारण जनता और शिक्षितों के बीच में जो बड़ी खाई पाई जाती है वह दूर नहीं हो सकती, और इसके बिना समता और जातीयता के भावों का संचार असंभव है। इंग्लैण्ड आदि उन्नतिशील देशों के निवास और भ्रमण से हमारी उक्त धारणा में और भी दृढ़ता आ गई। अपनी अपनी मातृभाषा के अपनाने से ही उन देशों में, पुरोहिताई, ज़मीन्दारी, वाणिज्य आदि से आजीविका करनेवाले समाज के स्व-स्व-अर्थ-निष्ठ तथा संकीर्णचित्त भिन्न-भिन्न वर्गों में एकजातीयता तथा समता के भावों का संचार हो सकने से, आधुनिक जातीय अभ्युत्थान का मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा है।

मातृभाषा की उन्नति का एक मुख्य उपाय यह है कि उसके भण्डार की, दूसरी भाषाओं के ग्रन्थरत्नों के अनुवाद से तथा दूसरे देशों से सीखी हुई विद्याओं के ऊपर स्वतन्त्र ग्रन्थों को लिखकर, पूर्ति तथा वृद्धि की जावे। जापान आदि देशों के शिक्षित लोग ऐसा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। परन्तु दुःख की बात है कि हम भारतीयों में इस बात की अभी बहुत कमी है। भारत की राष्ट्रभाषा होने का स्वप्न देखनेवाली हिन्दी के बोलनेवाले तो इसमें बहुत ही पीछे हैं।

ऐसे ही विचारों से प्रेरित होकर १९२२ ई० के अन्त में विदेश से लौटने पर हिन्दी में एक ऐसी ग्रन्थमाला के निकालने का हमारा विचार था जिसके लिए अपने अपने विषय में परिनिष्ठित विद्वानों द्वारा ग्रन्थों को लिखवाया जावे। इंग्लैण्ड, जर्मनी आदि से लौटे हुए तथा और भी अनेक विद्वान् मित्रों ने ग्रन्थ लिखने का वचन भी दिया था। अनेक कारणों से यह विचार अभी तक फलीभूत न हो सका। तो भी इस पुस्तक का आरम्भ उपयुक्त

आश्चर्य और भी बढ़ जाता है। इस आश्चर्य का कारण हमारी उलटी समझ ही है। भाषा-विज्ञानी और बहु-भाषा-ज्ञानी में भेद है, या, कम से कम, भाषा-विज्ञानी के लिए बहु-भाषा-ज्ञानी होना आवश्यक नहीं।”

परन्तु भाषा-विज्ञानी को कुछ मुख्य-मुख्य भाषाओं के, जिनसे उसका विशेष सम्बन्ध है, प्रधान रूप से अच्छी तरह परिचित होना आवश्यक है। ऐसा होने से ही उसको उन भाषाओं की रचना का निजी अनुभव होने से भूल होने की संभावना नहीं रहेगी। वैसे तो जितनी भी भाषायें वह अच्छी तरह जानता है उतना ही अच्छा है। और यदि संस्कृत, अरबी, चीनी जैसी भिन्न-भिन्न भाषापरिवारों से सम्बन्ध रखनेवाली भाषाओं को वह जानता है तब तो कहना ही क्या है। परन्तु ऐसा होना बहुत कठिन है। इसलिए, जैसा ऊपर कहा गया है, अपने से विशेष सम्बन्ध रखनेवाली कम से कम दो-तीन भाषाओं को भाषाविज्ञानी को अच्छी तरह जानना चाहिये।

जैसे एक विज्ञान का दूसरे विज्ञान से सम्बन्ध होते हुए भी एक विज्ञान का विद्वान् दूसरे विज्ञान की बातों के लिए दूसरे विद्वानों पर आश्रित होता है—इसी प्रकार भाषा-विज्ञान में एक दो भाषाओं के विद्वान् को दूसरी भाषाओं की बातों के लिए अन्य विद्वानों का विश्वास करना चाहिये। उसका बड़ा भारी कर्तव्य यह है कि वह इस बात का निर्णय बड़े ध्यान से करे कि किस भाषा के लिए किस विद्वान् की पुस्तक पूर्णतया प्रमाण मानी जा सकती है। उन पुस्तकों से भी उदाहरणों आदि के उद्धरण में बड़ी सावधानता की आवश्यकता है। इन बातों का ध्यान न रखने से अच्छे-अच्छे लेखकों के ग्रन्थों में प्रायः भूले और अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। साथ ही भाषा-विज्ञानी को चाहिये कि जिन भाषाओं का उसे विशेष ज्ञान नहीं है उनके विषय में भी सामान्य ज्ञान यथासंभव प्राप्त करे। उसी अवस्था में वह उनके विषय में दूसरे विद्वानों की बातें समझ सकता है।

विचारों को ही सम्मुख रखकर किया गया था। पुस्तक १९२४ के आरम्भ में ही लगभग समाप्त हो चुकी थी, तो भी अनेक कारणों से इसके प्रकाशन में इतनी देर लग गई।

जहाँ तक हमको मालूम है, हिन्दी में इस नये विषय पर यह पहली पुस्तक है। हिन्दी आदि भाषाओं के ऊपर पुस्तके अवश्य है; परन्तु इसका विषय उनसे अधिक विस्तृत है। इसके लिखने में हमें कहीं तक सफलता प्राप्त हुई है, इसका निर्णय हम विचारशील साधुस्वभाव पाठको पर ही छोड़ते हैं। उनसे आशा है कि वे पुस्तक-विषयक अपने-अपने सुभावों से समय-समय पर सूचित कर हमको अनुग्रहीत करते रहेंगे, जिससे भविष्य में उनसे लाभ उठाया जा सके।

पुस्तक की भाषा में कठिन संस्कृत शब्दों का यथा-संभव कम प्रयोग किया गया है। तो भी पारिभाषिक शब्दों के लिए संस्कृत का आश्रय अवश्य ही लिया है। हिन्दी में अभी तक इस विषय के नये होने से आवश्यक समझकर पुस्तक के अन्त में पारिभाषिक तथा अन्य उपयोगी हिन्दी शब्दों के अंगरेज़ी पर्याय भी दे दिये गये हैं।

अंगरेज़ी आदि भाषाओं में जो पुस्तके इस विषय पर हैं उनमें प्रायः उदाहरण ग्रीक, लैटिन आदि यूरोपीय भाषाओं से ही दिये जाते हैं, जिनको समझना सामान्यतः भारतीय विद्यार्थियों के लिए कठिन होता है। परन्तु इस पुस्तक में भाषा-विज्ञान-विषयक सिद्धान्तों को यथा-संभव भारतीय भाषाओं के उदाहरणों द्वारा ही समझाने का प्रयत्न किया है। इसलिए आशा है यह पुस्तक इस विषय के अंगरेज़ी जाननेवाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

इसके लिखने में हमने जो सहायता इस विषय के अनेक नवीन तथा प्राचीन लेखकों से ली है उसके लिए हम उनके अत्यन्त कृतज्ञ हैं। परन्तु सबसे बड़ी सहायता इस विषय के अपने आदरणीय गुरु प्रोफेसर A. C. Woolner, M. A., प्रिंसिपल, ग्रोरिण्टल कालेज, लाहौर, तथा ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में भाषा-विज्ञान के प्राध्यापक प्रोफेसर J. Wright, PH. D., D. C.L., LL.D., etc. के व्याख्यानों तथा नोटों से ली गई है। उनको जितना भी धन्यवाद दिया जाय, थोटा है।

(२) उपर्युक्त सामान्य अर्थ के अतिरिक्त 'भाषा' शब्द किसी बड़ी जाति, देश या देश-विभाग की भाषा के आशय में भी प्रायः प्रयुक्त होता है। इसी आशय से हम हिन्दी, फ़ारसी, तिब्बती, चीनी आदि भाषाओं को 'भाषा' कहते हैं।

यहाँ पर यह ध्यान में रखना चाहिये कि इस आशय में जब 'भाषा' शब्द का प्रयोग किया जाता है तब उसका अभिप्राय यह नहीं होता कि हिन्दी, फ़ारसी, चीनी आदि भाषाओं में अवान्तर भेद नहीं है। प्रत्युत इस प्रकार की एक एक भाषा में अनेकानेक प्रान्तीय और स्थानीय भेद हो सकते हैं। कभी-कभी इतना अधिक अवान्तर भेद होता है कि एक ही जाति के एक छोर का मनुष्य दूसरे छोर में बोली जाने वाली भाषा को नहीं समझता, या बड़ी कठिनता से समझ सकता है।

उदाहरणार्थ, यद्यपि हिन्दी एक भाषा है तो भी इसमें प्रान्तीय, स्थानीय आदि अनेक भेद पाये जाते हैं। ऐसी दशा में यह संभव है कि इन भेदों के कारण एक हिन्दी-भाषी दूसरे हिन्दी-भाषी की बात कभी कभी न समझ सके। ऐसा होने पर भी हिन्दी को एक भाषा कहने का कारण यह है कि उक्त भेदों के रहते हुए भी साधारणतया आवश्यक विषयों पर उसमें बात-चीत करने पर बहुत कुछ एक दूसरे को समझा जा सकता है।

(३) किसी जाति, देश या देश-विभाग की भाषा के भिन्न-भिन्न स्थानीय तथा प्रान्तीय भेदों के वर्गीकरण में 'भाषा' शब्द का प्रयोग कुछ ऐसी स्थानीय तथा प्रान्तीय बोलियों के एक वर्ग के लिए भी किया जाता है जो किन्हीं अंशों में परस्पर विशेष समानता रखती हों और स्वसंबद्ध बोलियों के दूसरे वर्गों से भिन्न हों। जैसे भारतीय आधुनिक प्रान्तीय आर्यभाषाओं को ग्रियर्सन (G. A. Grierson) महाशय ने (१) केन्द्रस्थ, (२) मध्यवर्ती अथवा अवान्तरदेशस्थ, और (३) बाह्यप्रदेशस्थ इन तीन वर्गों में बाँटा है^१। इसी प्रकार विहारी, राजस्थानी इत्यादि नाम भिन्न-भिन्न स्थानीय बोलियों के वर्गों के रख लिये गये हैं।

१. दे० परिच्छेद ११, अधिकरण २।

अन्त में इतना और कहना है कि इस पुस्तक में भाषा-विज्ञान-विषयक प्रचलित सिद्धान्तों के दिखलाने का ही प्रयत्न किया है। इसलिए भिन्न-भिन्न प्रसङ्गों में जो समालोचना आदि दिखलाई है वह उन्हीं सिद्धान्तों की दृष्टि से की गई समझनी चाहिये। ग्रन्थकार का अपना मत भी वैसा ही हो यह सर्वत्र आवश्यक नहीं है।

सरस्वती भवन,
बनारस)
४।१२।१९२५ }

मङ्गलदेव शास्त्री

बोलने की शक्ति स्वाभाविक होने पर भी भाषा अपने सिद्ध रूप में किसी को स्वतःसिद्ध नहीं होती, किन्तु सीखने से ही आती है। इसलिए अपनी-अपनी शक्ति और परिस्थितियों का प्रत्येक की भाषा पर प्रभाव पड़ना और उससे उसमें भेद होना स्वाभाविक है।

(क) अपनी मातृ-भाषा में भी किसकी कहाँ तक गति है यह उसकी अपनी शक्ति पर और उन अवसरों पर जो उसको अपनी भाषा को सीखने के लिए मिले हैं निर्भर है। बड़े-बड़े विद्वान् मनुष्य भी अपनी मातृभाषा के सारे शब्द-भण्डार को काम में कभी नहीं लाते। साधारण मनुष्यों का तो शब्द-भण्डार बहुत थोड़ा होता है। ग्रामीण लोगों की शब्दावलि सैकड़ों के अन्दर ही सीमित होती है। भाषा में वैयक्तिक विशेषता को लानेवाला पहला कारण यही है। इससे दो व्यक्तियों की भाषा में परिमाण-कृत या विस्तार-कृत भेद स्पष्ट है। उपर्युक्त कारण के होते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि कोई भी दो मनुष्य बिलकुल एक ही भाषा को बोलते हैं।

(ख) व्यक्तियों की भाषा में भेद लानेवाला दूसरा कारण शब्दों का अर्थ-भेद है। भाषा के ऊपर दिये गये लक्षणा से यह स्पष्ट है कि भाषा हमारे भावों या विचारों को प्रकट करने का एक साधनमात्र या केवल एक चाहरी स्वरूप है। भाषा का असली या आन्तरिक स्वरूप हमारे विचार ही हैं। इसलिए शब्दों में ऊपरी-समानता के होने पर भी हो सकता है कि उनके अर्थों में पूरी-पूरी समानता न हो। एक मनुष्य एक शब्द से क्या समझता है यह उसकी अपनी बुद्धि, शिक्षा आदि पर निर्भर है। 'स्वतन्त्रता', 'न्याय', 'धर्म', 'भक्ति', 'तपः', 'सन्तोष' इत्यादि गूढार्थक शब्दों के विषय में तो यह बात प्रायः प्रसिद्ध ही है। इन शब्दों का सब कोई प्रयोग करते हैं; परन्तु उनके अभिप्रायों में प्रायः आकाश-पाताल का अन्तर होता है।

भिन्न-भिन्न मनुष्य एक ही बात को भिन्न-भिन्न रीति से प्रकट करते हैं। भिन्न-भिन्न कवियों की रचना की शैली तथा बड़े-बड़े वक्ताओं के भाषण-प्रकार में भिन्नता होती है; यह सब कोई जानते हैं। इसका कारण उनकी विचार-पद्धति में भेद का होना ही होता है।

—

.

.

1

परन्तु दूसरी अवस्था में होनेवाला उच्चारण-भेद इतना कम या सूक्ष्म होता है कि प्रायः वह सुनने में नहीं आता ।

इस प्रकार उच्चारण में भेद होने पर भी उस शब्द के एकत्व में कोई क्षति नहीं आती । दो मनुष्यों के एक ही शब्द के उच्चारण में यदि भेद है तो भी यह कोई नहीं कहता कि वे दो भिन्न-भिन्न शब्दों को बोल रहे हैं । इससे यह स्पष्ट है कि उन भिन्न-भिन्न उच्चरित रूपों से एक ही शब्द का निरूपण होता है । उनसे एक ही शब्द का आशय समझा जाता है । इसका कारण यही है कि एक ही शब्द के भिन्न-भिन्न उच्चारणों में परस्पर भेद होने पर भी उनमें सामान्य सादृश्य रहता ही है । इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि किसी शब्द के वास्तविक उच्चरित या श्रवणीय (या शान्दिक) स्वरूप से हमारा आशय भिन्न-भिन्न समय पर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के विशिष्ट उच्चारणों से न होकर उन सबमे रहने वाले सामान्य स्वरूप से होता है ।

शब्द का यह सामान्य उच्चरित स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति में मानसिक शब्द-संस्कार द्वारा, जिसका वर्णन हम ऊपर (पृ० ३६) कर चुके हैं, निरूपित होता है ।

७—शब्द की एकता या तादात्म्य

ऊपर के लेख से यह नहीं समझना चाहिये कि किसी शब्द के केवल उच्चरित स्वरूप से ही उसका तत्त्व समाप्त हो जाता है । ऐसा ही यदि मान लिया जाय तो एक बड़ा दोष आ उपस्थित होता है । अंगरेजी के 'अच्छा' अर्थवाले fair (फेअर) शब्द को और 'किराया' अर्थ रखने-वाले fare (फेअर) शब्द को कई-कई बार उच्चारण करने से यह प्रतीत होगा कि उनके उच्चारण में स्पष्ट या अस्पष्ट सूक्ष्म विशेषताओं के होने पर भी उनके उच्चारण का सामान्य रूप एक ही है । ऐसा होने पर भी उपर्युक्त दोनों शब्दों को एक शब्द कोई भी नहीं कहेगा ।

इसी प्रकार हम हिन्दी के 'काम' (= काज) और 'काम' (= इच्छा) जैसे दो शब्दों को ले सकते हैं । इनका उच्चरित स्वरूप एक होने पर भी ये दोनों भिन्न-भिन्न शब्द हैं । यही नहीं कि उनका अर्थ भिन्न-भिन्न है, उनकी व्युत्पत्ति या निकास या इतिहास भी भिन्न-भिन्न है । 'काज' के अर्थ में

द्वितीय संस्करण की भूमिका

पुस्तक का प्रथम संस्करण कई वर्ष पूर्व ही समाप्त हो चुका था। पर कार्यान्तरो से अवकाश न मिलने से, अनेक मित्रों की अत्यधिक प्रेरणा के होने पर भी, द्वितीय संस्करण के निकलने में इतनी देर हो गई। इस संस्करण में कहीं-कहीं नये उपयोगी विषयों के सन्निवेश के कारण, पुस्तक का परिमाण कुछ बढ़ गया है; परन्तु इसकी मुख्य विशेषता संस्कृत के प्रामाणिक ग्रन्थों के आधार पर तुलनात्मक दृष्टि से दी गई अनेक उपयोगी पादटिप्पणियों में है।

पुस्तक के यथासंभव शुद्ध छापने में जो विशेष सहयोग इंडियन प्रेस लिमिटेड, बनारस-ब्रांच, के मैनेजर श्री अपूर्वकृष्ण वसु से प्राप्त हुआ है उसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं।

सरस्वती भवन,
बनारस
३०।८।१९४०

मङ्गलदेव शास्त्री

तृतीय संस्करण की भूमिका

पुस्तक का द्वितीय संस्करण अब से कोई दो वर्ष पूर्व ही समाप्त हो चुका था। पर खेद है, पुस्तक की अधिकाधिक माँग होने पर भी उसका पुनः प्रकाशन अब तक न हो सका।

इस संस्करण में पुस्तक में कई नये परिच्छेद जोड़ने का विचार था; पर अवकाश की कमी से यह नहीं हो सका। फिर भी, कई अंशों में, पुस्तक की उपयोगिता की दृष्टि से, उसमें परिवर्तन तथा परिवर्धन किये गये हैं।

पुस्तक के यथासंभव शुद्ध छापने में विशेष सहयोग के लिए हम इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद, के अधिकारियों के कृतज्ञ हैं।

संस्कृत रिसर्च इंस्टिट्यूट
सरस्वती भवन,
बनारस
१६।२।४८

मङ्गलदेव शास्त्री

‘महाराज’ का मौलिक अर्थ व्यवहार में बिलकुल बदल गया है। साधु-संन्यासियों के नामों के साथ तथा ‘गुरु’ के साथ तो इसका व्यवहार होता ही है; पंजाबी भाई मिलने पर परस्पर ‘महाराज’ का व्यवहार करते हैं। अन्त में, इसका अर्थ ‘रसोइया’ भी हो गया है।

‘तात’ शब्द मूल में प्रायः छोटे बच्चे के संबोधन में ही प्रयुक्त होता था। पीछे से पिता आदि के लिए भी प्रयुक्त होने लगा।

(ग) नवीन आवश्यकताओं या आविष्कारों के लिए

शब्द	प्राचीन अर्थ	नवीन अर्थ
ग्रन्थ	बीच के छिद्र में डोरी डाल कर ग्रथित तालपत्रादि पर लिखा ग्रन्थ	सामान्य ग्रन्थ
पत्र	वृत्त का पत्रा; भूर्जपत्रादि जिस पर लिखा जाता था	पुस्तक का पत्रा, चिट्ठी
लेखन	रेखा करना, खुरचना	लिखना
घड़ी	घटिका (२४ मिनट का समय)	समय बताने वाली घड़ी
स्याही	लिखने की काली	किसी भी रंग की स्याही
चाय	केवल चाय	चाय या चाय-सदृश पेय (तु० ‘तुलसी कीचाय’)

इसी प्रकार ‘मुद्रणालय’ (=छापाखाना), (ग्रन्थों का) ‘प्रकाशन’, ‘मुद्रण’, ‘संपादन’, ‘कक्षा’ (=पढ़ने का क्लास), ‘पटल’ (=बोर्ड) आदि शब्द इसी कोटि में आ जाते हैं।

आज-कल नवीन भारत में नवीन विचारों या पदार्थों के लिए सहस्रों नवीन हिन्दी शब्दों का नियतीकरण या निर्माण भी बहुत-कुछ उपर्युक्त सिद्धान्त के आधार पर ही हो रहा है।

चतुर्थ संस्करण की भूमिका

प्रसन्नता की बात है कि इस पुस्तक की माँग उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। तृतीय संस्करण १९५० के मध्यभाग में ही प्रायः समाप्त हो चुका था। पर खेद है कि अवकाश की कमी से उसके पुनः प्रकाशन में इतनी देर हो गई।

इस संस्करण में पुस्तक को और भी अधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया गया है। साधारण परिष्कार और परिवर्धन के साथ-साथ परिच्छेद ५ तथा १० में कई उपयोगी नवीन अंश बढ़ा दिये गये हैं।

पुस्तक के यथासंभव शुद्ध छापने में जो विशेष सहयोग हमें इंडियन प्रेस लिमिटेड, बनारस शाखा, के मैनेजर श्री अमलकुमार वसु से प्राप्त हुआ है उसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं।

वैदिक स्वाध्यायमन्दिर,
बनारस।
वसन्तपञ्चमी
११/२/१९५१

मङ्गलदेव शास्त्री

पञ्चम संस्करण की भूमिका

पुस्तक का चतुर्थ संस्करण कोई एक वर्ष से दुष्प्राप्य हो रहा था। ऐसा होने पर भी, यह खेद का विषय है कि उसका पुनः प्रकाशन अब तक न हो सका।

पिछले संस्करणों की अपेक्षा यह संस्करण अपनी कई विशेषतायें रखता है। पुस्तक की उपयोगिता को और भी अधिक बढ़ाने की दृष्टि से उसमें साधारण परिष्कार और परिवर्धन तो किये ही गये हैं, साथ ही 'अर्थ-विज्ञान' अथवा 'भाषा के आभ्यन्तर रूप में विकास और परिवर्तन' के विशेष विवेचन के कारण पुस्तक के परिच्छेदों की संख्या भी ११ के स्थान में १२ हो गयी है।

प्रारम्भ से ही इस पुस्तक का यह मुख्य ध्येय रहा है कि इसके द्वारा इसके पढ़नेवालों में वास्तविक भाषा-वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके। इसके उत्तरोत्तर परिष्कार और परिवर्धन में भी इसी दृष्टि को प्रधानता दी जाती

तो भी अन्तःस्थाओं का उच्चारण भिन्न-भिन्न देशों में स्वरों या व्यञ्जनों की ओर अधिक झुकता हुआ होता है। उदाहरणार्थ, अंगरेजी में y i (इ) से बहुत कुछ मिलता है, परन्तु उच्चारण में अंगरेजी y का स्थानीय जर्मन j अधिक घर्षकता रखने से व्यञ्जनों से अधिक समानता रखता है। यही दशा संस्कृत 'य्' की प्रतीत होती है। परन्तु हिन्दी में 'गई' जैसे शब्दों को 'गयी' जैसा भी लिखते हैं। इससे ऐसे स्थानों में 'य्' के स्वरूप की अस्पष्टता स्पष्ट है।

वर्णों के स्थान

ओष्ठ, दन्त आदि जिन स्थान-विशेषों की सहायता से अन्दर से आते हुए श्वास या नाद में विशेषता उत्पन्न होकर भिन्न-भिन्न वर्णों का स्वरूप निष्पन्न होता है उनके लिए पारिभाषिक शब्द स्थान प्रसिद्ध है।

जिन वर्णों के स्थान ओष्ठ हैं उनको ओष्ठ्य कहते हैं।

दन्तोष्ठ्य वर्ण ऊपर के दाँत और नीचे के ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं।

ऊपर के दाँतों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को दन्त्य कहते हैं।

ऊपर के दाँतों की जड़ से बोले जानेवालों को दन्तमूलीय, और उनके पीछे के खुरखुरे तथा उभरे प्रदेश से बोले जानेवाले वर्णों को बस्वर्य कहते हैं। किन्हीं किन्हीं के मत में संस्कृत 'र्' बस्वर्य है^१। अंगरेजी t, d भी बस्वर्य ही हैं।

कठोर तालु के अग्र भाग से उच्चरित वर्णों को तालव्य, और पिछले मूर्धा भाग से उच्चरित वर्णों को मूर्धान्य कहते हैं।

कोमल तालु से उच्चरित वर्णों को कण्ठ्य कहते हैं।

कण्ठमूलीय उन वर्णों को कहते हैं जो मुख तक वायु के पहुँचने से पहले ही श्वास-नालिका के ऊपरी भाग में उच्चरित होते हैं। अंगरेजी h और अरबी का 'हमज़ा' दोनों कण्ठमूलीय ही हैं।

इसी प्रकार जिह्वा की जड़ में उच्चारित वर्णों को जिह्वामूलीय कहते हैं।

१. तु०—“दन्तमूलीयस्तु तकारवर्गः। सकाररेकलकाराश्च। रेफः बस्वर्यमेके।”
प्रातिशाख्य १। ४४-४६।

रही है । उक्त दृष्टिकोण के विकास से प्रान्तीय वाङ्मय के शोध में तथा किसी भी भाषा के स्वरूप के समझने में कितनी अधिक सहायता मिल सकती है, यह विद्वानों से छिपा नहीं है ।

सन्तोष का विषय है कि इस दृष्टि से पुस्तक की उपयोगिता और मान्यता दोनों बराबर बढ़ रही है ।

पुस्तक के सुन्दर और शुद्ध छापने में विशेष सहयोग के लिए हम इण्डियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद, के अधिकारियों के कृतज्ञ है ।

वैदिक स्वाध्यायमन्दिर,
बनारस कैंट
३।७।१९५६

मङ्गलदेव शर्मा



विषय-सूची

प्राक्कथन

द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम संस्करणों की भूमिकाये'

पहला परिच्छेद

विषयावतरण

अधिकरण		पृष्ठ
✓ १ भाषा-विज्ञान का स्वरूप	१
	('विज्ञान' शब्द का अर्थ, पृ० २)	
✓ २ भाषा-विज्ञान का विषय	४
	(भारत-यूरोपीय मूल-भाषा, पृ० ४)	
	भाषा-विज्ञानी की दृष्टि में साहित्य से असंपृक्त बोलियों का महत्त्व	५
	भाषा-विज्ञान में वर्ण-विज्ञान तथा मनोविज्ञान की अपेक्षा	६
३ भाषा-विज्ञान का उद्देश्य और उपयोग	७
४ भाषा-विज्ञान के अध्ययन की मुख्य शाखायें	११
५ व्याकरण और भाषा-विज्ञान	१४
६ साहित्य और भाषा-विज्ञान	१६
	(भाषाविज्ञान में साहित्य का उपयोग, पृ० १८)	
७ भाषा-विज्ञान और बहु-भाषा-ज्ञान	१८

दूसरा परिच्छेद

'भाषा' शब्द के अनेक अर्थ

✓ १ सामान्य रूप से अनुष्य-मात्र की भाषा	२१
	(भाषा का लक्षण, पृ० २१)	
२ किसी जाति या देश की भाषा	२२
३ 'भाषा' शब्द का प्रयोग पान्तीय और स्थानीय बोलियों के एक वर्ग के लिए	२२

अधिकरण		पृष्ठ
४	भिन्न भिन्न रोज़गार, पेशा आदि के लोगों की भाषाये' ...	२३
५	भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भाषा ...	२३
	(भाषा स्वतः सिद्ध न होकर, सीखने से ही प्राप्त होती है, पृ० २४)	
	(भाषा में वैयक्तिक विशेषता के कारण, पृ० २४-२५)	
६	साहित्यिक भाषा ...	२५
	साहित्यिक भाषा तथा सर्व-साधारण की भाषा का भेद ...	२६
७	'भाषा' शब्द का औपचारिक प्रयोग ...	२७
	साङ्केतिक या हस्तादि-चेष्टात्मक 'भाषाये' ...	२८
८	कृत्रिम भाषा ...	२६
	(एँ स्पिरैतो भाषा, पृ० २६)	
	उपसंहार ...	२६
	(शब्दों का उच्चरित स्वरूप तथा लिखित संकेत, पृ० ३०)	

तीसरा परिच्छेद

भाषा का स्वरूप

१	भाषा के दो आधार ...	३२
२	भाषा का भौतिक आधार ...	३२
	श्रवणेन्द्रिय की रचना ...	३३
३	भाषा का मानसिक आधार ...	३५
४	शब्द किसको कहते हैं ? ...	३७
५	शब्द और लिखित संकेत ...	३६
	लिखित संकेतों के दो प्रकार ...	४०
६	शब्द का उच्चरित स्वरूप ...	४१
७	शब्द की एकता या तादात्म्य ...	४२
८	भाषा का आरम्भ वाक्यों से हुआ है ...	४५
९	व्यवहार-दृष्टि से शब्द भाषा की चरम व्यक्ति है ...	४६
१०	समस्त शब्द और विभक्त्यर्थक अव्यय ...	५१
११	शब्द का वाच्य क्या होता है ? ...	५५
	चिन्तनाणुवाद ...	५५

अधिकरण		पृष्ठ
१२	श्रवणीय रूप की दृष्टि से शब्द का वर्णन	५६
१३	प्रकृतिप्रत्यययोगात्मक दृष्टि से शब्द का वर्णन	५७

चौथा परिच्छेद

भाषा की रचना

तथा

भाषाओं का आकृति-मूलक वर्गीकरण

१	वाक्य-विचार (Syntax)	५६
	तुलनात्मक वाक्य-विचार	६१
२	प्रकृति-प्रत्यय-विचार	६३
	(क) चीनी भाषा का उदाहरण	६४
	(ख) तुर्की भाषा का उदाहरण	६६
	(ग) संस्कृत भाषा का उदाहरण	६६
३	भाषाओं का आकृति-मूलक वर्गीकरण (Morphological Classification of languages)	६७
४	रचना (या शब्दों की आकृति) की दृष्टि से भाषाओं के तीन वर्ग	६८
	(क) अयोगात्मक (Isolating) भाषाये	६९
	(ख) योगात्मक (Agglutinating) भाषाये	७०
	(ग) विभक्ति-युक्त (Inflectional) भाषाये	७१
५	किसी भाषा के लिए अयोगात्मक आदि तीनों अवस्थाओं में गुजरना आवश्यक नहीं	७३
६	बहु-संश्लेषणात्मक (Polysynthetic) भाषाये	७७
७	संश्लेषणात्मक (Synthetic) और विश्लेषणात्मक (Analytic) भाषाये	७८
८	आकृति-मूलक वर्गीकरण के विभिन्न प्रकार और उनका आपेक्षिक महत्त्व	७८
९	आकृति-मूलक वर्गीकरण की उपयोगिता	८१
१०	प्रकृति-प्रत्यय-विवेचन की उपयोगिता	८३
	(भाषाओं की 'धातु-अवस्था', पृ० ८३)	

पाँचवाँ परिच्छेद

भाषा की परिवर्तन-शीलता

अधिकरण	पृष्ठ
१ काल-भेद से भाषा से भेद	८५
२ भाषा की परिवर्तन-शीलता और प्राचीन परिष्कृत (या उत्कृष्ट) भाषाये	८६
(प्राचीन परिष्कृत भाषाओं का स्वरूप, पृ० ८६) 'तत्सम', 'तद्भव' और 'देशी' शब्दों का अर्थ (पाद-टिप्पण में)	९०
३ भाषा की परिवर्तन-शीलता से भारतीय आर्य-भाषाओं का उदाहरण	९१
(१) भारतीय आर्य-भाषा के तीन काल	९२
(प्राचीन-कालीन भारतीय आर्यभाषा, पृ० ९२)	
(मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा, पृ० ९२)	
(आधुनिक भारतीय आर्यभाषाये, पृ० ९३)	
(२) ऋग्वेद की भाषा और लौकिक संस्कृत की तुलना	९४
४ भाषा की परिवर्तन-शीलता से अंगरेज़ी का उदाहरण	९७
५ स्थान-भेद से भाषा से भेद	९८
(स्थानीय बोलियों पर शिक्षितों की भाषा का प्रभाव, पृ० १००)	
(स्थानीय बोलियाँ तथा प्रधान-भाषा, पृ० १०१)	
६ स्थान-भेद से भाषाओं में भेद की मात्रा उनके सम्बन्ध के कम या अधिक होने पर निर्भर होती है	१०४
(भाषाओं की सीमा, पृ० १०५)	
७ इतिहास और भाषाओं के सम्बन्ध का निर्धारण	१०५
८ भाषाओं के परिवर्तन की गति	१०६
(प्राचीन ढंग की भाषा, पृ० १०७)	
९ भाषा के विकास और परिवर्तन के प्रकार	१०७
(क) भाषा के बाह्य रूप से विकास और परिवर्तन	१०७
(ख) भाषा के आन्तरिक रूप में विकास और परिवर्तन	११२

छठा परिच्छेद

भाषा के विकास और परिवर्तन के कारण

१ भाषा के विकास और परिवर्तन के मौलिक कारण	११५
(भाषा की अविच्छिन्न परम्परा और नदी-धारा का साम्य, पृ० ११६)	

अधिकरण		पृष्ठ
मौलिक कारण—	...	? १७
(१) भौगोलिक प्रभाव,		
(२) विभिन्न जातियों की शारीरिक संघटना का प्रभाव,		
(३) जातियों के मानसिक अवस्था-भेद का प्रभाव,		
(४) प्रयत्न-लाघव की प्रवृत्ति,		
२ भाषा के ब्राह्मरूप में परिवर्तन के कारण	...	१२०
(१) साक्षात् कारण	...	१२०
(क) प्रयत्न-लाघव की प्रवृत्ति		
(ख) सादृश्य या मिथ्या-सादृश्य		
(२) असाक्षात् या आनुषङ्गिक कारण	...	१२५
साक्षात् और असाक्षात् कारणों का परस्पर सम्बन्ध	...	१२७
३ प्रयत्न-लाघवकृत वर्ण-परिवर्तन के प्रकार	...	१२८
(१) समीकरण (assimilation)	...	१२६
(२) विषमीकरण (dissimilation)	...	१३०
(३) प्रागुपजन (prothesis)	...	१३१
(४) स्वरभक्ति (anaptyxis)	...	१३१
या विप्रकर्ष (diaeresis)	...	१३२
(५) स्वरलोप (syncope)	...	१३२
(६) अक्षरलोप (haplology)	...	१३३
(७) वर्णव्यत्यय या स्थानविपर्यय (metathesis)	...	१३३
४ अर्थ-विज्ञान अथवा भाषा के आभ्यन्तर रूप में विकास और परिवर्तन		१३४
५ अर्थ-परिवर्तन के कुछ निदर्शन	...	१३७
६ अर्थ-विकास की तीन दिशाये	...	१४२
७ अर्थविकास या अर्थपरिवर्तन के मौलिक कारण	...	१४४

सातवाँ परिच्छेद

भाषा-विज्ञान की प्रक्रिया

१ तुलनात्मक और ऐतिहासिक प्रक्रिया	...	१५१
२ भाषा-विज्ञान के भिन्न-भिन्न अङ्गों का अध्ययन	...	१५४

	पृष्ठ
विकरणा	१५६
३ भाषाओं की तुलना की रीति (तुलना करने के विशेष सिद्धान्त, पृ० १५६)	१६०
४ सकृचित तुलना का दोष	१६२
५ शब्दों की व्युत्पत्ति	१६७
६ शब्द-व्युत्पत्ति के साधारण नियम (उक्त नियमों की उपेक्षा से हानि, पृ० १६८)	१७१
७ वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियम (Phonetic Laws) (ग्रिम महाशय का नियम, पृ० १७३) (वर्ण-विकार-सम्बन्धी कुछ और नियम, पृ० १७४)	१७५
८ वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियमों का स्वरूप (वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियमों का विस्तार, पृ० १७७) (सामान्यरूप से वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियमों का अपवाद, पृ० १७७)	

आठवाँ परिच्छेद

भाषा की उत्पत्ति

१ भाषोत्पत्तिविषयक भिन्न-भिन्न मत	१७६
२ भाषोत्पत्तिविषयक प्रथम मत और उसकी समीक्षा (वैदिक भाषा में प्राकृत प्रवृत्ति = Prakritism in Vedic Sanskrit, पृ० १८८)	१८१
३ भाषोत्पत्तिविषयक द्वितीय मत और उसकी समीक्षा	१६१
४ भाषोत्पत्तिविषयक तृतीय मत और उसकी समीक्षा	१६२
५ भाषोत्पत्तिविषयक चतुर्थ मत शब्दानुकरण-मूलकता-वाद (= The Bow-wow theory)	२००
मनोरोग-व्यञ्जक-शब्द-मूलकता-वाद (= The Pooh-pooh theory)	२०१
६ उपसंहार	२०२
(१) अनुरणन-मूलकता-वाद (The Ding-dong theory)	२०६
(२) श्रमापहार-मूलकता-वाद (The Yo-he-ho theory)	२०८

नवाँ परिच्छेद

वर्ण-विज्ञान

अधिकरण

	पृष्ठ
१ वर्ण-विज्ञान का स्वरूप	२०६
(वर्ण-विज्ञान और प्रचलित लेखप्रणालियाँ, पृ० २१०)	...
(प्रचलित लेखप्रणालियों के प्रायः दोष, पृ० २१०)	...
(वैज्ञानिक लेख-प्रणाली, पृ० २११, २१३-२१४)	...
२ वर्ण-विज्ञान के अध्ययन में शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि	२११
३ वर्ण-विज्ञान के अध्ययन में व्यावहारिक दृष्टि	२१२
४ वर्ण-विज्ञान के अध्ययन में ऐतिहासिक दृष्टि	२१५
५ उच्चारणोपयोगी शरीरावयव ---	...
(१) फेफड़े	२१८
(२) कण्ठ-पिटक और श्वास-नालिका	२१६
स्वर-तन्त्रियाँ	२१६
श्वास और नाद	२२०
कठोर और कोमल वर्ण	२२१
महाप्राण और अल्पप्राण	२२२
(३) जिह्वा	...
स्फोटक या स्पर्श वर्ण	२२२
घर्षक (ईषत्सृष्ट और ईषद्विवृत) वर्ण	२२३
विवृत (और सवृत) वर्ण	...
ओष्ठ	"
दाँत	"
तालु (कठोर और कोमल)	२२४
(४) नासिका	"
६ वर्णों का वर्गीकरण	२२५
स्वर और व्यञ्जन का भेद	२२५
अन्तःस्था	२२६
वर्णों के स्थान	२२७
वर्णों का प्रयत्न	२२८
आभ्यन्तर और बाह्य प्रयत्न	२२६
	"

अधिकरण			पृष्ठ
७ संस्कृत वर्णमाला	२२६
प्राचीन उच्चारण में भेद	२३१
प्राचीन तथा आधुनिक वर्ण-विज्ञान	२३२

दसवाँ परिच्छेद

भाषाओं के परिवार

१ भाषाओं का पारिवारिक या ऐतिहासिक वर्गीकरण (Genealogical or Historical Classification of Languages)	२३३
२ भाषाओं के पारिवारिक सम्बन्ध का स्वरूप	२३४
३ पारिवारिक वर्गीकरण के लिए केवल शब्दों की समा- नता पर्याप्त नहीं	२३६
४ पारिवारिक वर्गीकरण के लिए रचना की समानता की आवश्यकता	२४०
५ भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण	२४१
६ भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार के भिन्न-भिन्न नाम और महत्त्व	२४४
७ सेमिटिक भाषा-परिवार	२४६
(१) असीरियन भाषा	२४७
सुमेरियन या अकैडियन भाषा	"
(२) हिब्रू या इब्रानी भाषा	२४८
(३) अरबी भाषा	२४८
(४) सीरिएक भाषा	२५०
८ सेमिटिक भाषा-परिवार का महत्त्व और मुख्य विशेषताये	"
९ हैमिटिक भाषा-परिवार	२५२
१० यूराल-एल्टेइक या तुर्की-समन्धी भाषा-परिवार	२५३
११ द्राविड भाषा-परिवार	२५४
१२ द्राविड भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखनेवाली ब्राहुई भाषा	२५७

अधिकरण		पृष्ठ
१३	मुण्डा भाषा-परिवार	२५८
१४	मान्खमेर भाषा-परिवार	२६०
१५	तिब्बत-बर्मीय भाषा-परिवार	"
१६	चीनी भाषा-परिवार	२६१
१७	अन्य भाषा-परिवार	"
१८	कुछ अवर्गीकृत भाषाये-बास्क भाषा, एट्रुस्कन भाषा, आदि...	२६२

ग्यारहवाँ परिच्छेद

भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार

१	भारत-यूरोपीय भाषाओं के वर्ग या उपपरिवार	२६३
२	भारतीय आर्यभाषावर्ग	२६५
	प्राचीन-कालीन भारतीय आर्यभाषा	२६६
	मध्य-कालीन भारतीय आर्य-भाषा	"
	आधुनिक भारतीय आर्य-भाषायें	२६७
३	ईरानी भाषावर्ग	"
४	आर्मीनियन भाषा ✓	२६८
५	एशिया-माइनर की भारत-यूरोपीय भाषाये	२६९
६	ग्रीक भाषा-वर्ग	२६९
	(१) आइओनियन भाषा	२७१
	(२) डोरिक ग्रीक	२७२

(ग्रीस देश की प्राचीनतर सम्यता, पृ० २७२)

७	एल्बैनियन भाषा	२७३
८	इटैलिक भाषा-वर्ग	२७४
	(१) फ्रेंच भाषा	२७५
	(२) इटैलियन भाषा	"
	(३) स्पैनिश और पोर्तुगीज़ भाषायें	२७६
	(४) रूमानियन भाषा	"

अधिकरण			पृष्ठ
६	भारतीय आर्य-भाषा-वर्ग और इटैलिक भाषा-वर्ग की समानतायें	...	२७६
१०	केल्टिक भाषा-वर्ग	...	२७६
	(१) प्राचीन गालिश	...	"
	(२) आइरिश	...	"
	(३) वेल्श	...	"
	(४) मैडूक्स	...	"
	(५) गेलिक	...	२८०
	(६) ब्रेटन भाषा	...	"
	(७) कार्निश	...	"
११	केल्टिक और इटैलिक भाषाओं की समानताये	...	२८१
१२	ब्यूटानिक भाषा-वर्ग	...	२८२
	(१) गाथिक भाषा	...	२८३
	(२) स्कैण्डिनेवियन भाषाये	...	"
	(३) पश्चिमी जर्मैनिक भाषाये	...	२८४
	(क) उत्तरीय (या निम्न-) जर्मन भाषायें	...	"
	(ख) दक्षिणीय (या उच्च-) जर्मन भाषाये	...	"
१३	वाल्टिक-स्लैवोनिक भाषा-वर्ग	...	२८५
	(१) वाल्टिक भाषा-वर्ग	...	"
	(२) स्लैवोनिक भाषा-वर्ग	...	२८६
१४	टोस्वारिश (या तोस्वारी) भाषा	...	"
१५	हिट्टाइट भाषा	...	२८७
१६	परस्पर सम्बन्ध के तारतम्य के अनुसार उपयुक्त भाषावर्गों का वर्गीकरण—	...	"
	(१) भारत-ईरानी भाषा-वर्ग	...	"
	(२) इटैलो-केल्टिक भाषा-वर्ग	...	२८८
	(३) वाल्टिक-स्लैवोनिक भाषा-वर्ग	...	"
	(४) सतम्-वर्ग और केन्टुम्-वर्ग (Satem or Satem Section and Centum Section)	...	"

अधिकरण

पृष्ठ

१७	ग्रिम महाशय का नियम	२६२
	जर्मैनिक भाषाओं का 'प्रथम वर्ण-परिवर्तन'	"
	उक्त वर्ण-परिवर्तन का काल	२६५
	जर्मन-भाषा-सम्बन्धी 'द्वितीय वर्ण-परिवर्तन'	"
	त्रिकोण द्वारा प्रथम तथा द्वितीय वर्ण-परिवर्तनो का स्पष्टीकरण	२६७
	द्वितीय वर्ण-परिवर्तन का काल	२६८
१८	ग्रिम महाशय के नियम के अपवाद	२६६
	(क) ग्रिम द्वारा वर्णित अपवाद	"
	(ख) ग्रासमन महाशय का नियम— Grassmann's Law	३००
	(ग) वेर्नर महाशय का नियम— Verner's Law	३०१
	(घ) सादृश्यमूलक अपवाद	३०२
१९	तालव्यीभाव का नियम तथा भारतयूरोपीय भाषा-परिवार की भाषाओं के साथ संस्कृत का सम्बन्ध	"
	(उक्त नियम का महत्त्व, पृ० ३०५)			
२०	भारत-यूरोपीय मूलभाषा में कण्ठ्य स्पर्शों की तीन श्रेणियाँ और उनका उत्तरवर्ती विकास	३०६

बारहवाँ परिच्छेद

✓ ईरानी भाषा-वर्ग

ईरानी भाषावर्ग की भाषाये	३०६
ईरानी भाषाओं की सामान्य विशेषताये	३११
अवेस्तन या अवेस्ता की भाषा	"
अवेस्ता में भाषा की दो अवस्थाये—			
(क) गाथाओं की भाषा			३१२
(ख) दूसरे भागों की भाषा			३१४

अधिकरण			पृष्ठ
४ प्राचीन फ़ारसी	३१७
अन्य प्राचीन ईरानी भाषाये	३१८
५ मध्य-कालीन फ़ारसी या पहलवी	३१९
६ अर्वाचीन फ़ारसी	३२०
७ आधुनिक प्रादेशिक फ़ारसी बोलियाँ तथा अन्य ईरानी भाषाये	३२१
(१) ओस्सेटिक	"
(२) कुर्दी या कुर्दिश	३२२
(३) ग़ाल्चा तथा पामीर की बोलियाँ	"
(४) बलोची	"
(५) पश्तो	"
८ भारत और ईरान की मध्यवर्ती भाषायें (= पैशाची भाषावर्ग)...			"
(वशग़ाली, खोवार या चित्राली, शीना और काश्मीरी का कुछ अंश)	३२३

परिशिष्ट

पारिभाषिक तथा अन्य उपयोगी हिन्दी शब्दों के अंगरेज़ी पर्याय	३२४
---	-----	-----	-----

शुद्ध-शुद्ध-सूची

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१२२	२३	आओ	जाओ
"	"	मे	

भाषा-विज्ञान

पहला परिच्छेद

विषयावतरण

१—भाषा-विज्ञान का स्वरूप

उन्नीसवीं शताब्दी में पाश्चात्य देशों ने जो विद्या की उन्नति की है वह किसी से छिपी नहीं है। वैज्ञानिक प्रक्रिया के काम में लाने से भिन्न-भिन्न-विषयक सामान्य ज्ञान को विज्ञान का स्वरूप देने का गौरव इस शताब्दी को प्राप्त है। इस प्रक्रिया के अनुसरण से जिन अनेक विज्ञानों ने जन्म लिया है उनमें भाषा-विज्ञान का भी एक ऊँचा स्थान है।^१

१. भारतवर्ष में भाषा-विषयक चिन्तन का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। ऋग्वेद के वागाम्भृणी-सूक्त (१०।१२५) में वाक् का जो वर्णन है वह संसार के साहित्य में अनोखा है। ब्राह्मण-ग्रन्थ मन और वाक् की महिमा को गाते हुए नहीं थकते। पाणिनि तथा भर्तृहरि आदि का भाषा के सम्बन्ध में विचार और विवेचन और निरुक्त जैसे अतिप्राचीन ग्रन्थ में भाषाविज्ञान के अनेक तत्त्वों का प्रतिपादन आज भी विद्वानों के लिए आश्चर्य का विषय है।

यह सब होते हुए भी आधुनिक भाषाविज्ञान का अपना एक विशिष्ट महत्त्व है। इस महत्त्व का स्वरूप अगले पृष्ठों में स्पष्ट हो जायगा। संक्षेप में यह महत्त्व दो बातों में है—

(१) प्रथम विशेषता यह है कि भाषा-विज्ञान का क्षेत्र किसी देश-विशेष, जाति-विशेष या काल-विशेष की भाषा से सीमित नहीं है। (२) दूसरी विशेषता है भाषा-विज्ञान की वैज्ञानिक प्रक्रिया, जिसको दूसरे शब्दों में हम ऐतिहासिक और तुलनात्मक प्रक्रिया कह सकते हैं।

भाषा-विज्ञान का अर्थ है भाषा-सम्बन्धी या भाषा-विषयक विज्ञान। भाषा का मनुष्यों के साथ जाति-रूप तथा व्यक्ति-रूप से कितना गहरा सम्बन्ध है—इसको सब कोई जानते हैं।

भाषा ही दूसरे प्राणियों से मनुष्य-जाति के ऊँचे स्थान का एक प्रधान चिह्न है। यही उसकी सारी उन्नति का मुख्य साधन है। ठीक अर्थों में समाज का संगठन भाषा के बिना असंभव है और सामाजिक संगठन पर ही मनुष्य-जाति की सारी उन्नति निर्भर है।^१ इसी से इसका हमारे वैयक्तिक जीवन से भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। इन कारणों से भाषा-विज्ञान का हमारे लिए रुचिकर होना स्वाभाविक ही है।

यहाँ यह उचित प्रतीत होता है कि 'विज्ञान' शब्द का अर्थ स्पष्ट कर दिया जाय।

किसी विषय के 'ज्ञान' और 'विज्ञान' में बड़ा भारी भेद है। 'ज्ञान' या 'सामान्य-ज्ञान' से आशय किसी विषय के स्वरूप से परिचय मात्र का होता है। किसी उपयोग को संमुख रखकर हम उस पदार्थ या विषय के स्वरूपमात्र से परिचय प्राप्त कर संतुष्ट हो जाते हैं। परन्तु किसी विषय के उपपत्ति-सहित ज्ञान को 'विज्ञान' कहते हैं। यहाँ हम किसी पदार्थ या विषय के केवल स्वरूप के परिचय से संतुष्ट न होकर उसके स्वरूप के कारण की खोज में प्रवृत्त होते हैं। दूसरे शब्दों में, उस पदार्थ या विषय के स्वरूप के परिचय मात्र से संतुष्ट न होकर हम उसके वास्तविक ज्ञान के लिए चेष्टा करते हैं। विज्ञान में हमारी दृष्टि उपयोग की ओर इतनी नहीं होती जितनी स्वाभाविक ज्ञानपिपासा की तृप्ति की ओर होती है।

सामान्य ज्ञान से विज्ञान को भिन्न करनेवाला मुख्य गुण उसका तुलनात्मक होना है। स्वसम्बन्धी पदार्थों या प्रमेयों की तुलना में जितनी ही अधिक सावधानता दिखलाई जावेगी उतनी ही अधिक निश्चयात्मकता

१. तुलना कीजिये—“वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तते ॥ इदमन्वर्धतमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम् । यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते ॥” (काव्यादर्श १।३-४) । तथा “वाग्वै सर्वान् कामान् दुहे” (ऐतरेय आरण्यक १।३।२); 'दुहे' = संपादन करती है ।

तद्विषयक ज्ञान में होगी। और इसी से उसको विज्ञान की पदवी मिलने में सहायता मिलेगी। भाषा-विज्ञान के एक विज्ञान होने से उसका तुलनात्मक होना आवश्यक है।

वस्तुतः भाषाओं के विषय में इसी तुलनात्मक प्रक्रिया^१ के अवलम्बन से भाषा-विज्ञान का विकास हुआ है। किसी एक ही भाषा के आधार पर, और भिन्न-भिन्न भाषाओं की तुलना के बिना, भाषा-विज्ञान को खड़ा करना असम्भव है। यह सम्भव है कि इस प्रकार से उसी भाषा से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ मोटे-मोटे नियमों का पता लग जावे; परन्तु इन मोटे-मोटे नियमों के कारणों का तथा उस और अन्य भाषाओं में भी पाये जानेवाले अधिक व्यापक नियमों का पता दूसरी भाषाओं के साथ उचित तुलनात्मक प्रक्रिया के अवलम्बन से ही मिल सकता है। इसलिए यह कहना अनुचित न होगा कि किसी भाषा का स्वरूप दूसरी भाषाओं के साथ तुलना के बिना ठीक ठीक नहीं जाना जा सकता।

भाषा-विज्ञान के स्वरूप को सामान्य रूप से इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। भाषा-विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें

(१) सामान्य रूप से मानवीय भाषा का,

(२) किसी विशेष भाषा की रचना और इतिहास का, और अन्ततः

(३) भाषाओं, प्रादेशिक भाषाओं या बोलियों के वर्गों की पारस्परिक समानताओं और विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है।

भाषा-विज्ञान की अवस्था अभी बहुत छोटी है। पिछली शताब्दी के आरम्भ से ही इसको एक विज्ञान कहने का साहस विद्वानों को हुआ है। यद्यपि इसकी गणना विज्ञानों में होने लगी है तो भी अभी तक यह न समझ लेना चाहिये कि यह ज्योतिष की तरह एक निश्चयात्मक विज्ञान है। ज्योतिष के एक निश्चयात्मक विज्ञान होने का कारण उसके प्रमेयों का कम जटिल होना तथा उनका चिरकाल से अध्ययन ही है। परन्तु

१. 'तुलनात्मक प्रक्रिया' की विशेष व्याख्या के लिए देखिये—परिच्छेद ७, अधिकरण १।

मूल-भाषा) है जिसकी विद्वानों ने आधुनिक तथा प्राचीन भारत-यूरोपीय भाषाओं के आधार पर कल्पना की है। इस काल्पनिक भाषा से सम्बन्ध रखनेवाले शब्दों के पहले भाषा-विज्ञान की पुस्तकों में, उनकी काल्पनिकता दिखलाने के लिए, ✽ जैसा तारा का चिह्न लगा दिया जाता है।

इस प्रकार भाषा-विज्ञान का क्षेत्र किसी देश-विशेष, जाति-विशेष या काल-विशेष की भाषा से सीमित नहीं है। असभ्य से असभ्य जातियों की ऐसी बोलियाँ जिनको कोई नहीं जानता, तथा सभ्य जातियों की साहित्य-सम्पन्न भाषायें—दोनों का विचार यहाँ आवश्यक है।

भाषा-विज्ञानी की दृष्टि में साहित्य से अल्पतः बोलियों का महत्त्व

भाषाविज्ञानी की दृष्टि में कोई भी भाषा, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार प्रकट करते हैं, मूल्य की वस्तु है। परन्तु भाषा-विज्ञान-सम्बन्धी सिद्धान्तों या नियमों का पता लगाने के लिए वे बोलियाँ जिनका साहित्य से कुछ भी सम्पर्क नहीं हुआ है भाषा-विज्ञान की दृष्टि में विशेष मूल्य रखती हैं। साहित्य के प्रभाव से भाषा की स्वाभाविक परिवर्तनशीलता में बहुत कुछ रुकावट पैदा हो जाती है। अतएव शिक्षित मनुष्यों की भाषा की अपेक्षा ग्रामीण अशिक्षित लोगों की भाषा में बहुत कुछ स्वाभाविकता होती है। परन्तु सभ्य जातियों के अशिक्षित लोगों की भाषा पर भी, कुछ न कुछ, शिक्षितों की भाषा का प्रभाव पड़ ही जाता है। उनकी भाषा की अपेक्षा असभ्य जातियों की भाषा में और भी अधिक स्वाभाविकता होती है। इसलिए भाषा के विकास तथा परिवर्तन-सम्बन्धी सिद्धान्तों को उनकी भाषाओं में अच्छी तरह देखा जा सकता है। जिस प्रकार लकड़ी के परीक्षक के लिए एक बिना छीला-छाला अपने स्वाभाविक रूप में स्थित काष्ठ का टुकड़ा उससे अधिक उपयोगी होता है जब कि वह छील-छालकर किसी संस्कृत रूप में कर लिया जाता है, इसी प्रकार भाषा-विज्ञानी के लिए भाषा का अपने स्वाभाविक रूप में रहना अधिक उपयोगी है।

इस तरह समस्त मानवीय भाषा को इस विज्ञान का क्षेत्र मानकर भाषा-विज्ञानी भाषा के भिन्न-भिन्न स्वरूपों का संग्रह और तुलना करके भिन्न-भिन्न वर्गों में बाँटने का यत्न करता है, जिससे कि वह उनके ठीक-ठीक स्वरूप को और परस्पर सम्बन्ध को मालूम कर सके। इस प्रकार भाषा के स्वभाव, जीवन, उत्पत्ति, विकास और इन सबके नियमों का समझना ही उसका प्रधान उद्देश्य होता है।

भाषाविज्ञान में वर्ण-विज्ञान तथा मनोविज्ञान की अपेक्षा

भाषा के स्वरूप आदि को समझने के लिए भाषा-विज्ञानी को वर्णों की उत्पत्ति और उच्चारण, उनके मेल से अक्षरों की तथा अक्षरों के मेल से शब्दों की उत्पत्ति, और शब्दों द्वारा वाक्य-रचना का विचार करना पड़ता है।

शब्दों के लिए, जिनकी तुलना आदि द्वारा भाषा-सम्बन्धी सामान्य नियमों का निश्चय किया जाता है, यह आवश्यक है कि वे हमारे विचारों के संकेतरूप हों^१। इसी लिए ये सामान्य नियम, जो अपने अन्तर्गत अनेक उपनियमों के आधार पर स्थित होते हैं, कुछ अंशों में मनो-विज्ञान से और कुछ अंशों में वर्ण-विज्ञान से सम्बन्ध रखते हैं^२।

मनोविज्ञान से उन नियमों का पता लगता है जिनके अनुसार धीरे-धीरे उन्नति और विकास करता हुआ मन (या बुद्धि) पदार्थों और उनके परस्पर सम्बन्धों को ग्रहण करता है।

भाषाविज्ञान और मनोविज्ञान का गहरा सम्बन्ध है। भाषा हमारे विचारों का केवल वाह्य रूप है। भाषा का आभ्यन्तर या मानसिक रूप

१. तुलना कीजिये—“अर्थगत्यर्थः शब्दप्रयोगः।” (महाभाष्य ३।१।७);
“सर्वो हि शब्दोऽर्थप्रत्ययनार्थं प्रयुज्यते” (तन्त्रवार्त्तिक १।३।८)।

२. भाषा के भौतिक और मानसिक दो आधार हैं, इस सिद्धान्त का प्रतिपादन तथा स्पष्टीकरण हम तृतीय परिच्छेद में करेंगे।

हमारे विचार ही होते हैं। इसलिए भाषा का समस्त जीवन और विकास मानसिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही होता है, उसी तरह जिस तरह हमारे शारीरिक व्यापार हमारे शरीर के अन्दर रहने वाले आत्मा के आधार पर होते हैं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि भाषाविज्ञान पग-पग पर मनोविज्ञान की अपेक्षा करता है। व्यक्तिगत तथा सामाजिक मनो-विज्ञान को समझे बिना हम भाषा की उन्नति या विकास को समझ ही नहीं सकते। शब्दों द्वारा हम एक दूसरे के विचारों को कैसे समझते हैं, शब्दों के अर्थों में परिवर्तन क्यों और कैसे होते हैं, इत्यादि प्रश्नों का समाधान मनोविज्ञान के आधार पर ही किया जा सकता है। इसलिए भाषाविज्ञान को अनिवार्य रूप से मनोविज्ञान की अपेक्षा करनी पड़ती है।

वर्ण-विज्ञान से किन-किन शारीरिक कारणों के होने पर किस-किस वर्ण का मनुष्य कैसे उच्चारण करता है यह प्रतीत होता है।

भाषा-विज्ञान में वर्ण-विषयक विचार की बड़ी आवश्यकता है; क्योंकि इसी से वर्णों के स्वरूप तथा परस्पर सम्बन्ध के निश्चय द्वारा शब्दों में परिवर्तन और परस्पर सम्बन्ध का रहस्य स्पष्ट होता है। परन्तु इससे यह न समझना चाहिये कि भाषा-विज्ञान और वर्ण-विषयक विचार अथवा वर्णविज्ञान दोनों समानार्थक हैं। यह ठीक है कि शब्दों का बाह्य रूप जो वर्णात्मक होता है बड़ी सरलता से अनुभव किया जा सकता है; और इसी लिए उसकी एक दूसरे से तुलना करना भी बड़ा सरल है। परन्तु किसी शब्द का सच्चा स्वरूप उसके अर्थ के बिना नहीं जाना जा सकता।^१ इच्छा के अर्थ में प्रयुक्त होनेवाले 'काम' शब्द को और कार्य के अर्थ में प्रयुक्त होनेवाले 'काम' शब्द को, उच्चारण में सदृश होने पर भी, भिन्न-भिन्न शब्द मानने का एक कारण उनका अर्थ-भेद है।

३—भाषा-विज्ञान का उद्देश्य और उपयोग

(१)

ऊपर हमने कहा है कि विज्ञान में हमारी दृष्टि उपयोग की ओर इतनी नहीं होती जितनी स्वाभाविक ज्ञान-पिपासा की तृप्ति की ओर होती

१. देखिये—“रूपसामान्यादथेसामान्यं नेदीयः” (गोपथब्राह्मण १।१।२६);
“अर्थनित्यः परीक्षेत” (निरुक्त २ अ० १ ख०)।

है। वास्तव में विज्ञान का प्रथम और मुख्य उद्देश्य मनुष्य की स्वाभाविक ज्ञान-पिपासा की तृप्ति ही है।

व्याकरण-महाभाष्य में पतञ्जलि मुनि ने व्याकरणाशास्त्र के प्रयोजनों को बतलाते हुए कहा है :—

“ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च^१।”

अर्थात्, षडङ्ग वेद के पढ़ने में ब्राह्मण की दृष्टि केवल ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिये। आगे कहा है :—

“असंदेहार्थं चाध्येयं व्याकरणम्^२।”

अर्थात्, अज्ञान-सुलभ संदेह के निवारणार्थं भी व्याकरण को पढ़ना चाहिये।

इन उद्धृत वाक्यों से यह स्पष्ट है कि अज्ञानसुलभ संदेहों का वारण और स्वाभाविक ज्ञानपिपासा की तृप्ति ही वास्तविक ज्ञान-प्राप्ति (या विज्ञान) का मुख्य उद्देश्य होना चाहिये। इसलिए भाषा के विषय में, जो कि मनुष्यों की पशुओं से बड़ी विशेषता है, स्वाभाविक ज्ञान की पिपासा को बुझाना ही भाषाविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है।

भाषा-विज्ञान द्वारा ही शब्दों और उनके अर्थों के विषय में, उनके इतिहास के पता लगने से, अनेक रहस्य स्पष्ट होते हैं। उदाहरणार्थ, बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनका आधुनिक स्वरूप एक होने पर भी अर्थ भिन्न-भिन्न है। भाषा-विज्ञान द्वारा हमें इस अर्थ-भेद का कारण ज्ञात होता है। जैसे, ऊपर उल्लेख किये गये ‘काम’ शब्द के अर्थ हिन्दी में (१) धन्या और (२) इच्छा दोनों हैं। शब्द के स्वरूप को देखने से इस अर्थ-भेद का कारण ज्ञात नहीं होता; परन्तु भाषा-विज्ञान द्वारा यह जानकर, कि धन्या के अर्थ में प्रयुक्त ‘काम’ संस्कृत ‘कर्मन्’, प्राकृत ‘कम्म’ से निकला है और इच्छार्थक ‘काम’ संस्कृत ‘काम’ शब्द ही है, अर्थ-भेद का कारण स्पष्ट हो जाता है। शब्द और अर्थ के रहस्यों का इस प्रकार स्पष्टीकरण विद्वानों की दृष्टि में कुछ कम महत्त्व नहीं रखता।

१. देखिये—महाभाष्य, पस्पशाह्निक।

२. देखिये—महाभाष्य, पस्पशाह्निक।

इसी प्रकार के अन्य उदाहरणों के लिए परिच्छेद ७ अधिकरण ५ देखिये ।

व्याकरण-महाभाष्य के टीकाकार कैयट ने कहा है :—

“एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुग्भवति^१ ।”

अर्थात्, ठीक प्रकार से जाना हुआ और ठीक रीति से प्रयुक्त हुआ एक शब्द भी स्वर्ग और लोक में मनोरथ को पूर्ण करनेवाला होता है ।

(२)

उक्त प्रधान उद्देश्य के अतिरिक्त भी, कई दृष्टियों से भाषा-विज्ञान की उपयोगिता दिखलाई जा सकती है । जैसे:—

(क) अब इस बात को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता कि मनुष्य-जातियों के उस अति प्राचीन काल की—जिसका कोई लेखबद्ध इतिहास नहीं मिलता—स्थिति के ज्ञान का एक मुख्य साधन भाषा है । मनुष्य-जाति और भाषा का अटूट सम्बन्ध है । सभ्यता की उन्नति के साथ-साथ भाषा की उन्नति चलती है, जैसे सम्पत्ति की वृद्धि के साथ सिक्कों और नोटों की वृद्धि होती है । सम्पत्ति की वृद्धि होने पर व्यवहार के सौकर्यार्थ अधिक सिक्कों के ढालने की और नोटों के छापने की आवश्यकता होती है । इसी प्रकार सभ्यता की उन्नति के साथ भिन्न-भिन्न विचारों की वृद्धि होने से परस्पर विचारों के परिवर्तन के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि नये नये शब्दों की सृष्टि हो । दूसरे, जैसा ऊपर कह चुके हैं, भाषा हमारे विचारों का संकेतमात्र है । इसलिए भाषा का अर्थ या विचारों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । भाषा-विज्ञान द्वारा भाषा के इतिहास की खोज होती है । इसलिए शब्दों के इतिहास से विचारों का इतिहास और उसके द्वारा किसी जाति की सभ्यता का इतिहास निष्पन्न होता है । जिस प्रकार भूगर्भ-विद्या का जाननेवाला भूमि की तहों के अध्ययन से पृथ्वी का तथा उस पर एक के पीछे दूसरी जो प्राणियों की जातियाँ बसती रही हैं उनका इतिहास बना सकता है, इसी प्रकार भाषा-विज्ञानी शब्दों द्वारा मनुष्य-जातियों के अति प्राचीन इतिहास का पता लगा सकता है ।

१. देखिये—“यस्तु प्रयुङ्क्ते” (महाभा०, पक्षशाहिक) इत्यादि पर कैयट का प्रदीप; तथा महाभाष्य ६ । १ । ८४ ।

सम्बन्ध रखनेवाली भाषाओं में जो परस्पर भेद होते हैं उनको प्रायः निश्चित नियमों में बाँधा जा सकता है। भाषा-विज्ञान द्वारा ही ऐसा हो सकता है। उदाहरणार्थ, वैदिक संस्कृत और पारसियों की धर्म-पुस्तक अवेस्ता की भाषा (=अवेस्तन) दोनों परस्पर बहुत मिलती-जुलती हैं। इनमें जो उच्चारण आदि के भेद हैं वे निश्चित नियमों के साथ हैं। उन नियमों द्वारा यदि कोई इन दोनों में से एक भाषा को जाननेवाला दूसरी भाषा को सीखना चाहे तो बड़ी सरलता से ऐसा कर सकता है।

यह खेद का विषय है कि प्रायेण अभी तक भाषा सीखने की ऐसी पोथियों का निर्माण नहीं हुआ है जिनमें विद्यार्थियों को इस सिद्धान्त के अनुसार दूसरी भाषा सिखाने का यत्न किया गया हो। तो भी कुछ विद्वानों ने इस बात की सत्यता की परीक्षा प्रयोग द्वारा की है, और उनका दृढ़ मत है कि भाषा-विज्ञान के सिद्धान्तों की सहायता से भाषाओं के सीखने में बड़ी सहायता मिल सकती है।

४—भाषाविज्ञान के अध्ययन की मुख्य शाखायें

ऊपर भाषा-विज्ञान के विषय तथा उद्देश्य और उपयोग को दिखलाते हुए हमने शब्दों का, शब्दों को बनानेवाले वर्णों का, शब्दों से बननेवाले वाक्यों का और शब्दों के अर्थ का उल्लेख किया है। इन्हीं को भाषा के मुख्य चार अङ्ग कहा जा सकता है। साथ ही हमने ऊपर यह भी कहा है कि भाषा-विज्ञानी शब्दों के वैज्ञानिक अध्ययन से मनुष्य-जातियों के अति प्राचीन इतिहास का पता लगा सकता है।

भाषा के उपर्युक्त चार अङ्गों और शब्दों के आधार पर ऐतिहासिक अनुसन्धान के अनुसार भाषा-विज्ञान के अध्ययन की आजकल निम्न-लिखित पाँच प्रधान शाखायें मानी जाती हैं :—

- (१) वाक्यविज्ञान (Syntax),
- (२) पदविज्ञान ((Morphology),
- (३) ध्वनिविज्ञान (Phonology),
- (४) अर्थविज्ञान (Semantics), और
- (५) प्रागैतिहासिक अनुसन्धान (Urgeschichte या
Linguistic Palaeontology)

इनकी संक्षिप्त व्याख्या नीचे दी जाती है—

(३) ध्वनि-विज्ञान

देश-भेद और काल-भेद से भाषा परिवर्तनशील है, यह हम परिच्छेद ५ में दिखलायेंगे। देशभेद तथा कालभेद से होनेवाले भाषा के औच्चारणिक (या शाब्दिक) परिवर्तन वर्णात्मक ध्वनियों के आधार पर ही होते हैं। उन्हीं ध्वनियों के स्वरूप का और देश-भेद तथा काल-भेद से होनेवाले उनके परिवर्तन या विकार का वैज्ञानिक विचार ही ध्वनि-विज्ञान का मुख्य विषय है।

वर्ण-विज्ञान (जिसका सम्बन्ध वर्णों के उच्चारण के स्थान, वर्णों की उत्पत्ति और उच्चारण आदि से है) का अन्तर्भाव ध्वनिविज्ञान में हो जाता है। उच्चारण में बलाघात का स्वरूप और ध्वनि-परिवर्तन पर उसका प्रभाव, जैसे प्रश्नों का विचार भी ध्वनि-विज्ञान में विशेष महत्त्व का स्थान रखता है।

(४) अर्थ-विज्ञान

“अर्थगत्यर्थः शब्दप्रयोगः” (अर्थात्, शब्द का प्रयोग अर्थ को प्रकट करने के लिए ही किया जाता है), भाषा के सम्बन्ध में यह एक मौलिक सिद्धान्त है। अर्थ-विज्ञान का विषय उसी अर्थ के सम्बन्ध में वैज्ञानिक पद्धति से विचार करना है। शब्द और अर्थ का क्या सम्बन्ध है? शब्दार्थ में प्रकृति, प्रत्यय आदि क्या साहाय्य करते हैं? शब्दों के अर्थ में तरह-तरह के परिवर्तन कैसे हो जाते हैं? इत्यादि प्रकार की अर्थ-विषयक समस्त जिज्ञासाओं का समाधान अर्थ-विज्ञान द्वारा ही हो सकता है। देशभेद और कालभेद से एक ही शब्द के अर्थ में होने वाले परिवर्तन को ठीक-ठीक समझने के लिए यहाँ भी ऐतिहासिक और तुलनात्मक प्रक्रिया का अवलम्बन करना पड़ता है।

अर्थविज्ञान का विषय स्वभावतः अत्यन्त रोचक है, न केवल भाषा-विज्ञानी के लिए, अपितु अन्य लोगों के लिए भी जिनका भाषाविज्ञान से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अत्यन्त रोचक होते हुए भी यह बड़ा कठिन विषय है; क्योंकि इसके लिए किसी भाषा के, ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक दोनों दृष्टियों से, गम्भीर

है कि व्याकरण और भाषा-विज्ञान दोनों का भाषा से ही सम्बन्ध है; परन्तु दोनों की दृष्टि और उद्देश्य भिन्न-भिन्न होने से दोनों का परस्पर भेद है।

व्याकरण का उद्देश्य किसी विशेष भाषा के केवल व्यावहारिक उपयोग को दृष्टि में रखकर व्यवहारोपयोगी साधुत्व असाधुत्व का सामान्य ज्ञान होता है।^१ किसी भाषा के व्याकरण को जानने के लिए किसी दूसरी भाषा के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती।

परन्तु भाषा-विज्ञान की दृष्टि किसी विशेष भाषा के सामान्य ज्ञान तक परिमित न रहकर भिन्न-भिन्न कालों और देशों की भाषाओं की ओर भी जाती है। भाषा-विज्ञान के व्यापक सिद्धान्तों और नियमों को स्थिर करने के लिए अनेक भाषाओं के ज्ञान की आवश्यकता है। एक भाषा का सम्बन्ध दूसरी पृथक्कालीन और पृथग्देशीय भाषाओं के साथ जाने बिना भाषा-विज्ञान में काम ही नहीं चल सकता। जब कभी किसी विशेष भाषा का भी भाषा-विज्ञान की रीति से विचार किया जाता है तब भी अन्य भाषाओं से परिचय की खास आवश्यकता पड़ती है।

(ख) व्याकरण और भाषा-विज्ञान का दूसरा भेद यह है कि व्याकरण भाषा के सिद्ध स्वरूप को सिखाता है। सिद्ध स्वरूप के कारण की खोज में वह प्रयत्नवान् नहीं होता। व्याकरण की दृष्टि को हम व्याकरण-महाभाष्य के शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं :—

“कथं पुनरिदं भगवतः पाणिनेराचार्यस्य
लक्षणं प्रवृत्तम् ? सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे”।^२

अर्थात्, पाणिनि आचार्य ने शब्द, अर्थ और इनके सम्बन्ध को स्वतःसिद्ध मानकर अपने शास्त्र की रचना की है।

१. तुलना कीजिये—“साधुत्वज्ञानविषया सैषा व्याकरणस्मृतिः” (वाक्य-पदीय १।१४३)। तथा “लोकतोऽर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः” (महाभाष्य, पस्पशाहिक)।

२. महाभाष्य, पस्पशाहिक।

उदाहरण के लिए, व्याकरण यह नहीं बतलाता कि आदि में 'गौ की एषणा' इस अर्थ को रखनेवाला 'गवेषणा' शब्द 'अनुसन्धान' के अर्थ में क्यों या कैसे प्रयुक्त होने लगा, तथा 'करिन्' शब्द से 'करिणा' होना तो स्वाभाविक है—परन्तु 'हरि' शब्द से 'हरिणा' कैसे बन गया।

परन्तु भाषा-विज्ञान शब्द, अर्थ और इनके सम्बन्ध को सिद्ध मानकर प्रवृत्त नहीं होता। भाषा-विज्ञान का मुख्य लक्ष्य यही होता है कि शब्दों के वर्तमान या विद्ध रूपों के कारण को खोजकर उनके इतिहास और दूसरी मिलती-जुलती भाषाओं के साथ सम्बन्ध को प्रकट करे। दूसरे शब्दों में, व्याकरण भाषा के निष्पन्न स्वरूप को बतलाता है, परन्तु भाषा-विज्ञान उस स्वरूप के कारण या मूल की खोज करता है।

(ग) उपर्युक्त भेदों से स्पष्ट है कि भाषा-विज्ञान व्याकरण का आधार-भूत है। व्याकरण को भाषा-विज्ञान के अनुसार पीछे-पीछे चलना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, भाषा-विज्ञान व्याकरणों का व्याकरण है।

व्याकरण और निर्वचन-शास्त्र (जो कि भाषा-विज्ञान का एक आवश्यक अङ्ग है) के सम्बन्ध को निरुक्तकार यास्क आचार्य ने इस प्रकार बतलाया है :—

“तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणास्य कात्स्न्यं स्वार्थसाधकं च”^१।

अर्थात्, निरुक्त या निर्वचन-शास्त्र अपने विशेष उद्देश्य की पूर्ति के साथ साथ व्याकरण की कृत्स्नता को भी संपादन करता है।

६—साहित्य और भाषा-विज्ञान

इसी प्रसङ्ग में साहित्य और भाषा-विज्ञान के सम्बन्ध के विषय में कुछ कहना आवश्यक है। एक साहित्य का परिचित अपने को भाषा का विद्वान् सभक्तता है। यह है भी ठीक, क्योंकि किसी भाषा का उत्कृष्ट या परिष्कृत स्वरूप उसके साहित्य से ही बनता है। भाषा-विज्ञान का

विषय भाषा है यह ऊपर कह चुके हैं। परन्तु इस प्रकार भाषा से सम्बन्ध होने के कारण ऊपरी समानता होने पर भी दोनों में बड़ा भेद है।

(क) साहित्य के अध्ययन में भाषा का विचार प्राधान्येन प्रतिपाद्य अर्थ की दृष्टि से होता है। परन्तु भाषा-विज्ञान में भाषा के स्वरूप का ही विचार किया जाता है। साहित्य के पढ़नेवाले का उद्देश्य साहित्य में प्रकट किये गये सुन्दर सुन्दर विचारों का आस्वादन ही होता है। परन्तु भाषा-विज्ञानी किसी भाषा की परीक्षा केवल उस भाषा के स्वरूप को जानने के लिए करता है। उसके लिए किसी साहित्य का उपयोग वहीं तक है जहाँ तक कि उसको उसकी परीक्षा से भाषा की ऐतिहासिक और तुलनात्मक दृष्टि में सहायता मिल सके। इसी लिए भाषा-विज्ञानी साहित्य के उपकार और उपयोग को मानता हुआ भी अपनी दृष्टि को साहित्य-संपन्न भाषाओं में ही परिमित न रखकर साहित्य-शून्य साधारण ग्रामीण बोलियों की भी परवा करता है। साहित्य के रसिक के लिए इन बोलियों का कोई मूल्य नहीं होता।

एक वनस्पति-विज्ञानी और माली में जो भेद है वस्तुतः वैसा ही भेद एक भाषा-विज्ञानी और साहित्यसेवी में है। वनस्पति-विज्ञानी की दृष्टि किसी विशेष प्रकार की हरियाली में परिमित न रहकर सब प्रकार के, साधारण से साधारण, पौधों तक फैली होती है। इसी उपाय से वह वनस्पतियों की बनावट तथा जीवन आदि के नियमों का पता लगा सकता है। परन्तु माली को केवल सुन्दरता, सुगन्ध या और किसी उपयोग की दृष्टि से आवश्यक विशेष प्रकार की वनस्पतियों से ही सरोकार होता है। उसको जंगली घास-पत्ते से कोई सरोकार नहीं होता।

(ख) ऊपर के भेद से मिलता-जुलता ही भाषा-विज्ञानी और साहित्य-सेवी में एक और भेद है। भाषा-विज्ञानी के लिए, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, एक भाषा का जानना काफी नहीं। संस्कृत, फारसी, लैटिन, ग्रीक भाषाओं में से किसी एक के साहित्य को जाननेवाले के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह दूसरी भाषाओं के साहित्य को भी जाने। परन्तु भाषा-विज्ञानी केवल एक भाषा को ही जाने यह हो ही नहीं सकता। क्योंकि अनेक भाषाओं के जाने बिना तुलना करना, जो भाषा-विज्ञान का मुख्य आधार है, असंभव है।

पृथिवी पर सैकड़ों भाषायें हैं जिनके प्रान्तीय भेद हजारों हैं। यदि भिन्न-भिन्न स्थानों, विरादरियों, वर्गों और पेशों की भाषाओं को लिया जावे तब तो भाषा के असंख्य भेद हो जाते हैं। इन असंख्य भेदों को दृष्टि में रखते हुए यह स्पष्ट है कि कोई भाषा-विज्ञानी, चाहे कैसा ही विद्वान् क्यों न हो, भाषा के केवल एक अंश से ही अच्छी तरह परिचित हो सकता है। उसके लिए यह भी लगभग असंभव-सा है कि वह किसी एक भाषा के ही प्रान्तीय स्थानीय आदि समस्त भेदों को अच्छी तरह जान सके।

वस्तुतः बहु-भाषा-ज्ञानी या बहु-भाषा-भाषी और भाषा-विज्ञानी में बड़ा भेद है। अनेक भाषाओं को जानना और उनको आसानी से बोल सकना, यह बहुत अंश तक मनुष्यों की स्वाभाविक प्रवृत्ति पर निर्भर है। किन्हीं-किन्हीं में यह प्रवृत्ति आश्चर्यजनक होती है। प्रत्येक मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए भाषा-विज्ञानी के लिए बहु-भाषा-ज्ञानी या बहु-भाषा-भाषी ठहराना ठीक नहीं। सच तो यह है कि बहुत से मनुष्य अनेक भाषाओं के सीखने में असाधारण प्रवृत्ति रखते हुए भी, वैज्ञानिक प्रक्रिया से अपरिचित और समालोचना-शक्ति से रहित होने से, ठीक-ठीक भाषा-विज्ञानी नहीं बन सकते।

एक फ्रेंच विद्वान् महाशय होवलाक अपनी पुस्तक 'भाषा-विज्ञान' १ में लिखते हैं—

“भाषाओं का प्रयोगात्मक ज्ञान, या, और ठीक शब्दों में, उनको आसानी और शुद्धता के साथ बोलने की कला प्रधानतया स्वाभाविक शक्ति पर निर्भर होती है। उस शक्ति का विकास भी थोड़े-बहुत लम्बे अभ्यास से होता है। परन्तु उसको एक विज्ञान मानना भूल है। हमको यह देखकर प्रायः आश्चर्य होता है कि भाषा-विज्ञान-विषयक अनेक गूढ़ ग्रन्थों का एक लेखक तीन या चार भिन्न-भिन्न भाषाओं में बात-चीत नहीं कर सकता। ऐसे विद्वान् को अपनी मातृ-भाषा को छोड़ अन्य किसी भाषा को सरलता और स्पष्टता के साथ प्रयोग करने की योग्यता न रखते हुए देखकर हमारा

१. Hovelacque, *The Science of Language*, अंगरेजी अनुवाद (१८७७), पृ० ११.

दूसरा परिच्छेद

—:०:—

‘भाषा’ शब्द के अनेक अर्थ

ऊपर कहा है कि भाषा-विज्ञान का विषय भाषा या मानवीय भाषा है । ‘भाषा’ शब्द से हम सब अच्छी तरह परिचित हैं, इसलिए उसके विषय में कुछ कहना अनावश्यक-सा जान पड़ेगा । परन्तु व्यवहार में ‘भाषा’ शब्द अनेक अर्थों या आशयों में प्रयुक्त होता है । उन अर्थों को पृथक्-पृथक् दिखलाना उपयोगी तथा आवश्यक है । ‘भाषा’ शब्द निम्नलिखित भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है :—

(१) सामान्य रूप से ‘भाषा’ शब्द से मनुष्यमात्र की भाषा का आशय लिया जाता है । इस सामान्य अर्थ की दृष्टि से भाषा का लक्षण इस प्रकार किया जा सकता है :—

‘भाषा’ मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किये गये वर्णात्मक या व्यक्त^१ शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं ।

इस लक्षण के अनुसार मनुष्यों के भावों और विचारों को प्रकट करने के हस्तादि-द्वारा संकेत और मुखाकृति की विकृति जैसे और साधनों को भाषा नहीं कह सकते । उनकी इस लक्षण से व्यावृत्ति हो जाती है । इसी प्रकार क्रोध या हँसी की आवाज़ जैसी अव्यक्त तथा अपरिस्फुट ध्वनि को भी ‘भाषा’ नहीं कह सकते ।

१. तु०—“व्यक्ता वाचि वर्णा येषां त इमे व्यक्तवाचः” (महाभाष्य १।३।४८) ।

इस अर्थ में बहुत-सी भाषायें ऐसी होती हैं जिनके नाम को भाषा-विज्ञानियों को छोड़ और लोग कम जानते हैं ।

(४) भाषा के स्थानीय और प्रान्तीय भेदों के अतिरिक्त ऐसे भेद भी होते हैं जो एक ही स्थान पर रहने पर भी मनुष्यों के भिन्न-भिन्न समूहों या वर्गों में पाये जाते हैं । उनके लिए भी 'भाषा' शब्द का प्रयोग होता है ।

भिन्न-भिन्न धर्म, संप्रदाय, जाति-विरादरी, रोजगार तथा पेशा के लोगों की बोलियों में प्रायः कुछ न कुछ विशेषता पाई जाती है जो स्थान-कृत नहीं होती । भारतवर्ष जैसे देश में तो जहाँ शिक्षा तथा राष्ट्रियता के भावों का प्रचार अभी बहुत कम हुआ है यह बात प्रायः सर्वत्र देखी जाती है । एक ही नगर में रहनेवाले ब्राह्मणों, कायस्थों, मुसलमानों, भगियों, चमारों आदि की बोलियों में यह बात प्रायः सबने देखी होगी । स्त्रियों की बोलियों में ये भेद और भी अच्छी तरह देखे जा सकते हैं । इसी आशय से 'गूजरो की भाषा', 'जाटों की भाषा' इत्यादि व्यवहार में कहा जाता है ।

यद्यपि इन भेदों के होने से एक दूसरे के समझने में कठिनता नहीं होती, तो भी उच्चारण, लहजा, शब्दावलि और व्याकरण का भी भेद इन बोलियों में परस्पर पाया जाता है ।

सदा घूमनेवाली तथा लूट-मार पर निर्वाह करनेवाली साँसिया, हबूड़ा इत्यादि नामों से प्रसिद्ध तथा कंजड़ आदि जातियों की बोलियों में यह विशेषता प्रसिद्ध है ।

इस आशय में 'भाषा' के स्थान में 'बोली' (या 'उपभाषा') शब्द का प्रयोग प्रायः किया जाता है ।

(५) भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की अपनी वैयक्तिक विशेषताओं से युक्त बोली के लिए भी 'भाषा' शब्द का प्रयोग हो सकता है ।

सामान्य बातों में समानता रखते हुए भी यह आवश्यक है कि व्यक्तियों में वैयक्तिक विशेषता पाई जावे । व्यक्तियों का व्यक्तित्व ऐसी विशेषताओं पर ही निर्भर होता है । यह सामान्य नियम भाषा-विषय में भी लागू है ।

(ग) अन्त में, दो व्यक्तियों की बोली में जो बाहरी उच्चारण-सम्बन्धी भेद होता है वह किसी से छिपा नहीं है। किसी परिचित व्यक्ति के केवल स्वर को सुनते ही मूट उसके पहिचान लेने का कारण यही भेद है। इन वैयक्तिक भेदों का मुख्य कारण, हमारे प्रत्येक शरीरावयव के समान, हमारे उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों की बनावट में भेद ही है। वर्णों के उच्चारण करने में प्रयत्न का भेद भी इनका एक कारण है।

(द) ऊपर दिये गये अर्थों के अतिरिक्त 'भाषा' शब्द से प्रायः आशय किसी साहित्यिक भाषा या शिष्टभाषा का भी होता है। अनेक लोग 'भाषा' शब्द को किसी साहित्यिक भाषा के साथ ही प्रयोग करते हैं—जैसे 'संस्कृत भाषा', 'वैदिक भाषा' इत्यादि—और दूसरे प्रकार की अर्थात् साहित्य-शून्य सर्व-साधारण की भाषाओं के लिए वे 'बोली' शब्द का प्रयोग करना पसन्द करते हैं।

साहित्यिक भाषा (या शिष्ट-भाषा) से आशय ऐसी भाषा से है जिसमें अच्छा-खासा साहित्य हो, और जिसको मुख्यतया शिक्षित समुदाय या शिष्टवर्ग ही बोल सकता हो। यह प्रायः सरकारी या राज-काज की भाषा होती है। इसकी शिक्षा और रक्षा या तो बोल-चाल के परम्परागत संप्रदाय से होती है, या अधिकतर लेख-द्वारा, जैसे समाचार-पत्र, मासिक पत्र, कविता, कथोपाख्यान की पुस्तकों से। इस प्रकार पुस्तकों की भाषा होने से यह शिक्षित मनुष्यों की भाषा बन जाती है। वे ही इसको शुद्ध रीति से बोल सकते हैं। ये लोग इस पर इतने मुग्ध हो जाते हैं कि क्रमशः ग्रामीण, प्रान्तीय या स्थानीय भाषा से, जो प्रायः उनकी मातृ-भाषा होती है, घृणा करने लगते हैं।

साहित्य-सम्बन्धी भाषा के दो रूप या भेद हो सकते हैं। एक तो साहित्यिक भाषा ऐसी हो सकती है जिसकी शिक्षा सामान्यतः पुस्तकों द्वारा ही हो सकती है, क्योंकि उसके बोलनेवालों की संख्या नहीं के तुल्य होती है। जैसे संस्कृत, ग्रीक (प्राचीन), लैटिन आदि। इनमें नया साहित्य भी प्रायः नहीं लिखा जाता। दूसरा भेद उनका है जिनकी शिक्षा

बोलचाल तथा आधुनिक साहित्य से भी हो सकती है^१। उनको लाखों मनुष्य दिन रात बोलते हैं और उनमें नया साहित्य भी लिखा जाता है। आजकल की पुस्तकों की हिन्दी, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच इत्यादि की गणना इसी भेद में है।

साहित्यिक तथा सर्व-साधारण^२ की भाषा का भेद

यहाँ पर एक साहित्यिक भाषा और सर्व-साधारण की भाषा के परस्पर भेद के विषय में कुछ कहना अप्रासङ्गिक न होगा। इसका ऊपर भी (पृ० ५) हम सकेत-मात्र कर चुके हैं।

(क) पहली बात जो एक साहित्यिक भाषा को सर्वसाधारण की भाषा से पृथक् करती है वह उसकी कृत्रिमता है। यदि सर्व-साधारण की भाषा की हम एक अकृत्रिम नदी से तुलना करें जो कभी स्थिर न रहकर सदा प्रवाह-रूपसे आगे-आगे बढ़ती रहती है, तो साहित्यिक भाषा की तुलना हम उसी नदी में से जल काटकर बनाई हुई एक कृत्रिम झील या सरोवर से कर सकते हैं। नदी का मार्ग आदि सब कुछ स्वभाव से ही निर्धारित होता है। उसमें चाहे कृत्रिम सौन्दर्य न हो; परन्तु उसके स्वाभाविक गुण और स्वच्छन्द प्रवाह इस कमी को ही पूरा नहीं करते, प्रत्युत कृत्रिम झील आदि से उसके वैशिष्ट्य का भी संपादन करते हैं। कृत्रिम झील आदि में चाहे कृत्रिम सौन्दर्य अधिक हो, उसका दृश्य आँखों के लिए अधिक तृप्तिकर भी हो, परन्तु उसके जल में वे गुण नहीं होते जो नदी के स्वभाव से बहनेवाले जल में होते हैं। इसी प्रकार कम से कम भाषाविज्ञानी की दृष्टि में, यद्यपि उसे साहित्य-सम्पन्न भाषाओं से बहुत कुछ सहायता मिलती है,

१. तु०—“लोकतोऽर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः” (महाभाष्य, पस्पशाहिक)। तथा “यदि शिष्टाः शब्देषु प्रमाणम्, किमष्टाध्याय्या क्रियते। शिष्टपरिज्ञानार्थाध्यायी।.....” (महाभाष्य ६।३।१०६)।

२. ‘साहित्यिक भाषा’ के लिए प्राचीन शब्द ‘शिष्टभाषा’ (शिष्ट = शिष्टित) और ‘सर्व-साधारण की भाषा’ के लिए ‘प्राकृत भाषा’ (प्रकृति = प्रजा) है।

सर्व-साधारण की भाषा का मूल्य, जैसा ऊपर कह चुके हैं, साहित्यिक भाषा की अपेक्षा अधिक होता है। इससे यह भी स्पष्ट है कि जिस प्रकार सरोवर आदि के जल को गन्दा और दूषित न होने देने के लिए समय-समय पर उसमें नदी के नये स्वच्छ जल को लाने की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार साहित्यिक भाषा को जीवित रखने के लिए उसको सदा सर्व-साधारण की भाषा से सम्बन्ध रखने की और इस प्रकार अपने शब्द-भण्डार आदि को समृद्ध करते रहने की आवश्यकता होती है।

(ख) साहित्यिक भाषा को सर्व-साधारण की भाषा से पृथक् करनेवाली दूसरी बात, जो ऊपर के दृष्टान्त से स्पष्ट-प्राय है, उसकी आर्पेक्षिक स्थिरता है। जहाँ सर्व-साधारण की भाषा कभी एक रूप में न रहकर सदा बदलती रहती है, वहाँ साहित्यिक भाषा साहित्य के प्रभाव से चिर-काल तक अपने स्थिर रूप में रह सकती है।

साहित्यिक भाषा का प्रारम्भ सर्व-साधारण की भाषा के किसी एक रूप से, किसी कारण-वश उसे प्राधान्य मिल जाने से, होता है। इस प्राधान्य के मिलने का कारण प्रायः राजनीतिक या धार्मिक होता है। इसी से साहित्यिक भाषा प्रायः राज-भाषा या धार्मिक भाषा के रूप से प्रचलित हो जाती है। इसी से वह शिक्षित लोगों की तथा साहित्य की भाषा बन जाती है। शिक्षा और सभ्यता की वृद्धि के साथ-साथ भिन्न-भिन्न प्रान्तों में परस्पर संव्यवहार और गमनागमन की बढ़ती होती है। प्रान्तीय और स्थानीय विशेषताओं से लगभग शून्य होने के कारण साहित्यिक भाषा से इस संव्यवहार में बड़ी सुविधा होती है। इसलिए इसका पद सर्वसाधारण की भाषा से ऊँचा गिना जाता है और यह शिक्षितों की प्रेमपात्री हो जाती है। राजनीतिक या धार्मिक कारणों से कभी-कभी यह अन्तर्राष्ट्रीय भाषा का पद ग्रहण कर लेती है।

(७) 'भाषा' शब्द का औपचारिक प्रयोग। हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करने के लिए वर्णात्मक भाषा का ही प्रायः आश्रय लेते हैं। तो भी यह कहने की आवश्यकता नहीं कि हस्तादि की चेष्टा और मुख के आकृति-भेद से भी हम परस्पर व्यवहार में सहायता

लेते हैं^१। ऊपर दिये हुए भाषा के लक्षण में कहा गया है कि भाषा का वर्णात्मक होना आवश्यक है। 'भाषा' शब्द 'भाष = व्यक्तायां वाचि' धातु से बना है, और व्यक्त से आशय वर्णात्मक होने का ही है^२। इससे, जैसा ऊपर कहा गया है, 'भाषा' शब्द का प्रयोग, ठीक-ठीक अर्थों में, हमारे विचारों और भावों को प्रकट करने के उपर्युक्त हस्तादि के संकेत जैसे साधनों के लिए नहीं किया जा सकता।

परन्तु उसी लक्षण से यह भी स्पष्ट है कि भाषा का अति स्पष्ट प्रयोजन अपने भावों और विचारों को दूसरों पर प्रकट करना ही है। इसी दृष्टि से 'भाषा' शब्द का औपचारिक या गौण प्रयोग वर्णात्मक भाषा के अतिरिक्त परस्पर व्यवहार के जो और साधन हैं उनके लिए भी होता है। उदाहरण के लिए, गूँगे-बहिरो के परस्पर संकेतों को उनकी 'भाषा' के नाम से पुकारा जाता है।

इस प्रकार की सांकेतिक भाषा का प्रयोग असभ्य जङ्गली जातियों में बहुत कुछ किया जाता है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण अमरीका के इण्डियन लोगों की जङ्गली जातियों की सांकेतिक भाषायें हैं^३। ये हस्तादि-चेष्टात्मक भाषायें बहुत कुछ उन्नत अवस्था को प्राप्त हो चुकी हैं। इसी प्रकार यह कहा जाता है कि उत्तरी अफ्रीका के पश्चिम-दक्षिण भाग में अशान्ति (Ashanti) के समीप में रहनेवाली ग्रेबो नाम की

१. तु०—“अन्तरेण खल्वपि शब्दप्रयोगं वहवोऽर्था गम्यन्तेऽक्षिनिकोचैः पाणिविहारैश्च” (महाभाष्य २।१।१)।

२. दे० (“व्यक्तवाचां समुच्चारणे”—इस पाणिनि-सूत्र पर)—“व्यक्तवाचामित्युच्यते सर्व एव हि व्यक्तवाचस्तत्र प्रकर्षगतिविज्ञास्यते। साधीयो ये व्यक्तवाच इति। के च साधीयः। येषां वाच्यकारादयो वर्णा व्यज्यन्ते।...व्यक्ता वाचि वर्णा येषां त इमे व्यक्तवाच इति।” (महाभाष्य १।३।४८)।

३. दे० *Encyclopaedia Britannica*, संस्करण ११, Philology पर लेख।

जाति में क्रियाओं के काल और पुरुष को केवल हाथों की चेष्टा से प्रकट करते हैं^१ ।

यहाँ पर यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भाषा-विज्ञान के विषय से ऐसी भाषाओं का कोई सम्बन्ध नहीं है । उसका सम्बन्ध केवल वर्णात्मक भाषा से है ।

(द) कृत्रिम भाषा । उपर्युक्त अर्थों के अतिरिक्त 'भाषा' शब्द का प्रयोग एक कृत्रिम भाषा के लिए भी हो सकता है । कृत्रिम भाषा से आशय एक ऐसी भाषा का है जिसको कुछ मनुष्यों ने किसी सुविधा के उद्देश्य से एकमत होकर गढ़ लिया हो । इसका आधार एक या अनेक अकृत्रिम भाषाओं पर हो सकता है । ऐसी भाषा का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण आज-कल की एस्पेरान्तो^२ (Esperanto) नाम की भाषा है ।

इसका आधार बहुत करके भारत-यूरोपीय भाषाओं पर है । सरलता इसकी मुख्य विशेषता है । इसके व्याकरण में इस बात को लक्ष्य में रखा गया है कि उसको सामान्य नियमों या उत्सर्गों में ही बाँधा जावे और अपवादों को स्थान न दिया जावे । यही इसकी सरलता का मूल-मन्त्र है ।

कुछ समय पहले यह भाषा यूरोप आदि में शिक्षित मनुष्यों में शनैः-शनैः फैलती जा रही थी । इसमें लेख का काम भी होने लगा था । इसके प्रेमी इसको संसार भर की अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के पद पर विराजमान देखना चाहते थे । पर अब इसके प्रचार में कठिनाइयाँ उपस्थित हो गई हैं ।

उपसंहार

(क) 'भाषा' शब्द के अनेक अर्थ दिखा देने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सामान्यतः भाषा या किसी विशेष भाषा के सम्बन्ध में कुछ कथन

१. दे० A. H. Sayce, *Introduction to the Science of Language*, तृतीय संस्करण (१८६०), पृ० २; तथा R. N. Cust, *Linguistic and Oriental Essays, Second Series* (१८८७), पृ० ३२३, ३४४.

२. इस भाषा का आविष्कार या प्रारम्भ कुछ समय पूर्व वारसा (Warsaw) नगर के निवासी Dr. L. Zamenhof ने किया था ।

करने पर सबसे पहले हमें इस बात का विचार कर लेना चाहिये कि उपर्युक्त अर्थों में से किसमें 'भाषा' शब्द का प्रयोग किया गया है तथा उस कथन का उस भाषा के किस स्वरूप से सम्बन्ध है।

उदाहरणार्थ, संस्कृत भाषा के सम्बन्ध में कुछ कहने पर हमें सोचना चाहिये कि क्या हमारा अभिप्राय वैदिक संस्कृत (ऋग्वेद आदि की भाषा) तथा लौकिक संस्कृत (कालिदास आदि के ग्रन्थों की भाषा) दोनों से है या केवल लौकिक संस्कृत से। आगे चलकर पाँचवें परिच्छेद (अधिकरण ३) में हम संस्कृत भाषा के इन दोनों स्वरूपों के पारस्परिक भेद को तथा विभिन्न अर्थों में 'संस्कृत' शब्द के प्रयोग को दिखलायेंगे। उससे संस्कृत के विषय में विचार करने से पूर्व इस शब्द के अभिप्रेत अर्थ को ठीक-ठीक समझ लेने की आवश्यकता स्पष्ट हो जावेगी।

इसी प्रकार फारसी भाषा के सम्बन्ध में कुछ कहने पर हमें सोचना चाहिये—क्या हमारा आशय फारसी के प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक स्वरूपों में से किसी विशेष स्वरूप से है या सब स्वरूपों से? आधुनिक स्वरूप से सम्बन्ध होने पर भी, क्या शिखितों की फारसी से या ग्रामीण फारसी से या दोनों से है? क्या हमारा मतलब शीराज या किसी और नगर-विशेष की फारसी से, या कैस्पियन समुद्र तक फैले हुए प्रान्तों और जिलों में भिन्न-भिन्न रूपों में बोली जानेवाली फारसी-मात्र से है? ऐसे विचार की आवश्यकता इस उदाहरण से स्पष्ट हो जावेगी कि शिखितों की फारसी के 'पिदर' (= पिता) शब्द के स्थान में कैस्पियन समुद्र के तट पर बोले जानेवाले फारसी के भिन्न-भिन्न स्थानीय स्वरूपों में 'पीर', 'पिअर' इत्यादि शब्द बोले जाते हैं।

(ख) दूसरी बात जो 'भाषा' शब्द के औपचारिक अर्थ को छोड़कर दूसरे अर्थों से निकलती है यह है कि भाषा-विज्ञान की पुस्तकों में जब हम कुछ शब्दों का परस्पर तुलना करते हैं तब हमारा आशय उन शब्दों के उचरित स्वरूप से होता है, न कि उनके लिखित संकेत से। इसी प्रकार उन शब्दों का पारस्परिक सम्बन्ध उनके बोले जानेवाले शाब्दिक स्वरूपों में होता है, न कि उनके हिज्जों या 'लिखित वर्णानुपूर्वी' में। उदाहरण के लिए, जब यह कहा जाता है कि संस्कृत 'पिता' का पञ्जाबी में रूप 'पिउ', फारसी

में 'पिदर', लैटिन में pater और इंगलिश में father है, तब हमारा आशय इनके उच्चरित रूपों की तुलना से ही होता है ।

(ग) सब भाषाओं में यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक शब्द का बोलने और लिखने का स्वरूप अभिन्न हो । उदाहरणार्थ, इंगलिश में बहुत-से शब्दों को लिखते एक प्रकार से हैं और बोलते दूसरी तरह से । daughter, light इत्यादि शब्दों के उच्चारण में gh का उच्चारण नहीं किया जाता । संस्कृत शब्दों में और स्वरो के सदृश 'अ' को भी स्पष्ट उच्चारण करते हैं; परन्तु हिन्दी में 'करता है' जैसे उदाहरणों में 'र' में 'अ' को उच्चारण नहीं करते, परन्तु लिखते हैं । शब्दों में इस प्रकार के जो अनुच्चरित परन्तु लिखित अंश होते हैं वे उनके प्राचीन उच्चारण के द्योतक होते हैं जब कि उनका उच्चारण किया जाता था । ऐसे शब्दों की दूसरे शब्दों के साथ तुलना में प्रायः उनके प्राचीन उच्चरित स्वरूप से आशय होता है । इसका विशेष विचार नवें परिच्छेद में 'वर्णविज्ञान के अध्ययन में ऐतिहासिक दृष्टि' इस सम्बन्ध में किया जायगा ।

तीसरा परिच्छेद

—:०:—

भाषा का स्वरूप

१—भाषा के दो आधार

भाषा का लक्षण हम ऊपर इस प्रकार कर चुके हैं :—

“भाषा’ मनुष्यो की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किये गये वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं।”

इस लक्षण से यह स्पष्ट है कि भाषा का आधार भौतिक और मानसिक दोनों प्रकार का है। जहाँ तक इसका सम्बन्ध तालु आदि स्थानों से उच्चरित और कानों से श्रोतव्य वर्णों से है वहाँ तक इसका आधार भौतिक है; और जहाँ तक भाषा का सम्बन्ध हमारे विचारों से है वहाँ तक उसका आधार मानसिक है। भाषा के इन्हीं दो आधारों को समझने के लिए भाषा-विज्ञान में शरीर-विज्ञान और उसके द्वारा भौतिक-पदार्थ-विज्ञान, तथा मनो-विज्ञान की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। भाषा के इन दोनों आधारों का संक्षेप से विचार करना यहाँ आवश्यक है।

२—भाषा का भौतिक आधार

भाषा के ऊपर के लक्षण में ‘उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों’ से आशय मुख के फण्ड, तालु, दन्त, ओष्ठ आदि सारे अवयवों का है जिनकी सहायता से वर्णों का उच्चारण किया जाता है। ‘वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों’ से आशय उन शब्दों का है जिनमें वर्णानुपूर्वी की स्पष्ट प्रतीति होती है, या जिन शब्दों का वर्णों में विभाग किया जा सकता है। जिन सार्थक शब्दों को हम बोलते हैं वे अक्षरों से बनते हैं, और अक्षर स्वर और व्यञ्जनों के मेल से या एक स्वर से ही बनते हैं। इन्हीं स्वर और

व्यञ्जनों को वर्ण कहते हैं। यही हमारी भाषा को अन्ततः बनाते हैं। ताली बजाने से या अंगुली चटकाने से जो शब्द होते हैं या इसी प्रकार के और शब्द तालु आदि वर्णोच्चारण के स्थानों से उत्पन्न नहीं होते। ऐसे शब्द विस्मयादि-बोधक स्वाभाविक शब्दों की तरह चाहे कितने ही भावावबोधक हों, भाषा-विज्ञानी की दृष्टि में भाषा नहीं कहलाते। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि तालु आदि स्थानों से भी अव्यक्त ध्वनि की जा सकती है। वर्णानुपूर्वी से रहित ऐसी अव्यक्त ध्वनि का भाषा-विज्ञान में कोई काम नहीं।

उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों और उनसे वर्णों की उत्पत्ति आदि का विस्तृत वर्णन नवें परिच्छेद में किया जायगा। यहाँ पर केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि भाषा के भौतिक आधार से अभिप्राय वायु के उन कम्पनों से है जो वक्ता के बोलने के शरीरावयवों के व्यापार से उत्पन्न होते हैं और श्रोता की श्रवणेन्द्रिय तक पहुँचते हैं।

शब्द करने से पहले हमारे फेफड़ों में वायु का होना आवश्यक है। बोलते समय हमारे बोलने के शरीरावयवों में कम्पन होने लगते हैं। उनके कम्पनों से फेफड़ों से निकलती हुई वायु में, जो शब्द का माध्यम है, कम्पन पैदा हो जाते हैं। वायु के यही कम्पन लहर-रूप में चलकर श्रोता की श्रवणेन्द्रिय तक पहुँचकर उसमें कम्पन उत्पन्न कर देते हैं। इसी को शब्द का सुनना कहते हैं।^१

श्रवणेन्द्रिय की रचना

यहाँ पर श्रवणेन्द्रिय की रचना के विषय में थोड़ा-सा परिचय देना अप्रासङ्गिक न होगा।

१. तु०—“किमिदमुच्चारणं नामेति ? विवक्षाजनितेन प्रयत्नेन कोष्ठ्यस्य वायोः प्रेरितस्य कण्ठतात्वाद्यभिघातः, यथास्थानं प्रतिघाताद्वर्णाभिव्यक्तिः” (न्यायसूत्रवात्स्यायनभाष्य २।२।१८)। तथा “सर्वः शब्दो नभोवृत्तिः श्रोत्रोत्पन्नस्तु गृह्यते। वीचीतरङ्गन्यायेन तदुत्पत्तिस्तु कीर्त्तिता।” (भाषापरिच्छेद १६५-१६६)।

हमारी कर्णेन्द्रिय तीन भागों से बनी है। इनमें से केवल एक ही भाग बाहर से दिखाई देता है; और साधारणतया इसी को कान कहा जाता है। शेष दो भाग कनपटी की हड्डी के अन्दर रहते हैं और बाहर से दिखाई नहीं देते। बाहरी भाग में, जिसको बाह्य-कर्ण कह सकते हैं, बाहर से दिखाई देनेवाला सीपी जैसा भाग और उसमें से अन्दर जाती हुई नली, जो लगभग एक इञ्च लंबी होती है, दोनों सम्मिलित हैं। इस नली के अन्त में एक भिल्ली होती है। यह भिल्ली श्रवणेन्द्रिय के मध्य भाग की, जो एक छोटी-सी कोठरी है, बाहरी दीवाल बनाती है। मध्य भाग को मध्य-कर्ण भी कह सकते हैं। इस प्रकार मध्य-कर्ण का बाहरी स्वरूप भिल्ली से मढ़े हुए एक ढोल जैसा हो जाता है। मध्य-कर्ण की भीतरी दीवाल से श्रवणेन्द्रिय के तीसरे भाग या आभ्यन्तर-कर्ण का आरम्भ होता है।

मध्य-कर्ण में तीन छोटी-छोटी हड्डियों की एक शृङ्खला-सी होती है। इस शृङ्खला के एक सिरे का सम्बन्ध बाहरी दीवाल बनानेवाली भिल्ली से रहता है; और दूसरा सिरा भीतरी दीवाल के भिल्ली से ढके हुए एक अण्डाकार छिद्र में फँसा रहता है।

आभ्यन्तर-कर्ण के तीन भाग हैं। बीच का भाग एक कोष्ठ है। इसके पिछले भाग में तीन मुड़ी हुई नलियाँ जुड़ी रहती हैं। कोष्ठ के सामने एक शंखाकार पेंचदार भाग होता है। इन तीनों भागों की दीवाल कनपटी की हड्डी से ही बनती है। वस्तुतः कनपटी की हड्डी में खोखली जगह के ही ये रूप हैं। इन तीनों भागों में से प्रत्येक के अन्दर उसी उसी भाग की शक्त का, परन्तु कुछ छोटा, भाग भिल्ली से बनता है। हड्डी और भिल्ली के बीच की जगह में, और भिल्ली-निर्मित-भागों में भी, एक प्रकार का पानी भरा रहता है। आभ्यन्तर-कर्ण के भिल्ली-निर्मित शंखाकार भाग में श्रावणी शिरा के तन्तु विशेषकर प्रारम्भ होते हैं।

बोलने पर जो वायु में कम्पन होते हैं वे लहर-रूप में कान तक पहुँचने पर बाह्य-कर्ण द्वारा इकट्ठे किये जाते हैं। इन लहरों से मध्य-कर्ण को ढाँपनेवाली भिल्ली में कम्पन होने लगते हैं। इन कम्पनों से मध्य-कर्ण में शृङ्खला-रूप से वर्तमान हड्डियों द्वारा अन्त में आभ्यान्तर

कर्ण के झिल्ली-निर्मित अवयवों के बाहर तथा अन्दर रहनेवाले जल में भी कम्पन होने लगते हैं। इन्हीं कम्पनों से अंत में एक प्रकार के हँआदार अणुपुञ्जों पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है, जिसकी सूचना श्रावणी शिरा के तन्तुओं द्वारा मस्तिष्क के सुनने के केन्द्रों को जाती है और हमको शब्द का श्रवण होता है।^१

३—भाषा का मानसिक आधार

जैसा ऊपर कहा है, भाषा के स्वरूप को समझने के लिए उसके भौतिक आधार का जान लेना ही पर्याप्त नहीं। उसके लिए मानसिक आधार को भी समझना चाहिये। ग्रामोफोन के रिकार्डों के ऊपर, सुई की मदद से, जो एक प्रकार के परिवर्तन होते जाते हैं उनसे चारों ओर की वायु में विशेष प्रकार के कम्पन होने लगते हैं। वायु के इन कम्पनों को एक फोनोग्राफ में अङ्कित किया जा सकता है। इतना होने पर भी ग्रामोफोन को बोलनेवाला और फोनोग्राफ को सुननेवाला हम नहीं कह सकते। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि बोलने तथा सुनने के साथ मानसिक व्यापार का कुछ अंश अवश्य रहना चाहिये। एक वक्ता और ग्रामोफोन में तथा श्रोता और फोनोग्राफ में असली भेद यह है कि वक्ता और श्रोता बोलने और सुनने में मानसिक शक्तियों को उपयोग में लाते हैं, पर उपर्युक्त यन्त्रों में चैतन्य के न होने से किसी प्रकार का मानसिक व्यापार नहीं हो सकता।

भाषा के मानसिक आधार का विचार दो भागों में बाँटा जा सकता है:—

(१) भिन्न-भिन्न वर्णात्मक शब्दों के बोलने और सुनने में साधन-रूप वक्ता और श्रोता के मानसिक व्यापार।

(२) शब्दों द्वारा वक्ता से प्रकट किये जानेवाले और श्रोता के मन में उत्पन्न होनेवाले अर्थ या विचार।

१. श्रवणेन्द्रिय के चित्रों के लिए देखिये—त्रिलोकीनाथ वर्मा, “हमारे शरीर की रचना” (१९२१), भाग २, पृ० २८६-३१६।

किसी शब्द के बोलने के पहले या सुनने के पीछे यह आवश्यक है कि हमारे मन में कोई भाव या विचार हो। उदाहरणार्थ, 'अश्व' शब्द को सुनकर हमारे मन में एक प्रकार का सामान्यात्मक भाव या विचार पैदा होता है जिसको हम 'अश्व' शब्द का अर्थ कहते हैं।

एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों को देखकर (या प्रत्यक्ष करके) उन सबमें पाये जानेवाले जो सामान्य धर्म होते हैं उनके विचार को ही सामान्यात्मक विचार या भाव कहा जाता है।

आँख आदि भिन्न-भिन्न इन्द्रियों द्वारा अनुभूत ऐन्द्रियक ज्ञानों की तरह इस सामान्यात्मक भाव की कोई अपनी मानसिक प्रतिमा नहीं हो सकती। अतः अरूप या इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्षायोग्य होने के कारण यह आवश्यक है कि इसके उद्बोधन तथा स्मरण के लिए ऐन्द्रियक वस्तु प्रतीक-या संकेत-रूप से काम में लाई जावे। शब्द एक ऐसी ही वस्तु है। उसका प्रत्यक्ष इन्द्रियों द्वारा किया जा सकता है। इसलिए चिन्तन की उन्नति के लिए शब्द और अर्थ का सांकेतिक सम्बन्ध मानना आवश्यक है।^१ इस सम्बन्ध द्वारा परस्पर विचार-परिवर्तन में भी शब्द की उपयोगिता होती है।

परन्तु, यद्यपि हमारे सामान्यात्मक विचारों की कोई साक्षात् मानसिक प्रतिमा नहीं हो सकती, शब्दों के विषय में ऐसा नहीं है। शब्दों का प्रत्यक्ष इन्द्रियों द्वारा होता है, इसलिए शब्दों की मानसिक प्रतिमा का होना आवश्यक है। जिस शब्द का अर्थ हमको गृहीत है उसके उच्चारण के पहले तथा सुनने पर उसका स्मरण आवश्यक है। इस स्मरण का अर्थ यही है कि उस शब्द के अनुभव के पिछले संस्कार हमारे मन में उद्बुद्ध हो जावें। यही संस्कार प्रतिमा-रूप में उद्बुद्ध होकर अर्थों का स्मरण दिलाते हैं।^२

१. तु०—“सामयिकः शब्दादर्थसंप्रत्ययः” (न्यायसूत्रवात्स्यायनभाष्य २।१।५६)। सामयिकः = समयकारितः, सांकेतिक इति यावत्।

२. तु० “पुरुषप्रयत्नोपजनिताद् वक्तोद्घातात् परस्यार्थप्रत्ययमाधाय शब्द-व्यक्त्य एव ध्वंसन्ते, न तु शब्दाकृतयः। तास्तु तथाभिधानशक्त्या बुद्धिद्वारेणा-वस्थिताः स्वानर्थान् प्रकाशयन्त्यः स्थिता एव भवन्ति।” (निरुक्त १।२ के “व्याप्तिमत्त्वात् शब्दस्य” इस अंश पर दुर्गाचार्य की व्याख्या से उद्धृत)।

शब्दों का अनुभव हम तीन प्रकार से करते हैं। किसी शब्द के उच्चारण करने से जो अनुभव होता है उसको औच्चारणिक, सुनने से होनेवाले अनुभव को श्रावण, और लिखित शब्दों को देखने से होनेवाले अनुभव को चाक्षुष कह सकते हैं। इनमें से औच्चारणिक अनुभव सर्व-प्रधान है। अनुभवों के तीन प्रकार के होने से शब्दों के संस्कार और मानसिक प्रतिमायें भी तीन प्रकार की होती हैं। परन्तु हमारे चिन्तन में शब्दों की औच्चारणिक प्रतिमाओं का ही अधिक साथ रहता है^१।

४—‘शब्द’ किसको कहते हैं ?

मोटी रीति से विचार करने पर इस प्रश्न को आवश्यकता समझ में नहीं आती। परन्तु ठीक-ठीक सोचने पर प्रतीत होगा कि इस प्रश्न का सन्तोषजनक उत्तर देना सरल नहीं है। इस प्रश्न पर विचार करने से पहले यह कह देना चाहिए कि यहाँ ‘शब्द’ से हमारा आशय व्यक्त या वर्णात्मक शब्द का है। और जगह भी प्रकरणा के अनुसार यह समझ लेना चाहिये कि ‘शब्द’ से आशय व्यक्त (=वर्णात्मक) या अव्यक्त (=अवर्णात्मक या अपरिस्फुट-ध्वन्यात्मक^२) शब्द का या दोनों का है।

शब्द का लक्षण^३ अनेक प्रकार से^४ किया जा सकता है। शब्द के शाब्दिक या श्रोतव्य रूप को यदि दृष्टि में रखा जावे तो अक्षरों या

१. इस विषय के विशेष विचार के लिए देखिये—S. H. Mellone और M. Drummond, *Elements of Psychology* (1912), परिच्छेद १३-१५।

२. तु० “शब्दो ध्वनिश्च वर्णश्च मृदङ्गादिभवो ध्वनिः ॥ कण्ठसंयोगादि-जन्वा वर्णास्ते कादयो मताः ॥” (भाषापरिच्छेद १६४-१६५)

३. तु० “श्रोत्रोपलब्धिर्बुद्धिर्निर्ग्राह्यः प्रयोगेणाभिज्वलित आकाशदेशः शब्दः” (महाभाष्य, आह्निक २, ‘ऋलृक्’ सूत्र पर)।

४. तु० “वायोरणूनां ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते। कैश्चिदर्शनभेदो हि प्रवादेश्वनवस्थितः ॥” (वाक्यपदीय १।१०८) इत्यादि।

वर्णों के समुदाय-विशेष को शब्द कहा जा सकता है। वाक्य की दृष्टि से, जो शब्दों से बनता है, यदि यह लक्षणा किया जावे तो हम वाक्य के स्वतन्त्र चरमावयवों (या इकाइयों) को शब्द कह सकते हैं। इसी प्रकार शब्द और अर्थ के परस्पर सम्बन्ध को दृष्टि में रखकर यदि हम लक्षणा करना चाहें तो कह सकते हैं कि हमारे विचारों के प्रतीक-रूप उच्चरित (या लिखित) संकेतों को शब्द कहते हैं। इस प्रकार भिन्न-भिन्न सम्बन्धों की दृष्टि से शब्द के भिन्न-भिन्न लक्षणा किये जा सकते हैं; परन्तु शब्द के पूर्ण विवरण में इन सब बातों का समावेश होना चाहिये।

भाषा-विज्ञान में 'शब्द' शब्द का प्रयोग बहुत ही होता है। उदाहरणार्थ, 'हिंदी शब्द', 'संस्कृत शब्द', 'फारसी शब्द', 'अप्रयुक्त शब्द', 'उद्धृत शब्द', 'शब्द की व्युत्पत्ति', 'शब्दों में परिवर्तन' इत्यादि स्थलों में 'शब्द' शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसके कहने की आवश्यकता नहीं कि 'शब्द किसको कहते हैं?' इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर देना कितना आवश्यक है।

शब्द का पूर्ण विवरण देने से पहले हमें देखना चाहिये कि 'शब्द' शब्द का प्रयोग किस-किस प्रसङ्ग में किया जाता है। उदाहरणार्थ, हमें विचारना चाहिये कि निम्नलिखित भिन्न-भिन्न स्थलों में 'शब्द' शब्द किस-किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है—

- (१) अंगरेजी father, लैटिन pater, फारसी 'पिदर' और संस्कृत 'पिता' एक ही शब्द है।
- (२) भारतवर्ष का प्राचीनकालीन 'कर्मन्' शब्द मध्यकालीन प्राकृत में 'कम्म' हो गया था; और आज-कल बहुत-सी बोल-चाल की भाषाओं में 'काम' हो गया है।
- (३) अंगरेजी शब्द daughter (डॉटर=दुहिता) में अनुच्चरित gh इस बात का साक्ष्य है कि प्राचीन समय में एक कण्ठ्य वर्ण का यहाँ पर उच्चारण किया जाता था। जर्मन शब्द Tochter (टॉख्टर=दुहिता) में अब भी कण्ठ्य वर्ण वर्तमान है। वही कण्ठ्य वर्ण संस्कृत शब्द 'दुहिता' में 'हू' हो गया है।

- (४) चीनी भाषा में 三 शब्द का अर्थ सारे राष्ट्र में 'तीन' है, परन्तु इसका उच्चारण भिन्न-भिन्न बोलियों में बहुत कुछ बदल जाता है। उदाहरणार्थ, इसको 'सन', 'सम', 'संग', 'सत्र', 'सत्र', 'स', और 'तम' भी बोलते हैं।
- (५) यह बात विचारणीय है कि भाषा में शब्द वाक्य से पहले होता है या वाक्य शब्द से।
- (६) किसी शब्द के अनेक भिन्न-भिन्न रूप भाषा में प्रचलित हो सकते हैं।
- (७) उत्तरप्रदेश आदि में ग्रामीण लोग 'जमीन' शब्द को सदा 'जमीन' उच्चारण करते हैं।

उपर्युक्त उदाहरणों पर विचार करने से यह स्पष्ट है कि 'शब्द' शब्द का प्रयोग भिन्न-भिन्न अर्थों में किया जाता है। नीचे हम इन्हीं अर्थों को स्पष्ट करने का यत्न करेंगे।

५—शब्द और लिखित संकेत

'भाषा की उत्पत्ति' (परिच्छेद ८) के वर्णन में हम दिखलायेंगे कि मनुष्य-सृष्टि के प्रारम्भ में अपने विचारों को प्रकट करने के लिए मनुष्य बहुत-कुछ हस्तादि-संकेत से ही काम लेता रहा होगा, और इस प्रकार विचार-परिवर्तन में प्रकाश आदि की अपेक्षा होने के कारण कई तरह की असुविधा होने से ही भाषा का विकास हुआ होगा। परन्तु काल-कृत और देश-कृत अन्तर के हो जाने पर भाषा-द्वारा भी विचार-परिवर्तन नहीं हो सकता। आजकल के टेलीफोन, ग्रामोफोन, रेडियो जैसे यन्त्रों के आविष्कार से पहले तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। उन दिनों विशेष-कर वक्ता और श्रोता का एक ही देश और काल में होना आवश्यक था। इस असुविधा को दूर करने के लिए ही लेखन-कला का आविष्कार किया गया।

परन्तु लेखन-कला के आविष्कार का मूल सिद्धान्त एक होने पर भी उसका उपयोग विचारों को प्रकट करने में एक ही रूप से नहीं

क्रिया गया। साक्षात् या असाक्षात् रूप से हमारे विचार दो प्रकार लेख द्वारा प्रकट किये जा सकते हैं—

(क)

विचारों को साक्षात् रूप से प्रकट करनेवाले लिखित संकेत वे होते हैं जिनको देखते ही विचारों की तो प्रतीति हो जाती है, परन्तु उन विचारों के वाचक शब्दों का और उनके वर्णात्मक या उच्चारणीय स्वरूप का कोई पता नहीं लगता। उदाहरण के लिए ऊपर दिये गये चीनी भाषा के लिखित संकेत 三 को ही लीजिये। इसको देखते ही देखनेवाला इसके अर्थ (=तीन) को समझ लेता है, परन्तु इसका उच्चारण में आनेवाला शाब्दिक रूप स्थान-भेद से भिन्न-भिन्न ही है।

इसी प्रकार प्राचीन मिस्र आदि देशों में प्रचलित चित्र-लिपियों की प्रारम्भिक अवस्था में किसी जड़ या चेतन पदार्थ को उसके चित्र द्वारा प्रकट करते थे। उन संकेतों से पदार्थों के नाम का कोई पता साक्षात् रीति से न लग सकता था। इस प्रकार की लिपि में एक बड़ा गुण यह हो सकता है कि उस देश की भाषा को न जाननेवाला भी उससे बहुत कुछ अर्थ निकाल सकता है।

चीन देश में प्रचलित लेख-प्रथा यद्यपि अब चित्र-लिपि नहीं कही जा सकती, तो भी एक विचार के लिए राष्ट्रभर में एक ही लिखित संकेत को सुरक्षित रखने से देशभर में एक ही प्रकार की सम्यता के फैलाने और स्थिर रखने में बड़ी साधक हुई है।

चित्र-लिपि में बड़ा दोष यह है कि इसमें भिन्न-भिन्न पदार्थों के लिए नये-नये स्वतन्त्र संकेत नियत करने में बड़ा गौरव करना पड़ता है, और गूढ़ विचारों और विशेषणों आदि को इस प्रकार प्रकट भी नहीं किया जा सकता।

विचारों को साक्षात् रूप से प्रकट करने का एक और उदाहरण, जिससे हम सब परिचित हैं, गणित-शास्त्र के संकेत होते हैं; जैसे १, २, ३, ४; I. II. III. IV इत्यादि। इन संकेतों से भी इनके वाचक वर्णात्मक शब्दों के उच्चारण पर कुछ प्रकाश नहीं पड़ता।

(ख)

विचारों को असाक्षात् रूप से प्रकट करनेवाले लिखित संकेत वे होते हैं जिनको देखकर पहले विचारों के वाचक वर्णात्मक शब्दों का भान होता है, और तब उन शब्दों द्वारा उनके वाच्य अर्थों का बोध होता है। इस प्रकार के लेख में इस बात पर दृष्टि रखी जाती है कि शब्द का लिखित स्वरूप उसके उच्चारणीय स्वरूप के अनुसार ही हो। उदाहरणार्थ, संस्कृत भाषा के लिखने में इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता है।

परन्तु सब भाषाओं में लेख और उच्चारण में इस प्रकार का पूरा आनुरूप्य नहीं मिलता। ऐसा भी देखा जाता है कि लिखित संकेत के होने पर भी उसका उच्चारण नहीं किया जाता। जैसा ऊपर कहा है, अंगरेजी भाषा में ऐसे सैकड़ों शब्द हैं जिनके लिखने में दिखलाये गये कई वर्णों का उच्चारण ही नहीं किया जाता। इस प्रकार के अनुच्चरित वर्णों के लिखने का कारण उनका प्राचीन समय में उन शब्दों में बोला जाना ही है। वे आजकल उस प्राचीन उच्चारण के केवल स्मारक-चिह्न ही हैं। उदाहरणार्थ, daughter (डॉटर) में gh, knight (नाइट) में k और gh, calm (काम) में l, psalm (साम) में p और l उच्चारण नहीं किये जाते। इसी प्रकार हमारी हिन्दी में 'सकता है' इत्यादि में 'क' में 'अ' का उच्चारण नहीं होता। इसी प्रकार हिन्दी में शब्द के अन्त में आनेवाला 'अ' नहीं बोला जाता।

६—शब्द का उच्चरित स्वरूप

शब्द के लिखित रूप का वर्णन करके, जिसको शब्द का चाक्षुष रूप भी कह सकते हैं, अब हम शब्द के उच्चरित या श्रवणीय रूप का विचार कर सकते हैं। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, कोई भी दो मनुष्य एक ही शब्द को एक ही प्रकार उच्चारण नहीं करते। यह भी कहा जा सकता है कि बहुत संभव है एक ही मनुष्य एक ही शब्द को दो बार बिलकुल एक ही प्रकार से उच्चारण न कर सके। पहली अवस्था में, अर्थात् जब दो व्यक्ति एक शब्द को उच्चारण करते हैं, उच्चारण का भेद श्रवणोन्द्रिय से ग्रहण हो सकता है, क्योंकि दोनों की आवाज़ पहिचानी जा सकती है।

‘काम’ शब्द प्राचीन ‘कर्मन्’ शब्द से निकला है; और इच्छार्थक ‘काम’ शब्द संस्कृत ‘काम’ ही है।

इसी प्रकार हिन्दी के ‘अंस’ (=सं० अंश) = भाग और ‘अंस’ = स्कन्ध, ‘सुर’ (=सं० स्वर) = आवाज़ और ‘सुर’ = देवता, इत्यादि शब्दों को ले सकते हैं।

इससे यह स्पष्ट है कि किसी शब्द का स्वरूप केवल उसके सामान्य उच्चरित रूप या उसके भिन्न-भिन्न उच्चारणों के मानसिक संस्कार द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। वस्तुस्थिति में यही नहीं कि शब्द का तत्त्व उसके उच्चारण से समाप्त नहीं होता, अपितु केवल उच्चारण की दृष्टि से उसके एकत्व या तादात्म्य का भी निश्चय नहीं किया जा सकता।

ऊपर कहा है कि हिन्दी ‘काम’ (= काज) और ‘काम’ (इच्छा) दोनों भिन्न-भिन्न शब्द हैं। ये दोनों भी अंगरेजी शब्द calm (काम = शान्त) से, जो हिन्दी ‘काम’ के सदृश ही उच्चारण किया जाता है, भिन्न हैं। साथ ही परस्पर उच्चारण के भिन्न होने पर भी यह कहा जाता है कि हिन्दी ‘काम’ (= काज) और संस्कृत ‘कर्मन्’ एक ही शब्द है। इस प्रकार उच्चारण के अभिन्न होने पर भी शब्दों में भेद, और उच्चारण के भिन्न होने पर भी शब्दों में अभेद के देखे जाने से इस भेद और अभेद का कारण उच्चारण के अतिरिक्त कुछ और ही होना चाहिये।

शब्द का अर्थ ही, जो कि उसका आन्तरिक रूप कहा जा सकता है, उच्चारण के अभिन्न होने पर भी, शब्दों में भेद का मुख्य कारण हो सकता है^१। किसी शब्द का अर्थ वाक्य में उसके प्रयोग को देखकर ही समझ में आता है। वाक्य में आये हुए शब्द का तादात्म्य उसके अर्थ द्वारा

१. दे०:—“रूपसामान्यादर्थसामान्यं नेदीयः” (गोपथब्राह्मण १।१।२६)। तथा “तादात्म्यमूलकस्य संबन्धत्वेऽर्थभेदात् तत्तत्तादात्म्यापन्नशब्देषु भेदौचित्येन —अर्थभेदाच्छब्दभेदः—इत्युपपद्यते। समानाकारत्वमात्रेण तु एकोऽयं शब्दो नानार्थ इति व्यवहारः” (वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषा, शक्तिनिरूपण)। तथा महाभाष्य (१।२।६४)।

तत्काल निर्णीत हो जाता है^१ । वाक्य में प्रयुक्त 'काम' (=धन्वा) और 'काम' (=इच्छा) शब्दों में एकत्व का भ्रम नहीं हो सकता । कभी-कभी अवश्य श्लेषद्वारा एक ही शब्द से दो भिन्न-भिन्न शब्दों का आशय होता है; परन्तु श्लेष का प्रयोग किसी उद्देश्य को रखकर जान-बूझकर ही किया जाता है ।

परन्तु अर्थ की दृष्टि से भी शब्द के तादात्म्य या एकत्व का पूरा-पूरा निश्चय नहीं हो सकता । अर्थभेद से एकसा उच्चारण रखनेवाले शब्दों को भिन्न-भिन्न मानने के स्थान में यह कहा जा सकता है कि एक ही शब्द भिन्न-भिन्न अर्थ रखता है । क्योंकि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो उपचारादि अनेक कारणों से अनेकार्थ-वाची हो गये हैं । संस्कृत का 'पाद' शब्द इसका एक उदाहरण है । इसके 'पैर', 'चौथा भाग' इत्यादि अनेक अर्थ हो गये हैं^२ ।

इसी प्रकार—

गुरु = शिक्षक, भारी, श्रेष्ठ

अर्थ = धन, अभिप्राय, काम

अङ्क = चिह्न, संख्या, गोद

गुण = स्वभाव, कौशल, रस्सी, सत्त्व-रजस्-तमस्, गुणा, इन्द्रियों के विषय, फायदा

इत्यादि शब्दों को जानना चाहिये ।

यह भी आवश्यक नहीं कि ऐसे शब्दों के अर्थों में उपचार आदि द्वारा परस्पर सम्बन्ध सदा स्पष्ट ही हो । केवल अर्थ की दृष्टि से विचार करने पर ऐसे शब्दों में सन्देह रह ही जाता है कि उनको एक ही शब्द कहना चाहिये या अनेक ।

१. तु०—“नैकपदानि निब्रूयात्” (निरुक्त २।३), तथा उस पर दुर्गाचार्य की टीका “एकपदानां प्रकरणादर्थवधारणमुपपदाद्वा शक्यते कतुम् ।”

२. दे०—“अर्थनित्यः परीक्षेत केनचिद् वृत्तिसामान्येन” (निरुक्त २।१) । तथा “पादः पद्यतेः । तन्निधानात्पदम् । पशुपादप्रकृतिः प्रभागपादः । प्रभागपाद-सामान्यादितराणि पदानि ।” (निरुक्त २।७) ।

ऐसे सन्देह के निवारण करने का उपाय यही है कि हम विवादास्पद शब्दों के प्राचीन इतिहास पर विचार करें। साधारणतया प्रत्येक शब्द अपना इतिहास रखता है। हमारी भाषा का बहुत कुछ अंश पिछली पीढ़ी की भाषा के अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। ऐसा भी होता है कि एक जाति दूसरी जाति की भाषा से कुछ शब्द उद्धृत कर ले; उन शब्दों का इतिहास उस जाति की भाषा में मिल सकता है। परन्तु ऐसा बहुत ही कम होता है कि एक बिलकुल नया शब्द जिसका कोई प्राचीन स्वरूप न हो किसी भाषा में एकाएक प्रचलित हो जाय।

ऊपर के लेख से स्पष्ट है कि एक शब्द का तत्त्व केवल उसके सामान्य उच्चरित रूप से ही समाप्त नहीं हो जाता। उसका तादात्म्य उसके अर्थ पर, जो वाक्य में अन्य शब्दों के साथ उसके सम्बन्ध से प्रकट होता है, और इतिहास में किसी प्राचीन शब्द के साथ उसके सम्बन्ध पर आश्रित होता है। इसी ऐतिहासिक सम्बन्ध के कारण ऊपर दिये हुए हिन्दी 'काम' (= काज) और संस्कृत 'कर्मन्' को हम एक शब्द कह सकते हैं।

८—भाषा का प्रारम्भ वाक्यों से हुआ है

ऊपर कहा गया है कि किसी शब्द के तादात्म्य के निर्णय के लिए वाक्य में अन्य शब्दों के साथ उसके सम्बन्ध को देखना चाहिये। इसलिए वाक्य के विषय में कुछ विचार करना आवश्यक है।

भाषा हमारे विचारों का एक बाह्य रूप है।^१ हमारे सोचने की जो चरम व्यक्ति (= इकाई) या स्वतन्त्र चरमावयव है उसको हम 'विचार' ('judgment') कह सकते हैं। 'विचारों'^२ का हम 'भावों' ('भाव' = 'idea') में विश्लेषण या विच्छेद कर सकते हैं। परन्तु यह विश्लेषण व्यवहार-दृष्टि से, समझने के लिए, एक कल्पना-मात्र है। इससे यह न

१. तु०—“अथेदमान्तरं ज्ञानं सूक्ष्मवागात्मना स्थितम् । व्यक्तये स्वस्य रूपस्य शब्दत्वेन विवर्तते ॥” (वाक्यपदीय १।१।१३) ।

२. यह स्पष्ट है कि ऐसे प्रसङ्गों में 'विचार' शब्द से आशय 'वाक्यात्मक' या 'उद्देश्य-विधेयात्मक' विचार से है। और प्रसङ्गों में यह इस पारिभाषिक अर्थ के स्थान में साधारण अर्थ में प्रयुक्त किया गया है।

समस्त लेना चाहिये कि जिस प्रकार हमारे चिन्तन में 'विचार' की स्वतन्त्र स्थिति होती है इसी प्रकार 'भाव' भी 'विचार' से पृथक् स्वतन्त्र रीति से हमारे मन में रह सकते हैं। इसलिए 'भावों' में स्वतन्त्र स्थिति की योग्यता न होने से ही हमको अपने चिन्तन की चरम व्यक्ति (या स्वतन्त्र चरमावयव) 'विचारों' को ही मानना चाहिये^१ ।

भाषा द्वारा प्रकट किये गये इस 'विचार' को ही वाक्य कहा जाता है। इसलिए हमारे चिन्तन का आरम्भ वाक्य से ही होना चाहिये। दूसरे शब्दों में, हमारे चिन्तन की चरम व्यक्ति (या स्वतन्त्र चरमावयव) वाक्य ही हो सकता है। हम वाक्यों में ही सोचते हैं। क्योंकि यद्यपि हमारे 'विचारों' का उद्देश्य, विधेय और उनके जोड़ने की क्रिया (या उनका तुलनात्मक सम्बन्ध) में काल्पनिक विभाग किया जा सकता है, हमारे तात्पर्य की दृष्टि से उद्देश्य आदि की वस्तु-स्थिति में कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं होती। तात्पर्य समस्त वाक्य में ही रहता है, न कि पृथक्-पृथक् शब्दों में^२ ।

इसलिए यह कहा जा सकता है कि भाषा का प्रारम्भ, पृथक्-पृथक् रहनेवाले इकले शब्दों से न होकर, वाक्य से ही होता है। वाक्य से असम्बद्ध इकले शब्दों की स्थिति शब्दकोष में पाई जाती है। परन्तु कोषकार को भी शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य का स्वरूप देना पड़ता है।

पृथक्-पृथक् शब्द अपनी स्वतन्त्र स्थिति रखते हैं—हमारे ऐसे सोचने का एक कारण यह है कि हम लेख में वाक्य के शब्दों को पृथक्-पृथक् स्थान छोड़कर लिखते हैं। परन्तु तात्पर्य-भेद से वाक्य-गत शब्दों के उच्चारण में होनेवाले लहजे के भेद पर दृष्टि देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वाभाविक भाषा में शब्दों की वाक्य से पृथक् स्वतन्त्र स्थिति नहीं होती। लहजे के लिए, भिन्न-भिन्न शब्दों के स्थान में, हमारी दृष्टि वाक्य पर ही रहती है।

१. तु०—“शब्दस्य न विभागोऽस्ति कुतोऽर्थस्य भविष्यति । विभागैः प्रक्रियाभेदमविद्वान् प्रतिपद्यते ॥” (वाक्यपदीय २ । १३) ।

२. तु०—“पदसमूहो वाक्यमर्थपरिसमाप्तौ” (न्यायसूत्रवात्स्यायनभाष्य २ । १ । ५५)

भाषा के प्रयोजन पर भी दृष्टि डालने से यही सिद्ध होता है कि वाक्य को ही भाषा की चरम व्यक्ति होना चाहिये । भाषा का प्रयोजन वक्ता के तात्पर्य को प्रकट करना ही होता है । और वाक्य के बिना हमारा कोई विचार प्रकट ही नहीं किया जा सकता ।

भिन्न-भिन्न शब्दों का वाक्य के साथ ऐसा ही सम्बन्ध है जैसा वर्णों और अक्षरों का शब्दों के साथ । हम एक शब्द का अनेक वर्णों में विश्लेषण कर सकते हैं; परन्तु यह काम वर्णविषयक अनुसन्धान करने वाले का ही हो सकता है, न कि वक्ता का । इसी प्रकार एक वाक्य का शब्दों में विश्लेषण किया जा सकता है; परन्तु यह काम भी एक वैयाकरण का न कि वक्ता का हो सकता है ।^१

वाक्य कितना ही बड़ा हो सकता है । वह एक अक्षर का भी हो सकता है, जैसे 'चल !', 'हाँ'; और अनेक शब्दों से भी बन सकता है । आवश्यक बात यह है कि उसके द्वारा वक्ता का पूरा अभिप्राय प्रकट होना चाहिये ।

इसी सिद्धान्त के आधार पर यह कहा जाता है कि प्रत्येक सार्थक स्वतन्त्र शब्द का आरम्भ वाक्यों से हुआ है । आरम्भ में या तो वे वाक्य के अभिप्राय से प्रयुक्त किये गये होंगे या वाक्य-रूप में ही रहे होंगे ।^२

१. तु०—“पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा इव । वाक्यात्पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन ॥” (वाक्यपदीय १।७३) । तथा “एवं च निरंशमेव वाक्यं वाचकमित्येव युक्तम् ।” तथा “तस्मान्मन्यामहे पदान्यसत्यानि एकमभिन्न-स्वभावरकं वाक्यम् । तदबुधबोधनाय पदविभागः कल्पितः ।” (पुण्यराजकृत वाक्यपदीय की टीका, २।१२ तथा २।५८) । तथा “समयपालनार्थं चेदं पदलक्षणाया वाचोऽन्वाख्यानं व्याकरणम् । वाक्यलक्षणाया वाचोऽर्थो लक्षणम् ।” (न्यायसूत्रवात्स्यायनभाष्य २।१।५५) ।

२. तु०—“वाक्यभावमवाप्तस्य सार्थकस्यावबोधतः । संपद्यते शाब्दबोधो न तन्मात्रस्य बोधतः ॥ (शब्दशक्तिप्रकाशिका १२) । तथा “सर्वपदेषु चास्ति वाक्यशक्तिः । वृत् इत्युक्तेऽस्तीति गम्यते” (योगसूत्रव्यासभाष्य ३।१७) ।

भाषा की प्रारम्भिक दशा में वाक्य का स्वरूप हस्तादि-संकेत और शब्दों के मेल से बनता होगा। क्योंकि भाषा की प्रारम्भिक दशा में हस्तादि-संकेत को बहुत प्रधानता रहती है। उस अवस्था में हस्तादि-संकेत से पृथक् शब्द का कोई स्वतन्त्र अर्थ नहीं हो सकता। दोनों मिलकर समस्त-रूप से ही तात्पर्य को प्रकट कर सकते हैं।

वाक्य में से शब्दों की कल्पना अन्वय और व्यतिरेक^१ द्वारा इसी प्रकार कर ली गई है जैसे शब्दों के अन्दर प्रकृति (या धातु) और प्रत्यय की^२। जिस प्रकार एक धातु से बने हुए भिन्न-भिन्न शब्दों में भिन्न-भिन्न अर्थों के होते हुए भी एक मूलार्थ पाया जाता है और इससे उन सबकी मूल-भूत धातु की कल्पना कर ली जाती है, इसी प्रकार भिन्न-भिन्न वाक्यों में एक ही शब्द के प्रयोग को बार बार देखकर एक स्वतन्त्र शब्द की कल्पना कर ली गई है।

भाषा की प्रारम्भिक दशा का अच्छा उदाहरण उत्तरीय अमरीका के आदि-निवासियों की भाषाओं में मिलता है। उनमें हजारों ऐसे वाक्य हैं जिनमें से पृथक्-पृथक् शब्दों की कल्पना अब तक नहीं की गई है। उदाहरणार्थ, उन्हीं लोगों की चैरोकी (Cheroki) भाषा में तेरह वाक्य-स्वरूप क्रियाएँ ऐसी हैं जो भिन्न-भिन्न प्रकार के 'धोने' के अर्थ में आती हैं; जैसे 'सिर धोना', 'हाथ धोना', 'अपने को धोना' इत्यादि। परन्तु उन तेरह क्रियाओं में से अब तक केवल 'धोने' अर्थ को रखनेवाली एक स्वतन्त्र धातु की कल्पना नहीं की गई है।^३

१. तु० "अन्वयोऽनुगमः, सति शब्देऽर्थावगमः। व्यतिरेकः शब्दाभावे तदर्थानवगमः।" (महाभाष्य १।२।४ पू के "सिद्धं त्वन्वयव्यतिरेकाभ्याम्" इस वार्तिक पर कैपट की व्याख्या)

२. तु० "यथा पदे विभज्यन्ते प्रकृतिप्रत्ययादयः। अपोद्धारस्तथा वाक्ये पदानामुपवर्ष्यन्ते" (वाक्यपदीय २।१०)

अन्वय तथा व्यतिरेक द्वारा प्रकृति-प्रत्यय के निर्धारण के प्रकार के लिए ऊपर पाद-टिप्पण १ में निर्दिष्ट कैपट की व्याख्या को देखिये।

३. दे०—Pickering, *Indian Languages*, पृष्ठ २६

९—व्यवहार-दृष्टि से शब्द भाषा की चरम व्यक्ति है

ऊपर कहा गया है कि तात्पर्य की दृष्टि से भाषा की स्वाभाविक अवस्था में वाक्य ही उसकी चरम व्यक्ति हो सकता है, और इसी लिए यह कहा जा सकता है कि भाषा का प्रारम्भ वाक्यों से, न कि इकले शब्दों से, हुआ होगा। तो भी, ऊपर कहे के अनुसार, जैसे शब्दों से पृथक् वर्णों की स्वतन्त्र स्थिति न होते हुए भी शब्द का वर्णों में विश्लेषण किया जा सकता है, इसी तरह वाक्य का विश्लेषण भी, समझने के व्यावहारिक उपयोग को दृष्टि में रखकर, शब्दों में किया जा सकता है।^१

उपर्युक्त दृष्टि से शब्द भाषा की सबसे स्पष्ट चरम व्यक्ति है। साधारण परिचित पदार्थों के नाम बहुत करके इकले शब्दों के होते हैं; जैसे 'घोड़ा', 'गाय', 'घर', 'मनुष्य' इत्यादि। यही बात बहुत से गुणों के नामों के विषय में कही जा सकती है; जैसे 'काला' 'हरा', 'खट्टा', 'मीठा', 'चिकना', 'कड़ा' इत्यादि। गुणों और पदार्थों के विषय में जो हमारा अनुभव और ज्ञान होता है उसको हम उनके नामों द्वारा ही स्मरण रखते हैं।

मनुष्य की ज्ञान-वृद्धि में भाषा से सबसे अधिक सहायता मिलती है। एक बच्चे के विषय में जब वह बोलना सीखता है यह स्पष्ट देखा जाता है कि उसके ज्ञान की उन्नति माता पिता आदि के शब्दों के अनुकरण से सीखे हुए पृथक्-पृथक् शब्दों द्वारा ही होती है। बचपन के बाद भी नये नये ज्ञान की वृद्धि नये नये शब्दों द्वारा ही होती है।

विदेशी भाषाओं के सीखने में शब्द-संग्रह और बड़े-बड़े शब्द-कोषों से बहुत कुछ सहायता ली जाती है।

शब्दों के वर्णन में प्रायः कहा जाता है कि वे वाक्य के स्वतन्त्र चरमा-

१. तु०—“समयपालनार्थं चेदं पदलक्षणाया वाचोऽन्वाख्यानं व्याकरणम्, वाक्यलक्षणाया वाचोऽर्थो लक्षणम्। पदसमूहो वाक्यमर्थपरिसमाप्ताविति।”
(न्यायसूत्रवात्स्यायनभाष्य २।१।५५)

व्यव होते हैं। इसी प्रकार वाक्य के विषय में भी अक्सर यही समझा जाता है कि वह शब्दों के समुच्चय से बनता है।^१

साधारणतया शब्दों का भाषा की चरम व्यक्ति होना इससे भी सिद्ध है कि यदि कुछ मनुष्यों से उनकी परिचित भाषा के एक वाक्य का शब्दों में विच्छेद करने को कहा जावे तो सामान्यतः उनको इसमें कोई सन्देह नहीं होगा कि कौन शब्द कहाँ खत्म होता है और कहाँ से शुरू होता है, और वे सब उस वाक्य का शब्दों की एक निश्चित संख्या में विच्छेद कर देंगे।

परन्तु अनेक दशाओं में इस प्रकार वाक्य का पदच्छेद करना सरल नहीं होता। कभी-कभी इसका निश्चय करना कठिन हो जाता है कि कौन शब्द कहाँ से शुरू होता है और कहाँ समाप्त होता है।^२ प्रायः यह देखा जाता है कि छापने और लिखने में शब्दों के बीच में कुछ अन्तर छोड़ दिया जाता है। यह कहा जा सकता है कि यह अन्तर उच्चारण में शब्दों के बीच में होने वाले विराम के अनुसार ही होता है। बहुत करके इस कथन के ठीक होने पर भी यह ठीक नहीं कि सदा ही ऐसा होता हो। लिखने में पृथक्-पृथक् लिखे हुए शब्द प्रायः मिलाकर भी बोले जाते हैं। संस्कृत और फ्रेंच जैसी भाषाओं में तो, जिनमें शब्दों में सन्धि हो जाती है, प्रायः शब्द बिना किसी विराम के बोले जाते हैं। ऐसी अवस्थाओं में वाक्य के पदच्छेद करने में कठिनता हो सकती है।

किसी भाषा को लेख की सहायता के बिना केवल मौखिक रीति से सीखनेवाले लोग उस भाषा की अनेक उक्तियों को, उस भाषा की रचना को समझे बिना ही, कण्ठस्थ कर लेते हैं। ऐसे लोग उस भाषा के शब्दों का विच्छेद प्रायः ठीक-ठीक नहीं कर सकते। इसका कारण यही है कि स्वाभाविक भाषा में प्रायः व्यवहार में आनेवाली उक्तियों (या वाक्यांशों

१. तु०—“अर्थात्पदं साभिधेयं पदाद् वाक्यार्थनिर्णयः। पदसंघातजं वाक्यं वर्णसंघातजं पदम् ॥” (पुण्यराजकृत वाक्यपदीयटीका १।२६)।

२. तु०—“नहि किञ्चित्पदं नाम रूपेण नियतं क्वचित्। पदानामर्थरूपं च वाक्यार्थादेव जायते ॥” (पुण्यराजकृत वाक्यपदीयटीका १।२६)।

या शब्द-समुदायों) के बोलने में कोई विराम शब्दों के बीच में नहीं होता। भाषा के साहित्य-सम्पन्न होने पर उसके लिखने और छापने में शब्दों का ठीक-ठीक विच्छेद दिखला दिया जाता है। इसी से शिक्षित लोगों की बोली पर भी कुछ-न-कुछ प्रभाव पड़ता है, और वे अपने उच्चारण में शब्दों के ठीक-ठीक पृथक् उच्चारण का ध्यान रखते हैं। परन्तु अशिक्षित लोग अनेक शब्द-समुदायों को मिलाकर ही नहीं बोलते, किन्तु उनको एक शब्द ही समझने लगते हैं।

उदाहरणार्थ, अंग्रेजी भाषा के How do you do? (= आप कैसे हैं?) को सर्वसाधारण How d'ye-do या How-didoo इस प्रकार एक शब्द के सदृश बोलते हैं। इसी प्रकार हिन्दी में 'सब + ही', 'जब + ही', 'मार डाला', 'पंडित जी' इत्यादि के स्थान में क्रमशः 'सभी', 'जभी', 'माडूडाला', 'पंडिज्जी' इत्यादि बोला जाता है।

साहित्य-शून्य और वैयाकरणों के नियमों के बन्धनों से रहित भाषाओं में तो शब्दों का विच्छेद करना और भी कठिन होता है। अनेक शब्द परस्पर इतने गुथ जाते हैं कि उनमें कौन शब्द कहाँ से शुरू होता है और कहाँ समाप्त होता है यह कहना बड़ा दुष्कर हो जाता है।

१०—समस्त शब्द और विभक्त्यर्थक अव्यय

ऐसी भाषाओं में भी जिनका व्याकरण लिखा जा चुका है और जिनकी रचना अच्छी तरह समझी जा चुकी है कभी-कभी समस्त शब्दों और हिन्दी 'का', 'के' इत्यादि के सदृश शब्दों के पीछे (या पहले) आनेवाले विभक्त्यर्थक अव्ययों के विषय में पदच्छेद करने में कठिनाता प्रतीत होती है।

भाषा के विकास में समास से बड़ी सहायता मिलती है। संक्षेप और सुविधा के उद्देश्य से दो या अधिक स्वतन्त्र शब्दों को समास द्वारा मिला देने से एक शब्द का रूप प्राप्त हो जाता है। इसी से उनमें उच्चारण-सम्बन्धी परिवर्तन की अधिक संभावना होती है। कभी-कभी यह परिवर्तन इतना अधिक हो जाता है कि समस्त शब्दों को वस्तुतः एक

शब्द ही समझने लगते हैं; और उनमें कितने शब्द मिले हुए हैं यह कहना कठिन हो जाता है।

उदाहरणार्थ, हिन्दी के 'सौत' (= सपत्नी), 'सलूना' (= सलवण), 'सोना' (= सुवर्ण), 'साढ़े' (= सार्द्ध), 'पौन' (= पादोन), 'मौसी' (= मानृष्वसा), 'पतोहू' (= पुत्रवधू), 'भा' तथा 'पाधा' (= उपाध्याय), 'त्यौहार' (= तिथिवार), 'सौंपना' (= समर्पण), 'नैहर' (= निजगृह या निजघर) इत्यादि शब्दों को ही लीजिये। इनका अनेक शब्दों से बनना स्पष्ट नहीं दीखता।

परन्तु कभी-कभी दो या अधिक पृथक् (या असमस्त) शब्दों के समुदाय में और समस्त शब्दों में ठीक-ठीक भेद करना असम्भव-सा हो जाता है।

अंगरेजी भाषा में समास से अभिप्राय प्रायः शब्दों के ऐसे समुच्चय से होता है जिसके लिखने और छापने में शब्दों के बीच में कोई अन्तर नहीं छोड़ा जाता, जैसे backbone (= रीढ़), millstone (= चक्की का पाट); या शब्द संयोजक-रेखा (-) से जुड़े हों, जैसे light-hearted (= प्रसन्न), Anglo-Indian, man-of-war (= लड़ाई का जहाज़)। संयोजक-रेखा से युक्त शब्दों के इतिहास और व्यवहार की परीक्षा से यह बात स्पष्ट है कि इनमें संयोजक-रेखा का लिखना या छापना किसी नियम पर आश्रित न होकर बहुत कुछ मनमाना ही होता है। इनसे मिलते-जुलते बहुत-से शब्दों में संयोजक-रेखा नहीं लिखी जाती।

उच्चारण में स्वर या लहजे-द्वारा समस्त शब्दों को असमस्त शब्द-समुदायों से अवश्य पृथक् किया जा सकता है।

उदाहरणार्थ, एक गानेवाले यूरोपीय पक्षि-विशेष के अर्थ में प्रयुक्त समस्त blackbird शब्द को असमस्त black bird (= काला पक्षी) से स्वर के भेद से ही पृथक् समझा जा सकता है। This horse is two years old (= यह घोड़ा दो साल का है) और This horse is two-year-old..... इन वाक्यों में भी स्वर

द्वारा समास असमास के निश्चय करने में सहायता मिलती है। इस जगह संयोजक-रेखा लिखने में समस्त शब्दों के लहजे को द्योतित कर देती है।

इसके विपरीत, अनेक शब्द-समुदाय ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण के लहजे से तो यह प्रतीत होता है कि उनको एक समस्त शब्द समझना चाहिये, परन्तु लिखने में न तो उनको समस्त शब्दों की तरह जोड़कर लिखा जाता है और न उनके बीच में संयोजक रेखा ही लिखी जाती है, जैसे :—

The best of all trades is.....

(=.....सबसे श्रेष्ठ तिजारत है)

The house of Lords.

इसी प्रकार forsooth (=सचमुच) शब्द के विषय में कोई पूछ सकता है कि इसको एक शब्द क्यों मानना चाहिये। पहले इसको दो शब्दों में लिखते थे। यदि यह एक शब्द है, तो of course (=वास्तव में) दो शब्द क्यों हैं ?

इसी प्रकार उर्दू में 'बन्दोबस्त' 'रूबरू' (=सामने) इत्यादि फारसी शब्द एक एक शब्द ही माने जाते हैं। परन्तु यह प्रश्न रह जाता है कि क्या फारसी में भी ये एक-शब्दवत् माने जाते हैं या 'बन्द + ओ + बस्त' और 'रू + ब + रू' से बनने के कारण तीन तीन शब्द।

हिन्दी में भी यह विचारणीय हो सकता है कि 'ध्यान धरना', 'काम आना', 'राह चलना' इत्यादि को समस्त मानना चाहिए या असमस्त। लिखने में तो इनको असमस्त ही लिखते हैं।

संस्कृत जैसी विभक्ति-युक्त भाषाओं में, जिनमें भिन्न-भिन्न कारकों और लकारों के लिए तथा भिन्न-भिन्न वचनों आदि के लिए भिन्न-भिन्न प्रत्यय होते हैं, साधारणतया समस्त और असमस्त शब्दों का भेद तत्काल प्रतीत हो जाता है, क्योंकि समास में विभक्ति केवल अन्तिम शब्द के आगे ही लगती है। शब्दों का इस प्रकार समास करना संस्कृत भाषा में अति प्राचीन समय से पाया जाता है।

समासों का विशेष लक्षण स्वर की एकता और अन्तिम शब्द को छोड़कर अन्य समस्त शब्द या शब्दों का विभक्तिरहित होना ही है। परन्तु कभी-कभी ये लक्षण लौकिक और विशेषतः वैदिक संस्कृत में समासों में नहीं पाये जाते। उदाहरणार्थ, 'मातरापितरा', 'मित्रावरुणौ', 'इन्द्रावरुणौ', 'द्यावापृथिवी' इत्यादि समस्त शब्दों में उपर्युक्त दोनों बातें नहीं पाई जातीं। वैदिक व्याकरण के अनुसार ऊपर के उदाहरणों में 'मित्रा' आदि के अन्त में दीर्घ 'आ' लौकिक संस्कृत के द्विवचनार्थक 'औ' का ही स्थानीय है। यही नहीं, कभी-कभी वैदिक संस्कृत में समस्त शब्दों के बीच में अन्य शब्द भी आ जाते हैं; जैसे 'नरा वा शंसम्' (ऋग्वेद १०।६।४।३) = नराशंसम् । वा । यह स्पष्ट है कि ऐसे उदाहरणों में समस्त और असमस्त शब्दों का भेद करना कठिन हो जाता है।

इसी प्रकार यहाँ 'देवानांप्रियः'^१ 'मातुःष्वसा'^२ इत्यादि अलुक्स-मासों के उदाहरण दिये जा सकते हैं।

'को', 'का', 'की', 'ने' इत्यादि विभक्त्यर्थक अव्ययों को हिन्दी में शब्दों का भाग मानना चाहिये या नहीं, इस बात का कोई सर्व-सम्मत निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। कोई इनको शब्दों से सटाकर और कोई पृथक् ही लिखते हैं। सामान्यतः पृथक् लिखनेवाले भी प्रायः सर्व-नामों के साथ सटाकर लिखते हैं, यद्यपि इस भेदभाव का कोई विशेष कारण स्पष्ट प्रतीत नहीं होता।

ऊपर के लेख से यह स्पष्ट हो गया होगा कि लिखी जानेवाली और अतएव अपने बोलनेवालों द्वारा परीक्षित भाषाओं में भी पदच्छेद करने के विषय में कभी-कभी सन्देह हो सकता है। फिर असभ्य लोगों की भाषाओं के विषय में तो, जो अब तक लेख में नहीं आई हैं और जिनमें अभी तक प्रारम्भिक खोज भी नहीं हुई है, कहना ही क्या है। उनमें पदच्छेद करना कितना कठिन है इसके कहने की आवश्यकता नहीं।

१.दे० :—“देवानांप्रिय इत्यत्र च षष्ठीया अलुग्वक्तव्यः” (वात्तिक ६।३।२१)।

२.दे० :—“विभाषा स्वसृपत्योः” (अष्टाध्यायी ६।३।२४)।

११—शब्द का वाच्य क्या होता है ?

शब्द के वर्णन में प्रायः बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि शब्द हमारे चिन्तन के 'भाव'-रूप स्वतन्त्र चरमावयव का निर्देशक होता है। इसी प्रकार वाक्य के विषय में कहा जाता है कि शब्द-समुच्चय रूप वाक्य हमारे 'भावों' के समुच्चय का निर्देश करता है।

भाषा का प्रारम्भ वाक्यों से हुआ है इसका प्रतिपादन करते हुए हम कह चुके हैं कि 'विचार' से पृथक् स्वतन्त्र रीति से 'भाव' हमारे मन में नहीं रहते। परन्तु शब्द के उपर्युक्त वर्णन में 'भावों' की हमारे मन में स्वतन्त्र स्थिति मान ली गई है। ऐसा मानने का कारण पश्चिमीय तर्क-शास्त्र का चिन्तनाणु वाद ही है। यह वाद आजकल नहीं माना जाता। प्राचीन तार्किक लोग इसको मानते थे। इस वाद का खण्डन करने से पहले हम इसका स्वरूप बतलाते हैं।

चिन्तनाणु वाद का आशय यह है कि हम अपने चिन्तन को कुछ स्वतंत्र स्थिति रखनेवाले अन्तिम भागों में, जिनको हम 'भाव' कह सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। ये 'भाव' हमारे मन में पृथक्-पृथक् रहते हैं और सोचने में किसी प्रकार इकट्ठे हो जाते हैं। जेवन्स (Jevons) महाशय तर्क-शास्त्र की अपनी पुस्तक में कहते हैं—

“केवल-ग्रहण (= simple apprehension) से आशय मन की उस क्रिया से है जिसके द्वारा हमको किसी पदार्थ का भासमात्र होता है, या जिसके द्वारा हमारे मन में किसी पदार्थ के विषय में प्रत्यय, भाव या वृत्ति (= idea) पैदा होती है। इस प्रकार 'लोहा' शब्द से हमारे मन में एक दृढ़ और बड़े काम की धातु का ध्यान आ जाता है, परन्तु यह शब्द लोहे के विषय में कुछ नहीं बतलाता और न उसकी किसी दूसरी वस्तु से तुलना ही करता है। 'विचार' (= judgment) मन की दूसरे प्रकार की क्रिया है। इसमें केवल-ग्रहण से पदार्थों के विषय में प्राप्त हुए दो 'भावों' या 'प्रत्ययों' की यह निश्चय करने के लिए तुलना की जाती है कि वे परस्पर मिलते हैं या नहीं।”

यही विद्वान् आगे कहते हैं कि इस प्रकार के उद्देश्य-विधेयात्मक

‘विचारों’ को हम मन की एक निर्णय (= Reasoning) नाम की तीसरे प्रकार की क्रिया द्वारा इकट्ठा कर लेते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त चिन्तनाणुवाद के अनुसार मन में केवल-ग्रहण, विचार और निर्णय नाम की तीन प्रकार की क्रियायें एक एक के पीछे स्वतन्त्र-रूप से हो सकती हैं।

परन्तु विचार-पूर्वक देखने पर मन की क्रियाओं और चिन्तन के प्रकार के विषय में यह वाद ठीक नहीं मालूम होता। आज-कल पश्चिमीय तर्क-शास्त्र में ऐसा न मानकर यह माना जाता है कि हमारे ‘भावों’ की उत्पत्ति में, ‘विचारों’ में और निर्णय में स्वतन्त्र-रूप से पृथक् पृथक् रहने-वाली और एक के पीछे एक करके आनेवाली क्रियायें नहीं होतीं। किन्तु इन सब में वस्तुतः एक ही मानसिक क्रिया या व्यापार की उन्नति और विकास होता है। वस्तुतः देखा जाय तो किसी पदार्थ का केवल-ग्रहण भी तद्विषयक ‘विचार’ के बिना नहीं होता।^१ लोहे के विषय का ‘भाव’ भी तद्विषयक ऐसे ‘विचारों’ से ही होता है कि लोहा कड़ा, भारी आदि होता है।

इसलिए, जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, ‘भावों’ की ‘विचार’ से पृथक् मन में स्वतन्त्र स्थिति न मानकर यही मानना चाहिये कि ‘भाव’ हमारे चिन्तन में पृथक् रहने के अयोग्य काल्पनिक अंश-मात्र होते हैं।

इसलिए इस अधिकरण के आरम्भ में दिया हुआ शब्द का वर्णन ठीक नहीं हो सकता। हम शब्द को चिन्तन के ‘भाव’-रूप स्वतन्त्र चरमात्रयों का निलपक न कहकर यही कह सकते हैं कि शब्द भाषा की उस चरम व्यक्ति को कहते हैं जिसका सम्बन्ध अर्थ-दृष्टि से एक वाक्य द्वारा प्रकट किये जानेवाले ‘विचार’ के एक अंश से होता है।

१२—श्रवणीय रूप की दृष्टि से शब्द का वर्णन

ऊपर कहा गया है कि शब्द के शाब्दिक या श्रोतव्य रूप को दृष्टि में यदि रखा जावे तो अक्षरों या वर्णों के समुदाय-विशेष को शब्द कहा

१. तु०—“वाक्यभावमवाप्तस्य सार्थकस्यावबोधतः । सम्पद्यते शाब्दबोधो न तन्मात्रस्य बोधतः ॥” (शब्दशक्तिप्रकाशिका १२) ।

जा सकता है। यहाँ इतना ध्यान में रखना चाहिये कि एक शब्द में अनेक वर्णों का होना आवश्यक नहीं। केवल एक वर्ण से भी शब्द बन सकता है और उसमें अनेक वर्ण भी हो सकते हैं। अतएव केवल वर्णों या अक्षरों के सहारे किसी वाक्य में किसी शब्द की इयत्ता का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

हाँ अर्थ पर दृष्टि देने से किसी वाक्य या समास में कौन शब्द कहाँ से शुरू होता है और कहाँ समाप्त होता है इसके निर्धारण में बड़ी सहायता मिल सकती है।

१३—प्रकृतिप्रत्यययोगात्मक दृष्टि से शब्द का वर्णन

कभी-कभी ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक शब्द एक प्रकृति और एक या अधिक प्रत्ययों से बनता है। भाषा के विकास और स्वरूप को समझने के लिये प्रकृति और प्रत्यय के भेद को जानना बड़ा ही आवश्यक है। प्रत्येक शब्द प्रकृति और प्रत्यय के मेल से बना है इस कथन की जड़ में शब्दों की रचना के सामान्य इतिहास के विषय में एक विशेष सिद्धान्त झलकता है। इसका विशेष विचार भाषा की रचना (परिच्छेद ४) पर विचार करते हुए हम करेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य प्रकृति और प्रत्यय के भेद को उदाहरण द्वारा दर्शाते हुए केवल इस बात पर विचार करने का है कि प्रकृति-प्रत्यय-भेद द्वारा हमको एक वाक्य के शब्दों की इयत्ता के निर्धारण करने में सहायता मिल सकती है या नहीं।

प्रत्येक भाषा में ऐसे शब्दों के वर्ग पाये जाते हैं जिनका कुछ अंश बिलकुल या लगभग एकसा होता है और जिनके अर्थों में भी परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट होता है।

उदाहरणार्थ, अंगरेजी के cost (= मूल्य, लागत), costs, costing, costly इन शब्दों को लीजिये। इनमें cost इतना अंश सब में वर्तमान है और प्रत्येक शब्द के अर्थ के मुख्य अंश को बतलाता है। साथ ही -ing, ly आदि का गौण होना स्पष्ट है। इनमें cost को हम मौलिक अंश, प्रकृति या प्रकृतितत्त्व कह सकते हैं, और -ing आदि को साधक अंश, प्रत्यय, प्रत्ययतत्त्व या सम्बन्ध-तत्त्व।

इसी प्रकार संस्कृत में 'चलति', 'चलसि', 'चलितुम्', 'चलितव्यम्' इत्यादि या हिन्दी में 'चलना', 'चला', 'चलेगा', 'चलो' इत्यादि उदाहरणों को जानना चाहिये।

इसलिए यह स्पष्ट है कि एक वाक्य में भिन्न-भिन्न प्रकृतियों और प्रत्ययों के पता लगा लेने से उसका पदच्छेद बड़ी सरलता से किया जा सकता है।

परन्तु प्रकृति-प्रत्यय-भेद से भी समासों में शब्दों के विच्छेद करने की तथा उनकी इयत्ता के निर्धारण करने की कठिनता पूरी पूरी दूर नहीं हो जाती। यही दशा उन शब्दों के विषय में होती है जिनमें प्रकृति और प्रत्यय का भेद हम नहीं कर सकते। इस अशक्तता का कारण या तो यह हो सकता है कि किसी शब्द में धीरे-धीरे उसके प्रत्यय-भाग का हास होकर केवल प्रकृत्यंश ही शेष रह जाता है या उस शब्द में कभी प्रत्ययांश रहा ही न हो।

उदाहरणार्थ, संस्कृत 'अस्ति' और अंगरेजी is दोनों एक ही शब्द के दो रूप हैं। इनमें यह स्पष्ट है कि is केवल 'अस्' का स्थानीय है और इसमें प्रत्ययांश बिलकुल लुप्त हो गया है। इसी प्रकार हिन्दी 'चल' 'हट' और अंगरेजी cost में अब केवल प्रकृत्यंश ही शेष रह गया है।

दूसरे प्रकार के शब्दों के उदाहरण के लिए जिनमें कभी प्रत्ययांश रहा ही न हो हम अंगरेजी के burke (बर्क = गला घोटकर मार डालना, बात को दबा देना), और gas शब्दों को ले सकते हैं।

Burke शब्द का प्रारम्भ एक बर्क (Burke) नामक आइरिश मनुष्य के नाम पर हुआ है। यह डाक्टरी चीर-फाड़ के लिए लाशों को वेचने के निमित्त मनुष्यों को गला घोटकर मार डालता था। १८२६ ईसवी में इसको फाँसी दी गई।

gas (गैस) शब्द की यादृच्छिक कल्पना^१ हालैंड देश के रसायन-शास्त्रज्ञ जे० बी० फान हेलमोन्ट (J. B. Van Helmont, १५७७—१६४४) नामक विद्वान् ने की थी।

१. तु०—“द्विधादयो यदृच्छाशब्दा अर्थगतं न किञ्चित्प्रवृत्तिनिमित्तमपेक्षन्ते, पुरुषेच्छावशेन प्रवर्तनात् ।” (महाभाष्य ५।१।११६ पर कैयट)

चौथा परिच्छेद

—:०:—

भाषा की रचना

तथा

भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण

भाषा की रचना के विषय पर विचार करने के लिए दो बातों पर विचार करना आवश्यक है :-

- (१) प्रथम, वाक्यान्तर्गत शब्दों का परस्पर सम्बन्ध;
- (२) द्वितीय, शब्दों के अवयवों का परस्पर सम्बन्ध ।

वाक्यान्तर्गत शब्दों के परस्पर सम्बन्ध-विषयक विचार को वाक्य-विचार कहते हैं और शब्दों के अवयवों के परस्पर सम्बन्ध-विषयक विचार को शब्दव्युत्पत्ति-विचार या प्रकृति-प्रत्यय-विचार कहा जा सकता है ।

१—वाक्य-विचार

(SYNTAX)

ऊपर कहा जा चुका है कि भाषा हमारे विचारों का एक बाह्य रूप है । हमारे विचार भाषा द्वारा वाक्य-रूप में ही प्रकट किये जा सकते हैं । इसलिए यह स्पष्ट है कि भाषा की रचना पर विचार करते हुए हमें सबसे पहले वाक्य की रचना पर विचार करना चाहिये । हमारी विचार-शैली का भेद वाक्य से ही प्रकट होता है । इसलिए भिन्न-भिन्न भाषाओं में वाक्यरचना के भेद से या वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया आदि के परस्पर सम्बन्धों के प्रकट करने के भिन्न-भिन्न प्रकारों से उनके स्वभाव और

रचना का बहुत कुछ पता लग सकता है। अतएव तुलनात्मक वाक्य-विचार से भाषाओं के वर्गीकरण में बड़ी सहायता मिलती है।

वाक्य द्वारा प्रकट किये गये 'भावों' में परस्पर कैसा सम्बन्ध है, यह बात उन पदार्थों के प्रति जिनके विषय में हम सोचते या कहते हैं हमारी दृष्टि पर निर्भर है। उदाहरणार्थ, भिन्न-भिन्न पदार्थों से पृथक् हमारी स्वतन्त्र स्थिति है, यदि इस भेद पर हमारी स्पष्टतया दृष्टि नहीं है तो यह स्वाभाविक है कि उनके विषय में कुछ कहते हुए हम अपना निर्देश नहीं करेंगे। हिन्दी 'मैं दौड़ रहा हूँ' और अंगरेजी I am running में चक्का की दृष्टि इस बात पर है कि वह दौड़ने की क्रिया से भिन्न है। इसी लिए 'मैं' और I का पृथक् प्रयोग किया जाता है। इसके विरुद्ध, लैटिन भाषा में इसी अर्थ में केवल curro बोलेंगे। इसके साथ 'मैं' वाची कोई शब्द नहीं बोला जाता।

संसार की भिन्न-भिन्न मनुष्य-जातियों की विचार-शैली भिन्न-भिन्न होती है। पदार्थों के प्रति उनकी दृष्टियाँ भी भिन्न-भिन्न होती हैं। यही कारण है कि भिन्न-भिन्न भाषाओं में वाक्य-रचना एक-सी न होकर भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है।

चीनी जैसी भाषाओं में वाक्यान्तर्गत शब्दों का परस्पर गौण-मुख्य-भाव न होकर प्रत्येक शब्द अपनी पृथक् स्वतन्त्र स्थिति रखता है। एक 'भाव' दूसरे 'भाव' से न गुथकर या उस पर आश्रित न होकर अपनी पृथक् स्थिति रखता है। उदाहरणार्थ, चीनी भाषा में 'मौसम ठण्डा होने लगा' (=The weather began to be cold) के स्थान में 'आकाश-वायु ठंडा प्रारम्भ-होना-उठना-आना' (=Heaven-air cold begin-rise-come) के समानार्थक अविभक्तिक और प्रकृति-प्रत्यय-विभाग-रहित स्वतन्त्र शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है।

इसके विरुद्ध, तुर्की जैसी भाषाओं में वाक्य द्वारा प्रकट किये गये 'भाव' स्पष्ट और स्वतन्त्र रहते हुए भी एक दूसरे से बिलकुल असंबद्ध और पृथक् नहीं रहते। प्रकृति या धातु अपने रूप में स्पष्टतया स्थिर रहता है। इसी प्रकार सम्बन्ध-द्योतक प्रत्यय भी अपने रूप को स्पष्ट रखता है। ऐसा होने पर भी प्रकृति और प्रत्यय में जो थोड़ा सा अर्थ-

सम्बन्धी गौण-मुख्य-भाव पाया जाता है उसको उनकी शाब्दिक या श्रवणीय अनुरूपता प्रकट करती है। इसी कारण से इन भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय दोनों में स्वर एक ही प्रकार के या मिलते-जुलते होने चाहियें।

उदाहरणार्थ, तुर्की भाषा में sev-(=प्यार करना) प्रकृति के साथ भाव-वाचक (तुमर्थक)-mak को -mek हो जाता है। इसी प्रकार at-lar (=घोड़े) में आनेवाले बहुत्व-द्योतक -lar को ev-ler (=अनेक घर) में -ler हो जाता है।

संस्कृत या लैटिन जैसी भाषाओं में सम्बन्ध-द्योतक प्रत्यय न तो अपनी स्वतन्त्र स्थिति रखते हैं और प्रायः न अपने रूप को ही सदा स्पष्ट रख सकते हैं। वस्तु और क्रिया के वाचक नाम और आख्यातों में गौण-भाव से ही ये प्रयुक्त होते हैं। उदाहरणार्थ, 'चलति' और 'रामः' में विभक्तियाँ अपना कोई स्वतन्त्र अर्थ न रखकर प्रकृतियों के साथ गौण-रूप से ही प्रयुक्त होती हैं।

प्रत्येक भाषा के सर्वाङ्ग-पूर्ण व्याकरण में एक भाग में उसकी वाक्य-रचना पर विचार करना आवश्यक है। भारतवर्ष, ग्रीस आदि देशों में प्राचीन समय से व्याकरण के साथ वाक्य-विचार का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। तो भी, भाषा-विज्ञान में, जिसको 'व्याकरणो का व्याकरण' भी प्रायः कहा जाता है, वाक्य-विचार पर विद्वानों की दृष्टि थोड़े काल से ही गई है। परस्पर सम्बन्ध-युक्त भाषाओं की वाक्य-रचना का तुलनात्मक अध्ययन भाषा-विज्ञान के नये उन्नति-प्राप्त अंशों में से एक है। प्रारम्भ में भाषा के उच्चारण सम्बन्धी और प्रकृति-प्रत्यय-सम्बन्धी विचार को ही अधिक प्रधानता दी गई, और वाक्य की रचना के भेदों के विचार की उपेक्षा ही की गई। पिछले कोई ५० वर्षों से ऐतिहासिक और तुलना-त्मक दृष्टि से वाक्य-विचार की और भाषा-विज्ञानियों का ध्यान आकृष्ट हुआ है। वाक्य-रचना के विचार को अब भाषा-विज्ञान का एक आवश्यक अङ्ग समझा जाने लगा है।

तुलनात्मक वाक्यविचार द्वारा एक भाषा की वाक्य-गत पद-योजना का—जैसे कारकों का प्रयोग, क्रियाओं के काल और लकारों का प्रयोग इत्यादि का—सम्बन्ध दूसरी भाषा की समान पद-योजना के साथ

ढूँढकर निकाला जा सकता है। परस्पर सम्बन्धी दो भाषाओं की वाक्य-रचना के तुलनात्मक विचार से प्रायः इस बात का पता लगाया जा सकता है कि उन भाषाओं की वाक्य-रचना का कौन-सा अंश उनकी मूल-भाषा से निकला है और कौन-सा उनके अपने-अपने इतिहास में उन्नत हुआ है। वाक्य-रचना की वे विशेषतायें जो अनेक सम्बन्धी भाषाओं में पाई जाती हैं प्राचीन काल से चली आई हैं; परन्तु जो एक विशेष भाषा में ही मिलती है उनके विषय में सामान्य रूप से यही कहना चाहिये कि वे थोड़े काल से ही चल पड़ी हैं।

परन्तु वाक्य-रचना-सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तों के निर्णय करने के लिए हमको, दो चार परस्पर सम्बन्धी भाषाओं की ही वाक्य-रचना के विचार से सन्तुष्ट न होकर, परस्पर कोई सम्बन्ध न रखनेवाली विभिन्न भाषा-परिवारों की भिन्न-भिन्न भाषाओं की वाक्य-रचना की तुलना करनी चाहिये। हमारी दृष्टि को इस प्रकार अति विस्तीर्ण करने की इसलिए आवश्यकता है कि किसी एक ही भाषा-परिवार के आधार पर निश्चित किए हुए सिद्धान्तों के विषय में यह संभावना रह सकती है कि वे दूसरे भाषा-परिवारों के विषय में सच न निकलें। उदाहरणार्थ, यह हो सकता है कि केवल भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार के अध्ययन के आधार पर निश्चित किये गये वाक्य-रचना-सम्बन्धी सिद्धान्त अन्य भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखनेवाली अरबी भाषा में ठीक न निकलें। चीनी आदि भाषाओं में तो उनका नाम भी नहीं मिलेगा।

‘वह राजा है’ इस वाक्य में ‘राजा’ निस्सन्देह कर्ता कारक में है। इस बात की पुष्टि कर्ता कारक के लिए विशेष रूप रखनेवाली भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की प्रत्येक भाषा की वाक्य-रचना की शैली से हो सकती है; जैसे संस्कृत ‘स राजास्ति’, अंगरेज़ी He is a king, जर्मन Er ist ein König इत्यादि में ‘राजा’, king आदि शब्द कर्ता कारक में ही हो सकते हैं।

परन्तु अरबी भाषा में यह बात नहीं है। ‘कान ज़ैदुन मलिकन’ (=ज़ैद राजा था या है) इस वाक्य में ‘ज़ैदुन’ कर्ता कारक में है; परन्तु ‘मलिकन’ कर्म कारक में। अरबी व्याकरण के नियमानुसार ‘मफ़ज़ल’

(=कर्म) के ऊपर 'ज्वर' (= 'अ' की मात्रा) आता है और 'फाइल' (=कर्ता) के ऊपर 'पेश' (= 'उ' की मात्रा) लगता है। इससे यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त वाक्य में 'मलिकन' कर्ता कारक में न होकर कर्म कारक में ही है। इसी प्रकार 'क्रान जैदुन आलिमन' (= जैद विद्वान् था या है) में 'आलिमन' कर्म कारक में है।

भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की वाक्यरचना के सम्बन्ध में विचार करने में नाम और आख्यात, तथा विशेष्य और विशेषण आदि के परस्पर-सम्बन्ध-विषयक, तथा कारकों और क्रिया के कालों और लकारों के प्रयोग-विषयक अनेक नियमों पर विचार करना होता है। इसके विपरीत चीनी भाषा में नामों में कारक, लिङ्ग, या वचन के अनुसार, और क्रिया में काल और लकार आदि के अनुसार कोई भेद नहीं होता। यही नहीं, हूबहू एक ही शब्द नाम, आख्यात, विशेषण या क्रिया-विशेषण का काम दे सकता है।

इसलिए वाक्य-रचना-सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तों के निश्चय करने में भिन्न-भिन्न भाषा-परिवारों की वाक्य-रचना का विचार करना आवश्यक है।

२—प्रकृति-प्रत्यय-विचार

शब्दों के मौलिक या सार्थक अंश या प्रकृति (या प्रकृति-तत्त्व) (radical or significant element) और उनके स्वरूप-साधक^१ या परिणामी अंश या प्रत्यय^२ (या प्रत्ययतत्त्व या संबन्धतत्त्व) (formative or modifying elements) में जो भेद है उसका वर्णन ऊपर (पृ० ५७-५८) किया जा चुका है। शब्दों में प्रकृति और प्रत्यय का भेद सदा स्पष्ट नहीं होता, यह भी हम ऊपर कह चुके हैं।


१ तु०—“पूर्व॑ धातुः साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेण” (महाभाष्य २।२।१६) पर कैयट “पूर्व॑ साधनाभिधायिप्रत्ययोत्पत्तिः, पश्चात् साधनसंसृष्ट एव धातुरुपसर्गेण युज्यते.....।”

२. तु०—“प्रत्यय इत्यन्वर्थसंज्ञा । यः स्वमर्थं प्रत्याययति स प्रत्ययः ।” (महाभाष्य ३।१।१)

भिन्न-भिन्न भाषाओं में इस भेद की स्पष्टता की मात्रा भिन्न-भिन्न होती है। प्रत्येक भाषा में इस भेद का होना भी आवश्यक नहीं। इसी प्रकार प्रत्ययों के बदलने से अर्थों के बदलने की योग्यता भी भिन्न-भिन्न भाषाओं में न्यूनाधिक होती है। किसी पेचीदा अर्थ को प्रकट करने का प्रकार भी भिन्न-भिन्न भाषाओं में एक-सा नहीं होता।

(क) चीनी भाषा का उदाहरण

जैसा ऊपर कहा है, चीनी भाषा में प्रकृति और प्रत्यय के भेद का पता ही नहीं। चीनी भाषा का प्रत्येक शब्द एकाक्षर होता है जिसमें गिने-चुने वर्ण (स्वर और व्यञ्जन) होते हैं। उन एकाक्षर शब्दों में यह प्रकृति है और यह प्रत्यय इसका भेद करना असंभव है।

उदाहरणार्थ,  (मु) एक चीनी शब्द है। इसके 'आँख', 'ख्याल करना', 'मुख्य', 'आवश्यक' ये अर्थ हैं। चीन देश के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में इसको भिन्न-भिन्न प्रकार से उच्चारण करते हैं, जैसे 'मुक', 'मुङ्ग', 'मोक'। परन्तु जैसे हिन्दी में अर्थ-भेद से 'ख्याल करना' के स्थान में 'ख्याल किया' या 'आवश्यक' के स्थान में 'आवश्यकता' हो जाता है, चीनी भाषा में इस तरह अर्थ-भेद से 'मु' या 'मुक' शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता।

संस्कृत आदि भाषाओं में 'पठितुम्', 'पठित्वा', 'पाठः', 'पठनम्', 'पठति' इत्यादि की तरह अनेकानेक शब्द-समूह ऐसे मिलते हैं जो एक ही धातु से बने हैं और अर्थ में परस्पर सम्बन्ध रखते हैं। चीनी भाषा में प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना के ही न होने से यह स्पष्ट है कि ऐसे शब्द-समूह नहीं पाये जाते।

ऊपर कहा है कि चीनी भाषा का प्रत्येक शब्द एकाक्षर होता है। इसी से चीनी भाषा की दूसरी विशेषता यह है कि भिन्न-भिन्न अर्थों के वाचक स्वतन्त्र शब्दों की संख्या बहुत कम है। क्योंकि, दूसरी अनेकाक्षर शब्दों वाली भाषाओं में जैसे एक-से ही वर्णों के उलट-फेर से अनेक तरह के शब्द बन सकते हैं, वैसे केवल एकाक्षर शब्दोंवाली चीनी

भाषा में नहीं बन सकते। कैन्टन में बोली जानेवाली चीनी भाषा में एकाक्षरात्मक शब्दों की संख्या कोई ८०० और ६०० के बीच में होगी, और पेकिंग की सर्व-साधारण की भाषा में उनकी संख्या ४२० से अधिक न होगी। इस कमी को पूरा करने के लिए कई उपायों का आश्रय लिया जाता है; जैसे शब्दों के प्रारम्भ में आनेवाले कुछ व्यञ्जनों और स्वरों के बीच में एक 'हू' जैसा वर्ण और बढ़ा दिया जाता है; दूसरा बड़ा भारी उपाय लहजे या सुर के भेद से अर्थ-भेद का है। शब्दों की कमी ही के कारण एक ही शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। औसतन प्रत्येक शब्द दस अर्थों में प्रयुक्त होता है। अतएव अर्थ की अस्पष्टता को दूर करने के लिए समानार्थक पर भिन्नाकार दो दो शब्दों को इकट्ठा करके बोलते हैं। उदाहरणार्थ, tao (तो) और lu (लू) शब्द पृथक् पृथक् अनेक अर्थ रखते हुए भी दोनों 'रास्ता' अर्थ भी रखते हैं। इसलिए यद्यपि इनके पृथक्-पृथक् प्रयोग करने में अर्थ का सन्देह हो सकता है, तो भी इन दोनों के 'तो लू' इस प्रकार इकट्ठा प्रयोग करने में अर्थ का कोई सन्देह नहीं रहता। इसी प्रकार ऊपर दिया हुआ 'मु' शब्द भिन्न-भिन्न शब्दों के साथ 'जंगल' 'धोना', 'बुलाना', 'पर्दा', 'प्रेम', 'सायंकाल' आदि आदि भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। यही 'मु' शब्द दूसरे लहजे से उच्चारण करने पर 'माता' 'आँगूठी' इत्यादि अर्थों को प्रकट करता है।

इसके अतिरिक्त, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो अपने मौलिक अर्थ में परिवर्तन द्वारा संस्कृत जैसी भाषाओं में विभक्तियों द्वारा प्रकट किये जानेवाले शब्दों के परस्पर सम्बन्धों को धोतित करते हैं। उदाहरणार्थ, 'मु' (=माता) और 'त्जु' (=पुत्र) शब्दों को 'छिह' शब्द द्वारा जोड़ देने पर "मु छिह त्जु" का अर्थ "माता का पुत्र" हो जाता है। 'छिह' शब्द यहाँ एक स्वतन्त्र शब्द के तुल्य ही पृथक् लिखा जाता है। और जगह 'छिह' शब्द 'जाना', 'वह', 'सम्बन्ध रखना' आदि भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। यद्यपि 'मु छिह त्जु' इस वाक्यांश में 'छिह' शब्द का प्रयोग षष्ठी विभक्ति या 'का', 'के', 'की' इनके अर्थ में किया गया है, तो भी इसको हम 'मु' शब्द का प्रत्यय या विभक्ति नहीं कह सकते। बहुत्व, भूत, वर्तमान आदि के आशयों को प्रकट करने के

लिए प्रयुक्त किये गये अन्य शब्दों के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिये। आज-कल की बोल-चाल की चीनी भाषा में यह बात विशेष रूप से पाई जाती है।

(ख) तुर्की भाषा का उदाहरण

तुर्की भाषा में, जैसा ऊपर कहा है, प्रकृति-प्रत्यय की कल्पना तो अवश्य होती है, परन्तु इनका भेद शब्दों की रचना में बहुत ही स्पष्ट होता है। यही नहीं कि शब्दों में उनकी धातु या प्रकृति का पता बड़ी सरलता से लग सकता है, शब्दों के स्वरूप-साधक अंश या प्रत्यय और विभक्ति भी आपस में एक दूसरे से और प्रकृति से मिले हुए भी अपने अपने रूप को स्पष्ट रखते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों से यह बात भली भाँति स्पष्ट हो जावेगी। इनमें एक ही प्रत्यय अनेक शब्दों में आने पर भी अपने रूप को बराबर स्पष्ट रखता है। प्रत्ययों में केवल एक प्रकार का विकार हो सकता है जिसका उल्लेख हम ऊपर (पृ० ६०-६१) कर चुके हैं। अर्थात्, तुर्की भाषा में प्रकृति-स्वर की अनुरूपता प्रत्यय-स्वर में होनी आवश्यक है। इसलिए आवश्यकतानुसार प्रकृति-स्वर के प्रभाव से प्रत्यय का स्वर बदल जाता है। उदाहरणार्थ :—

ev = घर

evim = मेरा घर

arslan = शेर

arslanam = मेरा शेर

तुर्की भाषा में शब्द-रचना के और उदाहरण :—

ev = घर

evler = अनेक घर

evim = मेरा घर

evlerim = मेरे घर

evimin = मेरे घर का

evlerimin = मेरे घरों का

evin = तुम्हारा घर

evlerin = तुम्हारे घर

evinin = तुम्हारे घर का

evlerinin = तुम्हारे घरों का

(ग) संस्कृत भाषा का उदाहरण

जैसा ऊपर कहा है, संस्कृत भाषा में अनेकानेक शब्द-समूह ऐसे मिलते हैं जिनमें एक ही प्रकृति या मौलिक अंश पाया जाता है। अनेक

उपसर्गों और प्रत्ययों के कारण ही उन समान प्रकृतिवाले शब्दों के अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। ऐसा होते हुए भी, प्रकृति और प्रत्यय का भेद प्रायः अस्पष्ट होता है। प्रकृति और प्रत्यय के आपस में अधिक सट जाने से प्रायः प्रकृत्यंश भी परिवर्तित हो जाता है। उदाहरणार्थ, निम्नलिखित शब्दों को लीजिये :—

‘नी’ धातु से ‘नयति’, ‘निनाय’, ‘निन्युः’, ‘निनेथ’ ।

‘वच्’ धातु से ‘उवाच’, ‘उवक्थ’, ‘ऊचुः’ ।

‘कृ’ धातु से ‘करोति’, ‘चकार’, ‘चक्रुः’, ‘चक्रुवांसम्’, ‘अकार्षीत्’, ‘अक्रः’ ।

इन रूपों में से प्रत्येक का हम प्रकृत्यंश और प्रत्ययांश में विश्लेषण या पृथक्करण कर सकते हैं; जैसे

‘नयति’ = नय् + अ + ति = ने + अ + ति = नी + अ + ति;

‘निनाय’ = निनाय् + अ = निनै + अ = निनी + अ = नी + अ;

‘ऊचुः’ = उ + उच् + उः = व + वच् + उः = वच् + उः; इत्यादि ।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इन उदाहरणों में प्रकृति और प्रत्यय का भेद तुर्की भाषा की अपेक्षा अत्यन्त अस्पष्ट है। इसी कारण से तुर्की भाषा की तरह प्रत्येक अंश का ठीक ठीक अर्थ निर्देश नहीं किया जा सकता। उदाहरणार्थ, यदि यह मान लिया जाय कि ‘नी’ का अर्थ ‘ले जाना’ है, तो ‘ने’, ‘नय्’, या ‘नय’ का क्या अर्थ है ?

यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि ऐसी भाषाओं में जिनमें प्रकृति-प्रत्यय का भेद स्पष्ट नहीं होता, संस्कृत सबसे अधिक स्पष्ट रचनावाली भाषा है। ग्रीक और लैटिन भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय का पृथक्करण और भी कठिन और अनिश्चित होता है।

३—भाषाओं का आकृति-मूलक वर्गीकरण

(MORPHOLOGICAL CLASSIFICATION)

पृथ्वी की विभिन्न भाषाओं का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है :—

(क) एक तो उनकी (विशेषतः उनके शब्दों या पदों की) आकृति या रचना की समानरूपता की दृष्टि से (=आकृति-मूलक वर्गीकरण = Morphological Classification^१), और

(ख) दूसरे उनकी पारिवारिक या ऐतिहासिक एकता की दृष्टि से (=ऐतिहासिक या पारिवारिक वर्गीकरण = Historical or Genealogical Classification) ।

इस दूसरे प्रकार के वर्गीकरण का विचार हम परिच्छेद १० में करेंगे । यहाँ इस परिच्छेद में भाषा की रचना के प्रसङ्ग से भाषाओं के आकृति-मूलक वर्गीकरण और उसकी उपयोगिता आदि पर विचार करना आवश्यक है । अगले अधिकरणों में हम इसी विषय पर विचार करेंगे ।

४—रचना (या शब्दों की आकृति) की दृष्टि से भाषाओं के तीन वर्ग

ऊपर अधिकरण २ में दिखलाये गये चीनी, तुर्की और संस्कृत भाषाओं की शब्द-रचना के उदाहरणों से यह स्पष्ट हो गया होगा कि शब्दरचना (या शब्दाकृति) की दृष्टि से मानवीय भाषाओं को प्रधानतः तीन वर्गों में बाँटा जा सकता है ।

- (क) अयोगात्मक,
- (ख) योगात्मक, और
- (ग) विभक्ति-युक्त,

इन नामों से हम उनका निर्देश कर सकते हैं । इन तीनों प्रकार की भाषाओं के आदर्श उदाहरण क्रमशः चीनी, तुर्की और संस्कृत भाषायें ही हैं । चीनी आदि भाषाओं के उपर्युक्त उदाहरणों से यद्यपि इन वर्गों का स्वरूप बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, तो भी प्रत्येक वर्ग के विषय में यहाँ थोड़ा-थोड़ा विचार करना अच्छा होगा ।

१. Morphos शब्द ग्रीक भाषा का है । इसका अर्थ है 'शक्ल' या 'आकृति' (form or shape) ।

(क) अयोगात्मक (Isolating) भाषायें

इनको अयोगात्मक कहने का आशय यही है कि इन भाषाओं में प्रत्येक शब्द स्वतन्त्र रीति से पृथक् पृथक् प्रयुक्त होता है और उसमें प्रकृति और प्रत्यय के योग की कल्पना नहीं हो सकती। कोई-कोई इनको एकाक्षरात्मक (Monosyllabic) भाषायें भी कहते हैं—क्योंकि यह समझा जाता है कि इन भाषाओं के शब्द एक अक्षर अर्थात् प्रायः एक स्वर और एक या अनेक व्यञ्जनों से बने हुए होते हैं। परन्तु दूसरे वर्गों के नामों की अनुरूपता से पहला नाम ही अधिक उचित प्रतीत होता है। अयोगात्मक भाषाओं के मुख्य उदाहरण चीन, तिब्बत, बर्मा, स्याम आदि देशों की भाषायें हैं।

इन भाषाओं की शब्द-रचना और सब भाषाओं की अपेक्षा अत्यन्त सरल है। इनके विषय में यह कह सकते हैं कि इन भाषाओं में केवल प्रकृतियाँ ही होती हैं; वही शब्दों का काम देती हैं; और प्रत्यय होते ही नहीं। और भाषाओं में जैसे शब्द के अर्थ का प्रधानांश प्रकृति से और गौणांश प्रत्यय से द्योतित होता है वैसे इन भाषाओं में नहीं होता। शब्दों में केवल प्रकृति-भाग होने से उनमें विभक्तियों के सदृश कोई परिवर्तन भी नहीं होते। प्रत्येक शब्द वाक्य में, प्रत्येक अवस्था में, अव्ययों की तरह एक ही रूप में रहता है। इसी लिए इन भाषाओं में, और भाषाओं के सदृश, शब्दों का नाम, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया-विशेषण इत्यादि प्रकार का विभाग भी नहीं किया जाता।

अर्थ-दृष्टि से कुछ प्रकृतियाँ ही दूसरी भाषाओं में जिनको विभक्ति, प्रत्यय और उपसर्ग कहते हैं उनका काम दे देती है। शब्द-रचना की दृष्टि से इन भाषाओं में नाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि का भेद न होते हुए भी, वाक्य में शब्दों के स्थान-विशेष के अनुसार उनमें नाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि का भेद किया जा सकता है। इसी लिये अयोगात्मक भाषाओं के व्याकरण का विषय केवल वाक्य-रचना तक परिमित रहता है। उदाहरणार्थ, चीनी भाषा में यह नियम है कि कर्ता सदा वाक्य के आरम्भ में आता है। अधिकरण, संप्रदान, करण इत्यादि कारकों का

भाव या तो विशेष विशेष स्वतन्त्र शब्दों की सहायता से या वाक्य में शब्द के स्थान-विशेष से प्रतीत होता है।

जैसा चीनी भाषा के वर्णन में ऊपर कहा है, अयोगात्मक भाषाओं में लहजा या सुर एक बड़ा आवश्यक अंग होता है। लहजे के भेद से समानाकार पर अनेकार्थक शब्दों के भिन्न-भिन्न स्थलों में अर्थ के निर्णय करने में बड़ी सहायता मिलती है। क्योंकि यह स्मरण रखना चाहिये कि इन भाषाओं में यह एक साधारण बात है कि वर्णानुपूर्वी की दृष्टि से एक ही शब्द अनेक अर्थ रखता है। उदाहरणार्थ, चीनी भाषा में tao (तो) शब्द के 'पहुँचना', 'ढाँपना', 'भंडा', 'धान्य', 'रास्ता' इत्यादि अनेक अर्थ हैं। इसी प्रकार lu (लू) के 'गाड़ी', 'जवाहिर', 'ओस', 'त्याग करना', 'रास्ता' इत्यादि अनेक अर्थ हैं। यह हम ऊपर बतला चुके हैं कि इस प्रकार के किसी एक अर्थ में समानता रखनेवाले शब्दों को इकट्ठा करके बोलने से उनका अर्थ उस स्थल में निश्चित हो जाता है।

(ख) योगात्मक (= Agglutinating) भाषाएँ

अयोगात्मक भाषाओं में प्रत्येक शब्द स्वतन्त्र रीति से पृथक् पृथक् प्रयुक्त होता है और उसमें प्रकृति-प्रत्यय के योग की कल्पना नहीं हो सकती। इसके विरुद्ध योगात्मक भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय के योग से शब्दों की रचना होती है। इनके शब्द प्रकृति-रूप ही न होकर प्रकृति और प्रत्यय के जोड़ने से बनते हैं। इसी से इनको योगात्मक कहते हैं।

ऐसा कहा जाता है कि सब प्रकार की भाषाओं में योगात्मक भाषाओं की संख्या सबसे अधिक है। संसार की भिन्न-भिन्न जातियों में जिनका परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं इस वर्ग की भाषाएँ पाई जाती हैं। परन्तु टर्की, हंगरी, फिनलैंड आदि देशों की भाषाएँ इस वर्ग की मुख्य उदाहरण हैं।

योगात्मक भाषाओं को अयोगात्मक भाषाओं से पृथक् करनेवाली विशेषता उनके नाम से ही स्पष्ट है। योगात्मक भाषाओं के शब्द एक से अधिक अंशों के मेल से बनते हैं। इन अंशों में से एक अंश का अर्थ प्रधानतया स्थिर रहता है; परन्तु दूसरे अंशों का अर्थ प्रधानार्थ के साथ गुणीभूत होकर रहता है।

जिन अनेक अंशों के मेल या जोड़ से योगात्मक भाषाओं के शब्द बनते हैं उनमें से एक अंश सदैव एक ही रूप में रहता है। उसमें किसी प्रकार का थोड़ा-सा भी परिवर्तन या विकार नहीं होता। इस अंश को हम प्रकृति कह सकते हैं। इसी अंश के अर्थ की प्रधानता शब्द में होती है। इस प्रकृत्यंश से जुड़े हुए दूसरे अंशों में परिवर्तन हो सकता है। परन्तु यह परिवर्तन इतना अधिक नहीं होता कि उन अंशों के वास्तविक स्वरूप के विषय में किसी को ज़रा भी सन्देह हो सके। विभक्तियुक्त भाषाओं की परिभाषा में इन अंशों को हम प्रत्यय या विभक्ति भी कह सकते हैं; परन्तु इन अंशों में और विभक्ति-युक्त भाषाओं के प्रत्ययों और विभक्तियों में पूरी पूरी अनुरूपता नहीं है। जहाँ विभक्ति-युक्त भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय का भेद-भाव प्रायः बिल्कुल मिट जाता है, वहाँ योगात्मक भाषाओं के शब्दों के अंश जुड़े होने पर भी स्पष्टतः अपने अपने स्वरूप को पृथक् रखते हैं। इन अंशों को बड़ी आसानी से एक दूसरे से पृथक् किया जा सकता है, और समस्त शब्दार्थ में किसका क्या और कितना उपयोग है यह समझा जा सकता है। तो भी प्रकृत्यंश से पृथक् स्वतन्त्र रीति से प्रत्ययांश का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

प्रकृत्यंश से जुड़े हुए अंशों में जो कभी कभी विकार होते हैं वे स्वरों की अनुरूपता के नियम के अनुसार होते हैं। इन भाषाओं में यह सामान्य नियम है कि प्रत्ययांशों का स्वर प्रकृत्यंश के अंतिम स्वर से मिलता-जुलता होना चाहिये।

प्रकृत्यंश और प्रत्ययांश इन भाषाओं में केवल नाम-मात्र को जुड़े होते हैं और जुड़ने पर भी अपने भेद-भाव को स्पष्ट रखते हैं, इस कारण से इन भाषाओं को उपचयात्मक या संचयात्मक (Agglomerating Languages) भी कह सकते हैं।

(ग) विभक्ति-युक्त (Inflectional) भाषायें

विभक्ति-युक्त भाषाओं से आशय उन भाषाओं का है जिनके शब्द यद्यपि प्रकृति-प्रत्यय के योग से बनते हैं तो भी उनमें यह योग प्रायः स्पष्ट प्रतीत नहीं होता।

योगात्मक भाषाओं में प्रकृति-प्रत्यय का भेद भाव स्पष्ट बना रहता है और उनका पूरी रीति से एकीभाव नहीं होने पाता। इसके विरुद्ध, विभक्ति-युक्त भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय का प्रायः एकीभाव हो जाता है।

इन भाषाओं के प्रत्यय अपने स्वतन्त्र रूप को और अतएव अर्थ को भी स्पष्ट नहीं रखते। इसलिए इनमें जो अर्थ-भेद से विकार होते हैं वे समस्त शब्द के होते हुए प्रतीत होते हैं।

यहाँ यह ध्यान रहे कि योगात्मक भाषाओं के वर्णन में जो 'प्रकृति' और 'प्रत्यय' शब्दों का प्रयोग किया है वह वस्तुतः गौण-रूप से किया है। मुख्य-रूप से 'विभक्ति' और 'प्रत्यय' शब्दों का प्रयोग विभक्ति-युक्त भाषाओं के साथ ही करना चाहिये। क्योंकि योगात्मक शब्दों के उत्तरांश (= प्रकृति से जुड़े हुए अंश) स्वतन्त्र शब्द न होते हुए भी स्वतन्त्र से प्रतीत होते हैं; परन्तु विभक्ति-युक्त शब्दों में ऐसा नहीं कह सकते।

भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखनेवाली संस्कृत, फ़ारसी, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं की गणना विभक्ति-युक्त भाषाओं में है।

यहाँ यह कह देना उचित होगा कि विभक्ति-युक्त भाषाओं के लिए यह आवश्यक नहीं कि धातुओं के रूप चलाने में या धातुओं से शब्दों के बनाने में प्रत्ययों के सदृश दूसरे अशो को जोड़ा ही जावे। इसके स्थान में धातुओं के अन्दर स्वरों के भेद से ही काम चल सकता है। इसी दृष्टि से सेमिटिक भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखनेवाली अरबी आदि भाषाओं की भी गणना विभक्ति-युक्त भाषाओं में हो सकती है। ऐसी दशा में विभक्ति शब्द का आशय अर्थ-भेद से होनेवाले किसी शब्द के भेदों से या उसके रूप चलने से (या गर्दान से) हो हो सकता है। (सेमिटिक भाषा-परिवार की विशेषताओं के लिए देखिये परिच्छेद १०, अधिकरण ८)

उपर्युक्त सामान्य भेद के अतिरिक्त, विभक्ति-युक्त और योगात्मक भाषाओं की शब्द-रचना में विशेष भेद यह है कि जहाँ योगात्मक भाषाओं में प्रकृत्यंश सदा जैसा-का-तैसा रहता है, और प्रत्ययांश में ही थोड़ा परिवर्तन होता है, वहाँ विभक्ति-युक्त भाषाओं में प्रकृत्यंश भी परिवर्तित हो

जाता है। इस प्रकार विभक्ति-युक्त भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय दोनों के परिवर्तित हो जाने से ही दोनों परस्पर इतने सट जाते हैं कि उनमें बिलकुल एकीभाव हो जाता है।

ऐसा होने पर भी यह स्मरण रखना चाहिये कि विभक्ति-युक्त और योगात्मक भाषाओं में परस्पर इतना भेद नहीं है जितना इन दोनों का अयोगात्मक भाषाओं से। वस्तुतः देखा जावे तो इन दोनों में परस्पर इतना प्रकार का भेद नहीं है जितना मात्रा का। दोनों की शब्द-रचना का मूल सिद्धान्त एक ही है; केवल भेद इतना है कि विभक्ति-युक्त भाषाओं में प्रकृति-प्रत्यय का परस्पर मेल योगात्मक भाषाओं की अपेक्षा कहीं अधिक गहरा होता है। साथ ही, विभक्ति-युक्त भाषाओं में भी यह घनिष्ठ सम्बन्ध सदा नहीं पाया जाता। अनेक शब्दों की रचना इन भाषाओं में भी ऐसी ही विशद होती है^१ जैसी योगात्मक भाषाओं में। इसी कारण से कोई-कोई लेखक पिछले दोनों वर्गों को एक में मिलाकर भाषाओं को प्रधानतः अयोगात्मक तथा योगात्मक इन दो ही वर्गों में बाँटते हैं। परन्तु उपर्युक्त तीन वर्गों में भाषाओं को बाँटने से उनके रचना-भेद को समझने में जितनी सहायता मिलती है उतनी उनको दो वर्गों में बाँटने से नहीं। इसी लिए भाषा-विज्ञान की अनेक पुस्तकों में शब्द-रचना की दृष्टि से भाषाओं को प्रधानतः उक्त तीन वर्गों में ही बाँटा जाता है।

विभक्ति-युक्त भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय के एकीभाव को दृष्टि में रखकर इनको संमिश्रणात्मक (= Amalgamating Languages) भी कह सकते हैं।

५—किसी भाषा के लिए अयोगात्मक आदि तीनों अवस्थाओं में गुजरना आवश्यक नहीं

कई एक भाषाविज्ञानियों का कहना है कि भाषाओं के उपर्युक्त तीन

१. उदाहरणार्थ, संस्कृत के 'भासुर' (= भास् + उर), 'विदुर' (= विद् + उर), 'घस्मर' (= घस् + मर), 'ईश्वर' (= ईश् + वर) इत्यादि शब्दों की विशद रचना को देखिये।

वर्ग प्रत्येक भाषा के क्रमिक विकास की तीन अवस्थाओं को द्योतित करते हैं। उनका विचार है कि भाषा के विकास में क्रमशः उपर्युक्त तीनों अवस्थाओं का आना आवश्यक है। कम से कम प्रत्येक विभक्ति-युक्त या संमिश्रणात्मक भाषा तीनों अवस्थाओं में गुजर चुकी है। तो भी कुछ ऐसी भाषायें हैं जो अभी तक द्वितीय अर्थात् योगात्मक अवस्था में ही हैं और आगे नहीं बढ़ी हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार भाषा की उन्नति का पथ अयोगात्मक → योगात्मक → विभक्ति-युक्त इस प्रकार रहा है।

इस सिद्धान्त का आधार निम्नलिखित विचारों पर है—

(१) ऐसा समझा जाता है कि अयोगात्मक चीनी भाषा भाषा की आदि-कालीन या आदिम अवस्था का एक नमूना है। प्राचीन होने पर भी यही कहना चाहिये कि चीनी भाषा अभी तक सदा से अयोगात्मक अवस्था में ही है। आदिकालीन भाषा का भी स्वरूप ऐसा ही रहा होगा।

(२) दूसरी बात इस सिद्धान्त की पुष्टि में यह कही जाती है कि कुछ प्रत्यय और विभक्तियों के विषय में, जो आज-कल शब्दों के अवयव-रूप से प्रयोग में आती हैं और स्वतन्त्र शब्दों की तरह प्रयुक्त नहीं की जा सकतीं, यह दिखलाया जा सकता है कि वे प्रारम्भ में स्वतन्त्र शब्द थीं।

उदाहरणार्थ, अंगरेजी भाषा में godly आदि शब्दों में आनेवाला -ly प्रत्यय विशेषणों या क्रिया-विशेषणों को द्योतित करता है। इसका विकास like (=सदृश) शब्द से है। इसी प्रकार friendship आदि में प्रयुक्त भावार्थक -ship प्रत्यय का विकास shape (=आकृति) शब्द से है।

यही बात आधुनिक हिन्दी आदि भाषाओं में भी दिखलाई जा सकती है। हिन्दी आदि में विभक्ति-रूप से प्रयुक्त होनेवाले 'में', 'का', 'पर' आदि का विकास संस्कृत 'मध्ये', 'कृतः', 'उपरि' आदि से हुआ है।^१

१. स्वतन्त्र शब्द दूसरे शब्दों के साथ जुड़ने पर कालान्तर में किस प्रकार प्रत्यय समझे जाने लगते हैं, इसका स्पष्ट उदाहरण 'गोगोष्ठम्', 'अविगोष्ठम्',

(३) तीसरा हेतु जो इस सिद्धान्त की पुष्टि में दिया जाता है वह तर्क-शास्त्र का चिन्तनाणुवाद है। इस पर हम ऊपर (पृ० ५५) विचार कर चुके हैं। इसके अनुसार हमारी विचार-परम्परा का प्रारम्भ पृथक् पृथक् स्वतन्त्र स्थिति रखनेवाले 'भावों' या 'प्रत्ययों' से होता है। भाषा में इन्हीं 'भावों' का निरूपण पृथक् पृथक् शब्दों द्वारा होता है। इन स्वतन्त्र 'भावों' के परस्पर जोड़ने से 'विचार' बनते हैं। उसी तरह, जैसे शब्दों के जोड़ने से वाक्य बनते हैं। दूसरे शब्दों में, उपर्युक्त सिद्धान्त का आधार इस विचार पर है कि 'भाव' और शब्द क्रमशः 'विचार' और वाक्य के बनने से पहले स्वतन्त्र स्थिति रखते हैं।

उपर्युक्त सिद्धान्त की दुर्बलता

आज-कल भाषा-विज्ञान में उपर्युक्त सिद्धान्त प्रायः नहीं माना जाता। निम्नलिखित कारणों से उसकी दुर्बलता प्रतीत हो जावेगी।

(१) नवीनतम अनुसन्धान से पता लगा है कि आज-कल की अयोगात्मक तथा एकाक्षरात्मक चीनी भाषा सदा से ही वर्तमान रूप में नहीं रही है। आदिकालीन चीनी भाषा अवश्य ही इससे भिन्न रूप में रही होगी।

'उष्ट्रगोयुगम्', 'खरगोयुगम्' इत्यादि शब्दों में मिलता है। 'गोष्ठ' (गौश्रों का बाड़ा या स्थान) शब्द स्पष्टतः गोपूर्वक 'स्था' धातु से बना है। शनैः शनैः इसमें 'गो' शब्द के अर्थ के तिरोहित हो जाने से इसका अर्थ सामान्यतः बाड़ा या स्थान हो गया और इसका प्रयोग 'अविगोष्ठ' (= भेड़ों का बाड़ा) इत्यादि प्रकार से होने लगा और अन्त में वैयाकरणों ने इसको एक प्रत्यय मान लिया। यही स्थिति 'गोयुग' (= बैलों को जोड़ी) शब्द की है। तुलना कीजिये:—

“गोष्ठादयः स्थानादिषु पशुनामादिभ्यः ॥ गोष्ठादयः प्रत्ययाः स्थानादिष्वर्थेषु पशुनामादिभ्यो वक्तव्याः। गोगोष्ठम्, अविगोष्ठम् ॥.....गोयुगशब्दश्च प्रत्ययो वक्तव्यः। उष्ट्रगोयुगम्, खरगोयुगम् ॥.....उपमानाद्वा सिद्धम् ॥ उपमानाद्वा सिद्धमेतत्। गवा स्थानं गोष्ठम्। यथा गवां तद्वदुष्ट्रणाम् ॥.....गोयुग-शब्दश्च प्रत्ययो वक्तव्य इति। गोर्युगं गोयुगम्। यथा गोस्तद्वदुष्ट्रस्य। उष्ट्रगोयुगम् ॥” (महाभाष्य ५।२।२६)। इस पर कैयट की व्याख्या भी देखिये।

सैकड़ों चीनी भाषा के शब्द जो अब केवल एक अक्षर के बने हैं प्रारम्भ में दो या तीन अक्षरों के होते थे। उच्चारण-सम्बन्धी परिवर्तन और ह्रास के कारण ही वे अब एक अक्षर के रह गये हैं। इस ह्रास के कारण ही अनेकानेक आधुनिक चीनी शब्दों में परस्पर वर्णकृत भेद न रहने से जो अत्यन्त गड़बड़ होने की सम्भावना थी उसी को दूर करने के लिए शब्दों के उच्चारण में भिन्न-भिन्न स्वर या लहजे के प्रयोग करने का प्रारम्भ हुआ होगा। चीनी भाषा का सम्बन्ध ऐसे भाषापरिवार से है जिसमें स्वर या लहजे के प्रयोग की मात्रा शब्दों की एकाक्षरता के परिमाण पर ही निर्भर होती है।

(२) दूसरी बात से भी उपर्युक्त सिद्धान्त की पुष्टि नहीं होती। कुछ विभक्तियाँ या प्रत्यय प्राचीन स्वतन्त्र शब्दों से निकले हैं और आज-कल दूसरे शब्दों से जुड़कर अपना स्वतन्त्र रूप खो चुके हैं—इससे यह सिद्ध नहीं होता कि सारी विभक्तियाँ और प्रत्यय प्रारम्भ में स्वतन्त्र शब्द थे। साथ ही इस बात का भी ध्यान रहे कि बहुत से निर्वचन जो उनके विषय में दिखलाये जाते हैं वे अनिश्चित ही हैं।

(३) तीसरे हेतु के विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। चिन्तनाणुवाद का खराबन ऊपर किया जा चुका है (तृतीय परिच्छेद, अधिकरण ११)। ऊपर कहा गया है कि जिस प्रकार हमारे सोचने की चरम व्यक्ति 'विचार' है, इसी प्रकार भाषा का प्रारम्भ भी वाक्यों से होता है। इसलिए वस्तु-स्थिति में जैसे 'भावों' से पहले 'विचार' होता है, इसी तरह पृथक् पृथक् स्वतन्त्र शब्दों से पहले वाक्य, जो 'विचार' का शब्दात्मक स्वरूप है, होता है। इसलिए चिन्तनाणुवाद के आधार पर इस बात की कल्पना करना कि अयोगात्मक अवस्था ही भाषा की आदि-कालीन अवस्था हो सकती है ठीक नहीं। उत्तरीय अमरीका के आदि-निवासियों की भाषा के उदाहरण से भी इस कल्पना की सिद्धि नहीं होती, यह भी ऊपर (पृ० ४८) दिखलाया जा चुका है।

(४) वस्तुतः नितरां आदि-कालीन भाषा के स्वरूप के विषय में जो अनेक कल्पनायें की गई हैं उनका आधार ठीक ठीक साक्ष्य पर नहीं है। यह भी आवश्यक नहीं कि आदि-काल में मुख से निकलनेवाली अस्पष्ट

तथा अविभक्त शब्द-धारा में से जो स्थिर और स्वतन्त्र शब्द कल्पित किये गये थे वे एकाक्षरात्मक तथा अयोगात्मक ही थे ।

६—बहु-संश्लेषणात्मक (=Polysynthetic) भाषायें

भाषा की रचना का एक विशेष प्रकार पाया जाता है जिसको बहु-संश्लेषणात्मक या बहु-संमिश्रणात्मक कह सकते हैं । इस प्रकार की रचना का विशेष उदाहरण अमरीका के आदि-निवासी इण्डियन लोगों की भाषायें हैं । अनेक भावों के समुदाय को, जिसको अन्य भाषाओं में अनेक स्वतन्त्र शब्दों द्वारा प्रकट किया जाता है, इस प्रकार की भाषाओं में एक समस्त शब्द द्वारा प्रकट किया जाता है । यह समस्त शब्द भी सदा समस्त ही रहता है; उसके अवयवों का पृथक् पृथक् स्वतन्त्र रीति से प्रयोग नहीं किया जा सकता ।

उदाहरणार्थ, “मैं मांस खाता हूँ” इस वाक्य को मेक्सिको देश के आदि-निवासियों की भाषा में केवल एक समस्त शब्द द्वारा प्रकट किया जायगा । बल देने के लिए यदि कर्मकारक मांस का पर्याय-वाची शब्द समस्त शब्द से पृथक् भी रखा जावे तो भी मांस शब्द के स्थानीय एक सर्वनाम को “मैं-उसको-खाता-हूँ मांस को” इस प्रकार प्रथम समस्त शब्द के साथ मिलाकर बोलेंगे ।

इसी प्रकार “मैं रोटी अपने पुत्र को देता हूँ” इतने शब्दों के स्थान में “मैं-उसे-उसको-देता हूँ, रोटी अपने-पुत्र-को” इस प्रकार केवल तीन शब्दों का प्रयोग किया जायगा ।

इस कारण उपर्युक्त भाषाओं में दस-दस अक्षरों तक के शब्दों का पाया जाना साधारण बात है ।

एक-एक वस्तु के नाम भी इन भाषाओं में बड़े लम्बे होते हैं । उदाहरणार्थ, मेक्सिकन भाषा में ही बकरे के लिये Kwah-Kwauh-tentsone शब्द का प्रयोग किया जाता है । इसका मूलार्थ है “सिर-वृक्ष (=सींग)-ओष्ठ-बाल (=दाढ़ी)” या दूसरे शब्दों में “सींगवाला और दाढ़ीवाला” ।

इस प्रकार बहुसंश्लेषणात्मक रचना में अत्यन्त लम्बे-लम्बे शब्द— जो या तो समास या संकुचित या संक्षिप्त वाक्य होते हैं—पाये जाते हैं।

इन भाषाओं का जिन्होंने अध्ययन किया है उनमें से अनेकों का ऐसा मत है कि इस प्रकार की रचना को उपयुक्त त्रयोगात्मक आदि तीनों प्रकार की रचनाओं से सर्वथा भिन्न एक नये प्रकार की रचना कहना चाहिये।

परन्तु भाषाविज्ञानियों की प्रायः यही सम्मति है कि इन भाषाओं में अनेक शब्दों के योग से शब्दों के बनाने की मात्रा और भाषाओं से बहुत अधिक होने पर भी शब्द-रचना का प्रकार विलकुल नया और अनोखा नहीं है। इसलिए इनका समावेश भिन्न-भिन्न शब्दों को देखकर योगात्मक या विभक्ति-युक्त रचना में ही हो सकता है। और और भाषाओं में भी (जैसे वास्क भाषा जो स्पेन की उत्तरीय पहाड़ियों में बोली जाती है, फिनलैंड देश की स्थानीय भाषायें, और भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार) इस प्रकार की रचना के उदाहरण पाये जाते हैं। “मैं देता हूँ” इन तीन शब्दों के स्थान में संस्कृत में ‘ददामि’ यह एक शब्द कहना पर्याप्त होता है।

७—संश्लेषणात्मक (= Synthetic) और विश्लेषणात्मक (= Analytic) भाषाये

विभक्ति-युक्त भाषाये थोड़ी या बहुत संश्लेषणात्मक या विश्लेषणात्मक होती है। संश्लेषणात्मक से आशय उन भाषाओं का है जिनमें एक शब्द द्वारा एक पेचीदा या जटिल अर्थ प्रकट किया जा सकता है। इसके विपरीत, विश्लेषणात्मक भाषा वह कहलाती है जिसमें उसी अर्थ के लिए अनेक शब्द प्रयोग किये जाते हैं। उदाहरणार्थ, संस्कृत ‘अभविष्यत्’ के स्थान में हिन्दी में ‘वह होता’ और अंगरेजी में He would have been कहा जायगा। इसी प्रकार—

संस्कृत	हिन्दी	अंगरेजी
करोति	वह कर रहा है	He is doing
गृहाणाम्	घरों का	of (the) houses
जिगमिषति	वह जाना चाहता है	He desires to go

ग्रीक और लैटिन भाषाओं की रचना में संस्कृत की तरह संश्लेषणात्मकता अत्यधिक पाई जाती है।

अंगरेजी भाषा विश्लेषणात्मक रचना का अच्छा उदाहरण है।

सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की भाषायें धीरे-धीरे संश्लेषणात्मक से विश्लेषणात्मक होती जा रही हैं। इस प्रवृत्ति का उदाहरण भारतवर्ष की आधुनिक आर्यभाषाओं में अच्छी तरह पाया जाता है।

संस्कृत की रचना स्पष्टतया संश्लेषणात्मक है। संस्कृत से निकली हुई प्राकृत भाषा के शौरसेनी, आदि सारे भेदों की रचना भी संश्लेषणात्मक ही रही। परन्तु आज-कल की हिन्दी, पंजाबी, गुजराती आदि भाषाओं की रचना में प्रायः विश्लेषणात्मकता दीख पड़ती है। इनमें हिन्दी की रचना सबसे अधिक विश्लेषणात्मक है। पञ्जाबी की भी लगभग यही दशा है। गुजराती, सिन्धी और मराठी में विश्लेषणात्मकता क्रमशः कुछ कम पाई जाती है। इनके पीछे बंगाली और उड़िया का स्थान है। इनकी रचना में, औरों की अपेक्षा, संश्लेषणात्मकता की मात्रा अधिक है।

यही दशा यूरोप की भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की आधुनिक भाषाओं की है। अंगरेजी का हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं। इस भाषा में बहुत ही थोड़ी विभक्तियाँ शेष रह गई हैं। यहाँ तक कि नामों या संज्ञा-वाचक शब्दों के बहुवचन, क्रिया के प्रथम-पुरुष एकवचन और भूतकाल को छोड़कर चीनी भाषा की तरह 'अयोगात्मक' अंगरेजी लिखी जा सकती है।

८—आकृति-मूलक वर्गीकरण के विभिन्न प्रकार और उनका आपेक्षिक महत्त्व

यहाँ भाषाओं के आकृति-मूलक वर्गीकरण के विभिन्न प्रकारों और उनके आपेक्षिक महत्त्व के विषय में कुछ कहना आवश्यक प्रतीत होता है।

ऊपर हमने भाषा की रचना या शब्दाकृति की दृष्टि से भाषाओं को पहले अयोगात्मक, योगात्मक, और विभक्तियुक्त—इन तीन वर्गों में

वाँटा है (अधिकरण ४); और पीछे से भाषाओं का एक चौथा प्रकार (या वर्ग) भी बहुसंश्लेषणात्मक नाम से दिखाया है (अधिकरण ६)।

पृ० ७३ पर विभक्ति-युक्त भाषाओं के विषय में हमने कहा है कि कोई-कोई लेखक इनको योगात्मक वर्ग में ही सम्मिलित मान लेते हैं।

इसी प्रकार पृष्ठ ७८ पर बहु-संश्लेषणात्मक भाषाओं के विषय में भी हमने कहा है कि प्रायेण भाषाविज्ञानी इन भाषाओं को भी योगात्मक भाषावर्ग का ही एक उपवर्ग मानते हैं।

सारांश यह है कि हमारे उपर्युक्त ३ (या ४) वर्गों के स्थान में कुछ भाषाविज्ञानी लेखक^१ भाषाओं को प्रथमतः अयोगात्मक और योगात्मक इन दो वर्गों में ही विभाजित करते हैं।

योगात्मक वर्ग को वे पुनः अश्लिष्ट (Agglutinating), श्लिष्ट (Inflecting) और प्रश्लिष्ट (Incorporating) इन तीन विभागों में बाँटते हैं।

(इन तीनों प्रकारों को हम क्रमशः योगात्मक, विभक्तियुक्त और बहुसंश्लेषणात्मक इन नामों से ऊपर दिखला चुके हैं।)

अश्लिष्ट भाषाओं में भी, प्रकृतितत्त्व के साथ प्रत्यय-तत्त्व या संबन्ध-तत्त्व किस स्थान पर जोड़ा जाय, इस विचार से पूर्वयोगात्मक, मध्य-योगात्मक, अन्तयोगात्मक, अथवा पूर्वान्तयोगात्मक ये अवान्तर विभाग किये जाते हैं।

अफ्रीका की वांटू-परिवार की भाषायें पूर्वयोगात्मक ही हैं। उनमें प्रत्ययस्थानीय अंश सदा प्रकृति-तत्त्व के पूर्व में ही जोड़ा जाता है।

यूराल-एल्टेइक और द्राविड़-भाषायें अन्तयोग की प्रधान उदाहरण हैं। तुर्की भाषा के उदाहरण हम ऊपर दिखला चुके हैं। उसका संबन्ध यूराल-एल्टेइक भाषापरिवार से ही है।

१. देखिए I. J. S. Taraporewala, *Elements of the Science of Language* (१९५१), पृ० २२-२३; तथा डा० वावूराम सक्सेना, 'सामान्य भाषाविज्ञान' (२०१०) पृ० १२१-१२५.

पूर्वान्त-योग और मध्य-योग के उदाहरण प्रशांत-महासागर के द्वीपों की भाषाओं में मिलते हैं। इनमें प्रत्ययस्थानीय संबन्ध-द्योतक अंश प्रकृति-स्थानीय अंश के पहले और बाद को जोड़े जाते हैं। पर दो अक्षरवाली प्रकृतियों में वे मध्य में जोड़े जाते हैं।

मध्य-योग के उदाहरण मुंडा भाषाओं में भी पाये जाते हैं।

आपेक्षिक महत्त्व

उपर्युक्त दोनों प्रकार के वर्गीकरणों के आपेक्षिक महत्त्व के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता हमको नहीं प्रतीत होती।

प्रथम तो, जैसा हम अगले अधिकरण में दिखलायेंगे, आकृति-मूलक वर्गीकरण की व्यावहारिक दृष्टि से कोई विशेष उपयोगिता नहीं है।

दूसरे, दोनों वर्गीकरणों में वस्तुगत दृष्टि से कोई भेद नहीं है। रचना की दृष्टि से भाषाओं के वास्तविक भेद दोनों में समान हैं। केवल उन भेदों के वर्गीकरण में नाममात्र का भेद है।

वास्तव में आकृति-मूलक वर्गीकरण का इतना ही उपयोग है कि उससे भाषाओं की रचना के विभिन्न प्रकारों के समझने में कुछ सहायता मिलती है। इस दृष्टि से हमारा विचार यह है कि रचना के आधार पर संसार की भाषाओं के स्वरूप के भेद को ऊपर दिये हुए हमारे वर्गीकरण के सहारे जितनी अच्छी तरह समझा जा सकता है, उतना सब भाषाओं को केवल दो वर्गों में रखकर नहीं।

अयोगात्मक और विभक्तियुक्त भाषाओं के बीच में योगात्मक भाषाओं के रखने से उन दोनों का पारस्परिक भेद बहुत स्पष्टतया दिखाई देने लगता है। किंच, बहुसंश्लेषणात्मक भाषाओं का स्वरूप औरों से इतना पृथक् और विलक्षण है कि उनको औरों के साथ एक ही वर्ग में रखना स्पष्टतः अन्याय्य प्रतीत होता है।

८—आकृति-मूलक वर्गीकरण की उपयोगिता

रचना (या शब्दाकृति) की दृष्टि से भाषाओं के वर्गीकरण से उनकी रचना के समझने में सहायता मिलती है, यह हम ऊपर कह चुके हैं।

तो भी व्यावहारिक दृष्टि से इस वर्गीकरण की बहुत अधिक उपयोगिता नहीं है।

प्रथम तो, संसार की सैकड़ों भाषाओं को केवल तीन वर्गों में बाँटने से उनके स्वरूप के समझने में कोई विशेष सहायता नहीं मिलती, विशेषकर ऐसी दशा में जब कि एक एक वर्ग में परस्पर कोई सम्बन्ध न रखने वाली अनेकानेक भाषाओं को इकट्ठा कर दिया गया है। विभक्ति-युक्त भाषा-वर्ग को छोड़कर, जिसका सम्बन्ध केवल भारत-यूरोपीय और सेमिटिक इन दो भाषापरिवारों से है, अन्य दोनों वर्गों में से प्रत्येक में परस्पर किसी प्रकार का सम्बन्ध न रखनेवाली तथा अत्यन्त भिन्न अनेकानेक भाषाओं का समावेश कर दिया गया है। उपर्युक्त विभक्ति-युक्त दोनों परिवारों में भी परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है। यही नहीं, उनकी रचना कई अंशों में परस्पर अत्यन्त भिन्न भी है।

दूसरा दोष इस वर्गीकरण का यह है कि इसको हम ऐकान्तिक और निश्चित नहीं कह सकते। कुछ भाषायें ऐसी हैं जिनको किसी एक ही वर्ग के अन्दर लाना कठिन है। इसी प्रकार एक-एक वर्ग की भाषा में ऐसे शब्द पाये जाते हैं जिनकी रचना दूसरे वर्गों की रचना के अनुकूल होती है। वस्तुतः भिन्न-भिन्न वर्गों की भाषाओं के बीच में निश्चित सीमा बाँधना कठिन ही नहीं असंभव-सा है। एक ही भाषा में देखा जाता है कि अयोगात्मक, योगात्मक और विभक्ति-युक्त होने के लक्षण पाये जाते हैं। साहित्यिक उन्नति से रहित भाषाओं में तो यह कहना भी प्रायः कठिन होता है कि कहाँ तक उनमें अयोगात्मकता है और कहाँ तक योगात्मकता। हिन्दी जैसी भाषा में भी जब 'का', 'के', 'की' इत्यादि को शब्दों से सटाकर लिखना चाहिये या नहीं? ऐसा प्रश्न उठ सकता है, तब साहित्यहीन और उससे भी अधिक असभ्य जंगलियों की भाषाओं के विषय में तो कहना ही क्या है।

विभक्ति-युक्त भाषाओं में भी जो संश्लेषणात्मकता और विश्लेषणात्मकता का भेद ऊपर किया गया है वह भी आपेक्षिक ही है। यद्यपि इन भाषाओं का भुकाव विश्लेषणात्मकता की ओर है, तो भी कोई ऐसी आधुनिक भाषा नहीं पाई जाती जो सर्वांश में केवल संश्लेषणात्मक या विश्लेषणात्मक कही जा सके।

१०—प्रकृति-प्रत्यय-विवेचन की उपयोगिता

भाषाओं के रचना-मूलक या आकृति-मूलक वर्गीकरण की व्यावहारिक उपयोगिता अधिक न होने पर भी, और भाषाओं के क्रमिक-विकास तथा विभक्तियों और प्रत्ययों की उत्पत्ति के विषय में किसी विशेष सिद्धान्त को दृष्टि में न रखते हुए भी, किसी शब्द की रचना को ठीक-ठीक समझने के लिए यथासंभव उसके मूल-तत्त्व या प्रकृति और साधक अंश या प्रत्यय का विवेचन करना अत्यन्त आवश्यक है। संस्कृत वैयाकरणों ने इस बात को अच्छी तरह अनुभव कर लिया था।^१

‘प्रत्येक भाषा में शब्दों के मूल-तत्त्व या प्रकृति या धातु के विषय में अनुसन्धान करना आवश्यक है। प्रत्येक भाषा अपने प्रारम्भ काल में ‘धातु अवस्था’ में थी, अर्थात् प्रारम्भ-काल में भाषाओं के शब्द प्रकृति और प्रत्यय के योग से न बनकर केवल प्रकृति-रूप ही होते थे; इन्हीं प्रकृतियों में से कुछ दूसरी प्रकृतियों के साथ मिलकर हास होते होते प्रत्यय बन गये’—भाषाओं के विकास के विषय में इस प्रकार के सिद्धान्त के मानने या न मानने से भाषाओं की प्राचीनतम अवस्थाओं के इतिहास के विषय में हमारे अनुसंधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि, जिन भाषाओं में हम प्रकृति-प्रत्यय का विवेचन कर सकते हैं वे कभी ‘धातु-अवस्था’ में रही होंगी—इसका पता शब्दों में प्रकृति-प्रत्यय-विवेचन से कुछ नहीं लग सकता। हम कितने ही पीछे क्यों न लौटें, हमें वे शब्द शुद्ध ‘धातु-अवस्था’ में कभी नहीं मिलते।

उदाहरणार्थ, ‘भरति’ शब्द के विषय में या तो हम कह सकते हैं कि यह गुण करने पर भृ + अ + ति के योग से बना है, या दूसरी संवद्ध भाषाओं के साथ तुलना करके हम कह सकते हैं कि भारत-यूरोपीय मूल-भाषा में इसका रूप $\text{bh}\check{\text{r}}\text{e}\text{ti}$ (भैँ रँ ति) रहा होगा।

१. तु० “नाम च धातुजमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम् । यत्र विशेषपदार्थसमुत्थं प्रत्ययतः प्रकृतेश्च तदूह्यम् ।” (महाभाष्य ३।३।१) ।

“नामान्याख्यातजानीति शाकटायनो नैरुक्तसमयश्च । न सर्वाणीति गार्ग्यौ वैयाकरणानां चैके” (निरुक्त १।१२) । तथा “तद् येषु पदेषु स्वरसंस्कारौ समर्थौ प्रादेशिकेन गुणेनान्वितौ स्याता तथा तानि निव्रूयात् ।” इत्यादि (निरुक्त २।१) ।

इस प्रकार दूसरी संबद्ध भाषाओं की तुलना के सहारे यथासंभव प्राचीनतम रूप तक पहुँचने पर भी हम 'भरति' शब्द को प्रकृति-प्रत्यय-योगात्मक शब्द के रूप में ही पाते हैं। ऐसी दशा में यह कहना कि 'भरति' दो या तीन स्वतन्त्र शब्दों से मिलकर बना होगा—जैसे यह कहना कि 'ति' प्रत्यय का सम्बन्ध 'तद्' शब्द से है^१—कल्पनामात्र है।

—

१. या जैसे यह कहना कि 'पचामि' में 'मि' प्रत्यय का सम्बन्ध 'अस्मद्' शब्द से है।

पाँचवाँ परिच्छेद

—:ॐ:—

भाषा की परिवर्तन-शीलता

१—काल-भेद से भाषा में भेद^१

भाषा की परिवर्तन-शीलता का उल्लेख इस पुस्तक में कई जगह किया जा चुका है और आगे भी किया जायगा। एक साधारण मनुष्य भाषा की परिवर्तन-शीलता को ठीक-ठीक अनुभव नहीं करता। जिस भाषा को वह स्वयं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बोलता है उसी को दूसरे लोग बच्चों से बूढ़ों तक बोलते हुए देखते हैं। इसलिए वह यही समझता है कि भाषा उसी रूप में स्थिर है और आगे भी रहेगी। अपने आस-पास के लोगों की भाषा में अपनी भाषा की समानताओं के साथ-साथ विशेषताओं को देखकर भी वह उन विशेषताओं के कारण की खोज में प्रवृत्त नहीं होता। वह उन स्थानीय रूपों को भी स्थिर और परिवर्तन न होनेवाला ही मान लेता है।

वस्तुतः किसी भाषा की एकता का आधार उसकी अविच्छिन्न परम्परा पर ही होता है। इसी के कारण एक पीढ़ी की भाषा को दूसरी पीढ़ी सीखकर बोलती है। परन्तु भाषा की इस प्रकार अविच्छिन्न धारा के होने पर भी यह नहीं समझना चाहिये कि वह ज्यों की त्यों एक ही रूप में रहती है। जैसे नदी की धारा अविच्छिन्न होने पर भी आगे बढ़ने के साथ-साथ बदलती जाती है, इसी प्रकार भाषा की परम्परा एक रहने पर भी धीरे-धीरे अस्पष्ट रूप से बदलती जाती है। कालान्तर में वही भाषा इतनी परिवर्तित हो जाती है कि उसके एक रूप को जाननेवाला उसके दूसरे रूप को आसानी से नहीं समझ सकता।

१. तु०—“नियतकालाश्च स्मृतयो व्यवस्थाहेतव इति मुनित्रयमतेनाद्यत्वे साध्वसाधुप्रविभागः” (कैयट ५।१।२१)।

कालान्तर में इतना बड़ा भेद एकाएक नहीं हो जाता। उसको समझने के लिए हमें यही मानना पड़ता है कि भाषा परिवर्तन-शील है, अर्थात् उसमें थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन सदा ही होता रहता है। अतः इस परिवर्तन-शीलता को ठीक-ठीक समझने के लिए किसी भाषा के काल-भेद से होनेवाले भिन्न-भिन्न रूपों की परस्पर तुलना करना आवश्यक है। किसी भाषा के एक ही रूप को देखकर उसकी परिवर्तन-शीलता समझ में नहीं आ सकती।

२—भाषा की परिवर्तन-शीलता और प्राचीन परिष्कृत भाषायें

ऊपर एक साधारण मनुष्य की इस दृष्टि का वर्णन किया है कि भाषा में परिवर्तन नहीं होता और वह एक ही रूप में स्थिर रहती है। साधारण मनुष्य की दृष्टि का कारण उसका उस भाषा के भिन्न-भिन्न रूपों से अपरिचय ही होता है। परन्तु भाषा के भिन्न-भिन्न रूपों से परिचय रखनेवाले शिक्षित मनुष्यों में भी यह भ्रम कुछ अंशों में पाया जाता है। संस्कृत, अरबी, लैटिन आदि प्राचीन परिष्कृत भाषाओं को पढ़ने-वाले प्रायः ऐसा समझते हैं कि यद्यपि हिन्दी आदि भाषायें परिवर्तन-शील हैं तो भी संस्कृत आदि भाषायें शाश्वत अर्थात् सदा से एक ही रूप में स्थिर हैं।

प्राचीन परिष्कृत भाषाओं का स्वरूप

साहित्यिक भाषा का सामान्य विचार हम ऊपर (पृ० २५) कर चुके हैं। प्राचीन परिष्कृत या उत्कृष्ट भाषा (Classical language) से आशय ऐसी प्राचीन साहित्य-सम्पन्न भाषा से है जो अपने व्याकरण और लिखितवर्णानुपूर्वी (या हिज्जों) के नियमों से बद्ध होने के कारण चिर-काल तक एक रूप में स्थिर रह सकती है। उच्च कोटि के साहित्य से सम्पन्न होना ऐसी भाषा के लिए आवश्यक है। उसकी स्थिरता का मुख्य कारण भी यही होता है। उपर्युक्त अंशों में बहुत कुछ स्थिरता होने पर भी प्राचीन परिष्कृत भाषाओं के विषय में नीचे लिखी बातों को ध्यान में रखना चाहिये—

(क) प्राचीन परिष्कृत भाषाओं के व्याकरण और वर्ण-विन्यास में चाहे विशेष परिवर्तन न हो तो भी उनके उच्चारण में परिवर्तन कालान्तर में हो ही जाता है।

यदि आज-कल किसी ऐसी भाषा को भिन्न-भिन्न प्रकार से उच्चारण किया जाता है तो यह स्पष्ट है कि वे सब उच्चारण उसके असली या प्राचीन उच्चारण नहीं हो सकते। उदाहरणार्थ, संस्कृत को बङ्गाली, महाराष्ट्री, पञ्जाबी आदि लोग भिन्न-भिन्न प्रकार से उच्चारण करते हैं। उन सबका उच्चारण शुद्ध नहीं हो सकता। इसी प्रकार आज-कल अनेक परिष्कृत 'ष' को 'ख', 'य' को 'ज', 'ज्ञ' को 'ग्य' उच्चारण करते हैं। संस्कृत में प्राचीन उच्चारण के निर्णय करने के लिए प्रातिशाख्य, शिक्षा आदि अनेक प्राचीन साधन हैं। परन्तु अन्य भाषाओं में प्राचीन शुद्ध उच्चारण क्या था, इसका पता लगाना प्रायः कठिन होता है।

साथ ही, यह भी स्मरण रखने की बात है कि प्राचीन परिष्कृत भाषाओं के स्वरूप और शैली पर भी कालकृत परिवर्तन-शीलता का प्रभाव थोड़ा-बहुत पड़े बिना नहीं रहता। पाणिनि-व्याकरण के नियमों से बद्ध संस्कृत को ही लीजिए। उसमें शनैः-शनैः अनेक प्रकार के परिवर्तन हो गये हैं। शब्दों के स्वर के विषय में पाणिनि ने बड़ा भारी प्रकरण दिया है। वह अब प्रयोग-दृष्टि से बिल्कुल लुप्त हो गया है। यही दशा अनेक अंशों में लकारार्थ-प्रक्रिया आदि की है। अनेकानेक 'अपाणिनीय' प्रयोग संस्कृत में प्रचलित हैं। तिङन्त प्रयोगों का स्थान 'क्त', 'क्तवतु' के प्रयोगों ने ले लिया है^१।

(ख) दूसरी बात प्राचीन परिष्कृत भाषाओं के विषय में यह ध्यान में रखनी चाहिये कि यद्यपि वे अपने स्वरूप में चिरकाल से स्थिर हैं

१. तु० "अन्यभाषास्विव संस्कृतेऽपि व्याकरणदृष्ट्या, विशेषतः प्रयुक्ताप्रयुक्त-शब्दराशिदृष्ट्या, शैलीदृष्ट्या च कालक्रमेण जायमानानि परिवर्तनानि कस्य नाम भाषातत्त्वविदो दृष्टिपथं नायान्ति। आस्ता तावद्वैदिकभाषाया वार्ता। पाणिनिमुनिकालादारभ्यैव संस्कृते कियती परिवृत्तिर्दृश्यते ? उदाहरणार्थम्—

वे सदा से ही इस रूप में नहीं रही हैं। प्रत्येक प्राचीन साहित्यिक भाषा का प्रारम्भ किसी रोजमर्रा की सर्वसाधारण की भाषा (अथवा प्राकृतभाषा=प्रकृति, प्रजा या सर्व-साधारण की भाषा) से हुआ है।

जहाँ उसकी मूल-भूत वह सर्व-साधारण की भाषा अविच्छिन्न-प्रवाहिणी नदी के सदृश परिवर्तन के स्वाभाविक नियमों के अनुसार बदलते-बदलते आज-कल की सर्व-साधारण की भाषा के रूप को प्राप्त हो गई है, वहाँ उसका उस समय का परिष्कृत (अथवा संस्कृत=जन-साधारण की भाषा से शिक्षितों द्वारा संस्कार को प्राप्त) रूप कृत्रिम सरोवर के सदृश व्याकरण और साहित्य के प्रभाव से अपने एक रूप में ही स्थिर है। उसकी कृत्रिम स्थिरता से सर्वसाधारण की भाषा की परिवर्तन-शीलता में कोई कमी नहीं आती।

(ग) तीसरी बात इस सम्बन्ध में यह है। साधारण पढ़े लिखे लोगों में यह भ्रम पाया जाता है कि वे आधुनिक हिन्दी, गुजराती आदि भाषाओं को प्राचीन साहित्यिक संस्कृत से निकला हुआ समझते हैं^१। इसी तरह फ़्रेंच, स्पैनिश आदि भाषाओं को प्राचीन

महता प्रयत्नेन पाणिनिमुनिना ग्रन्थीकृतस्य लकारार्थप्रकरणस्य, लौकिक-स्वरप्रकरणस्य च चिरादेव विद्यते नैव कश्चिदपि प्रायोगिक उपयोगः।

नैकेऽपाणिनीयास्ताद्धिता अन्ये च प्रयोगाः प्रायेण दृष्टिपथमायान्ति प्रामाणिकेष्वपि ग्रन्थेषु। 'कालीन' शब्दोऽपाणिनीयोऽपि योगसूत्रव्यास-भाष्ये प्रयुक्तो दृश्यते। 'अधीन' शब्दस्य स्वतन्त्रत्वेनापि प्रयागोऽभ्यनु-ज्ञायतेऽमरसिंहेन। छप्रत्ययस्य ठगादीना चापाणिनीयाः प्रयोगा बहुलमु-पलभ्यन्ते। पञ्चवर्षिक, पाञ्चवर्षिक, पाञ्चवर्षिकेत्यादिशब्दानां साधु-वासाधुत्व-विवेकस्य विद्यते महत्यपेक्षाद्यत्वे।

तिङन्तप्रयोगाणां स्थाने निष्ठाप्रयोगस्य चिराय क्रमशः प्रवर्धमाना शैली कस्याविदिता ?" ('संस्कृतसाहित्यसंमेलन' के २२वें अधिवेशन की 'शिक्षापरिपद्' के सभापति-पद से दिये गये ग्रन्थकर्ता के अभिभाषण से)।

१. तु० "संस्कृतं नाम देवी वागन्वाख्याता महर्षिभिः। तद्भवस्तत्समो देशीत्यनेकः प्राकृतक्रमः।" (काव्यादर्श १।३३)।

साहित्य की लैटिन भाषा से निकला हुआ समझा जाता है। यही नहीं, भाषा-विज्ञान की पुस्तकों में भी प्रायः ऐसा लिखने में आता है। परन्तु वास्तव में कोई सर्व-साधारण की भाषा प्राचीन परिष्कृत भाषा से नहीं निकली है। उसका विकास प्राचीन सर्व-साधारण की भाषा से ही समझना चाहिये।

आज-कल की बोल-चाल की भाषा की अविच्छिन्न परम्परा प्राचीन बोल-चाल की भाषा से ही हो सकती है, न कि प्राचीन साहित्यिक भाषा से। सर्व-साधारण की भाषा में ही स्वाभाविक जीवन और विकास की योग्यता रह सकती है। साहित्यिक भाषा में कृत्रिमता के कारण यह योग्यता नहीं रहती। ऐसा होने पर भी भाषा-विज्ञान की पुस्तकों में—हिन्दी आदि संस्कृत आदि से निकली हैं—ऐसा कहने का कारण यही होता है कि आज-कल की भाषाओं का वास्तविक प्राचीन स्वरूप न मिलने के कारण जो कुछ प्राचीन स्वरूप प्राचीन साहित्यिक भाषाओं में पाया जाता है उसी से काम लिया जावे। भाषा की परिवर्तन-शीलता दिखाने के लिए समय-भेद से उसके भिन्न-भिन्न रूपों को दिखलाना आवश्यक है, यह हम ऊपर कह चुके हैं।

इसलिए—संस्कृत आदि से हिन्दी आदि निकली हैं—ऐसा न कहकर वास्तव में तो हमें यही कहना चाहिये कि संस्कृत आदि साहित्यिक भाषाओं के समय की सर्वसाधारण की भाषाओं से आजकल की सर्व-साधारण की हिन्दी आदि भाषायें निकली हैं।

(घ) यहाँ यह स्मरण रहे कि इस प्रसङ्ग में हम संस्कृत आदि शब्दों का प्रयोग साहित्यिक भाषाओं के लिए ही कर रहे हैं। उस समय की बोलचाल की भाषा को हम संस्कृत आदि नाम न देकर केवल सर्व-साधारण की भाषा (या 'प्राकृत भाषा') ही कहते हैं।

अनेक लोग ऐसा नहीं समझते; वे संस्कृत, लैटिन आदि शब्दों का प्रयोग उस समय की साहित्यिक और सर्व-साधारण की भाषा दोनों के लिये समान रूप से करते हैं। इस आशय में—संस्कृत आदि से हिन्दी आदि का विकास हुआ है—ऐसा कहने में भी कोई आपत्ति नहीं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि कहने वाले को उपयुक्त भ्रम न हो।

(ड) वास्तव में कोई सर्व-साधारण की भाषा प्राचीन परिष्कृत भाषा से नहीं निकली है, उसका विकास प्राचीन सर्व-साधारण की भाषा से ही सम्भूत चाहिये—ऐसा कहने से हमारा यह अभिप्राय कभी नहीं है कि सर्वसाधारण की भाषा पर परिष्कृत भाषा का प्रभाव नहीं पड़ता ।

जैसे परिष्कृत भाषाओं पर सर्व-साधारण की भाषा का प्रभाव पड़ सकता है, इसी तरह सर्व-साधारण की भाषा पर परिष्कृत भाषा का भी प्रभाव पड़ सकता है ।

हिन्दी में सहस्रों तत्सम^१ (=संस्कृत के सदृश) शब्द पाये जाते हैं । आज-कल इनकी संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है । यही दशा और-और अनेक आधुनिक भाषाओं की है । इससे यह स्पष्ट है कि सर्व-साधारण की भाषा पर प्राचीन परिष्कृत भाषा का बहुत कुछ प्रभाव पड़ सकता है ।

(च) किसी भाषा के पूरे जीवन में, जो स्वाभाविक अवस्था में केवल सर्व-साधारण की भाषा में ही पाया जाता है, साहित्यिक भाषा केवल एक अवस्था-विशेष को दिखलाती है । उससे सर्व-साधारण की भाषा की गति रुक नहीं जाती; वह आगे बढ़ती ही रहती है और कालान्तर में दूसरी साहित्यिक भाषा के जन्म का कारण होती है ।

इसलिए एक ही जाति की भाषा के इतिहास में समय-समय पर भिन्न-भिन्न साहित्यिक भाषाये देखी जाती हैं । उदाहरणार्थ, भारतवर्ष की आर्य-भाषा के इतिहास में वैदिक भाषा, संस्कृत भाषा, पालि भाषा, प्राकृत

१. यहाँ 'तत्सम', 'तद्भव' तथा 'देशी' इन शब्दों का अर्थ समझ लेना चाहिये । पृ० ८६ के पाद-टिप्पण में जो श्लोक दिया है उसका अभिप्राय है—महर्षियों ने संस्कृत को देवभाषा कहा है । प्राकृत (=सर्वसाधारण की भारतीय) भाषाओं में कुछ शब्द 'तद्भव' (=उससे अर्थात् संस्कृत से निकले हुए; जैसे 'आश्चर्य' से 'अचरज', या 'लक्षण' से 'लच्छन'), कुछ 'तत्सम' (=संस्कृत के समान; जैसे 'राजा', 'पूजा') और कुछ 'देशी' (अर्थात् ऐसे शब्द जिनका विकास या सम्बन्ध संस्कृत से न होकर किसी संस्कृतेतर प्राचीन भारतीय भाषा से है) होते हैं ।

भाषा और आज-कल की साहित्य की हिन्दी, बँगला आदि अनेक साहित्यिक भाषायें पाई जाती हैं ।

३—भाषा की परिवर्तन-शीलता में भारतीय आर्य-भाषाओं का उदाहरण

सर्व-साधारण की भाषा और प्राचीन परिष्कृत साहित्यिक भाषाओं के सम्बन्ध को ध्यान में रखते हुए और यह समझते हुए कि प्राचीन काल की सर्व-साधारण की भाषा के स्वरूप को थोड़ा-बहुत समझने का साधन प्राचीन लेख ही, जिनमें साहित्यिक भाषा भी सम्मिलित है, हो सकते हैं, यह कहा जा सकता है कि किसी भाषा की परिवर्तन-शीलता को ठीक ठीक समझने के लिए प्राचीन लेखों से बड़ी सहायता मिलती है । किसी भाषा के ऐतिहासिक विकास को समझने के लिए वस्तुतः यही मुख्य साधन है ।

किसी जाति के इतिहास के भिन्न-भिन्न कालों के प्राचीन लेखों को देखने से यह बात तुरन्त स्पष्ट हो जावेगी कि भाषा में अनेक तरह के परिवर्तन धीरे-धीरे होते रहते हैं । व्याकरण, वाक्य-विन्यास, शब्दों का स्वरूप, शब्दों का अर्थ बहुत कुछ बदल जाता है । प्राचीन शब्द प्रयोग में आने बन्द हो जाते हैं । नये शब्द या तो उसी भाषा के आधार पर बनाये जाकर या दूसरी भाषाओं से लिये जाकर प्रयोग में आने लगते हैं ।

उदाहरणार्थ, यदि हम

- (१) ऋग्वेद की एक ऋचा को,
- (२) किसी ब्राह्मण ग्रन्थ के एक वाक्य को,
- (३) वाल्मीकि-रामायण के एक श्लोक को,
- (४) धम्मपद के एक पद को,
- (५) किसी संस्कृत नाटक की एक प्राकृत गाथा को,
- (६) रामचरितमानस की एक चौपाई को, और
- (७) मैथिलीशरण गुप्त के एक पद्य को

लेकर उनकी भाषा की तुलना करें तो यह तुरन्त स्पष्ट हो जायगा कि काल-भेद से भारतवर्ष में आर्य-जाति की भाषा में महान् परिवर्तन होते रहे हैं।

भारतीय आर्य-भाषा के तीन काल

भारतवर्ष में आर्य-जाति की भाषा के इतिहास को मोटी रीति से प्राचीन, मध्य और आधुनिक इन तीन कालों में बाँटा जा सकता है। ऊपर गिनाई गई सात अवस्थाओं में से

प्रथम तीन का समावेश प्राचीन-कालीन भाषा में हो सकता है,

अगली दो का अर्थात् चौथी और पाँचवीं का मध्य-कालीन भाषा में, और

अन्तिम दो का आधुनिक भाषा में समावेश हो सकता है;

(१)

(क) प्राचीन-कालीन भारतीय आर्य-भाषा का स्वरूप संश्लेषणात्मक था, अर्थात् उसमें आज-कल की हिन्दी आदि की तरह विभक्तियों का प्रयोग शब्दों से पृथक् नहीं किया जाता था। इसको उदाहरण द्वारा ऊपर (परि० ४, अधि० ७) स्पष्ट किया जा चुका है। उच्चारण के विषय में, अनेक व्यञ्जनों के क्लिष्ट संयोगों के उच्चारण में कोई असुविधा अनुभव नहीं की जाती थी।

(ख) मध्य-कालीन भारतीय आर्य-भाषा का भी स्वरूप संश्लेषणात्मक ही था। तो भी व्याकरण में बहुत कुछ सरलता आ गई थी। प्रातिपदिकों और धातुओं के रूपों में बहुत कुछ कमी आ गई थी। बड़ा भारी भेद उच्चारण में आ गया था। व्यञ्जनों के क्लिष्ट संयोगों को या तो सरल संयोगों में बदल दिया गया था, या उनके स्थान में एक ही व्यञ्जन उच्चारण किया जाने लगा था। उदाहरणार्थ, पालि में 'धर्म' के स्थान में 'धम्म', 'मृत्यु' के स्थान में 'मच्चु', 'भैषज्य' के स्थान में 'भेसज्ज' बोला जाता था। इसी प्रकार 'स्थगयति' के स्थान में 'थकेति', 'शलक्षणा' के लिए 'सगह' और 'पार्ष्णि' के लिए 'परिह' बोला जाता था।

प्राकृत भाषा में व्यञ्जनों के उच्चारण के विरुद्ध प्रवृत्ति यहाँ तक बढ़ती गई कि अनेक व्यञ्जनोंवाले प्राचीन शब्दों में एक दो व्यञ्जन भी मुश्किल से ही शेष रहे, और प्रायः शब्दों का स्वरूप केवल स्वरमय हो गया। उदाहरणार्थ,

संस्कृत	प्राकृत
यदि	जई (या जदि)
आर्यपुत्र	अज्जउत्त
प्रकाशयति	पत्रासेइ
आगतम्	आअदं (या आगदं)
सकल	सअल

(ग) आधुनिक भारतीय आर्य-भाषाओं में पुरानी संश्लेषणात्मकता के स्थान में विश्लेषणात्मकता बहुत कुछ देखी जाती है। व्याकरण, वाक्य-विन्यास आदि सब कुछ बिलकुल बदल गया है। दूसरी भाषाओं के, सैकड़ों नहीं, सहस्रों शब्द आकर सम्मिलित हो गये हैं।

(२)

भाषा की परिवर्तन-शीलता का यह थोड़ा-थोड़ा नमूना उपर्युक्त तीनों कालों की भाषाओं में दिखला दिया गया है। परन्तु वास्तव में भाषा की परिवर्तन-शीलता भाषा की प्रत्येक अवस्था में पाई जाती है। उदाहरणार्थ, भारतवर्ष में आर्य-जाति की प्राचीन-कालीन भाषा की उपर्युक्त तीनों अवस्थाओं में परस्पर बड़ा अन्तर पाया जाता है। संस्कृत भाषा का सबसे पहला स्वरूप हमको ऋग्वेद में मिलता है।

अनेक विद्वान् वेदों की भाषा को संस्कृत नाम न देकर वैदिक भाषा ही कहते हैं। कालिदास आदि के ग्रन्थों की भाषा को ही वे संस्कृत कहते हैं। भारतवर्ष में प्रायः वैदिक भाषा को 'वैदिक संस्कृत' और पिछली संस्कृत को 'लौकिक संस्कृत' कहा जाता है।

१. संस्कृत भाषा के लिए 'संस्कृत' शब्द का प्रयोग प्राचीन समय में नहीं होता था। पाणिनीय व्याकरण तथा निरुक्त में "पूर्वं तु भाषा-

वैदिक भाषा के अन्दर भी अनेक विद्वानों के मत में कई अवस्थायें पाई जाती हैं; परन्तु यहाँ हम उनका वर्णन न करेंगे। वैदिक भाषा का अन्तिम स्वरूप जो संस्कृत से बहुत कुछ मिलता-जुलता है ब्राह्मण-ग्रन्थों में पाया जाता है। उनकी भाषा वैदिक भाषा और संस्कृत इन दोनों के बीच की दशा में है।

ऋग्वेद की भाषा और लौकिक संस्कृत की तुलना

ऋग्वेद की भाषा की तुलना यदि हम पिछली (या लौकिक) संस्कृत भाषा से करे तो बड़ा भेद दिखाई देगा। अनेक बातें जो ऋग्वेद की भाषा में देखी जाती हैं उनका पिछली संस्कृत में पता भी नहीं।

ऋग्वेदीय भाषा की कुछ मुख्य-मुख्य विशेषतायें यहाँ दिखलाई जाती हैं :—

(क) प्रातिपदिकों और धातुओं के रूपों की बहुतायत तथा अन्य प्रकार से बने हुए शब्दों के रूपों की विभिन्नता जितनी ऋग्वेदीय भाषा में देखी जाती है उतनी पिछली संस्कृत में नहीं।

प्रातिपदिकों की विभक्तियों के रूपों की बहुलता के उदाहरण ये हैं :—

याम्” (अष्टाध्यायी ८।२।६८), “नेति प्रतिषेधार्थीयो भाषायामुभयमन्वध्यायम्” (निरुक्त १।४) इत्यादि स्थलों में लौकिक संस्कृत के लिए ‘भाषा’ शब्द का ही प्रयोग किया गया है। यहाँ ‘भाषा’ शब्द का अर्थ स्पष्टतः ‘बोलने की भाषा’ है। व्याकरण-महाभाष्य में “केषां शब्दानाम् । लौकिकानां वैदिकानां च” (प्रथम आह्निक के प्रारम्भ में) इत्यादि स्थलों में ‘वैदिक’ तथा ‘लौकिक’ शब्दों से वैदिक संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत का ही अभिप्राय है।

ऋग्वेद के अनुसार

कालिदास आदि की
संस्कृत के अनुसार

मर्त्यासः, मर्त्याः
देवासः, देवाः
अग्नौ, अग्ना
पूर्वेभिः, पूर्वेः
देवेभिः, देवैः

मर्त्याः
देवाः
अग्नौ
पूर्वेः
देवैः

धातुओं के रूपों की बहुलता तो ऋग्वेदीय भाषा में इससे भी अधिक है। इसका सबसे मुख्य उदाहरण यह है कि लेट् लकार जिसका ऋग्वेद में प्रायः प्रयोग किया गया है पिछली संस्कृत में बिलकुल नहीं आता। इसके अतिरिक्त और भी अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं; जैसे :—

ऋग्वेद		लौकिक संस्कृत
इमसि, इमः	=	इमः
स्मसि, स्मः	=	स्मः
यातन, यात	=	यात
शये	=	शेते
ईष्टे, ईशे, ईशते	=	ईष्टे
श्रुधि, शृणुधि, } शृणुहि, शृणु }	=	शृणु

(ख) एक बड़ी विशेषता यह है कि जहाँ पिछली संस्कृत में भाव-वाचक 'कर्तुम्', 'पठितुम्' इत्यादि शब्दों में केवल एक 'तुम्' प्रत्यय देखा जाता है, वहाँ ऋग्वेद में उसके स्थान में 'असे', 'तवै', 'ध्यै' इत्यादि अनेक प्रत्यय देखे जाते हैं; जैसे 'जीवसे', 'एतवै', 'पातवै', 'चरध्यै' 'गमध्यै' इत्यादि।

१. दे० "लिङ्गर्थे लेट्", "उपसंवादाशङ्कयोश्च" (अष्टाध्यायी ३।४। ७-८)। अर्थात्, जिन अर्थों में लिङ् लकार होता है उन्हीं अर्थों में, तथा पणवन्ध (= शर्त करना) और आशङ्का के अर्थों में भी वेद में लेट् लकार का प्रयोग होता है। लेट् लकार के कुछ उदाहरण ये हैं :—तारिषत्, जोषिषत्, यताति, भवाति, मादयैते, ईशै, पताम।

उपर्युक्त थोड़े उदाहरणों से ही, भारतीय आर्य भाषा की दो अवस्थाओं में व्याकरण की दृष्टि से कितना भेद है, यह स्पष्ट हो गया होगा ।

(ग) इसी प्रकार अनेक शब्द जो वैदिक भाषा में पाये जाते हैं पिछली संस्कृत में या तो मिलते ही नहीं या दूसरे अर्थों में प्रयुक्त किये गये हैं^१ ।

पिछली संस्कृत में जो शब्द नहीं मिलते ऐसे वैदिक शब्दों के कुछ उदाहरण ये हैं :—

दर्शत	=	दर्शनीय, सुन्दर
दृशीक	=	सुन्दर, दर्शनीय
रपस्	=	चोट, दुर्बलता, रोग
अमूर	=	बुद्धिमान्
मूर	=	मूढ
ऋदूदर	=	कोमलाशय, दयालु
अक्तु	=	रात्रि; अन्धकार; रश्मि
अमीवा	=	व्याधि, रोग

ऐसे वैदिक शब्दों के उदाहरण जो पिछली संस्कृत में दूसरे अर्थों में आते हैं ये हैं :—

वैदिक अर्थ 'पिछली' संस्कृत में अर्थ^२

अराति	=	शत्रुता; कृपणता	शत्रु
वध	=	कोई भयङ्कर हथियार	मार डालना
मृडीक	=	कृपा, अनुग्रह	शिवजी का नाम
न	=	जैसे; नहीं	नहीं
अरि	=	ईश्वर, धार्मिक; शत्रु	शत्रु
क्षिति	=	{ निवासस्थान, गृह, वस्ती; मनुष्य	{ पृथ्वी

१. तु०—“अथापि भापिकेभ्यो धातुभ्यो नैगमाः कृतो भाष्यन्ते । दमूनाः । क्षेत्रसाधाइति । अथापि नैगमेभ्यो भाषिकाः । उष्णम् । धृतमिति । (निरुक्त २।२)

४—भाषा की परिवर्तन-शीलता में अंगरेज़ी का उदाहरण

इसी प्रकार यदि हम अंगरेज़ी भाषा में

- (१) ब्योवुल्फ (Beowulf, समय लगभग सातवीं ईसवी शताब्दी या इससे पूर्व) नामक काव्य के एक पद्य को,
- (२) चासर (Chaucer, १३४०--१४०० ईसवी) नामक कवि के एक पद्य को,
- (३) महाकवि शेक्सपियर (Shakespeare, १५६४--१६१६ ईसवी) के गद्य या पद्य को, और अन्त में
- (४) राजकवि टेनिसन (Tennyson, १८०६--१८६२) के एक पद्य को

लेकर उनकी तुलना करें तो काल-भेद से एक ही भाषा में होनेवाले परिवर्तन और भी अच्छी तरह हृदयंगम हो जावेंगे । इसका कारण यह है कि जहाँ संस्कृत-ग्रंथों के ऐतिहासिक समय और क्रम में प्रायः अनेक सन्देह हो सकते हैं वहाँ अंगरेज़ी-ग्रन्थों के लेखकों का समय बहुत कुछ निश्चितसा है ।

उपर्युक्त तुलना करने पर, यदि हमने अच्छे प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से अंगरेज़ी का अध्ययन नहीं किया है, तो शायद ब्योवुल्फ तो विलकुल समझ में ही न आवेगा । चासर कुछ-कुछ समझ में आवेगा । शेक्सपियर बहुत अंश तक समझ में आ जावेगा, यद्यपि उसकी भाषा स्पष्टतया टेनिसन की भाषा से पुरानी प्रतीत होगी । साथ ही, यदि इन सबको हम शुद्ध अर्थात् ठीक ठीक उनके अपने अपने समय के उच्चारण के अनुसार पढ़ें तब तो उनकी भाषाओं में परस्पर भेद और भी अधिक दीख पड़ेगा । काल-भेद से कम से कम भाषा के उच्चारण में तो भेद अवश्य पड़ ही जाता है, यह हम ऊपर कह चुके हैं ।

अधिक पुरानी अंगरेज़ी का तो कहना ही क्या, शेक्सपियर के समय के उच्चारण में और आज-कल के अंगरेज़ी के उच्चारण में बड़ा भेद हो गया है । एक विद्वान् का कहना है कि यदि शेक्सपियर आजकल की तरह अपने नाटकों को किसी मनुष्य द्वारा पढ़ते हुए सुन सके तो वह

शायद ही पहिचान सकेगा कि यह उसी की भाषा है। इस कारण से यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि वर्ण-विन्यास या हिज्जों के एकसे रहने पर भी यह आवश्यक नहीं कि उच्चारण भी एकसा ही हो।

काल-भेद से उच्चारण में वस्तुतः भेद हो जाता है, इसका एक प्रमाण इसी बात से मिलता है कि अनेक भाषाओं में शब्दों के लिखने और बोलने का स्वरूप प्रायः एकसा या अभिन्न नहीं होता। इस अभिन्नता के अभाव का कारण, जैसा पहले हम बतला चुके हैं, यही है कि उन भाषाओं में लिखना तो पुराने उच्चारण के अनुसार ही रहता है और उच्चारण बदलता रहता है। अंगरेज़ी भाषा इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है। इसके हिज्जे बड़े विचित्र होते हैं। कई वर्ण लिखे जाते हैं, पर उच्चारण नहीं किये जाते। उदाहरणार्थ, daughter (=डॉटर) शब्द में gh का उच्चारण नहीं किया जाता। इसका कारण बहुत लोग नहीं जानते। वास्तव में, जैसा ऊपर (पृ० ४१) कहा है, इसका कारण यही है कि पुराने समय में gh का उच्चारण किया जाता था। इस बात की पुष्टि इसके सम्बन्धी जर्मन Tochter (टॉख्टर), ग्रीक thugater, फ़ारसी 'दुख्तर' और संस्कृत 'दुहिता' इन शब्दों से होती है। इन शब्दों में अंगरेज़ी शब्द के अनुचरित gh के स्थान में कोई न कोई कण्ठ-स्थानीय व्यञ्जन अवश्य बोला जाता है।

५—स्थानभेद से भाषा में भेद'

भाषा की परिवर्तन-शीलता को हम दो प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं:—

१. तु०—“सर्वे देशान्तरे । सर्वे खल्वप्येते शब्दा देशान्तरे प्रयुज्यन्ते । न चैत उपलभ्यन्ते । उपलब्धौ यत्नः क्रियतां महान्दि शब्दस्य प्रयोगविषयः । सप्त-द्वीपा वसुमती त्रयो लोकाः.....एतावन्तं शब्दस्य प्रयोगविषयमनुनिशम्य सन्त्यप्रयुक्ता इति वचनं केवलं साहसमात्रम् । एतस्मिन्नतिमहति शब्दस्य प्रयोगविषये ते ते शब्दास्तत्र तत्र नियतविषया दृश्यन्ते । तद्यथा । शवतिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाषितो भवति विकार एनमार्या भाषन्ते शव इति । हम्मतिः सुराष्ट्रेषु रंहतिः प्राच्यमध्येषु गमिमेव त्वार्याः प्रयुज्यते । दातिर्लव्नार्थं प्राच्येषु दात्रमुदीच्येषु ।” (महाभाष्य, प्रथमाह्निक) ।

(१) एक तो किसी भाषा के प्राचीन लेखों के आधार पर उसकी भिन्न-भिन्न काल की अवस्थाओं की परस्पर तुलना करने से, और,

(२) दूसरे, परस्पर अनेक प्रकार को समानता रखनेवाली अतएव परस्पर सम्बन्ध रखनेवाली भिन्न-भिन्न स्थानीय, प्रान्तीय, तथा भिन्न-भिन्न जातियों की भाषाओं की परस्पर तुलना से ।

जैसे एक ही भाषा के काल-भेद से भिन्न-भिन्न स्वरूपों का कारण उसकी परिवर्तन-शीलता है; इसी प्रकार एक ही भाषा-परिवार से संबद्ध भाषाओं के स्थान-भेद से पाये जानेवाले विभिन्न स्वरूपों का कारण भाषा की परिवर्तन-शीलता ही हो सकती है । उनका विकास किसी एक ही मूल-भाषा से न माना जावे तो हम इसका कारण नहीं बतला सकते कि कुछ समानतायें उनमें ही क्यों पाई जाती है, दूसरी भाषाओं में क्यों नहीं ? विशेषकर जब कि एक एक परिवार की भाषाएँ बड़ी दूर-दूर तक फैली हुई हैं, और बीच-बीच में भिन्न-भिन्न भाषा-परिवारों का संपर्क है । वस्तुतः भाषा-परिवारों की कल्पना ही नहीं की जा सकती जब तक हम इस बात को न मान लें । ऐसा मान लेने पर, एक मूल-भाषा से अनेक भाषाओं का निकलना भाषा की परिवर्तन-शीलता को स्वीकार किये बिना हो ही नहीं सकता ।

जिन भाषाओं का इतिहास मिलता है उनके इतिहास में जितना ही हम पीछे लौटते हैं हमको उतनी ही उनके प्रान्तीय आदि भेदों में कमी मिलती है । उदाहरणार्थ, एक समय ऐसा था जब कि हिन्दी, बँगला, गुजराती आदि भाषाओं में परस्पर इतना गहरा भेद न था जितना आज कल है । इससे भी स्थानभेद से भाषाभेद का कारण भाषा की परिवर्तन-शीलता ही हो सकती है, यही बात सिद्ध होती है ।

स्थान-भेद से भाषा-भेद को जितना किसी भाषा के स्थानीय और प्रान्तीय भेदों को देखकर समझा जा सकता है उतना, एक भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखने पर भी, भिन्न-भिन्न जातियों की भाषाओं के भेद से नहीं समझा जा सकता । स्थानीय और प्रान्तीय भेदों को हम प्रायः प्रतिदिन अनुभव करते हैं । उनको थोड़ा-बहुत समझ भी सकते हैं । उनका परस्पर सम्बन्ध भी स्पष्ट ही होता है । भिन्न-भिन्न जातियों की भाषाओं में, उनके परिवार के एक होने पर भी, हमको

प्रथम तो यही पता लगाना होता है कि वे परस्पर सम्बन्ध भी रखती हैं या नहीं। इस कारण से यहाँ हम भाषा के स्थानीय और प्रान्तीय भेदों का ही मुख्यतया वर्णन करेंगे।

भाषाओं के स्थानीय भेद

(Local Dialects)

कहावत है कि कुछ कोसों के बाद भाषा बदल जाती है। काल-भेद से भाषा-भेद को सिद्ध करने के लिए हमको प्राचीन लेखों की आवश्यकता होती है; परन्तु स्थान-भेद से भाषा में भेद हो जाता है, इस बात को देखने के लिए हमें प्राचीन लेखों की अपेक्षा नहीं होती। यदि हम कोष और व्याकरण को, जिनका सम्बन्ध सर्व-साधारण की भाषा से नहीं होता, एक तरफ रखकर सर्व-साधारण की नित्य बोल-चाल की भाषा को ध्यान से देखें तो हमको उसमें अनेक स्थानीय भेद प्रतीत होंगे। अपने आस-पास के दो-चार जिलों की सर्व-साधारण की भाषाओं की तुलना करने से यह बात सबको स्पष्ट हो जावेगी। प्रायः देखा जाता है कि उच्चारण या लहजे की थोड़ी विशेषता या किसी विशेष शब्द या वाक्यांश के प्रयोग से वक्ता का जिला ही नहीं किन्तु कभी-कभी नगर भी ज्ञात हो जाता है। प्रान्त का जानना तो कोई कठिन बात नहीं।

स्थानीय बोलियों पर शिक्षितों की भाषा का प्रभाव

सर्व-साधारण में शिक्षा का अधिक या अनिवार्य रीति से प्रचार हो जाने से भाषा के स्थानीय भेदों पर बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है।

भारतवर्ष में शिक्षा के बहुत अधिक प्रचरित न होने से अभी तक ठीक-ठीक इस प्रभाव के स्वरूप को हम अनुभव नहीं कर सकते। परन्तु यूरोप आदि के उन देशों में जहाँ शिक्षा सबके लिए आवश्यक और अनिवार्य है और जहाँ प्रत्येक बच्चे को पाठशाला जाकर शिक्षित लोगों की प्रधान भाषा (Standard language) को सीखना पड़ता है भाषा के स्थानीय भेद धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। स्थानीय उच्चारण, लहजा, शब्द और मुहाविरा इन सबकी असभ्य या ग्रामीण कहकर हँसी

की जाती है। इस प्रकार प्रत्येक आगे आनेवाली पीढ़ी की भाषा शिक्षित लोगों की प्रधान भाषा के अनुकूल होती जा रही है।

परन्तु शिक्षा का बहुत कुछ प्रभाव होने पर भी यह न समझना चाहिये कि स्थानीय भेदों का कुछ भी चिह्न नहीं रहा है। जिस प्रकार दिल्ली के आस-पास के लोगों द्वारा और बनारस के आस-पास के लोगों द्वारा बोली जानेवाली प्रधान भाषा हिन्दुस्तानी या हिन्दी में थोड़ा भेद होता ही है, इसी प्रकार, इंग्लैण्ड में शिक्षा के अनिवार्य होने पर भी, डेवनशाइर और नार्दम्बरलैण्ड में बोली जानेवाली अंगरेजी में अब भी भेद रहता ही है। यह भेद केवल ग्रामीणों की भाषा में ही नहीं, अच्छे शिक्षित शहरी लोगों की भाषा में भी थोड़ा-थोड़ा पाया जाता है। यही दशा यूरोप के दूसरे देशों में है। फ्रांस देश के उत्तर में और पूर्व-दक्षिण में बोली जानेवाली भाषा में अब भी भेद है। इटली के पश्चिमोत्तर में बोली जानेवाली भाषा में इसी प्रकार अब भी दक्षिण की भाषा से भेद पाया जाता है।

स्थानीय बोलियाँ तथा प्रधान भाषा

ऊपर यह दिखाया गया है कि स्थानीय बोलियों पर शिक्षित लोगों की प्रधान भाषा का कहाँ तक प्रभाव पड़ सकता है। इन दोनों के स्वरूप और स्वभाव को अच्छी तरह समझ लेना चाहिये।

(क) दो पड़ोसी प्रान्तों या देशों की प्रधान भाषाओं में, उनके एक भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखने पर भी, बड़ा भेद हो सकता है। परन्तु उनकी स्थानीय बोलियों में, यदि वे एक ही भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखती हैं, जो भेद होंगे वे बहुत करके, एकाएक न होकर, धीरे-धीरे ही दीख पड़ेंगे। दूसरे शब्दों में, जैसे कालभेद से भाषा के भेद में भाषा की अविच्छिन्न परम्परा होती है, इसी तरह स्थान-भेद से भाषा-भेद में भी प्रायः अविच्छिन्न धारा दीख पड़ती है। दो देशों या प्रान्तों की भाषाओं में जितना ही अधिक सम्बन्ध होगा उतना ही धीरे-धीरे एक प्रान्त या देश से दूसरे प्रान्त या देश में जाते हुए उनकी स्थानीय बोलियों में परस्पर भेद दीख पड़ेगा। ऐसी दशा में सीमा के दोनों ओर आस-पास की स्थानीय बोलियों को किस प्रान्त या देश

की भाषा कहा जाय यह निर्णय करना कठिन होगा । नीचे लिखे उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जायगी ।

जब हम मराठी और हिन्दी की तुलना करते हैं तब हमारा आशय प्रायः साहित्य में प्रयुक्त शिक्षित लोगों की प्रधान मराठी तथा हिन्दी से होता है । इन दोनों भाषाओं के साहित्य में प्रयुक्त स्वरूपों में चाहे कितना भेद हो, इन भाषाओं की सीमा में जहाँ वे मिलती हैं उतना भेद नहीं मिलेगा । उन स्थानों में जो मध्य-प्रान्त में हिन्दी और मराठी की सीमा पर अवस्थित हैं जो स्थानीय बोलियाँ बोली जाती हैं वे आपस में इतनी भिन्न नहीं हैं जितनी प्रधान मराठी और हिन्दी । यही बात हिन्दी और हिन्दी की पड़ोसी दूसरी प्रान्तीय आर्य-भाषाओं के विषय में जाननी चाहिये ।

यही दशा फ्रेंच और इटैलियन भाषाओं की है । फ्रांस और इटली देशों की भाषाओं की तुलना करते समय हमारा आशय प्रायः इनकी प्रधान भाषाओं से होता है । इन दोनों में जितनी समानता दीख पड़ती है उससे बहुत अधिक फ्रांस के पूर्व-दक्षिण के और इटली के पश्चिमोत्तर के ग्रामों की स्थानीय बोलियों में पाई जाती है । वस्तुतः यदि हम इन देशों की आधुनिक प्रधान भाषाओं की अपेक्षा करके केवल उन ग्रामों की स्थानीय बोलियों पर ही दृष्टि रखें तो उनका फ्रेंच और इटैलियन इन दो वर्गों में बाँटना कठिन हो जावेगा ।

(ख) कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि एक प्रान्त या देश में ऐसी भी स्थानीय बोलियाँ पाई जाती हैं जिनका सम्बन्ध उस देश या प्रान्त की भाषा की अपेक्षा पड़ोस के देश या प्रान्त की भाषा से अधिक होता है । इसका कारण स्पष्ट है । देशों या प्रान्तों की सीमा का निर्धारण सदा भाषा के विचार से ही नहीं होता । उसमें और भी अनेक कारण हो सकते हैं । इसलिए प्रायः ऐसा होता है कि एक देश या प्रान्त में बहुत-सा भाग ऐसा सम्मिलित कर दिया जाता है जिस भाग की भाषा वस्तुतः समीपवर्ती दूसरे देश या प्रान्त की भाषा से अधिक मिलती है । उदाहरणार्थ, पञ्जाब प्रान्त में पूर्व-दक्षिण के कई जिले ऐसे सम्मिलित हैं जिनकी भाषा पञ्जाबी की अपेक्षा हिन्दी से बहुत अधिक मिलती है ।

यही दशा जर्मन देश के उत्तर में बोली जानेवाली स्थानीय बोलियों की है। प्रधान जर्मन भाषा और प्रधान डच भाषा (=हालैण्ड देश की भाषा) में अच्छा खासा भेद है। परन्तु उत्तरीय जर्मन बोलियाँ ज्यादातर प्रधान जर्मन भाषा की अपेक्षा डच भाषा से अधिक मिलती-जुलती हैं। आज-कल की प्रधान जर्मन भाषा का आधार दक्षिण जर्मनी की भाषा है। यही साहित्य की, राष्ट्र की और पाठशालाओं में पढ़ाई जानेवाली भाषा है। इसलिए उत्तर जर्मनी के ग्रामों के रहनेवाले बच्चों को भी पाठशालाओं में तो यही भाषा सीखनी पड़ती है; परन्तु साधारणतया उनकी स्थानीय बोलियाँ डच भाषा से अधिक समानता रखती हैं। यदि हम पाठशालाओं में पढ़ाई जानेवाली भाषा पर ध्यान न दें तो लगभग उत्तरी जर्मनी की समस्त स्थानीय बोलियों की डच भाषा के साथ एक भाषा में गणना की जावेगी, और प्रधान जर्मन भाषा की गणना उससे भिन्न भाषा में होगी।

(ग) कभी-कभी इस तरह कुछ स्थानीय बोलियों में और उस देश या प्रान्त की प्रधान भाषा में साक्षात् सम्बन्ध न होने पर भी, साधारणतया भिन्न-भिन्न स्थानीय बोलियों को एक-सूत्र में बाँधनेवाली प्रधान भाषा ही होती है। उसी के आधार पर उनको दूसरी स्थानीय बोलियों से अलग करके एक नाम दिया जाता है। भाषाओं की तुलना करने में प्रधान भाषाओं का ही सहारा लिया जाता है, यह हम ऊपर कह चुके हैं। प्रधान भाषा की प्रधानता का कारण यही होता है कि वह पढ़े-लिखों की भाषा होती है; उसमें कुछ न कुछ साहित्य होता है; उसको प्रायः राज्य भाषा का पद भी प्राप्त होता है।

(घ) परन्तु भाषा-विज्ञान की दृष्टि से कुछ स्थानीय बोलियों को उनकी विशेष समानताओं के कारण इकट्ठा करके, उनमें विशेष साहित्य के न होने पर भी, एक नाम दिया जा सकता है। इस नाम के लिए लोक-प्रसिद्ध होना भी आवश्यक नहीं। उदाहरणार्थ, बिहारी, राजस्थानी ये नाम भिन्न-भिन्न स्थानीय बोलियों के वर्गों के रख लिये गये हैं। बिहारी आदि में कोई विशेष साहित्य नहीं है। ये नाम अति प्रसिद्ध भी नहीं हैं।

६—स्थान-भेद से भाषाओं में भेद की मात्रा उनके सम्बन्ध के कम या अधिक होने पर निर्भर होती है ।

ऊपर कहा गया है कि भाषा में स्थान-भेद से थोड़ी-थोड़ी दूर पर भेद हो जाता है, साथ ही यह भेद एकाएक न होकर धीरे-धीरे होता है । परन्तु ये बातें सर्वदा एक-सी नहीं पाई जातीं । अनेक दशाओं में थोड़ी दूर पर ही भाषा में अधिक भेद हो जाता है, और अनेक दशाओं में बहुत कम । प्रायः ऐसा भी होता है कि एक प्रान्त या देश की सीमा के उल्लङ्घन करने पर हम एक ऐसी भाषा को पाते हैं जो उस प्रान्त या देश की भाषा से कुछ भी समानता या सम्बन्ध नहीं रखती । इन बातों का कारण भाषाओं में कम या अधिक सम्बन्ध का होना या न होना ही है ।

स्पष्टीकरणार्थ, यदि एक निरीक्षक भारतवर्ष या यूरोप में पैदल एक ग्राम से दूसरे ग्राम को पार करता हुआ यात्रा करे तो उसे एक दिन की यात्रा में प्रायः बोलियों का भेद प्रतीत हो जायगा । परन्तु कभी-कभी उसे प्रतिदिन की अपेक्षा अधिक स्पष्ट भेद प्रतीत होगा । ऐसा तब होगा जब वह एक भाषा की दो विभिन्न बोलियों की सीमा को या दो स्वतन्त्र भाषाओं की सीमा को पार करेगा । दो भाषाओं की सीमा के पार करने पर जो परस्पर भेद दीख पड़ेगा वह एक भाषा की ही दो विभिन्न बोलियों की सीमा पर पाये जानेवाले भेद से बहुत अधिक स्पष्ट होगा, चाहे वे दोनों भाषायें परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध रखती हों ।

यह भेद और भी अधिक होगा जब कि दोनों भाषायें परस्पर दूर का सम्बन्ध रखती हैं; जैसे पञ्जाबी और काश्मीरी या पश्तो, फ्रेंच और जर्मन, जर्मन और पोलिश, अंगरेजी और वेल्श ।

अन्त में, ऐसा भी हो सकता है कि उस यात्री को ऐसी दो भाषाओं की सीमा को पार करना पड़े जिनका आपस में किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है; जैसे सिहली और तामिल, मराठी और कनारी, पहाड़ी और अनार्य पर्वती बोलियाँ ।

ऊपर भिन्न-भिन्न भाषाओं की सीमा का कथन किया गया है । दो भाषाओं की सीमा के कहने से यह भ्रम हो सकता है कि उनकी सीमा

निर्धारित है और उन भाषाओं का परस्पर सम्बन्ध और उसका तारतम्य भी निश्चित है। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है।

भाषाओं का परस्पर सम्बन्ध और उनकी सीमा का निर्धारण स्वयं-विदित नहीं होता; किन्तु भाषा-विज्ञानी को बड़े श्रम से उनकी समानताओं और भेदों की परीक्षा करके निश्चित करना पड़ता है।

एक भाषा की सीमा के उल्लङ्घन करने पर जितना ही अधिक भेद दूसरी भाषा में पाया जायगा उतना ही सम्बन्ध उनका परस्पर कम होगा। यदि एक निरीक्षक एक ग्राम से दूसरे ग्राम में होता हुआ एक सहस्र कोस तक यात्रा करता चला जावे और उसको स्थानीय बोलियों में कहीं सहसा अधिक भेद प्रतीत न हो तो यही समझना होगा कि वे स्थानीय बोलियाँ परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध रखती हैं। ऐसी दशा में भी जहाँ से उसने यात्रा आरम्भ की थी और जहाँ समाप्त की उन दोनों स्थानों की बोलियों में बड़ा भेद होगा।

७—इतिहास और भाषाओं के सम्बन्ध का निर्धारण

सामान्य रूप से भाषाओं के परस्पर सम्बन्ध के निर्णय करने के लिए यही साधन होता है कि हम उनका तुलनात्मक अध्ययन करें और इस प्रकार से उनकी समानताओं और भेदों को देखें। कभी-कभी इस प्रकार के निर्णय में इतिहास का साक्ष्य भी मिल जाता है जिससे बड़ी सहायता मिलती है।

इतिहास द्वारा भाषाओं की समानता आदि के विषय में असली कारणों के मिल जाने से हमारे निर्णयों में पूरी दृढ़ता आ जाती है।

उदाहरणार्थ, फ्रेंच, अंगरेजी और जर्मन भाषाओं की समानता आदि के देखने से यह प्रतीत होता है कि फ्रेंच भाषा का प्रभाव जर्मन भाषा की अपेक्षा अंगरेजी पर बहुत अधिक पड़ा है। इतिहास में यह पढ़कर कि फ्रांस और इंग्लैण्ड का कई प्रकार से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है, और नार्मन लोगों ने फ्रांस से जाकर ग्यारहवीं शताब्दी (१०६६ ईसवी) में इंग्लैण्ड का विजय कर वहाँ बहुत दिनों तक फ्रेंच भाषा की प्रधानता स्थापित की उपर्युक्त प्रतीति में पूरी दृढ़ता आ जाती है।

इसी प्रकार लैटिन भाषा से निकली हुई फ्रेंच, स्पैनिश आदि भाषाओं में, जिनको रोमांस भाषाओं के नाम से कहा जाता है, जो परस्पर समानतायें दीख पड़ती हैं और उनका प्राचीन लैटिन भाषा से जो सम्बन्ध है इन सबका ठीक ठीक समाधान तथा दृढ़ीकरण प्राचीन रोमन साम्राज्य के इतिहास से हो जाता है।

परन्तु इतिहास की सहायता सदा नहीं मिलती। ऐसी अवस्था में जब कि इतिहास का साक्ष्य नहीं मिल सकता, भाषाओं के सम्बन्ध आदि के समझने में हमें दूसरे देशों के भाषा-सम्बन्धी इतिहास से, सादृश्य के नियम के आधार पर, बहुत कुछ सहायता मिल सकती है।

उदाहरणार्थ, जहाँ एक ओर भारतीय आर्य-भाषाओं का फारसी, आर्मीनियन और अनेक यूरोपीय भाषाओं से सम्बन्ध स्पष्ट है, वहाँ दूसरी ओर उनका दक्षिण, पूर्व और उत्तर-पूर्व की अनार्य भाषाओं से कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई देता। इसका कारण अनेक विद्वानों की दृष्टि में यही हो सकता है कि हम दूसरे देशों की भाषाओं के इतिहास के सादृश्य पर यह कल्पना करें कि भारतीय आर्य उत्तर-पश्चिम से भारतवर्ष में आये थे। इस कल्पना का आधार सिवाय उपर्युक्त सादृश्य के और कुछ नहीं है, क्योंकि न तो यह बात किसी सम-कालीन इतिहास में वर्णित है, और न अब तक प्राप्त हुए किसी स्मारक में ही अङ्कित है।

८—भाषाओं के परिवर्तन की गति

भाषा परिवर्तन-शील है; परन्तु उसके परिवर्तन की गति सर्वत्र और सदा एकसी नहीं होती। परिवर्तन के सहायक कारणों की परिस्थिति का सर्वत्र एक-सा न होना ही इसका कारण है।

इसी लिए एक ही मूल-भाषा से निकली हुई भाषाओं में कोई प्राचीन रूप से बहुत परिवर्तित हो जाती हैं, और कोई औरों की अपेक्षा उसके अधिक समीप या सदृश होती हैं। इसी कारण भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की भाषाओं में किसी में विश्लेषणात्मकता के लक्षण कम और किसी में अधिक पाये जाते हैं। इसी कारण से एक ही देश की भाषा के इतिहास में कभी थोड़े काल में ही बहुत परिवर्तन हो जाता है, और कभी-कभी चिरकाल तक वह लगभग एक ही स्वरूप में स्थिर रहती है

उदाहरणार्थ, अंगरेजी भाषा के इतिहास में पिछले तीन सौ वर्षों में जितना परिवर्तन हुआ है वह उनसे पहले ५०० वर्षों में होनेवाले परिवर्तन से बहुत कम है। उन ५०० वर्षों से भी पहले ५०० सालों में तो इसका परिवर्तन बहुत ही अधिक हुआ था। इसी दृष्टि से आधुनिक जर्मन भाषा आधुनिक अंगरेजी से अधिक प्राचीन ढंग की है। आइसलैंड की भाषा तो और भी कहीं अधिक प्राचीनता को लिये हुए है। इसी तरह आधुनिक ग्रीक भाषा प्राचीन ग्रीक भाषा से इतनी परिवर्तित नहीं है जितनी आज-कल की रोमांस भाषायें प्राचीन लैटिन से। दूर जाने की आवश्यकता नहीं। हमारी आधुनिक भारतीय आर्य-भाषाओं में ही सबके परिवर्तन की गति एकसी नहीं रही है। उदाहरणार्थ, बंगला में हिन्दी की अपेक्षा स्पष्टतया प्राचीनता की झलक अधिक है।

जिस भाषा में अपने ही परिवार से सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी भाषाओं की अपेक्षा, व्याकरणादि की दृष्टि से, प्राचीनता की झलक अधिक पाई जाती है उसको औरों की अपेक्षा अधिक प्राचीन ढङ्ग की भाषा (या प्राचीन-लक्षण-संपन्न भाषा = Archaic Language) कहा जाता है।

८—भाषा के विकास और परिवर्तन के प्रकार^१

बाह्य (या श्रवणीय या शब्द) और आभ्यन्तर (या अर्थ) भेद से भाषा के दो रूप हैं। इसलिए भाषा की वृद्धि, विकास या परिवर्तन भी सामान्यतः दो प्रकार का होना चाहिये।

(क) भाषा के बाह्य रूप में विकास और परिवर्तन

(१) नूतन-शब्द-निर्माण

भाषा के बाह्य रूप में वृद्धि का सबसे पहला कारण बिल्कुल नये शब्दों का निर्माण हो सकता है। भाषा की प्रारम्भिक अवस्था में अनुकरण-

१. यह ध्यान में रखने की बात है कि इस अधिकरण में भाषा के विकास और परिवर्तन के केवल प्रकारों की व्याख्या की गई है; कारणों की नहीं। कारणों की व्याख्या अगले परिच्छेद में की जायगी।

सूत्रक जैसे शब्दों द्वारा भाषा के विकास का उल्लेख आगे (परिच्छेद ८ में) किया जायगा ।

उनके अतिरिक्त और भी ऐसे शब्द कल्पित किये जा सकते हैं जो एकान्ततः नये हों^१ । gas (गैस) शब्द ऐसा ही है (देखो पृ० ५८) ।

परन्तु उक्त प्रकार के शब्दों का निर्माण किसी भाषा की ऐतिहासिक अवस्था में बहुत कम देखा जाता है । इसका कारण और प्रकारों से शब्दों के निर्माण में अधिक सरलता का होना ही है ।

सभ्यता के विकास और विद्या की वृद्धि के कारण तथा अनेक प्रकार की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक नवीन परिस्थितियों के कारण प्रत्येक भाषा के इतिहास में, उसके अपने ही स्वभाव और प्रवृत्ति के आधार पर, नवीन शब्दों का निर्माण होता रहता है । साधारणतः पुराने शब्दों के सादृश्य तथा आधार पर ही ये शब्द बना लिये जाते हैं । आजकल राष्ट्रभाषा हिन्दी में जो सहस्रों नवीन शब्द बनाये जा रहे हैं वे इसी प्रवृत्ति के निदर्शन हैं ।

(२) नूतन-शब्द-आदान

विभिन्न जातियों में परस्पर राजनीतिक, धार्मिक, व्यापारिक आदि संपर्क के कारण एक भाषा से दूसरी भाषा में अनेकानेक शब्द और शब्द-समूह ले लिये जाते हैं । इस प्रकार दूसरी भाषा से नये शब्दों के ले लेने

१. तु०—“चतुष्टयां शब्दानां प्रवृत्तिः । जातिशब्दा गुणशब्दाः क्रियाशब्दा यदृच्छाशब्दाश्चतुर्थाः ।...त्रयी च शब्दानां प्रवृत्तिः । जातिशब्दा गुणशब्दाः क्रियाशब्दा इति । न सन्ति यदृच्छाशब्दाः ।” (महाभाष्य, आह्निक २ ‘ऋलृक्’ सूत्र पर) । “अर्थगतं प्रवृत्तिनिमित्तमनपेक्ष्य यः शब्दः प्रयोक्तृभिप्रायेणैव प्रवर्तते च यदृच्छाशब्दो ढिल्यादिः” (उक्त महाभाष्य पर कैयट-कृत टीका) ।

से भी भाषा का कुछ न कुछ विकास होता है।^१ किसी भाषा के शब्द-भण्डार के बढ़ने में यह एक बड़ा कारण होता है। शब्दों के रूपों में स्वानुकूल उच्चारणसम्बन्धी परिवर्तन के साथ ही ये शब्द किसी भाषा में सम्मिलित किये जाते हैं। इसी आधार पर हिन्दी, अंगरेज़ी आदि भाषाओं में सहस्रों शब्द दूसरी भाषाओं के ले लिये गये हैं।^२

तो भी, इस प्रकार से भाषा का जो कुछ विकास होता है वह उसके वास्तविक स्वरूप का परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। इसी कारण से इस प्रकार के विकास या शब्द-भण्डार के उपचय द्वारा किसी भाषा के वास्तविक इतिहास के समझने या अनुसन्धान करने में कोई विशेष सहायता नहीं मिलती।

(३) प्राचीन-शब्द-अप्रयोग

भाषा के बाह्य रूप के परिवर्तन में उपर्युक्त भावात्मक कारणों के साथ-साथ एक अभावात्मक कारण भी हो सकता है। प्रायः प्रत्येक भाषा के ऐतिहासिक अनुसंधान से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक, धार्मिक आदि परिस्थिति के बदलने के कारण, जहाँ अनेक नये शब्द भाषा में प्रचलित हो जाते हैं वहाँ अनेकानेक प्राचीन शब्द या प्रयोग

१. यहाँ पर मीमांसा-सूत्र (अ० १ पा० ३ अधि० ६) में 'स्लेच्छप्रसिद्धार्थ-प्रामाण्याधिकरण' देखिये। माधवाचार्य न्यायमालाविस्तर में इसी अधिकरण में कहते हैं :—

“तस्मादनार्यप्रसिद्ध्या पिकः कोकिलः, नेमशब्दोऽर्धवाची, तामरसशब्दः पद्मवाची इत्येवं द्रष्टव्यम् ।”

इसी प्रकार द्राविड भाषाओं के अनेकानेक शब्द संस्कृत में आ गये हैं; देखिये परिच्छेद १०, अधिकरण ११।

संस्कृत 'केन्द्र' शब्द ग्रीक भाषा के 'kentron' शब्द से बना है।

२. उदाहरणार्थ तु०—हिन्दी में 'मशीन', 'रंगरूट', 'लालटैन', 'मेम (साहिब)', 'वैरंग', 'बोतल', 'कोचवान' ये सब अंगरेज़ी शब्दों के रूपान्तर हैं।

व्यवहार में आने बन्द हो जाते हैं^१ (उदाहरणार्थ इसी परिच्छेद का अधिकरण ३ देखिये ।)

कभी-कभी तो अनेक प्राचीन शब्दों के, जो प्राचीन साहित्य में पाये जाते हैं, अर्थ का भी पता नहीं लगता । वैदिक साहित्य में इस प्रकार के सैकड़ों शब्द पाये जाते हैं । इसका कारण उनके प्रयोग की परम्परा का लुप्त हो जाना ही होता है ।

(४) शब्द-द्वैधीभाव

कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि किसी भाषा का एक शब्द विकृत या परिवर्तित होता-होता दो (या अधिक) रूपों को धारण कर लेता है ।^१ वे शब्द-रूप स्वतन्त्र शब्द मान लिये जाते हैं और उनका मौलिक सम्बन्ध भी स्पष्ट नहीं रहता । उनका प्रयोग भी भिन्न-भिन्न अर्थों में होने लगता है । ऐसे शब्दों के आधार पर और नये शब्द बना लिये जाते हैं ।

उदाहरणार्थ, हिन्दी के 'पाँव' (=पैर) और 'पाव' (=सेर का चतुर्थांश) ये दोनों शब्द संस्कृत 'पाद्' (=पैर) शब्द से निकले हैं । इसी प्रकार हिन्दी 'भद्दा' और 'भल्ला' ये दोनों ही शब्द संस्कृत 'भद्र' से निकले हैं ।

अशुद्ध, भ्रान्त या मनमानी व्युत्पत्तियों के आधार पर नये शब्दों की रचना भी इसी प्रकार में आ जाती है । उदाहरणार्थ, 'असुर' एक

१. तु० "सन्ति वै शब्दा अप्रयुक्ताः । तद्यथा ऊष तेर चक्र पेचेति ।", "ते ते शब्दास्तत्र तत्र नियतविषया दृश्यन्ते । तद्यथा शवतिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाषितो भवति, विकार एवैनमार्या भाषन्ते शव इति ।" (महाभाष्य, प्रथम आहिक) । इसी प्रसङ्ग में निरुक्त (२।२) भी देखिये ।

पाणिनि-व्याकरण के "अस्तेभूः" (२।४।५२), "ब्रुवो वचिः" (२।४।५३), "तृज्वत्क्रोष्टुः" (७।१।६५) इत्यादि सूत्रों का वास्तव में तात्पर्य यही है कि 'अस्' तथा 'ब्रू' धातुओं का आर्धधातुक प्रत्ययों के साथ, और 'क्रोष्टु' शब्द का सर्वनामस्थान प्रत्ययों के साथ प्रयोग होना शनैः शनैः बन्द हो गया ।

२. देखिये परिच्छेद ७ अधिकरण ३ (४) तथा अधिकरण ५ ।

स्वतन्त्र शब्द है। वैदिक साहित्य में यह प्रायः प्रयोग में आया है। पीछे से इसके प्रारम्भ के 'अ' को निषेधार्थक मानकर 'जो सुर नहीं है वह असुर है' इस प्रकार भ्रान्त व्युत्पत्ति के आधार पर एक नया 'सुर' शब्द चल पड़ा। वास्तव में 'सुर' शब्द का प्रयोग प्राचीन वैदिक साहित्य में नहीं मिलता है।

(५) अनेक-शब्द-संश्लेषण

भाषा के बाह्य रूप के विकास का एक और प्रकार अनेक शब्दों के मेल से एक नये स्वतन्त्र शब्द का बन जाना है। पुराने शब्दों के सादृश्य पर प्राचीन शब्दों में आनेवाले प्रत्यय नये शब्दों में जोड़ दिये जाते हैं, या कई स्वतन्त्र शब्दों के योग से एक नया शब्द बना लिया जाता है। उच्चारण-सम्बन्धी विकारों के हो जाने पर ऐसे शब्द कई शब्दों के योग से बने हैं इसकी भी प्रतीति नहीं रहती। अनेकानेक प्रत्यय भी इसी प्रकार कालान्तर में स्वतन्त्र शब्दों से बन जाते हैं^१।

(६) उच्चारण-सम्बन्धी परिवर्तन या वर्ण-विकार या ध्वनि-परिवर्तन

उच्चारण-सम्बन्धी परिवर्तन या वर्ण-विकार भाषा के बाह्य रूप के परिवर्तन या विकास में सर्व-प्रधान कारण है। प्रत्येक भाषा में यह सदा काम करता है।

इसी कारण से कालान्तर में शब्द अपने प्राचीन रूप को छोड़कर नये रूप को धारण कर लेते हैं।

दूसरी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा का रूप देने में या अनेक स्पष्ट व्युत्पत्तिवाले शब्दों की रचना को अस्पष्ट कर देने में यही कारण होता है।

यद्यपि साधारणतया वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियमों (दे० परिच्छेद ७ अधिकरण ७-२) की प्रवृत्ति किसी भी भाषा में नियत रूप से पाई जाती है, तो भी किसी-किसी अवस्था में उनका अपवाद देखा जाता है।

१. उदाहरणार्थ पृ० ५२, ७४-७५, ८४ देखिये।

ऐसे अपवाद जो किसी अन्य वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियम या उपनियम के अन्दर नहीं आते शब्दों में सादृश्य (या मिथ्यासादृश्य) द्वारा ही समझाये जा सकते हैं। इसका विचार परिच्छेद ६ अधिकरण २ में किया जायगा।

(ख) भाषा के आश्रयन्तर रूप में विकास और परिवर्तन

भाषा के बाह्य रूप में विकास और परिवर्तन के साथ-साथ उसके आश्रयन्तर रूप या अर्थांश में जो विकास या परिवर्तन होता है वह भी बड़े महत्त्व का है।

दूसरी जातियों के संपर्क से और अनेक प्रकार की उन्नति के कारण कालान्तर में

- (१) नये-नये विचारों की प्रवृत्ति हो जाती है,
- (२) अनेक प्राचीन विचारों में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है, और
- (३) अनेक नये-नये पदार्थों का आविष्कार हो जाता है।

इन सबके लिए प्रायः पुराने शब्दों से ही काम लिया जाता है। वस्तुओं या विचारों में सादृश्य, सहचार^१ आदि किसी सम्बन्ध के आधार पर पुराने शब्द ही बहुत करके नये-नये विचारों और पदार्थों के लिए प्रयुक्त होने लगते हैं।

ऐसे ही कारणों से

अनेक सामान्यार्थक शब्द विशेषार्थक हो जाते हैं, और

१. तु०—“सहचरणस्थानतादर्थ्यवृत्तमानधारणसामीप्ययोगसाधनाधिपत्येभ्यो ब्राह्मणमञ्चकटराजसक्तुचन्दनगङ्गाशाटकान्नपुरुषेष्वतद्भवेऽपि तदुपचारः”

(न्यायसूत्र २।२।५६)। “कथं पुनरतस्मिन् स इत्येतद् भवति। चतुर्भिः प्रकारैरतस्मिन्स इत्येतद् भवति। तात्स्थ्यात्, ताद्धर्म्यात्, तत्सामीप्यात्, तत्सादृश्यादिति।” इत्यादि (महाभाष्य ४।१।४८)।

अनेक विशेषार्थक शब्द सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं ।

उपचार या लक्षणा के कारण शब्दों के अर्थ का बदलना भी इन्हीं कारणों से होता है^१ ।

उदाहरणार्थ—

संस्कृत में 'गर्भिणी' शब्द सामान्यार्थक है; परन्तु हिन्दी में उसका विकृत 'गांभिन' केवल पशुओं के लिए प्रयुक्त होता है ।

'गवेषणा' का प्रारम्भिक अर्थ 'गौ को ढूँढ़ना' 'गौ की इच्छा' रहा होगा; परन्तु कालान्तर में यह शब्द 'ढूँढ़ना' इस सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होने लगा ।

इसी प्रकार 'तिलानां विकारः' इस अर्थ में 'तिल' शब्द से बना हुआ 'तैल' शब्द 'सर्षपतैल' इत्यादि शब्दों में सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होता है ।

'प्रकृष्टो वीणायां प्रवीणः' मूल में इस अर्थ को रखनेवाला 'प्रवीण' शब्द 'कुशल' इस सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होता है ।

१. इस विषय के विशेष विचार के लिए परिच्छेद ६, अधिकरण ४-७ देखिये ।

२. 'तैल' तथा 'प्रवीण' शब्दों के विषय में महाभाष्य ५।२।२६ पर कैयट की टीका देखिये । इसी प्रसङ्ग में तु०—

“प्रवीणोदारनिस्त्रिशशब्दा उत्सृष्टस्वार्थाभिधेयसंबन्धाः सन्तः क्रियागुणं सामान्यं हेतुमात्रमाश्रित्य अन्येष्वेवार्थान्तरेषु वर्तन्ते ।

तद्यथा—प्रकृष्टो वीणाया प्रवीणो गान्धर्वो, अत्र ह्यस्य मुख्या वृत्तिः । स एष स्वमर्थमभिधेयमुत्सृज्यैव गान्धर्वमभ्यासपाटवमात्रसामान्यमाश्रित्य सर्वत्रैवाभिप्रवृत्तः । यो हि यस्मिन् कृतयत्न उत्पन्नकौशलो भवति, स तत्रोच्यते प्रवीण इति । तद्यथा 'प्रवीणो व्याकरणे', 'प्रवीणो निरुक्ते' इति ।

एवमेव उदार इति । प्राग् आरसंनिपाताद् आकूतेनैव सारथेयो वहत्यश्वोऽ-
नड्वान् वा स उद्गतारत्वादुदारः । तत्र हि समञ्जसा वृत्तिरस्य शब्दस्य ।
स एष उत्सृज्यैव स्वमर्थमाकूतानुविधायित्वमात्रमेव सामान्यमाश्रित्य प्रवृत्तः ।
यो हि कश्चित् कस्मैचिदाकूतं लक्षयित्वा प्रागेव प्रार्थनाद्दाति स उदार
इत्युच्यते ।

एवमेव निस्त्रिंशः । त्रिभिः प्रदेशैर्द्वाभ्या धाराभ्यामग्रेण च निशितः श्यतीति
निस्त्रिंशः खड्गः, मुख्यग्रहणात् । तत्र ह्यस्य शब्दस्य समञ्जसा वृत्तिः । स एष
छेदनसमानरूपं क्रौर्यसामान्यमाश्रित्य सर्वत्रैव प्रवृत्तः । यो हि लोके क्रूरो
भवति स निस्त्रिंश इत्युच्यते ।

एवमेते क्रियागुणसामान्यमात्रेण वर्तन्ते ।” (निरुक्त २।१ पर दुर्गाचार्य
की टीका) ।

छठा परिच्छेद

—:ॐ:—

भाषा के विकास और परिवर्तन के कारण

१—भाषा के विकास और परिवर्तन के मौलिक कारण

पिछले परिच्छेद में काल-भेद और स्थान-भेद से भाषा की परिवर्तन-शीलता को दिखलाते हुए हमने भाषा के बाह्य तथा आभ्यन्तर रूपों में होने वाले विकास और परिवर्तन के प्रकारों को भी संक्षेप में दिखाने का यत्न किया है।

यहाँ स्वभावतः यह प्रश्न हो सकता है कि भाषा में विकास और परिवर्तन होता ही क्यों है? वह सदा एक ही रूप में क्यों नहीं रहती?

इस प्रश्न का संक्षेप में उत्तर यही है कि भाषा का विकास और परिवर्तन उसके स्वरूप में ही निहित है।

इस कथन की संक्षिप्त व्याख्या नीचे दी जाती है :—

यह सब कोई जानते हैं कि भाषा हमें, सूर्य-चन्द्र की तरह, स्थिर-रूप में बनी-बनाई स्वतः ही नहीं मिल जाती है। भाषा सीखने से ही प्राप्त होती है। मनुष्यों की प्रत्येक आनेवाली पीढ़ी प्रयत्न-पूर्वक अपनी पिछली पीढ़ी से भाषा को सीखती है। इस प्रयत्न के पीछे मनुष्य की स्वाभाविक अनुकरण की प्रवृत्ति काम करती है।

इसी लिए भाषा स्वतः प्राप्त न होनेवाली हमारी अर्जित संपत्ति कही जाती है।

इसी लिए

हमारी मानसिक शक्ति,

हमारे बोलने-सुनने के शरीरावयवों की रचना,

उनको प्रभावित करनेवाली बाह्य परिस्थितियाँ, और
तन्मूलक भाषा को सीखने की हमारी योग्यता,

इन सबका अनिवार्य प्रभाव हमारी भाषा पर पड़ता है ।

दूसरे, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है । अनुकरण में मूल
से कुछ न कुछ भिन्नता होती ही है ।

इसी से भाषा एक ही रूप में स्थिर नहीं रह सकती । उसमें विकास
और परिवर्तन अनिवार्य है ।

भाषा की अविच्छिन्न परम्परा और नदी-धारा का साम्य

भाषा की अविच्छिन्न परम्परा नदी की धारा के समान है, यह हमने
ऊपर (पृ० ८५) कहा है । इस कथन को कुछ और विशद करने की
आवश्यकता है ।

नदी की धारा में अविच्छिन्न प्रवाह के होने के कारण ही स्वाभाविक
प्रगति होती है । साथ ही उस पर उस भूमि-तल (पथरीला, रेतीला, या
मटीला) का भी, जिस पर वह बहती है, प्रभाव पड़ता है । पर यदि वह
धारा ऐसी गंभीर है कि उसका संबन्ध भूमि-तल के नीचे बहनेवाले स्रोतों
से भी है, तब तो उसके प्रवाह में दोनों तरह का प्रभाव बराबर रहेगा ।

भाषा के प्रवाह में उसके आभ्यन्तर रूप—अर्थ—का वही स्थान है
जो एक गंभीर नदी की धारा के लिए भूमितल के नीचे बहने वाले स्रोतों
का होता है ।

गम्भीर नदी की धारा पर उपर्युक्त दोनों अनिवार्य अथवा स्वाभाविक
प्रभावों के साथ-साथ कुछ आगन्तुक या आनुषङ्गिक प्रभाव भी पड़ सकते
हैं; जैसे अन्य नदी-नालों का संगम, भूकम्प या पर्वतादि के रूप में
रुकावट, इन सबका प्रभाव भी नदी के प्रवाह पर पड़े बिना नहीं रहता ।

इसी तरह भाषा के विकास और परिवर्तन पर भी, स्वाभाविक
कारणों के अतिरिक्त, आगन्तुक या आनुषङ्गिक कारणों का भी

प्रभाव पड़ता है। इन दोनों प्रकार के कारणों की व्याख्या हम क्रमशः नीचे करेंगे।

भाषा की अविच्छिन्न परम्परा के साथ नदी-धारा के सादृश्य को ध्यान में रखने से भाषा के विकास और परिवर्तन की समस्या को हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। दोनों में केवल इतना भेद है कि जहाँ नदी भूमि-तल पर बहती है, वहाँ भाषा मनुष्यों की विभिन्न जातियों की पीढ़ियों में प्रगति करती है, और जातियों के स्वरूप में भूमि-तल की अपेक्षा कहीं अधिक अस्थिरता पाई जाती है।

मौलिक कारण

उपर्युक्त दृष्टि से भाषा के विकास और परिवर्तन के मौलिक कारणों को हम सामान्यतः निम्न-निर्दिष्ट चार वर्गों में बाँट सकते हैं:—

- (१) भौगोलिक प्रभाव,
- (२) विभिन्न जातियों की शारीरिक संघटना का प्रभाव,
- (३) जातियों के मानसिक अवस्था-भेद का प्रभाव, और
- (४) प्रयत्न-लाघव की प्रवृत्ति

इन कारणों की विशेष व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। फिर भी थोड़े में प्रत्येक के स्वरूप और महत्त्व को यहाँ दिखा देना उपयोगी होगा।

(१) भौगोलिक प्रभाव

इतिहास का अध्ययन करनेवालों से छिपा नहीं है कि विभिन्न जातियों के इतिहास, विकास, संस्कृति, सभ्यता और स्वभाव पर भौगोलिक परिस्थितियों का कितना अधिक प्रभाव पड़ता है। भारतवर्ष, ग्रीस, इंग्लैंड आदि देशों के इतिहास को हम समझ ही नहीं सकते जब तक कि हम उनकी भौगोलिक परिस्थिति को न समझ लें। मनुष्य की संस्कृति और सभ्यता के साथ उसकी भाषा का मौलिक सम्बन्ध है। इसलिए विभिन्न जातियों की भाषा के विकास पर भी उनकी भौगोलिक परिस्थिति की छाप का होना अनिवार्य होता है।

(२-३) शारीरिक संघटना और मानसिक अवस्था-भेद

वास्तव में इस प्रकरण में जातियों की शारीरिक संघटना और मानसिक अवस्था-भेद को हम उनकी भौगोलिक परिस्थिति से बिल्कुल पृथक् नहीं कर सकते। एक प्रकार से ये दोनों भी बहुत अंशों में भौगोलिक परिस्थिति के प्रभाव के अन्दर आ सकते हैं। जैसे विशेष फूल, पत्ती से उत्पन्न होनेवाली तितली रूप-रंग आदि में तदनुरूप होती है, ऐसे ही जातियों का विकास भी बहुत-कुछ उनकी भौगोलिक परिस्थिति पर निर्भर होता है।

भाषा के विकास और परिवर्तन पर उक्त तीनों कारणों का मौलिक प्रभाव पड़ता है, इसको कौन नहीं मानेगा ?

एक बंगाली और एक पंजाबी के उच्चारण में कितना अन्तर होता है ? बंगाली के लिए 'कृष्ण' शब्द का, संस्कृत की तरह, शुद्ध उच्चारण करना कितना कठिन है ?

एक पहाड़ी के साथ बात करते ही हमें उसकी भाषा में कोई ऐसा वैशिष्ट्य दिखाई देता है जिससे तत्काल हम उसे पहाड़ी समझ लेते हैं।

विभिन्न भाषा-परिवारों से सम्बन्ध रखनेवाली विभिन्न जातियों की भाषाओं में वाक्य-रचना आदि के सम्बन्ध में जो मौलिक भेद दीखते हैं उनकी जड़ में उन उन जातियों का मानसिक अवस्था-भेद के आधार पर स्थित सूक्ष्म चिन्तन-भेद ही हो सकता है।

यह ठीक है कि अभी तक भाषाविज्ञान की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह भाषा पर उपर्युक्त कारणों के प्रभाव को स्पष्टतया दिखला सके। इसका कारण यही है कि भाषाविज्ञान अभी तक अपनी प्रारम्भिक अवस्था में ही है।

उपर्युक्त नदी-धारा के साम्य की दृष्टि से भाषा के विकास में उपर्युक्त तीनों कारणों का वैसा ही स्थान है जैसा कि नदी के प्रवाह में भूमितल का और उसके नीचे बहनेवाले स्रोतों का। पहले दोनों कारणों का भूमितल के साथ, और तीसरे का अन्तः-स्रोतों के साथ साम्य स्पष्ट है।

(४) प्रयत्न-लाघव की प्रवृत्ति

इस प्रवृत्ति की विशेष व्याख्या हम आगे चलकर करेंगे। यहाँ इतना कहना ही पर्याप्त है कि स्वभाव से ही, मनुष्य क्या, प्राणिमात्र अपने-अपने प्रयत्न में सरल मार्ग का अवलंबन करना चाहता है।

यह प्रवृत्ति मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर कार्य करती है। इसलिए न केवल भाषा के वाह्यरूप अर्थात् शाब्दिक रूप पर ही, अपितु आभ्यन्तर रूप अर्थात् अर्थांश पर भी इस प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

संस्कृत वैयाकरणों की एक कहावत है—

“अर्धमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः”

अर्थात्, आधी मात्रा की बचत को भी वैयाकरण लोग पुत्रजन्मोत्सव के समान मानते हैं।

यह प्रयत्न-लाघव की प्रवृत्ति की ही एक अतिशयोक्ति-पूर्ण व्याख्या है।

जैसे जल नीचे की तरफ ही बहता है (इसीलिए नदी को ‘निम्नगा’ कहते हैं), इसी तरह भाषा के विकास और परिवर्तन की धारा भी प्रयत्न-लाघव या सरलता के ‘निम्न’ मार्ग पर ही चलती है।

यहाँ इतना समझ लेना चाहिये कि शब्दों के ध्वन्यात्मक रूप के परिवर्तन के कारणों में जो (क) सतत-प्रयोग (usage), (ख) बलाघात या स्वराघात (Stress or Accent), और (ग) भावातिरेक को भी प्रायः गिनाया जाता है, उनका समावेश एक प्रकार से प्रयत्न-लाघव की प्रवृत्ति में ही हो जाता है।

सतत-प्रयोग के कारण शब्दों का रूप एक प्रकार से घिसता जाता है। स्पष्टतः इसका कारण प्रयत्न-लाघव की प्रवृत्ति ही होती है।

बलाघात और भावातिरेक के स्थलों में होनेवाले परिवर्तन के मूल में भी वक्ता की सुविधा-मूलक प्रयत्न-लाघव की प्रवृत्ति रहती है। इस सम्बन्ध में अगले अधिकरण को भी देखिये।

२—भाषा के बाह्य रूप में परिवर्तन के कारण

सामान्य रूप से भाषा के विकास और परिवर्तन के मौलिक कारणों को हमने ऊपर दिखलाया है। इस अधिकरण में हम भाषा के केवल बाह्य रूप में परिवर्तन के कारणों पर विचार करेंगे। उन कारणों को हम दो भेदों में बाँट सकते हैं :—

(१) साक्षात् कारण, और

(२) असाक्षात् या आनुषङ्गिक कारण।

नीचे हम क्रमशः इनकी व्याख्या करेंगे।

(१)

साक्षात् कारण

भाषा के श्रवणीय, शाब्दिक या बाह्य रूप में परिवर्तन के साक्षात् कारण मुख्यतया दो हैं :—

(क) प्रयत्न की मितव्ययता या लाघव, और

(ख) शब्दों आदि की रचना में सादृश्य (या मिथ्या-सादृश्य)

(क) प्रयत्न-लाघव की प्रवृत्ति

यह स्पष्ट है कि किसी भी शब्द के उच्चारण में कुछ न कुछ श्रम या प्रयत्न करना पड़ता है। परिच्छेद ६ में दिखलाई हुई वर्णों के उच्चारण की प्रक्रिया को ध्यान में लाने से यह स्पष्ट हो जायगा कि एक एक वर्ण के लिए जिह्वा आदि को कितनी कुशलता से काम करना पड़ता है। इस कुशलता की और भी अधिक आवश्यकता होती है जब कि भिन्न भिन्न प्रकार से उच्चरित, विशेषकर भिन्न-भिन्न स्थानोंवाले, वर्णों से बने हुए किसी शब्द का उच्चारण करना होता है।

साथ ही, मनुष्य ही क्या, प्राणिमात्र का स्वभाव है कि वह सदा अपने श्रम का परिमित व्यय करना चाहता है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्राणिमात्र स्वभावतः यह चाहता है कि उसे कम से कम श्रम करना पड़े। एक लम्बे राजमार्ग को छोड़कर एक सीधी पगडंडी (short-cut)

को लोग इसीलिए पसन्द करते हैं। छोटे-से-छोटे प्राणियों में भी यह प्रवृत्ति पाई जाती है।

इस प्रवृत्ति का आधार केवल शारीरिक श्रम की बचत नहीं है। वास्तव में मानसिक श्रम में लाघव ही इसका मौलिक आधार है। प्रायः देखने में आता है कि लोग मुख से 'हाँ' या 'नहीं' न कहकर सिर हिलाकर ही अपने अभिप्राय को प्रकट करना पसन्द करते हैं। 'एक शब्द न कहकर पाँच सेर का सिर क्यों हिलाते हो?' इस प्रकार का उलहना देने वाले नहीं समझते कि सिर हिलाने में मानसिक श्रम की बचत अधिक होती है।

मानसिक श्रम की बचत का ही दूसरा नाम सुविधा है।

इसलिए प्रयत्न-लाघव का वास्तविक आधार सुविधा है।

अगले अधिकरण में हम दिखलायेंगे कि प्रयत्न-लाघव की स्वाभाविक वृत्ति किस-किस रूप में वर्ण-परिवर्तन (या ध्वनि-परिवर्तन) में काम करती है। उससे स्पष्ट हो जायगा कि प्रयत्न-लाघव की प्रवृत्ति तरह-तरह से काम करती है। कहीं कहीं शब्द के एक अंश में प्रयत्न-लाघव के कारण उसके बदले में दूसरे अंश में प्रयत्न-वृद्धि भी देखी जाती है। उदाहरणार्थ, प्राकृत के 'अट्ट', 'अज्ज', 'सत्त', 'दुद्ध' जैसे शब्दों के हिन्दी रूपों (आठ, आज, सात, दूध) में संयोग के आदि-व्यञ्जन के लोप होने पर उसके बदले में पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है। मानसिक सुविधा ही इसका कारण होती है। क्योंकि अन्ततोगत्वा प्रयत्न-लाघव की प्रवृत्ति भी उसी पर निर्भर है।

प्रयत्न-लाघव की प्रवृत्ति की ऐसी व्यापक व्याख्या के होने पर भी, साधारणतया उसके उदाहरणों में उच्चारण में अपेक्षित श्रम की बचत अथवा प्रयत्न-शैथिल्य अथवा प्रयत्न की मितव्ययता या लाघव से ही अभिप्राय होता है। उदाहरणार्थ, नीचे दिये हुए शब्दों में इसी साधारण अर्थ में प्रयत्न-लाघव की प्रवृत्ति काम करती हुई दिखाई देती है—

संस्कृत	प्राकृत	हिन्दी
सत्य	सच्च	सच
सर्व	सव्व	सव

उद्गम	उगम	उगना
सपत्नी	सवत्ति	सौत
मयूर	मोर, मऊर	मोर

फ़ारसी	हिन्दी
नज़दीक	नजीक
मज़दूर	मजूर
अंग्रेज़ी	हिन्दी
रिपोर्ट	रपट
सेप्टेम्बर	सितंबर
आर्डली	अर्दली
वेस्टकोट	बास्कट
कार्क	काग

इसी प्रकार संस्कृत में (या हिन्दी में भी) जो वर्णों की सन्धियाँ हो जाती हैं वे भी बहुत करके प्रयत्न-लाघव की प्रवृत्ति के कारण ही होती हैं। जैसे—

संस्कृत में

गृहाणि + अत्र = गृहाणयत्र

मधु + उदकम् = मधूदकम्

हिन्दी में

जब + ही = जभी

सब + ही = सभी

पंडित + जी = पंडिजी (केवल उच्चारण में)

मत आओ = मजाओ (में ")

आज ही = आभी (")

इसी प्रकार क्रोध, प्यार या तिरस्कार जैसे भावातिरेक में या शब्द के एक अक्षर पर जोर देकर चोलने (=वलाघात) में जो शब्दों

में परिवर्तन होते हैं उनका कारण भी किसी-न-किसी रूप में सुविधा-मूलक प्रयत्न-लाघव की प्रवृत्ति ही होती है। उदाहरणार्थ—

संस्कृत के 'बलीवर्द' (=बैल) इस एक ही शब्द से हिन्दी में 'बैल' और 'बर्धा' (या 'बद्धा') ये दो शब्द निकले हैं। इसका कारण वला-घात-मूलक प्रयत्न-लाघव की प्रवृत्ति ही है। 'बलीवर्द' शब्द के पूर्वार्ध या उत्तरार्ध पर जोर देकर बोलने के कारण ही दुर्बल अंश का हिन्दी में लोप हो गया है।

इसी प्रकार प्यार, क्रोध आदि में होने वाले शब्द-परिवर्तनों का (जैसे— 'लल्ला' का 'लल्लू' या 'ललुआ', 'बच्चा' का 'बच्चू' या 'बचवा', 'राम' का 'रम्मू' या 'रमुआ', 'रामस्वरूप' का 'सरूपा', 'लछमन' का 'लछमना' इत्यादि) मूल कारण भी सुविधा-जन्य प्रयत्न-लाघव की प्रवृत्ति ही होती है।^१

उक्त प्रवृत्ति का परिसीमन

प्रयत्न-लाघव की प्रवृत्ति की जो व्याख्या ऊपर दी है उससे स्पष्ट हो जाता है कि उसका क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है और शब्दों के परिवर्तन या विकास में उसका अद्वितीय स्थान है। ऐसा होते हुए भी यह न समझ लेना चाहिये कि यह प्रवृत्ति अप्रतिहत रूप से या बिना किसी रुकावट के ही काम करती है। वास्तव में ऐसा है भी नहीं।

भाषा का मुख्य प्रयोजन विचारों का परस्पर परिवर्तन है। इसलिए श्रम या प्रयत्न की मितव्ययता या लाघव की प्रवृत्ति के कारण भाषा में जो परिवर्तन होते हैं वे इतनी अधिक मात्रा में कमी नहीं होने पाते कि उपर्युक्त प्रयोजन की पूर्ति में बाधा पड़ जाय।

तो भी स्मरण रखना चाहिये कि उक्त प्रवृत्ति का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। वास्तव में भिन्न-भिन्न भाषाओं में जो वर्ण-विकार-सम्बन्धी

१. मनुष्य के नामों में संक्षेप करने की प्रवृत्ति प्राचीन काल से ही चली आई है। उदाहरणार्थ, 'देवदत्त' के स्थान में 'देविक', 'देविय', 'देविल' कहा जाता था। देखिये 'अष्टाध्यायी' ५।३।७८-८४।

नियम (Phonetic Laws) पाये जाते हैं उनका मूल-कारण बहुत अंशों तक यही प्रवृत्ति है ।

(ख) सादृश्य या मिथ्या-सादृश्य

उच्चारण के लिए अपेक्षित प्रयत्न की मितव्ययता या प्रयत्न-लाघव की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण जो परिवर्तन होते हैं वे प्रायेण वर्ण-विज्ञान द्वारा समझाये जा सकते हैं । कोई शब्द, उपर्युक्त प्रवृत्ति के कारण, परिवर्तित होकर दूसरे रूप में कैसे आ गया, यह प्रायः वर्ण-विज्ञान-मूलक वर्ण-विकार-संबन्धी नियमों^१ द्वारा समझाया जा सकता है । ऐसे शब्दों में परिवर्तित रूप का अपरिवर्तित रूप के साथ उच्चारण-मूलक संबन्ध थोड़ा-बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है ।

उदाहरणार्थ 'मेघ', 'शोभन', 'काक', 'सौभाग्य' इन शब्दों के साथ इनसे निकले हुए क्रम से 'मेह', 'सोहन', 'काग', 'सुहाग' इन शब्दों का सम्बन्ध वर्ण-विज्ञान द्वारा सहज में ही समझाया जा सकता है ।

परन्तु शब्दों के कुछ ऐसे रूप भी होते हैं जो उपर्युक्त प्रकार से नहीं समझाये जा सकते, न वे किसी वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियम के ही अन्दर आते हैं ।

उदाहरणार्थ, 'करिन्' शब्द से तृतीया के एकवचन में 'करिणा' (= करिन् + ा) बनना, या 'कर्मन्' शब्द से प्रथमा या द्वितीया के बहुवचन में 'कर्माणि' बनना समझ में आ सकता है; परन्तु 'हरि' तथा 'गृह' शब्दों से, जिनके अन्त में 'न्' है ही नहीं, 'हरिणा' और 'गृहाणि' का बनना उस प्रकार समझ में नहीं आता ।

'हरिणा' और 'गृहाणि' जैसे शब्द-रूपों के विषय में यही कहा जा सकता है कि 'करिणा' और 'कर्माणि' जैसे शब्द-रूपों के साथ सादृश्य ही उनका कारण है ।^२

१. वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियमों की व्याख्या के लिए; देखिये परिच्छेद ७ अधिकरण ७ ।

२. इस संबन्ध में परिच्छेद ११ के अधिकरण १८ (घ) को भी देखिये ।

बच्चों की बोली में भी इस प्रकार सादृश्य के आधार पर बने हुए शब्द कभी-कभी सुनने में आ जाते हैं ।

यहाँ पर स्मरण रखना चाहिये कि सादृश्य (या मिथ्या-सादृश्य) से शब्दों के वर्ण-सम्बन्धी परिवर्तनों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना उनके रूपों या विभक्ति आदि की रचना पर पड़ता है ।

सादृश्य द्वारा शब्दों की एकरूपता के कुछ और उदाहरण नीचे दिये जाते हैं—

‘देवी’ शब्द से ‘ई’ को ‘यू’ होकर तृतीया और चतुर्थी के एकवचनों में ‘देव्या’ और ‘देव्यै’ का बनना स्वाभाविक है । पर ‘गङ्गा’ शब्द से ‘गङ्गया’ ‘गङ्गायै’ का बनने का कारण ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के साथ सादृश्य ही हो सकता है ।

हिन्दी के ‘पैंतीस’ शब्द में अनुनासिक ‘ऐं’ का कारण संस्कृत के ‘पञ्चत्रिंशत्’ शब्द के ‘पञ्च’ में ‘ञ्’ का होना ही है । ‘सैंतीस’ शब्द में, जो ‘सप्तत्रिंशत्’ से निकला है, ‘ऐं’ का कारण ‘पैंतीस’ के साथ सादृश्य ही हो सकता है ।

इसी प्रकार हिन्दी ‘मुझे’ (=संस्कृत ‘मह्यम्’, प्राकृत ‘मज्झ’) में ‘उ’ का कारण ‘तुझे’ (=संस्कृत ‘तुभ्यम्’, प्राकृत ‘तुज्झ’) के साथ सादृश्य ही हो सकता है ।

अंगरेज़ी ‘cow’ (=गौ) शब्द का बहुवचन पहले ‘kine’ होता था । पर अब ‘dogs’ आदि बहुवचनों की देखा-देखी ‘cows’ प्रयुक्त होता है ।

अभिप्राय यह है कि भाषा के विकास और परिवर्तन में सादृश्य के सिद्धान्त का भी विशेष स्थान है ।

(२)

असाक्षात् या आनुषङ्गिक कारण

भाषा के बाह्य-रूप में परिवर्तन के असाक्षात् कारण हम उन सहायक कारणों को कहते हैं जो ऊपर दिखलाये गये सार्वदेशिक तथा सार्वकालिक,

दूसरे शब्दों में स्वाभाविक, कारणों के व्यापार के प्रभाव में भेद डाल देते हैं। इस दृष्टि से हम इनको आनुषङ्गिक अथवा आगन्तुक कारण भी कह सकते हैं। किसी भी भाषा के इतिहास में—

(१) राजनीतिक (युद्ध में विजय आदि), धार्मिक, व्यापारिक आदि कारणों से विभिन्न जातियों, संस्कृतियों और भाषाओं में परस्पर घनिष्ठ संपर्क,

(२) सभ्यता का विकास,

(३) नवीन वैज्ञानिक आविष्कार,

(४) अन्य प्रदेशों तथा देशों के साथ गमनागमन का सौकर्य,

(५) मनुष्यों का अत्यधिक संख्या में देशान्तर-प्रवास

जैसे आनुषङ्गिक कारण उपस्थित हो सकते हैं। ऐसे कारणों से उसके स्वाभाविक प्रवाह और विकास में नवीनता का और परिवर्तन की नई प्रवृत्तियों का आना अनिवार्य हो जाता है।

भारतीय आर्य-भाषा के इतिहास में संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से आधुनिक आर्य-भाषाओं के विकास में, और अन्ततः उनके वर्तमान रूप के निर्माण में तत्कालों में विभिन्न जातियों और संस्कृतियों के संपर्क ने कितना बड़ा भाग लिया है, यह किससे छिपा है।

उपर्युक्त कारणों को साक्षात् कारण न कहकर असाक्षात् कहने का यह अभिप्राय है कि इन कारणों के अभाव में भी भाषा की परिवर्तन-शीलता का प्रवाह चलता ही रहता है। तो भी असाक्षात् कारणों का बिलकुल ही अभाव हो ऐसा साधारणतया नहीं देखा जाता।

असाक्षात् कारणों से भाषा की परिवर्तन-शीलता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ, जब एक जाति दूसरी जाति पर अपना आधिपत्य जमाती है तो भाषा में परिवर्तन स्वभावतः बड़ी तेजी से होते हैं। विदेशी जाति दूसरी जाति के उच्चारण को ठीक-ठीक नहीं समझ सकती; और दो विभिन्न जातियों के लोगों के उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों की वनावट के एकसे न होने से वे एक दूसरे की भाषा का ठीक-ठीक उच्चारण भी नहीं कर सकते। इस प्रकार भाषा के बाह्य रूप में भेद का हो जाना

अनिवार्य हो जाता है। नवीन शब्दों का आदान-प्रदान भी इसी कारण से होता है।

साक्षात् और असाक्षात् कारणों का परस्पर सम्बन्ध

उपर्युक्त असाक्षात् या आनुषङ्गिक कारणों और साक्षात् कारणों के परस्पर सम्बन्ध को समझ लेना भाषा-विज्ञानी के लिए बड़ा आवश्यक है। सब भाषायें परिवर्तन-शील हैं; परन्तु किस भाषा का किस देश तथा काल में कैसा परिवर्तन होगा, इसका नियमन इन्हीं उपर्युक्त असाक्षात् कारणों से होता है।

यही कारण है कि एक भाषा के इतिहास में एक काल में पाया जाने-वाला एक वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियम दूसरे काल में नहीं काम करता।

यही कारण है कि एक प्रकार का वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियम एक जाति की भाषा में पाया जाता है, दूसरी जाति की भाषा में नहीं।

इन्हीं कारणों से ऐसा देखा जाता है कि—

संस्कृत में शब्दों के अन्त में विराम में 'कू', 'ट्', 'त्' [जैसे—'ऊजू' (=बल) शब्द से प्रथमा एकवचन में 'ऊक्'; 'मृजू' धातु से लट् प्रथम-पुरुष एकवचन में 'अमाट्'; तथा 'सुहाट्' शब्द से प्रथमा एकवचन में 'सुहात्'] को छोड़कर दो व्यञ्जन नहीं आ सकते;^१

प्राचीन ग्रीक भाषा में n, s, r को और दो उपसर्गों के अन्त में आनेवाले k को छोड़कर कोई और व्यञ्जन शब्दों के अन्त में नहीं आ सकता;

इटैलियन भाषा के शब्दों के अन्त में व्यञ्जन आ ही नहीं सकता।

उपर्युक्त कारणों से ही भाषा के वर्ण-विकार सम्बन्धी किसी भी विशेष नियम के साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि वह नियम किस देश तथा काल की किस विशिष्ट भाषा के लिए है।

१. दे०—A. A. Macdonell, *Vedic Grammar for Students*, Para. 28.

३—प्रयत्न-लाघव-कृत वर्णपरिवर्तन के प्रकार

ऊपर भाषा के श्रवणीय या बाह्य रूप में परिवर्तन के मूल में सामान्य रूप से रहने वाली प्रयत्न-लाघव की स्वभाविक प्रवृत्ति की चर्चा की है। उस प्रवृत्ति के कारण शब्दों में अनेक प्रकार के वर्णपरिवर्तन देखने में आते हैं। प्राचीन संस्कृत वैयाकरण उन प्रकारों का सामान्यतः निर्देश (१) वर्णव्यत्यय, (२) वर्णापाय (३) वर्णोपजन, और (४) वर्णविकार, इन शब्दों से किया करते थे।^१

आधुनिक भाषाविज्ञान इस विषय का कुछ अधिक विशद रूप से प्रतिपादन करता है। तदनुसार शब्दों में वर्णपरिवर्तन के सामान्यतः निम्न प्रकार देखे जाते हैं :—

- (१) समीकरण या सवर्णीकरण (Assimilation),
- (२) विषमीकरण (Dissimilation),
- (३) प्रागुपजन (Prothesis),
- (४) स्वरभक्ति (Anaptyxis),
- (५) स्वरलोप (Syncope),
- (६) अक्षरलोप (Haplology), और
- (७) वर्णव्यत्यय या स्थानविपर्यय (Metathesis)।

इनमें से प्रत्येक की संक्षेप में व्याख्या नीचे दी जाती है—

१. तु०—“वर्णव्यत्ययापायोपजनविकारेषु..... । वर्णव्यत्यये कृतेस्तरकः, कसेः सिकताः, हिसेः सिहः ।...अपायो लोपः । मन्ति मन्तु अमन् ।...उपजन आगमः । लविता लवितुम् । ...विकार आदेशः । घातयति घातकः ।” (महाभाष्य, नवाह्निक, ‘हयवरट्’ सूत्र पर) ।

तथा निरुक्त २।१-२ ।

तथा “वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ । (घातोस्तदर्थालिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम् ॥)” (काशिका ६।३।१०६) । —

तथा “भवेद् वर्णागमाद् हंसः सिहो वर्णविपर्ययात् । गूढो त्मा वर्णविकृतेर्वर्णनाशात्पृषोदरम् ॥”

(१) समीकरण (Assimilation)—पास-पास आनेवाले दो वर्णों में जब एक के प्रभाव से प्रभावित होकर दूसरा वर्ण उससे मिलता-जुलता या वैसा ही हो जाता है उसको समीकरण कहते हैं ।

यह समीकरण दो प्रकार का होता है—

(क) पुरोगामी समीकरण (Progressive assimilation), जब कि परवर्ती वर्ण पूर्ववर्ती के समान हो जाय; और

(ख) पश्चाद्गामी समीकरण (Regressive assimilation), जब कि पूर्ववर्ती वर्ण परवर्ती के समान हो जाय ।

पुरोगामी समीकरण के उदाहरण ये हैं—

संस्कृत	प्राकृत
चक्र	चक्क
वज्र	वज्ज
अग्नि	अग्गि

संस्कृत में “रषाभ्यां नो णः समानपदे” (अष्टाध्यायी ८।४।१) आदि सूत्रों के ‘आस्तीर्णम्’, ‘अवगूर्णम्’, ‘पुष्याति’, ‘मुष्याति’ आदि उदाहरण भी पुरोगामी समीकरण के ही उदाहरण हैं ।

पश्चाद्गामी समीकरण—

संस्कृत	प्राकृत
इक्षु	उक्खु
सप्त	सत्त
युक्त	जुत्त
दुग्ध	दुद्ध
खड्ग	खग्ग
वल्कल	वक्कल

संस्कृत के ‘छिन्न’ (= छिद् + न), ‘अन्न’ (= अद् + न) आदि शब्द भी पश्चाद्गामी समीकरण के ही उदाहरण हैं ।

‘इत्तु’ के अन्त में आनेवाले ‘उ’ के प्रभाव से ‘उक्त्तु’ में आदि के ‘इ’ को ‘उ’ हो गया है। इससे स्पष्ट है कि समीकरण के लिए एक दूसरे पर प्रभाव डालनेवाले वर्णों का अव्यवहित समीप में होना आवश्यक नहीं है।

संस्कृत वैयाकरणों की परिभाषा में समीकरण को ‘सवर्णीकरण’ भी कह सकते हैं।

समीकरण में पूर्ववर्ती या परवर्ती वर्ण का प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा, इसका आधार वर्णों के आपेक्षिक बल पर होता है। साधारण नियम यह है कि समान बलवाले वर्णों में परवर्ती का, और असमान बलवालों में अधिक बलवाले का प्रभाव पड़ता है। इस दृष्टि से व्यञ्जनों को हम निम्नस्थ क्रम में रख सकते हैं:—

- (१) स्पर्श (वर्गपञ्चमों को छोड़कर)—सबसे अधिक बलवाले
- (२) वर्गपञ्चम (अर्थात् अनुनासिक)—उपर्युक्त स्पर्शों से कम बलवाले
- (३) ल्, सू, व्, यू, र्, क्रमशः—सबसे कम बलवाले।

(२) विषमीकरण (Dissimilation)—यह समीकरण से उल्टा है। पास-पास आनेवाले दो सम वर्णों के उच्चारण में कभी-कभी असुविधा जान पड़ती है। ऐसी अवस्था में उनमें से एक वर्ण के बदल जाने से वे परस्पर विषम या असम हो जाते हैं। इसी को विषमीकरण कहते हैं। यह भी पुरोगामी और पश्चाद्गामी भेद से दो प्रकार का हो सकता है। उदाहरणार्थ—

संस्कृत	प्राकृत
पुरुष	पुरिस
मुकुट	मउड (=हिन्दी मौर)
गुरुक	गरुअ
मुकुल	मउल (=हिन्दी बौर)
लाङ्गल	नांगल

संस्कृत में “अभ्यासे चर्च” (अष्टाध्यायी ८।४।५४) सूत्र के ‘विष्ठासति’, ‘दुभूषति’ आदि उदाहरण भी विषमीकरण के ही उदाहरण हैं।

(३) प्रागुपजन (Prothesis)—कभी-कभी उच्चारण में सुविधा के कारण से कुछ व्यञ्जनों, विशेषकर संयुक्त व्यञ्जनों, से प्रारम्भ होनेवाले शब्दों के आदि में एक स्वर का उपजन या आगम हो जाता है। इसको प्रागुपजन कहते हैं। उदाहरणार्थ—

हिन्दी में ही प्रायः लोग 'स्तुति', 'स्नान', 'स्त्री', 'स्टाम्प' शब्दों को क्रमशः 'अस्तुति', 'अस्नान' या 'इस्नान', 'इस्त्री' और 'इस्टाम्प' बोलते हैं। संस्कृत 'स्त्री' प्राकृत में 'इत्थी' हो जाता है।

(४) स्वरभक्ति (Anaptyxis) या विप्रकर्ष (Diaeresis)—संयुक्त व्यञ्जनों के उच्चारण में होनेवाली असुविधा को हटाने के लिए उनके बीच में किसी स्वर या स्वरभाग के आगम को स्वरभक्ति या विप्रकर्ष कहते हैं। उदाहरणार्थ—

वैदिक शब्दों में स्वर के पश्चात् तथा व्यञ्जन के पूर्व में आने वाले 'र्' के आगे स्वरभक्ति (स्वर का भाग) बोली जाती है; जैसे 'कहिं' या 'अर्चन्ति' में 'र्' के अनन्तर इकार (या ऋ) जैसा छोटासा स्वर बोला जाता है। इसी प्रकार 'अर्वाग् देवाः' यहाँ 'ग्' के अनन्तर, और 'शतवल्शः' में 'ल्' के अनन्तर स्वरभक्ति बोली जाती है।^१

वैदिक शब्दों में जैसी स्वरभक्ति का उच्चारण होता था वह आधी मात्रा या उससे भी कम मात्रा की होती थी। इसीलिए वह लिखी नहीं जाती थी।^२ यहाँ तक कि उसके बोले जाने पर भी व्यञ्जनों के संयोग को 'संयोग' ही माना जाता था।^३

अवेस्तन भाषा में भी यह प्रवृत्ति देखी जाती है।

१. तु०—“रेफात्स्वरोपहिताद् व्यञ्जनोदयाद् ऋकारवर्णा स्वरभक्तिरुचरा। विच्छेदात् स्पर्शोष्मपराच्च घोषिणः।” (ऋग्वेद-प्रातिशाख्य ६।४६-४७)।

२. तु०—“स्वरभक्तिः पूर्वभागक्षराङ्गम्। द्राघीयसी सार्धमात्रा। अर्धानान्या।” (ऋग्वेदप्रातिशाख्य १।३२-३३, ३५)।

३. तु०—“न संयोगं स्वरभक्तिविहन्ति” (ऋ० प्राति० ६।३५)।

प्राकृत भाषाओं में तथा आधुनिक हिन्दी आदि भाषाओं में स्वर-भक्ति या स्वर-भाग के स्थान में पूरा स्वर संयुक्त व्यञ्जनों के बीच में आ जाता है। उदाहरणार्थ—

संस्कृत 'श्री,' 'क्लिष्ट,' 'स्नेह' के स्थान में प्राकृत में 'सिरी,' 'किलिट्ट,' 'सणेह' हो जाते हैं। इसी प्रकार संस्कृत 'भक्त,' 'युक्ति,' 'पङ्क्ति,' 'प्रसाद' के स्थान में हिन्दी में 'भगत,' 'जुगत,' 'पंगत,' 'परसाद' हो जाते हैं।^१

प्राकृत-वैयाकरण 'स्वरभक्ति' को, स्वरागम द्वारा संयोग के विच्छेद पर दृष्टि रखते हुए, 'विप्रकर्ष'^२ (Diaeresis) कहते हैं।

कभी-कभी शब्दों के मध्य में नये व्यञ्जनों का भी आगम हो जाता है; जैसे संस्कृत 'शाप,' 'वानर,' 'सूनरी' (वैदिक शब्द) के स्थान में हिन्दी में 'श्राप,' 'बन्दर,' 'सुन्दरी' (संस्कृत में भी) शब्द पाये जाते हैं।

(५) स्वरलोप (Syncope)—यह स्वरभक्ति से उल्टा है। शब्दों में दो व्यञ्जनों के मध्य में आने वाले स्वर का प्रायः लोप हो जाता है; जैसे 'राजन् + आ' (तृतीया विभक्ति के एकवचन में) के स्थान में 'अ' के लोप हो जाने पर 'राज्ञा' हो जाता है।

स्वरलोप शब्दों के मध्य में ही हो यह आवश्यक नहीं है। उदाहरणार्थ, संस्कृत 'अरण्य' के स्थान में प्राकृत में 'रण्ण' हो जाता है। प्राकृत में अनुस्वार के अनन्तर आनेवाले 'अपि' को 'पि' और 'इति' को 'ति' हो जाता है।

स्वरलोप की तरह व्यञ्जनलोप तो और भी अधिक देखा जाता है। प्राकृत भाषा में यह प्रवृत्ति अत्यधिक पाई जाती है; जैसे :—

१. संस्कृत में 'पृथ्वी,' 'स्वर्ण' जैसे शब्दों के 'पृथिवी,' 'सुवर्ण' जैसे रूप भी पाये जाते हैं। वे भी एक प्रकार से स्वर-भक्ति के उदाहरण हैं।

२. तु०—“विप्रकर्षः” (प्राकृतप्रकाश ३।५६)।

संस्कृत	प्राकृत
लोक	लोअ
नगर	गाअर
भोजन	भोअरा
प्रिय	पिअ
कति, कवि, कपि	कइ

(६) अक्षर-लोप (Haplology)—जब दो समान अक्षर साथ-साथ आते हैं तब उच्चारण की सुविधा के कारण उनमें से एक का लोप देखा जाता है।

उदाहरणार्थ, संस्कृत में त्यागार्थक 'हा' धातु के लोट् लकार के मध्यम पुरुष के एकवचन में 'जहीहि' और 'जहि' दो रूप होते हैं। इनमें 'जहीहि' के 'ही' के लोप हो जाने से ही 'जहि' बना है।

इसी प्रकार 'शेव-वृधः' से वैदिक शब्द 'शेवृधः' (= प्रिय, अमूल्य) और 'शष्पपिञ्जरः' से वैदिक शब्द 'शष्पिञ्जरः' (= पीलेपन को लिये हुए लाल छोटी नई घास) बन गये हैं; इसी प्रकार 'तृचः'^१ (= त्रि + ऋच् + अः) में 'रि' का लोप हो जाता है।

(७) वर्णव्यत्यय या स्थानविपर्यय (= Metathesis)—कभी-कभी शब्द में आनेवाले दो वर्ण उच्चारण की असावधानता के कारण अपने स्थानों का परिवर्तन कर लेते हैं। हिन्दी में इसके पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं।

उदाहरणार्थ, 'मतलब', 'चाकू', 'लखनऊ' के स्थान में 'मतवल', 'काचू', 'नखलऊ' प्रायः सुनने में आते हैं।

निरुक्त (२।१) में 'स्तोक', 'रज्जु', 'सिकता', 'तर्कु' शब्दों को इसी प्रकार वर्णों के आद्यन्तविपर्यय द्वारा क्रमशः 'श्चुतिर् क्षरणो' (= श्चुत्),

१. तु०—“ऋचि त्रेरुत्तरपदादिलोपश्छन्दसि” (अष्टाध्यायी ६।१।३७ पर वार्त्तिक)।

‘सृज विसर्गे’, ‘कस विकसने’ और ‘कृती छेदने’ (=कृत्) इन धातुओं से बनाया है।

ऐतरेय-ब्राह्मण (२।१४) आदि वैदिक ग्रन्थों में ‘शल्लक’ शब्द टुकड़े के अर्थ में आता है। पीछे से वर्ण-व्यत्यय और स्वर-भक्ति से इसी का दूसरा रूप ‘शल्ल’ हो गया, जो संस्कृत में बराबर प्रयुक्त होता है।

४—अर्थ-विज्ञान

अथवा

भाषा के आभ्यान्तर रूप (=अर्थ) में

विकास और परिवर्तन

(१)

अर्थ-विज्ञान का प्रारम्भ

भाषा-विज्ञान में अर्थ-विज्ञान की शाखा का विकास अभी कुछ ही काल से हुआ है और इसीलिए, जैसा हम प्रथम परिच्छेद में कह चुके हैं, यह अभी तक अपनी प्रारम्भिक अवस्था में ही है।

पर भारतवर्ष में अर्थ के सम्बन्ध में विभिन्न दृष्टियों से विचार अति प्राचीन काल से ही होता रहा है। गोपथ-ब्राह्मण (१।१।२६) में कहा है—

“रूपसामान्यादर्थसामान्यं नेदीयः।”

अर्थात्, शब्दों की औच्चारणिक या शाब्दिक समानता की अपेक्षा अर्थ की समानता को ही अधिक अन्तरङ्ग समझना चाहिए।

शतपथ-ब्राह्मण (१।४।४।७) में कहा है—

“वाग्वै मनसो हसीयसी ।”

अर्थात्, मन से वाणी कहीं छोटी है। यहाँ मन से अभिप्राय भाषा के आभ्यन्तर रूप, अर्थ, से ही है। वाणी और अर्थ के सम्बन्ध में इसी तरह के गम्भीर विचार ब्राह्मण-ग्रन्थों में यत्र-तत्र पाये जाते हैं।

निरुक्त में भी यत्र-तत्र शब्द-निर्वचन के संबन्ध में अर्थ-विचार का स्पष्ट संकेत मिलता है।^१

महाभाष्य आदि व्याकरण-ग्रन्थ, न्याय और मीमांसा में भी अर्थ के विषय में पर्याप्त विचार किया गया है।

साहित्य के लक्षण-ग्रन्थों (साहित्य-दर्पण, ध्वन्यालोक आदि) में तो शब्दार्थ के सम्बन्ध में काफी सूक्ष्म विचार किया गया है। उसको विशद करने का यह स्थान नहीं है।

इतना होने पर भी आज-कल के अर्थ-विज्ञान की जो अपनी ऐतिहासिक और तुलनात्मक दृष्टि है वह उसके विशेष महत्त्व का संपादन करती है। स्वभावतः यह व्यापक दृष्टि हमें प्राचीन भारतीय विचारधारा में नहीं मिलती।^२

(२)

अर्थ की समस्या और अर्थ-विज्ञान का विषय

शब्द और अर्थ का घनिष्ठ सम्बन्ध है। किसी अभिप्रेत अर्थ को

१. तु०—“अथानन्वितेऽर्थेऽप्रादेशिके विकारेऽर्थनित्यः परीक्षेत केनचिद् वृत्तिसामान्येन ।...विशयवत्यो हि वृत्तयो भवन्ति ।” (निरुक्त २।१) “अर्थे वाचः पुष्पफलमाह ।” (निरुक्त १।२०) । “पादः पद्यतेः । तन्निघानात्पदम् । पशुपादप्रकृतिः प्रभागपादः । प्रभागपादसामान्यादितराणि पदानि ।” (निरुक्त २।७) ।

२. इस सम्बन्ध में, उदाहरणार्थ, ‘सुर’ तथा ‘असुर’ शब्दों का विचार

प्रकट करने के लिए ही शब्द का प्रयोग किया जाता है।^१ ऐसा होने पर भी, किसी शब्द के अर्थ की वास्तविक सीमा क्या है, इसका निर्धारण करना प्रायः दुष्कर होता है। 'धर्म', 'अधर्म', 'संतोष', 'सत्य', 'क्षमा', जैसे गूढार्थक शब्दों के अर्थों के विषय में यह बात प्रसिद्ध है। 'वनस्पति', 'श्लोषधि', 'अन्न' जैसे साधारण शब्दों के अर्थ के विषय में भी यह समस्या प्रायः उपस्थित हो जाती है। इसीलिए विद्वानों का कथन है कि शब्द द्वारा अर्थ का सीमा-बन्धन बड़ा कठिन होता है।^२ फिर, तत्तद्ब्यक्ति के अपने मानसिक विकास की मात्रा से भी अर्थ की सीमा में अन्तर पड़ता रहता है।^३

अर्थ के विषय में एक दूसरी समस्या भी प्रायः उपस्थित हो जाती है। प्रत्येक भाषा में अनेक शब्द अनेकार्थक होते हैं। उन अर्थों में परस्पर कोई सम्बन्ध है या नहीं, यदि है तो वह कैसा है? यह एक विचारणीय विषय होता है।

हिन्दी में 'अंस' शब्द के (१) कंधा और (२) भाग, ये दो अर्थ हैं। पर इसकी व्याख्या यही है कि 'कंधा' अर्थवाला 'अंस' शब्द मूल में 'अंस' (संस्कृत) ही है; पर 'भाग' अर्थवाला 'अंस' शब्द संस्कृत 'अंश' शब्द से निकला है। इस प्रकार हिंदी का 'अंस' शब्द वास्तव में दो भिन्न भिन्न शब्द हैं।

'पाद' शब्द के भी संस्कृत में पैर, चौथा भाग, किसी पद्य का एक पाद, भाग इत्यादि अनेक अर्थ हैं।

'अर्य' शब्द का अर्थ "अर्यः स्वामिवैश्ययोः" (अष्टाध्यायी ३।१।१०३) इस पाणिनि-सूत्र के अनुसार स्वामी और वैश्य है।

परिच्छेद ५, अधिकरण ६ (क) (४) में, एवं 'गुप्', 'गवेषणा', 'अभ्यास' तथा 'द्रव्य' शब्दों का विचार परिच्छेद ७, अधिकरण ५ (२) में देखिये।

१. तु० "अर्थगत्यर्थः शब्दप्रयोगः" (महाभाष्य ३।१।७)।

२. तु०—"वाग्वै मनसो हृषीयसी" (शतपथ-ब्राह्मण १।४।४।७)।

३. तु० "अक्षएवन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा वभूवुः" (ऋग्वेद १०।७।१।७)।

‘गो’ शब्द के गौ, पृथ्वी, किरण, इन्द्रिय आदि अनेक अर्थ हैं।

इन अनेकार्थों के विषय में प्रश्न उठता है कि क्या भिन्न-भिन्न शब्दों के ये अनेकार्थ बिलकुल स्वतन्त्र हैं, या वास्तव में एक-एक अर्थ मौलिक है और दूसरे उसी से विकसित हुए हैं ?

शब्दों के अर्थके सम्बन्ध में एक और दृष्टि भी हो सकती है। साहित्य के लक्षण-ग्रन्थों में शब्द की अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना तीन शक्तियाँ मानी जाती हैं और उनके आधार पर शब्द का अर्थ भी क्रमशः वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्ग्य भेद से तीन प्रकार का होता है। कवियों और अच्छे लेखकों को छोड़कर, साधारण व्यवहार में भी शब्दों के प्रयोग में अर्थ के ये भेद पाये जाते हैं। इस दृष्टि से भी अनन्त गंभीर विचार अर्थ के विषय में हो सकता है। जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, संस्कृत साहित्य के लक्षण-ग्रन्थों में इस विषय का सूक्ष्म विचार विस्तार से किया गया है।

वास्तव में देखा जाय तो अर्थ-विज्ञान में सभी संभव दृष्टियों से अर्थ या शब्दार्थ के विषय में वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करना चाहिये। ऐसा होने पर भी, सामान्यतः अर्थ-विज्ञान (या अर्थ-विचार) का विषय यही समझा जाता है कि शब्दों के सर्वसम्मत प्रचलित या प्रसिद्ध अर्थों को लेकर उनके विकास या ऐतिहासिक परम्परा को दिखलाया जावे। दूसरे शब्दों में, किसी शब्द के अर्थ में देशान्तर या कालान्तर में होने वाले परिवर्तन का विचार ही सामान्यतः अर्थ-विज्ञान का विषय समझा जाता है।

५—अर्थ-परिवर्तन के कुछ निदर्शन

भाषा के आभ्यन्तर रूप (= अर्थ) में जो विकास और परिवर्तन होते हैं उनके कुछ निदर्शन नीचे दिये जाते हैं—

(१) भाषान्तर से गृहीत शब्दों में। भाषाओं में दूसरी भाषाओं से शब्द प्रायः ले लिये जाते हैं, इसकी चर्चा हम परिच्छेद ५ में कर चुके हैं। ऐसे शब्दों के अर्थों में नवीन सामाजिक वातावरण के कारण परिवर्तन हो जाता है। उदाहरणार्थ—

‘शीशा’ (फ़ारसी) का मूल में अर्थ पारदर्शी मिश्रधातु है । पर हिन्दी में इसका दर्पण अर्थ में अधिक प्रयोग होता है ।

वस्वई में गुजराती लोगों में फ़ारसी शब्द ‘दरिया’ (=नदी) का प्रयोग समुद्र के अर्थ में प्रायः सुनने में आता है ।

हिन्दी में ‘गिलास’ (अंगरेज़ी glass) शब्द का प्रयोग चाँदी, पीतल आदि के बने हुए पीने के पात्र-विशेष के अर्थ में होता है ।

हिन्दी में ‘कापी’ (अंगरेज़ी copy =प्रतिलिपि) शब्द का प्रयोग लिखने की कोरे कागज़ों की पुस्तक के लिए होता है ।

हिन्दी में ‘रपट’ (अंगरेज़ी report =सूचना) शब्द का प्रयोग केवल थाने में लिखाई गई शिकायत के अर्थ में होता है ।

(२) सम्बद्ध भाषाओं के शब्दों में । शब्दों के अर्थ की सीमा का निर्धारण प्रायः कठिन होता है, यह हमने ऊपर कहा है । इसी कारण से किसी प्रकार के सूक्ष्म मानसिक या बौद्धिक संपर्क के आधार पर एक ही शब्द का संबद्ध भाषाओं में प्रायः अर्थ-भेद देखा जाता है । उदाहरणार्थ, नीचे के शब्दों को और उनके अर्थ-भेदों को देखिये:—

भाषा	शब्द	अर्थ
संस्कृत	वाटिका	बाड़ी (=बगीचा)
हिन्दी	वाड़ी, बारी	”
वंगाली	वाड़ी	घर
—		
संस्कृत	गृहम्	घर
हिन्दी, मराठी, गुजराती	घर	”
वंगाली	घर	कमरा
—		

छठा परिच्छेद

संस्कृत, गुजराती, हिन्दी आदर
बंगाली आदर

सम्मान
स्नेह

संस्कृत
बंगाली, मराठी

राग
राग

प्रेम
क्रोध

संस्कृत
हिन्दी

कटु
कड़वा

चरपरा, तीखा
कड़वा

संस्कृत
हिन्दी

स्थाली
थाली

बटलोई
छोटी परात

संस्कृत
ग्रीक

धूम
thumós

धुआँ
आत्मा

संस्कृत
ग्रीक

आत्मा
atmós

आत्मा
धुआँ, भाप

संस्कृत
ईरानी

देव
दैव

देवता (अच्छे अर्थ में)
दानव (बुरे अर्थ में)

(३) प्रसङ्ग-भेद से प्रयुक्त शब्दों में। एक ही भाषा में प्रसङ्ग या प्रकरण^१ के अनुसार शब्दों का अर्थ-भेद प्रायः देखा जाता है।

ऐसे शब्द दो प्रकार के हो सकते हैं—

एक तो वे जो यद्यपि सुनने और लिखने में एकरूप होते हुए भी मूल में वास्तव में भिन्न-भिन्न शब्द हैं और उनके अर्थ-भेद का कारण यही होता है। जैसे—चारा (हिन्दी) = घास आदि; चारा (फ़ारसी) = उपाय। आम (हिन्दी) = आम का फल; आम (अरबी) = साधारण। रास (हिन्दी = संस्कृत 'राशि') = मेष आदि राशि; रास (हिन्दी = संस्कृत 'रास') = एक प्रकार का नाच; रास (हिन्दी = संस्कृत 'रश्मि') = डोर, बाग।

वास्तव में ऐसे शब्दों से यहाँ हमारा अभिप्राय नहीं है।

दूसरे वे शब्द हैं जो मूलतः अभिन्न होते हुए भी प्रसङ्ग या प्रकरण के भेद से भिन्न-भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे—

अर्थ = धन, अभिप्राय, प्रयोजन।

अङ्क = चिह्न, संख्या, गोद, नाटकादि का परिच्छेद।

नाग = साँप, हाथी, आदि।

पय = दूध, जल।

गुरु = शिक्षक, भारी।

फूल = फूल धातु, पुष्प।

पाद = पैर, चौथा भाग, पौवा।

वस्तुतः ऐसे ही शब्दों से यहाँ हमारा अभिप्राय है।

(४) इसी प्रसङ्ग में एक ही भाषा में (या भाषा-परम्परा में) काल-भेद से होने वाला शब्दों के अर्थों का भेद भी दिखा देना चाहिये। यह अर्थ-भेद कई रूप में पाया जाता है। उदाहरणार्थ—

१. तु०—“संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता।

अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य संनिधिः ॥

सामर्थ्यमौचित्यं देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः।

शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः ॥”

(साहित्यदर्पण, द्वितीय परिच्छेद में वाक्यपदीय से उद्धृत)।

(क) मूल में सामान्यार्थक शब्द कालान्तर में विशेषार्थक हो जाते हैं।

उदाहरणार्थ, 'मृग' शब्द मूल में पशु-मात्र का वाचक था^१, पीछे से हरिण-वाची हो गया। 'रत्न' शब्द मूल में देने योग्य रमणीय पदार्थ या धन का बोधक था^२, पीछे से बहु-मूल्य पत्थर का बोधक हो गया।

(ख) मूल में विशेषार्थक शब्द कालान्तर में सामान्यार्थक हो जाते हैं।

उदाहरणार्थ, 'द्रु' (= लकड़ी) से बने पदार्थ का वाचक 'द्रव्य' शब्द पीछे से पदार्थ-मात्र का वाचक हो गया। 'उद्दण्ड' शब्द मूल में दण्ड उठाये हुए उद्धत मनुष्य का वाची था; पीछे से सामान्य रूप से उद्धत-वाची हो गया।

(ग) मूल में मूर्त या ऐन्द्रियक अर्थ रखने वाले शब्द कालान्तर में अमूर्त या बौद्धिक अर्थ को प्रकट करने लगते हैं।

उदाहरणार्थ, दर्शन, आलोचन, प्रतिबिम्ब, दण्ड, दर्पण, आदर्श, अनुग्रह (अनु + ग्रहण = बोझा आदि उठवाने में पीछे से हाथ लगाना; कृपा) आदि शब्द प्रारम्भमें मूर्त अर्थ को रखते थे; पीछे से अमूर्त अर्थ में प्रयुक्त होने लगे।

(घ) मूल में भाव-वाचक शब्द पीछे से मूर्त अर्थ को देने लगते हैं।

उदाहरणार्थ, नीचे के शब्दों में दोनों प्रकार के अर्थों को देखिये—

अराति = (१) शत्रुता, कृपणता; (२) शत्रु।

शरण = (१) आश्रय में जाना; (२) घर।

भवन = (१) होना ; (२) घर।

शयन = (१) सोना ; (२) विछौना।

१. तु०—“मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः” (ऋग्० १।१५।२)।
‘मृगेन्द्र’ (= सिंह) शब्द में ‘मृग’ का यही अर्थ है।

२. तु०—“सविता देव आगाद् दघद् रत्ना दाशुषे” (ऋग्० १।२५।८)।

६—अर्थ-विकास की तीन दिशाएँ

ऊपर के लेख से स्पष्ट है कि अर्थ-विकास या अर्थ-परिवर्तन के अनेकानेक रूप हो सकते हैं। उन सबके वर्गीकरण के सम्बन्ध में अर्थ-विज्ञान के प्रमुख लेखक ब्रेअल (Bréal) का मत है कि अर्थ-विकास तीन दिशाओं में होता है—

- (१) अर्थ-विस्तार,
- (२) अर्थ-संकोच, और
- (३) अर्थान्तरण अथवा अर्थसंक्रमण।

दूसरे शब्दों में, समस्त अर्थ-परिवर्तन इन तीन प्रकारों के अन्दर आ जाता है।

इनमें से प्रत्येक की संक्षिप्त व्याख्या नीचे दी जाती है—

(१) अर्थ-विस्तार

‘अर्थ-विस्तार’ में शब्द के मौलिक अर्थ के रहते हुए उस अर्थ का विस्तार हो जाता है; मौलिक अर्थ समाप्त नहीं होता।

ऊपर विशेषार्थक शब्दों का कालान्तर में सामान्यार्थक हो जाना हमने दिखलाया है। उसके उदाहरणों को अर्थ-विस्तार का ही उदाहरण समझना चाहिये। उनके अतिरिक्त, कुछ और उदाहरण भी अर्थ-विस्तार के नीचे दिये जाते हैं—

शब्द	मौलिक अर्थ	विस्तृत अर्थ
द्रव्य	‘द्रु’ (= लकड़ी) से बनी हुई वस्तु	{ धन; आत्मा आदि गुणवान् पदार्थ
तेल (तेल)	तिल का तेल	किसी प्रकार का तेल
गङ्गा	गङ्गा-नामक विशेष नदी	पवित्र नदी (उत्तरा-खंड तथा दक्षिण-भारत में)

{ परश्वः (संस्कृत) आनेवाला परसों
 परसों (हिंदी, संस्कृत " (बीता हुआ तथा
 'परश्वः' से निकला हुआ) { आनेवाला) परसों

प्रवीणा	बीणा-वादन में होशियार	होशियार
गवेषणा स्याही	गौ का ढूँढ़ना या चाहना काली स्याही	{ ढूँढ़ना लिखने की सब प्रकार की स्याही
रूपया पैसा	चाँदी का एक सिक्का ताँबे का एक सिक्का	संपत्ति धन

(२) अर्थ-संकोच

‘अर्थ-संकोच’ में शब्द के मौलिक अर्थ की सीमा पहले से अधिक संकुचित हो जाती है।

ऊपर सामान्यार्थक शब्दों का कालान्तर में विशेषार्थक होना जो दिखलाया है, वह अर्थ-संकोच ही है। अर्थ-संकोच के कुछ अन्य उदाहरण नीचे दिये जाते हैं—

शब्द	मौलिक अर्थ	संकुचित अर्थ
वेद	विद्या	ऋग्वेद आदि चार वेद
पर्वत	पर्ववाला बादल या पहाड़	पहाड़
यात्रा	कहीं जाना	तीर्थाटन
वर	जो माँगा जाये	दूल्हा
पयः	जल (पीने का पदार्थ)	दूध
योग	जोड़	योग-विद्या (आत्मा परमात्मा का योग)
क्रोष्टा	चिलाकर बोलनेवाला, जैसे स्तोता	गीदड़
धान्य	अन्नमात्र	धान

(३) अर्थान्तरण या अर्थ-संक्रमण

‘अर्थान्तरण’ से अभिप्राय यह है कि मौलिक अर्थ के स्थान में दूसरा अर्थ आ जाय। उक्त दोनों प्रकारों की अपेक्षा ‘अर्थान्तरण’ के उदाहरण बहुत अधिक मिलते हैं। उदाहरणार्थ :—

शब्द	मौलिक अर्थ	नया अर्थ
अनुग्रह	पीछे से हाथ लगाना (जैसे बोभे के उठवाने में)	कृपा
अनुक्रोश	किसी के चिल्लाने पर साथ में चिल्लाने लगना (जैसे गीदड़ करते हैं)	सहानुभूति (संस्कृत में)
गो१	गौ (पशु)	पृथ्वी, किरन, इन्द्रिय आदि
शुश्रूषा अभ्यास	सुनने की इच्छा लक्ष्य की तरफ बाणादि का फेंकना	सेवा, शुश्रूषा बार बार अभ्यास करना
उपेक्षा उपवास	पास से देखना अग्नि के पास रहना (यजमान का)	उपेक्षा या उदासीनता भूखा रहना
गोष्ठी उत्सव	गौश्रों का स्थान सोम-रस के निकालने का संभार	सभा, मण्डली आनन्द मनाना
सपत्न शालीन	एक ही स्त्री के लिए लड़नेवाले जो शाला में रहे	शत्रु लज्जालु, नम्र

७—अर्थ-विकास या अर्थ-परिवर्तन के मौलिक कारण

ऊपर अर्थ-विकास या अर्थ-परिवर्तन की तीन दिशाओं का वर्णन किया गया है। यह अर्थ-विकास भाषा में भिन्न-भिन्न रूपों में दिखाई देता है। तत्तत्स्थलों में उस परिवर्तन के मूल में क्या-क्या कारण होते

१. ‘प्रेमी-अभिनन्दन-ग्रन्थ’ में—‘गो’ शब्द के अर्थों का विकास—शीर्षक हमारा लेख देखिये।

हैं या हो सकते हैं, इस पर यथासंभव व्यवस्थित ढंग से विचार करने का नीचे प्रयत्न किया गया है :—

(१) आलंकारिक प्रयोग

अपने भाव या अभिप्राय को दूसरों पर स्पष्टता से या प्रभाव-पुरस्सर प्रकट करने के लिए मनुष्य स्वभावतः आलंकारिक भाषा का प्रयोग करता है और इस प्रकार के आलंकारिक प्रयोगों में अर्थ-परिवर्तन के सैकड़ों उदाहरण मिल सकते हैं। उदाहरणार्थ—

कटु वचन, कठोर भाषण, मधुर आलाप, तीखी बोली, सीधी बात, लौह पुरुष, मुँह पर कालिख लगना, नाक का कटना (=असम्मानित होना), आँसुओं की वर्षा, आलू की आँख।

इन सब स्थलों में 'कटु' आदि शब्द अपने प्रसिद्ध मौलिक अर्थ के स्थान में स्पष्टतः दूसरे अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं।

साहित्यिक भाषा का तो कहना ही क्या, हमारी दैनिक व्यवहार की भाषा में भी इस प्रकार का अर्थ-परिवर्तन अत्यधिक देखा जाता है।

(२) नवीन नामकरण की आवश्यकता

मनुष्य के पास अपनी जो आर्थिक पूँजी या संपत्ति होती है प्रायेण उसीको वह नये-नये काम-धन्धों में लगाया करता है। ठीक इसी तरह किसी मनुष्य-समाज के पास अपनी भाषा में जो नाम-संपत्ति या शब्द-संपत्ति होती है प्रायेण उसी के आधार पर वह अपने नवीन अनुभवों या नवीन पदार्थों के लिए आवश्यक नवीन नामों की पूर्ति करता है। इसी कारण से

प्रायेण परिचित पदार्थों या अनुभवों के साथ किसी प्रकार के सादृश्य आदि के सम्बन्ध के आधार पर उनके बोधक पुराने शब्द ही आवश्यक अर्थ-परिवर्तन से नवीन पदार्थों या अनुभवों के लिए दे दिये जाते हैं।

किसी भी समाज में नई परिस्थितियों या नवीन वातावरण के कारण

(१) नये पदार्थों के लिए,

(२) धार्मिक, सामाजिक आदि नवीन सम्बन्धों के लिए, अथवा

(३) सभ्यता या ज्ञान की प्रगति से उद्भूत नवीन आवश्यक-

ताओं या आविष्कारों के लिए

नवीन शब्दों या नामों की आवश्यकता हो सकती है। इन तीनों अवस्थाओं के उदाहरण क्रमशः नीचे दिये जाते हैं—

(क) नवीन पदार्थों के लिए

अनेक विद्वानों का मत है कि वेद के प्राचीन मन्त्रों में 'उष्ट्र' का अर्थ Bison (एक प्रकार का भैंसा) और पीछे के मन्त्रों में ऊँट है। इसका कारण यही हो सकता है कि मन्त्रकर्ता ऋषि जब उस प्रदेश में पहुँचे जहाँ ऊँट होता है तब उन्होंने अपना पूर्वपरिचित 'उष्ट्र' नाम ही उसको दे दिया।

ऋग्वेद में 'सोम' का बड़ा वर्णन है। मुञ्जवान् पर्वत^१ (भारत से पश्चिम में) से उसका विशेष सम्बन्ध था। आर्य लोग उससे बहुत परिचित थे और यज्ञादि में उसका बड़ा उपयोग करते थे। परन्तु भारतवर्ष में सोम दुष्प्राप्य होने से वैदिक काल में ही 'पूतीकतृण'^२ को सोम का नाम देकर उसी का यज्ञादि में उपयोग किया जाने लगा।

पाणिनि के "इवे प्रतिकृतौ" (अष्टाध्यायी ५।३।६६) इस सूत्र के प्रकरण में शिव, विष्णु, स्कन्द आदि देवताओं की मूर्तियों के लिए भी 'शिव', 'विष्णु', 'स्कन्द' आदि नाम दिये जाने का विधान किया गया है। इसी प्रकार अर्जुन आदि के चित्र को भी 'अर्जुन' आदि कहते थे^३।

१. तु० "सोमस्येव मौजवतस्य भक्षः" (ऋग्० १०।३।४।१)।

२. तु० "यदि सोमं न विन्देयुः पूतीकानभिषुणुयुः" (तण्ड्य-महाब्राह्मण ६।५।३)। ऐसा प्रतीत होता है कि पीछे से पूतीक को ही सोम कहने लगे थे।

३. "जीविकार्थे चापरये । देवपथादिभ्यश्च" (अष्टाध्यायी ५।३।६६-१००)
इन सूत्रों पर 'काशिका' टीका को देखिये।

पहाड़ों में एक 'बिच्छू' घास होती है। बिच्छू जन्तु के डंक मारने-जैसी पीड़ा शरीर पर उस घास के लग जाने से होती है। इसी लिए उसे भी 'बिच्छू' कहते हैं।

इसी तरह के नाम वैद्यक-शास्त्र में सैकड़ों मिलेंगे।

यह प्रसिद्ध है कि देशान्तर-प्रवास में इसी तरह का नवीन नामकरण प्रायः होता है। यहाँ तक कि पुराने नगरों, नदियों आदि के नाम भी लोग अपने साथ नवीन देशों में ले जाते हैं। भारतीय इतिहास में ही 'अयोध्या', 'मथुरा' आदि नाम इसी तरह दूर दूर तक ले जाये गये हैं।

(ख) नवीन सम्बन्धों के लिए

'भाई', 'भैया' शब्द मूल में संस्कृत 'भ्रातृ' (=सगा भाई) के समानार्थक हैं। पर व्यवहार में इनका प्रयोग कहीं विस्तृत अर्थों में होता है। महात्मा गाँधी के आन्दोलन के आदि-युग में 'भाई' का बड़ा शिष्ट और मधुर प्रयोग (प्रायेण पत्रों में) होने लगा था। अब उसमें कमी आ गयी है; शायद इस कारण कि परस्पर व्यवहार में वह विशुद्ध माधुर्य अब कम हो रहा है। बनारस आदि नगरों में 'भैया' लड़के को भी कहते हैं। वंबई में 'भैया' गोरखपुर आदि के 'पुर्विये' नौकरों के लिए प्रसिद्ध है।

'ठाकुर' (या संस्कृत 'ठक्कुर') शब्द का मूलार्थ प्रायेण 'देवता'-परक रहा होगा। पर अब इसका प्रयोग भिन्न-भिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न जातियों के लिए (आदर-प्रदर्शन में) भी होता है। बंगाल, गुजरात में क्रमशः 'टैगोर' और 'ठक्कुर' शब्द ब्राह्मणों में और उत्तर-प्रदेश (विशेषतः पश्चिम में) क्षत्रियों में इसका प्रयोग प्रसिद्ध है। वैसे तो छोटी से छोटी जातिवाले से यही पूछा जाता है कि "आप कौन ठाकुर हैं ?"

इसी प्रकार रोमन कैथलिक ईसाइयों में father, mother, brother और sister ये सारे शब्द उनके विशिष्ट धार्मिक सम्बन्धों को प्रकट करते हैं।

हिन्दी में 'माताजी', 'बहिनजी' शिष्टाचार में स्त्रियों के लिए सामान्य रूप से संबोधन में व्यवहृत होते हैं।

(३) सभ्यता, शिष्टता, भद्रता की भावना

शब्दों और भाषा के प्रयोग में सभ्यता, शिष्टता या भद्रता की भावना का भी बड़ा स्थान रहता है। इस भावना के मूल में प्रायेण दो मनोवृत्तियाँ काम करती हैं—(१) दूसरे लोग हमको अच्छा समझें, हमसे प्रभावित हों; अथवा (२) दूसरों की भावना को हमारी बात से ठेस न लगे।

‘तू’ के स्थान में ‘तुम’, ‘तुम’ के स्थान में ‘आप’ (संस्कृत ‘भवान्’), ‘आप’ के स्थान में ‘श्रीमान्’, ‘हुजूर’, ‘अत्र भवान्’, ‘भगवन्’ जैसे शब्दों के व्यवहार में उपर्युक्त मनोवृत्ति ही काम करती है।

उर्दू, संस्कृत जैसी भाषाओं में यह प्रवृत्ति पराकाष्ठा तक पहुँची हुई मिलती है।

हिन्दी में अन्धों के लिए ‘सूरदास’ या ‘प्रज्ञाचक्षु’; साधारण व्यक्ति के लिए ‘चौधरी साहब’ या ‘ठाकुर साहब’; भंगी के लिए ‘मेहतर’ (= महत्तर); दूकानदार के लिए ‘सेठ’ (संस्कृत ‘श्रेष्ठी’); गर्भिणी के लिए संस्कृत में ‘अन्तर्वत्नी’ जैसे शब्दों का व्यवहार भी उपर्युक्त कारण से ही होता है।

इसी प्रकार, मनुष्य अपने लिए स्वभावतः मंगल चाहता है और इसलिए अशुभ या भय-सूचक बातों या प्रयोगों को बचाता है।

‘साँप’ को (रात्रि में विशेषतः) ‘कीड़ा’ कहना, मुर्दे को ‘मिट्टी’ कहना, मरने को ‘स्वर्गवास’ (संस्कृत में ‘कीर्तिशेषं गतः’) कहना, इसी भावना के निदर्शन हैं।

(४) आत्म-श्लाघा की भावना

ऊपर की भावना से प्रतिकूल भावना भी मनुष्य में पाई जाती है। शिष्टता और नम्रता की भावना के विरुद्ध मनुष्य कभी-कभी दूसरों को अपनी होशियारी भी दिखलाना चाहता है, या ऐसी बात भी कहता है जो दूसरे को चुभे या उत्तेजित करे।

आप तो 'बुद्धि के समुद्र' हैं; आइये 'महात्मा जी', 'महाशय जी'; 'देवानांप्रियः'^१ (= मूर्ख); 'वैयाकरण-खसूचिः'^२ (= प्रतिभा-हीन); 'समागताः कुक्कुटमिश्रपादाः' (= पल्लवग्राहि पाण्डित्य से युक्त); 'तीर्थध्वाङ्क्षः' (= अनवस्थित व्यक्ति = 'तीर्थे ध्वाङ्क्ष इव')^३ इत्यादि प्रयोग इसी प्रवृत्ति के उदाहरण हैं ।

उपसंहार

यह स्पष्ट है कि ऊपर के खण्डों (१ से ४ तक) में उदाहरण-रूप से दिखाये हुए शब्दों या शब्द-समूहों में तत्तत् कारणां से मूल अर्थों में परिवर्तन हो गया है ।

इसी सम्बन्ध में दो एक और बातों को भी ध्यान में रखना चाहिये ।

यह सब जानते हैं कि मनुष्य के मन की गति का निर्धारण करना असंभव है । इसीलिए मन के विषय में कहा गया है—“दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकम्” अथवा “अन्यस्य चित्तमभिसंचरेणयम्” । साथ ही यह भी माना हुआ सिद्धान्त है कि शब्दों के अर्थ की सीमा का निर्धारण करना प्रायेण दुष्कर होता है । इसलिए किसी प्रसङ्ग में किसी शब्द के अर्थ का विकास किस सम्बन्ध के आधार पर किस रूप में होगा, यह निर्धारित करना असंभव है । ऐसी दशा में अर्थ के विकास और परिवर्तन के जो मौलिक कारण हमने ऊपर दिखलाये हैं उनको केवल सुप्तावन्मात्र या उपलक्षण-मात्र समझना चाहिये ।

ऐसा होने पर भी, ऊपर अधिकरण ६ में अर्थ-विकास की जो तीन दिशाएँ बतलाई हैं वे तो निश्चित ही हैं । अभिप्राय यह है कि अर्थ का विकास सदा अर्थ-संकोच, अर्थ-विस्तार और अर्थान्तरण (या अर्थ-संक्रमण) इन तीन दिशाओं में ही होता है ।

—

१. तु० “देवानांप्रिय इति च मूर्खे” (सिद्धान्तकौमुदी, अलुक्कसमास) ।

२. दे० “कुत्सितानि कुत्सैः” (अष्टाध्यायी २।१।५३) की टीका ।

३. दे० “व्वाङ्क्षेण क्षेपे” (अष्टाध्यायी २।१।४२) की टीका ।

सातवाँ परिच्छेद

—:०:—

भाषा-विज्ञान की प्रक्रिया

१—तुलनात्मक और ऐतिहासिक प्रक्रिया

किसी विषय के उपपत्ति-सहित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, और सामान्य ज्ञान से विज्ञान को भिन्न करनेवाला मुख्य गुण उसका तुलनात्मक होना है, यह हम ऊपर (पृ० २) कह चुके हैं ।

वस्तुतः तुलनात्मक प्रक्रिया^१ ही किसी विज्ञान का प्राण हो सकती है ।

किसी पदार्थ की स्वसम्बन्धी दूसरे पदार्थों के साथ तुलना किये बिना हम उसके स्वरूप को ठीक-ठीक नहीं समझ सकते । किसी विषय से सम्बन्ध रखनेवाले सिद्धान्तों या नियमों की खोज तो तुलना के बिना ही नहीं सकती । उन सिद्धान्तों या नियमों की सच्चाई की परीक्षा भी तुलना द्वारा ही हो सकती है ।

तुलना सम-कालीन पदार्थों के साथ तो होती ही हैं, परन्तु अनेक विषयों में उसकी गति अतीत या ऐतिहासिक पदार्थों तक भी हो सकती है । ऐतिहासिक पदार्थों के साथ तुलना करने को ही किसी विज्ञान में ऐतिहासिक प्रक्रिया कहते हैं । इससे स्पष्ट है कि वास्तव में ऐतिहासिक प्रक्रिया तुलनात्मक प्रक्रिया का ही एक विशेष रूप है ।

भाषा-विज्ञान के एक विज्ञान होने से उसकी प्रक्रिया भी तुलनात्मक होनी चाहिये । भाषा के परिवर्तन-शील होने से भाषा का इतिहास हो सकता है; इसलिए यहाँ तुलनात्मक प्रक्रिया में ऐतिहासिक प्रक्रिया भी अवश्य सम्मिलित समझनी चाहिये ।

१. महाभाष्यादि में 'अन्वय-व्यतिरेक' द्वारा जो विचार किया जाता है वह एक प्रकार से तुलनात्मक प्रक्रिया का ही नामान्तर प्रतीत होता है ।

ऐतिहासिक प्रक्रिया

भाषा-विज्ञान में ऐतिहासिक प्रक्रिया की बड़ी आवश्यकता है। भाषा-विज्ञानी का उद्देश्य केवल यही नहीं होता कि वह भाषा-विज्ञान के प्रमेयभूत शब्दों के रूपों को और उनके नियमों तथा प्रयोग को ऊपरी दृष्टि से समझे और समझावे। यह काम तो एक वैयाकरण का या कुछ अंश तक एक शब्द-कोषकार का होता है।

भाषा-विज्ञानी शब्दों के रूप आदि के 'क्यों' या कारण की खोज करना चाहता है। भाषा परिवर्तन-शील है, यह ऊपर दिखलाया जा चुका है। कोई भाषा—आधुनिक या प्राचीन—और उसके शब्द सदा से एक ही रूप में नहीं रहे हैं। रूप में भेद होकर किसी पूर्ववर्ती अवस्था से ही वे वर्तमान अवस्था को प्राप्त हुए हैं। सभ्यता के साथ-साथ उन्नति करनेवाली मानव-जाति की दूसरी संस्थाओं या कृतियों की तरह प्रत्येक भाषा भी बदलती हुई अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हुई है। इसलिए तद्विषयक परीक्षा और खोज में ऐतिहासिक प्रक्रिया का आश्रय लेना आवश्यक है।

भाषा-विज्ञानी की चेष्टा यही होती है कि वह भाषा के स्वरूप और स्वभाव को समझने के लिए उसके पिछले इतिहास की खोज करे। ऐतिहासिक अवस्थाओं की खोज द्वारा वह भाषा के आधुनिक स्वरूप को तथा उसके प्रारम्भ के प्रकार को भी समझने का यत्न करता है।

भाषा के सामान्य और विशेष रूप दोनों को समझने के लिए ऐतिहासिक प्रक्रिया अपरिहार्य है

सामान्य रूप से भाषा के स्वभाव और स्वरूप को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम उसकी भिन्न-भिन्न ऐतिहासिक अवस्थाओं को जानें; उसके अतीत परिवर्तनों को देखकर उनमें जो जो नियम काम करते रहे हैं उनको समझें; और इस प्रकार ऐतिहासिक अवस्थाओं की खोज द्वारा उसकी प्रवृत्तियों और स्वभाव को तथा यथा-संभव उसके प्रारम्भ के प्रकार को समझ सकें।

इसी तरह किसी भाषा के स्वरूप को विशेष रूप से समझने के लिए भी ऐतिहासिक खोज की बड़ी आवश्यकता है। उदाहरणार्थ, शब्दों की

रचना को समझने के लिए उनकी व्युत्पत्ति को जानना भाषा-विज्ञान का एक मुख्य अंग है; पर शब्दों की व्युत्पत्ति को जानना, दूसरे शब्दों में, उनके इतिहास और वंशावली को ही जानना है।

इसी प्रकार भाषा-विज्ञान के दूसरे अंगों में भी ऐतिहासिक प्रक्रिया के अवलम्बन के बिना काम नहीं चल सकता।

तुलनात्मक प्रक्रिया

ऐतिहासिक प्रक्रिया के समान ही तुलनात्मक प्रक्रिया का अवलम्बन भी भाषा-विज्ञान में कम आवश्यक नहीं है। सामान्यतः भाषा के स्वरूप को समझने के लिए तथा भाषा-विषयक सामान्य सिद्धान्तों का निश्चय करने के लिए तो यह आवश्यक है ही कि हम भिन्न भिन्न परिवारों की भाषाओं की तुलना करें। परन्तु किसी भाषा के विशेष स्वरूप को समझने के लिए और उसके नियमों का पता लगाने के लिए भी तुलनात्मक प्रक्रिया की परम आवश्यकता है।

उदाहरणार्थ, शब्द-व्युत्पत्ति के विषय में ही, ठीक-ठीक अनुसन्धान के उद्देश्य से, आज-कल स्व-सम्बन्धी भाषाओं में प्रकृत शब्द के भिन्न-भिन्न रूपों की तुलना का ही बड़ा सहारा लिया जाता है। यह युक्ति-युक्त भी है; क्योंकि, परस्पर सम्बन्ध रखनेवाली भाषाओं में यह प्रायः देखा जाता है कि वस्तुतः एक ही शब्द भिन्न-भिन्न रूपों में पाया जाता है। एक ही मूल-शब्द का कुछ भाग एक भाषा में, कुछ दूसरी में, और कुछ दोनों में समान रीति से पाया जाता है। कुछ भाग दोनों में बहुत-कुछ परिवर्तित रूप में मिलता है। किसी भाषा में उसी शब्द का कुछ भाग, जो दूसरी भाषा में या तो बिलकुल दूर हो चुका है या अत्यन्त बदल गया है, बिलकुल अपरिवर्तित रूप में जैसे का तैसा सुरक्षित होता है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न भाषाओं की सहायता से किसी शब्द की व्युत्पत्ति के पता लगाने में बड़ी सहायता मिल सकती है।^१

१. उदाहरणार्थ देखिये—हिन्दी 'दो', गुजराती 'वे'। संस्कृत 'वलीवर्द' से हिन्दी में 'बैल' और 'बर्धा'। संस्कृत 'अलात्रु' से 'आल्' (मालवी) और 'लौकी' (हिन्दी)। यहाँ इसी परिच्छेद के अधिकरण ३(४), ५ और ७ को भी देखिये।

प्रत्येक भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनकी ठीक-ठीक व्युत्पत्ति करना बड़ा कठिन है; और इसके लिए जितनी भी सहायता मिल सके अच्छा है। किसी भाषा के शब्दों के व्युत्पत्ति-विषयक अनुसन्धान में जो कुछ अस्पष्टता होती है वह, ऊपर दिखलाए हुए प्रकार से, स्वसम्बन्धी दूसरी भाषाओं की तुलना से बहुत-कुछ दूर हो सकती है।

भाषा-विज्ञान के दूसरे अङ्गों के अनुसंधान में भी इसी प्रकार तुलनात्मक प्रक्रिया की उपयोगिता हो सकती है।

२—भाषा-विज्ञान के भिन्न-भिन्न अङ्गों का अध्ययन

संसार की भाषायें अपने स्थानीय और प्रान्तीय भेदों को मिलाकर असंख्य हैं। साथ ही मनुष्य की शक्ति परिमित है। उसके लिए एक भाषा को भी उसके समस्त भेदों के सहित ठीक-ठीक जानना लगभग असंभव है। ऐसी दशा में भाषा-विज्ञान के भिन्न-भिन्न अङ्गों के अध्ययन के लिए यदि यथोचित प्रक्रिया का अवलम्बन न किया जाय तो किसी का भाषा-विज्ञानी बनना असंभव ही है। इसलिए भाषा-विज्ञान के भिन्न-भिन्न अङ्गों का अध्ययन किस तरह से करना चाहिये इस पर दिग्दर्शन के रूप में थोड़ा-सा विचार आवश्यक है।

(क) भाषा के सम्बन्ध में सबसे पहले हमें वे बातें जाननी चाहियें जो उसको अव्यक्त अथवा अ-वर्णात्मक ध्यनियों से पृथक् करती हैं।

इस उद्देश्य से यह जानना आवश्यक है कि वर्णात्मक शब्दों का उच्चारण कैसे होता है? ऐसे शब्दों को दूसरा मनुष्य ग्रहण या श्रवण कैसे कर लेता है? भाषा के उच्चारण और श्रवण में शारीरिक यत्न के साथ-साथ वक्ता और श्रोता के मानसिक व्यापार क्या-क्या होते हैं? इन बातों को ठीक-ठीक समझने की सबसे अच्छी और सरल रीति यही है कि विद्यार्थी इनको उस भाषा के आधार पर जानने का यत्न करे जिससे वह बहुत अच्छी तरह परिचित है।

(ख) भाषा-सम्बन्धी साधारण सिद्धान्तों को समझने का सबसे अच्छा प्रकार यह है कि हम, भिन्न-भिन्न भाषा-परिवारों से सम्बन्ध रखनेवाली भिन्न-भिन्न भाषाओं के स्थान में, कुछ थोड़ी-सी एक

ही भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखनेवाली भाषाओं को आदर्श मानकर उनके प्रमेयों (शब्दों आदि) का विश्लेषण और परस्पर तुलना द्वारा अध्ययन करें ।

इस प्रकार मालूम किये गए साधारण सिद्धान्त, संभव है, पीछे से अन्य परिवारों से सम्बन्ध रखनेवाली भाषाओं के अध्ययन से कुछ अंशों में बदलने पड़ें । क्योंकि संभव है कि एक ही भाषा-परिवार की कुछ भाषाओं के अध्ययन से जाने गये सिद्धान्त उसी भाषा-परिवार की विशेषता हों और दूसरे परिवारों की भाषाओं में वे सिद्धान्त या नियम न पाये जावें । इस प्रकार की भूलों का संशोधन दूसरे भाषा-परिवारों के विद्वानों द्वारा ही हो सकता है ।

इस प्रकार भाषा-विज्ञान में शब्दों आदि की तुलना का क्षेत्र प्रारम्भ में संकुचित होने पर भी अन्त में अति विस्तृत हो जाता है । केवल संकुचित तुलना से जो हानि हो सकती है उसका विचार हम आगे (अधि० ४) चलकर इसी परिच्छेद में करेंगे ।

(ग) भाषा की रचना के अध्ययन की सबसे अच्छी रीति यही है कि पहले-पहल उन परस्पर-सम्बन्धी भाषाओं की रचना के नियमों को समझा जावे जिनसे अपना घनिष्ठ परिचय है । इस प्रकार जो सिद्धान्त स्थिर किये जावें उनकी पीछे से अन्य भाषाओं की रचना के नियमों के साथ तुलना करनी चाहिये ।

(घ) किसी भाषा या भाषा-वर्ग के इतिहास की खोज का उपाय यही है कि (१) उस भाषा या भाषा-वर्ग के भिन्न-भिन्न कालों के प्राचीन लेखों की परस्पर तथा उसके वर्तमान स्वरूप से तुलना की जावे; (२) उसके स्थानीय और प्रान्तीय वर्तमान भेदों की परस्पर तुलना की जावे; और अन्त में (३) उसकी तुलना उससे घनिष्ठ सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी भाषाओं के साथ की जावे ।

(ङ) भाषाओं के वर्गीकरण के लिए हमें तुलना-पूर्वक उनकी समानताओं और विशेषताओं का पता लगाना होता है । इसके लिए हमें उनके ऐतिहासिक सम्बन्ध पर भी ध्यान देना चाहिये । इसमें उपलब्ध

प्राचीन लेखों की सहायता के साथ-साथ इतिहास का साक्ष्य भी बड़ा साधक होता है। (देखिये परिच्छेद ५, अधिकरण ७)।

३—भाषाओं की तुलना की रीति

ऊपर भाषाओं की तुलना करने का कई जगह उल्लेख आया है। इसलिए तुलना करने के विशेष सिद्धान्तों को जानना आवश्यक है। उलटी रीति से तुलना करने से हम सत्य परिणाम तक कभी कहीं पहुँच सकते। विशेष सिद्धान्त नीचे दिये जाते हैं :—

(१) भाषाओं की तुलना करने में हमें सबसे प्रथम उनके व्याकरण की तुलना करनी चाहिये; इकेले शब्दों की नहीं।

इसका कारण स्पष्ट है। भाषाओं के परस्पर सम्बद्ध और असंबद्ध होने का मुख्य आधार, स्वतन्त्र शब्द नहीं, किन्तु वाक्य होता है। व्याकरण का काम भी वाक्यान्तर्गत शब्दों के परस्पर सम्बन्ध से होता है। वाक्यरचना आदि की चर्चा भी व्याकरण में ही सम्मिलित समझनी चाहिये।

इस सिद्धान्त की उपेक्षा करके इकेले शब्दों की तुलना करने से प्रायः धोखा होता है। ऐसी भाषाओं में भी जिनका परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं दो चार शब्द ऐसे मिल सकते हैं जो सुनने में और अर्थ में भी समानता रखते हों।

उदाहरणार्थ, हम्बोल्ट (Humboldt)^१ नामक विद्वान् ने अपनी यात्रा के वर्णन में लिखा है कि दक्षिण अमरीका की क्विचुआ (Quichua or dialect of the Incas) नामक भाषा में, जिसका भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार से कोई सम्बन्ध नहीं, inti (इन्ति = सूर्य), munay (मुनय् = प्रेम), और veypul (वेपुल् = बड़ा) ये तीन शब्द ऐसे पाये जाते हैं जो संस्कृत 'इन्द्र', 'मन्यु' और 'विपुल' इन शब्दों से मिलते-जुलते हैं।

१. दे० Humboldt's "Travels" अंगरेजी अनु० १, पृ० ३२२।

इसी सिद्धान्त को ध्यान में न रखने का यह फल था कि अठारहवीं शताब्दी में यूरोप में ग्रीक और लैटिन भाषाओं की तुलना हिब्रू भाषा से करते हुए व्युत्पत्तियों को दिखलानेवाले अनेक शब्दकोष तैयार किये गये थे जिनको आज-कल केवल कूड़ा समझा जाता है ।

(२) भाषाओं के व्याकरण और रचना की तुलना करते हुए हमें यह ध्यान में रखना चाहिये कि प्रत्येक भाषा की रचना और व्याकरण में कुछ अंश ऐसा भी हो सकता है जो केवल उसी की विशेषता हो और उसका सम्बन्ध दूसरी भाषा से न हो । तुलना उन अंशों की न करनी चाहिये ।

परन्तु किस भाषा का कौन अंश ऐसा है इसको जानने के लिए आवश्यक है कि उसके इतिहास की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं को दिखानेवाले प्राचीन लेख वर्तमान हों । प्राचीन लेखों के न होने पर हमें उसके वर्तमान स्थानीय और प्रान्तीय भेदों की तुलना से प्राचीन ऐतिहासिक स्वरूप को समझने का यथाशक्य प्रयत्न करना चाहिये ।

(३) व्याकरण और रचना की तुलना द्वारा भाषाओं के सम्बन्ध के निर्धारित हो जाने पर हम उनके शब्दों की तुलना कर सकते हैं । शब्दों की तुलना करने में सबसे पहले उन शब्दों की तुलना करनी चाहिये जो या तो संख्या-वाचक शब्दों की तरह स्थिर अर्थ रखनेवाले हों, या सम्बन्ध-वाचक ('पिता', 'माता' आदि) और प्रतिदिन व्यवहार में आनेवाले हों ।

संख्या-वाचक शब्दों में यह देखा जाता है कि वे अपने अर्थों को नहीं बदलते । उनके उच्चारण में वर्ण-विकार के कारण भेद भले ही हो जावे, उनका अर्थ ज्यों का त्यों स्थिर रहता है । साथ ही जैसे भिन्न-भिन्न पदार्थों और विचारों के लिए पुराने शब्दों के स्थान में नये शब्द व्यवहार में आने लगते हैं, वैसा संख्या-वाचक शब्दों में प्रायः नहीं होता; नये संख्या-वाचक शब्दों की कल्पना बहुत कम देखी जाती है । यही दशा उपर्युक्त दूसरे प्रकार के शब्दों की है । सम्बन्ध-वाचक शब्द और प्रतिदिन व्यवहार की वस्तुओं के नाम भी प्रयोग के बल के कारण अपने को स्थिर रखते हैं । इसलिए यदि दो भाषायें संख्या-वाचक शब्दों

में और प्रतिदिन के साधारण विचार और वस्तुओं को प्रकट करनेवाले शब्दों में समानता रखती हैं तो यह अनुमान किया जा सकता है कि वे दोनों आपस में सम्बन्ध रखनेवाली हैं ।

साधारणतया सर्वनामों की तुलना से काम नहीं चलता । प्रथम तो, सतत-प्रयोग के कारण वे घटते घटते प्रायः एकाक्षरात्मक हो जाते हैं; द्वितीय, भाषाओं के इतिहास में उनकी उत्पत्ति का इतिहास इतना पुराना है कि उसके विषय में ठीक-ठीक अनुसंधान नहीं हो सकता । तो भी, कुछ भाषाओं में उत्तमपुरुष और मध्यमपुरुष के वाचक सर्वनामों की तुलना की जा सकती है ।

(४) शब्दों की तुलना करते हुए हमें स्मरण रखना चाहिये कि तुलना यथासंभव शब्दों की प्रकृति की करनी चाहिये । तुलना करने से पूर्व हमें शब्दों के इतिहास का पता लगाना चाहिये; पीछे से बढ़ाये गये अंशों को छोड़कर उनके मूल-स्वरूप की परस्पर तुलना करनी चाहिये ।

इसकी आवश्यकता इसलिए है कि प्रायः देखा जाता है कि एक ही मूल-शब्द से निकले हुए शब्द भिन्न-भिन्न भाषाओं में या एक ही भाषा में अनेक रूपों में पाये जाते हैं; जैसे हिन्दी में 'कारज', 'काज' ये दोनों शब्द 'कार्य' शब्द से निकले हैं; हिन्दी 'वैल' और 'वर्धा' दोनों शब्द संस्कृत 'बलीवर्द' शब्द से निकले हैं; संस्कृत 'द्वि' शब्द हिन्दी में 'दो' और गुजराती में 'वे' हो जाता है । इसी प्रकार अंगरेजी captive (=कैदी, बन्दी) और caitiff (=नीच, घृणास्पद) दोनों लैटिन captivus से निकले हैं ।

इसके विपरीत, ऐसा भी देखा जाता है कि भिन्न-भिन्न मूल-शब्दों से निकले हुए शब्द भिन्न-भिन्न भाषाओं में या एक ही भाषा में एक ही रूप में पाये जाते हैं; जैसे हिन्दी 'काम' (=इच्छा) और 'काम' (=काज) यथा-क्रम 'काम' और 'कर्मन्' इन दो शब्दों के रूप हैं । इसी प्रकार हिन्दी 'आम' (=एक फल), 'कुल' (=वंश), 'हाल' (दिलना, पहिये की हाल) और अरबी 'आम' (=साधारण), 'कुल' (=सब), 'हाल' (=अवस्था) इन शब्दों को देखना चाहिये ।

इसलिए तुलना करने से पहले शब्दों के इतिहास का पता लगाना आवश्यक है। परन्तु कभी-कभी तुलना करने से ही शब्दों के मूलस्वरूप का पता लगता है।

(५) मूल-शब्दों की तुलना करते हुए हमें उनके अर्थ की समानता पर भी ध्यान देना चाहिये।

शब्दों के इतिहास के अनुसन्धान में—शब्द और अर्थ का घनिष्ठ सम्बन्ध है—इस बात को न भूलना चाहिये। शब्द और अर्थ भाषा के बाह्य और आभ्यन्तर रूप हैं, यह ऊपर कहा जा चुका है। समान अर्थ रखते हुए भी जैसे हम दो बिल्कुल भिन्न-रूप शब्दों का मिलान नहीं कर सकते, इसी तरह भिन्नार्थक शब्दों की, उनके शाब्दिक रूप के समान होने पर भी, तुलना नहीं की जा सकती। भिन्नार्थक से आशय हमारा ऐसे शब्दों से है जिनके अर्थों में परस्पर कोई सम्बन्ध न दिखलाया जा सके।

यह आवश्यक नहीं है कि दो संबद्ध शब्दों का बिल्कुल एकसा ही अर्थ हो। शब्दों के शाब्दिक रूप में जैसे वर्ण-विकार के कारण बहुत कुछ भेद हो सकता है, इसी तरह अर्थ भी प्रायः बदलता रहता है। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे स्थलों में अर्थों के भिन्न होने पर हम यह दिखला सकें कि उनमें से एक अर्थ दूसरे से निकला है या दोनों अर्थों का मूल एक तीसरा अर्थ है।^१

(६) वर्तमान शब्दों के मूल-शब्दों की खोज के लिए उनका प्राचीन साहित्यिक भाषा में या साधारण प्राचीन लेखों में पाया जाना आवश्यक है।

ऐसा न होने पर मूल-शब्दों का वास्तव में क्या रूप था यह कहना कठिन या असंभव-सा होता है। जिन भाषाओं में प्राचीन लेख नहीं मिलते उनमें आधुनिक स्थानीय और प्रान्तीय बोलियों की तुलना से हमें उन भाषाओं के अधिक प्राचीन स्वरूप का निश्चित ज्ञान नहीं हो सकता; केवल साधारण इतिहास का अनुमान किया जा सकता है।

१. प्रेमी-अभिनन्दन-ग्रंथ में—'गो' शब्द के अर्थों का विकास—शीर्षक हमारा लेख देखिये।

(७) प्रत्येक भाषा में वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियम विशेष विशेष हो सकते हैं। यदि एक भाषा में एक वर्ण के स्थान में दूसरा वर्ण देखा जाता है तो उसका उसी तरह दूसरी भाषा में भी देखा जाना आवश्यक नहीं। इसलिए किसी भाषा के मूल-शब्दों के अनुसंधान में हमें उस भाषा के अपने वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियमों को पहले जान लेना चाहिये। कुछ वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियमों का वर्णन हम आगे इसी परिच्छेद में करेंगे। एक भाषा के वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियमों को दूसरी भाषा के शब्दों में लगाने से हमारी तुलना ठीक नहीं हो सकती।

४—संकुचित तुलना का दोष

ऊपर दिखलाया गया है कि भाषा-विज्ञान में शब्दों आदि की तुलना का क्षेत्र प्रारम्भ में संकुचित होने पर भी अन्त में अति विस्तृत हो जाता है। जैसे किसी विषय की खोज में उसका निरीक्षण जितना ही विस्तृत हो उतना ही अच्छा है, इसी प्रकार किन्हीं नियमों या सिद्धान्तों की खोज के लिए तुलना का क्षेत्र जितना ही बड़ा हो उतना ही अच्छा है। तुलना के क्षेत्र के विस्तृत होने से ही हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि किस नियम का विस्तार कितना है। कोई सिद्धान्त या नियम किसी विशेष भाषा या भाषा-परिवार पर लागू है या समस्त भाषाओं में पाया जाता है, इसके निर्धारण का उपाय यही हो सकता है।

जैसा आगे चलकर स्पष्ट होगा, भाषा-विज्ञान का प्रारम्भ भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार के तुलनात्मक अध्ययन से हुआ है। भाषा-विषयक अनेक सिद्धान्त इसी भाषा-परिवार के अध्ययन से स्थिर किये गये हैं। परन्तु इसी भाषा-परिवार के आधार पर स्थिर किये गये सिद्धान्त इसी भाषा-परिवार की विशेषता है या और भाषाओं पर भी लागू है, इसके निर्धारण के लिए अन्य भाषा-परिवारों के साथ इस परिवार की तुलना आवश्यक है। इसी प्रकार की तुलना से, उदाहरणार्थ, हमें यह निश्चय होता है कि प्रत्येक भाषा विभक्ति-युक्त नहीं होती।

संकुचित तुलना के कारण ही कई सिद्धान्तों के विषय में जो कुछ ही भाषाओं पर लागू हो सकते हैं भूल से प्रायः यह समझा जाता है कि वे प्रत्येक भाषा में पाये जाने चाहिये।

उदाहरणार्थ, यह समझा जाता है कि प्रत्येक भाषा की धातुयें एकाक्षरात्मक होनी चाहियें। परन्तु वस्तु-स्थिति में इस सिद्धान्त का आधार भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की भाषायें ही हैं। यद्यपि चीनी जैसी भाषाओं से भी इस सिद्धान्त की पुष्टि हो सकती है, तो भी इन भाषाओं के अधिक प्राचीन स्वरूप से परिचय न होने से निश्चयपूर्वक हम ऐसा नहीं कह सकते। संभव है वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियमों के अनुसार शब्दों के आकार में ह्रास होते-होते उनमें एकाक्षरात्मकता, सदा से न रहने पर भी, अब दीख पड़ती है। कुछ विद्वानों का तो कहना है कि चीनी भाषा में अब भी ऐसी धातुओं का पता मिलता है जो एकाक्षरात्मक नहीं हैं। दक्षिण मेसोपोटामिया की प्राचीन अकैडियन भाषा में भी, जिसका कीलकाक्षरों में लिखित प्राचीन लेखों की सहायता से गत शताब्दी में पुनरुद्धार हुआ है, एकाक्षरात्मक धातुओं के साथ साथ द्व्यक्षरात्मक धातुयें भी पाई जाती हैं। दक्षिण अफ्रीका की वन्तू भाषा में तो धातुयें सामान्यतः अनेकाक्षरात्मक ही पाई जाती हैं। इससे यह स्पष्ट है कि धातु-सम्बन्धी उपर्युक्त एकाक्षरात्मकता का सिद्धान्त समस्त भाषाओं के लिये नहीं समझा जा सकता।

सेमिटिक भाषाओं में प्रवेश करते ही यह प्रतीत हो जाता है कि उनकी रचना कम से कम त्रिवर्णात्मक (अथवा त्रिव्यञ्जनात्मक) धातुओं से हुई है। उदाहरणार्थ, 'ह्-स्-ब्' इस माहा (=धातु) से 'हिसाब', 'हासिब' (=हिसाब करनेवाला), 'हसब' (=उसने हिसाब किया), 'मह्सूब' (=हिसाब की हुई चीज़) इत्यादि शब्द निकले हैं। इसी प्रकार 'क्-त्-ल्' इन तीन वर्णों से 'कत्ल' (=वध), 'कित्ल' (=वधय या शत्रु), 'कातिल' (=वध करनेवाला) इत्यादि शब्द बने हैं। इत्यादि उदाहरणों से अरबी आदि सेमिटिक भाषाओं की धातुओं की त्रिवर्णात्मकता स्पष्ट होने पर भी, उपर्युक्त सिद्धान्त को समस्त भाषाओं पर लागू मानकर कई विद्वानों ने अरबी आदि भाषाओं के धातुओं को भी वस्तुतः एकाक्षरात्मक सिद्ध करने का व्यर्थ यत्न किया है।

ऊपर दिये गये उदाहरणों से स्पष्ट है कि संकुचित तुलना के कारण कुछ भाषाओं के ही आधार पर स्थिर किये गये सिद्धान्त को प्रत्येक भाषा पर लागू मानने से कितनी भूल हो सकती है।

५—शब्दों की व्युत्पत्ति

भाषा-विज्ञान का एक मुख्य अंग शब्दों की व्युत्पत्ति या निर्वचन करना है, यह ऊपर कहा गया है। प्रथम परिच्छेद में दिखलाये हुए भाषा-विज्ञान के विषय और उद्देश्य से यह स्पष्ट है कि शब्दों की व्युत्पत्ति करने से ही भाषा-विज्ञान का विषय समाप्त नहीं हो जाता। तो भी, भाषा-विज्ञान के विषयों में शब्द-व्युत्पत्ति सबसे अधिक रुचिकर और मनोरञ्जक है, यह कहा जा सकता है। जो भाषा-विज्ञानी नहीं हैं वे भी शब्दों की व्युत्पत्ति करने में बड़ी रुचि दिखलाते हैं। वस्तुतः भाषा-विज्ञान का प्रारम्भ शब्दों की व्युत्पत्ति करने के प्रयत्न से ही हुआ है। इसी लिए प्रारम्भ में कुछ समय तक भाषा-विज्ञान और शब्द-व्युत्पत्ति-विचार को समानार्थक समझा जाता रहा।

शब्दों की व्युत्पत्ति या निर्वचन से आशय यह है कि हम एक अस्पष्ट रचनावाले शब्द के इतिहास के जानने की इच्छा से उन मूल-शब्दों या अंशों का पता लगाते हैं जिनसे वह शब्द बना है; या उपर्युक्त इच्छा से ही हम एक शब्द के प्राचीन स्वरूप का उसी भाषा में, और यदि वह शब्द किसी दूसरी भाषा से साक्षात् या परम्परया लिया गया है तो उस दूसरी भाषा में, पता लगाते हैं। दूसरे शब्दों में, शब्द-व्युत्पत्ति से आशय शब्दों की वंश-परंपरा का निर्णय करना है।

(१)

ऐसा प्रायः होता है कि एक शब्द के असली पूर्वजों या प्राचीन स्वरूपों

१. तु० “त्रिविधा हि शब्दव्यवस्था—प्रत्यक्षवृत्तयः, परोक्षवृत्तयः, अतिपरोक्षवृत्तयश्च । तत्रोक्तक्रियाः प्रत्यक्षवृत्तयः, अन्तर्लीनक्रियाः परोक्षवृत्तयः, अतिपरोक्षवृत्तिषु शब्देषु निर्वचनाभ्युपायः । तस्मात्परोक्षवृत्तितामापाद्य प्रत्यक्षवृत्तिना शब्देन निर्वक्तव्याः । तद्यथा निघण्टव इत्यतिपरोक्षवृत्तिः, निगन्तव इति परोक्षवृत्तिः, निगमयितार इति प्रत्यक्षवृत्तिः ।” (निरुक्त १।१ पर दुर्गा की टीका)

इसी प्रसङ्ग में निरुक्त २।१ को भी देखिये ।

का पता नहीं लगता, किन्तु स्व-सम्बन्धी दूसरी भाषा-परम्परा में मिलने-वाले एक प्राचीन शब्द को देखकर उनके विषय में सामान्यतः अनुमान किया जा सकता है।

उदाहरणार्थ, आधुनिक फ़ारसी भाषा यद्यपि अवेस्तन भाषा से नहीं निकली है, तो भी उसके शब्दों के इतिहास के जानने में अवेस्तन भाषा में पाये जानेवाले शब्दों से बड़ी सहायता मिलती है। आधुनिक फ़ारसी भाषा की वंश-परम्परा अवेस्तन भाषा से नहीं, किन्तु उसकी सम-कालीन और उससे सम्बन्ध रखनेवाली प्राचीन फ़ारसी से है। प्राचीन फ़ारसी का जो थोड़ा-सा अंश प्राचीन लेखों में शेष है उसकी अवेस्तन भाषा के साथ तुलना करने से प्रतीत होता है कि ये दोनों भाषायें परस्पर भिन्न-भिन्न होती हुई भी बहुत अंशों में विशेष समानता रखती थीं। ऐसी अवस्था में ऐसे आधुनिक फ़ारसी शब्दों के प्राचीन स्वरूपों का पता लगाने के लिए जिनका प्राचीन फ़ारसी के उपलब्ध लेखों में पता नहीं चलता हमारे पास केवल यही उपाय है कि हम अवेस्तन भाषा को देखकर उनका सामान्यतः अनुमान करें। इसी दृष्टि से साधारण लेखों में एक फ़ारसी शब्द अवेस्तन भाषा से निकला है ऐसा कहा जाता है। यह ऐसा ही है जैसे किसी मनुष्य को, उसके पितामह का नाम न मालूम होने पर, उसके पितामह के भाई का पौत्र कहा जाय।

इस प्रकार शब्दों के स्वरूप और अर्थ का कारण खोजते हुए उनके प्राचीन स्वरूपों और अर्थों के साथ उनके सम्बन्ध को जोड़कर उनके इतिहास और वंशावली का पता लगाना ही शब्द-व्युत्पत्ति का मुख्य प्रयोजन है।

(२)

शब्दों के इतिहास का पता लगाना बड़ा मनोरञ्जक होता है। एक एक शब्द के इतिहास में बड़ी विचित्र कहानियाँ भरी हुई रहती हैं; अनेक शब्दों का इतिहास बड़ा विचित्र होता है।

उदाहरणार्थ,

यह जानकर कितना आश्चर्य और मनोरञ्जन होता है कि आजकल 'अनुसंधान' अर्थ में प्रयुक्त 'गवेषणा' शब्द प्रारम्भ में 'गौ को ढूँढ़ना' इस अर्थ को रखता था, या

‘घृणा’ या ‘निन्दा’ अर्थ में ‘जुगुप्सा’ शब्द में आनेवाला ‘गुप्’ धातु किस प्रकार क्रम से (१) ‘गौ को पालना’, (२) ‘पालना’, (३) ‘छिपाना’—क्योंकि रक्षा प्रायः छिपाकर की जाती है—और अन्त में (४) ‘घृणा करना’—क्योंकि छिपाई हुई वस्तु प्रायः घृणित होती है—इन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है।

इसी प्रकार ‘अभ्यास’ शब्द प्रारम्भ में किसी लक्ष्य की ओर शर आदि के बार बार फेंकने^१ (अभि + असन) के अर्थ में प्रयुक्त होता था।

इसी प्रकार आजकल ‘धन’, ‘आत्मा आदि गुणवान् पदार्थ’ आदि अर्थों में प्रयुक्त ‘द्रव्य’ शब्द प्रारम्भ में ‘द्रु(=वृत्त) से बनी हुई वस्तु’ के ही अर्थ को रखता होगा।^२

इसी प्रकार मूल में ‘आर (=पैना) को उठाये हुए’ इस अर्थ को रखनेवाला ‘उदार’ (=उद् + आर) शब्द क्रमशः (१) ‘उद्धत’ या ‘उद्गड’,^३ (२) ‘सलद्ध’, और अन्त में (३) ‘दानी’ या ‘दूसरों की सहायता में तत्पर’ आदि अच्छे अर्थों में प्रयुक्त होने लगा है।

(३)

इस प्रकार शब्दों की व्युत्पत्ति करना बड़ा रूचिकर और मनोरञ्जक होता हुआ भी सरल काम नहीं है।

भाषा सदा परिवर्तित होती रहती है; शब्दों के स्वरूप के साथ-साथ उनके अर्थों में भी कालान्तर में परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन फहाँ तक किस-किस प्रकार का हो सकता है, इसका कोई निश्चित नियम

१. तु० “विष्वञ्चो अस्मच्छरवः पतन्तु ये अस्ता ये चात्याः।” (अथर्ववेद १।१६।२)। “शूरो अस्तेव शत्रून् वाधते” (ऋग्वेद ६।६४।३); यहाँ ‘अस्ता’ का अर्थ ‘बाण फेंकनेवाला’ ही है।

२. तु० “अथ वृष्य एको द्रव्य एको गर्त्य एकः” (कौपीतकि-ब्राह्मण १०।२)।

३. तु० “ते वै देवाः.....तान् समन्तमेवोदारान् परियत्तानुदपश्यन्” (ऐतरेय-ब्राह्मण २.३१)। “उदारान् = उद्धतान्” (सायणभाष्य)।

नहीं है। भाषा के विकास में अनेक सहकारी कारण हो सकते हैं; और वे कारण सदा एक ही रूप में रहेंगे यह कोई नहीं कह सकता। इसी से एक ही मूल-भाषा से निकली हुई भिन्न-भिन्न प्रान्तीय आदि भाषाओं का विकास भिन्न-भिन्न रूप में होता है। इन्हीं परिवर्तनों के कारण एक ही मूल-शब्द परस्पर अत्यन्त भिन्न अनेक रूपों को धारण कर सकता है; और अनेक भिन्न-भिन्न रूपों के शब्द कालान्तर में समान रूप धारण कर सकते हैं। इन कारणों से शब्द-व्युत्पत्ति के कोई विशेष निश्चित नियम नहीं दिये जा सकते।

(४)

शब्दों के व्युत्पत्ति-विषयक अनुसंधान में बहुत सोच-समझकर आगे पैर बढ़ाना चाहिये। अनुसन्धान करनेवाले को हर समय इस बात का खटका लगा रहता है कि कहीं उसकी व्युत्पत्ति भ्रान्त या अशुद्ध न हो। इस खटके के दो परस्पर विरुद्ध कारण हो सकते हैं—

प्रथम तो, अनेक ऐसे शब्द जो देखने में परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं रखते वस्तुतः एक ही मूल-शब्द से निकले हुए हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, अंगरेजी bishop और उसका समानार्थक फ्रेंच évêque, जिनमें एक वर्ण की भी समानता नहीं है, दोनों वस्तुतः episcopos (= निरीक्षक) इस एक ही ग्रीक शब्द से निकले हैं। इसी प्रकार संस्कृत 'स्वसृ' और फ़ारसी 'खाहर' वस्तुतः एक ही शब्द से निकले हैं।

दूसरी ओर, यह हो सकता है कि देखने में समानता रखनेवाले शब्द वस्तुतः परस्पर कोई सम्बन्ध न रखते हों; उनकी समानता केवल आकस्मिक हो; और उनमें परस्पर मौलिक भेद हो।

भिन्न-भिन्न मूल-शब्दों से निकले हुए शब्द किस प्रकार देखने में समान-रूप हो सकते हैं, यह प्रत्येक भाषा में पाये जानेवाले समान-श्रुति पर भिन्नार्थक शब्दों की परीक्षा से स्पष्ट हो जाता है। उदाहरणार्थ, हिन्दी के नीचे लिखे शब्दों को लीजिये :—

अंस = भाग, अंस = कंधा

संकर = शंकर, संकर = गड़बड़

सर = बाण, सर = तालाब
 सुर = स्वर, सुर = देवता
 सूर = सूर्य, सूर = शूर
 काम = इच्छा, काम = धंधा

इसी प्रकार अंगरेजी sound = स्वस्थ, sound = ध्वनि, और souud = तंग समुद्र, तीन भिन्न-भिन्न शब्दों से निकले हैं; अंगरेजी page = पृष्ठ और page = बाल अनुचर, दो भिन्न-भिन्न शब्दों से निकले हैं।

इस प्रकार की आकस्मिक समान-रूपता (जिसके साथ कभी-कभी अर्थ की समानता भी पाई जाती है) एक ही भाषा के शब्दों में नहीं, किन्तु भिन्न-भिन्न भाषाओं में भी देखी जाती है।^१ उदाहरणार्थ—

अंगरेजी cover = ढाँपना और हिब्रू kophar = ढाँपना, अर्थ और रूप में समानता रखते हुए भी परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं रखते।

इसी प्रकार—

हिन्दी	अरबी
कन्द	कन्द = मिस्री
कफ = कफ	कफ = हथेली
कुल = वंश	कुल = समस्त

इत्यादि शब्दों में परस्पर वस्तुतः कोई सम्बन्ध नहीं है।

ऊपर के लेख से यह स्पष्ट है कि दूसरे विद्वानों द्वारा निश्चित की हुई शब्द-व्युत्पत्तियों को ही समझने के लिए कितनी विद्या और विचार की आवश्यकता है। स्वयं शब्दों की व्युत्पत्ति का निर्धारण करना तो और भी कठिन है।

६—शब्द-व्युत्पत्ति के साधारण नियम

(The Laws of Etymology)

शब्दों की व्युत्पत्ति के निर्धारण और अनुसंधान के लिए विशेष निश्चित नियमों का देना असंभव होते हुए भी कुछ साधारण नियम दिये जा सकते हैं ।

(१) सबसे पहली बात जो स्मरण रखनी चाहिये यह है कि शब्दों की व्युत्पत्ति का निर्धारण ठीक-ठीक अनुसंधान पर निर्भर होता है; इसलिए शब्दों की व्युत्पत्ति मनमानी कल्पित नहीं की जा सकती ।

जैसे कल्पित उपन्यास की तरह सच्चे इतिहास की मनमानी कल्पना नहीं हो सकती, जैसे एक मनुष्य की वंशावली के अनुसरण में मनमानी कल्पना का ज़रा-सा भी अवकाश नहीं होता, इसी तरह शब्दों की व्युत्पत्ति करने में भी हमें मनमानी कल्पना करने का ज़रा भी अधिकार न होना चाहिये । जैसे दूसरे ऐतिहासिक अनुसंधानों में प्रमाणों के साक्ष्य की आवश्यकता समझी जाती है, इसी प्रकार शब्दों के इतिहास के पता लगाने में भी हमें प्रमाणों की आवश्यकता है । इसलिए किसी शब्द को दूसरे शब्द से निकला हुआ या उसका सम्बन्धी कहने से पहले यह देख लेना चाहिये कि उनकी ऐतिहासिक परम्परा या सम्बन्ध का निश्चय या कम से कम संभावना भी हो सकती है या नहीं ।

(२) दूसरी बात यह है । प्रत्येक भाषा का परिवर्तन कुछ वर्ण-विकार-सम्बन्धी विशेष नियमों के अनुसार हुआ करता है ।

एक शब्द को दूसरे शब्द से निकालने के पहले हमें देखना चाहिये कि उसका निकास कहाँ तक उन नियमों के अनुसार हो सकता है, और यदि उन नियमों का व्यतिक्रम या उल्लंघन उस शब्द में पाया जाता है तो उसका कोई विशेष कारण भी है या नहीं । साथ ही एक भाषा के नियम दूसरी भाषा में न लगाने चाहियें, जब तक कि हम अनेक उदाहरणों द्वारा यह सिद्ध न कर लें कि वे नियम उस दूसरी भाषा में भी पाये जाते हैं ।

(३) तीसरी बात यह है कि शब्दों की व्युत्पत्ति करने में जिस प्रकार हमारा ध्यान शब्दों के शाब्दिक रूप पर रहता है इसी तरह हमें उनके अर्थ की भी उपेक्षा न करनी चाहिये ।^१

इसी लिए यह कहा जाता है कि ठीक ठीक व्युत्पत्ति करने के लिए शब्दों के शाब्दिक रूप को ही न देखना चाहिये ।^२ जिस प्रकार वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियमों द्वारा किसी शब्द को उसके मूल-शब्द से निकला हुआ सिद्ध किया जाता है, इसी प्रकार हमें यह भी दिखलाना चाहिये कि उन दोनों के अर्थों में भी सम्बन्ध है ।

उक्त नियमों की उपेक्षा से हानि

उक्त नियमों का ध्यान न रखने से अनेक देशों में चिरकाल तक शब्द-व्युत्पत्ति को बुद्धि का एक मनमाना खेल समझा जाता रहा; और कहीं कहीं अब भी समझा जाता है । भाषाओं के ऐतिहासिक सम्बन्ध पर बिलकुल ध्यान न देकर, एक भाषा के शब्दों की दूसरी भाषा के शब्दों से व्युत्पत्ति की जाती रही । किसी प्रमाण की अपेक्षा न करके केवल शाब्दिक समानता के आधार पर शब्दों की मनमानी व्युत्पत्ति भिन्न-भिन्न देशों के विद्वान् भी करते रहे । भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखनेवाली लैटिन और ग्रीक भाषाओं के शब्दों की सेमिटिक परिवार की हिब्रू भाषा के शब्दों से व्युत्पत्ति का जिक्र हम ऊपर^३ कर चुके हैं । भाषाओं के भिन्न-भिन्न परिवारों में वर्गीकरण के पूर्व तो ऐसा करना कोई आश्चर्य की बात न थी; परन्तु आजकल भी जब कि भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण बहुत अंश तक हो चुका है ऐसी व्युत्पत्तियों की कमी नहीं है ।

१. तु० “रूपसामान्यादर्थसामान्यं नेदीयः” (गोपथब्राह्मण १।१।२६) ।
तथा “अर्थनित्यः परीक्षित” (निरुक्त २।१) पर दुर्गाचार्य की टीका—

“अर्थसामान्यं बलीयः शब्दसामान्यात् ” ।

२. तु० “Sound etymology has nothing to do with sound”, (अध्यापक मैक्स म्यूलर)

३. दे० परिच्छेद ७, अधिकरण ३ (१) ।

इस समय हमारे सामने संस्कृत के एक धुरंधर विद्वान की एक छोटी-सी पुस्तक है। उसमें अरबी आदि भाषाओं के उन शब्दों की जो हिन्दी में प्रसिद्ध हैं संस्कृत के अनुसार व्युत्पत्ति दिखलाई है। पाठकों के विनोदार्थ उसमें से कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं :—

“अदवः (आदाव)—‘सत्कारे’ दव उपतापोऽसत्कार इति न दवोऽसत्कारः = अदवः सत्कारः।

अजायब = अजातपूर्वः।

हाजिर = इहाजिरः। इह इहैवाजिरं निवासो यस्य सः। उपस्थिते।

विलायतः—(पुं०) एतन्नाम्ना प्रसिद्धे देशे। लातीति लायः आदाता तस्य भावो लायता विशिष्टा लायता गुणग्राहिता यत्र।”

इसके अतिरिक्त, किसी प्रकार के प्रमाण के न होने पर भी अनेक शब्दों का मनमाना सम्बन्ध स्थापित करना भारतवर्ष के पढ़े-लिखों में आज-कल प्रायः देखा जाता है। उदाहरणार्थ :—

जापान = जयप्राण

स्वीडन = सुयोधन

अरब = आर्यवाह

स्कैण्डिनेविया = स्कन्धनिवासी

इन्तकाल = अन्तकाल

वालिद = पालक^१

mister = मित्र

दूसरी भाषा के असम्बद्ध शब्दों को अपनी भाषा का रूप-रंग दे देना और बात है—यह भी सब जगह अच्छा नहीं—परन्तु उन शब्दों का अपनी भाषा से व्युत्पत्ति-कृत सम्बन्ध स्थापित करना दूसरी बात है, और किसी अवस्था में न्याय्य नहीं।

१. ‘इन्तकाल’ (अरबी) का वास्तविक अर्थ ‘कूच कर जाना’ है। ‘वालिद’ (अरबी) का वास्तविक अर्थ ‘पैदा करनेवाला’ है।

शब्द-व्युत्पत्ति के विषय में इस प्रकार की मनमानी प्रवृत्ति भारतवर्ष में बहुत अंश तक प्राचीन समय से देखी जाती है—

ब्राह्मण-ग्रंथों में ऐसी अनेकानेक व्युत्पत्तियाँ पाई जाती हैं। उदाहरणार्थ शतपथब्राह्मण (७।५।१।२२) में 'उलूखल' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है :—

“उरु मे करादति तदुरुकरमुरुकरं ह वै
तदुलूखलमित्याचक्षते^१.....”

मनुस्मृति आदि ग्रन्थों में भी इनकी कमी नहीं है। उदाहरणार्थ, मनुस्मृति (५।५५) में 'मांस' शब्द की व्युत्पत्ति देखिये :—

मां स भक्षयितामुत्र यस्य मांसमिहाद्रम्यहम् ।
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणाः ॥^२

निरुक्त (१।१३) में इस प्रकार की व्युत्पत्तियों की हँसी करते हुए शाकटायन के विषय में लिखा है :—

“अथानन्वितेऽर्थेऽप्रादेशिके विकारे पदेभ्यः पदेतरार्धान् संचस्कार शाकटायनः। एतेः कारितं च यकारादिं चान्तकरणमस्तेः शुद्धं च सकारादिं च।” (“सन्तमर्थमाययति प्रत्याययति गमयतीति सत्यम्”— दुर्गाचार्य की टीका)

अर्थात्, शाकटायन ने 'सत्य' शब्द को 'अस्' धातु के 'सत्' शब्द और 'इण्' धातु से बने हुए 'आय' शब्द के अन्तिम 'य' के मेल से बनाया था।

अन्दाज या अटकल से दी हुई व्युत्पत्तियों में कोई कोई ठीक भी हो सकती हैं। हमारा अभिप्राय यहाँ केवल ऐसी व्युत्पत्तियों के दिग्दर्शन से है।

१. अर्थात्, 'उरु (मे) करत्' (= इससे मेरी धन-धान्य की संपत्ति बढ़े) इस शब्दसमूह से 'उलूखल' शब्द निकला है।

२. अर्थात्, 'जिसका मांस मैं खा रहा हूँ वह बदले में मुझे खायेगा' इस अभिप्राय में प्रयुक्त 'मां स भक्षयिता' इस शब्द-समूह में पाये जानेवाले 'मां सः' इन शब्दों से 'मांस' शब्द निकला है।

व्युत्पत्ति के विषय में संस्कृत-वैयाकरणों का कहना है :—

संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे ।
कार्याद्विद्यादनूबन्धमेतच्छास्त्रमुणादिषु ॥

(सिद्धान्तकौमुदी, उत्तर-कृदन्त)

अर्थात्, संज्ञाओं में (व्युत्पत्ति का अनुसंधान करते हुए) पहले धातु या प्रकृति का और पीछे से प्रत्यय का विचार करे । प्रत्ययों में ककारादि अनुबन्धों की कल्पना गुणा-प्रतिषेध आदि कार्यों को देखकर कर लेनी चाहिये । उणादिकों^१ में यही विधि जाननी चाहिये ।

यह आवश्यक नहीं कि ऐसे वाक्यों को इसी आशय में लिया जावे कि हम प्रत्येक शब्द की मनमानी व्युत्पत्ति कर सकते हैं; परन्तु आजकल प्रायः यही आशय समझा जाता है । संस्कृत-वैयाकरण आजकल प्रायः इस बात में अपना अपमान समझते हैं कि वे किसी शब्द की व्युत्पत्ति नहीं कर सकते ।^२

शब्द-व्युत्पत्ति की प्राचीन मनमानी प्रक्रिया और आधुनिक वैज्ञानिक प्रक्रिया में मुख्य भेद यह है कि इसमें स्वेच्छाचारिता विलकुल नहीं है । यद्यपि आज-कल भी यह माना जाता है कि शब्दों और उनके अर्थों में जो परिवर्तन हो सकते हैं उनको पक्के निश्चित नियमों में नहीं बाँधा जा सकता, तो भी आज-कल की प्रक्रिया की विशेषता यह है कि किसी शब्द की व्युत्पत्ति करने में अनेक प्रमाणों की, विस्तृत तुलना की और अत्यन्त सावधानता की आवश्यकता समझी जाती है ।

७—वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियम

(Phonetic Laws)

शब्दों की व्युत्पत्ति करने में या दो सम्बन्धी शब्दों की तुलना करने में सबसे पहले वर्ण-विकार-सम्बन्धी (अथवा ध्वनि-परिवर्तन-सम्बन्धी) नियमों का जानना आवश्यक है ।

१. दे० अष्टाध्यायी ३ । ३ । १

२. तु० “अविद्यमाने सामान्येऽप्यक्षरवर्णसामान्यान्निर्ब्रूयात् । न त्वेव न निर्ब्रूयात् ।” (निरुक्त २ । १)

भाषा के परिवर्तन में एक बड़ा कारण शब्दों में वर्ण-विकार-सम्बन्धी परिवर्तन (अथवा 'ध्वनि-परिवर्तन') है। इसी के कारण एक मूल-शब्द कालान्तर में दूसरे रूप को धारण कर लेता है, और भिन्न-भिन्न सम्बन्धी भाषाओं में भिन्न-भिन्न रूपों में दिखाई देता है।

प्रश्न यह है कि शब्दों में वर्ण-विकार-सम्बन्धी परिवर्तन किन्हीं नियमों के अनुसार होते हैं या मनुष्यों की स्वेच्छाचारिता पर निर्भर हैं।

ऊपरी दृष्टि से कुछ थोड़ी-सी शब्द-व्युत्पत्तियों के देखने से यह प्रतीत हो सकता है कि भाषाओं में वर्ण-विकार-सम्बन्धी परिवर्तन नियम-रहित और आकस्मिक होते हैं। उदाहरणार्थ, नीचे दिये हुए सम्बन्धी शब्दों को लीजिये :—

संस्कृत	फ़ारसी	ग्रीक	लैटिन	गाथिक
अश्वः	अस्प	hippos (प्रान्तीय ikkos)	equus	aihvā-

संस्कृत	अंगरेज़ी	जर्मन	ग्रीक	लैटिन	प्राचीन-आइरिश
हंसः	goose	Gans	chén	anser	gēis

साधारण दृष्टि से देखने से, सम्भव है, इन शब्द-वर्गों में परस्पर कोई सम्बन्ध न प्रतीत हो। ऐसी दशा में यदि किसी से यह कहा जाय कि 'अश्व' आदि या 'हंस' आदि सारे शब्द किसी एक ही मूल-शब्द से निकले हैं तो बहुत सम्भव है वह यही समझे कि शब्दों में किसी वर्ण के स्थान में कोई भी वर्ण हो सकता है।

यदि वस्तुतः ऐसा ही होता तो किसी भी शब्द को किसी शब्द से निकला हुआ कहा जा सकता था; और भाषा-विज्ञान एक विज्ञान न होकर मनमाना खेल हो जाता।

परन्तु एक ही भाषा में या परस्पर सम्बन्ध रखनेवाली भाषाओं में वर्ण-विकारों को दिखलाने वाले कुछ अधिक उदाहरणों की यथाविधि तुलना और अध्ययन से यह शीघ्र ही स्पष्ट हो जायगा कि वर्णों के विकार बहुत अंशों तक कुछ निश्चित नियमों का अनुसरण करते हैं। इन्हीं नियमों के लिए हमने ऊपर वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियम कहा है।

इन नियमों के विषय में यह अच्छा होगा कि किसी विशेष नियम का वर्णन करके उदाहरण द्वारा इनके सामान्य स्वरूप को स्पष्ट कर दिया जावे—

ग्रिम महाशय का नियम

भिन्न-भिन्न भाषाओं और भाषा-परिवारों के विशेष वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियम होते हैं यह ऊपर कहा जा चुका है। ऐसे नियमों में से एक बड़ा प्रसिद्ध नियम जैकब ग्रिम (Jacob Grimm, १७८५-१८६३) नामक जर्मन विद्वान् के नाम से प्रख्यात है।

यद्यपि इसका पता डेनमार्क देश के आर० के० रास्क (R. K. Rask, १७८७-१८३२) नामक विद्वान् ने पहले ही लगा लिया था, तो भी इसका पूर्ण और वैज्ञानिक रीति से स्पष्टीकरण पहले-पहल ग्रिम महोदय ने ही किया। इसलिए उनके नाम से ही यह नियम प्रसिद्ध है।

इस नियम का विशेष वर्णन आगे (परिच्छेद ११ में) किया जायगा। यहाँ केवल इतना कहना पर्याप्त होगा कि इस नियम द्वारा कुछ भाषाओं के—जिनमें औरों के साथ-साथ संस्कृत, ग्रीक, लैटिन और अंगरेज़ी भी सम्मिलित हैं—कुछ व्यञ्जनों में जो परस्पर सम्बन्ध हैं उनका स्पष्टीकरण किया जाता है। उदाहरणार्थ, इस नियम के अनुसार संस्कृत 'पू' और 'त्' के स्थान में अंगरेज़ी में क्रम से f और th पाये जाते हैं।

उदाहरणार्थ, तुलना कीजिए :—

संस्कृत	अंगरेज़ी
(पू)	(f)
पितृ	father
पाद	foot
पुरु	full
प्लु	flow

संस्कृत	अंगरेजी
(त्)	(th)
मातृ	mother
भ्रातृ	brother
त्रि	three
तनु	thin
त्वम्	thou

वर्ण-विकार-सम्बन्धी कुछ और नियम

वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियमों के लिए ग्रिम महाशय के नियम की तरह अति विस्तृत होना आवश्यक नहीं है। उसकी अपेक्षा अधिक संकुचित क्षेत्र से सम्बन्ध रखनेवाले नियमों के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं—

(१) संस्कृत 'यू' के स्थान में आज-कल की भारतीय आर्य-भाषाओं में प्रायः 'जू' देखा जाता है; जैसे :—

संस्कृत	हिन्दी
यौवन	जोवन
यातु	जादू
यात्रा	जात्रा
यमुना	जमना
यान	जाना
योनि	जोन
यति	जती
यव	जौ

(२) संस्कृत शब्दों के आदि में न रहने वाले असंयुक्त 'कू', 'गू', 'चू', 'जू', 'तू' और 'दू' का प्राकृत में लोप हो जाता है; जैसे :—

संस्कृत	प्राकृत
लोक	लोअ
सकल	सअल

अनुराग	अणुरात्र
नगर	णत्रर
प्रचुर	पउर
भोजन	भोअण
रसातल	रसाअल
हृदय	हिअअ

(३) संस्कृत 'स्' के स्थान में फ़ारसी में 'ह' पाया जाता है; जैसे :—

संस्कृत	प्राचीन-फ़ारसी	आधुनिक-फ़ारसी
सिन्धु	हिन्दु	हिन्द
सप्त	—	हप्त
सर्व	हरुव	हर
सम (= समस्त)	हम	हम

(४) इसी प्रकार संस्कृत 'जू' के स्थान में फ़ारसी में 'ज़ू' पाया जाता है; जैसे :—

संस्कृत	फ़ारसी
जानुः	ज़ानू
जातः	ज़ादह

इसी प्रकार और और नियमों को भी जानना चाहिये ।

८—वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियमों का स्वरूप

ऊपर हमने वर्ण-विकार-सम्बन्धी (अथवा ध्वनि-परिवर्तन-सम्बन्धी) नियमों का वर्णन किया है । यहाँ उनके स्वरूप को कुछ और अधिक स्पष्ट कर देना आवश्यक है ।

सबसे पहली विचारणीय बात यह है कि उनके लिए 'नियम' शब्द का प्रयोग किस आशय से किया जाता है ।

भौतिक विज्ञान, गणित आदि में 'नियम' (=Law) शब्द का प्रयोग ऐसे ध्रुव तथा अटल नियमों के लिए किया जाता है जो सब कालों और सब देशों में सत्य होते हैं। उदाहरणार्थ, हाइड्रोजन और ऑक्सिजन के विशेष मात्रा में संमिश्रण से पानी की उत्पत्ति का नियम एक ऐसा ही अटल नियम है।

इसीलिए उपर्युक्त अटल नियमों के विषय में हम भविष्य-वाणी भी कर सकते हैं और वह बराबर सत्य निकलती है।

यह समझ लेना चाहिये कि वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियमों को हम उक्त अभिप्राय से 'नियम' नहीं कह सकते।

(१) वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियमों का सम्बन्ध विशिष्ट देश और विशिष्ट काल से ही होता है।

(२) किसी विशिष्ट जन-समुदाय या जाति-विशेष की विशेष परिस्थिति ही किसी वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियम को जन्म देती है। उसी परिस्थिति की सीमा के अन्दर उस नियम को सामान्य रूप से अटल कहा जा सकता है।

(३) उक्त कारण से ही यह स्पष्ट है कि वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियम किसी भाषा के अपनी पूर्ववर्ती भाषा से विकास को बतलाते हैं; पर वर्तमान में प्रचलित भाषा का भविष्य में विकास कैसा होगा, इसको नहीं बतला सकते।

भाषाविज्ञान के एक प्रसिद्ध ग्रन्थकार टी० जी० टुकर के शब्दों में—

“किसी भाषा के एक वर्ण-विकार-सम्बन्धी (या ध्वनि-परिवर्तन-सम्बन्धी) नियम से अभिप्राय उस कथन से है जिसमें किसी विशेष काल और विशेष परिस्थिति में उस भाषा के किसी विशेष वर्ण या वर्ण-समूह (या वर्ण-त्मक ध्वनि या ध्वनि-समूह) में नियत रूप से होनेवाले परिवर्तन का उल्लेख होता है।”^१

१. तु० “A Phonetic law of a language is a statement of the regular practice of that language at a particular time in regard to the treatment of a particular sound or group of sounds in a particular setting” (T. G. Tucker : “An Introduction to the Natural History of Language”).

वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियम की उक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि ऐसे किसी भी विशेष नियम के साथ इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि वह नियम किस देश तथा काल की किस विशिष्ट भाषा के लिए है।

वास्तव में किसी भाषा की काल-विशेष तथा परिस्थिति-विशेष में ध्वनि-परिवर्तन-सम्बन्धी विशिष्ट प्रवृत्ति को ही कालान्तर में, उस परिस्थिति के बदल जाने पर, 'नियम' संज्ञा दे दी जाती है।

इस विचार के मूल में जो कारण हैं उनका विशद विचार हम परिच्छेद ६, अधिकरण २ के अन्त में कर चुके हैं।

वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियमों का विस्तार

कोई वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियम स्वतः स्पष्ट नहीं होता। पूर्वोक्त तुलना आदि की पद्धति द्वारा निरीक्षण से ही उसका पता लगाकर उसके निर्दोष स्वरूप की स्थापना की जाती है। निर्दोष स्वरूप की स्थापना के लिए देखना होता है कि—

(क) प्रकृत नियम का विस्तार कितना है ?

(ख) उसका कोई अपवाद भी है या नहीं ?

(ग) यदि अपवाद है, तो उसका स्वरूप तथा कारण क्या है ?

ऊपर के अधिकरण में दिखलाया हुआ ग्रिम महाशय का नियम इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। बड़े परिश्रम से ही उस नियम के स्वरूप की स्थापना विद्वानों ने की है। उसके जो अपवाद हैं उनके पता लगाने में भी विद्वानों को बड़ा काम करना पड़ा है।

उन अपवादों का वर्णन उस नियम के विशेष वर्णन के साथ ही हम परिच्छेद ११ में करेंगे।

सामान्य-रूप से वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियमों का अपवाद

वर्ण-विकार-सम्बन्धी किसी नियम-विशेष की स्थापना के सम्बन्ध में उसके अपवादों का हमने जो अभी उल्लेख किया है उसके अतिरिक्त

सामान्य-रूप से भी वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियमों का प्रायः अपवाद देखा जाता है। इस प्रकार के अपवाद सामान्यतः दो कारणों से हो सकते हैं:—

(१) सादृश्य या मिथ्या-सादृश्य के सिद्धान्त के आधार पर। इसका विस्तार से वर्णन हम परिच्छेद ६, अधिकरण २ में कर चुके हैं।

(२) किसी भाषा में दूसरी भाषाओं से लिये हुए शब्दों में भी उसके विशिष्ट वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियमों का प्रायः अपवाद देखा जाता है। उदाहरणार्थ, हिन्दी में फ़ारसी से लिए हुए 'यार' (=मित्र) जैसे शब्दों में 'यू' को 'जू' नहीं होता।

आठवाँ परिच्छेद

भाषा की उत्पत्ति

१—भाषोत्पत्तिविषयक भिन्न-भिन्न मत

‘अतिपरिचयादवज्ञा’ किसी से अति परिचय होने से उसके विषय में हमें बहुत कुछ अवज्ञा हो जाती है, या कम से कम उसके विषय में अधिक उत्सुकता नहीं रहती। इस नियम के अनुसार भाषा के साथ हमारा अति गहरा सम्बन्ध होने से प्रायः यह प्रश्न भी हमारे मन में कभी उत्पन्न नहीं होता कि मनुष्यभाषा की उत्पत्ति या प्रवृत्ति संसार में आदि आदि में किस प्रकार हुई होगी। एक साधारण अशिक्षित मनुष्य से यदि इस प्रश्न को पूछा जावे तो वह तो यही उत्तर देगा कि उसकी भाषा उसी रूप में जिसमें वह उसे बोलता है सदा से चली आई है। परन्तु एक वैज्ञानिक चर्चा में एक अशिक्षित मनुष्य की निराधार बुद्धि का कोई मूल्य न होने से इसके विषय में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। भाषा की परिवर्तनशीलता ऊपर अच्छी तरह दिखलाई जा चुकी है। इस परिच्छेद में हम भाषा की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों के जो मुख्य मत पाये जाते हैं उनका ही वर्णन तथा परीक्षा करेंगे।

ऊपर दिखला चुके हैं कि भाषा कभी एक स्थिर स्वरूप में नहीं रहती, और इसी से सदा परिवर्तन-शील है। भिन्न-भिन्न भाषाओं की रचना पर दृष्टि डालने से यह बात भी सिद्ध हो जाती है कि उनके विकास का आधार कुछ मूल-तत्त्वों पर है। इन मूल-तत्त्वों को हम ‘धातु’ शब्द से निर्देश कर सकते हैं। संस्कृत आदि भाषाओं का जो इतिहास मिलता है उसका साक्ष्य भी इसी सिद्धांत के पक्ष में है कि भाषाओं का आधार धातुयें हैं। परन्तु उपर्युक्त कथन से इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता कि भाषा की प्रारम्भिक प्रवृत्ति संसार में किस प्रकार हुई तथा उसका सबसे पहला स्वरूप क्या था।

भाषाओं के इतिहास का साक्ष्य इन प्रश्नों पर कुछ प्रकाश नहीं डालता ।

मनुष्य ने पृथ्वी पर पहले-पहल बोलना किस रूप में किस प्रकार आरम्भ किया ? इस प्रश्न के निर्णय करने का साधन यही है कि हम

(१) भाषा के भिन्न-भिन्न रूपों की परस्पर तुलना-पूर्वक भाषा के स्वभाव पर विचार करें,

(२) मनुष्यों की भिन्न-भिन्न स्वभावसिद्ध तथा कृत्रिम शक्तियों के विचार-पुरःसर मनुष्य के सामान्य स्वभाव को समझें, और

(३) इस प्रकार भाषा-विषयक तथा मनुष्य-स्वभाव-विषयक सामान्य सिद्धांतों के आधार पर भाषा की उत्पत्ति के विषय में अनुमान-द्वारा किसी निश्चय तक पहुँचने का प्रयत्न करें ।

इस प्रकार अतिजटिल होने पर भी यह प्रश्न बड़ा मनोरञ्जक नहीं है ऐसा कोई नहीं कह सकता । इस प्रश्न का निश्चित रूप से अन्तिम निर्णय चाहे हम न कर सकें, तो भी आशा है कि इस विषय में पाये जानेवाले भिन्न-भिन्न मतों की आपेक्षिक दुर्बलता दिखला देने से लगभग निश्चित सिद्धांत तक पहुँचने में बड़ी सहायता मिलेगी ।

भाषा की उत्पत्ति के विषय में जो भिन्न-भिन्न मत पाये जाते हैं वे मुख्यतया ये हैं :—

(१) मनुष्य की सृष्टि के साथ ही साथ एकाएक दैवी शक्ति द्वारा एक अनोखे प्रकार से पूर्ण-रूप से निष्पन्न भाषा की सृष्टि संसार में हुई ।

(२) मनुष्यों ने जब यह देखा कि हस्तादि के संकेत आदि के द्वारा वे अपने विचारों को एक दूसरे पर अच्छी तरह प्रकट नहीं कर सकते तब उन्होंने विचार-पूर्वक स्वयं भाषा का निर्माण किया ।

(३) मनुष्यों के विचारों और भाषा का नित्य तथा अटूट सम्बन्ध होने से मनुष्य-सृष्टि के आरम्भ में ही मनुष्यों के विचार स्वभाव से ही भाषा के मूल-तत्त्व-स्वरूप कुछ धातुओं द्वारा प्रकट हो गये । फिर धीरे-धीरे उन धातुओं के आधार पर भाषा का विकास हुआ ।

(४) अनुकरणात्मक तथा हर्ष-क्रोधादि-मनोराग-व्यञ्जक शब्दों द्वारा तथा उनके आधार पर, परस्पर विचार-परिवर्तन में सरलता के उद्देश्य से, स्वभावतः धीरे-धीरे भाषा का विकास हुआ ।

२—भाषोत्पत्ति-विषयक प्रथम मत और उसकी समीक्षा

सबसे पहले हम—भाषा मनुष्य-सृष्टि के साथ ही साथ एकाएक दैवी शक्ति द्वारा उत्पन्न हो गई—इस मत को लेते हैं। इस मत के माननेवालों का आशय यह है कि मनुष्य-सृष्टि के होते ही दैवी शक्ति ने भाषा की उत्पत्ति करके किसी अनोखे लोकोत्तर ढंग से उसे तत्काल ही मनुष्यों को सिखला दिया। वे समझते हैं कि जिस प्रकार अपनी इच्छा और विचार-शक्ति के दखल के बिना ही मनुष्य-सृष्टि के प्रारम्भ से ही मनुष्य स्वभाव-वश श्वास-प्रश्वास करने लगे, इसी प्रकार अपनी इच्छा और विचार-शक्ति के प्रयोग के बिना ही दैवी शक्ति की प्रेरणा से मनुष्य स्वभाव से ही बोलने लगे। उनका विचार है कि यदि हम इस बात को मानते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य-सृष्टि को पैदा किया, तो यह भी मानना चाहिये कि ईश्वर ने उसी समय शब्दों और धातुओं आदि द्वारा मनुष्य-भाषा का भी निर्माण किया; ऐसा न मानने से ईश्वर के महत्त्व और ईश्वरत्व में कमी आती है।

संसार के भिन्न-भिन्न धार्मिक सम्प्रदायों से सम्बन्ध रखनेवाले धर्म-गुरुओं के भाषोत्पत्ति-विषयक मत प्रायः इसी मत के अन्दर आ जाते हैं।

इन लोगों के भाषोत्पत्ति-विषयक कथनों में

- (१) भाषा की उत्पत्ति में मनुष्यों की अपनी इच्छा और विचार-शक्ति की अनपेक्षा,
- (२) मनुष्य-सृष्टि के साथ ही साथ पूर्णरूप से निष्पन्न भाषा की सृष्टि, और
- (३) मनुष्य का अपने-आप ही एक दैवी शक्ति की प्रेरणा से उसी भाषा को बोलने लगना,

इन बातों की समानता देखी जाती है ।

ये लोग अपनी-अपनी धर्म-पुस्तक की भाषा को (१) सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुई, (२) सब भाषाओं में प्राचीनतम, तथा (३) उनकी मूल-भाषा समझते हैं । उनके मत में ससार की अन्य भाषायें उसी एक भाषा से विगड़कर बनी हैं और उसी की शाखा-प्रशाखायें हैं ।

उदाहरणार्थ, भारतवर्ष में वेदों को ईश्वरीय पुस्तक माननेवाले कहते हैं कि संस्कृत वेदों की भाषा है, वेद अनादि हैं, सृष्टि के आरम्भ में ईश्वर ने मनुष्य-समाज के हित के लिए नित्य वेदों का प्रादुर्भाव किया । इसलिए वेदों की भाषा (या शब्दानुपूर्वी) भी नित्य है ।^१ संस्कृत देव-भाषा है । यही पृथ्वी की अन्यान्य भाषाओं की मूल-भाषा है ।^२

१. वेद अपनी शब्दानुपूर्वी के सहित ईश्वर से प्रादुर्भूत हुए, इस विषय में शंकराचार्य (देखिये 'ब्रह्मसूत्र-शांकरभाष्य' १।१।३) जैसे विद्वानों ने 'बृहदारण्यक उपनिषद्' (२।४।१०) से यह प्रमाण दिया है:—“अस्य महतो भूतस्य निःश्वसित-मेतद् यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः (इतिहासः पुराणं...श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि...) ।”

इस उद्धरण के कोष्ठक में दिये हुए अंश को वे लोग उद्धृत नहीं करते । यहाँ स्वामी दयानन्दकृत 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' में 'वेदोत्पत्तिविषय' भी देखिये । कोष्ठक के अन्तर्गत अंश से स्पष्ट है कि यहाँ लोगों को भारी भ्रम हुआ है ।

पतञ्जलि मुनि ने (महाभाष्य ४।३।१०१) स्पष्टतया कहा है—“ननु चोक्तम् । नहि च्छन्दासि क्रियन्ते । नित्यानि च्छन्दासीति । यद्यप्यर्थो नित्यः । या त्वसौ वर्णानुपूर्वी सा अनित्या ।” (यहाँ टीकाकार कैयट को भी देखिये) । यहाँ वेदों की शब्दानुपूर्वी को स्पष्टतया अनित्य कहा गया है ।

पोथी-पन्थियों को उक्त प्रमाणों को ध्यान से पढ़ना चाहिये ।

२. यहाँ वेद आदि धर्म-पुस्तकों की भाषा मूल-या आदि-भाषा हो सकती है या नहीं—इसी का विचार किया गया है । अर्थ-दृष्टि से ये पुस्तकें ईश्वरीय पुस्तक हैं या हो सकती हैं या नहीं—इस विचार से यहाँ कोई सम्बन्ध नहीं है ।

मनुस्मृति में लिखा है :—

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् ।

वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थाश्च निर्ममे ॥ १ । २१ ॥

अर्थात्, ब्रह्मा ने भिन्न-भिन्न कर्मों और व्यवस्थाओं के साथ-साथ सारे नामों का निर्माण भी सृष्टि के आदि में वेद-शब्दों से ही किया । आगे कहा है :—

अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् ।

दुहोह यज्ञसिद्धयर्थमृग्यजुःसामलक्षणम् ॥ १ । २३ ॥

अर्थात्, यज्ञ-सिद्धि के लिए ऋग्-यजुः-सामात्मक सनातन ब्रह्म (या वेद) को ब्रह्मा ने अग्नि, वायु और रवि से दुहा ।

इसी प्रकार बौद्ध लोग अपनी धर्म-पुस्तकों की पालि (या मागधी) भाषा को, जो स्पष्टतया संस्कृत से निकली है, समस्त भाषाओं की मूल-भाषा समझते हैं । पालि-व्याकरण के रचयिता कच्चायन कहते हैं :—“एक भाषा (सारी भाषाओं की) मूल है; कल्प के आरम्भ में मनुष्य और ब्राह्मण, जिन्होंने पहले एक मनुष्य-स्वर भी मुख से नहीं निकाला था, इसी को बोलने लगे । भगवान् बुद्ध भी इसी को बोलते थे । वह भाषा मागधी है ।” १ एक और जगह कहा है : १—यदि माता-पिता अपनी भाषा बच्चे को न सिखलावें तो वह स्वाभाविकतया मागधी भाषा को ही बोलेगा । इसी प्रकार एक निर्जन वन में रखा हुआ आदमी यदि स्वभाव-वश बोलने का प्रयत्न करे तो उसके मुख से मागधी ही निकलेगी । इसी भाषा का प्राधान्य तीनों लोकों में है । अन्यान्य भाषायें परिवर्तनशील हैं; यही एक सदा एक-रूप में रहती है । भगवान् बुद्ध ने अपने तिपिटक की रचना भी इसी सनातन भाषा में की है ।

१. दे० M. Muller : *Lectures on the Science of Language*, १८८५,

भाग १, पृ० १४६-७ । तुलना कीजिये—

“सा मागधी मूलभाषा नरा यायादिकप्पिका ।

ब्रह्मानो चस्सुतालापा संबुद्धा चापि भासरे ।”

(Childer की Pali Dictionary की भूमिका, पृ० १३, पाद-टिप्पण से उद्धृत)

इसी तरह ईसाई लोग और विशेषकर कैथलिक-मतानुयायी कहते हैं कि हिब्रू भाषा, जिसमें कि उनकी 'प्राचीन-विधान' (Old Testament) नाम की धर्म-पुस्तक है, पृथ्वी की सारी भाषाओं से प्राचीन भाषा है और सारी भाषाएँ इसी से निकली हैं, क्योंकि सृष्टि के आरम्भ में अदन के वारा में रहनेवाले आदम और हव्वा इसी भाषा में बातचीत करते थे। एक महाशय लिखते हैं कि दुनियाँ का सारा प्राचीन इतिहास इसको 'सिद्ध' करता है कि हिब्रू से ही मनुष्य-भाषा का प्रारम्भ हुआ था।^१

समीक्षा

इस मत की समीक्षा करने से पहले यह बतला देना आवश्यक है कि भाषोत्पत्ति-विषयक इस मत से भाषा-विज्ञान की उन्नति में बड़ी भारी बाधा पड़ती रही। यूरोप में अठारहवीं शताब्दी तक लोग यह मानते रहे कि हिब्रू से ही ग्रीक, लैटिन, तुर्की, फ़ारसी आदि पृथ्वी की सारी भाषाएँ निकली हैं। इस अन्ध-विश्वास के दिनों में भाषाओं की परस्पर तुलना आदि द्वारा उनका वर्गीकरण आदि करना, जो कि भाषा-विज्ञान की मूल-भित्ति है, नितरां असंभव था। इसी कारण मनमानी व्युत्पत्तियों और युक्तियों द्वारा किसी भाषा के एक शब्द का सम्बन्ध दूसरी भाषा के शब्द के साथ दिखलाया जाता रहा।

(क)

भाषा के देश-कृत और काल-कृत भेदों पर दृष्टि डालने से, जैसा कि ऊपर दिखलाया जा चुका है, भाषा की परिवर्तनशीलता स्पष्ट हो जाती है। साहित्य की दृष्टि से किसी उन्नत भाषा को लें, जिसका इतिहास मिलता हो, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भाषा की उन्नति धीरे-धीरे क्रम-विकास के सिद्धान्त के अनुसार होती है। इसी लिए सभ्य और असभ्य जातियों की भाषाओं में बड़ा अन्तर दीख पड़ता है।

भाषा का सारा इतिहास इसका साक्षी है कि लेखन-कला, कविता, चित्र-विद्या, वास्तु-विद्या आदि अन्यान्य कलाओं की तरह, जो धीरे-धीरे सभ्यता के उन्नत होने के साथ-साथ उन्नत होती हैं

१. दे० M. Muller महाशय की उपर्युक्त पुस्तक, भाग १, पृ० १४५।

और जिनका आविष्कार और विकास दोनों मनुष्य के अधीन हैं, भाषा भी मनुष्य के आश्रय में अनेक परिवर्तनों में भिन्न-भिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के अनुसार नये अनुभव और ज्ञान को शब्द-द्वारा प्रकट करने के लिए नये-नये रूपों में गुजरती हुई उत्कृष्टता की ओर बढ़ती रही है।

इस प्रकार देखने से किसी भी भाषा को लेवें हमें उसमें एक बहुत बड़ा भाग ऐसा मिलेगा जिसको स्पष्ट रीति से मनुष्यों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बुद्धि और विचार को काम में लाकर बनाया है। इस दशा में, यदि थोड़ा-सा भाग ऐसा प्रतीत भी हो जिसका कोई इतिहास न मिलता हो, तो हम इसी आधार पर उसे दैवी शक्ति द्वारा मनुष्य की इच्छा और बुद्धि के दखल के बिना स्वभाव से ही पैदा हुआ नहीं कह सकते।

इस बात का कोई निषेध नहीं कर सकता कि किसी भाषा के आरम्भ की अवस्था से उसकी उन्नत अवस्था में बड़ा भारी अन्तर पाया जाता है। कोई भाषा प्रारम्भ से ही पूरी-पूरी रीति से परिपक्व या निष्पन्न अवस्था में नहीं पहुँच जाती। शनैः शनैः विकास करती हुई ही वह कालान्तर में जटिल रचनावाली, भिन्न-भिन्न पदार्थों, उनके गुणों, क्रियाओं और गूढ़ विचारों के लिए पृथक्-पृथक् संकेतोंवाली, पदार्थों और विचारों के परस्पर सम्बन्धों को ठीक-ठीक प्रकट करने के लिए उचित सामग्री से संयुक्त, और एक विस्तृत शब्द-भण्डार से समन्वित हो सकती है।

यदि ऐसा न होता, यदि भाषाओं में ये बातें शनैः शनैः विकास की फल-रूप न होकर, प्रारम्भ से ही पाई जातीं, तो भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न का समाधान करने के लिए किसी को सचेष्ट होने की ही आवश्यकता न थी। उस अवस्था में तो भाषा की उत्पत्ति किसी अचम्बे द्वारा ही सबको माननी पड़ती। अलौकिक शक्ति द्वारा ही वह मनुष्यों को प्राप्त हुई, इसका विरोध करने का किसी को साहस न होता।

परन्तु हम देख चुके हैं कि किसी भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भाषा की उन्नति धीरे-धीरे होनेवाले विकास का ही फल है। इस विकास की जड़ में जो प्रवृत्तियाँ काम करती रही हैं वे अब आधुनिक जीवित भाषाओं में भी देखी

जाती हैं। उन्नत भाषाओं की प्रारम्भिक अवस्था का अनुसन्धान करते हुए यदि हम पीछे की ओर चलें तो उनकी ऐसी अवस्था मिलती है जो उन्नति से नितरां प्रतिकूल है। यहाँ तक कि अन्त में मनुष्य-भाषा का बीज थोड़े से मूल तत्त्वों या धातुओं में मिलता है।

उपर्युक्त कारणों के होते हुए हमको, यह न मानकर कि भाषा श्वास-प्रश्वास की तरह मनुष्य की इच्छा और विचार को काम में लाने के बिना ही उत्पन्न हुई, यह मानना आवश्यक हो जाता है कि कपड़ा पहिनना, और घर बनाकर उसमें रहना इत्यादि कलाओं के आविष्कार की तरह मनुष्य ने भाषा का भी, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी स्वाभाविक शक्तियों और योग्यताओं को विचारपूर्वक उपयोग में लाकर, निर्माण किया।

वस्तुतः देखा जावे तो मनुष्य-सृष्टि के होते ही दैवी शक्ति द्वारा भाषा को उत्पन्न हुआ मानना ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि लेखन-कला की पृथ्वी पर आधुनिक स्थिति के लिए यह मानना आवश्यक है कि उसको भी किसी दैवी शक्ति ने सृष्टि के साथ ही साथ सिखला दिया था।

(ख)

संस्कृत आदि भाषाओं की रचना तथा शब्दों पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये अपने-अपने आधुनिक रूप में न तो पृथ्वी की मूल-भाषा ही हो सकती हैं, और न आदि-भाषा ही। उदाहरणार्थ, निम्न-लिखित शब्दों को लीजिये:—

संस्कृत	लैटिन	अंगरेज़ी	जर्मन
विंशतिः	viginti	twenty	zwanzig (= द्स्वान्ट्सिक)
संस्कृत	ग्रीक	अंगरेज़ी	जर्मन
दुहिता	thugátēr	daughter	Tochter (= टॉखूर)
हुंसः	Chēn (= खेन)	goose	Gans

भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार के ऊपर दिये गये विशतिवाची शब्दों के प्रथम अक्षर 'व' या 'दू (=त्)' का स्पष्टतया सम्बन्ध क्रम से 'द्वि' शब्द के 'व्' या 'द्व' वर्ण से है। 'वारह', 'बाईस', 'दो' (गुजराती में 'वे'), 'दुगुना' इत्यादि हिन्दी शब्दों में भी संस्कृत 'द्वि' के प्रथम दो व्यञ्जनों का केवल 'ब्' या 'द्व' के रूप में शेष रहना देखा जाता है। ऐसी अवस्था में 'विंशति' आदि शब्दों का निकास परस्पर में एक दूसरे से न मानकर किसी और ही मूल-शब्द से मानना चाहिये। उदाहरणार्थ, जब 'विंशति' के पूर्व भाग में 'त्' है ही नहीं, तब उससे अंगरेजी का twenty कैसे निकल सकता है? इस कारण संस्कृत दूसरी भाषाओं की मूल-भाषा कैसे हो सकती है? तिस पर, अन्य भाषा-परिवारों के साथ तो संस्कृत का कोई सम्बन्ध ही सिद्ध नहीं होता, संस्कृत उनकी मूल-भाषा हो सके यह तो दूर रहा।

'विंशति' शब्द के विषय में एक और विचार करना है। यह शब्द बहुत करके 'द्वि + दशति' से बना है। भाषा के परिवर्तन के नियमों के अनुसार कालान्तर में इस प्रकार 'विंशति' शब्द का बनना तो समझ में आ सकता है। परन्तु 'विंशति' को यदि हम सृष्टि के आरम्भ में दैवी शक्ति की प्रेरणा से स्वयं बना हुआ कहे, तो प्रश्न होता है कि इसके स्थान में 'द्वि + दशति' जैसे स्पष्ट व्युत्पत्तिवाले शब्द को ही क्यों नहीं चुना गया? उस अवस्था में कम से कम पाणिनि मुनि को इसे 'निपातन'^१ रूप में (देखो 'अष्टाध्यायी' ५।१।५६) सिद्ध करना न पड़ता। इससे संस्कृत को हम सृष्टि की आदि-भाषा भी कैसे कह सकते हैं?

इसी प्रकार 'दुहितृ' और 'हंस' से संबद्ध शब्दों में इनके 'हू' के स्थान में 'गू', 'घू' आदि अक्षरों को देखकर यह सिद्ध होता है कि 'दुहितृ' और 'हंस' मूल या आदि-भाषा के शब्द नहीं हो सकते; क्योंकि 'घू', 'धू', 'भू' आदि से 'हू' का बनना तो स्वभाविक है, जैसे लौकिक संस्कृत के 'ग्रहू' धातु के स्थान में वेद में 'ग्रभू' या 'सह' (=साथ) के स्थान में 'सघ' आता है। 'हू' से 'घू' आदि का बनाना वैसा नहीं है।

१. जो शब्द सामान्य नियमों के अपवाद-रूप से विशेष सूत्र द्वारा बनाये जाते हैं उनको 'निपातन' कहते हैं।

संस्कृत भाषा में यह एक साधारण नियम है कि एक शब्द के अन्दर विवृत्ति^१ (अर्थात् दो समीपस्थ स्वरों की परस्पर संधि न होकर प्रकृति-भाव से रहना) नहीं देखी जाती । परन्तु ऋग्वेद (१० । ७१।२) में आया हुआ 'तितउ' शब्द इसका अपवाद है । इसका कारण यही हो सकता है कि यह शब्द शुद्ध वैदिक न होकर उस समय की सर्व-साधारण-की प्राकृत भाषा से लिया गया होगा ।^२ भारतवर्ष की मध्य-कालीन प्राकृत भाषाओं में इस प्रकार की विवृत्ति प्रायः देखी जाती है; जैसे 'शाअर' (नगर), 'मअरण' (मदन), 'जीअ' (जीव) इत्यादि ।

(ग)

उपर्युक्त युक्तियों के सामने भाषा का ईश्वर-प्रदत्त होना ऊपर के अर्थ में ठीक नहीं हो सकता । हाँ, एक आशय से भाषा को हम ईश्वर-प्रदत्त कह सकते हैं । भाषा केवल मनुष्यों में ही पाई जाती है । ऐसी कोई मनुष्यजाति नहीं जो कोई न कोई भाषा न बोलती हो । साथ ही मनुष्य को छोड़ ऐसा कोई और प्राणी नहीं जिसमें भाषा पाई जाती हो । इसीलिए भाषा को हम मनुष्य-जाति का एक सार्वभौम और विशेष लक्षण कह सकते हैं ।

जिस प्रकार मानव-समाज की सारी की सारी सभ्यता की सामग्री, मनुष्य-सृष्टि के आदि से ही न होने पर भी, इस आशय से ईश्वर-प्रदत्त कही जा सकती है कि उसका संपादन मनुष्य ने अपनी सृष्टि के आरम्भ से ही बीज-रूप में ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्तियों और योग्यताओं के आधार पर किया है । उदाहरणार्थ, लेखन-कला या गृह-वस्त्रादि निर्माण करने की कलाओं के विषय में यह कोई नहीं कह सकता कि इनको सृष्टि के आरम्भ में ईश्वर ने मनुष्यों को सिखलाया । तो भी इनके विकास का सम्भव ईश्वर-

१. दे० "स्वरान्तरं तु विवृत्तिः" (ऋग्वेदप्रातिशाख्य २।३) ।

२. वैदिक भाषा के शब्दों में पाये जानेवाले प्राकृत भाषा के प्रभाव को भाषा-विज्ञानी 'वैदिक भाषा में प्राकृत-प्रवृत्ति' (Prakritism in Vedic Sanskrit) कहते हैं । ऊपर दिये हुए उदाहरण के अतिरिक्त, वेद में प्राकृत-प्रवृत्ति के उदाहरण हैं—विकट (= विकृत), कुट (= कृत), शिथिर ('श्रय' घातु से), दृढम (= दुर्ढम), दूणाश (= दुर्नाश) इत्यादि ।

प्रदत्त शक्तियों के आधार पर ही हो सका। इसी आशय से भाषा को भी हम ईश्वर-प्रदत्त कह सकते हैं। यह स्पष्ट है कि ऐसा मानने से ईश्वर के महत्त्व में कोई अन्तर न आकर वह ज्यों का त्यों बना रहता है।

(घ)

भाषा की दैवी उत्पत्ति हुई, इस मत की जड़ में एक बड़ा भारी विश्वास यह है कि भाषा और विचार का स्वाभाविक तथा अनिवार्य सम्बन्ध है; विचार से भाषा को पृथक् नहीं किया जा सकता; विचार स्वभावतः ही भाषा द्वारा प्रकट हो जाते हैं। परन्तु जन्म से एक गूँगे मनुष्य में भाषा के अभाव में भी विचार होते हैं यह उसकी बुद्धि-पूर्वक चेष्टाओं से सिद्ध होता है। इसलिए भाषा और विचार में परस्पर नित्य तथा स्वाभाविक सम्बन्ध मानना ठीक नहीं। उसके स्थान में इस सम्बन्ध को केवल सांकेतिक मानना,^१ जिसका आधार मनुष्यों के परस्पर बोध और अनुमति पर होता है, अधिक युक्ति-संगत प्रतीत होता है।

यही कारण है कि भिन्न-भिन्न भाषाओं में भिन्न-भिन्न पदार्थों के भिन्न-भिन्न नाम पाये जाते हैं जो समान रीति से अपने-अपने अर्थों का बोध कराते हैं। भाषा और विचार में स्वाभाविक सम्बन्ध के होने पर उपर्युक्त भेद का कोई कारण समझ में नहीं आता।^२

एक निर्जन वन में पला हुआ मनुष्य किसी भाषा को नहीं बोल सकता, इससे भी इसी सिद्धांत की पुष्टि होती है।

१. तु० “सामयिकः शब्दादर्थसंप्रत्ययः, न स्वाभाविकः” (न्यायसूत्र-वात्स्यायनभाष्य २।१।५६)। सामयिकः = सांकेतिकः।

२. तु० “यदि स्वाभाविकः शब्दार्थसंबन्धोऽभविष्यन्न जातिविशेषे शब्दार्थ-व्यवस्था अभविष्यत्। अस्ति तु जातिविशेषे प्रयोगः। जातिविशेषे यथाकामं प्रयोगो दृष्टः। न तु स्वाभाविकेन संबन्धेन संबद्धानां जातिविशेषे व्यभिचारो दृष्टः। न हि प्रदीपोऽस्माकमन्यथा प्रकाशयति, अन्यथा जातिविशेष इति।” (न्यायवातिक २।१।५६)। इसी प्रकार के न्यायसूत्र-वात्स्यायन-भाष्य को भी देखिये।

उक्त सन्दर्भों में गौतममुनि के अनुसार वात्स्यायन मुनि और न्यायवार्त्तिक-कार ने स्पष्टतया भाषा और विचार के संबन्ध को सांकेतिक सिद्ध किया है।

मिश्र देश के राजा सैमेटिकुस (Psammeticus) तथा बादशाह अक्रवर की आज्ञा से उनके समयों में कुछ बच्चों को जन्म से ही बिलकुल मनुष्य-समाज से पृथक् रखकर पाला गया । कुछ बड़े होने पर देखा गया कि वे बच्चे कोई भाषा नहीं बोल सकते थे । ये प्रयोग मनुष्य की कोई स्वभाविक भाषा है या नहीं, यही जानने के लिए किये गये थे ।

(७)

ऊपर की युक्तियों को पढ़कर भी कोई कह सकता है कि भाषा-विज्ञान की दृष्टि से संस्कृत या हिब्रू जैसी एक उन्नत भाषा को ही हम ईश्वर-प्रदत्त मान लें तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है ? ईश्वर को यह सामर्थ्य है कि वह ऐसी भाषा को ही सृष्टि के आरम्भ में मनुष्यों को सिखला दे । इसलिए 'दुहितृ', 'हंस' आदि शब्दों के स्थान में दूसरी भाषाओं में वर्ण-परिवर्तन के नियमों की दृष्टि से Tochter या daughter आदि शब्दों को अपने से प्राचीनतर रूप में पाने पर भी यह आवश्यक नहीं कि संस्कृत आदि-भाषा न हो सके ।

इसका उत्तर यही है कि ईश्वर के सामर्थ्य के नाम पर ही यदि इस बात को सिद्ध किया जायगा तब तो संसार में कोई भी बात सिद्ध की जा सकती है । ऐसी अवस्था में आँखें देकर उनको एक अनोखे प्रकाश से चौंधियाकर इस योग्य बना देना कि वे कुछ न देख सकें—और उस दशा में उनका देना ही व्यर्थ हो जाता है—इसी के समान यह है कि बुद्धि देकर एक ऐसी बात कर बैठना जो बुद्धि में न बैठ सके और जिससे बुद्धि भ्रमरूपी चकाचौध में पड़ जावे । तब यही प्रश्न होगा कि ईश्वर ने बुद्धि ही मनुष्य को क्यों दी ।

दूसरे, ऊपर का कहना ऐसा ही है जैसा भूगर्भविद्या के प्रारम्भ के दिनों में पृथ्वी की तहों से निकले हुए प्राचीन-सभ्यता के द्योतक पदार्थों के विषय में बहुत-से लोग कहा करते थे कि ऐसे पदार्थों से मनुष्य-जाति के प्राचीन इतिहास पर कुछ प्रकाश नहीं पड़ता, क्योंकि यह हो सकता है कि ईश्वर ने पृथ्वी पर पहाड़ियों आदि को बनाते समय इन पदार्थों के साथ ही चनाया था । ऐसी युक्तियों को माननेवाले लोगों के साथ किसी वैज्ञानिक विषय पर बात करना नितरां निष्फल है ।

(च)

मनुष्य और दूसरे प्राणियों में बड़ा अन्तर है। उनकी तरह मनुष्य-सर्पों, गर्मी आदि प्राकृतिक परिस्थितियों को न तो चुपचाप सह ही लेता है, और न इनसे रक्षा के लिए प्रकृति ने उसको बाल या परों जैसे कोई साधन ही दिये है। प्रकृति ने उसमें केवल ऐसी योग्यता उत्पन्न की है जिससे वह आवश्यकतानुसार नई-नई वस्तुओं का आविष्कार और निर्माण कर सकता है। उसी योग्यता के आधार पर मनुष्य ने अपनी भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भाषा का तथा गृह-वस्त्रादि बनाने की कलाओं का आविष्कार तथा विकास किया है।

जिस प्रकार वृक्षों का प्रारम्भ वृक्षों के पत्ते, छाल या पशुओं के चर्म आदि से हुआ, और घर आदि बनाने से पहले मनुष्य गुहा, कन्दरा, खोह और कुत्तों में रहता था; इसी प्रकार भाषा भी अपने उन्नत रूप में एकाएक नहीं आ गई, किन्तु उसका प्रारम्भ मनुष्य में तथा जड़-चेतन जगत् में प्राप्त कुछ स्वभाविक ध्वनियों से हुआ है। इसका प्रतिपादन अन्तिम मत के सम्बन्ध में किया जायगा।

इस प्रकार एक अनोखे प्रकार से दैवी शक्ति की प्रेरणा से मनुष्य-सृष्टि के साथ ही भाषा की उत्पत्ति मानना न तो भाषा के स्वभाव पर ही विचार करने से और न मनुष्य के स्वभाव या उसकी सभ्यता के इतिहास के साक्ष्य से ही सिद्ध होता है।

अब हम भाषोत्पत्ति-विषयक द्वितीय मत को लेकर उसकी समीक्षा करते हैं।

३—भाषोत्पत्ति-विषयक द्वितीय मत और उसकी समीक्षा

भाषा की उत्पत्ति के विषय में दूसरा मत यह हो सकता है कि यद्यपि भाषा को मनुष्य-सृष्टि के साथ ईश्वर ने नहीं रचा—तो भी भाषा को सृष्टि के आदिकालीन मनुष्य-समाज ने स्वयं विचार-पूर्वक संमत होकर बना लिया।

सृष्टि के आरम्भ में मनुष्यों ने जब यह देखा कि केवल हस्तादि के

संकेत आदि द्वारा वे अपने विचारों को एक दूसरे पर ठीक-ठीक प्रकट नहीं कर सकते, तब उन्होंने इकट्ठे होकर अपनी अवस्था पर विचार करके, आपस के समझौते के रूप में, भिन्न-भिन्न विचारों के लिए भिन्न-भिन्न शब्दों की कल्पना-पूर्वक, परस्पर व्यवहारार्थ भाषा का निर्माण किया।

समीक्षा

प्रथम मत के समान इस मत का भी आधार भाषा-विषयक कुछ मिथ्या-दृष्टियाँ हैं। मनुष्य-सभ्यता का—जिसका भाषा भी एक अंग है, और जिसके साथ ही साथ भाषा की उन्नति होती है—सारा इतिहास इस बात को सिद्ध करता है कि भाषा का आरम्भ मनुष्य-सृष्टि के बहुत समय पीछे हुआ होगा। आरम्भ होने पर भी भाषा अपने ठीक-ठीक रूप में तो और भी पीछे धीरे-धीरे ही आई होगी।^१ यदि ऊपर लिखे गये मत से यही आशय है, तब तो उसके विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं तो, यही सोचना चाहिये कि प्रथम तो भाषा के बिना मनुष्यों का इकट्ठा होकर अपनी अवस्था पर परस्पर विचार करना ही कैसे बन सकता है; और यदि भाषा के बिना भी मनुष्यों में परस्पर विचार करने की योग्यता आ सकती है, तो फिर उनको भाषा ही की क्या आवश्यकता थी।

४—भाषोत्पत्ति-विषयक तृतीय मत^२ और उसकी समीक्षा

बर्लिन के अध्यापक हेस (Heyse) के मत के आधार पर अध्यापक मैक्स म्यूलर (Max Muller) ने भाषा की उत्पत्ति के विषय में एक अनोखे मत का प्रतिपादन किया है। यह मत अध्यापक मै० म्यूलर के शब्दों में ही इस प्रकार है—

१. विद्वानों द्वारा भाषा के विकास का वर्णन वैदिक मन्त्रों में भी स्थान-स्थान पर आया है। उदाहरणार्थ, देखिये—“वसिष्ठासः पितृवद्वाचमक्रत” (ऋग्० १०।६६।१४), “यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत” (ऋग्० १०।७१।२)।

२. इस मत के लिए प्रायः The Ding-dong theory (अथवा ‘अनुरणनमूलकता वाद’) का नाम दिया जाता है। परन्तु इसी परिच्छेद के अन्तः की टिप्पणी में हमने इस वाद की कुछ अधिक सामान्य अर्थ में व्याख्या की है।

“भिन्न-भिन्न भाषा-परिवारों में जो ४०० या ५०० धातु उनके मूल-तत्त्व-रूप से शेष रह जाते हैं वे न तो मनोराग-व्यञ्जक ध्वनियाँ ही हैं और न केवल अनुकरणात्मक शब्द ही। हम उनको ‘वर्णात्मक शब्दों का साँचा’ कह सकते हैं। एक मनो-विज्ञानी या तत्त्वज्ञानी उनका किसी प्रकार व्याख्यान करे, भाषा के विद्यार्थी के लिए तो ये धातु अन्तिम तत्त्व ही हैं। प्लैटो के साथ हम यह कह सकते हैं कि वे स्वभाव से ही विद्यमान हैं; यद्यपि प्लैटो के साथ हम इतना और जोड़ देंगे कि हमारा ‘स्वभाव से’ कहने से आशय है ‘ईश्वर की शक्ति से’। यदि इसको दृष्टान्तों से स्पष्ट करने की आवश्यकता है, तो, कैसी ही अपूर्ण रीति से सही, उनको दूसरों ने ही दिखला दिया है। यह कहा गया है कि प्रायः सारी प्रकृति में यह नियम पाया जाता है कि प्रत्येक वस्तु टकराने से शब्द करती है। यह शब्द या भ्रनकार प्रत्येक पदार्थ के सम्बन्ध में एक विशेष प्रकार की होती है। (ताँबा, पीतल आदि) धातुओं के स्वरूप को थोड़ा बहुत हम उनके कम्पन से या (आघात करने पर) उनके उत्तर (या प्रतिध्वनि) से पहिचान सकते हैं। सोना टिन से भिन्न प्रकार का शब्द करता है, और लकड़ी का शब्द पत्थर के शब्द से पृथक् होता है। साथ ही प्रत्येक आघात के स्वभाव के अनुसार भी भिन्न-भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ पैदा होती हैं। प्रकृति के कार्यों में सर्वश्रेष्ठ रचना से युक्त मनुष्य में भी यही बात पाई जाती है। (ज्ञान-रूप में बाह्य पदार्थों द्वारा मानो आघात पाकर) मनुष्य (भी) उत्तर देता है और एक प्रकार का शब्द करता है। मनुष्य अपनी प्रारम्भिक और पूर्ण (अर्थात् पूर्ण-रूप से स्वाभाविक) अवस्था में पशुओं की तरह अपने भावों को मनोराग-व्यञ्जक शब्दों द्वारा, और अपने बाह्य अनुभवों को अनुकरणात्मक शब्दों द्वारा प्रकट करने की ही शक्ति न रखता था। उसमें अपने मन के सामान्यात्मक विचारों को अधिक व्यक्त रूप से वर्णात्मक शब्दों द्वारा प्रकट करने की भी शक्ति थी। इस शक्ति को उसने अपने प्रयत्न से नहीं प्राप्त किया था। यह एक नैसर्गिक प्रवृत्ति थी, और मन की दूसरी नैसर्गिक प्रवृत्तियों की तरह ही इसका वेग भी रोका नहीं जा सकता था। मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्तियाँ उनकी आवश्यकता न रहने पर लुप्त हो जाती हैं।.....(शब्दों के) निर्माण करने की (स्वाभाविक) शक्ति, जिसके द्वारा मस्तिष्क में पहले-पहल स्फुरित

होनेवाले प्रत्येक सामान्यात्मक विचार को वर्णात्मक शब्द में प्रकट किया गया, अपने प्रयोजन के चरितार्थ हो जाने पर (स्वयमेव) नष्ट हो गई।”^१

अध्यापक मै० म्यूलर के विचार में इस प्रकार स्वभाविक रीति से जो वर्णात्मक शब्द आदिम मनुष्यों के मुख से निकले मुख्य करके उनके ही आधार पर भाषा का प्रासाद खड़ा किया गया। पीछे से उन्नत भाषा के साँचे-स्वरूप इन वर्णात्मक शब्दों की संख्या आरम्भ में अत्यन्त अधिक रही होगी ; परन्तु अंत में छँटते-छँटते बहुत कम रह गई। वे कहते हैं कि भाषा का जो कुछ वर्तमान स्वरूप है उसका प्रारम्भ इन्हीं मूलतत्त्वों या धातुओं से हुआ है। इन मूलतत्त्वों से पहली अवस्था की खोज करना असम्भव है। वस्तुतः उसको भाषा का नाम ही नहीं दिया जा सकता।

इस मत का सबसे बड़ा आधार इस विचार पर है कि मनुष्य में ही बोलने और सोचने के पाये जाने से भाषा और विचार का परस्पर नित्य सम्बन्ध है। विचार के बिना वर्णात्मक शब्द की और वर्णात्मक शब्द के बिना विचार की स्थिति ही नहीं। जब कोई मनुष्य सोचता है तब यह समझना चाहिये कि वह धीरे-धीरे बोल रहा है, और जब बोलता है तब समझना चाहिये कि ऊँचे स्वर से सोच रहा है। वस्तुतः शब्द को विचार का अनिवार्य शरीर कहना चाहिये। दूसरे शब्दों में इसी मत को इस तरह कह सकते हैं कि एक प्रकार की स्वाभाविक आन्तरिक प्रेरणा से, जिसका वेग रोका जाना असम्भव है, विचार भाषा में प्रकट हुए बिना रह ही नहीं सकते।^२ भाषोत्पत्ति-विषयक प्रथम मत का वर्णन करते हुए

१. दे० M. Muller महाशय की उपरि-निर्दिष्ट पुस्तक, भाग १, पृ० ४३६-४४१।

२. तु०—कालिदास “वागर्थाविष संपृक्तौ” (रघुवंश १।१)। तुलसीदास, “रूपज्ञान नहि नामविहीना” (रामायण, बालकाण्ड)।

“न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादते। अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन मासते ॥” (वाक्यपदीय १।१२४)।

हमने इस मत का किंचिन्मात्र उल्लेख किया था (देखिये पृष्ठ १८६, घ) ।
यहाँ इस पर कुछ विस्तार से विचार किया जायगा ।

समीक्षा

भाषोत्पत्ति-विषयक इस तृतीय मत की दुर्बलता दिखाना कोई कठिन बात नहीं है । यह आश्चर्य है कि मै० स्यूलेर महाशय ने और मतों का खण्डन करके इस मत का प्रतिपादन तो किया; परन्तु अपने पक्ष के समर्थन में कोई विशेष हेतु नहीं दिया । विचारों को स्वभावतः वर्णात्मक स्वरूप देनेवाली शक्ति की आदि-मनुष्यों में बिना किसी विशेष प्रमाण के कल्पना करना ऐसा ही है जैसा कि प्रथम मत में भाषा की उत्पत्ति के लिये एक अलौकिक दैवी शक्ति की सहायता की कल्पना करना । इसलिए इस मत में भी भाषा की उत्पत्ति मानो एक जादू से होना मानने के समान है ।

(क)

भाषा का सारा इतिहास बतलाता है कि किसी भी शक्ति को जो भाषा की उत्पत्ति के समय काम करती रही होगी किसी समय छुट्टी नहीं मिल सकती । इसके विरुद्ध ऊपर कहा गया है कि उपर्युक्त स्वाभाविक प्रवृत्ति सृष्टि के प्रारम्भ में ही अपना काम करके नष्ट हो गई । भाषा में अब भी नये-नये विचारों के लिए नये-नये शब्द संकेत-रूप से नियत किये जाते हैं; परन्तु उनमें उपर्युक्त स्वाभाविक प्रवृत्ति कोई काम करती हुई नहीं दिखाई देती । हमारे हर्ष, भय, आश्चर्य आदि के भाव तो अवश्य स्वभाव से ही तद्व्यञ्जक ध्वनियों या शब्दों द्वारा प्रकट हो जाते हैं; परन्तु वे शब्द केवल भावों अर्थात् मनोरागों के न कि विचारों के द्योतक होते हैं । यदि भाषा की उत्पत्ति भी इसी प्रकार से हुई होती तो भाषा का प्रारम्भ भाव-व्यञ्जक शब्दों से मानना चाहिये था न कि पदार्थों के गुणों के नामों से, जैसा कि उपर्युक्त मतवाले मानते हैं ।

“यत्र ह्येव मनस्तद् वाक् । यत्र वै वाक् तन्मनः । इत्येते द्वे योनी एकं मिथुनम् ।” (गोपथब्राह्मण १ । १ । ३३) ।

(ख)

भाषा और विचार का सम्बन्ध, स्वाभाविक नहीं, किन्तु सांकेतिक है

भाषा और विचार के परस्पर सम्बन्ध के विषय में उपर्युक्त सिद्धान्त^१, जिसके ऊपर इस मत का बड़ा आधार है, प्रायः विद्वानों में फैला हुआ है। इसका मुख्य कारण विचार की उन्नति में भाषा का बड़ा भारी साधन होना और भाषा का पूर्ण रूप से विचार पर आधार होना ही है। परन्तु विचार के लिए भाषा की बड़ी भारी उपयोगिता होने पर भी यह न समझना चाहिये कि दोनों एक ही हैं या दोनों का अटूट सम्बन्ध है।

(१) भाषा के स्वरूप और उपयोग पर दृष्टि डालने से इस सिद्धान्त का भ्रम-पूर्ण होना स्पष्ट हो जाता है। भाषा मनुष्य का एक वैयक्तिक गुण नहीं, किन्तु सामाजिक गुण है। यह एक मनुष्य में केवल उसके मनुष्य होने के कारण नहीं, किन्तु उसके एक समाज के अङ्ग होने के कारण रहता है। भाषा का कोई अंश भी किसी एक व्यक्ति की मनः-कल्पना का फल नहीं है, किन्तु किसी समाज के अनुमोदन और व्यवहार का फल है। भाषा की सारी उन्नति व्यक्तियों द्वारा किसी समाज में ही होती है। किसी वर्णात्मक शब्द का शब्दत्व इसी में है कि वह किसी न किसी समाज में किसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। उस शब्द के उस अर्थ के साथ सम्बन्ध का हेतु वह समाज ही होता है। हम अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको हम समाज में दूसरों के व्यवहार से सीखते हैं। हम देख चुके हैं कि किसी भाषा की, अवान्तर भेद के होने पर भी, एकता इसी बात पर निर्भर है कि समाज में उस भाषा को बोलनेवाले उसके द्वारा एक दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं।^२

१. अर्थात्, भाषा और विचार में परस्पर स्वाभाविक तथा अनिवार्य सम्बन्ध का सिद्धांत।

२. तु०—“सामयिकः शब्दादर्थसंप्रत्ययः, न स्वाभाविकः। ऋष्यार्यग्लेच्छाना यथाकामं शब्दनियोगोऽर्थप्रत्यायनाय प्रवर्तते। स्वाभाविके हि शब्दस्यार्थ-

(२) परस्पर व्यवहार करने की इच्छा ही भाषा की उत्पत्ति का मूल-कारण है। इसलिए मनुष्य मुख्यतः इसलिए नहीं बोलता कि वह सोच सके, किन्तु इसलिए बोलता है कि वह अपने विचार दूसरों पर प्रकट कर सके। उसकी सामाजिक आवश्यकतायें, उसकी सामाजिक प्रवृत्तियाँ उसको अपने विचार प्रकट करने के लिए विवश करती हैं।

निर्जन एकान्त में सदा से रहनेवाला मनुष्य कोई भाषा नहीं बोल सकता। जैसा ऊपर दिखला चुके हैं, एक शिशु अत्यन्त निर्जन स्थान में रहकर यदि बड़ा हो तो वह गूँगा ही रहेगा। इसके स्थान में यदि दो दुधमुँहे बच्चे इसी प्रकार इकट्ठे रहकर बड़े हों, तो वे किसी प्रकार की भाषा न जानते हुए भी परस्पर व्यवहार के लिए कोई न कोई टूटी-फूटी भाषा धीरे-धीरे अवश्य बना लेंगे। इसी प्रकार एक मनुष्य, जो बड़ी आयु तक अपने आदिमियों में रहा है और अच्छे प्रकार भाषा द्वारा उनसे बात-चीत कर सकता है, यदि पर्याप्त लम्बे कालतक उनसे पृथक् करके अत्यन्त एकान्त में रहने पर विवश किया जाय तो वह केवल प्रयोग न करने के कारण अपनी भाषा को धीरे-धीरे भूलने लगेगा, और अन्त में या तो बिलकुल ही नहीं, या बहुत बुरी तरह से, बात-चीत कर सकेगा। नये अभ्यास से ही वह फिर उस भाषा को अच्छे प्रकार बोल सकता है। इन काल्पनिक उदाहरणों को छोड़कर, यह सब कोई जानते हैं कि चार-पाँच वर्ष तक की आयु के बच्चे जो अच्छी तरह बात-चीत कर सकते हैं यदि किसी कारण-वश बहिरे हो जाते हैं तो प्रयोग न करने के कारण ही वे प्रायः अपनी सारी सीखी हुई भाषा भूलकर पूर्णरूप से गूँगे हो जाते हैं। इन उदाहरणों से भाषा का एक सामाजिक, न कि वैयक्तिक, गुण होना स्पष्ट सिद्ध है।

(३) यह बात अनेक बार हम अनुभव करते हैं कि भाषा पूर्णरूप से हमारे विचारों को प्रकट नहीं कर सकती^१; न दूसरों के विचारों

प्रत्यायकत्वे यथाकामं न स्यात् । यथा तैजसस्य प्रकाशस्य रूपप्रत्ययहेतुत्वं न जाति-विशेषे व्यभिचरतीति ।” (न्यायसूत्रवात्स्यायनभाष्य २ । १ । ५६) ।

१. तु०—“वाग्वै मनसो हसीयसी । अपरिमिततरमिव हि मनः । परिमित-तरेव हि वाक्” (शतपथ-ब्राह्मण १।४।४।७) ।

को हम शब्दों द्वारा सदा अच्छी तरह समझ ही सकते हैं। आकृति और लहजे से जो भाव सरलता से प्रकट हो जाते हैं उनको प्रायः भाषा द्वारा प्रकट करना असम्भव-सा होता है। हमारे मनोरोगों को पूर्णतया प्रकट करने में भाषा असमर्थ है, यह सभी जानते हैं। बड़े-बड़े विचारकों के विषय में यह प्रायः देखा जाता है कि उनमें से कोई-कोई अपने विचारों को बड़ी अच्छी तरह भाषा द्वारा प्रकट कर सकते हैं, दूसरे नहीं।

(४) भाषा का सांकेतिक होना तथा उसका विचार के साथ नित्य या स्वाभाविक सम्बन्ध न होना इससे भी सिद्ध होता है कि हम एक ही विचार को भिन्न-भिन्न प्रकार से भाषा द्वारा प्रकट कर सकते हैं, तथा एक ही वस्तु के लिए हम अनेक शब्द प्रयोग कर सकते हैं। भारतवर्ष में रहते हुए एक मनुष्य जल के लिए 'पानी' या 'जल' शब्द का प्रयोग करता है, इंग्लैण्ड में water, जर्मनी में Wasser, फ्रांस में eau (ओ), और फ़ारिस में 'आब'। यदि चिरकाल तक एक देश में रहा जावे तो स्वभाव से ही मनुष्य किसी वस्तु के लिए उसी देश के शब्द का चिन्तन और प्रयोग करने लगता है।

(५) यह भी एक विचारणीय बात है कि विचार का, जो एक मानसिक वस्तु है, भाषा के साथ, जो जहाँ तक उसका सुनने से सम्बन्ध है एक भौतिक वस्तु है, न तो स्वाभाविक या नित्य ही सम्बन्ध हो सकता है और न उनका एक ही होना संभव है।^१

(६) गूँगे और बहिरों की अँगुलियों के इशारे आदि की भाषा पर ध्यान देने से बोलने की भाषा का सांकेतिक होना पूर्णरूप से मन में बैठ जाता है। उनके लिए शारीरिक चेष्टायें बहुत अंश तक वही काम देती हैं जो हमारे लिए भाषा।

(७) हम लोगों में भी भाषा और विचार एक क्षण में ही हमारे मन में

१. तु० "पूरणप्रदाहपाटनानुपलब्धेश्च संवन्धाभावः । न सामयिकत्वाच्छब्दा-
र्यसंप्रत्ययस्य । जातिविशेषे चानियमात् ।" (न्यायसूत्र २।१।५३, ५५-५६)

नहीं आते । उनमें क्षणमात्र का अन्तर अवश्य रहता है । यह ठीक है कि विचार क्षणिक होने से उनमें भाषा द्वारा कुछ स्थिरता अवश्य आ जाती है । परन्तु यह कहना ठीक नहीं कि कोई विचार हमारे मन में आता ही नहीं जब तक कि उसको प्रकट करने के लिए कोई शब्द हम न जानते हों ।^१

ऊपर की युक्तियों से भाषा और विचार का ऊपरी, सांकेतिक या अनित्य सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है । साथ ही साथ यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भाषा की उत्पत्ति में बाहरी अर्थात् सामाजिक, न कि आन्तरिक अर्थात् वैयक्तिक, आवश्यकता ही प्रधान कारण है ।

इससे तीसरे मत का निराधार होना स्पष्ट सिद्ध है ।

यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है कि यदि भाषा और विचार एक ही नहीं हैं या उनका स्वाभाविक नित्य सम्बन्ध न होकर केवल सांकेतिक है तो इसका क्या कारण है कि विचारों को मुख्यतया भाषा द्वारा ही प्रकट किया जाता है । विचारों का सांकेतिक सम्बन्ध उस दशा में भाषा की तरह शारीरिक चेष्टा आदि के साथ भी हो सकता है ।

इसका उत्तर यही है कि विचारों को शब्दों द्वारा प्रकट करने में जितनी सरलता हो सकती है उतनी और किसी प्रकार के संकेतों में नहीं हो सकती । यह ठीक है कि हाथों की चेष्टा, और मुख की भाव-भङ्गियों द्वारा भी विचारों को बहुत कुछ प्रकट किया जा सकता है । गूँगे-बहिगों का तथा एक दूसरे की भाषा से अनभिज्ञ दो व्यक्तियों का परस्पर व्यवहार इसका साक्षी है । यदि मनुष्य में बोलने की शक्ति ईश्वर ने न दी होती और मनुष्य के पास अपने विचारों को प्रकट करने का उपाय शारीरिक चेष्टाओं को छोड़ और कोई न होता, तो संभव था कि मनुष्य शारीरिक चेष्टाओं द्वारा विचारों को प्रकट करने में बहुत कुछ उन्नति कर लेता । परन्तु भाषण-शक्ति रखते हुए मनुष्यों में भाषा का विकास होना स्वाभाविक ही है ।

१. देखो Mellone और Drummond : *Elements of Psychology*, द्वितीय संस्करण, पृ० ४०१, ४३६ ।

शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करने में शारीरिक शक्ति को बहुत ही कम काम करना पड़ता है, और मनुष्य के हाथ आदि सारे शरीरावयव अन्य किसी काम में लगाये जा सकते हैं। बोलने में प्रकाश आदि बाह्य साधनों की कोई अपेक्षा नहीं; यह भी आवश्यक नहीं कि बोलनेवाले एक दूसरे को देख सकते हों; दोनों का अधिक पास होना भी आवश्यक नहीं। इत्यादि सुभीतों के होने से ही विचारों को प्रकट करने के उपायों में भाषा की प्रधानता है।^१ इसी कारण से भाषा और विचार का कोई आवश्यक अटूट सम्बन्ध वस्तुतः न होते हुए भी प्रतीत होता है।

यहाँ पर यह भी कह देना चाहिये कि विचारों को प्रकट करने में अन्य उपायों की अपेक्षा भाषा का सर्व-प्रधान होना मनुष्य ने मनुष्य-सृष्टि के आरम्भ में ही नहीं किन्तु बहुत कुछ काल के पीछे ही अनुभव किया होगा। निस्सन्देह आदि-मनुष्यों का परस्पर व्यवहार बहुत कुछ शारीरिक चेष्टाओं द्वारा ही होता रहा होगा। बहुत-सी असभ्य जातियों में, जैसा ऊपर कहा है, आजकल भी बोलने के साथ-साथ हस्तादि-संकेत से अत्यधिक काम लिया जाता है।

पू—भाषोत्पत्ति-विषयक चतुर्थ मत

ऊपर के तीनों मतों के वर्णन और समीक्षा के बाद यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि भाषा की उत्पत्ति एकाएक न तो मनुष्य की स्वेच्छा से, न स्वभाव से, और न देवी शक्ति की प्रेरणा से ही हो सकती है। उसकी उत्पत्ति का प्रकार यही हो सकता है कि सभ्यता के दूसरे अंगों की तरह भाषा भी धीरे-धीरे विकास का फल हो।

यह विकास किस वीज के आधार पर किस प्रकार हुआ—इसी का विचार इस चौथे मत में है।

१. तु०—“अणीयस्त्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणं व्यवहारार्थं लोके।”

(निरुक्त १।२)। “अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते शान्तेऽग्नौ विज्योतिरेवायं पुरुष इति। वागेवास्य ज्योतिर्भवतीति, वाचैवायं ज्योतिपास्ते...”
(बृहदारण्यक ४।३।५)।

इस चौथे मत के दो भाग हैं। दोनों भाग यदि स्वतन्त्र रीति से पृथक् पृथक् लिये जावें तो भाषा के विकास का पूर्ण रीति से समाधान नहीं कर सकते। हाँ, यदि उन दोनों को इकट्ठा करके एक ही मत समझें तो पर्याप्त रूप से भाषाविकास समझ में आ जाता है। हम स्पष्टीकरणार्थ और परस्पर सम्बन्ध दिखाने के लिए दोनों का वर्णन पृथक्-पृथक् करते हैं।

पहला सिद्धान्त यह है कि पदार्थों के और क्रियाओं के पहले-पहले नाम जड़-चेतनात्मक बाह्य जगत् की अव्यक्त ध्वनियों के अनुकरण के आधार पर रखे गये। उदाहरणार्थ, पशु-पक्षियों के नाम उनकी विशेष आवाजों के ऊपर रखे गये होंगे। चीनी भाषा में 'मिआऊ' (miaou) बिल्ली का नाम है। स्पष्टतः वह उसकी आवाज के कारण रखा गया होगा। 'कुक्कुट', 'कोकिल', cuckoo, या 'काक'^१ शब्द स्पष्ट ही इन पक्षियों की बोलियों के अनुकरण से बनाये गये हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक या जड़ जगत् की भिन्न-भिन्न ध्वनियों के अनुसार, जैसे बादल का गरजना, वायु का सरसर बहना, पक्षियों का मर्मर रव करना, पानी का झर-झर गिरना या बहना, भारी ठोस पदार्थों का तड़कना या फटना इत्यादि के अनुकरण से भी अनेक नाम रखे गये। इस प्रकार अनुकरण के आधार पर मूल शब्दों का पर्याप्त कोष बन गया होगा। इन्हीं बीज-रूप मूल-शब्दों से धीरे-धीरे भाषा का विकास हुआ है। इस सिद्धान्त को हम शब्दानुकरण-मूलकता-वाद (the Bow-wow theory or the Onomatopoeic theory) का नाम दे सकते हैं।^२

दूसरा सिद्धान्त इस प्रकार है। हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि के

१. तु० "काक इति शब्दानुकृतिः। तदिदं शकुनिषु बहुलम्। न शब्दानु-
कृतिविद्यत इत्यौपमन्यवः।" (निरुक्त ३। १८)

२. इस वाद के लिए Bow-wow Theory का नाम M. Müller महाशय ने अपनी उपरि-निर्दिष्ट पुस्तक (भाग १, पृ० ४०७-४१६) में दिया था। इसका कारण यह था कि पैपुआ (Papua) के पूर्वोत्तर किनारे पर रहनेवाले कुत्ते की आवाज के आधार पर उसको bow-wow कहते हैं।

भावों के आवेग में कुछ स्वाभाविक ध्वनियाँ हमारे मुख से निकल पड़ती हैं; जैसे 'हा हा', 'हाय हाय', 'अहह', 'वाह वाह' इत्यादि। इस प्रकार की स्वाभाविक ध्वनियाँ, मनुष्य में ही नहीं, और प्राणियों में भी विशेष-विशेष रूप की पाई जाती हैं। प्रारम्भ में ये ध्वनियाँ बहुत करके हमारे मनो-रागों की ही व्यञ्जक रहीं होंगी, विचारों की नहीं। भाषा का मुख्य उद्देश्य हमारे विचारों को प्रकट करना होने से इन ध्वनियों ने भाषा के बनाने में जो भाग लिया उसके लिए यह आवश्यक था कि ये ध्वनियाँ, मनोरागों के स्थान में, विचारों की द्योतक समझी जाने लगी हों। इन्हीं ध्वनियों के दुहराने, कुछ देर तक बोलने, और स्वर के उतार-चढ़ाव द्वारा इनके अर्थ या अभिधेय का क्षेत्र विस्तीर्ण होता गया होगा। धीरे-धीरे वर्णात्मक स्वरूप को धारण कर यही ध्वनियाँ मानवी भाषा के रूप को प्राप्त हो गई होंगी। इस प्रकार हमारी भाषा की आदि-आदि में नींव इन्हीं स्वाभाविक ध्वनियों पर रखी गई होगी। इस सिद्धान्त का नाम हम मनोराग-व्यञ्जक-शब्द-मूलकता-वाद^१ (the Pooh-pooh or Interjectional theory) रख सकते हैं।

उपर्युक्त दोनों सिद्धान्तों में से प्रत्येक भाषा की उत्पत्ति के विषय में थोड़ा बहुत समाधान उपस्थित करता है। परन्तु दोनों के युक्ति-संगत और स्वाभाविक होने से तथा भाषा पर दोनों का अभाव प्रतीत होने से दोनों प्रकार से ही भाषा की उत्पत्ति मानना उचित है। इन प्रकारों में से भाषा के निर्माण में किसने कितना भाग लिया, इसका ठीक-ठीक निश्चय करना न तो संभव ही है और न आवश्यक ही। तो भी सामान्यतः इस विषय पर विचार करना अप्रासङ्गिक न होगा—

भाषा-निर्माण में शब्दानुकरण मूलक सिद्धान्त की योग्यता विशेषतया अधिक है। गुण और क्रिया के ही नाम रखने की सबसे पहले आवश्यकता होती है। और शब्द ही नाम रखने का एक नियत

१. इस वाद के लिए Pooh-pooh Theory का नाम M. Müller महाशय ने अपनी उपरनिर्दिष्ट पुस्तक (भाग १, पृ० ४०७, ४२०-४२३) में दिया था।

साधन है। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि ध्वनि-सहित क्रियाओं, भिन्न-भिन्न बोलियों, और क्रियाओं के साथ होनेवाली ध्वनियों के नाम उनके अनुकरण के आधार पर सबसे पहले रखे जावें।

ध्वनियों के अनुकरण के आधार पर शब्दों का निर्माण होता रहा है या हो सकता है इस बात की सत्यता इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक भाषा के कोष में ऐसे शब्द मिलते हैं जो स्पष्टतः इसी प्रकार बने हैं।

भाषा के विकास की प्रत्येक अवस्था में जो एकान्ततः नये शब्द बनते हैं वे और रीतियों की अपेक्षा शब्दानुकरण-मूलक सिद्धान्त के अनुसार ही अधिक बनते हैं।

हमारे मन में एक स्वाभाविक रुचि या प्रवृत्ति है जो शब्दों में और उनसे वाच्य वस्तुओं या क्रियाओं की अपनी ध्वनियों में अनुहारिता या सादृश्य देखना चाहती है, और देखकर प्रसन्न होती है। इसी नियम के आधार पर वर्णनीय विषय के अनुसार माधुर्य आदि गुणों के व्यञ्जक वर्णों से युक्त पदों की योजना को काव्यादि साहित्य में प्रशंसनीय माना जाता है।^१

इस प्रकार अनुभव और युक्ति दोनों इस बात को सिद्ध करते हैं कि भाषा के निर्माण की सबसे पहली अवस्था में शब्दानुकरण के सिद्धान्त ने ही सबसे अधिक काम किया होगा।

परन्तु स्वाभाविक मनोराग व्यञ्जक शब्दों के आधार पर भाषा की उत्पत्ति का सिद्धान्त भी बड़ा आवश्यक है। उसकी उपयोगिता भी थोड़ी न समझनी चाहिये।

निस्सन्देह एक अशिक्षित और अनुन्नत मनुष्य के लिए अपने भावों को प्रकट करने के लिए मनोराग-व्यञ्जक शब्दों को बोलना ऐसा ही

१. तु०—“माधुर्यव्यञ्जकैर्णै रचना ललितात्मिका।...वैदर्भी रीति-
रिष्यते ॥ श्रोजःप्रकाशकैर्वर्णैर्बन्ध आढम्बरः पुनः। समासबहुला गौडी...”
(साहित्यदर्पण ६।२-३)।

स्वाभाविक है जैसा कि हस्तादि से इशारा करना। जिस प्रकार बोलने की शक्ति के अभाव में हस्तादि द्वारा संकेत करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति के आधार पर, जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, यह संभव था कि मनुष्य एक प्रकार की सार्थक हस्तादि-संकेत की 'भाषा' को बना लेता, इसी प्रकार हम यह कल्पना कर सकते हैं कि मनोराग-व्यंजक शब्द करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति ने मनुष्य को अपने मन के विचारों को दूसरों पर प्रकट करने के लिए वाणी की बड़ी उपयोगिता को मन में बैठाने में बड़ी सहायता की होगी। बहुत करके यह सिद्धान्त भाषा की उत्पत्ति में इसी रीति से बड़ा साधन हुआ होगा, न कि भाषा के मूल-शब्दों के बनाने के द्वारा। क्योंकि मनोराग-व्यंजक स्वाभाविक शब्दों की परिधि कम होने से, उनका सम्बन्ध मानस जगत् से होने से, और अतएव उनका भिन्न-भिन्न पदार्थों के साथ भिन्न-भिन्न प्रकार का सम्बन्ध न होने से, उनकी योग्यता भाषा के मूल शब्दों के बनाने में कम है।

उपर्युक्त दोनों सिद्धान्तों में वस्तुतः परस्पर कोई विरोध नहीं है।

दोनों सिद्धान्तों को माननेवाले परस्पर एक दूसरे के सिद्धान्त का न तो विरोध ही करते हैं, न निन्दा, और न उस सहायता से जो दोनों सिद्धान्त भाषोत्पत्ति-विषयक प्रश्न के समाधान करने में देते हैं विमुख ही हैं।

अनुकरण-मूलक सिद्धान्त की व्याख्या कुछ असंकुचित या विस्तृत कर देने से वस्तुतः मनोराग-व्यंजक-शब्द-मूलक सिद्धान्त भी उसी के अवान्तर्गत हो जाता है।

जैसे प्रथम सिद्धान्त का आधार जड़-चेतनात्मक बाह्य जगत् की ध्वनियों के अनुकरण पर है, इसी प्रकार दूसरे सिद्धान्त का आधार मनुष्य की हर्ष आदि की व्यञ्जक अपनी ध्वनियों के अनुकरण पर है। दोनों का मूल एक ही नियम पर है। भेद केवल दोनों प्रकार से बने हुए शब्दों के अर्थ के स्वरूप का है। प्रथम प्रकार से बने हुए शब्दों के अर्थ का सम्बन्ध बाह्य जगत् से है, और दूसरे प्रकार में मानस जगत् से।

इतना ध्यान रखना चाहिये कि अनुकरण कहने से हमारा आशय किसी प्रकार की ध्वनियों की हूबहू ठीक-ठीक नक़ल से नहीं है। न तो ऐसा हो ही सकता है, और न इसकी आवश्यकता ही है। अ-वर्णात्मक या अव्यक्त शब्द का वर्णात्मक शब्द द्वारा अनुकरण ठीक-ठीक नहीं बन सकता। वर्णात्मक शब्द में अव्यक्त ध्वनि का थोड़ा सादृश्य ही उसका स्मरण कराने के लिए पर्याप्त होता है।^१ किसी ध्वनि के लिए किस प्रकार के वर्णात्मक शब्द को नियत किया जायगा, यह बहुत कुछ भिन्न-भिन्न व्यक्तियों पर और भिन्न-भिन्न दशाओं पर निर्भर होता है। एक ही ध्वनि भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रतीत होती है। इसी कारण एक-सी ही ध्वनि के लिए भिन्न-भिन्न भाषाओं में भिन्न-भिन्न प्रकार के अनुकरणात्मक शब्द पाये जाते हैं।

इस प्रकार अनुकरणात्मक शब्दों के बहुत कुछ यादृच्छिक होने पर भी उनके द्वारा परस्पर व्यवहार में कोई आपत्ति नहीं आती। जैसे वच्चों की भाषा में शुद्ध शब्दों के स्थान में बहुत कुछ विकृत शब्दों से भी सुनने-वाले उनकी आवश्यकताओं आदि का अनुमान करके उनका ठीक-ठीक अर्थ समझ लेते हैं, ऐसे ही अनुक्रियमाण ध्वनियों के यादृच्छिक अनुकरणों से भी परस्पर व्यवहार हो सकता है।

यह कहा जा सकता है कि हमारी भाषा के उस स्वरूप से जिसको हम अपनी खोज की पहुँच की दृष्टि से सबसे प्राचीन कह सकते हैं यह बात स्पष्ट और असंदिग्ध रीति से नहीं सिद्ध होती कि भाषा का प्रारम्भिक विकास अनुकरण-मूलक सिद्धान्त के अनुसार हुआ होगा। इसका उत्तर यही है कि भाषा के स्वभाव और उसकी उत्पत्ति-समय की दशा आदि पर विचार करने से तो, जैसा ऊपर दिखलाया जा चुका है, यही सिद्ध होता है कि भाषा के इतिहास में कोई समय ऐसा अवश्य रहा होगा जब कि उसकी सारी की सारी रचना अनुकरण के आधार पर ही हुई होगी। इस रचना का विस्तार अधिक न रहा होगा। यह अवस्था

१. तु०—“अव्यक्तानुकरणाद् द्वयजवरार्धादनितौ ढाच्” (श्रष्टाध्यायी ५ । ४।५७) । उदाहरण—पटपटा करोति । दमदमा भवति । (काशिका)

अधिक दिनों तक न रहकर भाषा की अगली उन्नत दशा के लाने में एक साधन हुई होगी। इस प्रकार भाषा के इतिहास में इस आदि अवस्था के अति प्राचीन होने से तथा भाषा के बराबर परिवर्तन-शील होने से यह स्वाभाविक ही है कि अब भाषा की अनुकरण-मूलकता का साक्ष्य स्पष्ट रूप से बहुत ही कम उपलब्ध होता है। भाषाओं में यह बात देखी जाती है कि शब्दों की व्युत्पत्ति का इतिहास प्रायः लुप्त और विस्मृत हो जाता है।

भाषा के ऐतिहासिक समय में अनुकरण-मूलक शब्दों की कमी का कारण निम्न लेख से और स्पष्ट हो जायगा।

जैसा ऊपर कहा गया है, भाषा का प्रारम्भ शब्दानुकरण द्वारा होने पर भी उस समय अनुकरण-मूलक शब्दों का विस्तार अधिक न था। तो भी मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार ऐसे शब्दों की पर्याप्त संख्या हो जाने पर, कुछ समय के पीछे, विशेष-विशेष विचारों के लिए नये अनुकरणात्मक शब्द न बनाकर पहले बने हुए अनुकरणात्मक शब्दों के आधार पर ही नवीन शब्द बनाये जाते होंगे। यह प्रवृत्ति बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि अनुकरण-मूलक शब्दों की रचना लगभग विलकुल रुककर पहले बने हुए शब्दों के आधार पर ही नये-नये शब्द बनाये जाने लगे। यही बात हम भाषा के ऐतिहासिक समय में पाते हैं। आज-कल भी अनुकरण-मूलक शब्दों की रचना अत्यन्त ही परिमित है।

६—उपसंहार

इस परिच्छेद में हमने भाषा की उत्पत्ति के अति-जटिल प्रश्न पर केवल सामान्यरूप से ही विचार किया है। उपर्युक्त विवेचन इस विषय में कुछ सहायक होगा, कम से कम इस समस्या पर अधिक विचार करने के लिए पाठकों को प्रेरणा देगा, ऐसी हमें आशा है। जिज्ञासा ही ज्ञान और विज्ञान की जननी होती है।

(क)

ऊपर जो कुछ विवेचन किया है उसका सारांश यही है कि—

(१) सभ्यता के अन्य अंगों के समान ही भाषा का भी शनैः शनैः विकास हुआ है,

(२) पूर्णतः निष्पन्न भाषा की उत्पत्ति दैवी शक्ति द्वारा नहीं हुई है, और

(३) भाषा के विकास का बीज भाषा की उन स्वाभाविक प्रेरणाओं में ढूँढ़ना चाहिये जो मनुष्य को जड़-चेतन पदार्थों के सम्पर्क से दो रूप में प्राप्त हुई होंगी :—बाह्य अव्यक्त ध्वनियों से, और उस संपर्क की प्रतिक्रिया के रूप में स्वयं मनुष्य से ।

उपर्युक्त चतुर्थ मत के दोनों अंश तथा उनसे मिलते-जुलते जो अन्य मत भाषा की उत्पत्ति के विषय में प्रतिपादन किये गये हैं, उन सबका अन्तर्भाव इस दृष्टि में हो जाता है ।

इसी मौलिक भित्ति पर भाषा की उत्पत्ति होकर तदनन्तर 'उपचार' आदि के आधार पर भाषा विकसित हुई होगी, जैसे आज-कल उसका विकास होता है ।

(ख)

अन्त में यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि उक्त प्रश्न के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए—

(१) बच्चों की भाषा का,

(२) आदिम जातियों की भाषाओं का, और

(३) विभिन्न भाषाओं के ऐतिहासिक विकास का

विवेचनात्मक अध्ययन पहली और मुख्यतम आवश्यकता है

(ग)

उपर्युक्त मुख्य चार वादों के अतिरिक्त, भाषा की उत्पत्ति के विषय में कुछ और वाद भी उपस्थित किये जाते हैं । उदाहरणार्थ—

(१) अनुरणन-मूलकता-वाद

(the Ding-dong theory)

इसका आधार वस्तुतः मै० म्यूलर महाशय का उपर्युक्त तृतीय मत ही है। उसका इसी नाम से निर्देश भी हम ऊपर कर चुके हैं। पर उसी मत में व्यापक रूप से यदि मौलिक धातुओं की कल्पना की बात छोड़कर केवल इतना ही कहा जाय कि मनुष्य के अन्दर एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया की ऐसी शक्ति आदि काल से ही रही है जो वाह्य अनुभवों के अनुरूप शब्द बना लेती है, तो हिन्दी के 'मिलमिल', 'भगमग', 'तिलमिलाना' (?) जैसे शब्दों की तथा अंगरेजी के dazzle, jazz जैसे शब्दों की उत्पत्ति इस वाद के अनुसार मानी जा सकती है।

(२) श्रमापहार-मूलकता-वाद

(The Yo-he-ho theory)

मजदूर जब इकट्ठे होकर एक साथ भारी बोझ के उठाने आदि का काम करते हैं तब सहसा उनके मुख से 'हे' 'हो' जैसे शब्द निकल पड़ते हैं। इससे वे अपने श्रम को भूलकर एक-मन होकर कार्य करते हैं। अंगरेजी धातु heave (=उठाना) का मूल यही बतलाया जाता है। इसी प्रकार प्यार करने की ध्वनि से 'प्रिय' का और धुत्कारने से 'धिकू' का सम्बन्ध हो सकता है। इस वाद का अभिप्राय यही है।

यह स्पष्ट है कि इस वाद का अन्तर्भाव मनोराग-व्यञ्जक-शब्द-मूलक वाद में हो सकता है।

नवाँ परिच्छेद

वर्णविज्ञान

१—वर्णविज्ञान का स्वरूप

दो सम्बन्धी भाषाओं के शब्दों की परस्पर तुलना करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि उनमें से एक भाषा के किस वर्ण का दूसरी भाषा के किस वर्ण के साथ सम्बन्ध है, उन दोनों वर्णों में परस्पर साक्षात् सम्बन्ध है या परम्परया, उनमें से किससे किसका बनना संभव है तथा एक का दूसरे में परिवर्तन किस तरह हो सकता है। ऊपर वर्णन किये गये वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियमों से इन सब प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता। वे केवल यही बतला सकते हैं कि एक भाषा के किस वर्ण के स्थान में दूसरी सम्बन्धी भाषा में कौनसा वर्ण पाया जाता है। पर वर्णविज्ञान द्वारा वर्णों के स्वरूप आदि के जान लेने से इन प्रश्नों का समाधान अच्छी तरह हो जाता है। वर्णविज्ञान द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि जब एक वर्ण के स्थान में दूसरा वर्ण होता है तब उन दोनों में स्थान-कृत या किसी और प्रकार की समानता रहती है तथा वर्णों का परिवर्तन सामान्य या विशेष कारणों के अनुसार होता है। इसी कारण से भाषा-विज्ञान के साथ वर्ण-विज्ञान का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। वस्तुतः वर्ण-विज्ञान को भाषा-विज्ञान का एक भाग ही कहना चाहिये।

वर्ण-विज्ञान, जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, वर्णों के विज्ञान को कहते हैं। साधारण दृष्टि से इसका विषय सामान्यतः मानवीय भाषा के वर्णों या ध्वनियों का विचार और भिन्न-भिन्न भाषाओं के वर्णों के स्वरूप और इतिहास का विचार करना समझा जाता है। इस दृष्टि से भाषा-विज्ञान का बहुत बड़ा भाग वर्ण-विज्ञान के अन्तर्गत समझा जा सकता है; क्योंकि भाषा के शाब्दिक स्वरूप का विचार जो भाषा-विज्ञान

का एक मुख्य विषय है अन्त में इस दृष्टि से वर्ण-विचार में ही आ सकता है ।

‘वर्ण-विज्ञान’ शब्द का प्रयोग इस सामान्य अर्थ में कम होता है ।

विशेष दृष्टि से वर्ण-विज्ञान से आशय सामान्यतः मनुष्य-भाषा के और भिन्न-भिन्न भाषाओं के वर्ण विषयक ऐसे अध्ययन से होता है जिसमें वर्णोच्चारण में उपयोगी शरीरावयवों द्वारा वर्णों के उच्चारण करने के ठीक-ठीक प्रकार का, और उच्चारण में जो ऐसे सूक्ष्म भेद होते हैं जो सुनने में तो आते हैं परन्तु लिखने में प्रायः नहीं दिखलाये जाते उनके कारणों का विचार किया जाता है ।

वर्ण-विज्ञानी के लिए यह आवश्यक है कि वह वर्णोच्चारण में उपयोगी शरीरावयवों की रचना से अच्छी तरह परिचित हो । उसकी अव्योन्द्रिय इतनी शिक्षित होनी चाहिये कि वह उच्चारण में काम आनेवाले शरीरावयवों की क्रिया तथा स्थिति के भेद से होनेवाले वर्णों के भेदों को झट अनुभव कर सके ।

वर्णों का अपना असली स्वरूप उच्चारणात्मक होता है । परन्तु वर्ण-विज्ञानी के लिए उनके लिखित संकेतों का होना भी आवश्यक है । वर्णों के लिखित संकेतों के बिना उनके विषय में पूरा-पूरा विचार नहीं किया जा सकता । आज-कल प्रत्येक सभ्य जाति में लेखन-कला का प्रचार पाया जाता है । इसलिए उस उस भाषा के वर्णों के लिए सामान्यतः भिन्न-भिन्न लिखित संकेत हैं ही । परन्तु वर्ण-विज्ञानी का काम बहुत करके इन साधारणतया प्रचलित लेख-प्रणालियों से नहीं चल सकता । इसका कारण यही है कि प्रायः भाषाओं की प्रचलित लेख-प्रणाली दूषित है । एक ही लिखित संकेत भिन्न-भिन्न शब्दों में भिन्न-भिन्न प्रकार से उच्चारण किया जाता है; और एक ही आवाज को भिन्न-भिन्न शब्दों में भिन्न-भिन्न संकेतों द्वारा लिखा जाता है । लिखित संकेतों के विषय में इस प्रकार की अव्यवस्था, उदाहरणार्थ, अंगरेजी भाषा में बहुत पाई जाती है । a, i और u का उच्चारण gate (गेट), find (फ़ाइन्ड) और out (कट) में एक तरह से होता है, परन्तु mat (मैट), sit (सिट) और

put (पुट) में दूसरी तरह से । इसी तरह एक ही आवाज को meet (मीट), meat (मीट), niece (नीस), key (की) इत्यादि में भिन्न-भिन्न प्रकार से लिखा जाता है । इसी प्रकार की अव्यवस्था थोड़ी बहुत और भाषाओं में भी पाई जाती है ।

उक्त दोषों के साथ-साथ यह भी स्मरण रहे कि भिन्न-भिन्न भाषाओं को प्रचलित लेख-प्रणाली का आधार प्रायः या तो प्राचीन समय की या आज-कल को कोई प्रधान भाषा ही होती है । ऐसी अवस्था में यह स्वाभाविक है कि उस प्रधान भाषा के अतिरिक्त सब-सम्बन्धी बोलियों में उच्चारण के जो थोड़े-थोड़े भेद पाये जाते हैं उनको साधारण लेख-प्रणाली द्वारा ठाक-ठाक नहीं दिखलाया जा सकता । इत्यादि कारणों से वर्ण-विज्ञानों के लिए यह आवश्यक है कि वह एक ऐसी लेख-प्रणाली को कल्पना करे जो उक्त दोषों से रहित हो और साथ ही जिसमें उच्चारण के सूक्ष्म भेदों को दिखाने की योग्यता हो । इस प्रकार की लेख-प्रणाली को हम वैज्ञानिक लेख-प्रणाली कह सकते हैं ।

वर्ण-विज्ञान का अध्ययन तीन दृष्टियों से किया जा सकता है— शुद्ध वैज्ञानिक, व्यावहारिक और ऐतिहासिक । इनका विशेष वर्ण हम नीचे करते हैं :—

२—वर्ण-विज्ञान के अध्ययन में शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि

शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से वर्णों के अध्ययन में मनुष्य-भाषा की ध्वनियों का गहरे से गहरा विवेचन किया जाता है; और इस प्रकार अत्यन्त सुशिक्षित श्रवणेन्द्रिय से अनुभव किये जाने के योग्य वर्णों या ध्वनियों के सूक्ष्मतम भेदों की खोज की जाती है । इस प्रकार के अनुसन्धान में कभी-कभी सूक्ष्म यन्त्रों से भी सहायता ली जाती है ।

इस अति सूक्ष्म रीति से वर्णों के अध्ययन में दत्त मनुष्य, उदाहरणार्थ, किसी स्वर के उच्चारण में जो वायु में कंपन होते हैं उनके गिनने का, या वर्णों के स्थिति-काल के या उदात्तादि स्वरों में आवाज के उठने

और गिरने के आपेक्षिक तारतम्य के मापने का, या एक वर्ण के पीछे और अगले वर्ण से पहले दोनों के मध्य में जो क्षणिक, सुनने में बहुत कठिनता से आनेवाली, अन्तर श्रुतियाँ^१ होती हैं उनके विवेचन या स्वरूप-निर्धारण का, या इसी तरह किसी और प्रकार का प्रयत्न कर सकता है।

इस प्रकार वाणी-विषयक सूक्ष्म भेदों और रहस्यों के ज्ञान की प्राप्ति ही शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से किये गये अध्ययन का लक्ष्य होती है।^२

३—वर्ण-विज्ञान के अध्ययन में व्यावहारिक दृष्टि

वाणी के सूक्ष्म भेदों और रहस्यों के ज्ञान का उपयोग कई प्रकार से किया जा सकता है।

(क) वर्णविषयक विवेचन से प्राप्त हुए ज्ञान का बड़ा आवश्यक-उपयोग किसी भाषा के उच्चारण को उन लोगों के सिखाने में किया जा सकता है जो उस भाषा को स्वभावतः नहीं बोलते।

प्राचीन भारतवर्ष में भी, जब कि वर्ण-विज्ञान ने वर्ण-शिक्षा, वर्ण-उच्चारण-शिक्षा या केवल शिक्षा के नाम से विशेष उन्नति की थी, इसका मुख्य उपयोग वैदिक भाषा के शुद्ध उच्चारण के सिखाने में किया जाता था।^३

१. उदाहरणार्थ, तुलना कीजिये—“नादः परोऽभिनिधानाद् भ्रुवं तत्त-
त्कालस्थानम्” (ऋक्सामयजुर्वेदशास्त्र ६।३६)। अभिनिधान के लक्षण के लिए देखिये—ऋक्सामयजुर्वेदशास्त्र ६।१७।

२. तु०—“सोऽयमक्षरसमागनायो वाक्समागनायः पुष्पतः फलितश्चन्द्रतार-
कवत् प्रतिमण्डितो वेदितव्यो ब्रह्मराशिः। सर्ववेदपुण्यफलावातिश्चारय ज्ञाने
भवति। मातापितरौ चारय स्वर्गे लोके मर्हयेते” (महाभाष्य, प्रारम्भिक द्वितीय
आहिक के अन्त में)। यहाँ शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि का ही संकेत है।

३. तु०—“संस्कारोत्तरकालं ब्राह्मणा व्याकरणं स्माधीयते। तेभ्यस्त-
त्स्थानकरणनादानुप्रदानज्ञेभ्यो वैदिकाः शब्दा उपदिश्यन्ते।”

(महाभाष्य, आहिक १)

आधुनिक समय में कुछ ही दिनों पहले तक दूसरी भाषाओं के उच्चारण के सीखने का यही प्रकार था कि विद्यार्थी अपने शिक्षक के उच्चारण को ध्यान से सुनकर उसका अनुकरण करे। परन्तु अब वर्ण-विज्ञान द्वारा इसमें बड़ी सहायता मिल सकती है। अब शिक्षक, यदि वह वर्ण-विज्ञान से परिचित है, किसी वर्ण या वर्ण-समुदाय को स्वयं उच्चारण करने के साथ साथ यह भी बतला सकता है कि विद्यार्थी अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों को किस-किस स्थिति में रखे और किस-किस प्रकार की क्रिया उनसे करे।

(ख) इसके अतिरिक्त, किसी भाषा के ठीक-ठीक उच्चारण के सीखने में जो रुकावट लिखित संकेतों के ऊपर दिख जाये हुए दोषों के कारण हो सकती है उसका प्रतीकार वर्ण-विज्ञान के अनुसार कल्पित लेख-प्रणाली के प्रयोग से हो सकता है।

इसी वैज्ञानिक लेख-प्रणाली के सहारे शिक्षक विद्यार्थी के उच्चारण में जो भूल हो उसको लिखकर बड़ी अच्छी तरह समझा सकता है। अंगरेजी भाषा की लेख-प्रणाली के अति दोष-युक्त होने से आजकल उसके ठीक-ठीक उच्चारण के सिखाने में (या जिनको वह स्वाभाविक भाषा है उनको उसके शुद्ध उच्चारण के समझाने में) इस प्रक्रिया का बहुत कुछ आश्रय लिया जाने लगा है।

इस प्रकार की वैज्ञानिक लेखप्रणाली द्वारा, विद्यार्थी के अतिरिक्त, शिक्षक को भी कई लाभ होते हैं। साधारणतया शिक्षक अपनी भाषा के स्वभाव के विषय में अनेक बातें नहीं जानता; परन्तु इस प्रणाली के काम में लाने से उसका ध्यान उनकी ओर जाता है। उदाहरणार्थ, हिन्दी को पढ़ने-लिखनेवाला एक साधारण मनुष्य हिन्दी के उच्चारण के विषय में अनेक बातें नहीं जानता। वह साधारणतया यही समझता है कि 'गैया', 'मैया' और 'ऐसा', 'जैसा' इत्यादि स्थलों में 'ऐ' एकसा ही उच्चरित होता है; परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। लेख की समानता ही इसका कारण है। 'वह करता है' और 'कर्ता कारक' इन दो उदाहरणों में वह यही समझता है कि 'करता' और 'कर्ता' का उच्चारण भिन्न-भिन्न है; परन्तु वास्तव में दोनों के उच्चारण में भेद नहीं है। इसी प्रकार

‘संशय’ और ‘नहीं’ इन दोनों शब्दों में . के उच्चारणभेद पर बहुत कम लोगों की दृष्टि जाती है ।

इसी प्रकार एक अंगरेज अपनी भाषा के प्राचीन ढंग की और प्रायः असंगत लेख-प्रणाली से इतना प्रभावित होता है कि उसका साधारणतया अपने उच्चारण के ऊपर ध्यान ही नहीं जाता । हाँ, यदि उसने वर्ण-विज्ञान की कुछ शिक्षा पाई है तो दूसरी बात है । साधारणतया वह यही समझता है कि example (ऐग्जाम्पल), examination (ऐग्जासिनेशन) जैसे शब्दों में x का उच्चारण ऐसा ही होता है जैसा sex (सेक्स), six (सिक्स) इन शब्दों में । परन्तु वस्तुतः वह दोनों जगह x को एक ही तरह से उच्चारण नहीं करता । और यदि कोई दोनों को एक-सा बोले तो वह भ्रष्ट उसके उच्चारण को अशुद्ध तथा विदेशीनुमा कहने लगता है । वास्तव में sex शब्द में x का उच्चारण ks होता है और examination में gz । जैसा आगे चलकर स्पष्ट हो जायगा, ks और gz के उच्चारण में भेद यह है कि ks के उच्चारण में कण्ठ-तन्त्रियों का खुले रहने के कारण कम्पन नहीं होता; दूसरे शब्दों में ये दोनों वर्ण अघोष हैं । gz के उच्चारण में कण्ठ-तन्त्रियों का बन्द होने के कारण कम्पन होता है; अर्थात् ये दोनों वर्ण सघोष हैं ।

(ग) उपयुक्त उपयोग से मिलता-जुलता वर्ण-विज्ञान का एक दूसरा उपयोग भाषाओं या बोलियों के शुद्ध-शुद्ध लिखने में किया जा सकता है ।

किसी भाषा या बोली का वैज्ञानिक रीति से विचार करने के लिए भाषा-विज्ञानी का सबसे पहला काम उसका वर्णन करना होता है । वर्णन करने के लिए सबसे बड़ी कठिनाई उसकी ध्वनियों के शुद्ध-शुद्ध लिखने में पड़ती है । किसी भाषा की प्रचलित लेख-प्रणाली द्वारा उसकी स्थानीय और प्रान्तीय बोलियों के उच्चारण को शुद्ध-शुद्ध नहीं लिखा जा सकता, यह हम ऊपर कह चुके हैं । दूसरे देश की लेख-प्रणाली द्वारा उसका शुद्ध-शुद्ध लिखना तो और भी कठिन है । ऐसी दशा में वर्ण-विज्ञान के अनुसार कल्पित वैज्ञानिक लेख-प्रणाली का ही आश्रय लिया जा सकता है । जिन बोलियों के लिए कोई प्रचलित लेख-

प्रणाली है ही नहीं, उनके विषय में तो इस बात की और भी आवश्यकता है।

वर्ण-विज्ञान के आधार पर ही, जैसा ऊपर कहा है, यह हो सकता है कि उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों की स्थिति और क्रिया के भेद से बोले जानेवाले प्रत्येक वर्ण के लिए समस्त भाषाओं में एक ही संकेत लिखने में लाया जावे। यह वैज्ञानिक कल्पना भिन्न-भिन्न भाषाओं के लिए भिन्न-भिन्न भी की जा सकती है; परन्तु उत्तम बात तो यही है कि समस्त भाषाओं के लिए एक ही लेख-प्रणाली की कल्पना की जावे। यह अत्यन्त आवश्यक है कि ऐसी दशा में भिन्न-भिन्न भाषाओं के जरा-जरा से भेदों को लेख द्वारा शुद्ध-शुद्ध प्रकट करने के लिए भिन्न-भिन्न अनेकानेक संकेतों और चिह्नों की कल्पना करनी होगी, और अतएव लेख प्रणाली बड़ी जटिल हो जायगी। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जिसने वर्ण-विज्ञान नहीं सीखा है और जिसकी श्रवणोन्द्रिय अत्यन्त सुशिक्षित नहीं है वह तो उपर्युक्त भेदों को अनुभव ही नहीं कर सकता, लिखना तो दूर रहा।

४—वर्ण-विज्ञान के अध्ययन में ऐतिहासिक दृष्टि

आधुनिक भाषाओं में पाये जानेवाले वर्णों के स्वरूप के विवेचन से और उनके उच्चारण की प्रक्रिया के स्पष्ट हो जाने से वर्णों के इतिहास के निर्धारण में भी बहुत कुछ सहायता मिल सकती है।

(क) वर्ण-विज्ञान द्वारा वर्णों के स्वरूप और भेद के कारण के स्पष्ट हो जाने से, एक वर्ण के स्थान में दूसरा वर्ण किस तरह हो जाता है, इसके समझने में कोई कठिनाई नहीं रहती।

उदाहरणार्थ, 'तत् + अस्ति' = 'तदस्ति' इत्यादि स्थलों में 'त्' के स्थान में 'द्' ही क्यों होता है, 'ग' क्यों नहीं हो जाता; या 'द्' भी क्यों होता है? पालि में 'धर्म' को 'धम्म', 'सप्त' को 'सत्त' कैसे हो जाता है? इत्यादि भिन्न-भिन्न वर्ण-विकारों का कारण स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार संस्कृत आदि में भिन्न-भिन्न संघियों का कारण या संस्कृत

शब्दों के पालि या प्राकृत शब्दों के रूप में आ जाने का कारण किसी वैयाकरण के सूत्रों की आज्ञा न होकर स्वाभाविक प्रतीत होने लगता है।

(ख) वर्ण-विज्ञान द्वारा ही प्राचीन भाषाओं में किस वर्ण का किस तरह उच्चारण होता था यह जाना जा सकता है।

उदाहरणार्थ, वैदिक समय के प्रारम्भ में 'अ' का उच्चारण विवृत होता था, और धीरे-धीरे पीछे से संवृत होने लगा, इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि वैदिक ऋचाओं में 'अ' की अभिनिहितसंधि (= पदान्त 'ए', 'ओ' के पीछे आने पर 'अ' का पूर्व-रूप हो जाना; जैसे अग्ने अत्र = अग्नेऽत्र, वायो अत्र = वायोऽत्र) पिछली संस्कृत की अपेक्षा बहुत कम देखी जाती है^१, और जहाँ देखी भी जाती है वहाँ छन्द को ठीक-ठीक बैठाने के लिए संधि को प्रायः तोड़कर पढ़ना पड़ता है।^२ संधि का आधार यदि हमारा स्वाभाविक उच्चारण है तो यह स्पष्ट है कि विवृत 'अ' की अपेक्षा संवृत 'अ' की अभिनिहित संधि ही जाना अधिक स्वाभाविक है।

इसी प्रकार प्राकृत में 'ए', 'ओ' का उच्चारण ह्रस्व भी होता था— इसका एक प्रमाण यह है कि इनके पीछे आनेवाले व्यञ्जन को द्वित्व हो जाता था; जैसे यौवन = जौव्वण, प्रेमन् = पैम्म, एवम्, = ऐव्वम्, स्रोतस् = सौत्त। इस द्वित्व का कारण यही हो सकता है कि 'ए' 'ओ' के ह्रस्व उच्चारण से जो मात्रा की कमी होती थी वह अगले व्यञ्जन के द्वित्व से पूरी की जाती थी।

(ग) प्राचीन उच्चारण के ठीक-ठीक जानने से जो लाभ हो सकते हैं उनमें से एक यह भी है कि हम इस प्रकार पुरानी कविताओं के माधुर्य को

१. जैसे "विश्वे देवासो अप्पुरः" (ऋग्० १।३।८)

२. जैसे "स नः पितेव सन्वेऽग्ने स्यायनो भव" (ऋग्० १।१।६)

यहाँ 'अग्ने' इस प्रकार पढ़ने से ही गायत्री छन्द के लिए अपेक्षित आठ अक्षरों का पाद बन सकता है।

अधिक अनुभव कर सकते हैं। उन कविताओं को यदि हम आधुनिक वर्णानुपूर्वी या हिज्जों के अनुसार पढ़ें तो उनका माधुर्य बहुत कुछ नष्ट हो जाता है।

उदाहरणार्थ, वैदिक ऋचाओं को उनके छन्दों के अनुसार ठीक-ठीक पढ़ने के लिए कई प्रकार के नियमों का पालना अपेक्षित होता है। इन नियमों में से सन्धि को प्रायः तोड़कर पढ़ना^१ मुख्य है। इस प्रकार वैदिक ऋचाओं के न पढ़ने से उनके छन्दों का सारा माधुर्य मारा जाता है, और उनका पढ़ना अंशतः एक गद्यात्मक पुस्तक के पढ़ने के सदृश हो जाता है।

(घ) भाषा-विज्ञानी के लिए वर्ण-विज्ञान का बड़ा उपयोग इस बात में है कि वह वर्ण-विज्ञान से परिचित होने के कारण शब्दों के इतिहास के विषय में खोज करते हुए शब्दों की लिखित वर्णानुपूर्वी या हिज्जों से धोखे में नहीं पड़ता। उसकी दृष्टि शब्दों के उच्चारित स्वरूपों की—न कि लिखित रूपों की—तुलना की तरफ रहती है। कम से कम तुलना करते समय वह किसका वस्तुतः क्या उच्चारण है या था इस बात के जानने की उपेक्षा नहीं करता।

उदाहरणार्थ, वृद्ध = बुढ़्ढा, बूढ़ा; शृगाल = सियार; घृत = घी; कृष्ण = कन्हारै; ऋत्त = रीछ; पृच्छति = पूछता है; इत्यादि शब्दों की तुलना करते हुए भाषा-विज्ञानी की दृष्टि 'वृद्ध' आदि संस्कृत शब्दों में आये हुए 'ऋ' के प्राचीन असली उच्चारण पर होनी चाहिये। तभी वह एक 'ऋ' के स्थान में 'उ', 'इ' आदि वर्ण कैसे हो सकते हैं, इस बात को समझ सकता है। नहीं तो, 'ऋ' का जो आज-कल प्रायः प्रचलित 'रि' उच्चारण है उसके आधार पर ऊपर के सारे वर्ण-विकार समझ में नहीं आ सकते।

इसी प्रकार जब एक भाषा-विज्ञानी प्राचीन लैटिन शब्दों की तुलना दूसरी प्राचीन भाषाओं के शब्दों के साथ करता है, या प्राचीन लैटिन

१. दे० "व्यूहेदेकाक्षरीभावान् पादेपूनेषु संपदे । क्षैप्रवर्णांश्च संयोगान् व्यवेयात्सदृशैः स्वरैः ॥" (ऋत्तप्रातिशाख्य १७ । २२—२३) ।

शब्दों से आधुनिक शब्द निकालता है, तब उसे उन प्राचीन लैटिन तथा अन्य भाषाओं के शब्दों के असली प्राचीन उच्चारण पर, न कि उनके आधुनिक अंगरेजी आदि भाषाओं में प्रचलित उच्चारण पर, दृष्टि रखनी चाहिये। इसलिये तुलनार्थ किसी प्राचीन शब्द का उदाहरण देना ही काफी नहीं; हनको उसके ठीक-ठीक प्राचीन उच्चारण पर भी विचार कर लेना चाहिये।

यह ठीक है कि प्राचीन भाषाओं के प्राचीन उच्चारण का निर्धारण करना कभी-कभी बड़ा कठिन होता है; तो भी इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। भाषा-विज्ञानी का मूल आधार शब्दों के इतिहास पर है। इसलिये यदि वह प्राचीन शब्दों के उच्चारण को उलटा समझता है, तो उसका सारा काम उलटे आधार पर होने से व्यर्थ होगा।

जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, कभी-कभी शब्दों की तुलना में उनके उद्धरित रूप की अपेक्षा लिखित रूप से अधिक सहायता मिलती है। परन्तु इसका कारण यही है कि प्राचीन समय में शब्दों के हिज्जे थोड़े-बहुत मोटी रीति से वर्ण-विज्ञान के अनुसार ही नियत किये गये थे, और आजकल अंगरेजी आदि भाषाओं में शब्दों के प्रचलित हिज्जे प्रायः प्राचीन उच्चारण के ही अनुसार हैं।

५—उच्चारणोपयोगी शरीरावयव

वर्ण-विज्ञान में प्रवेश करने से पहले विद्यार्थी को उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों की रचना और क्रिया को ठीक-ठीक समझ लेना चाहिये। इसके लिए सबसे सरल उपाय यह है कि वह एक दर्पण को हाथ में लेकर उसके द्वारा मुख के अन्तरीय भागों की अच्छी तरह परीक्षा करे। ठीक-ठीक परीक्षा के लिए प्रकाश की तरफ पीठ करके खड़ा होना चाहिये; और दर्पण इस तरह हाथ में लेना चाहिये जिससे दर्पण में प्रतिबिम्बित होकर प्रकाश मुख के भीतर पड़े, और साथ ही परीक्षक दर्पण में अपने मुख के अन्तरीय भागों को अच्छी तरह देख भी सके। उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों की प्रतिमायें या मॉडेल भी आजकल बनने लगे हैं। दीवार पर

लटकाने के लिए उनके चित्र भी मिल सकते हैं। ये कक्षाओं के लिए अच्छे काम के होते हैं।

उच्चारणोपयोगी शरीरावयव इस प्रकार हैं :—

(१) फेंफड़े, (२) कंठ-पिटक या टेंडुए के सहित श्वास-नालिका, (३) ओष्ठ, दाँत, कड़ा तालु, कोमल तालु और जिह्वा के सहित मुख, (४) मुख और नासिका को मिलानेवाले प्रदेश के सहित नासिका।

इनमें से फेंफड़ों और (कण्ठ-पिटक को छोड़कर) श्वास-नालिका को वस्तुतः श्वास-प्रश्वास का साधन समझना चाहिये, और शेष को मुख्यतया उच्चारणोपयोगी शरीरावयव जानना चाहिये। इनमें से प्रत्येक का संक्षेप से वर्णन इस प्रकार है—

(१) फेंफड़े। प्रत्येक प्रकार की आवाज का मुख्य, मूल या उपादान कारण फेंफड़ों से निकली हुई वायु का प्रवाह होता है। फेंफड़ों का काम धौंकनी का जैसा होता है। उनके फैलने से वायु उनमें भर जाती है, और उनके सिकुड़ने से बाहिर निकल जाती है। लगभग प्रत्येक प्रकार के वर्णों की उत्पत्ति फेंफड़ों से निकलती हुई प्रश्वास-रूप वायु से होती है। साँस के साथ श्वास-रूप से भीतर जानेवाली वायु से उत्पन्न होनेवाले शब्द या आवाज का एक उदाहरण 'सीसी' करना या सीत्कार है। इस प्रकार का शब्द जब मनुष्य पीड़ा में होता है तब करता है।

(२) कण्ठ-पिटक और श्वास-नालिका (The Larynx and the Windpipe)। श्वास-नालिका उस नली को कहते हैं जिसमें होकर वायु फेंफड़ों से मुख या नासिका तक पहुँचती है। इसी नालिका का सबसे आवश्यक भाग उसके ऊपरी भाग में अवस्थित कण्ठ-पिटक है। इसको एक सन्दूक या पिटारे की तरह समझना चाहिये। इसको स्वर-यन्त्र भी कह सकते हैं। इसके अन्दर स्वर-तन्त्रियाँ (Vocal Chords) होती हैं। कण्ठ-पिटक (या टेंडुआ) गर्दन में बाहिर से उभरा हुआ प्रतीत होता है। पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा इसका उभार अधिक होता है।

स्वर-तन्त्रियाँ स्वर की भाँति स्थिति-स्थापक अर्थात् खिंचकर सिंघुड़ जानेवाले दो परदे हैं। प्रत्येक परदे को बहुत महीन-महीन तन्त्रियों का समूह समझना चाहिये। ये परदे कण्ठ-पिटक के पिछले भाग से आड़े आकर सामने के किनारे को ज़रा नीचा करते हुए उससे इस तरह से जुड़ जाते हैं कि श्वास-नालिका को दोनों तरफ़ से घेरे रहते हैं। दूसरे शब्दों में, स्वरतन्त्रियाँ श्वास-नालिका के ऊपरी हिस्से के दो कोनों में आमने-सामने दो हिस्सों में बँटी हुई रहती हैं। साधारण श्वास-प्रश्वास की अवस्था में ये परदे श्वास-नालिका को नहीं ढाँपते; और वायु बिना रोक-टोक अन्दर-बाहिर जा आ सकती है। परन्तु ये दोनों परदे इस तरह लट भी जाते हैं कि श्वास-नालिका का मार्ग बन्द हो जाता है। उस अवस्था में फेफड़ों से आती हुई वायु को बाहिर आने के लिए ज़ोर लगाकर इन परदों के बीच से निकलना पड़ता है। वायु के ज़ोर से ये परदे उस अवस्था में कम्पन करने लगते हैं। टेंडुए पर हाथ रखकर इस कम्पन का अनुभव किया जा सकता है।

इन परदों के खुले (=विवृत) रहने पर वायु बिना किसी रुकावट के बाहिर निकल जाती है; और उस अवस्था में उसको श्वास कहते हैं। यही श्वास आगे कहे गये अघोष वर्णों की प्रकृति है। परन्तु उक्त दोनों परदों के बन्द (=संवृत) होने पर वायु के आघात से जब ये कम्पन करने लगते हैं तब जो शब्द होता है उसे नाद कहते हैं। यही नाद आगे कहे गये घोष या सघोष वर्णों की प्रकृति है।^१

श्वास और नाद। साधारणतया प्रत्येक वर्ण या तो श्वासमय या नादमय होता है। श्वासमय वर्णों को 'अघोष, श्वास-युक्त या श्वासानुप्रदान (unvoiced or surd) कहते हैं; और नाद वालों को घोष (या सघोष या घोषवान्), नाद-भागी या नादानुप्रदान (voiced or

१. दु०—“वायुः प्राण. कोष्ठयमनुप्रदानं कण्ठस्थ स्वे विवृते संवृते वा।
आपन्नैश्वासातां नादनां वा वक्त्रीहायाम् ।” (ऋक्प्रातिशाख्य १३।१)।

sonant) कहते हैं । दोनों में जो भेद है वह क्रम से 'प', 'क', 'स' आदि और 'ब', 'ग', 'ज' आदि वर्णों को ध्यान से उच्चारण करने से प्रतीत हो जावेगा ।

'प', 'क', 'स' ये अघोष हैं । इनको उच्चारण करते हुए स्वर-तन्त्रियों के बीच में अच्छा अवकाश रहता है । एक विशेष प्रकार के अति छोटे दर्पण से, जिसको मुख के पिछले भाग तक ले जाते हैं, यह बात देखी जा सकती है ।

'ब', 'ग', 'ज' ये सघोष हैं । इनके उच्चारण में स्वर-तन्त्रियाँ एक-दूसरे से सट जाती हैं, और अतएव वायु के टकराने से कम्पन करने लगती हैं ।

सघोष और अघोष वर्णों को सुनकर पहिचानने के लिए अधिक अभ्यास की आवश्यकता नहीं है; तो भी इनकी परीक्षा करने में कुछ प्रसिद्ध उपाय बरते जा सकते हैं । अघोष और सघोष वर्णों को उच्चारण करते हुए यदि कानों को अँगुलियों से बन्द कर लिया जाय तो सघोष वर्णों के बोलने में एक ऊँची गूँज सुनाई देगी, परन्तु अघोषों को बोलते हुए ऐसा नहीं होगा । परीक्षा का दूसरा प्रकार, जैसा ऊपर कहा है, यह है कि कण्ठ पर अँगुली रखकर यदि देखा जाय तो सघोष वर्णों के उच्चारण में स्पष्ट कम्पन प्रतीत होता है, परन्तु अघोष वर्णों के बोलने में ऐसा नहीं होता ।

कोई कोई अघोष वर्णों को कठोर (hard) और सघोषों को कोमल (soft) इस दृष्टि से कहते हैं कि सघोष वर्णों की अपेक्षा अघोष वर्णों के उच्चारण में, स्वरतन्त्रियों के खुले रहने से, अन्दर से मुख में सरलता से आती हुई वायु का प्रवाह अधिक प्रबल होता है; परन्तु सघोष वर्णों के उच्चारण में स्वरतन्त्रियों के बन्द रहने से वायु के प्रवाह की प्रबलता उतनी नहीं रहती । संस्कृत, हिन्दी आदि में इस दृष्टि से सघोष और अघोष वर्णों का स्पष्टतया भेद नहीं किया जा सकता । उदाहरणार्थ, संस्कृत 'क', 'ग' में वायु के प्रवाह की प्रबलता में स्पष्ट भेद प्रतीत नहीं

होता। परन्तु अंगरेजों आदि के उच्चारण में k, p और g, b आदि के उच्चारण में स्पष्टतया भेद किया जा सकता है। किसी अंगरेज के बोलने पर एक हिन्दुस्तानी को प्रायः ऐसा सुनाई देता है कि वह k, p आदि को kh, ph आदि की तरह बोल रहा है।

वस्तुतः सवोष और अवोष वर्णों के उच्चारण में उक्त आपेक्षिक भेद के रहने पर भी यह आवश्यक नहीं कि वायु के प्रवाह की प्रबलता अवोष वर्णों से ही पाई जावे। यह भेद सवोष और अवोष दोनों प्रकार के वर्णों में हो सकता है। उदाहरणार्थ, संस्कृत, हिन्दी आदि में अवोष 'क' का महाप्राण-रूप 'ख' और सवोष 'ग' का 'घ' होता है। संस्कृत वर्णोच्चारण-शिक्षा में इसी दृष्टि से वर्णों में महाप्राण और अल्पप्राण (aspirates and unaspirates) का भेद किया गया है। महाप्राण वर्णों को हम प्रबल और अल्पप्राण वर्णों को दुर्बल भी कह सकते हैं।

(३) जिह्वा—यह एक अत्यन्त कोमल शरीरावयव है और अनेक प्रकार के आकारों को धारण कर सकती है। उदाहरणार्थ :—

(क) इसी के द्वारा इसके और मुख के अन्दर की दीवारों के बीच में जो अवकाश है उसके आकार में अनेक परिवर्तन हो सकते हैं। जिह्वा द्वारा ही वायु के बाहिर आने के मार्ग की ऐसी शक्ति हो सकती है कि वह आगे से संकुचित और पीछे से फैला हुआ हो, जैसा कि 'इ' के उच्चारण में होता है; या पीछे से संकुचित और आगे से चौड़ा हो, जैसा कि 'उ' के उच्चारण में।

(ख) जिह्वा द्वारा ही मुख के अन्दर भिन्न-भिन्न दन्त, तालु आदि स्थानों को इस प्रकार स्पर्श किया जा सकता है कि अन्दर से आती हुई वायु का प्रवाह क्षणभर रुक जावे और फिर उस स्पर्श के एकाएक दूर करने पर उस रुकी हुई वायु के निकलने से एक प्रकार का स्फोटन-रूप शब्द हो। इस प्रकार जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनको स्फोटक या स्पर्श (an explosive sound or a stop) कहते हैं; जैसे 'क' 'ग' इत्यादि।

स्पर्श व्यञ्जनों की सृष्टि इसी तरह होती है।

(ग) यह भी हो सकता है कि वायु के बहिर्निस्सरण के मार्ग को जिह्वा पूरा-पूरा न रोककर थोड़ा-थोड़ा खुला रखे और वायु उस थोड़े खुले हुए मार्ग से दोनों ओर घर्षण करता हुआ सबलात्कार बाहिर निकल सके, जैसा कि 'स्' या 'ज़' के उच्चारण में होता है। इस प्रकार से उच्चरित वर्णों को घर्षक या संघर्षी (fricatives) कहते हैं।^१

(घ) ऐसा भी हो सकता है कि जिह्वा मुख के आभ्यन्तर स्थानों से अपेक्षाकृत दूर रहे और वायु को अधिक स्वच्छन्द रीति से बाहिर निकलने दे। स्वरों के उच्चारण में ऐसी ही अवस्था होती है। इस प्रकार से उच्चरित वर्णों को विवृत कहते हैं।^२

ओष्ठ—जिह्वा की तरह ओष्ठों द्वारा भी वायु को रोककर सशब्द-स्फोटन हो सकता है। उदाहरणार्थ, 'पू', 'बू', के उच्चारण में जो वायु का क्षणिक निरोध होता है वह ओष्ठों द्वारा ही होता है। 'बू' के उच्चारण में ओष्ठों के कुछ खुले रहने से वायु घर्षण करता हुआ बाहिर निकलता है। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न स्वरों के उच्चारण में ओष्ठों को भिन्न-भिन्न आकारों में रखना पड़ता है। उदाहरणार्थ 'आ' के उच्चारण में ओष्ठ खूब खुले रहते हैं; 'इ' के उच्चारण में कुछ संकुचित और 'उ' के उच्चारण में गोलाकार हो जाते हैं।

१. यह स्पष्ट है कि ऊपर दिखलाये हुए 'स्पर्श' और नीचे दिखलाये हुए 'विवृत' वर्णों के बीच में वर्ण-स्थानों के साथ जिह्वा के स्पर्शस्पर्श की अवस्था के भेद से 'घर्षक' वर्णों के कई अवान्तर भेद हो सकते हैं। इसी दृष्टि से संस्कृत शिक्षाकारों ने प्रायः अन्तःस्थानों का प्रयत्न ईषत्स्पृष्ट और ऊष्माओं का ईषद्विवृत माना है। यहाँ हम दोनों प्रकार के वर्णों को 'घर्षक' कह सकते हैं। तु०—
“स्पृष्टं स्पर्शाना करणम् । ईषत्स्पृष्टमन्तःस्थानाम् । विवृतमूष्माणाम् । ईषदित्येवानुवर्तते । स्वराणां विवृतम् । ईषदिति निवृत्तम् ।” (महाभाष्य १।१।१०) ।

२. संस्कृत-शिक्षाकार प्रायः ह्रस्व 'अ' को विवृत न कहकर 'संवृत' कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण 'आ' की अपेक्षा अधिक दबा हुआ (= संवृत) होता है। दूसरे स्वरों की अपेक्षा इसके उच्चारण में जिह्वा बहुत कुछ अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहती है।

दाँत—ऊपर के दाँतों के साथ जिह्वा के अग्र-भाग के कम या अधिक सटने से या दूर रहने से दन्त-स्थानीय स्पर्श, घर्षक और विवृत वर्णों का उच्चारण किया जाता है। इस काम में दाँतों के एक ही प्रदेश से काम नहीं लिया जाता। ऊपरी दाँतों के पीछे की तरफ नीचे का भाग, दाँतों की जड़ या उससे भी पीछे जो उभरा हुआ खुरखुरा स्थान है इन सबकी सहायता से भिन्न-भिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। 'त्', 'र्' और अंगरेजी t इनके उच्चारण में क्रम से दाँतों के उक्त तीनों भागों से काम लिया जाता है। दाँतों के पीछे जो उभरा हुआ खुरखुरा स्थान है वह वस्तुतः नीचे वर्णान किये गये तालु का ही एक भाग है।

नीचे के ओष्ठ और ऊपर के दाँतों द्वारा भी वायु को कम या अधिक रोकने से वर्णों का उच्चारण किया जाता है। उदाहरणार्थ, अंगरेजी के p, f का उच्चारण इसी तरह होता है। संस्कृत 'व्' का उच्चारण भी, जब एक ही अक्षर से इसके पूर्व कोई दूसरा व्यञ्जन नहीं होता, इसी तरह होता है।

तालु—मुख के अन्दर जो छत है उसको तालु कहते हैं। इसको मुख्यतया दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। अगले भाग को कठोर तालु (hard palate), और पिछले को कोमल तालु (soft palate) कहते हैं। इन दोनों को जिह्वा या अँगुली से छूकर देखा जा सकता है। अगले भाग के कठोर होने का कारण उसका अस्थिमय होना है।

भिन्न-भिन्न प्रकार के वर्णों के उच्चारण की दृष्टि से कठोर तालु को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। (१) सबसे अगला भाग जो दाँतों के पीछे उभरा हुआ है, उसका वर्णान ऊपर दाँतों के साथ किया जा चुका है। इसको अग्ने-प्रातिशाख्य (पटल १, सूत्र ४६) में वस्व्यं

१ 'वस्व्यं' के स्थान में 'वत्सं' तथा 'वस्व्यं' वर्णों के लिए 'वत्स्य' शब्दों का प्रयोग प्रायः आजकल किया जाने लगा है। आधुनिक संस्कृत कोषों में भी ये शब्द प्रवेश कर गये हैं। इसका आचार ऋक्-प्रातिशाख्य (१।४६) में, अनेक पौधियों में, 'वत्स्यं' पाठ का पाया जाना ही है। पर यह पाठ वास्तव में अशुद्ध है। इस पर उक्त ग्रन्थ के हमारे संस्करण के तृतीय भाग के पृ० १५०-१५१ देखिये।

नाम दिया है। (२) द्वितीय भाग को संस्कृत-वर्णोच्चारण शिक्षा में तालु का नाम दिया है। (३) तृतीय भाग को संस्कृत में मूर्धा के नाम से पुकारते हैं।

कोमल तालु के लिये संस्कृतशिक्षाकारों में कण्ठ नाम प्रसिद्ध है।

कोमल तालु का अन्तिम भाग हिलजुल सकता है। अननुनासिक वर्णों के उच्चारण में यह ऊपर उठ जाता है और वायु को नासिका में जाने से रोकता है। इसके पूँछ-रूपी नीचे लटकनेवाले भाग को काण या कौआ कहते हैं।

(४) नासिका—कोमल तालु का अन्तिम भाग (= कौआ) जब नीचे लटकता रहता है तब नासिका तक वायु के जाने का मार्ग खुल जाने से वायु नासिका में होकर निकल सकती है। ओष्ठों के बन्द रहने पर साँस बाहर निकालने में वायु नासिका में से ही निकलती है। परन्तु साथ ही यदि स्वरतान्त्रियाँ परस्पर मिलकर श्वास-नालिका को ढाँप दें और अतएव उनमें कम्पन होने लगे, उस दशा में जो वर्ण नासिका द्वारा उच्चरित होता है उसे अनुस्वार या नासिक्य कहते हैं।

जब, कौआ के मध्यम अवस्था में रहने से, मुख और नासिका दोनों का मार्ग खुला रहता है तब वायु का कुछ अंश मुख से और कुछ अंश नासिका द्वारा बाहर निकलता है। उदाहरणार्थ, 'अँ' जैसे अनुनासिक स्वरों के या 'ळ्', 'व्' जैसे अनुनासिक व्यञ्जनों के उच्चारण में यही अवस्था होती है।

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि 'अँ' आदि अनुनासिक स्वर दो दो वर्ण न होकर वस्तुतः एक एक ही वर्ण है।

६—वर्णों का वर्गीकरण

वर्णों के वर्गीकरण के लिए या किसी वर्ण-विशेष के वर्णन के लिए जिन मुख्य बातों की आवश्यकता है वे उच्चारणोपयोगी शारीरिक अवयवों के उपयुक्त वर्णन में गताथे हो जाती हैं। यह स्पष्ट है कि उपयुक्त शरीरावयवों की स्थिति और क्रिया की विशेषता से वर्णों में असंख्य भेद हो सकते हैं। परन्तु किसी भी भाषा में समस्त संभव या वास्तविक वर्णों का पाया जाना असंभव है। इसलिए विद्यार्थी को सबसे पहले किसी

ऐसी भाषा के वर्णों का अध्ययन करना चाहिये जिससे वह बहुत अच्छी तरह परिचित है।

वर्णों का वर्गीकरण साधारणतया निम्न-लिखित कोष्ठक द्वारा दिखलाया जा सकता है :—

	ओष्ठ्य या दन्तोष्ठ्य	दन्त्य	वर्ष्य या दन्तमूलीय	तालव्य	मूर्धन्य	करण्य कण्ठमूलीय या जिह्वामूलीय
व्यञ्जन	स्पर्श या स्फोटक					
	घर्षक (ईष- त्स्पृष्ट और ईषद्विवृत)					
स्वर	विवृत					

इन विशेषताओं के साथ-साथ प्रत्येक वर्ण के विषय में यह भी दिखलाना चाहिये कि वह सघोष है या अघोष, तथा वह अनुनासिक या नासिक्य है या नहीं। वर्णों के नीचे रेखा आदि चिह्नों द्वारा या और किसी प्रकार से यह ऊपर जैसे कोष्ठक में ही वर्णों के साथ-साथ दिखलाया जा सकता है।

स्वर और व्यञ्जन का भेद

वर्णों के ऊपर दिखलाये हुए वर्गीकरण में स्वर और व्यञ्जन का भेद प्रसिद्ध है। स्वर ऐसी सघोष आवाज़ को कहते हैं जिसके उच्चारण में वायु के प्रवाह की गति मुख में बिना किसी रुकावट के होती है, और किसी प्रकार का सुनने में आनेवाला मौखिक अवयवों का घर्षण नहीं होता। तालु की ओर जिह्वा के कुछ उठाने से नाद में कुछ परिवर्तन चाहे हो, परन्तु जिह्वा तथा स्थानों के बीच में वायु के निकल जाने के

लिए इतना पर्याप्त अवकाश रहता है कि अवयवों का घषण या वायु का अवरोध नहीं होने पाता ।

जिन वर्णों में यह बात नहीं होती उनको व्यञ्जन कहना चाहिये । अतएव व्यञ्जनों में (१) समस्त 'क', 'पू' आदि अवोष वर्ण, (२) सारे ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में नाद-युक्त वायु की गति में सुख के प्रारम्भ होने से पूर्व रुकावट होती है (जैसे 'गू', 'वू'), (३) ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख से नहीं निकलता (जैसे अनुस्वार), और (४) ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख में घषण होता है (जैसे 'सू', 'जू') सम्मिलित है ।

स्वरोँ और व्यञ्जनों के भेद का आधार उनके उच्चारण में यादच्छिक शारीरिक विशेषता ही नहीं है । वस्तुतः इन दोनों के पारस्परिक भेद का आधार सुनने में उनकी आपेक्षिक परिस्फुटता ही है । कुछ वर्ण दूसरों की अपेक्षा सुनने में अधिक परिस्फुट होते हैं, अर्थात् वे दूसरों की अपेक्षा अधिक दूर से सुने जा सकते हैं । यह स्पष्ट है कि और वर्णों की अपेक्षा स्वरोँ के श्रवण में परिस्फुटता अधिक होती है ।^१

अन्तःस्था

परन्तु कुछ दशाओं में उपर्युक्त दृष्टि से व्यञ्जनों और स्वरोँ में भेद करना ज़रा कठिन हो जाता है । ऐसा प्रायः तब होता है जब एक स्वर के बाद ही उससे अधिक परिस्फुट स्वर आता है और अतएव पहला स्वर अति ह्रस्व उच्चरित होता है । ऐसी दशाओं में पूर्ववर्ती स्वरोँ को अन्तःस्था कहा जाता है; और उनका वर्गीकरण व्यञ्जनों के साथ ही प्रायः किया जाता है । उनके लिए लिखने में भी प्रायः विशेष संकेतों का प्रयोग किया जाता है । परन्तु उनको अन्तःस्था कहने का अभिप्राय यही प्रतीत होता है कि उनका स्थान स्वरोँ और व्यञ्जनों के मध्य में समझा जावे ।

१. तु० "स्वर्यं राजन्त इति स्वराः । अन्वग्भवति व्यञ्जनमिति ।" (महाभाष्य १।२।२६-३०) । तथा "व्यञ्जनानि पुनर्नटभार्यावद् भवन्ति । तद्यथा नटाना स्त्रियो रङ्गगता यो यः पृच्छति कस्य यूयं कस्य यूयमिति तं तं तवेत्याहुः । एवं व्यञ्जनान्यपि यस्य यस्याच्चः कार्यमुच्यते तं तं भजन्त ।" (महाभाष्य ६।१।२)

वर्णों के प्रयत्न

भिन्न-भिन्न वर्णों के उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों का व्यापार भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है। स्वर-तन्त्रियों के परस्पर सन्निकषे की तथा जिह्वा आदि का जो वर्णस्थानों के साथ संनिकषे होता है उसकी कमी या अधिकता के लिए संस्कृत-वर्ण-विज्ञानियों में प्रयत्न शब्द प्रसिद्ध है। वायु के वेग की प्रबलता या दुर्बलता से जो वर्णों के स्वरूप में भेद होता है वह भी प्रयत्न-भेद से समझा जाता है।

प्रयत्न के आभ्यन्तर और बाह्य ये दो भेद किये जा सकते हैं :—

(१) स्वरतन्त्रियों की समीपता (संवार, संवृतता) या दूरी (विवार, विवृतता) से और वायु-वेग की प्रबलता या दुर्बलता से वर्णों में जो सघोष, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण भेद होते हैं, उनको बाह्य प्रयत्न इसलिए कहते हैं कि वे मुख (या आस्य^१) के बाहिर (अर्थात् मुख के प्रारम्भ होने से पूर्व) होते हैं^२।

(२) वर्णों में स्पर्श, घर्षक आदि का भेद मुख के आभ्यन्तर होने से आभ्यन्तर प्रयत्न में गिना जाता है।^३

७—संस्कृत वर्णमाला

वर्णों के विषय में सामान्यरूप से जो कुछ ऊपर कहा है उसको विशेषरूप से किसी भाषा की वर्णमाला को लेकर दिखलाया जा सकता है। यहाँ हम संस्कृत वर्णमाला का कुछ थोड़ा विचार करेंगे। विशेष विचार के लिए सिद्धान्त-कौमुदी, प्रातिशाख्य आदि ग्रन्थ देखने चाहिये।

१. तु०—“कि पुनरास्यम् । लौकिकमास्यम्—ओष्ठात्प्रभृति प्राक् काकल-कात् ।” (महाभाष्य १ । १ । ६) । “काकलकं हि नाम ग्रीवायावुन्नतप्रदेशः” (उक्त स्थल पर कैयट की टीका) ।

२. तु०—“धन्ति ह्यास्याद् बाह्याः प्रयत्नाः ।...के पुनस्ते । विवार-संवारौ । श्वासनादौ । घोषवदघोषवत्ता । अल्पप्राणता महाप्राणतेति ।” (महाभाष्य १ । १ । ६) ।

३. प्राचीन महाभाष्य आदि ग्रन्थों में बाह्य-प्रयत्नों को ‘अनुप्रदान’ शब्द से और आभ्यन्तर-प्रयत्नों को ‘करण’ शब्द से व्यवहार किया गया है। तु० “तेभ्यस्तत्तत्स्थानकरणानदानुप्रदानज्ञेभ्यो वैदिकाः शब्दा उपदिश्यन्ते ।” (महाभाष्य, पस्पशाह्निक) । तथा “करणमाभ्यन्तरप्रयत्नः । अनुप्रदानं नादादि बाह्य-प्रयत्नः ।” (उद्योत-टीका) “

संस्कृत वर्णमाला के विषय में सबसे प्रथम यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि यह वर्णमाला अपने लिखित संकेतों की कल्पना से बहुत पहले अपने रूप में आ चुकी थी। प्राचीन भारतीय आर्यभाषा की ध्वनियों की पूरी पूरी विवेचना करने के बाद ही इस वर्णमाला की कल्पना की गई थी। भारतवर्ष में प्राचीन तथा आधुनिक (ब्राह्मी, खरोष्ठी, देवनागरी आदि) लिपियों के लिखित वर्णों की कल्पना मुख्य करके वस्तुतः उस प्राचीन उच्चरित वर्णमाला के अनुसार ही की गई। पीछे से ऐसे वर्णों के लिए जो संस्कृत में नहीं पाये जाते अन्य लिखित संकेतों की कल्पना कर ली गई; जैसे देवनागरी में 'फ' 'ज' आदि।

संस्कृत वर्णमाला का वस्तुतः आधार उच्चरित भाषा ही है, यह प्रत्येक वर्ण के नाम से स्पष्ट है। जहाँ अंगरेजी, अरबी आदि भाषाओं में वर्णों का नाम और वास्तविक उच्चारण भिन्न-भिन्न है, वहाँ संस्कृत वर्णमाला में वर्णों का नाम वही है जो उनका उच्चारण भाषा में होता है। इसी कारण से जहाँ और अनेक भाषाओं की वर्णमालाओं में किसी प्रकार का वैज्ञानिक क्रम नहीं दीखता, वहाँ संस्कृत-वर्णमाला का क्रम वर्ण-विज्ञान के बिलकुल अनुकूल है, जैसा कि नीचे के कोष्ठक से स्पष्ट है :—

स्वर	समानाक्षर	अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ
	संध्यक्षर	ए ऐ ओ औ
प	कण्ठ्य	क ख ग घ ङ
	तालव्य	च छ ज झ ञ
	सूर्धन्य	ट ठ ड ढ ण
	दन्त्य	त थ द ध न
	ओष्ठ्य	प फ ब भ म
घर्षक	अन्तःस्था	य र ल व (ऌ ॡ वैदिक)
	ऊष्मा	श ष स ह

पिछले पृष्ठ के कोष्ठक में प्रत्येक व्यञ्जन में उच्चारण की सुविधा के लिये ह्रस्व 'अ' मिला हुआ है ।

उक्त वर्णमाला के साथ वैज्ञानिक दृष्टि से अंगरेजी फारसी आदि की वर्ण-मालाओं की तुलना की ही नहीं जा सकती ।

प्राचीन उच्चारण में भेद

यहाँ पर इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिये कि प्राचीन समय में भी ऊपर दिखलाये हुए लिखित वर्णों का उच्चारण वस्तुतः ऐसा ही होता था जैसा अब होता है । इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि इनमें से कई वर्णों का उच्चारण पहले और प्रकार का था ।

उदाहरणार्थ 'ऋ' का उच्चारण आजकल प्रायः 'रि' की तरह होता है । यदि प्राचीन समय में भी ऐसा ही होता तो यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि 'ऋ' की कल्पना की ही क्या आवश्यकता थी, क्योंकि 'रि' से ही उसका काम निकल सकता था । प्राकृत और पालि में संस्कृत 'ऋ' के स्थान में होनेवाले परिवर्तनों का उदाहरण इसी बात की पुष्टि में हम ऊपर (पृष्ठ २१७) दे चुके हैं ।

इसी प्रकार 'ए' 'ओ' को यद्यपि संध्यक्षर कहा जाता है, तो भी इनका उच्चारण आजकल संध्यक्षर की तरह न होकर एक दीर्घ समानाक्षर की तरह होता है । परन्तु कति प्राचीन समय में इनका उच्चारण वस्तुतः एक संध्यक्षर के सदृश होता था । तभी तो 'ए', 'ओ' के स्थान में संधि में क्रम से 'अय्', 'अव्' हो सकता था ।^१ 'अ + इ' और 'अ + उ' के स्थान में क्रम से 'ए' और 'ओ' आदेश होते हैं,^२ इससे भी इनका वास्तव में संध्यक्षर होना स्पष्ट है ।

'अ' का उच्चारण प्राचीन वैदिक समय में संवृत न होकर विवृत होता था यह हम ऊपर (पृष्ठ २१६) दिखला ही चुके हैं ।

जैसा ऊपर के कोष्ठक से विदित होगा, प्राचीन भारतीय वर्ण-विज्ञानियों के अनुसार टवर्ग का उच्चारण जिह्वा के अग्रभाग को ऊपर फेरकर उससे

१. जैसे 'चयन' (= चे + अन), 'लवन' (= लो + अन) ।

२. जैसे 'देवेन्द्र' (= देव + इन्द्र), 'गङ्गोदक' (= गङ्गा + उदक) ।

सूर्घा को छूकर करना चाहिये? । परन्तु आजकल भारतीय आर्य-भाषाओं में टवर्ग का उच्चारण कहीं मूर्धन्य और कहीं बस्वर्य होता है। अंगरेजी में t, d मूर्धन्य न होकर बस्वर्य ही हैं। उनको देवनागरी आदि में 'ट्' 'ड्' द्वारा ही लिखा जाता है।

प्राचीन वर्ण-विज्ञान-विषयक भिन्न-भिन्न प्रातिशाख्यों तथा शिक्षाओं में कई वर्णों के स्थान आदि के विषय में भिन्न-भिन्न मत दिये हैं। यह मत-भेद मुख्यतया देश-भेद तथा काल-भेद से होनेवाले वर्णों के उच्चारण-भेद को ही द्योतित करता है।

प्राचीन तथा आधुनिक वर्ण-विज्ञान

भारतवर्ष में प्राचीन समय में वर्ण-विज्ञान के विषय में यद्यपि पड़ा विचार किया गया था, तो भी यह न समझना चाहिये कि प्राचीन समय में वर्णों के परस्पर सम्बन्ध तथा भेदों पर इतना सूक्ष्म विचार किया गया था जितना आजकल किया जाता है। एक दो उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जायगा—

संस्कृत-वर्ण-विज्ञानियों के अनुसार 'अ' और 'इ' का दीर्घ रूप क्रम से 'आ' और 'ई' है। परन्तु वास्तव में यदि देखा जाय तो ऐसा नहीं है। ह्रस्व और दीर्घ का भेद केवल काल-कृत होता है। परन्तु ह्रस्व 'इ' को कितनी ही देर तक हम उच्चारण करें वह 'ई' नहीं बन जायगा। इसी तरह 'ई' को कितनी भी शीघ्रता से उच्चारण करने से 'इ' सुनाई नहीं देगा।

इसी प्रकार आज-कल जिस तरह 'अ' बोला जाता है वह 'आ' का ह्रस्व रूप नहीं हो सकता। 'अ' के बाद 'आ' के उच्चारण करने में यही नहीं कि देर तक 'अ' का उच्चारण करना चाहिये, किन्तु 'आ' के उच्चारण में मुख को 'अ' की अपेक्षा कुछ अधिक खोलने की आवश्यकता होगी तथा जिह्वा के पिछले भाग को कुछ ऊपर उठाना पड़ेगा।

१. तु०—“जिहाग्रेण प्रतिवेष्ट्य नूधेनि टवर्गे ।” (तैत्तिरीय-प्रातिशाख्य २।३७)।

दसवाँ परिच्छेद

—:ॐ:—

भाषाओं के परिवार

१—भाषाओं का पारिवारिक या ऐतिहासिक वर्गीकरण (Genealogical or Historical Classification of Languages)

ऊपर परिच्छेद ४ में हम बतला चुके हैं कि भाषाओं का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है:—

(क) एक तो उनकी आकृति या रचना की समान-रूपता की दृष्टि से (= आकृति-मूलक वर्गीकरण), और

(ख) दूसरे उनकी उत्पत्ति या परिवार की एकता की दृष्टि से (= पारिवारिक या ऐतिहासिक या उत्पत्तिमूलक वर्गीकरण)।

पहली दृष्टि में भाषाओं के इतिहास आदि की ओर ध्यान न देकर उनके शब्दों के रूप, आकृति या सामान्य रचना को ही देखकर वर्गीकरण किया जाता है। इस तरह के वर्गीकरण का विस्तार से वर्णन 'भाषा की रचना' के वर्णन के साथ ऊपर (परि० ४) किया जा चुका है। उसके गुण-दोष को भी वहीं (परि० ४, अधि० ६) दिखला दिया गया है।

यहाँ भाषाओं के पारिवारिक या ऐतिहासिक (या उत्पत्तिमूलक) वर्गीकरण का वर्णन किया जायगा। इस प्रकार के वर्गीकरण का मुख्य आधार भाषाओं के वास्तविक ऐतिहासिक सम्बन्ध पर होता है।

एक भाषा-परिवार में उन्हीं भाषाओं का समावेश हो सकता है जिनके विषय में पर्याप्त प्रमाण इस बात का मिलता है कि वे किसी एक ही मूल-भाषा से निकली हैं। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषाओं की आकृति या सामान्य रचना की समान-रूपता पर ही दृष्टि नहीं रहती, अपितु यह भी देखा जाता है कि उन भाषाओं की उत्पत्ति या विकास कुछ समान मूल-शब्दों से हुआ है।

ऐसा होने पर भी यह जतला देना उचित होगा कि कुछ भाषा-परिवारों को छोड़कर प्रायः भाषा-परिवारों के विषय में, प्रमाणाओं की जाँच-पड़ताल ठीक-ठीक न हो चुकने से या प्रमाणाओं के अपर्याप्त होने से, पूरी निश्चयात्मकता अभी तक नहीं है। अभी तक भारत-यूरोपीय और सेमिटिक इन दो भाषा-परिवारों की भाषाओं के विषय में जितनी छान-बीन विद्वानों ने की है उतनी और भाषाओं के विषय में नहीं। इन दोनों परिवारों में से प्रत्येक की भाषाओं में रचना या आकृति की समानता के साथ साथ मूल-शब्दों की समानता भी बहुत अंश तक पाई जाती है। विद्वानों के वर्षों के परिश्रम ने इस बात को पूरी रीति से निश्चय कर लिया है। अन्य भाषाओं के विषय में पारिवारिक वर्गीकरण का आधार बहुत करके केवल उनकी रचना की सामान्यतः समान-रूपता ही है। उनकी उत्पत्ति किन्हीं समान मूल-शब्दों से ही हुई इसका अभी तक पूरा-पूरा निर्णय नहीं किया जा सका है। तो भी द्राविड आदि कई भाषा-परिवारों के विषय में बहुत कुछ अनुसन्धान विद्वानों ने किया है।

ऊपर के लेख से यह स्पष्ट है कि भाषाओं का पारिवारिक या ऐतिहासिक (या उत्पत्तिमूलक) वर्गीकरण करना कोई सरल बात नहीं है। वस्तुतः भाषा-विज्ञान का एक मुख्य उद्देश्य यही है कि भाषाओं के तुलनात्मक और ऐतिहासिक अध्ययन द्वारा भाषाओं का निश्चय-पूर्वक पारिवारिक वर्गीकरण किया जा सके। विभिन्न मनुष्य-जातियों के ऐतिहासिक सम्बन्ध के निर्णय करने में इससे कितनी सहायता मिल सकती है इसका हम ऊपर निर्देश कर चुके हैं।

२—भाषाओं के पारिवारिक सम्बन्ध का स्वरूप

यह सब कोई जानते हैं कि कुछ दूरी के बाद भाषा बदल जाती है। अपनी भाषा में जो स्थानीय भेद पाये जाते हैं उनको प्रत्येक मनुष्य ने अनुभव किया होगा। ऊपर हम बतला चुके हैं कि उच्चारण या लहजे की थोड़ी-सी विशेषता अथवा विशेष स्थानीय शब्द या शब्द-समूह से बोलनेवाले के जिले की ही नहीं, किन्तु कहीं-कहीं नगर की भी तत्काल प्रतीति हो जाती है। परन्तु इस प्रकार की छोटी-छोटी विशेषताओं से हमारे उस मनुष्य के भाव को समझने में कोई बाधा नहीं पड़ती। हम उसकी बोली को 'रूखी', 'कड़ी', 'गँवारू', 'मीठी', या 'कोमल' भले ही समझें, परन्तु हम उसको अपनी भाषा से भिन्न भाषा नहीं कहते।

यदि दूसरे की बोली में कुछ अधिक विशेषतायें पाई जाती हों, या उसकी बात-चीत के अधिकतया समझ पड़ने पर भी पूरे-पूरे समझने में कठिनता हो, तो अधिक से अधिक हम कदाचित् यह कह सकते हैं कि वह मनुष्य हमारी भाषा की एक विशेष बोली या प्रादेशिक भाषा बोल रहा है।

परन्तु यदि दूसरे की भाषा में हम इतना भेद पायें कि हम एक दो शब्द ही कहीं-कहीं समझ सकें और वक्ता के भाव को न समझ सकें, उस दशा में हम यह सन्देह कर सकते हैं कि वह मनुष्य हमारी भाषा की ही एक प्रान्तीय बोली बोल रहा है या कोई हमारी भाषा से कुछ-कुछ समानता रखनेवाली भिन्न ही भाषा बोल रहा है।

ऊपर कही हुई बातों को हम उदाहरण द्वारा इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। यदि कोई मनुष्य धीरे-धीरे एक गाँव से दूसरे गाँव में होता हुआ और प्रत्येक गाँव में खुल्लम-खुल्ला वहाँ के रहनेवालों के साथ बात-चीत करता हुआ लाहौर से कलकत्ते की पैदल यात्रा करे, तो उसके लिए, यदि उसने काफी धीरे-धीरे यात्रा की होगी, बगाल पहुँचने पर यह संभव होगा कि वह ग्रामीण बंगाली समझ सके; साथ ही उसको यह पता नहीं लगेगा कि उसने पहले-पहल बंगाली भाषा कहाँ और कब सुनी। पंजाबी की स्थानीय बोलियों के बाद दिल्ली के आस-पास बोली जानेवाली हिन्दी से पश्चिमीय हिन्दी की स्थानीय बोलियों में से गुजरता हुआ वह धीरे-धीरे, विशेष-रूप से बोलियों के भेदों को अनुभव न करता हुआ, पूर्वीय हिन्दी के प्रदेश में, और वहाँ से इसी तरह धीरे-धीरे चलता हुआ प्रथम बिहारी के और फिर पश्चिमीय बंगाली के प्रदेश में पहुँच जायगा।

दूसरी ओर, यदि कोई लाहौर से पेशावर की यात्रा इसी प्रकार करे तो उसको पंजाबी के प्रदेश से पश्तो भाषा के प्रदेश में जाने पर जो भेद प्रतीत होगा वह लाहौर से कलकत्ता जाने में प्रतीत होनेवाले भाषा-भेद की अपेक्षा कहीं अधिक और एकाएक होगा।

इसके अतिरिक्त, यदि वही यात्री शिमला से उत्तर की ओर हिमालय में कुछ आगे चला जाय तो वह एकाएक ऐसे प्रदेश में पहुँच जायगा जहाँ की भाषा वह कुछ भी न समझ सकेगा। कनावड़ी भाषा जो वहाँ बोली जाती है मुंडा भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखनेवाली एक बोली है। हिन्दी से मिलने-जुलनेवाली पहाड़ी बोलियों से वह इतनी

भिन्न है कि उनमें परस्पर कुछ भी समानता नहीं पाई जाती। उनकी सीमा पर पहुँचकर यात्री को मानो ऐसा प्रतीत होगा कि वह एक ऐसी अगाध खाई पर आ गया है जिसका कोई पुल नहीं है।

एक पंजाबी ग्रामीण मनुष्य साधारणतया बंगाली, पश्तो, या कनावड़ी को न तो समझ ही सकता है और न बोल सकता है। परन्तु उपर्युक्त काल्पनिक उदाहरण से यह स्पष्ट है कि उसके और पश्तो के बीच में जो खाई है वह उसको बंगाली से पृथक् करनेवाली खाई की अपेक्षा कहीं अधिक गहरी है; परन्तु कनावड़ी के साथ तो उसका कोई सम्बन्ध ही नहीं है। इसी बात को दूसरे शब्दों में इस तरह कहा जा सकता है कि पंजाबी का बंगाली और पश्तो दोनों के साथ पारिवारिक सम्बन्ध होते हुए भी बंगाली की अपेक्षा पश्तो के साथ अधिक दूर का सम्बन्ध है, परन्तु कनावड़ी के साथ तो उसका कोई पारिवारिक सम्बन्ध है ही नहीं।

३—पारिवारिक वर्गीकरण के लिए केवल शब्दों की साधनता पर्याप्त नहीं

एक साधारण यात्री की दृष्टि से ऊपर यह दिखलाया है कि भाषाओं या बोलियों की ऊपरी समानता और परस्पर समझा जाना ये दो बातें ही उनके परस्पर सम्बन्ध का निश्चय करा सकती हैं। परन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से इतना कहना पर्याप्त नहीं। एक साधारण यात्री की अपेक्षा भाषा-विज्ञानी के लिए अधिक गम्भीर दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता होती है।

भाषाओं के परस्पर सम्बन्ध के पता लगाने या उनको उनके सम्बन्ध के अनुसार भिन्न-भिन्न वर्गों में बाँटने के लिए साधारण दृष्टि से सबसे पहली प्रक्रिया यह समझी जा सकती है कि उन भाषाओं के शब्दों की तुलना की जावे। इस प्रक्रिया के अनुसार कुछ थोड़े-से प्रतिदिन व्यवहार में आनेवाले साधारण विचार या भाव और पदार्थ चुन लिये जाते हैं और उनके वाचक शब्दों को^१ भिन्न-भिन्न भाषाओं से लेकर उनकी तुलना की जाती है। उदाहरणार्थ,

१. भाषाओं के सम्बन्ध के निर्धारण के लिए मुख्यतः किस प्रकार के शब्दों की किस अवस्था में तुलना करनी चाहिये, इसका विचार हम १५७-१५८ पृष्ठों पर कर चुके हैं।

संस्कृत पिता	पंजाबी पिउ	फ़ारसी पिदर	ग्रीक patēr	लैटिन pater	फ़्रेंच père
	स्पैनिश padro	अंगरेज़ी father		जर्मन Vater	

—

संस्कृत त्रयः, त्रीणि, तिस्रः तिस्र	पंजाबी तिन्न	हिन्दी तीन	फ़ारसी सिह	ग्रीक treis(नपुं० tria)	
लैटिन tres (नपुं० tria)	फ़्रेंच trois	अंगरेज़ी three	जर्मन drei	रूसी tri (बहुव० troe)	

—

संस्कृत भ्राता	हिन्दी भाई	फ़ारसी बिरादर	ग्रीक phrātēr	लैटिन frater
गाथिक brōthar	अंगरेज़ी brother	जर्मन Bruder	आइरिश bráthair	

—

संस्कृत सप्त	हिन्दी सात	फ़ारसी हफ़	ग्रीक hepta	लैटिन septem
गाथिक sibun	जर्मन sieben	अंगरेज़ी seven	वेल्श saith	

इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकार की तुलना से ऐसी भाषाओं में भी जिनमें आपाततः कोई समानता नहीं दीखती अनेक समानताओं का पता लग जाता है, और परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध रखनेवाली भाषाओं के वर्गीकरण में बहुत कुछ सहायता मिलती है। ऐसी तुलना के आधार पर यह कल्पना की जा सकती है कि जितनी ही अधिक संख्या में इस प्रकार समान शब्द जिन भाषाओं में पाये जाते हैं और जितना ही कम उनके

उच्चारण में भेद होता है उतना ही अधिक उन भाषाओं में परस्पर सम्बन्ध होता है ।

तो भी उक्त प्रक्रिया सर्वथा दोषशून्य नहीं है । इसका संक्षेप से वर्णन ऊपर भाषाओं की तुलना की रीति (परि० ७, अधि० ३) के प्रसङ्ग में भी किया जा चुका है । नीचे दिखलाये हुए कारणों से यह स्पष्ट हो जायगा कि पारिवारिक वर्गीकरण के लिए केवल शब्दों की समानता पर्याप्त नहीं होती—

(क) यह हो सकता है कि सम्बद्ध शब्दों के स्थान में हम भिन्न-भिन्न भाषाओं के ऐसे शब्दों की तुलना करे जिनका परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है । उदाहरणार्थ,

अंगरेजी dog शब्द का हिन्दी 'कुत्ता' शब्द से कोई सम्बन्ध नहीं है; परन्तु अंगरेजी hound का संस्कृत 'श्वन्' से सम्बन्ध है ।

इसी तरह फ्रेच Cheval (= घोड़ा) और इटैलियन भाषा के cavallo का हिन्दी 'घोड़ा' शब्द से कोई सम्बन्ध नहीं है; परन्तु लैटिन equus और संस्कृत 'अश्वः' या फ़ारसी 'अस्प' सम्बन्धी शब्द हैं ।

(ख) यह भी सम्भव है कि दो शब्द, आपाततः एक-से होते हुए भी, व्युत्पत्ति की दृष्टि से परस्पर नितराम् भिन्न-भिन्न हों और उनका इतिहास बिलकुल जुदा-जुदा हो । ऐसी दशा में उनकी ऊपरी समानता केवल आकस्मिक होगी । दो भिन्न-भिन्न भाषाओं में जो ऐसी समानतायें देखी जाती हैं हमें उनकी ओर से सदा सावधान रहना चाहिये ।

उदाहरणार्थ, अंगरेजी soup (= शोरबा) और संस्कृत 'सूप' में वस्तुतः कोई ऐतिहासिक सम्बन्ध नहीं है । इन दोनों शब्दों के परस्पर सम्बन्ध के विषय में हमारा सन्देह इससे और बढ़ जाता है कि उपर्युक्त (परि० ७; अधि० ७) ग्रिम महाशय के नियम के अनुसार जो संस्कृत 'प्' के स्थान में अंगरेजी में f होना चाहिये वह अंगरेजी soup शब्द में नहीं देखा जाता ।

इसी प्रकार के और उदाहरण ऊपर [परि० ७, अधि० ३ (१, ४)] दिये जा चुके हैं ।

(ग) प्रायः ऐसा भी होता है कि वर्ण-विकारों के कारण दो परस्पर सम्बन्ध रखनेवाले शब्दों का शाब्दिक रूप इतना परिवर्तित हो जाता है

कि उनके विषय में यह पता लगाना कि वे परस्पर सम्बन्ध रखनेवाले हैं कठिन हो जाता है। उदाहरणार्थ, नीचे लिखे शब्दों को देखिये :—

संस्कृत	ग्रीक	लैटिन	अंग्रेजी	जर्मन
गौः	boûs	bos	cow	Kuh
पञ्च	pente	quinque	five	fünf
श्वा	kúon	canis	hound	Hund

संस्कृत	हिन्दी
हृदय	हियाव
आत्मन्	आप
उद्गार	उकार
तिलक	टीका
धृष्ट	ढीठ

(घ) ऐसा भी हो सकता है कि जिन शब्दों की समानता से हम दो भाषाओं का सम्बन्धी होना सिद्ध करना चाहते हैं वे शब्द वस्तुतः उन दोनों भाषाओं में या दोनों में से किसी एक में किसी और ही भाषा से ले लिये गये हों, या उन दोनों भाषाओं में से ही एक ने दूसरी से उद्धृत कर लिये हों। ऐसी दशा में यह स्पष्ट है कि शब्दों की समानता से भाषाओं के सम्बन्धी होने में कोई प्रमाण नहीं मिल सकता। उदाहरणार्थ,

अंग्रेजी में jungle, loot, palanquin, chutney आदि अनेक शब्द हिन्दी से लिये गये हैं। अंग्रेजी tobacco, जर्मन Tabak, फ्रेंच tabac, और हिन्दी 'तम्बाकू' का प्रारम्भ उत्तरीय अमरीका के पाश्चात्य इन्डो-जा की आदि-भाषा से हुआ है।

इसी प्रकार पृथ्वी की भिन्न-भिन्न परिवारों की भाषाओं में चाय के वाचक शब्दों की समानता है; जैसे चीनी (अम्वाय) t'e, चीनी (मन्दारिन) ch'a, पोर्तुगीज़ cha, हिन्दी 'चाय' या 'चा', फ़ारसी 'चा' रूसी чай, तुर्की çay, मैले te या teh, डच thee, फ्रेंच thé, इटैलियन tè, स्पैनिश te, जर्मन Tee, अंग्रेजी tea। ईस्वी सोलहवीं शताब्दी में डच लोग विशेषतः पूरे के साथ तिजारत करते थे। इसलिये यूरोप में डच भाषा में लिये गये thee शब्द का ही प्रायः कुछ रूपान्तरों के साथ

प्रचार हो गया। परन्तु इन शब्दों का मूलतः प्रारम्भ चीनी भाषा से ही हुआ है।

(ढ) यह कहा जा सकता है कि कुछ थोड़े-से उद्धृत शब्दों की वतमानता से किसी भाषा के वर्गीकरण के प्रश्न पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ सकता। परन्तु भाषाओं में उद्धृत शब्दों की संख्या सदा थोड़ी ही हो यह आवश्यक नहीं है। जब किसी राजनीतिक या और कारण से दो जातियों में घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाता है तो शनैः शनैः सहस्रो शब्द एक भाषा से दूसरी भाषा में उद्धृत कर लिये जाते हैं। उदाहरणार्थ, फ़ारसी में सहस्रों शब्द अरबी भाषा से उद्धृत कर लिये गये हैं। सैकड़ों फ़ारसी तथा अरबी शब्द भारतवर्ष की हिन्दी आदि उत्तरीय भाषाओं में पाये जाते हैं। इसी प्रकार अंगरेज़ी भाषा में प्राचीन फ़्रेंच और लैटिन भाषा से सैकड़ों शब्द ले लिये गये हैं।

इस तरह जब किसी भाषा में उद्धृत शब्दों का एक बड़ा अंश पाया जाता है उस दशा में भाषाओं के सम्बन्ध के विषय में प्रायः भ्रम पैदा हो सकता है। उदाहरणार्थ, बहुत-से लोग इसी कारण से यह समझते हैं कि फ़ारसी का संस्कृत की अपेक्षा अरबी से अधिक सम्बन्ध है। परन्तु एक भाषा-विज्ञानी इस बात को कभी नहीं मान सकता।

४—पारिवारिक वर्गीकरण के लिए रचना की समानता की आवश्यकता

ऊपर के लेख से यह स्पष्ट हो गया होगा कि भाषाओं के पारिवारिक उत्पत्ति-मूलक सम्बन्ध को स्थापित करने के लिए केवल उनके शब्दों की समानता को देखना एक पर्याप्त और निर्दोष प्रक्रिया नहीं है। इसलिए भाषाओं के वैज्ञानिक वर्गीकरण का आधार भाषाओं की रचना ही होनी चाहिये।

भाषा की रचना से आशय धातु और प्रातिपदिक के आगे लगने-वाली विभक्तियों द्वारा अर्थ के भिन्न-भिन्न सम्बन्धों और परिवर्तनों के प्रकट करने की विधि से ही नहीं है। किन्तु रचना के विचार में जैसा ऊपर (परि० ४) कहा है, वाक्य-रचना के साथ-साथ, वाक्यान्तर्गत पृथक्-पृथक् छुड़न्त, तद्धितान्त आदि शब्दों के बनाने की विधि का विचार भी सम्मिलित है।

ऐसा प्रायः होता है कि वर्ण-विकारों के कारण शब्दों का असली स्वरूप छिप जाता है। इसलिए जिन शब्दों की तुलना करनी हो पहले उनका यथासंभव उनके प्रकृति-प्रत्यय-रूप अंशों में विश्लेषण या विवेचन कर लेना चाहिये।

शब्दों के इस प्रकार के विवेचन में संस्कृत जैसी भाषाओं के साथ तुलना करने से बड़ी सहायता मिलती है। संस्कृत का सबसे बड़ा महत्त्व इस बात में है कि इसकी रचना अब भी बहुत कुछ विशद है। इसलिए संस्कृत जैसी विशद रचना से युक्त भाषाओं से दूसरी भाषाओं की शब्द-रचना के समझने में सहायता मिलना स्वाभाविक ही है। साथ ही वर्ण-विकार से उस शब्द की रचना पर कितना प्रभाव पड़ सकता है इसका भी ध्यान रखना चाहिये।^१

५—भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण

ऊपर के लेख से यह सिद्ध होता है कि उन्हीं भाषाओं के विषय में जिनमें न केवल भिन्न-भिन्न रूपान्तरों के सहित बहुत से समान शब्द पाये जाते हैं, किन्तु जिनमें सामान्यतः रचना की भी समानता है, यह कहा जा सकता है कि वे एक ही भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखती हैं। भाषा-परिवार शब्द में 'परिवार' शब्द का प्रयोग औपचारिक है। इस शब्द के प्रयोग से यह आशय है कि किसी भी भाषा-परिवार से सम्बन्ध

१. भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण के संबन्ध में जो कुछ ऊपर कहा है, उसका सारांश यही है कि हमें उन्हीं भाषाओं को 'एक परिवार' का समझना चाहिए जो किसी एक मूलभाषा से विकसित हुई हों। इस एकता के निर्धारण के लिए कम से कम पाँच बातों को देखना चाहिये :—

(१) भाषाओं की धातुओं में समानता, (२) धातुओं से मूल शब्दों के बनाने में समानता, (३) मूल शब्दों से व्याकरण के अंश को जोड़कर पूर्ण शब्दों के बनाने की प्रक्रिया में समानता, (४) भाषाओं के संख्यावाचक, संबन्ध-वाचक ('पिता', 'माता' आदि), सर्वनाम, तथा प्रतिदिन व्यवहार में आनेवाले जैसे शब्दों में समानता, और (५) वाक्य-रचना की समानता।

रखनेवाली सारी भाषायें किसी एक ही भाषा से निकली हैं, अर्थात् उन सबका मूल-स्रोत एक ही भाषा थी।

(१)

कुछ भिन्न-भिन्न भाषाओं के विषय में तो ऐतिहासिक प्रमाण इस बात का मिल सकता है कि वे एक ही भाषासे निकली हैं। उदाहरणार्थ, यह इतिहास से सिद्ध है कि यूरोप की फ्रेंच, स्पैनिश, इटैलियन, रूमानियन और कुछ अन्य प्रादेशिक भाषायें, सब की सब, लैटिन भाषा से, अर्थात् बहुत अंश तक तो लैटिन भाषा के उस अपरिष्कृत रूप से जो रोमन सेनाओं में पाया जाता था, और कुछ अंश तक पुस्तकों की परिष्कृत लैटिन से पीछे से उद्धृत शब्दों से बनी हैं।

इसी प्रकार भारतवर्ष की आधुनिक आर्य-भाषायें प्राचीन भारत की उस सर्वे-साधारण की भाषा से निकली हैं जिसका परिष्कृत स्वरूप वैदिक तथा पीछे की संस्कृत से पाया जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि वैदिक समय में भी भाषा में प्रादेशिक भेद पाये जाते थे। इस बात की पुष्टि 'कृ' धातु के 'कुरु' तथा 'कृणु' जैसे रूप-भेदों के ऋग्वेद आदि में पाये जाने से तथा इसी प्रकार के दूसरे प्रमाणों से होती है। तो भी यह स्पष्ट है कि उस समय का भेद उस भेद की अपेक्षा जो आज-कल की हिन्दी, पञ्जाबी आदि भाषाओं में परस्पर पाया जाता है कहीं कम था।

(२)

परस्पर सम्बन्ध रखनेवाली भाषाओं के शब्दों की तुलना करने के लिए तथा उनकी रचना के समझने के लिए, जैसा ऊपर कहा है, यह अत्यन्त उपयोगी है कि उनका प्राचीन स्वरूप लेख में पाया जाता हो; जैसे उपर्युक्त फ्रेंच आदि भाषाओं के विषय में लैटिन और भारतवर्षीय आधुनिक आर्य-भाषाओं के विषय में संस्कृत। कुछ जातियों में उनका प्राचीन साहित्य नहीं पाया जाता। लेख में उनकी प्राचीन भाषा के न पाये जाने से उससे निकली हुई आधुनिक भाषाओं के विकास को समझना अति कठिन होता है।

(३)

ऐतिहासिक प्रमाण और प्राचीन लेखों के अभाव में हम कुछ भाषाओं की अत्यधिक समानता को देखकर उनको एक पारिवारिक वर्ग में रख

सकते हैं। दूसरे शब्दों में, उनके विषय में हम यह अनुमान कर सकते हैं कि वे सब एक ही मूल-भाषा से निकली हैं। परन्तु ऐसी दशा में इतना ध्यान रहे कि उस मूल-भाषा के अस्तित्व के विषय में हमारे पास कोई और स्पष्ट प्रमाण नहीं है। उसके स्वरूप के विषय में हम अपने विचार भी केवल कल्पना के आधार पर ही बना सकते हैं। साथ ही ऐसी दशा में यह डर भी रहता है कि कहीं हम किसी ऐसी भाषा को भी उस वर्ग में सम्मिलित न समझ लें जिसका वस्तुतः उससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

(४)

किन्हीं दो भाषाओं में विषय में यह सिद्ध करना, कि वे अत्यन्त प्राचीन समय में अन्ततः परस्पर सम्बन्ध नहीं रखती थीं, बड़ा कठिन है। इस कारण से तथा इस विचार की ओर सामान्यतः अधिक झुकाव होने से कि मनुष्य-भाषा का प्रारम्भ किसी एक ही स्थान पर हुआ होगा, कुछ विद्वानों ने कभी-कभी अत्यन्त भिन्न भाषाओं की परस्पर समानताओं के खोजने की चेष्टा की है।

उदाहरणार्थ, संस्कृत भाषा अरबी भाषा से अत्यन्त भिन्न है। दोनों पृथक्-पृथक् भाषा-वर्गों से सम्बन्ध रखती हैं। दोनों भाषा-वर्गों की रचना भी एक दूसरे से भिन्न है। सेमिटिक भाषा-परिवार के, जिससे अरबी का सम्बन्ध है, त्रिवर्णात्मक धातुओं का संस्कृत-सम्बन्धी भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार के एकाक्षरात्मक धातुओं के साथ स्पष्ट ही कोई सम्बन्ध नहीं दीखता। ऐसा होने पर भी कुछ विद्वानों ने इस बात को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि दोनों परिवारों की भाषायें एक ही मूल-स्रोत से निकली हैं।

यह हो सकता है कि कुछ आकस्मिक समानतायें दोनों में पाई जावें।^१ परन्तु केवल आकस्मिक समानताओं के आधार पर किन्हीं का सम्बन्ध

१. उदाहरणार्थ, संस्कृत 'एक', 'षट्' (=षष्), 'सप्त' के साथ यथाक्रम हिब्रू ékhad (=एक), shêsh (=छः) और sheba (=सात) शब्दों को देखिये। इन हिब्रू शब्दों के विषय में विशेष विवेचना से विद्वानों ने यही सिद्ध किया है कि इनका संस्कृत शब्दों के साथ कोई पारिवारिक सम्बन्ध नहीं है और उनकी समानता केवल आकस्मिक है।

जोड़ना कैसे युक्ति-संगत हो सकता है ? उपर्युक्त रचना आदि की विशेषता के साथ-साथ उक्त दोनों भाषा-परिवारों का इतिहास पृथक्-पृथक् हम इतने पीछे ले जा सकते हैं कि यह विश्वास से कहा जा सकता है कि वे दोनों भाषा-परिवार पिछले सहस्रों वर्षों से एक दूसरे से अत्यन्त भिन्न और पृथक् रहे हैं ।

६—भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार के

भिन्न-भिन्न नाम और महत्त्व

भाषा-विज्ञान के एक विज्ञान के रूप में आरम्भ होने पर सबसे पहले संस्कृत-सम्बन्धी भाषा-वर्ग और अरबी-सम्बन्धी भाषा-वर्ग का ही एक दूसरे से पारिवारिक दृष्टि से भेद किया गया । संस्कृत के अध्ययन से ही ग्रीक और लैटिन भाषाओं के शब्दों की रचना के विवेचन में बड़ी सहायता मिली । इसी आधार पर इन दोनों तथा अन्य भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन का आरम्भ हुआ । कुछ ही दिनों में यह पता लग गया कि ग्रीक और हिब्रू भाषा के शब्दों की तुलना, चाहे वे शब्द देखने में कितनी ही समानता रखते हों, व्यर्थ है । इससे पहले विद्वानों का बहुत कुछ समय ग्रीक और हिब्रू शब्दों की तुलना करने में नष्ट हो चुका था । अब यह बात स्पष्ट हो गई कि ये दोनों भाषायें रचना की दृष्टि से परस्पर अत्यन्त भिन्न हैं, और इसी कारण दोनों की उत्पत्ति भी भिन्न-भिन्न मूल-भाषाओं से ही माननी चाहिये ।

भिन्न-भिन्न नाम

ऊपर कहे गये दोनों भाषा-परिवारों में से प्रथम भाषा-परिवार को—जिसमें संस्कृत, फ़ारसी, आर्मीनियन, ग्रीक, लैटिन और उससे सम्बन्ध रखनेवाली इटैलियन आदि भाषायें, केल्टिक भाषायें, अंगरेज़ी, जर्मन, रूसी आदि भाषायें सम्मिलित हैं—भिन्न-भिन्न समय पर भिन्न-भिन्न नाम दिये गये ।

सबसे पहले संस्कृत 'आर्य' शब्द के आधार पर इसको आर्य-भाषा-परिवार कहा गया । आज-कल भी साधारण साहित्य में 'आर्य' शब्द का प्रयोग इस भाषा-परिवार के नाम (= आर्य-भाषा-परिवार) में तथा

इस परिवार की भाषाओं की मूल-भाषा के नाम (=मूल-आर्य-भाषा) में किया जाता है। इस प्रसङ्ग में 'आर्य' शब्द से उस प्राचीन जाति का आशय है जिसमें उक्त मूल-भाषा का विकास हुआ था और जो उसको बोलती थी। वह जाति किन लोगों की थी? वे कहाँ रहते थे? इत्यादि प्रश्नों पर यहाँ विचार करना आवश्यक नहीं।

परन्तु आज-कल भाषा-विज्ञानी 'आर्य' शब्द का प्रयोग केवल ईरानी तथा भारतीय आर्य-भाषाओं के लिए और उस (मूल-) भाषा के लिए, जिससे ये दोनों प्रकार की भाषायें निकली हैं, करते हैं। उस अधिक प्राचीन भाषा के लिए जो संस्कृत, फ़ारसी तथा ग्रीक आदि भाषाओं की मूल-भाषा थी वे लोग भारत-यूरोपीय मूल-भाषा (The Indo-European Original Language) का नाम देते हैं। इसी अर्थ में भारत-जर्मनीय (मूल-) भाषा का प्रयोग जर्मनी में किया जाता है।

भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार से आशय उन समस्त भाषाओं से है जो उस प्राचीन भारत-यूरोपीय मूल-भाषा से निकली हैं। 'भारत-यूरोपीय' (या 'भारत-जर्मनीय') शब्द के प्रयोग से यही अभिप्राय है कि इस भाषा-परिवार के भारतवर्ष से लेकर यूरोप तक के भौगोलिक विस्तार की ओर ध्यान दिलाया जा सके। 'भारत-यूरोपीय' के स्थान में आजकल 'आर्य' शब्द के प्रयोग न करने का कारण यह है कि इस बात का पूरा पूरा निश्चय नहीं है कि उक्त मूल-भाषा के बोलनेवाले अपने को, भारतीय और ईरानियों की तरह, आर्य कहते थे या नहीं।

महत्त्व

विभिन्न भाषा-परिवारों में भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार का महत्त्व सबसे अधिक है। भाषा-विज्ञानी की दृष्टि में तो निर्विवाद रूप से इसका स्थान और सबके स्थान से ऊँचा है। नीचे दिखलाये हुए कारणों से यह बात स्पष्ट हो जावेगी :—

(१) भाषा-विज्ञान की नींव इसी परिवार के आधार पर रखी गई है।

(२) भाषा-विज्ञान में प्रवेश के लिए अब भी विद्यार्थियों को सबसे पहले इसी परिवार के विषय में ज्ञान प्राप्त करना होता है।

(३) विद्वानों ने जितना परिश्रम तथा छान-बीन इस परिवार के विषय में की है उतनी अभी तक औरों के विषय में नहीं की गई ।

(४) वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन के लिए इस परिवार में पर्याप्त स्पष्टता, निश्चयात्मकता और विस्तार तीनों गुण पाये जाते हैं । (क) इस परिवार की भिन्न-भिन्न भाषाओं के इतिहास में भाषा-विषयक विचार प्राचीन समय से ही प्रारम्भ हुआ, जिससे उनके विकास के समझने में बड़ी सहायता मिल सकती है । (ख) इस परिवार के विषय में ऋग्वेद आदि प्राचीन साहित्य के रूप में ऐतिहासिक साक्ष्य जितना पुष्कल और सुरक्षित मिल सकता है, उतना औरों के विषय में नहीं । प्राचीन जगत् के तीन अत्यन्त महत्त्व से युक्त साहित्य—संस्कृत, ग्रीक और लैटिन—और मध्य-कालीन तथा आधुनिक साहित्य का बड़ा भाग भी इसी परिवार से सम्बन्ध रखते हैं । (ग) देश-दृष्टि से भी इनका विस्तार अत्यधिक है । सभ्य जगत् का बहुत बड़ा भाग, जैसे लगभग सारा यूरोप, अमरीका का बड़ा भाग, ईरान और उत्तरीय भारतवर्ष, इसी परिवार से सम्बन्ध रखनेवाली भाषाओं को बोलता है ।

(५) भाषा के विकास को दिखानेवाली जितनी विविध सामग्री इस परिवार में पाई जाती है, उतनी किसी दूसरे परिवार में नहीं । इस परिवार की कुछ भाषाओं में उच्चारण-सम्बन्धी महान् परिवर्तन हो चुका है । कुछ भाषाएँ परिवर्तित होते-होते शुद्ध संश्लेषणात्मक अवस्था से लगभग शुद्ध विश्लेषणात्मक अवस्था में आ गई हैं । बहुत-सी अभी तक बीच की ही दशा में हैं । इन्हीं कारणों से इस परिवार में, औरों की अपेक्षा, शब्दों के रूप और रचना के विविध नमूने कहीं अधिक पाये जाते हैं ।

इस परिवार की भिन्न-भिन्न भाषाओं का और अन्तर्गत वर्गों का वर्णन अगले परिच्छेद में किया जायगा ।

७—सेमिटिक भाषा-परिवार

अरबी-सम्बन्धी भाषा-वर्ग, जिसकी भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार से विलक्षणता को सबसे पहले विद्वानों ने अनुभव किया, सेमिटिक भाषा-परिवार के नाम से प्रसिद्ध है । 'सेमिटिक' (Semitic) शब्द 'सेमाइट'

(Semite) शब्द से बना है। सेमाइट से अभिप्राय यहूदी तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवाली अरब आदि जातियों से है। इस परिवार की मुख्य मुख्य भाषाओं का वर्णन नीचे दिया जाता है :—

(१) असीरियन भाषा। प्राचीन मेसोपोटामिया की द्वितीय प्राचीन भाषा असीरियन नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में दक्षिण मेसोपोटामिया (प्राचीन नाम बैबिलोनिया^१) की राजधानी बैबिलोन (या बाबिल) नामक नगर, और उत्तर मेसोपोटामिया (प्राचीन नाम असीरिया) की राजधानी नाइनवेह (या नैनवा) नगर था। इन दोनों नगरों को विशेषकर असीरियन भाषा का स्थान समझना चाहिये। प्राचीन मेसोपोटामिया की प्रथम प्राचीन भाषा का सम्बन्ध विद्वानों के मत में सेमिटिक भाषा-परिवार से न था। उसका विशेष वर्णन नीचे आयेगा।

असीरियन भाषा पकाये हुए मिट्टी के छोटे बड़े टुकड़ों पर कीलका-त्तरों^२ में लिखी हुई पाई जाती है। इस प्रकार लिखे हुए इस भाषा के कुछ लेख क्राइस्ट से पूर्व तीसरी सहस्राब्दी तक के समझे जाते हैं। बैबिलोन की प्राचीन सभ्यता का कुछ प्रभाव ईरान देश पर पड़ा था। इसी से ईरान देश के सबसे प्राचीन लेख एक विशेष प्रकार के कीलकात्तरों में लिखे हुए पाये जाते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ईरान की तरह भारतवर्ष पर भी बैबिलोन का प्रभाव पड़ा होगा। प्राचीन लेखों से पता लगता है कि फलित ज्यौतिष और जादू या तान्त्रिक बातों में विश्वास बैबिलोनियन धर्म की मुख्य विशेषता थी।

उपयुक्त असीरियन भाषा को बोलनेवाले सेमिटिक जाति के बैबिलोनियन लोग बैबिलोनिया या असीरिया के आदिनिवासी न थे। इन लोगों ने यहाँ (बैबिलोनिया में) पहले से रहनेवाली एकदूसरी जाति को जीता, और फिर कालान्तर में असीरिया में भी इनकी वस्तियाँ आवाद हुईं। उस प्राचीनतर जाति की भाषा एक दूसरी थी जिसको सुमेरियन या अकैडियन नाम से पुकारा जाता है। इस सुमेरियन भाषा को विजेता

१. पालि साहित्य में बैबिलोनिया का नाम 'बावेश' आता है।

२. कीलो की तरह नुकीली (! या -) रेखा या रेखाओं से बने हुए एक प्रकार के अक्षर।

वैबिलोनियन लोगों ने नष्ट न होने दिया; क्योंकि उनकी सभ्यता और धार्मिक विश्वासों का आधार बहुत कुछ उसी प्राचीनतर जाति की सभ्यता और धार्मिक विश्वासों पर था। वैबिलोनियन पुजारियों और धर्म-गुरुओं ने इसका पठन-पाठन जारी रक्खा। वे इसको भी उपर्युक्त कीलकाक्षरों में ही लिखते थे, जैसा कि वर्तमान काल में उपलब्ध अनेक प्राचीन लेखों से सिद्ध होता है।

सुमेरियन भाषा के विषय में विद्वानों के भिन्न-भिन्न मन हैं। चीनी भाषा से तथा काकेशस में आज-कल बोली जानेवाली जार्जियन भाषा से इसके सम्बन्ध को दिखाने की चेष्टा विद्वानों ने की है।

(२) हिब्रू या इब्रानी भाषा। यहूदियों की प्राचीन भाषा हिब्रू या इब्रानी नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में यह फिलिस्तीन (या पैलेस्टाइन) में लिखी तथा बोली जाती थी। 'प्राचीन-विधान' (Old Testament) अधिकतर इसी भाषा में लिखा गया है। 'प्राचीन-विधान' का कुछ भाग हिब्रू भाषा से घना सम्बन्ध रखनेवाली और हिब्रू के बाद फिलिस्तीन में बोली जानेवाली अरैमेइक भाषा में है।

हिब्रू भाषा अब भी यहूदियों की धार्मिक भाषा है। प्राचीन हिब्रू भाषा की प्रतिनिधि रूप आज-कल केवल एक भाषा है जिसको यिडिश कहते हैं। यह एक अपभ्रंश मिली-जुली भाषा है, और बड़े शहरों में यहूदी लोगों की बस्तियों में इसका प्रयोग किया जाता है।

(३) अरबी भाषा—कुरान की भाषा परिष्कृत अरबी है। कुछ प्राचीन प्रादेशिक अरबी बोलियाँ भी प्राचीन लेखों में पाई जाती हैं। आज-कल भिन्न-भिन्न प्रान्तीय भेदों के साथ अरबी भाषा अरब, मेसोपोटामिया, सीरिया, मिस्र और उत्तरीय अफ्रीका में बोली जाती है।

कुरान की अरबी में 'ग्' वर्ण नहीं है। परन्तु मिस्र देश की आधुनिक अरबी में 'ग्' अब भी वर्तमान है। उदाहरणार्थ, ऊँट के लिए मिस्र में 'गमल' शब्द आता है; परन्तु प्राचीन परिष्कृत अरबी में इसके स्थान में 'जमल' शब्द आता है।

इस्लाम धर्म की भाषा होने से अरबी का प्रभाव समस्त मुसलमानों की भाषाओं पर पड़ा है। विशेषकर यह प्रभाव फारसी भाषा पर, और

फारसी द्वारा, उर्दू और तुर्की भाषाओं पर देखा जाता है। उत्तरी अफ्रीका के मूर लोगों ने अपनी विजय के साथ स्पेन देश में अरबी को प्रविष्ट किया। इसी कारण स्पैनिश शब्द-कोष पर अनेक चिह्न अरबी के पाये जाते हैं।

यूरोपीय इतिहास के मध्यकाल में अनेक कारणों से यूरोप में विद्या की चर्चा बहुत कम हो गई थी, लैटिन भाषा के पठन-पाठन की दशा बहुत बुरी थी, और तुर्की के आक्रमणों के सामने बिजैन्टाइन साम्राज्य (ईसा की छठी सदी से पन्द्रहवीं सदी तक) अपने अन्तिम दिन गिन रहा था; उन दिनों भू-मध्य-सागर के आस पास ज्ञान की ज्योति को स्थिर और उसकी परम्परा को जारी रखने में अरबी विद्वानों ने एक प्रकार से बहुत कुछ काम किया। इन दिनों काडोवा (अरबी में कुतवा) ग्रैनेडा (अरबी में गरनाता) (स्पेन) आदि नगरों के मुसलिम विश्वविद्यालय यूरोप भर में प्रसिद्ध थे। अरबी विद्वानों ने ग्रीस-देशीय दर्शन, जैसे प्लैटो (= अफलातून) और अरिस्टाटिल (= अरस्तू) की पुस्तकें, ग्रीस-देशीय वैद्यकशास्त्र और गणित-शास्त्र, इनके अध्ययनाध्यापन को विशेषकर जारी रक्खा।

यूरोप में अरब जाति के उन दिनों के राजनीतिक तथा विद्या-सम्बन्धी प्राधान्य का ही यह फल है कि वहाँ की भाषाओं में अनेक अरबी शब्द पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, अंगरेजी भाषा में ही लीजिये, निम्न-लिखित शब्द कोष्ठक में दिये हुए अरबी शब्दों से लिये गये हैं :—

algebra (अल्जब्र), cipher (सिफूर), alchemy (अल्की-मिया), tamarind = इमली (तमरहिंद), alkali = क्षार (अल्कली), alcohol = खालिस शराब (अल्कोहूल = अत्यन्त बारीक), amber (अम्बर), cotton (कुतुन), coffee (क़ह्वह), saffron (ज़ाफ़्रान)

इत्यादि शब्द उन दिनों अरब लोगों की विद्या, अर्थ और ऐश्वर्य की समृद्धि के द्योतक हैं। इसी प्रकार admiral (छामीर-उल्-नहर = समुद्र का राजा), arsenal (दार उस्सिनाअह = शिल्पगृह) शब्दों से युद्ध में उन दिनों की उनकी प्रधानता झलकती है।

उत्तरीय भारतवर्ष की भाषाओं से और विशेषकर उर्दू या हिन्दुस्तानी भाषा में तो अरबी शब्दों की संख्या बहुत ही अधिक है। मज़हब से सम्बन्ध रखनेवाले अरबी शब्दों के अतिरिक्त, भारतवर्ष में स्वाभाविकतया प्रचलित अरबी शब्दों का सम्बन्ध अधिकतर राज्य-शासन और युद्ध से है। हिन्दुस्तानी से विशेषतः और दूसरी उत्तरीय भारतवर्ष की भाषाओं से सामान्यतः प्रचलित कुछ अरबी शब्द नीचे दिये जाते हैं :—

अदालत, कानून, मुद्दई, मुद्दाअलह, दावा, शहादत, वकील, मुंसरिम, तहसील, मुंसिफ, मुकद्दमा, फौसला, हाकिम, हुकम, जुल्म, जालिम, क़त्ल, क़ातिल, इज़ज़त, इजाज़त, वक्त, इलाज, हकीम, राज़ी, क्रिस्मत, तक्रदीर, मतलब, तारीख़, साहिब, बिलकुल, लेकिन (अरबी 'लार्किन'), हिसाब, किताब, जमअ, तफ़रीक़, तकसीम, ज़रब, अब्वल, दुआ, तोबह (अर० 'तौवह'), क़बूल, ख़ैरात, मसजिद, कन्न, इवाद्दत, जमाअत, जल्सा, तक्ररीर, एतवार, कुल (= समस्त), ख़ैर, ग़ौर, जाल = फ़रेब (अरबी 'जअल'), हाल।

(४) सीरिएक भाषा—सीरिया (=शाम) देश की एक प्राचीन भाषा (=शामी) जिसमें ईसाई धर्म के पुराने दिनों का साहित्य पाया जाता है सीरिएक नाम से प्रसिद्ध है। २०० ईस्वी के लगभग वाइविल के 'प्राचीन-विधान' (Old Testament) का हिब्रू से और 'नवविधान' (New Testament) का ग्रीक भाषा से अनुवाद इस भाषा में किया गया था जो आज तक वर्तमान है। इसके अतिरिक्त और भी ईसाई धर्म से सम्बन्ध रखनेवाला पुराना साहित्य इस भाषा में मिलता है। कुर्दिस्तान और सेसोपोटामिया के कुछ भाग में बहुत विकृत रूप में यह अब भी बोली जाती है।

८—सेमिटिक भाषा-परिवार का महत्त्व और मुख्य विशेषतायें

महत्त्व

भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार को छोड़कर, सेमिटिक भाषा-परिवार का महत्त्व और सब भाषा-परिवारों से कई बातों की दृष्टि से अधिक माना जा सकता है।

इन भाषाओं को बोलनेवाली जातियों ने, भारत-यूरोपीय आर्य-जातियों की तरह, दुनियाँ की सभ्यता के विकास में बड़ा भाग लिया है।

संसार के बड़े धर्मों में से इस्लाम और ईसाई इन दो धर्मों की उत्पत्ति इन्हीं जातियों में हुई। ईसाई धर्म का विस्तार तो आर्य जातियों में ही हुआ है।

सेमिटिक भाषाओं में लिखी गई इन धर्मों की धर्म-पुस्तकों को इन भाषाओं की स्थिर सम्पत्ति समझना चाहिये।

भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भी इनका बड़ा महत्त्व है। अपनी रचना की विशेषताओं के कारण यह भाषा-परिवार संसार के समस्त भाषा-परिवारों से इतना भिन्न है जितना उनमें से परस्पर कोई नहीं है।

मुख्य विशेषतायें

(१) जैसा ऊपर (परि० ७, अधि० ४) कहा है, समस्त सेमिटिक भाषाओं की बड़ी भारी विशेषता यह है कि इनमें धातुयें कम से कम तीन वर्गों (व्यञ्जनों) की होती हैं। (२) दूसरी बड़ी विशेषता यह है कि धातुओं के रूप चलाने में या धातुओं से शब्दों के बनाने में प्रत्ययों के सदृश दूसरे अंशों को आगे जोड़ने की सामान्यतः आवश्यकता नहीं होती—केवल धातुओं के अन्दर स्वरों के भेद से ही काम चल जाता है। नीचे लिखे उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जायगा :—

ज़-ल्-म् = ज़ुल्म करना

ज़ालिम, ज़ुल्म, मज़लूम = जिस पर अत्याचार किया जावे, अज़-लम = अत्यन्त ज़ालिम।

क़-त्-ल् = हनन करना

क़त्ल, क़ातिल, मक़तूल या क़तील = जिसको क़त्ल किया जाय, क़तल = उसने क़त्ल किया, मक़तल = क़त्ल करने का स्थान, क़िताल = युद्ध।

ह-स्-व् = हिसाब करना

हिसाब, हासिब = हिसाब करनेवाला, महसूब = जिसका हिसाब किया जाय, हसीब = हिसाब का फल, हस्ब = अनुसार या मुताबिक, हसब = उसने हिसाब किया ।

क्-त्-व् = लिखना

क़तब = उसने लिखा, क़िताब = पुस्तक, मक्तूब = लिखी हुई चीज़, कातिब = लिखनेवाला, मक़तब = लिखने का स्थान (= पाठशाला) ।

इसके विरुद्ध, भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की धातुओं की अधिक संख्या में दो से अधिक व्यञ्जन नहीं पाये जाते । और यदि दो से अधिक व्यञ्जन हों तो भी सामान्यतः सेमिटिक भाषाओं की रीति से धातु के अन्दर केवल स्वरों के भेद से, प्रत्यय को जोड़े बिना, शब्दों को नहीं बनाया जाता ।

८—हैमिटिक भाषा-परिवार

इस भाषा-परिवार का जो कुछ महत्त्व है वह मिस्र देश की प्राचीन भाषा से सम्बन्ध रखने के कारण है । मिस्र संसार की एक अति प्राचीन ऐतिहासिक सभ्यता का स्थान है । प्राचीन मिस्री भाषा का पुनरुद्धार विद्वानों ने प्राचीन लेखों के आधार पर पिछली शताब्दी में ही किया है । इससे पहले लगभग दो हजार वर्षों से कोई इसको जानता ही न था । प्राचीन मिस्री भाषा एक प्रकार के चित्रमय अक्षरों में अंकित प्राचीन लेखों में पाई जाती है । इस प्राचीन मिस्री भाषा के पुनरुद्धार में बड़ी सहायता उससे निकली हुई काण्टिक भाषा से मिली ।

काण्टिक भाषा—मिस्र देश में कुछ सदियों पहले तक बोली जाती थी । इसमें ईसाई धर्म से सम्बन्ध रखनेवाला कुछ साहित्य भी है । अरबी भाषा के प्रभाव से काण्टिक भाषा सत्रहवीं शताब्दी से सर्व-साधारण की भाषा के रूप में नष्ट हो गई ।

इस भाषा परिवार को मुख्य तीन विभागों में बाँटा जा सकता है :—

(१) प्राचीन मिस्री भाषा और उससे निकली हुई काण्टिक भाषा

जो स्वयं कई सदियों से बोली नहीं जाती है; (२) उत्तरीय अफ्रीका की लिबियन या बर्बर नाम की बोलियाँ; और (३) पूर्वीय अफ्रीका की एथियोपिक या ऐबिसिनियन (या हब्शी) नाम की बोलियाँ ।

इस परिवार की आधुनिक बोलियों पर सेमिटिक ढंग की बोलियों का बहुत अधिक प्रभाव पाया जाता है । ऐसे ही कारणों से समझा जाता है कि कदाचित् अन्ततः इस परिवार का सेमिटिक भाषा-परिवार से पारिवारिक सम्बन्ध ही हो ।

१०—यूराल-एल्टेइक या तुर्की-सम्बन्धी भाषा-परिवार

भाषा-विज्ञान के प्रारम्भ के दिनों में भाषा-विज्ञानियों ने भारत-यूरोपीय और सेमिटिक भाषा-परिवारों के अनिश्चित एक तीसरे भाषा-परिवार के भेद को भी दिखलाया था, जिसको उन्होंने तूरानी भाषा-परिवार का नाम दिया था । उसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण तुर्की भाषा थी । परन्तु तुर्की भाषा के साथ-साथ उस परिवार में चीनी आदि बहुत-सी भाषायें भी सम्मिलित कर ली गई थीं जिनका वस्तुतः तुर्की से कोई पारिवारिक सम्बन्ध नहीं था । 'तूरान' और 'ईरान' शब्दों के ऐतिहासिक साहचर्य के प्रसिद्ध होने से, जिस तरह उन दिनों भारत-यूरोपीय भाषापरिवार को 'आर्य-भाषा-परिवार' का नाम दिया गया, उसी तरह तुर्की-सम्बन्धी भाषा-परिवार के लिए भी 'तूरानी' शब्द बहुत उचित समझा गया ।

परन्तु कुछ और अधिक छान-बीन से यह प्रतीत हुआ कि तुर्की भाषा उसे बड़े भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखती है जिसमें मध्य और उत्तरीय एशिया की अधिकतर भाषायें और यूरोप की फ़िनिश (= फिनलैंड की भाषा), लैप (= लैपलैंड की भाषा), एस्थोनियम (= एस्थोनिया की भाषा) और मैग्यर (= हंगरी की भाषा) भाषायें सम्मिलित हैं । उस समय से इस परिवार के लिए 'तूरानी' शब्द को छोड़कर उसके स्थान में भौगोलिक यूराल-एल्टेइक शब्द का प्रयोग किया जाने लगा । इस नाम के रखने का कारण यह है कि विद्वानों की सम्मति में इस परिवार का मुख्य स्थान यूराल और एल्टेइक पर्वतों के मध्य का प्रदेश ही था । वहीं से पीछे से इस परिवार की भाषायें और स्थानों में फैली हैं ।

इस परिवार की भाषायें बड़े विस्तृत भू-सागर पर फैली हुई हैं। वास्तव में क्षेत्र-विस्तार की दृष्टि से भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार के बाद इसी परिवार का स्थान आता है। ये भाषायें पश्चिम में फ़िनलैंड, हंगरी और टर्की से लेकर पूर्व में ओखोट्स्क सागर तक और दक्षिण में भूमध्य-सागर से उत्तर में उत्तरी महासागर तक पाई जाती हैं।

आजकल भाषाविज्ञानी उपर्युक्त भाषाओं को प्रायेण (१) यूराल-भाषा-परिवार, और (२) ऐल्टेइक-भाषा-परिवार इन दो पृथक् परिवारों में बाँटते हैं। यूराल-परिवार का मुख्य भाषासमूह फ़िनलैण्ड-हंगरी-भाषासमूह है; और ऐल्टेइक-परिवार में तुर्की (या तुर्की-तातारी) भाषासमूह तथा मंगोली भाषासमूह मुख्य हैं। तो भी इन दोनों भाषा-परिवारों में रचनासम्बन्धी जो परस्पर साम्य पाया जाता है उसके कारण इनको एक ही भाषापरिवार का भी कहा जा सकता है।

यूराल-ऐल्टेइक भाषापरिवार की सारी भाषाओं की रचना योगात्मक है। तुर्की भाषा की रचना उन सबमें अत्यधिक स्पष्ट है; इसको उदाहरण द्वारा ऊपर (परि० ४, अधि० २) दिखलाया जा चुका है।

टर्की, फ़िनलैण्ड और हंगरी के आधुनिक साहित्य का कोई ऊँचा स्थान नहीं है। मध्य-काल में उइगुर (= इस परिवार की एक भाषा) और तुर्की ये भाषायें साहित्य के काम में लाई जाती थीं। बाबर ने 'तुजकि-बावरी' नामक पुस्तक में अपना वृत्तान्त तुर्की भाषा में ही लिखा है।

तुर्की भाषा में अरबी और फ़ारसी के शब्दों की बड़ी भारी संख्या पाई जाती है। फ़ारसी भाषा में भी बहुत-से तुर्की शब्द आ गये हैं। फ़ारसी द्वारा कुछ तुर्की शब्द ज्यों के त्यों या कुछ परिवर्तित होकर उर्दू में भी आ गये हैं; जैसे :—

वेगम, ख़ान, चाकू, क़ैची, उर्दू (= कैप), मुग़ल, तोप, तमगा, चकमक, चोगा, क़लाबत्तू (= तु० क़लाबतून), क़मची (= छड़ी), क़ाबू।

११—द्राविड भाषा-परिवार

द्राहुई भाषा को छोड़कर, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे, द्राविड परिवार की भाषायें अधिकतर दक्षिण भारत में ही पाई जाती हैं। इस

परिवार की सबसे मुख्य भाषायें तामिल, तेलुगु, कनारी अथवा कन्नड़ और मलयालम हैं। इसी परिवार की कुछ बोलियाँ, जिनको प्रायः जंगली जातियाँ बोलती हैं, द्राविड प्रवेश की उत्तरीय सीमा के आस-पास भी पाई जाती हैं। कहीं-कहीं मध्यभारत के पहाड़ी प्रदेश में, तथा वरार से लेकर उड़ीसा और बिहार तक और बंगाल के राजहल जिले में भी एक जगह गंगातट पर द्राविड बोलियों के छोटे-मोटे अवशिष्ट चिह्न जंगली जातियों में ही पाये जाते हैं, जिनमें गोंडी सबसे प्रमुख हैं; परन्तु रेल आदि द्वारा गमनागमन में सरलता के बढ़ने तथा शिक्षा के फैलने से आर्य-भाषाओं के निरन्तर बढ़ते हुए प्रभाव के कारण ये धीरे-धीरे मिटती जा रही हैं।

द्राविड भाषाओं में तामिल का स्थान सब से प्रमुख है। यह नवीन मद्रास में तथा सिहल (लका) के उत्तरी भाग में बोली जाती है। इसके उत्तर में (आंध्र प्रदेश में) तेलुगु और पश्चिम में कनारी (या कन्नड़) और मलयालम है। इन सब की अपेक्षा तामिल में प्राचीनतम तथा समृद्धतम साहित्य विद्यमान है। कविता के विषय का छोड़कर, जिसमें इस भाषा ने स्वतन्त्र धृति की है, और तामिल साहित्य संस्कृत साहित्य के आधार पर बना है और उसी के भावों से भरा पड़ा है।

तामिल के अतिरिक्त अन्य उपर्युक्त मुख्य द्राविड भाषाओं में भी अपना-अपना अच्छा खासा साहित्य है। तामिल साहित्य के समान ही उन सब साहित्यों पर संस्कृत का पर्याप्त प्रभाव है। साथ ही संस्कृत शब्दों की संख्या भी सब में अत्यधिक है।

द्राविड भाषाओं की कुछ विशेषतायें ये हैं :—

- (१) घोष और अघोष वर्णों के भेद की अस्पष्टता की ओर झुकाव,
- (२) मूर्धन्य वर्णों का अधिक प्राधान्य,
- (३) शब्द-रचना की योगात्मकता, और
- (४) बड़े-बड़े समासों के बनाने में सरलता।

द्राविड भाषाओं ने साहित्य की संस्कृत और उत्तरभारत की आर्यभाषाओं पर कहाँ तक प्रभाव डाला है? यह एक रोचक और आवश्यक प्रश्न है। इस प्रभाव के पोषक कई कारण हो सकते हैं। पिछले काल के संस्कृत साहित्य का एक बड़ा भाग दक्षिण भारत में उन

लोगों द्वारा लिखा गया जिनकी मातृभाषा द्राविड भाषाओं में से एक थी। इसके अतिरिक्त, द्राविड बोलियाँ आजकल की अपेक्षा पहले अधिक उत्तर में बोली जाती थीं, इस कल्पना की पुष्टि में भी कुछ कारण पाये जाते हैं। मध्यभारत के पहाड़ी प्रदेश में कहीं-कहीं द्राविड भाषाओं के चिह्न पाये जाते हैं। इससे भी यही सिद्ध होता है। संस्कृत-कोषों में अनेक शब्द ऐसे मिलते हैं जिनका ईरानी भाषा के या भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की किसी अन्य भाषा के शब्दों के साथ कोई स्पष्ट सम्बन्ध नहीं दीखता। वस्तुतः उनके विषय में यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि वे आर्य-शब्द हैं। इसी तरह प्राकृत भाषाओं में तथा आधुनिक हिन्दी आदि भाषाओं में भी अनेकानेक शब्द ऐसे पाये जाते हैं जिनका संस्कृत या संस्कृत-सम्बन्धी दूसरी भाषाओं से कोई सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता। ऐसे शब्दों के लिए पारिभाषिक शब्द 'देश्य', 'देशज' या 'देशी' है। ऐसे शब्दों के विषय में, विशेषकर जब कि वे अधिकतर द्राविड भाषाओं में पाये जावें, यह निर्णय करना कठिन हो सकता है कि (१) वे वस्तुतः आर्यशब्द हैं; और यद्यपि वे संस्कृत या दूसरी भारतीय आर्य-भाषाओं को छोड़कर किसी और आर्य- (या भारत-यूरोपीय परिवार की) भाषा में नहीं पाये जाते तो भी द्राविड भाषाओं में वे उद्धृत किये हुए ही शब्द हैं; या (२) वस्तुतः वे द्राविड शब्द हैं और द्राविड भाषाओं से संस्कृत आदि भारतीय आर्य-भाषाओं में ले लिये गये हैं।

इस प्रश्न के निर्णय करने के लिए द्राविड भाषाओं के इतिहास के ज्ञान की आवश्यकता है। अभी तक इसके विषय में अधिक काम नहीं हुआ है।

द्राविड भाषाओं के विद्वान् महाशय कैल्डवेल (R. Caldwell) के मतानुसार^१ नीचे दिये हुए संस्कृत शब्द मूल में द्राविड भाषाओं से लिये हुए हैं^२ :—

१. दे० :—*A Comparative Grammar of the Dravidian Languages* (१८५६), पृष्ठ ४३६—४४८

२. प्रोफ़ेसर T. Burrow की हाल में प्रकाशित *The Sanskrit Language* नामक पुस्तक (पृष्ठ० ३८०) के अनुसार निम्न-निर्दिष्ट शब्द मूल में द्राविड भाषाओं से संस्कृत में लिये गये हैं—

अगुरु, उल्लूखल, कज्जल, कठिन, काच, कुटिल, कोण, चिकण, इत्यादि।

अका = माता

अटवी = जङ्गल

आलि = सखी (तेलुगु 'आलु' = स्त्री)

नीर = जल

पट्टन = शहर

पल्ली = एक छोटा ग्राम

मीन = मछली

इतिहास-शास्त्रियों और भाषाविज्ञानियों के अनुसार भारत में आर्यों के आने के समय यहाँ मुंडा और द्राविड पहले से ही बसे हुए थे। पहले उनका फैलाव भारतवर्ष के बहुत बड़े भाग पर था। इसलिए आर्यों के भारत में आने पर उनकी भाषा पर स्वभावतः मुंडा और द्राविड भाषाओं का प्रभाव पड़ा होगा। भाषाविज्ञानियों का अनुमान है कि भारतीय आर्यभाषाओं में मूर्धन्य ध्वनियों का अस्तित्व और 'र' तथा 'ल' का व्यत्यय द्राविड प्रभाव का ही परिणाम है। इसी प्रकार, संस्कृत भाषा के विकास में तिङन्तरूपों के स्थान में 'क्त', 'क्तवु' (= निष्ठाप्रत्ययों) का उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ प्रयोग, तथा लंबे-लंबे समासों का प्रयोग भी द्राविड प्रभाव का ही द्योतक है। इसी प्रकार अन्य बातों में भी आर्य-भाषाओं पर द्राविड भाषाओं का प्रभाव दिखलाया जा सकता है।

१२—द्राविड परिवार से सम्बन्ध रखनेवाली ब्राहुई भाषा

ऊपर (पिछले अधिकरण में) कहा है कि ब्राहुई भाषा को छोड़कर और सारी द्राविड भाषायें अधिकतर दक्षिण भारत में ही पाई जाती हैं। ब्राहुई भाषा क्वेटा के समीप छोटे-से पहाड़ी प्रदेश में बोली जाती है। इसको बोलनेवाले अपनी चारों ओर के ईरानी बोलियों को बोलनेवाले लोगों के साथ शरीर की बनावट के ढङ्ग में बिल्कुल मिलते-जुलते हैं। इसका व्याकरण भी शुद्ध अपने ढङ्ग का न रहकर मिला-जुला हो गया है। परन्तु इसकी रचना की विवेचना से यह सिद्ध होता है कि यह किसी द्राविड भाषा से ही निकली है।

द्राविड भाषाओं के साथ रचना की समानता के होने पर भी, आज-कल उनके साथ इसका कोई दैशिक सम्बन्ध न होने से, और इसके बोलने-

वालों की दैहिक आकृति अन्य ईरानी-भाषा-भाषियों से किसी प्रकार भिन्न न होने से, भाषा-विज्ञानियों और मनुष्य-जाति-विज्ञानियों को इस भाषा की समस्या ने चक्कर में डाल दिया है। इसके विषय में विद्वानों ने भिन्न-भिन्न समाधान दिये हैं। वे ये हैं :—

(१) द्राविड भाषायें किसी समय आज-कल की अपेक्षा उत्तर-पश्चिम में अधिक ऊपर तक, संभवतः समस्त पश्चिमीय समुद्र-तट पर, बोली जाती थीं। ब्राहुई भाषा उनका ही एक टुकड़ा शेष रह गया है। उसको चारों ओर से ईरानी बोलियों ने घेर लिया, और बीच के भाग पर आर्य-भाषाओं ने अधिकार जमा लिया।

(२) यह भी कहा जाता है कि भारत में आने वाली आर्य, शक, हूण, पठान, मुगल आदि जातियों के सहश द्राविड लोग भी भारत में उत्तर-पश्चिम की ओर से आये थे। हो सकता है, आते समय वे अपनी एक छोटी-सी बस्ती मार्ग में छोड़ते आये हों। ब्राहुई बोलनेवाले उसी बस्ती में से हो सकते हैं।

(३) तीसरा समाधान यह है कि द्राविड लोग बड़े प्राचीन काल से पश्चिमीय समुद्र-तट पर व्यापार करते थे। इसी कारण उन्होंने सिन्धु नदी के निचले भाग के आस-पास कहीं पर अच्छी बड़ी बस्ती बसाई होगी। पीछे से उस बस्ती के साथ उनका सम्बन्ध टूट गया। जो लोग वहाँ वचे वे आत्म-रक्षार्थ पहाड़ियों में चले गये; और उन्होंने किसी प्रकार अपनी प्राचीन भाषा को जीवित रक्खा। तो भी अन्तर्जातीय विवाह-सम्बन्ध के कारण उनकी शरीराकृति की विशेषता के सारे चिह्न नष्ट हो गये।

यह स्मरण रहे कि ये सारे समाधान केवल कल्पना-मूलक हैं।

१३—मुण्डा भाषा-परिवार

मुख्यतया छोटा नागपुर में, उसके आस-पास बंगाल और विहार के पहाड़ी और जंगली प्रदेशों में, तथा उड़ीसा, मद्रास, और मध्य-प्रदेश के कुछ जिलों में संथाल लोगों द्वारा तथा कुछ द्राविड प्रदेश के उत्तर

में रहनेवाली दूसरी पिछड़ी जातियों द्वारा बोली जानेवाली मुण्डा भाषायें द्राविड भाषाओं से बिल्कुल भिन्न हैं ।

हिमालय की तराई में बिहार से लेकर शिमला पहाड़ी तक और कदाचित् उसके पश्चिम में भी मुंडा भाषा की बोलियाँ पाई जाती हैं । शिमला पहाड़ी की तरफ की इस बोली को कनावड़ी कहते हैं ।

मुण्डा भाषाओं को बोलनेवाली जातियाँ शरीराकृति की दृष्टि से द्राविड-भाषा-भाषियों के ही ढङ्ग की हैं । इसका कारण यह हो सकता है कि भारत में पहले से रहनेवाली मुण्डा जाति के साथ पीछे से द्राविड भाषाओं को भारत में लानेवाली जाति रत्न-मिलकर एक हो गई हो ।

मुंडा भाषा-परिवार की प्रसिद्ध बोलियाँ संथाली, मुंडारी और शबर हैं ।

ऐसा कहा जाता है कि मुण्डा भाषा ओशोनिया की कुछ भाषाओं से तथा मान्खमेर भाषाओं से कुछ सादृश्य रखती है ।

मुंडा भाषायें रचना या आकृति की दृष्टि से योगात्मक हैं । इनकी कुछ विशेषताओं का प्रभाव आर्य तथा द्राविड भाषाओं पर अवश्य पड़ा है । उदाहरणार्थ, मुंडा में क्रिया-रूपों का बाहुल्य है; और भोजपुरी, मगही और मैथिली, इन बिहारी बोलियों में क्रिया की जटिलता मुंडा के ही प्रभाव का परिणाम जान पड़ती है । कोड़ियों में वस्तुओं को गिनना भी मुंडा भाषाओं का ही प्रभाव है ।^१

यह ध्यान देने योग्य बात है कि मुण्डा बोलियाँ, इनमें किसी प्रकार का साहित्य न होने से, धीरे-धीरे आर्य-भाषाओं के आक्रमण के सामने नष्ट होती जा रही है ।

१. प्रोफेसर T. Burrow की हाल में प्रकाशित The Sanskrit language नामक पुस्तक के अनुसार निम्न-निदिष्ट जैसे संस्कृत शब्द मूल में मुण्डा भाषाओं से लिये गये हैं—

अलाबु, उन्दुह (= चूहा), कदली, कर्पास, जम्बाल (= काई), ताम्बूल, मरिच, लाङ्गल (= हल), सर्पप ।

१४—मान्खमेर भाषा-परिवार

यहाँ मान्खमेर भाषा-परिवार का थोड़ा-सा वर्णन अप्रासङ्गिक नहीं होगा। बर्मा में पेगू में बोली जानेवाली बोलियाँ तथा भारतवर्ष में आसाम में खासी पहाड़ियों की बोलियाँ इसी भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखती हैं। इसका सम्बन्ध अनाम आदि की भाषाओं से भी है। इसी परम्परा से इस भाषा-परिवार का सम्बन्ध एशिया के दक्षिणी टापुओं की तथा प्रशान्त महासागर की बोलियों के साथ कहा जाता है।

ऐसी कल्पना की गई है कि किसी समय इसी टंग की बोलियाँ भारतवर्ष में आज-कल की अपेक्षा अधिक प्रदेश में फैली हुई थीं।

१५—तिब्बत-बर्मीय भाषा-परिवार

भारतवर्ष में वर्तमान भाषा-परिवारों के वर्णन के प्रसङ्ग में, उनके पड़ोस में वर्तमान तिब्बत-बर्मीय भाषा-परिवार का भी कुछ परिचय देना आवश्यक है। इस परिवार की अनेक बोलियों का ठीक प्रकार से अध्ययन अभी तक नहीं किया गया है।

इन भाषाओं की रचना योगात्मक होती है; और इनमें लहजे का भी कुछ प्रयोग किया जाता है।

इस भाषा-परिवार की, जैसा नाम से ही विदित है, मुख्य भाषायें तिब्बती और बर्मी भाषायें हैं। हिमालय की कुछ अनार्य भाषाओं का समावेश भी इस परिवार में किया जाता है। विशेषतः आसाम के उत्तरी और पूर्वी भागों में जहाँ-तहाँ ये बोलियाँ बोली जाती हैं, जिनमें नागा बोलियाँ मुख्य हैं।

तिब्बती भाषा में बौद्ध संस्कृत के आधार पर लिखा हुआ कुछ साहित्य भी है। कई संस्कृत पुस्तकों का पता केवल उनके तिब्बती भाषा में किये गये अनुवादों से ही लगता है। लेख में आनेवाली वर्णमाला भारतवर्ष से ही ली हुई है। परन्तु शब्दों की लिखित वर्णानु-पूर्वी (या हिज्जे) प्राचीन उच्चारण के अनुसार होने से आज-कल के शब्दों के परिवर्तित उच्चारण के साथ नहीं मिलती।

बर्मी भाषा का साहित्य अधिकतर पालि साहित्य के और कुछ संस्कृत पुस्तकों के भी आधार पर लिखा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ लौकिक क्रिस्ता कहानियाँ भी इस साहित्य में हैं।

इस समस्त परिवार की बोलियों का भारतीय संस्कृति तथा भारतीय आर्य-बोलियों के साथ सम्पर्क, विशेषतः बौद्ध-धर्म के कारण, चिरकाल से रहा है। इसी लिए स्वभावतः इनमें भारतीय प्रभाव के लक्षण दिखाई देते हैं।

१६—चीनी भाषा-परिवार

उपर्युक्त भाषा-परिवार के बाद चीनी भाषा-परिवार आता है। इस परिवार में चीनी भाषा सबसे प्रधान है। चीनी भाषा का पर्याप्त वर्णन ऊपर कई स्थानों पर दिया जा चुका है।

चीनी भाषा-परिवार को प्रायः भारत-चीनी भाषा-परिवार का नाम दिया जाता है, और उपर्युक्त मान्खमेर और तिब्बत-वर्मीय दोनों परिवारों को उसका उपभेद मान लिया जाता है। चीनी के साथ पिछले दोनों परिवारों के सादृश्य को देखते हुए ऐसा मानना उचित भी प्रतीत होता है।

१७—अन्य भाषा-परिवार

उपर्युक्त भाषा-परिवारों के अतिरिक्त अनेक और भाषा-परिवार भी हैं; जैसे :—

(१) अमरीकन भाषा-समूह। इसमें अमरीका महाद्वीप के सभी भागों के आदिनिवासियों द्वारा बोली जानेवाली भाषायें सम्मिलित हैं। इन भाषाओं की रचना सामान्यतः बहुसंश्लेषणात्मक होती है, यह हम ऊपर (परि० ४ अधि० ५) बतला चुके हैं। इनमें से मय आदि एक दो भाषाओं में ही कुछ साहित्य वर्तमान है।

(२) अफ्रीकन भाषायें। इनको सामान्यतः बुशमैन भाषा-परिवार (दक्षिण अफ्रीका के आदि निवासियों की बोलियाँ), वन्तू भाषा-परिवार (सारे दक्षिण अफ्रीका में भूमध्यरेखा के नीचे के भाग की बोलियाँ),

और सूडान भाषा-परिवार (अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्यरेखा के उत्तर में पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई भाषायें), इन तीन परिवारों में बाँटा गया है। ये सब प्रायः योगात्मक रचना वाली हैं।

(३) प्रशान्त-महासागरी भाषायें। इनमें प्रशान्त महासागर और हिन्द महासागर के समस्त द्वीपों में, अफ्रीका के दक्षिण-पूर्व में स्थित मैडागास्कर द्वीप से लेकर चाइल के पश्चिम में स्थित ईस्टर द्वीप तक फैली हुई भाषायें सम्मिलित हैं। प्रायः ये सभी भाषायें योगात्मक रचना वाली हैं। इनको कई अवान्तर भाषा-परिवारों में बाँटा जाता है।

(४) काकेशियन भाषासमूह। इस भाषा-समूह में कैस्पियन तथा ब्लैक (कृष्ण) सागरों के मध्य में काकेशस पर्वतमाला के प्रदेशों में बोली जानेवाली जाजिनियन आदि नाम की भाषायें सम्मिलित हैं।

इन सब भाषासमूहों का इस छोटी-सी पुस्तक में वर्णन करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

१८—कुछ अवर्गीकृत भाषायें

कुछ प्राचीन तथा अर्वाचीन भाषायें ऐसी भी हैं जिनका अभी तक निश्चित रीति से वर्गीकरण नहीं हो सका है। उदाहरणार्थ, वास्क (Basque) एक ऐसी ही भाषा है। यह आज-कल स्पेन और फ्रांस की सीमा के पश्चिमी भाग में बहुत थोड़े पहाड़ी प्रदेश में बोली जाती है। इसका यूरोप की क्या, पृथ्वी की किसी भी भाषा से कोई सम्बन्ध नहीं दीखता। यह अपने प्रकार की एक निराली ही भाषा है।

रोम के उत्थान के पूर्व इटली के उत्तरी और मध्य प्रदेश में बोली जानेवाली एट्रस्कन भाषा की गणना भी ऐसी ही भाषाओं में की जाती है।

अर्वाचीन जापानी तथा कोरिया की भाषा का सम्बन्ध भी अभी तक क्लिखी परिवार से नहीं जोड़ा जा सका है।

ग्यारहवाँ परिच्छेद

—:❀:—

भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार

१—भारत-यूरोपीय भाषाओं के वर्ग या उपपरिवार

भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार में अनेक भाषावर्ग या भाषाओं के उप-परिवार सम्मिलित हैं। वे इस प्रकार हैं :—

(१) भारतीय भाषावर्ग या भारतीय आर्य-भाषावर्ग ।

इसमें निम्नलिखित भाषायें सम्मिलित हैं :—

- (क) वैदिक, और रामायण आदि की तथा पिछले कवियों की संस्कृत;
- (ख) पालि, प्राकृत और अपभ्रंश भाषायें;
- (ग) आज-कल की पञ्जाबी, हिन्दी, बङ्गाली, गुजराती आदि भाषायें तथा सिंहली भाषा ।

(२) ईरानी भाषावर्ग । इसमें सम्मिलित भाषायें इस प्रकार हैं :—

- (क) अवेस्तन या पारसियों की धर्म-पुस्तक 'अवेस्ता' की भाषा । इसको 'प्राचीन पूर्वीय ईरानी भाषा' तथा 'प्राचीन वैक्ट्रियन भाषा' भी कहते हैं;
- (ख) प्राचीन फारसी भाषा या 'प्राचीन पश्चिमीय ईरानी भाषा';
- (ग) मध्य-कालीन फारसी या पहलवी;
- (घ) अर्वाचीन साहित्यिक तथा प्रधान फारसी और तत्सम्बन्धी भिन्न-भिन्न प्रादेशिक वोलियाँ ।

प्रायः उपर्युक्त दोनों भाषावर्गों का आर्य-भाषावर्ग या भारत-ईरानी भाषावर्ग के नाम से एक साथ ही विचार किया जाता है। उस दशा में भारतीय आर्य-भाषावर्ग और ईरानी भाषावर्ग दोनों को एक वर्ग का ही उपभेद समझना चाहिये।

भारत-ईरानी भाषावर्ग में हिन्दुकुश के प्रदेश से काश्मीर तक फैली हुई शीना, बशगाली आदि भाषायें भी, जिनमें भारतीय और ईरानी दोनों भाषाओं के लक्षण पाये जाते हैं, सम्मिलित हैं। इन भाषाओं के लिये विविध-भाषा-विज्ञ प्रियर्सन (Sir G. A. Grierson) महोदय ने पैशाची भाषावर्ग का नाम दिया है।

उपर्युक्त दोनों भाषावर्गों को एक भारत-ईरानी भाषावर्ग का उपभेद मानने का कारण यह है कि इन दोनों वर्गों की प्राचीन भाषाओं में घनिष्ठ सम्बन्ध था। दोनों वर्गों में अनेक बातें ऐसी पाई जाती हैं जो अन्य भारत-यूरोपीय भाषाओं में नहीं देखी जातीं। पिछले समय की ईरानी भाषायें, अरबी आदि के प्रभाव के कारण, भारतीय आर्य-भाषाओं से धीरे-धीरे अधिक भिन्न होती गईं।

(३) आर्मीनियन।

(४) ग्रीक भाषावर्ग। इसमें आइओनियन तथा डोरिक आदि प्राचीन प्रादेशिक भाषायें तथा आधुनिक ग्रीक भाषा और उसकी प्रादेशिक बोलियाँ सम्मिलित हैं।

(५) ऐलबैनियन।

(६) इटैलिक भाषावर्ग। इसमें लैटिन, आस्कन, उम्ब्रियन तथा आज-कल की फ्रेंच, इटैलियन, स्पैनिश आदि भाषायें सम्मिलित हैं।

(७) केल्टिक भाषावर्ग। इसमें वेल्श, आइरिश आदि भाषायें सम्मिलित हैं।

(८) ट्यूटानिक या जर्मैनिक भाषावर्ग। इस भाषावर्ग के कई बड़े-बड़े उपवर्ग हैं, जिनका वर्णन नीचे किया जायगा। इसमें गाथिक, स्कैंडिनेवियन भाषाएँ और पश्चिमीय जर्मैनिक भाषायें (अंगरेजी, जर्मन आदि) सम्मिलित हैं।

(८) बाल्टिक-स्लैवोनिक भाषावर्ग । इसमें बाल्टिक (= लिथु-
आनियन आदि भाषाये) और स्लैवोनिक (= रूसी आदि
भाषायें) दो उपवर्ग सम्मिलित हैं ।

(१०) टोखारिश् (या तोखारी) । इस भाषा का जर्मन विद्वानों
ने कुछ समय पूर्व ही पूर्वीय तुर्किस्तान में पता लगाया है ।

(११) हिट्टाइट । इस भाषा का भी वर्तमान शताब्दी (ईस्वी) के
प्रारम्भ में ही एशिया माइनर में वोगाज़कोई नामक स्थान की
खुदाई में प्राप्त प्राचीन उत्कीर्ण लेखों के आधार पर पता
लगाया गया है ।

२—भारतीय आर्यभाषावर्ग

इस भाषावर्ग के विषय में ऊपर (परि० ५, अधि० ३) थोड़ा-सा
कहा जा चुका है । इसके विषय में एक पृथक् पुस्तक लिखने का हमारा
विचार है । इसलिए यहाँ पर अधिक विचार इसके विषय में न करके
केवल सामान्य बातों का कुछ वर्णन किया जाता है ।

इस भाषावर्ग का महत्त्व संसार के किसी भी भाषावर्ग के महत्त्व से
अधिक है । (१) किसी भी प्राचीन भाषा का साहित्य इतना विस्तृत नहीं
जितना केवल संस्कृत का । ग्रीक और लैटिन दोनों भाषाओं का साहित्य
मिलकर विस्तार में संस्कृत साहित्य से कम रहता है । (२) वैदिक, बौद्ध,
जैन आदि कई धर्मों का साहित्य इस वर्ग में मिलता है । (३) प्राचीनता
भी वैदिक साहित्य की अत्यधिक है । (४) भाषा-विज्ञान का तो एक
विज्ञान के रूप में प्रारम्भ ही संस्कृत के यूरोप में प्रवेश होने पर हुआ है ।^१

१. तु० "As a historical fact, the scientific study of
human speech is founded upon the comparative
philology of the Indo-European Languages, and this
acknowledges the Sanskrit as its most valuable means
and aid." (Whitney, *Language and its Study.*)

भारतीय आर्य-भाषाओं को, जैसा ऊपर (परि० ५, अधि० ३) कह चुके हैं, सामान्यतः तीन भागों में बाँटा जा सकता है—प्राचीन-कालीन, मध्यकालीन, और आधुनिक भाषायें।

प्राचीन-कालीन भारतीय आर्यभाषा का साहित्यिक रूप वेदों, ब्राह्मणों, सूत्रों, रामायण, महाभारत और पीछे की पुस्तकों तथा शिला-लेखों आदि की संस्कृत द्वारा सुरक्षित है। प्रारम्भ में यह साहित्यिक भाषा बोलने की भाषा से मिलती-जुलती रही होगी; परन्तु धीरे-धीरे कालान्तर में इन दोनों में बड़ा भेद पड़ गया और साहित्यिक भाषा में बहुत अधिक कृत्रिमता आ गई।

मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा का साहित्य पालि और भिन्न-भिन्न प्राकृत भाषाओं में मिलता है। उच्चारण तथा व्याकरण दोनों की दृष्टि से ये भाषायें प्राचीन-कालीन भारतीय आर्यभाषा से बहुत परिवर्तित हैं। इनके उच्चारण और व्याकरण में और भी परिवर्तन होने से आधुनिक ढंग की भाषाओं का प्रारम्भ हुआ। मध्य-कालीन भाषाओं के ज्ञान के लिए हमें भिन्न-भिन्न समय और प्रदेश के लेखों से सहायता मिल सकती है। इन लेखों में खुदे हुए लेखों के साथ-साथ पुस्तकें भी हैं। शिला-लेखों में सबसे अधिक प्रसिद्ध अशोक के धर्मलेख हैं। पुस्तकों में पालि भाषा में लिखी हुई दक्षिणी या हीनयानीय बौद्धों की धर्म-पुस्तकें, प्राकृत भाषा में लिखी हुई जैनियों की धर्म-पुस्तकें, छोटे बड़े प्राकृत के काव्य और नाटक, तथा प्राकृत में लिखे हुए कुछ व्याकरण-ग्रन्थ मुख्यतया सम्मिलित हैं।

भाषा के अवन्तर भेदों के कारण मध्य-कालीन भाषा को भी (१) प्राचीन प्राकृत (या पालि), (२) मध्यप्राकृत, और (३) अन्त्य प्राकृत (या अपभ्रंश), इस तरह तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। उपर्युक्त मध्यकालीन भाषा के खुदे हुए लेखों और पुस्तकों की भाषा प्रायेण प्रथम दो प्रकार की है। अन्त्य प्राकृत या अपभ्रंश से आशय मध्य-कालीन भारतीय आर्य-भाषाओं की उस अन्तिम अवस्था से है जो पुस्तकों की प्राकृत और आधुनिक भाषाओं की प्रारम्भिक अवस्था के बीच में रही थी। अपभ्रंश भाषायें प्रायः पुस्तकों के लिखने के काम में नहीं लाई गईं। दुर्भाग्य-वश अपभ्रंशों के स्वरूप के विषय में हमारे पास बहुत थोड़ी सामग्री है। जो कुछ है उससे प्राकृत भाषाओं

से आधुनिक भाषाओं के विकास के समझने में बड़ी सहायता मिलती है।

आधुनिक भारतीय आर्य-भाषाओं के प्रारम्भ का समय क्या है, इसके विषय में अभी तक ठीक-ठीक निश्चय न हो सका है। हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत-व्याकरण में, जो बारहवीं शताब्दी (ईस्वी) में लिखा गया था, अपभ्रंश का भी वर्णन किया है। पश्चिमी हिन्दी में अति प्रसिद्ध प्राचीन काव्य चंद्र बरदाई का लिखा हुआ पृथ्वीराज-रासो है। इसका समय १२०० ईस्वी के लगभग है।

आधुनिक भारतीय आर्य-भाषाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है^१—

- (१) केन्द्रस्थ या आभ्यन्तर-प्रदेशस्थ भाषा—पश्चिमी हिन्दी।
- (२) मध्यवर्ती या अवान्तरवर्ती भाषायें—पञ्जाबी, गुजराती, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी हिन्दी।
- (३) बाह्य प्रदेशस्थ भाषायें—
 - (क) उत्तर-पश्चिमी भाषायें—सिन्धी, लहँदा, काश्मीरी, कोहिस्तानी;
 - (ख) दक्षिणी भाषा—मराठी;
 - (ग) पूर्वी भाषायें—बंगाली, आसामी, बिहारी, उड़िया।

३—ईरानी भाषावर्ग

इसका वर्णन अगले परिच्छेद में किया जायगा।

१. देखिये—*Imperial Gazetteer of India, new edition.*
जिल्द १, पृ० ३६४ आधुनिक भारतीय आर्य-भाषाओं के वर्गीकरण के सम्बन्ध में विभिन्न मतों के विशेष विचार के लिए देखिये—डा० धीरेन्द्रवर्मा कृत 'हिन्दी भाषा का इतिहास' (भूमिका)।

४—आर्मीनियन भाषा

आर्मीनियन भाषा में आज-कल जो साहित्य मिलता है वह लगभग ४०० ईस्वी के बाद का है। इस समय से पहले भी इस भाषा का देवालियों से सम्बन्ध रखनेवाला कुछ अपना साहित्य था। वह ईसा की चौथी और पाँचवीं शताब्दी में ईसाई पादरियों ने बिलकुल नष्ट कर दिया और उसकी अब मुश्किल से बीस पंक्तियाँ शेष हैं। इसके पीछे का साहित्य प्रायेण ईसाई धर्म से सम्बन्ध रखता है। आज-कल की आर्मीनियन भाषा में एक साहित्यिक भाषा के साथ-साथ कुछ प्रादेशिक बोलियाँ भी सम्मिलित हैं।

आर्मीनियन भाषा पर दूसरी भाषाओं का बहुत कुछ प्रभाव पड़ा है। सरी भाषाओं में अनार्य और आर्य दोनों प्रकार की भाषायें सम्मिलित हैं। सीरिऐक-भाषा-भाषियों के साथ दक्षिण और पूर्व में अधिक सम्पर्क रहने से तथा पीछे से अरब जाति की विजय के कारण इस भाषा पर सेमिटिक भाषाओं का बड़ा प्रभाव पड़ा है। एशिया-माइनर के किनारे की आर्मीनियन बोली में तातारी या तुर्की शब्द भरे पड़े हैं।

चिरकाल तक ईरान देश का आर्मीनिया पर राजनीतिक प्रभाव रहने से आर्मीनियन भाषा में प्राचीन और मध्य-कालीन फारसी के शब्दों की बड़ी भारी संख्या पाई जाती है। ये शब्द इतने अधिक हैं कि कुछ दिनों तक आर्मीनियन भाषा एक ईरानी भाषा ही समझी जाती रही। परन्तु अब ऐसा नहीं समझा जाता। फारसी और दूसरी भाषाओं के शब्दों के पृथक् कर देने पर आर्मीनियन भाषा का जो असली स्वरूप रह जाता है वह उच्चारण और व्याकरण दोनों की दृष्टि से भारत-ईरानी भाषावर्ग से इसे पृथक् करता है। आर्मीनियन भाषा भारत-ईरानी भाषावर्ग और वाल्टिक-स्लैवोनिक भाषावर्ग के बीच की भाषा प्रतीत होती है। परन्तु अभी तक भाषा-विज्ञान की दृष्टि से इसका पूरा-पूरा अनुसन्धान नहीं हुआ है।

इसकी व्यञ्जन-माला में यूरोपीय भाषाओं की अपेक्षा भारत-ईरानी भाषावर्ग के साथ अधिक समानता पाई जाती है। उदाहरणार्थ, 'दस' का पर्याय-वाची आर्मीनियन *tasn* शब्द लैटिन *decem* (c=क) और

ग्रीक *déka* की अपेक्षा संस्कृत 'दश (-न्)' और फ़ारसी 'दह' से अधिक समानता रखता है। परन्तु इनकी तरह घोष और अघोष वर्णों का भेद आर्मीनियन में नहीं किया जाता। स्वरों के विषय में आर्मीनियन यूरोपीय भाषाओं से कुछ अधिक मिलती है। ह्रस्व 'ए' (e) और 'ओ' (o) यूरोपीय भाषाओं की तरह आर्मीनियन में भी विद्यमान हैं।

५—एशिया-माइनर की भारत-यूरोपीय भाषाएँ

इसमें कोई सन्देह नहीं कि किसी पुराने समय में एशिया-माइनर में भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखनेवाली अनेक बोलियाँ बोली जाती थीं। यहाँ की प्राचीन फ़िजियन और लिस्सियन भाषाओं का इसी परिवार से सम्बन्ध था, यह तो निश्चित ही है। लिस्सियन भाषा के अनेक प्राचीन लेख मिलते हैं; इनमें से कुछ ग्रीक और लिस्सियन दोनों भाषाओं में हैं। फ़िजियन भाषा के कुछ प्राचीन लेख तो फ़िजिया में ही मिले हैं; इसके अतिरिक्त इस भाषा के अनेकानेक शब्द ग्रीक और लैटिन के प्राचीन साहित्य में आये हैं।

यह सम्भव है कि आर्मीनिया और ग्रीस देश के मध्य प्रदेश में आजकल, भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की किसी भाषा के न बोले जाने से, जो इस परिवार की शृङ्खला टूट जाती है वह प्राचीन काल में इन्हीं भाषाओं द्वारा जुड़ी रही होगी।

६—ग्रीक भाषा-वर्ग

इसमें प्राचीन ग्रीक भाषा की प्रधान साहित्यिक भाषा और प्रादेशिक बोलियाँ तथा भिन्न-भिन्न प्रादेशिक बोलियों के साथ-साथ आधुनिक ग्रीक भाषा भी सम्मिलित है। इस भाषा-वर्ग के अध्ययन के लिए भाषा-विज्ञानी को प्राचीन साहित्य से बड़ी सहायता मिल सकती है। ग्रीक भाषा में लिखी हुई महाकवि होमर (Homer) के नाम से प्रसिद्ध कविताओं (महाकाव्य इलियड और ओडेसी) द्वारा इस भाषा का कम से कम क्राइस्ट से १००० या ८०० वर्ष पहले का स्वरूप सुरक्षित है। ग्रीक भाषा का प्रसिद्ध लेखक एस्काइलस (Aeschylus) ग्रीस और

फारिस के युद्ध के समय अर्थात् क्राइस्ट से पूर्व पाँचवीं शताब्दी में विद्यमान था। इसके अतिरिक्त, साहित्य और प्राचीन खुदे हुए लेखों से प्राचीन प्रादेशिक भाषाओं के विषय में भी, जो परस्पर बहुत कुछ भेद रखती थीं^१, पर्याप्त जानकारी हो सकती है।

यूरोप की समस्त भाषाओं में से ग्रीक भाषा का भारत-ईरानी भाषा-वर्ग से घनिष्ठ सम्बन्ध है। ग्रीक भाषा के शब्दों के विवेचन से तथा ग्रीक और संस्कृत व्याकरणों की परस्पर तुलना से भारत-यूरोपीय भाषाओं की मूल-भाषा के स्वरूप के निर्णय करने में और अनेक प्रकार के उच्चारण-सम्बन्धी परिवर्तनों के उदाहरणों के दिखाने में बड़ी भारी सहायता मिलती है।

जहाँ तक स्वरों का सम्बन्ध है, यह कहा जा सकता है कि ग्रीक भाषा ने प्राचीन मूल-भाषा के स्वरों को बहुत अधिक सुरक्षित रखा है। उदाहरणार्थ, जहाँ मूल-भाषा के ह्रस्व *e, o* संस्कृत में 'अ' हो गये, वहाँ ग्रीक भाषा में वे ज्यों के त्यों सुरक्षित रहे। जैसे—

मूलभाषा	संस्कृत	ग्रीक
* <i>ésti</i>	अस्ति ^१	<i>ésti</i>
* <i>génos</i>	जनः ^१	<i>génos</i> ^०
* <i>dómos</i>	दमस् (घर) ^१	<i>dómos</i>
* <i>dedórka</i>	दुदर्श ^१	<i>dédorka</i>

परन्तु व्यञ्जनों को ग्रीक भाषा ने बहुत कम सुरक्षित रखा। इस बात का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण मूल-भाषा के *gh, dh, bh* के स्थान में ग्रीक भाषा में क्रम से *kh (x), th (θ), ph (φ)* का हो जाना है। संस्कृत में इनमें परिवर्तन नहीं होता। उदाहरणार्थ,

संस्कृत	ग्रीक
दीर्घः, तुलना करो :—	<i>dolikhós</i>
धूमः	<i>thūmós</i>
भरामि	<i>phérō</i>

१. उदाहरणार्थ, अश्व-वाची *hippos* और *ikkos* दोनों शब्द लेख द्वारा सुरक्षित विभिन्न प्राचीन प्रादेशिक बोलियों में पाये जाते हैं।

ग्रीक भाषा में व्यञ्जन शब्दों के अन्त में अधिकतर नहीं पाये जाते ।

ऊपर दिखलाये गये उदाहरणों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत, विशेषतः वैदिक भाषा, के समान उदात्त आदि स्वर ग्रीक भाषा में भी पाये जाते हैं, और दोनों भाषाओं के शब्दों में प्रायः स्वरों की समानता होती है ।

व्याकरण के विषय में, जहाँ तक धातुओं के रूपों का सम्बन्ध है, वैदिक भाषा को छोड़कर, कोई भी भारत-यूरोपीय भाषा रूपों की बहुतायत में ग्रीक भाषा की समानता नहीं कर सकती । परन्तु नामों के रूपों में यह बहुत अपूर्ण है ।

संस्कृत के समान ग्रीक भाषा में भी द्विवचन पाया जाता है ।

ग्रीक भाषावर्ग की सबसे मुख्य भाषाओं का वर्णन नीचे दिया जाता है :—

(१) आइओनियन—प्राचीन काल में एशिया माइनर के पश्चिमीय समुद्रतट के मध्य-भाग की तथा कुछ द्वीपों की बोलियाँ, और ऐटिका (Attica) की भाषा इस में प्रधानतया सम्मिलित हैं । ऐटिका के मुख्य नगर एथेन्स की राजनीतिक प्रधानता के कारण ऐटिका की भाषा (=ऐटिक ग्रीक) ग्रीस देश में गद्य तथा, खण्ड काव्यों को छोड़, पद्य की भी प्रधान भाषा बन गई थी । ग्रीस देश के एस्काइलस (Aeschylus) सोफोक्लीज (Sophocles), प्लैटो (Plato) और अरिस्टाटिल (Aristotle) जैसे प्रसिद्ध लेखकों और तत्त्ववेत्ताओं के ग्रन्थ इसी भाषा में लिखे गये हैं ।

ऐटिका की भाषा के आधार पर ही पीछे से (=ई० पू० चौथी सदी से) ग्रीस देश भर की सामान्य भाषा (=koine) का विकास हुआ । यह सारे ग्रीक जगत् में काम में लाई जाती थी । इसी को 'हेलेनिस्टिक ग्रीक' (Hellenistic Greek) भी कहा जाता है । ईसाइयों की धर्मपुस्तक 'नव-विधान' (New Testament) की यही भाषा है ।

भौगोलिक तथा अन्य कारणों से ग्रीस देश के नगर, जो भिन्न-भिन्न स्वतन्त्र राज्यों में विभक्त थे, कभी इकट्ठे होकर अपने या दूसरों के शासन करने में समर्थ न हो सके। परन्तु उनकी संस्कृति के उत्कर्ष के कारण ग्रीक भाषा का आधिपत्य भू-मध्य-सागर के आस-पास की आधी दुनियाँ पर जम गया था। रोमन साम्राज्य के दिनों, जब कि ग्रीस देश भी उसी के अन्दर था, ग्रीस देश में ही नहीं, किन्तु एशिया-माइनर, सीरिया और मिस्र देशों में भी राष्ट्र तथा वाणिज्य की भाषा ग्रीक ही थी। ग्रीको-बैक्ट्रियन राज्य (ईसा से पूर्व लगभग २५० से २५ तक) में भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर भी ग्रीक भाषा बोली जाती थी।

ग्रीक भाषा को इस प्रकार कुछ काल के लिए अनेक देशों में व्यवहृत होने के कारण एक 'संसार-भाषा' का पद मिल गया था। इसको इस पद से गिरानेवाली लैटिन भाषा न थी। किन्तु सीरिया और मिस्र देश में अरबी भाषा ने और एशिया-माइनर तथा कुस्तुनतुनिया में, जो कि यूरोप के पूर्वीय विजेन्टाइन साम्राज्य का केन्द्र-स्थान था, तुर्की भाषा ने ही ग्रीक भाषा को उक्त पद से गिराया।

(२) डोरिक ग्रीक—स्पार्टा के निवासियों की, जिनको लेसीडे-मोनियम (Lacedaimonians) भी कहा जाता है, यह भाषा थी। ये लोग ग्रीस देश के दक्षिणी प्राय-द्वीप में पीछे से आकर बसे थे। अपने विस्तार के दिनों में यह भाषा लगभग समस्त पेलापोनीसुस (peloponnesus) में, कुछ द्वीपों में और इटली के दक्षिण में ग्रीक लोगों की बस्तियों में बोली जाती थी। पिन्दर (Pindar) कवि के गीत, कुछ खण्ड-काव्य और दुःखान्त नाटकों में 'कोरस' (या अनुपद) इस भाषा का मुख्य साहित्य है।

ग्रीस देश की प्राचीनतर सभ्यता

यहाँ पर यह बतला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्रीस देश की डोरियन आदि जातियाँ जिनका इतिहास मे वर्णन है और जिनकी भाषायें ग्रीक भाषावर्ग में सम्मिलित हैं ग्रीस देश में सदा से रहनेवाली न थीं। वे जिन स्थानों में जाकर बसीं वे चिरकाल पहले दूसरी सभ्यता के केन्द्र रह चुके थे। उस प्राचीनतर सभ्यता को विद्वानों ने 'ईजियन सभ्यता'

(Aegean Civilization) का नाम दिया है। इसी सभ्यता को 'मिनोन सभ्यता' (Minoan = प्राचीन Crete से सम्बन्ध रखने वाली) या 'मसेनियन सभ्यता' (Mycenaean = दक्षिण ग्रीस के Mycenae नगर से सम्बन्ध रखनेवाली) के नाम से पुकारा जाता है। ईजियन समुद्र के आस-पास के स्थानों में अनेक चिह्न इस सभ्यता के मिले हैं। क्रीट (Crete) द्वीप को इस सभ्यता का मूलस्थान बतलाया जाता है। इस सभ्यता की स्थिति लगभग तीन सहस्र वर्ष तक रही होगी, ऐसा पुरातत्त्ववेत्ताओं का अनुमान है। इस सभ्यता की अनुगामी जाति के विषय में या उसकी भाषा के विषय में अब तक कुछ विशेष नहीं कहा जा सकता।

७—एल्वैनियन भाषा

इस भाषा में प्राचीन साहित्य बिलकुल नहीं है। ईसा की सत्रहवीं शताब्दी से ही कुछ साहित्य मिलता है, और वह प्रायः या तो दूसरी भाषाओं से अनुवाद किया गया है, या ईसाई पादरियों द्वारा लिखा गया है।

इस भाषा ने भाषा-विज्ञानियों का अच्छा ध्यान आकर्षित किया है। परन्तु प्राचीन साहित्य के न होने से इस भाषा के विवेचन में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। क्योंकि प्राचीन साहित्य के अभाव में शब्दों आदि का प्राचीन स्वरूप क्या था और उनका कैसे-कैसे विकास हुआ, यह ठीक तरह निश्चय नहीं किया जा सकता।

लैटिन, इटैलियन, ग्रीक, स्लैवोनिक और तुर्की भाषाओं के अनेकानेक शब्द इस भाषा में सम्मिलित हो गये हैं। इसलिए अनेक आधुनिक शब्दों के विषय में यह निश्चय करना कठिन है कि वे एल्वैनियन भाषा के ही प्राचीन शब्दों से निकले हैं या दूसरी भाषाओं से उद्भूत शब्दों के रूपान्तर हैं। तो भी इसके स्वरूप पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह अपनी पड़ोसी भारत-यूरोपीय भाषाओं में से किसी की शाखा न होकर उनकी सम-कक्ष एक स्वतन्त्र भाषा है। वस्तुतः इसको भारत-यूरोपीय परिवार की एक स्वतन्त्र भाषा थोड़े दिनों से ही माना जाने लगा है।

८—इटैलिक भाषा-वर्ग

इस भाषा-वर्ग को लैटिन भाषा-वर्ग कहने में भी अधिक आपत्ति नहीं। क्योंकि इस भाषा-वर्ग की प्राचीन साहित्यिक भाषा लैटिन ही थी। लैटिन के ही किसी न किसी रूप से आधुनिक सारी इटैलिक (या 'रोमान्स') भाषायें निकली हैं। परन्तु तो भी इसके लिए 'लैटिन भाषा-वर्ग' यह नाम समुचित न होगा; क्योंकि प्राचीन समय में जब कि लैटिन भाषा इटली देश में बोली जाती थी लैटिन भाषा से सम्बन्ध रखनेवाली, पर उससे स्वतन्त्र, आस्कन, उम्ब्रियन जैसी कुछ और भाषायें भी थीं, जिनका समावेश इटैलिक शब्द में तो हो सकता है, परन्तु लैटिन शब्द में नहीं हो सकता।

इटैलिक भाषा-वर्ग की लैटिन भाषा की समकक्ष प्राचीन भाषायें प्रायः चिर-काल से लैटिन और उससे निकली हुई भाषाओं के दबाव से नष्ट हो गईं। उनमें से मुख्य करके आस्कन और उम्ब्रियन इन दो भाषाओं के ही कुछ प्राचीन लेख अवशिष्ट हैं। आस्कन दक्षिण इटली में और उम्ब्रियन इटली के कुछ उत्तरीय भाग में बोली जाती थी। लैटिन भाषा के प्राचीन लेख ईसा से लगभग ३०० वर्ष पूर्व तक के मिलते हैं। उनकी भाषा पिछली साहित्य की परिष्कृत लैटिन से बहुत भिन्न है।

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि प्राचीन काल में इटली देश में केवल इटैलिक भाषायें ही नहीं बोली जाती थीं। उनके अतिरिक्त उत्तर में केल्टिक, दक्षिण में ग्रीक और टस्कनी में एट्रस्कन (= एट्रिस्का की प्राचीन भाषा) भाषा बोली जाती थी। एट्रस्कन कोई आर्य-भाषा न थी। अब तक इसका वर्गीकरण भी निश्चय-पूर्वक न हो सका है। रोमन लोगों ने अनेक रीति-रिवाज एट्रियन लोगों से लिए; परन्तु उन लोगों की भाषा जीवित न रहकर धीरे-धीरे नष्ट हो गई।

एक छोटे-से राज्य के रूप से उन्नति करते-करते रोम नगर ने रोमन साम्राज्य का रूप धारण किया। उसके अभ्युदय के साथ-साथ लैटिन भाषा का भी विस्तार होता गया। दूसरी इटैलिक भाषाओं को दबाकर, इटैलिक भाषाओं से भिन्न केल्टिक आदि भाषाओं का स्थान भी लैटिन ने ले लिया। यही नहीं, विजयोन्मुखी रोमन सेनाओं के साथ फैलते-फैलते

लैटिन भाषा ने फ्रांस की केल्टिक बोलियों को और स्पेन की आइवीरियन भाषा को अभिभूत कर धीरे-धीरे नष्ट कर दिया, और यह उत्तर में ब्रिटेन तक और दक्षिण में अफ्रीका के उत्तरी भागों तक फैल गई।

रोमन सेनाओं और उनकी बस्तियों की कुछ विकृत लैटिन भाषा से ही आधुनिक फ्रेंच, स्पैनिश, रुमानियन आदि भाषाओं की उत्पत्ति हुई। इन्हीं भाषाओं को रोमान्स भाषायें भी कहा जाता है। इन भाषाओं का कुछ वर्णन नीचे दिया जाता है।

(१) फ्रेंच भाषा। इस भाषा का केन्द्र सदा से पैरिस नगर रहा है। इसी का दूसरा रूप प्रावेशल भाषा है जो फ्रांस के दक्षिण में बोली जाती है और अपना स्वतन्त्र साहित्य रखती है। परन्तु प्रावेशल भाषा फ्रेंच भाषा की बराबरी नहीं कर सकती। फ्रेंच भाषा पहले फ्रांस के दरबार की भाषा रही। यही फ्रांस के प्रजा-सत्तात्मक शासन की भाषा रही है। यही नहीं, इसको संसार-भाषाओं में से एक भाषा गिना जाता है।

(२) इटैलियन भाषा। यूरोपीय इतिहास के मध्य-काल के आरम्भ के दिनों में रोम के ऊपर जो आपत्तियाँ आईं उनके कारण इटली के प्राचीन-कालीन भाषा-विषयक आधिपत्य को भी धक्का लगा। इटली अनेक छोटी-छोटी रियासतों में छिन्न-भिन्न हो गई। इसी कारण उन छोटी-छोटी रियासतों के मुख्य-मुख्य नगरों में भिन्न-भिन्न स्थानीय भाषाओं ने प्रधानता पा ली। ऐसी अवस्था में इटली के सबसे बड़े महा-कवि दान्ते (Dante) का जन्म फ्लारेंस नगर में १२६५ ईस्वी में हुआ। इन्होंने अपनी कविता फ्लारेंस की भाषा में ही की। इसके पीछे विद्या-सम्बन्धी पुनरुज्जीवन (Renaissance) में भी फ्लारेंस नगर ने बड़ा भाग लिया। इन सब कारणों से फ्लारेंटाइन या फ्लारेंस की भाषा के साहित्यिक रूप को इटली देश की संस्कृति और सभ्यता की प्रधान भाषा का पद प्राप्त हुआ।

पुस्तकें और समाचारपत्र इटली देश में आज-कल मुख्यतया इसी फ्लारेंस की भाषा में लिखे जाते हैं।

ऐसा होने पर भी, शिचित्त लोगों में भी, भिन्न-भिन्न स्थानों की बोल-चाल की भाषा में प्रादेशिक भेद पाया जाता है। उदाहरणार्थ, वेनिस की

बोल-चाल की भाषा नेपिल्स या मेसिना की बोल-चाल की भाषा से, शिक्षित लोगों में भी, बहुत कुछ भिन्न है। वस्तुतः यह भेद स्पैनिश या अंगरेज़ी आदि भाषाओं में जितना प्रादेशिक भेद पाया जाता है उससे अधिक है।

(३) स्पैनिश और पोर्तुगीज़ भाषाये'। आइबीरियन प्रायद्वीप अर्थात् स्पेन और पोर्तुगाल का भी भाषा-विषयक इतिहास बड़ा जटिल है। स्पैनिश भाषा की प्रादेशिक भाषाओं में जितना परस्पर भेद है, स्पैनिश और पोर्तुगीज़ भाषाओं का परस्पर भेद उससे अधिक नहीं है। ऐसा होने पर भी, राजनीतिक कारणों से उपर्युक्त दोनों देशों में ये भाषायें यथाक्रम प्रधान मानी जाती हैं।

स्पेन देश के अतिरिक्त दक्षिणी अमरीका के अधिक भाग में व्यवहृत होने से स्पैनिश भाषा भी संसार-भाषाओं में से एक है।

(४) रूमनियन भाषा। यह भाषा डैन्यूब नदी पर बसी हुई रोमन वस्तियों की भाषा से निकली है। इसमें कुछ अति पुराने लक्षण अब भी पाये जाते हैं। इस भाषा पर स्लैव भाषाओं का बहुत कुछ प्रभाव पड़ा है।

९—भारतीय आर्य-भाषा-वर्ग^१ और इटैलिक भाषा-वर्ग^२ की समानताये'

भारतीय आर्य-भाषाओं के इतिहास के साथ इटैलिक भाषा-वर्ग का इतिहास अनेक समानताये रखता है :—

(१) दोनों में से प्रत्येक में साहित्य की एक ऐसी प्राचीन परिष्कृत भाषा (संस्कृत या लैटिन) वर्तमान है जो प्राचीन काल की बोलने की भाषा के बदल जाने पर भी शताब्दियों तक किसी न किसी रूप में व्यवहार में लाई जाती रही।

(२) संस्कृत और लैटिन दोनों ही शताब्दियों तक धर्म गुरुओं, धर्मशास्त्रियों और दूसरे विद्वानों के—जो भिन्न-भिन्न प्रादेशिक बोलियों (जैसे फ्रेंच और स्पैनिश आदि को यूरोप में, और भिन्न-भिन्न सर्व-

साधारण की भाषाओं को भारतवर्ष में) और भिन्न-भिन्न भाषाओं (जैसे इंग्लैरियन, जर्मन आदि, और तामिल, महाराष्ट्री आदि) को बोलते थे— परस्पर व्यवहार की भाषायें रही हैं।

(३) संस्कृत की तरह लैटिन भी कुछ समय पहले तक धर्म, दर्शन और विज्ञान-विषयक साहित्य की भाषा थी।

(४) दोनों भाषा-वर्गों में प्राचीन भाषा का स्थान उनसे निकली हुई अनेक आधुनिक भाषाओं ने ले लिया है।

(५) रोमांस भाषाओं के विकास में जिस प्रकार के उच्चारण तथा व्याकरण-सम्बन्धी परिवर्तन हुए हैं, उसी प्रकार के परिवर्तन भारतीय प्राकृत भाषाओं के इतिहास में दिखलाये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, जैसे लैटिन भाषा के दो विभिन्न व्यञ्जनों के संयोग के स्थान में इटैलियन आदि भाषाओं में दो समान व्यञ्जनों का संयोग हो जाता है, इसी तरह का परिवर्तन संस्कृत से पालि में भी देखा जाता है; जैसे:—

लैटिन	इटैलियन	संस्कृत	पालि
septem	sette	सप्त (-न्)	सत्त
octo	otto	अष्ट (-न्)	अट्ठ

नीचे हम कुछ संस्कृत शब्दों के साथ साथ लैटिन तथा इटैलियन भाषा के शब्दों को देते हैं। इन से भारतीय आर्य-भाषावर्ग के साथ इटैलिक भाषावर्ग की समीपता अधिक स्पष्ट हो जायगी :—

संस्कृत	लैटिन	इटैलियन
पितर्-	pater	padre
मातर्-	mater	madre
भ्रातर्-	frater	fratello
जनितर्-	genitor	genitore
द्वि-	duo (पुं०, नपुं०)	due
त्रि-	tria (नपुं०)	tre
चत्वारः (पुं०)	quattuor	quattro
पञ्च	quinque	cinque

संस्कृत	लैटिन	इटैलियन
षट्	sex	sei
सप्त	septem	sette
अष्टौ	octo	otto
नव	novem	nove
दश	decem	dieci
विंशतिः	viginti	venti
शतम्	centum	cento
युवा	juvenis	giovine
नक्तम्	nox, noctis	notte
नौः	navis	nave
नवः (= नया)	novus	nuovo
वचस्	} vox	voce
वाक्		
मृत्युः	} mors, mortis	morte
गौः		
राः ('रै' से) = धन	res	(ricchezza)
अस्ति	est	e
सन्ति	sunt	sono
दिवसम्	dies	di
देवः	dei, deus	dio

परन्तु उपर्युक्त समानताओं के साथ-साथ यह स्मरणा रहे कि जहाँ इटैलिक भाषाओं की भिन्न-भिन्न ऐतिहासिक अवस्थाओं को दिखलानेवाले उनके समकालीन प्राचीन लेख विस्तार से मिलते हैं, जिनके आधार पर बहुत अंश तक उनके एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी में तथा प्रान्त-भेद से होनेवाले परिवर्तनों को आसानी से बतलाया जा सकता है, वहाँ भारतीय आर्य-भाषाओं के विषय में, जिनका विस्तार काल की दृष्टि से इटैलिक भाषाओं की अपेक्षा कहीं अधिक है, लेखबद्ध समकालीन साक्ष्य कम मिलता है।

उपर्युक्त विकास-सम्बन्धी समानता के आधार पर ही यह स्पष्ट है कि भारतीय आर्य-भाषाओं के इतिहास में जहाँ कहीं प्राचीन लेख-वद्ध साक्ष्य की कमी है उसकी पूर्ति बहुत अंश तक इटैलिक भाषाओं की परम्परा-वद्ध ऐतिहासिक दशाओं के ज्ञान से की जा सकती है ।

१०—केल्टिक भाषा-वर्ग

इस भाषा-वर्ग से सम्बन्ध रखनेवाली भाषायें आज-कल यूरोप के सबसे पश्चिमी छोर में पाई जाती हैं । परन्तु इसका प्रमाण मिलता है कि किसी समय यूरोप के और भागों में भी इस वर्ग की भाषायें बोली जाती थीं । इस वर्ग से सम्बन्ध रखनेवाली भाषायें इस प्रकार हैं :—

(१) प्राचीन गालिश (Old Gaulish) । यह रोम के सम्राट् प्रथम सीज़र (Caesar) के समय में बोली जाती थी । इस भाषा के कुछ शब्द ग्रीक और रोमन लेखकों के लेखों में पाये जाते हैं । कुछ शिला-लेखों और सिक्कों में भी यह पाई जाती है ।

(२) आइरिश । इसको एर्स (Erse) भी कहा जाता है । यह अब भी आइरलैंड के पश्चिमी किनारे पर बोली जाती है । इसमें मध्यकालीन साहित्य बहुत कुछ विद्यमान है । आइरलैंड में आज कल इस भाषा के पुनरुद्धार की बड़ी चेष्टा हो रही है । अब तक इस देश में अंगरेजों के राजनीतिक प्राधान्य के कारण इस भाषा को बड़ा धक्का लगा; परन्तु अब बोलने और पढ़ने में इसके प्रचार के आधिक्य के लिए बड़ा आन्दोलन जारी है ।

(३) वेल्श । आइरलैंड में आइरिश की अपेक्षा वेल्स में वेल्श भाषा का अधिक प्रचार है । मध्य-कालीन साहित्य इसमें भी अच्छा खासा विद्यमान है । आज-कल भी इसमें साहित्य लिखा जावे इस बात का उत्साह दिलाया जाता है । अपनी जातीय भाषा की रक्षा का भाव वेल्स में बहुत है ।

(४) मैङ्क्स (Manx) । यह भाषा इंग्लैंड के मैन द्वीप (Isle of Man) में ही पाई जाती है ।

(५) गैलिक (Scotch Gaelic) । इसमें साहित्य की मात्रा नहीं के बराबर है । इसका आइरिश भाषा से घनिष्ठ सम्बन्ध है । यद्यपि अंगरेजी के प्रभाव से इसका विस्तार घटता जाता है, तो भी स्काटलैण्ड के पहाड़ी प्रदेश में यह अब भी जीवित है । किन्हीं किन्हीं जिलों में यह भाषा अब भी पाठशालाओं में और धार्मिक प्रार्थना आदि करने के काम में लाई जाती है ।

(६) ब्रेटेन भाषा (Breton) । फ्रांस के ब्रिटैनी प्रदेश की भाषा को ब्रेटेन कहते हैं । इसका दूसरा नाम आर्मोरिकन भी है । ब्रिटैनी का ही प्राचीन नाम आर्मोरिका (Armorica) था । इसके विषय में यह समझा जाता है कि ४००—६०० ई० के लगभग इंग्लैण्ड के कानेवाल प्रदेश से यह ब्रिटैनी में ले जाई गई । यह नीचे वर्णन की गई कार्निश भाषा से बहुत मिलती जुलती है । इसकी अपने प्रदेश में बहुत कुछ ऐसी ही दशा है जैसी गैलिक की स्काटलैण्ड में ।

(७) कार्निश (Cornish) । यह भाषा कुछ समय पहले कानेवाल में बोली जाती थी । परन्तु पिछली शताब्दी के प्रारम्भ से बोलचाल की भाषा के रूप से बिलकुल नष्ट हो चुकी है । तो भी इसमें कुछ मध्य-कालीन साहित्य वर्तमान है ।

केल्टिक भाषा का जिसमें विकास हुआ वह कौनसी जाति थी ? इस प्रश्न पर विद्वानों में बहुत वाद-विवाद रहा है । यहाँ पर केवल इस बात का उल्लेख कर देना चाहिये कि ग्रेटब्रिटेन के निवासियों का वह भाग जिसको आज-कल केल्टिक नाम दिया जाता है, जिसमें कुछ कुछ सॉवलापन पाया जाता है, और जिसमें केल्टिक भाषाओं का अवशिष्ट रूप मिलता है, बहुत करके केल्टिक भाषाओं को ग्रेट ब्रिटेन में जानेवाली जाति नहीं है । यह बहुत संभव है कि यह केल्टिक लोगों से भी पुगनी एक आर्येतर जाति हो जिसने केल्टिक लोगों की भाषा को अपना लिया था । कुछ विद्वानों का कहना भी है कि वेल्श भाषा की कुछ विशेषताओं में एक प्राचीन आर्येतर भाषा के चिह्न दिखाई देते हैं ।

११—केल्टिक और इटैलिक भाषाओं की समानतायें

केल्टिक और इटैलिक भाषाओं में कुछ ऐसी समानतायें दिखाई देती हैं जिनके कारण इन दोनों भाषा-वर्गों की भाषाओं में अन्य भारत-यूरोपीय भाषाओं की अपेक्षा अधिक घना सम्बन्ध प्रतीत होता है। भारत-यूरोपीय मूल-जाति से पृथक् होकर उपर्युक्त दोनों जातियाँ कुछ काल तक अवश्य इकट्ठी रही होंगी। यही कारण उनकी समानता का हो सकता है। इसी कारण से इन दोनों भाषा-वर्गों को वस्तुतः एक ही वर्ग में सम्मिलित किया जा सकता है, जिसको हम इटैलो-केल्टिक भाषावर्ग कह सकते हैं। ऐसा होने पर भी, कुछ समानताओं को छोड़कर, उच्चारण-सम्बन्धी परिवर्तनों के कारण दोनों का घना सम्बन्ध सदा स्पष्ट दिखाई नहीं देता।

एक स्पष्ट समानता का वर्णन करना यहाँ अप्रासङ्गिक न होगा। केल्टिक और इटैलिक दोनों भाषा-वर्गों के दो अवान्तर भेद किये जा सकते हैं, जिनमें से एक भेद में कण्ठस्थानीय स्पर्शों के स्थान में ओष्ठ-स्थानीय स्पर्श देखे जाते हैं। निम्न-लिखित उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जावेगी :—

गेलिक	आइरिश	वेल्लश	प्राचीन वेल्लश
mac (= पुत्र)	mac	mab	map
	कानिश्		ब्रेटन
	mab		map, mab

गेलिक	आइरिश	वेल्लश	प्राचीन वेल्लश
cóig (= पाँच)	cáig	pump	pimp
	कानिश्	ब्रेटन	गालिश
	pymp	pemp	pempe
	लैटिन	आस्कन	ग्रीक
	quinque	pomtis	pónte

गेलिक	आइरिश	वेलश
ceithir (= चार)	ceithre	pedwar
कानिश	ब्रे टन	गालिश
peswar	pevar	petor, *qetveres
लैटिन	आस्कन	ग्रीक
quatuor	petora	téttares

लैटिन	आस्कन
quis (= कौन)	pis
quod (= क्योंकि)	pos

उपर्युक्त पंक्ति उदाहरण से यह स्पष्ट है कि कण्ठ-स्थानीय स्पर्श के स्थान में ओष्ठ-स्थानीय स्पर्श हो जाने की प्रवृत्ति कुछ ग्रीक भाषा में भी देखी जाती है; जैसे :—

ग्रीक	ग्रीक का प्रादेशिक भेद
hippos (= घोड़ा)	ikkos
pénte (= पाँच)	
boás	संस्कृत 'गौः'

लैटिन bos (= गौः) एक इटैलिक प्रादेशिक भाषा (आस्कन) से उद्धृत किया गया है ।

१२—द्यूटानिक भाषा-वर्ग

यूरोप की भारत-यूरोपीय परिवार की दूसरी भाषाओं की अपेक्षा द्यूटानिक भाषा-वर्ग के साथ भारतीय आर्य-भाषाओं का वस्तुतः विशेष सम्बन्ध न होने पर भी, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक दृष्टि से आजकल विशेष सम्बन्ध अवश्य ही है । अंगरेजी, जिसका प्रचार भारतवर्ष में आजकल खूब हो रहा है और जो आजकल एक प्रमुख संसार-भाषा है, इसी भाषा-वर्ग से सम्बन्ध रखती है । इसके अतिरिक्त, संस्कृत की सहायता से भाषा-विज्ञान की उन्नति में इस भाषा-वर्ग की भाषाओं को

बोलनेवाले विद्वानों ने (विशेषकर जर्मन विद्वानों ने) जितना भाग लिया है उतना दूसरे भाषा-वर्गों की भाषाओं को बोलनेवालों ने नहीं । इन कारणों से भारतीय विद्यार्थियों के लिए यह भाषा-वर्ग अवश्य कुछ विशेषता रखता है ।

इन बातों को छोड़कर यदि देखा जाय तो प्रतीत होगा कि यह भाषा-वर्ग भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार का एक आदर्श-रूप न होकर अपवादरूप है । इसी लिये भाषा-विज्ञान के प्रारम्भिक अध्ययन के लिए अधिक उपयोगी नहीं है ।

इस वर्ग की सारी भाषाओं को निम्नलिखित तीन अवान्तर भेदों में बाँटा जा सकता है :—

(१) गाथिक (Gothic) भाषा

यह भाषा चिरकाल से अब नहीं बोली जाती । इसके ज्ञान के लिए हमारे पास केवल ईसा की चौथी शताब्दी में उल्फिलास (Ulfilas, ३११—३८१ ईस्वी) नामक एक विशप के किये हुए बाइबिल के अनुवाद के कुछ भाग हैं । उस समय पश्चिमीय गाथ लोग (the West Goths), जिनके लिए यह अनुवाद किया गया था, डैन्यूब नामक नदी के उत्तरीय किनारे पर बसे हुए थे ।

(२) स्कैण्डिनेवियन भाषाये'

इनमें डैनिश (= डेनमार्क देश की भाषा), स्वीडिश (= स्वीडन देश की भाषा), नार्वेजियन (= नार्वे देश की भाषा), और आइसलैण्डिक (= आइसलैण्ड की भाषा) ये भाषायें सम्मिलित हैं । समस्त आधुनिक ट्यूटानिक भाषाओं में आइसलैण्डिक में सबसे अधिक प्राचीन ढङ्ग पाया जाता है । इसी भाषा में मध्य काल के आरम्भ का कुछ पौराणिक कथाओं का साहित्य भी है जिसको सैगा (Saga) साहित्य कहा जाता है । उसके अतिरिक्त इन भाषाओं से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ छोटे-छोटे प्राचीन खुदे हुए लेख भी हैं जो ईसा की पाँचवीं शताब्दी के लगभग पुराने बतलाये जाते हैं ।

कभी-कभी गाथिक भाषा और स्कैंडिनेवियन भाषाओं को पूर्वीय जर्मैनिक भाषाओं के नाम से एक वर्ग में ही सम्मिलित कर दिया जाता है ।

(३) पश्चिमी जर्मैनिक भाषाये'

इन भाषाओं को दो अवान्तर भेदों में बाँटा जाता है :—

(क) उत्तरीय-(या निम्न-) जर्मन-सम्बन्धी भाषाये'

इनमें अंगरेजी, विशेषकर प्राचीन अंगरेजी (या ऐंग्लो-सैक्सन), डच (=हालैण्ड की भाषा), फ्लीमिश (=हालैण्ड और बेल्जियम के कुछ भागों की या फ्लैण्डर्स की भाषा), फ्रिज़ियन (=उत्तरीय जर्मनी की एक भाषा), और उत्तरीय जर्मनी की कुछ और प्रादेशिक बोलियाँ सम्मिलित हैं ।

जर्मनी का उत्तरीय प्रदेश पर्वतीय दक्षिण प्रदेश की अपेक्षा नीचा होने से वहाँ की भाषा को निम्न-जर्मन (Low German) कहा जाता है । इसी के प्रचीन रूप को प्राचीन सैक्सन कहा जाता है ।

इन भाषाओं में से डच और विशेषकर अंगरेजी आधुनिक उत्कृष्ट साहित्य की भाषायें हैं । ऐंग्लो-सैक्सन भाषा में लिखा हुआ ब्योवुल्फ (Beowulf) नामक काव्य (लगभग सातवीं ईस्वी शताब्दी) इन भाषाओं में सबसे प्राचीन पुस्तक समझी जाती है । इस उपभेद की कुछ और भाषाओं में भी मध्य-काल का कुछ साहित्य वर्तमान है । इन भाषाओं में आज-कल अंगरेजी के सर्व-प्रधान होने से इनको अंगरेजी-सम्बन्धी भाषाओं के नाम से भी पुकारा जा सकता है ।

(ख) दक्षिणीय (या उच्च-) जर्मन भाषाये'

इस उपभेद में दक्षिणीय जर्मनी की बोलियाँ और आज-कल की प्रधान जर्मन भाषा सम्मिलित हैं । उच्च-जर्मन के भिन्न-भिन्न प्रादेशिक भेदों में लगभग ईसा की आठवीं शताब्दी तक का पुराना कुछ साहित्य भी है । उच्च-जर्मन ही जर्मनी देश की चिर-काल से साहित्यिक भाषा रही है ।

दक्षिणीय जर्मनी के पहाड़ी प्रदेश होने से यहाँ की भाषा को उच्च-जर्मन (High German) कहा जाता है ।

इन दोनों (क और ख) उपभेदों में जो उच्चारण-विषयक सम्बन्ध है उसका वर्णन आगे इसी परिच्छेद में [अधि० १७ (ख)] में किया जायगा ।

१३—बाल्टिक-स्लैवोनिक भाषा-वर्ग

जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, इस भाषा-वर्ग में भाषाओं के दो वर्ग सम्मिलित हैं । परन्तु ऊपर वर्णन किये गये भारत-ईरानी तथा इटैलो-केल्टिक वर्गों की तरह इन दोनों में इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि दोनों का वर्णन एक साथ ही किया जाता है ।

(१) बाल्टिक भाषा-वर्ग

इसमें लिथुआनियन, लेटिश, और प्राचीन प्रुशियन ये तीन भाषायें सम्मिलित हैं । इनमें से लिथुआनियन और लेटिश रूस के पश्चिम में कुछ प्रदेशों में अब भी बोली जाती हैं; परन्तु प्राचीन प्रुशियन ईसा की सत्रहवीं शताब्दी से बोलने में बिलकुल नहीं आती ।

इन भाषाओं में कोई महत्त्व का साहित्य नहीं है । तो भी भाषा-विज्ञानियों की दृष्टि में लिथुआनियन एक महत्त्व की भाषा है, क्योंकि इसके शब्दों में प्रायः प्राचीनता के लक्षण पाये जाते हैं; अर्थात्, इसके शब्दों में प्राचीन समय से बहुत कम परिवर्तन हुआ है । ग्रीक भाषा के समान इसके शब्दों के उच्चारण में अब भी उदात्तादि स्वर विद्यमान हैं । द्विवचन के रूप भी इसमें देखे जाते हैं ।

लिथुआनियन भाषा में प्राचीनता की झलक के अधिक पाये जाने से ही किन्हीं-किन्हीं विद्वानों ने बाल्टिक समुद्र के तट के आस पास की भूमि को ही भारत-यूरोपीय आर्य-जातियों का मूल-स्थान सिद्ध करने का प्रयत्न किया है । परन्तु और प्रमाणों का सहारा लिये बिना केवल भाषा में प्राचीनता की झलक होना कोई प्रबल प्रमाण इस बात का नहीं हो सकता । जैसा ऊपर कहा है, द्यूटानिक भाषाओं में आइसलैण्ड की भाषा में सबसे अधिक प्राचीनता के लक्षण पाये जाते हैं; तो भी ऐसा कोई नहीं कहता कि आइसलैण्ड द्यूटानिक जातियों का मूल-स्थान था ।

(२) स्लैवोनिक भाषा-वर्ग

इसमें अनेक भेदों के सहित रूसी भाषा, पोलिश, चेक (Czech) या वोहीमियन (=बोहीमिया की भाषा), और बल्गैरियन आदि भाषायें सम्मिलित हैं।

स्लैवोनिक भाषाओं का यूरोप में भी अधिकतया विद्वानों को ज्ञान नहीं है। उनका साहित्य प्रायः आधुनिक ही है। इन भाषाओं का सबसे प्राचीन स्वरूप प्राचीन बल्गैरियन (या Church Slavonic) में लिखे हुए ईसाई धर्म से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ साहित्य द्वारा सुरक्षित है। इसको ईसा की नवीं शताब्दी तक का पुराना बतलाया जाता है। नवीं शताब्दी के मध्य-भाग में इसी भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया गया था। रूसी भाषा में तुर्की या तातारी शब्दों का बहुत संमिश्रण हुआ है।

उपर्युक्त भाषायें और उनमें भी विशेषकर रूसी भाषा अब भी संश्लेषणात्मक अवस्था में हैं। इस दृष्टि से ये भाषायें सामान्यतः भारत-यूरोपीय परिवार के दूसरे वर्गों की आधुनिक भाषाओं की अपेक्षा अधिक प्राचीनता को लिये हुए हैं।

१४—टोखारिश (या तोखारी) भाषा

इस प्राचीन भाषा का कुछ जर्मन विद्वानों ने मध्य एशिया के तुर्फान प्रदेश में सन् १६०२—३ और १९०४—५ ईस्वी की अपनी यात्रा में पता लगाया था। प्राचीन ग्रीक लोगों ने भी एक 'तोखारोइ' नामक जाति का वर्णन किया है। प्रियर्सन महाशय के कथनानुसार^१ महाभारत (हरिवंश) में एक 'तुखार' जाति का वर्णन है। इसके शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं :—

संस्कृत	टोखारिश
पितृ	pācar
मातृ	mācar
भ्रातृ	pracar
वीर	wir
श्वन्	ku

१. दे०—*Indian Antiquary*, जिल्द ४३, पृष्ठ १४६

१५—हिट्टाइट भाषा

जैसा ऊपर कह चुके हैं, इस भाषा का भी वर्तमान (ईस्वी) शताब्दी के प्रारम्भ में ही पता लगाया गया है। एशिया माइनर में अंकारा से ६० मील की दूरी पर बोगाज़कोई (Boghaz-kuoi) नामक स्थान की खुदाई से प्राप्त कई सहस्र कीलकाक्षर लेखों में एक ऐसी भाषा मिली जो पद-रचना की दृष्टि से निश्चय ही भारत यूरोपीय परिवार की है। हिट्टाइट जाति का उल्लेख बाइबिल आदि में आता है। ई० पू० १६ वीं शताब्दी से १४ वीं शताब्दी तक इस जाति के साम्राज्य का साक्ष्य भी इतिहास में मिलता है। उक्त लेखों से यह सिद्ध हो जाता है कि यह भाषा उसी जाति की है।

१६—परस्पर सम्बन्ध के तारतम्य के अनुसार उपर्युक्त भाषावर्गों का वर्गीकरण

उपर्युक्त भाषा-वर्गों के, परस्पर सम्बन्ध के तारतम्य के अनुसार, पुनः वर्गीकरण के प्रश्न के ऊपर बहुत कुछ विचार किया गया है। इस प्रश्न का सम्बन्ध वस्तुतः इन भाषाओं और इनको बोलनेवाली जातियों के उस प्राचीनतर इतिहास से है जो भारत-यूरोपीय मूल-भाषा तथा मूल-जाति से पृथक् होने के बाद इनका रहा है। उसी वर्गीकरण का संक्षेप से निर्देश नीचे किया जाता है :—

(१) भारत-ईरानी भाषा-वर्ग

जैसा ऊपर कहा है, भारतीय आर्य-भाषाओं और ईरानी भाषाओं के प्राचीन स्वरूपों में इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि इतिहास में एक ऐसा समय रहा है जिसको हम भारत-ईरानी काल कह सकते हैं, और जिस समय एक ऐसी भाषा बोली जाती थी जिससे इन दोनों का विकास हुआ है। इसी लिए इन दोनों वर्गों को एकट्ठा करके आर्य-भाषा-वर्ग या भारत-ईरानी भाषा-वर्ग का नाम प्रायः दिया जाता है।

(२) इटैलो-केल्टिक भाषा-वर्ग

इसी प्रकार, जैसा ऊपर कह चुके हैं, केल्टिक और इटैलिक भाषाओं की समानता के आधार पर विद्वानों ने दोनों की मूल-भूत एक इटैलो-केल्टिक भाषा थी इस बात की कल्पना की है।

(३) बाल्टिक-स्लैवोनिक भाषा-वर्ग

बाल्टिक और स्लैवोनिक भाषाओं का तो, घनिष्ठ सम्बन्ध के कारण, ऊपर एक वर्ग में ही वर्णन किया गया है।

(४) सतम्-वर्ग और केन्दुम्-वर्ग

परन्तु यदि हम भारत-यूरोपीय भाषापरिवार की सारी भाषाओं को बड़े-बड़े केवल दो वर्गों में बाँटना चाहें तो सबसे अधिक स्पष्ट विशेषता, जिसके आधार पर ऐसा किया जा सकता है, उन शब्दों में पाई जाती है जिनमें, एक ही वर्ण के स्थान में, ग्रीक भाषा में 'क्' और संस्कृत में 'श्' देखा जाता है। उदाहरणार्थ, निम्न-लिखित शब्दों को देखना चाहिये :—

संस्कृत	ग्रीक
शतम्	he-katón
शुनः	kunós
श्वा (श्वन्)	kúōn
दश	déka
श्रुतः	klutós
अश्मा (अश्मन्)	ákmōn
दुदश	dédorka
वेशः (= घर)	oĩkos
शिरः	kéras (= सीघ)

इसी विशेषता के आधार पर समस्त भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार को उपर्युक्त दो भागों में बाँटा जा सकता है।

उक्त उच्चारण-सम्बन्धी विशेषता के नियम को इस तरह वर्णन किया जा सकता है :—

भारत-यूरोपीय परिवार की मूल-भाषा के कुछ कण्ठ-स्थानीय वर्ण (= 'क' आदि) इस भाषा-परिवार के एक भाग में तो एक ऊष्मा (= 'श' आदि) के रूप में पाये जाते हैं, परन्तु दूसरे भाग में कण्ठ-स्थानीय स्पर्श के ही रूप में देखे जाते हैं।

इस नियम का बड़ा अच्छा उदाहरण भिन्न-भिन्न भाषाओं में सौ के अर्थ में प्रयुक्त शब्द द्वारा मिलता है; इसलिए उपर्युक्त दोनों भागों को क्रम से

(१) सतम्-वर्ग (= Satem or Satem Section), और

(२) केन्टुम् वर्ग (= Centum? Section)

कहा जा सकता है।

satem और centum क्रम से अवेस्तन और लैटिन भाषा के शब्द हैं। इन दोनों भाषाओं को क्रम से दोनों भागों का नमूना या प्रतिनिधि माना जा सकता है।

उक्त नियम के अनुसार—

(१) भारतीय, (२) ईरानी, (३) आर्मीनियन, (४) बाल्टिक-स्लैवोनिक, और (५) ऐल्वैनियन भाषाओं का सम्बन्ध सतम्-वर्ग से है; और

(१) ग्रीक, (२) इटैलिक, (३) केल्टिक, (४) ट्युटानिक, (५) टोखारिश, तथा (६) हिट्टाइट भाषाओं का समावेश केन्टुम् वर्ग में होता है।

यह स्पष्ट है कि इनमें से द्वितीय वर्ग का सम्बन्ध अधिकतर पश्चिमीय या यूरोप की भाषाओं से है, और प्रथम वर्ग का अधिकतर पूर्वीय या एशिया की भाषाओं से। इस कारण से प्रथम वर्ग को कोई कोई

१. प्राचीन समय में साहित्यिक लैटिन भाषा में c का उच्चारण सदा 'क' होता था।

पूर्वीय वर्ग और द्वितीय को पश्चिमीय वर्ग भी कहते हैं। पर टोखारिश (या तोखारी) मध्यएशिया की भाषा थी, तो भी उसका सम्बन्ध केन्दुम्-वर्ग से है। इसलिए उक्त दो वर्गों को पूर्वीय वर्ग और पश्चिमीय वर्ग कहना ठीक नहीं है।

नीचे दिये हुए उदाहरणों से दोनों भागों का भेद स्पष्ट हो जायगा :—

(क)

संस्कृत 'शतम्', प्राकृत 'सदं', 'सअं', हिन्दी 'सौ'; अवेस्तन 'सतम्', फ़ारसी 'सद'; लिथुआनियन *szimtas* (*sz* = श्), प्राचीन वलौरियन *sūto*, रूसी *sto*;

(ख)

ग्रीक *he-katón*; लैटिन *centum*, इटैलियन *cénto*, स्पैनिश *ciénto*, फ़्रेश्च *cent*; आइरिश *ceud*, गेलिक *ceud*, वेल्श *cant*, ब्रेटन *kant*; गाथिक *hund*^१, प्राचीन उच्च-जर्मन *hunt*, जर्मन *Hund-ert*, अंगरेजी *hund-red*; टोखारिश *kandh*.

(क)

संस्कृत 'दश(न्)', प्राकृत 'दस', हिन्दी 'दस', अवेस्तन 'दस', फ़ारसी 'दह'; आर्मीनियन *tasn*; लिथुआनियन *deszimt*, रूसी *desit*;

(ख)

ग्रीक *déka*; लैटिन *decem*, इटैलियन *diéci*, स्पैनिश *diéz*, फ़्रेश्च *dix*; आइरिश *deich*, गेलिक *deich*, वेल्श *deg*, ब्रेटन *dec*; गाथिक *taihun*, प्रा० उ०-जर्मन *zehan*, जर्मन *zehn*, अंगरेजी *ten*.

१. व्युत्पत्तिक भाषाओं में ऐसे उदाहरणों में 'ह्' भारत-यूरोपीय 'क्' का स्थानीय है।

(क)

सं० 'श्वा' (श्वन्); अवे० 'स्प', फ़्रा० 'सग'; लिथु० szu,
रू० suka = कुत्ती, sobāka = कुत्ता;

(ख)

ग्री० kuōn; लै० canis, फ़्रे० chien; आइ० cu, रो० cu,
वे० ci, ब्रे० ki; जर्म० Hund, अंगरेज़ी hound; टोखा० ku.

जैसा ऊपर कहा है, भारत-यूरोपीय भाषाओं के उपर्युक्त दो भागों के लिए क्रम से 'सतम्-वर्ग' तथा 'केन्दुम्-वर्ग' का नाम दिया गया है। इन नामों से इन

दोनों भागों की एक और विलक्षणता

का पता लगता है। भारत-यूरोपीय मूल-भाषा के स्वरात्मक 'न्' या 'म्' (n , m) के स्थान में साधारणतया केन्दुम्-वर्ग में एक अनुनासिक स्पर्श ('न्' आदि) तथा एक स्वर देखा जाता है; परन्तु सतम्-वर्ग की भाषाओं में अनुनासिक अंश का सामान्यतः लोप हो जाता है और केवल निरनुनासिक स्वर शेष रहता है; जैसे :—

संस्कृत 'दश', लैटिन decem, गार्थिक taihun,

भारत-यूरोपीय मूल-भाषा * $d\acute{e}km$

सं० 'सप्त', लै० septem, भारत-यूरोपीय मूल-भाषा * $septn$

सं० 'शतम्', लै० centum, गार्थि० hund,

भा०-यू० मू०-भा० * $kmtóm$

सं० 'तत्', लै० tentus, भा०-यू० मू०-भा० * $tntós$

१७—ग्रिम महाशय का नियम

जर्मैनिक भाषाओं का 'प्रथम वर्ण-परिवर्तन'

ग्रिम महाशय के नियम के विषय में कुछ थोड़ी-सी चर्चा ऊपर (पृ० १७३-१७४) की जा चुकी है। यहाँ इसका कुछ विशेष विचार किया जायगा।

जैसा ऊपर कहा है, पहले-पहल इस नियम का वैज्ञानिक रीति से स्पष्ट तथा प्रतिपादन ग्रिम (Jacob Grimm, १७८५—१८६३ ई०) महाशय ने किया था। इसलिए यह नियम उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है।

इस नियम का सम्बन्ध नियत रूप से देखे जानेवाले कुछ ऐसे वर्ण-परिवर्तनों से है जो भारत-यूरोपीय भाषापरिवार में एक ओर संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, लिथुआनियन, रूसी आदि भाषाओं में और दूसरी ओर जर्मैनिक या ट्यूटानिक भाषाओं से सम्बन्ध रखनेवाली गाथिक तथा निम्न-जर्मन भाषाओं (जैसे इंग्लिश) में पाये जाते हैं।

(१)

(अ) यह हम देख चुके हैं कि संस्कृत 'पू' के स्थान में अँगरेजी में f पाया जाता है। ट्यूटानिक (या जर्मन) भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखनेवाली उपयुक्त गाथिक जैसी भाषायें ही अँगरेजी से इस बात में समानता रखती हैं। जैसे :—

संस्कृत 'पिता', ग्रीक *patér*, लैटिन *pater*;
प्राचीन इंग्लिश *faeder*, गाथिक *fadar*, जर्मन *Vater*,
डच *vader* या *vaar*

संस्कृत नपात्, लैटिन *nepos*;
जर्मन *Neffe*, इंग्लिश *nephew*

सं० 'प्र', ग्रीक *pró*, लै० *pro-*, प्राचीन स्लैवोनिक *pro-*;
गाथि० *fra-*

सं० 'पाद', ग्री० pōús, लै० pēs ;
गाथि० fotus, प्रा० इंग्लि० fōt,
आ० इंग्लि० foot

'त्' और 'क्' स्पर्शों का सम्बन्ध इस प्रकार है :—

(इ) संस्कृत 'त्' के स्थान में अंगरेजी तथा जर्मन-भाषा-परिवार की ही गाथिक आदि में th देखा जाता है (इसका उच्चारण three और brother में भिन्न भिन्न तरह से होता है) ।

उदाहरणार्थ : —

सं० 'त्रि' या 'त्रयः', ग्रीक treis, लै० trēs, रूसी tri-;
प्रा० इंग्लि० thrī, गाथिक ǥthreis, आ० इंग्लिश three

इस शब्द में ग्रीक, लैटिन, केल्टिक, रूसी, और लिथुआनियन में 'त्' (t) ही देखा जाता है । गाथिक, ऐङ्ग्लो-सैक्सन (= प्राचीन इंग्लिश) और आइसलैण्डिक में th, और जर्मन तथा डच भाषाओं में d मिलता है ।

इसी तरह —

संस्कृत	तृया	इंग्लिश	thorn
”	तद्	”	that

(उ) संस्कृत 'क्' के स्थान में अंगरेजी तथा जर्मन-भाषा-परिवार की ही गाथिक आदि में h या hw (= wh) देखा जाता है । जैसे :—

सं० 'कः', लैटिन quis, ऐङ्ग्लो-सैक्सन (= प्रा० इंग्लिश)
hwā, आधुनिक इंग्लिश who, गाथिक hwō

वैदिक सं० 'कद्', लैटिन quod;
एँ० सै० hwæt, आ० इं० what

जैसा ऊपर (पृ० २२२-२२९) दिखलाया है, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं के कुछ स्थलों में जहाँ k पाया जाता है वहाँ संस्कृत में 'श्' हो जाता है । उन स्थलों में भी अंगरेजी में h ही पाया जाता है । जैसे :—

संस्कृत	अंगरेजी
श्वन्	hound
शत	hundred
शिरस्	horn (= सींघ)

इस प्रकार जर्मन-भाषाओं से भिन्न संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, रूसी आदि भाषाओं के p, t, k इन अघोष स्पर्शों के स्थान में जर्मन-भाषा-परिवार की ही उपर्युक्त इंग्लिश, गाथिक आदि भाषाओं में क्रम से f, th, h ये महाप्राण वर्ण देखे जाते हैं।

(२)

परन्तु उपरि-निर्दिष्ट संस्कृत आदि भाषाओं के सघोष स्पर्शों के स्थान में हम ऊपर दिखलाई हुई जर्मन-भाषा-संबन्धी अंगरेजी आदि में अघोष स्पर्शों को पाते हैं। जैसे :—

संस्कृत	अंगरेजी
गो	cow
युग	yoke
द्वि	two
अद्भि	(I) eat
दशन्	ten
दन्त	tooth

(३)

इसी प्रकार संस्कृत आदि भाषाओं के सघोष महाप्राण स्पर्शों के स्थान में अंगरेजी आदि उपर्युक्त भाषाओं में सघोष अल्पप्राण स्पर्श देखे जाते हैं। जैसे :—

संस्कृत	अंगरेजी
भ्रातृ	brother
भरामि	(I) bear
भू (धातु)	(to) be
भ्रू	eye-brow

धा	do
धिति	deed
हंस (ह् < ष)	goose

ऊपर दिखलाये हुए स्पर्श व्यञ्जनों के सम्बन्ध को मोटी रीति से संक्षेप में इस तरह निर्देश किया जा सकता है :—

संस्कृत आदि में	P. T. K.	B. D. G.	Bh. Dh. Gh.
अंगरेजी आदि में	F. Th. H.	P. T. K.	B. D. G.

ऊपर के वर्णन से ग्रिम महाशय के नियम का स्वरूप बहुत कुछ स्पष्ट हो गया होगा।

उक्त वर्ण-परिवर्तन का काल

उक्त नियम द्वारा हमको भारत-यूरोपीय मूल-भाषा के स्पर्शों के उन परिवर्तनों का पता लगता है जो जर्मन भाषा में उस प्राचीन समय में हुए थे जब कि वह भिन्न भिन्न भाषाओं से नहीं विखरी थी।

ये परिवर्तन क्राइस्ट के जन्म से पहले हो चुके थे, इस बात की पुष्टि प्राचीन रोमन विद्वानों द्वारा उद्धृत जर्मन शब्दों से होती है।

ग्रिम महाशय के नियम का 'जर्मैनिक भाषाओं का प्रथम वर्ण-परिवर्तन' (अंगरेजी में Sound-shifting; जर्मन में Laut-verschiebung) इस नाम से भी निर्देश किया जाता है।

पर जर्मन भाषा में 'द्वितीय वर्ण-परिवर्तन' भी हुआ था। इसका समय उत्तरीय जर्मन लोगों से ऐंग्लो-सैक्सन लोगों के पृथक् होने के बाद सातवीं शताब्दी (ईस्वी) के लगभग प्रतीत होता है। इस 'द्वितीय वर्ण-परिवर्तन' का वर्णन नीचे किया जाता है :—

जर्मन-भाषा-सम्बन्धी 'द्वितीय वर्ण-परिवर्तन'

जर्मैनिक भाषाओं के ऊपर दिखलाये हुए 'प्रथम वर्ण-परिवर्तन' की दृष्टि से संस्कृत, ग्रीक आदि भाषाओं का अंगरेजी आदि के साथ

जैसा सम्बन्ध है, बहुत कुछ वैसा ही सम्बन्ध अंगरेज़ी तथा डच
 आदि जर्मनिक भाषाओं का उच्च-जर्मन के साथ देखा जाता है।
 जैसे :—

अंगरेज़ी उच्च-जर्मन

(P के स्थान में Pf या F)

pound (प्रा० अंग० pund) Pfund

deep tief

sheep Schaf

(T के स्थान में Ts या S)

tooth Zahn (z = ts)

two zwei

ten zehn

foot Fuss

let lassen

(K के स्थान में Ch)

Speak (प्रा० अंग० sprekan) sprechen

reckon rechnen

yoke Joch

(D के स्थान में T)

drink trinken

daughter Tochter

deed Tat

(F और V के स्थान में B)

thief Dieb


dove Taube

(Th के स्थान में D)

brother	Bruder
three	drei
thorn	Dorn

त्रिकोण द्वारा प्रथम तथा द्वितीय वर्ण-परिवर्तनों का स्पष्टीकरण

ऊपर दिखलाये हुए जर्मन-भाषा-सम्बन्धी प्रथम तथा द्वितीय वर्ण-परिवर्तनों के स्वरूप को प्रायेण निम्नाङ्कित त्रिकोण द्वारा भी समझाया जाता है ।



इस त्रिकोण के किसी भी कोण पर प्रदर्शित वर्णों को यदि हम भारत-यूरोपीय मूल-भाषा (इस अंश में संस्कृत, ग्रीक, लैटिन द्वारा सुरक्षित) का मान लें, तो, वाया-चिह्न का अनुसरण करने पर, उससे अगले कोण पर प्रदर्शित वर्ण 'प्रथम वर्ण-परिवर्तन' (जो गाथिक और निम्न-जर्मन में पाया जाता है) को बतलावेंगे । इसी प्रकार उससे अगले कोण पर प्रदर्शित वर्ण 'द्वितीय वर्ण-परिवर्तन' (जो उच्च-जर्मन में पाया जाता है) को बतलावेंगे ।

द्वितीय वर्ण-परिवर्तन का काल

प्रारम्भ में भाषा-विज्ञानियों ने और विशेषकर मैक्स म्यूलर महाशय ने भारत-यूरोपीय भाषाओं के उक्त तीन प्रकार के सम्बन्ध को बहुत अधिक महत्त्व दिया था। उनके विचार में इस प्रकार के सम्बन्ध का वास्तविक कारण भारत-यूरोपीय मूल-भाषा का ही तीन भागों में विभक्त हो जाना था। वे लोग इस त्रिविध विभाग को प्रायः निम्न प्रकार से दिखलाया करते थे :—

संस्कृत, ग्रीक आदि भाषाएँ	}	—अघोष	महाप्राण	सघोष
		↓	↓	↓
अंगरेजी, डच आदि	}	—महाप्राण	सघोष	अघोष
		↓	↓	↓
उच्च-जर्मन—		सघोष	अघोष	महाप्राण

परन्तु अधिक परीक्षा से यह स्पष्ट प्रतीत हो गया कि इस त्रिविध सम्बन्ध के समाधान के लिए भारत-यूरोपीय मूल-भाषा को ही तीन भागों में विभक्त हुआ नहीं माना जा सकता।

प्रथम तो ट्यूटानिक भाषाओं को छोड़कर अन्य सारी भारत-यूरोपीय भाषाएँ संस्कृत, ग्रीक आदि से समानता रखती हैं। ट्यूटानिक भाषा-वर्ग की विशेषता के लिए भारत-यूरोपीय मूल-भाषा को ही तीन विभागों में विभक्त हुआ मानना समुचित नहीं।

ट्यूटानिक वर्ग में भी भाषाओं की बहुत बड़ी संख्या का सम्बन्ध उपर्युक्त तीन प्रकारों में से द्वितीय प्रकार से है।

इसके अतिरिक्त, इस बात में निश्चित प्रमाण हैं कि प्राचीन उच्च-जर्मन में पाये जानेवाले वर्ण-परिवर्तन अंगरेजी, डच आदि निम्न-जर्मन से सम्बन्ध रखनेवाली भाषाओं के शब्दों में पाये जानेवाले वर्ण-परिवर्तनों से पीछे के हैं; और वे भी कभी पूर्ण रीति से नहीं हो सके। उच्च-जर्मन में 'द्वितीय वर्ण-परिवर्तन' के अनुसार सदा ही परिवर्तन पाये जाते हैं, ऐसा नहीं है।

इसलिये उपर्युक्त त्रिविध वर्ण-परिवर्तनों को भारत-यूरोपीय मूल-भाषा के तीन भागों का द्योतक न मानकर यह मानना चाहिये कि द्युटानिक भाषाओं में ही 'द्वितीय वर्णपरिवर्तन' पीछे से हुआ है।

१८—ग्रिम महाशय के नियम के अपवाद

परिच्छेद ७ में यह कहा गया है कि भाषाओं में वर्णों के विकार कुछ निश्चित नियमों का अनुसरण करते हैं (अधिकरण ७), तथा प्रत्येक वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियम के विषय में यह भी जानना चाहिये कि उसका विस्तार कितना है ? उसका कोई अपवाद भी है या नहीं ? यदि है, तो उसका क्या स्वरूप तथा कारण है ? (अधि० ८)। इसी सिद्धान्त के अनुसार उपर्युक्त ग्रिम महाशय के नियम के विषय में भी कई प्रकार के अपवादों और तद्विषयक अवान्तर नियमों या उपनियमों का पता लगाया गया है। उन्हीं का कुछ दिग्दर्शन नीचे कराया जाता है।

(क) ग्रिम द्वारा वर्णित अपवाद

स्वयं ग्रिम महाशय ने अपने नियम के कुछ अपवादों का, उपनियमों के रूप में, वर्णन किया है ; उदाहरणार्थ :—

(१) भारतीय-यूरोपीय मूल-भाषा के sk (स्क), st (स्त) और sp (स्प) इन संयोगों में k, t, p के स्थान में ग्रिम महाशय के नियम से प्राप्त वर्णपरिवर्तन नहीं होते; जैसे :—

लैटिन	गाथिक	उच्च-जर्मन
piscis (= पिस्किस)	fisks	Fisch
hostis	gasts	
est सं० अस्ति	ist	ist
(con-)spicio सं० 'स्पश्' ...		spehōn

(२) इसी प्रकार भा० यू० मूल-भाषा के kt (क्त) और pt (प्त) में t के स्थान में ग्रिम-नियम से प्राप्त वर्ण-परिवर्तन नहीं होता; उदाहरणार्थ :—

लैटिन	संस्कृत	गाथिक	उच्च-जर्मन
okto	अष्टौ	ahtau	acht
neptis	नप्ता		nift (प्रा० उ० ज०)
captus		hafts	

परन्तु अनेकानेक अपवादों को उक्त प्रकार से उपनियमों के रूप में ग्रिम महाशय नहीं दिखला सके। यह काम उनके उत्तरवर्ती विद्वानों ने किया। इसी का कुछ वर्णन नीचे किया जाता है :—

(ख) ग्रासमन महाशय का नियम

संस्कृत	गाथिक
बोधति	biudan
दम्	daubs

इन उदाहरणों में, ग्रिम महाशय के नियम के अनुसार, संस्कृत शब्दों के आदि-वर्ण 'ब्' 'द्व' के स्थान में गाथिक में क्रम से p, t होना चाहिये। ऐसी दशा में गाथिक शब्दों में b, d का पाया जाना स्पष्टतः उक्त नियम के विरुद्ध है। इस विरोध का परिहार हेर्मन ग्रासमन (Hermann Grassmann, 1809—1877) महाशय ने किया। उन्होंने पना लगाया कि संस्कृत तथा ग्रीक भाषाओं में यह नियम है कि एक शब्द में दो अव्यवहित सौष्म स्पर्श वाले अक्षरों में से प्रथम निरूष्म स्पर्श वाला हो जाता है; जैसे संस्कृत में 'दधामि', 'बभार' आदि में 'धा' तथा 'भृ' धातुओं के 'ध्' और 'भ्' के स्थान में अभ्यास १ में 'द्व' और 'ब्' हो जाते हैं।

इसी नियम के अनुसार यह कल्पना की जा सकती है कि भारत-यूरोपीय मूल-भाषा की अवस्था में संस्कृत 'बुध्' तथा 'दम्' धातुओं में प्रारम्भ के वर्ण सौष्म स्पर्श 'भ्', 'ध्' रहे होंगे। ऐसा मान लेने पर

उन मौलिक 'भ्' 'ध्' के स्थान में गाथिक शब्दों में b, d का पाया जाना बिलकुल ग्रिम महाशय के नियम के अनुकूल ही हो जाता है।

इस प्रकार ग्रासमन महाशय के नियम से ग्रिम महाशय के नियम के अनेक आपाततः अपवादों का समाधान हो जाता है।

(ग) वेर्नर महाशय का नियम

परन्तु ऐसे भी अपवाद हैं जिनका समाधान उपर्युक्त प्रकार से नहीं होता। उदाहरणार्थ, निम्नस्थ उदाहरणों में संस्कृत, लैटिन आदि शब्दों में जहाँ k, t, p देखे जाते हैं उनके स्थान से, ग्रिम महाशय के नियम के विरुद्ध, गाथिक आदि जर्मैनिक भाषाओं में g, d, b देखे जाते हैं :—

संस्कृत	लैटिन	गाथिक	इंग्लिश
k—युवशस् ^१	juvencus	juggs	young
t—शतम्	centum	hunda-	hund red
p—लिप्पामि	lippus	bi-leiba	(be-life)
सप्तन्	septem	sibun	(seven)

ऐसे उदाहरणों में उक्त विरोध का परिहार कार्ल वेर्नर (Carl Verner, 1846-96) नामक विद्वान् ने किया।

उन्होंने पता लगाया कि भारत-यूरोपीय मूल-भाषा के शब्दों के k, t, p के स्थान में गाथिक आदि जर्मैनिक भाषाओं में ग्रिम महाशय के नियम के अनुसार वर्ण-परिवर्तन (h, th, f) तर्फी होता है जब उस मूल-भाषा में उससे अव्यवहित पूर्व में कोई उदात्त स्वर रहता है। उदात्त स्वर के पश्चात् आने पर उनके स्थान में g, d, b हो जाते हैं।

भा० यू० मूल-भाषा के उदात्तादि स्वर संस्कृत में और बहुत अंश तक ग्रीक भाषा में सुरक्षित हैं, ऐसा विद्वानों का मत है। अतः ऊपर

१. ऐसे स्थलों में 'शू' को केन्टुम्-वर्गीय भाषाओं के 'क्' का स्थानीय ही समझना चाहिये।

दिये हुए उदाहरणों में संस्कृत शब्दों के स्वरों के देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनमें क्रम से उदात्त स्वर शू (= क्), त्, प् के पश्चात् आया है। इसी लिए गाथिक आदि जर्मनिक भाषाओं में उनके स्थान में क्रम से g, d, b देखे जाते हैं।

इसके विरुद्ध संस्कृत 'भ्राता' के स्थान में, उदात्त स्वर के 'त्' से पूर्व में आने से, इंग्लिश brother में, ग्रिम-नियम के अनुसार, th ही देखा जाता है।

(घ) सादृश्य-मूलक अपवाद

यहाँ पर यह बतलाना अप्रासङ्गिक न होगा कि कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जहाँ उक्त नियम का विपर्यास दूसरे प्रकार के शब्दों के साथ सादृश्य (या मिथ्यासादृश्य) के कारण हो जाता है (दे० पृ० १२४)। उदाहरणार्थ, संस्कृत, 'पिता', ग्रीक *patér* में यद्यपि उदात्त स्वर t (त्) के पश्चात् है, तो भी इंग्लिश father में t के स्थान में th देखा जाता है, d नहीं। इस नियम-विपर्यास का कारण वास्तव में brother शब्द के साथ मिथ्यासादृश्य ही है। पर यह प्रवृत्ति १५०० ईस्वी के कुछ पूर्व से ही देखी जाती है। प्राचीन इंग्लिश में तो *fader* या *foeder* यही रूप मिलता है।

१८—तालव्यीभाव का नियम तथा भारतयूरोपीय भाषा-परिवार की भाषाओं के साथ संस्कृत का सम्बन्ध।

भाषाविज्ञान के प्रायः प्रारम्भिक काल से ही ऐसा विश्वास चला आ रहा था कि भारत-यूरोपीय मूलभाषा के 'अ' आदि स्वर समस्त भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार को लेकर केवल भारत-ईरानी भाषा-परिवार में और विशेषतः संस्कृत में ही ज्यों के त्यों सुरक्षित हैं। इसी विश्वास के आधार पर समझा जाता था कि उन अनेकानेक शब्दों में, जिनमें संस्कृत 'अ' के स्थान में ग्रीक और लैटिन भाषाओं में e या o पाया जाता है, संस्कृत 'अ' को ही मौलिक और ग्रीक और लैटिन के e, o को उसका विकृत या परिवर्तित रूप समझना चाहिये।

उदाहरणार्थ,

संस्कृत	ग्रीक	लैटिन
अस्ति ^१	ésti	est
जनः ^१	génos	genus
अपः ^१		opus
दुदश ^१	dédorka	
अस्थि ^१	o'stéon	os

परन्तु उपर्युक्त प्राचीन भाषाओं के व्यञ्जनों के तुलनात्मक अध्ययन से, जैसा कि नीचे दिखलाया है, उपर्युक्त विश्वास को बड़ा धक्का लगा ।

भारत-यूरोपीय मूलभाषा के मूलकरण-स्थानीय स्पर्शों (Velars) का आगे चलकर दो प्रकार^२ का विकास दिखाई देना है; एक प्रकार का पश्चिमवर्गीय (ग्रीक, लैटिक आदि) भाषाओं में, और दूसरे प्रकार का पूर्विय वर्ग की (संस्कृत आदि) भाषाओं में ।

पश्चिमवर्गीय भाषाओं में मूलकरण-स्थानीय स्पर्शों के साथ रहनेवाली अल्प (या लघुप्रयत्नतर^२) ऋ या 'व्' जैसी ओष्ठ्य-श्रुति ज्यों की त्यों सुरक्षित रही (जैसे, लैटिन que या quinque में), या नये रूप से विकसित हो गई; जब कि पूर्विय भाषा-वर्ग (संस्कृत आदि) में उनके स्थान में साधारण करण-स्थानीय स्पर्श (simple gutturals 'क्' 'ग्' आदि) हो गये । जैसे—

लैटिन	संस्कृत
quod	कद् (वैदिक)
quis	कः

ऐसा होने पर भी, संस्कृत में कभी-कभी विशिष्ट स्थलों में साधारण करण्य स्पर्शों के बजाय तालव्य व्यञ्जन ('च्' आदि) पाये जाते हैं ।

१. देखिये अगला अधिकरण ।

२. तु० “व्योर्लघुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य” (पाणिनि-अष्टा-याथी ८।३।१८)

ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं के साथ उन स्थलों की तुलना करने से प्रतीत हुआ कि जहाँ जहाँ उक्त स्थलों में संस्कृत में तालव्य व्यञ्जन पाया जाता है वहाँ वहाँ ग्रीक और लैटिन भाषाओं में *e* आदि कोई तालव्य स्वर (मूल या साधारण) कण्ठ्यस्पर्श के आगे पाया जाता है । इससे यही समझा गया कि भारतयूरोपीय मूलभाषा के तालव्य स्वर के पूर्व में आनेवाले कण्ठ-स्थानीय स्पर्श के स्थान में संस्कृत में तालव्य व्यञ्जन हो जाता है ।

परन्तु संस्कृत शब्दों में ऐसे स्थलों में तालव्य व्यञ्जन के आगे जहाँ तालव्य स्वर *e* होना चाहिये वहाँ 'अ' ही देखा जाता है । इससे यह अनुमान किया गया कि संस्कृत में उन शब्दों में कण्ठ्य स्पर्श के स्थान में तालव्य व्यञ्जन के पाये जाने का कारण केवल मौलिक शब्दों में उस स्पर्श के आगे आनेवाला तालव्य स्वर ही हो सकता है ।^१ साथ ही इस का यह अर्थ होता है कि हमको मानना चाहिये कि मौलिक भाषा के *a*, *e* (और *o*) स्वरों को जहाँ ग्रीक और लैटिन ने अपने अपने रूप में सुरक्षित रखा, वहाँ संस्कृत ने उन सबको केवल 'अ' के ही रूप में रखा है ।

इसी निरीक्षण के आधार पर आजकल भाषाविज्ञान में तालव्यी-भाव का नियम स्वीकार किया जाता है । संस्कृत के समान यह नियम भारत-ईरानी भाषा-वर्ग की ईरानी शाखा में भी पाया जाता है ।

संक्षेप में उक्त नियम को इस प्रकार कह सकते हैं :—

भारत-यूरोपीय मूल-भाषा के कण्ठ-स्थानीय स्पर्श (मूलकण्ठ-स्थानीय तथा साधारण), जिनके आगे कोई तालव्य स्वर (*e* आदि)

१. कवर्ग के स्थान में, विशिष्ट अवस्थाओं में, चवर्ग होने की प्रवृत्ति स्वतः संस्कृत भाषा में भी पाई जाती है । उदाहरणार्थ, 'चकार', 'जगाम', 'जघान' आदि में लिट् लकार में अभ्यास में "कुहोश्चुः" (पाणिनि-अष्टाध्यायी ७।४।३२) सूत्र के अनुसार यथाक्रम 'क्', 'ग्', और 'ह्' (= 'घ्') के स्थान में 'च्', 'ज्' और 'ज्' हो जाते हैं । यह ध्यान देने की बात है कि इस प्रकार के अभ्यास में ग्रीक और लैटिन में *e* स्वर ही पाया जाता है । जैसे, ग्रीक *dédorka*, लैटिन *tetigi*।

आता था, भारत-ईरानी भाषा-वर्ग में तालव्य व्यञ्जन के रूप में परिवर्तित हो गये; और जहाँ ऐसा नहीं था वहाँ (साधारण) कण्ठ-स्थानीय स्पर्श ही रहे।

जैसे—

(१) मूलभाषा के कण्ठ्य स्पर्शों के संस्कृत में तालव्यीभाव के उदाहरण—

भा० यू० मूल-भाषा	ग्रीक	लैटिन	संस्कृत
* qe	te	que	च
* péñqe	pénte	quinque	पञ्च'
* qid	tí	quid	चिद्
* kúkis			शुचि':

(२) तालव्य स्वर के आगे न होने से मूलभाषा के कण्ठ्य स्पर्शों के संस्कृत में तालव्यीभाव न होने के उदाहरण—

भा० यू० मूल-भाषा	ग्रीक	लैटिन	संस्कृत
* kakūd		cacūmen	ककुद्
* qotero-s	póteros		कुतरः
* ugrós		augeō	उग्रः

उक्त नियम का महत्त्व

भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की दृष्टि से उक्त नियम का भाषाविज्ञान में बड़ा महत्त्व है। मुख्य करके इसी नियम के आधार पर भाषाविज्ञान में आजकल निम्नलिखित दो सिद्धान्त माने जाते हैं :—

(१) प्रथम तो यह कि भारत-यूरोपीय मूल-भाषा के स्वरों का जैसा संरक्षण ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं में हुआ है वैसा संस्कृत या ईरानी भाषा में नहीं।

(२) दूसरे यह कि संस्कृत भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार में अन्य भाषाओं की मूलभाषा या मातृ-भाषा न होकर केवल उनकी स्वसृ-स्थानीय ही हो सकती है। यह दूसरी बात है कि वह उन सब में बड़ी बहिन हो।

२०—भारतयूरोपीय मूल-भाषा में कण्ठ्य स्पर्शों की तीन श्रेणियाँ और उनका उत्तरवर्ती विकास

कुछ समय पूर्व तक भाषाविज्ञानियों का मत था कि भारत-यूरोपीय मूल-भाषा में, दन्त्य और ओष्ठ्य स्पर्शों के साथ-साथ, कण्ठ्य स्पर्शों की दो श्रेणियाँ थीं—एक मूलकण्ठ्य दूसरी तालु-कण्ठ्य।

पर बें ट्सेनबर्जर (Bezzenger) नामक विद्वान् ने सिद्ध कर दिया है कि भा० यू० मूलभाषा में कण्ठ्य स्पर्शों की एक तीसरी श्रेणि भी थी जिसको उक्त दोनों श्रेणियों के बीच की श्रेणि कहा जा सकता है। इस श्रेणि के स्पर्शों को हम साधारण कण्ठ्य स्पर्श अथवा मध्यकण्ठ्य स्पर्श कह सकते हैं।

इन तीनों श्रेणियों के कण्ठ्य स्पर्शों का मोटी रीति से वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है :—

(१) मूलकण्ठ्य स्पर्श (Velars)—मुख में इनका स्थान सबसे पीछे की ओर था। इनके उच्चारण में जिह्वा का सबसे पिछला भाग कोमल तालु के पिछले भाग को स्पर्श करता था।

(२) मध्यकण्ठ्य स्पर्श (Middle gutturals)—मुख में अपेक्षा-कृत कुछ अगले भाग के साथ (लगभग कठोर तालु के साथ) जिह्वा के स्पर्श से इनका उच्चारण होता था। इनको साधारण कण्ठ्य स्पर्श (Simple gutturals) भी कह सकते हैं।

(३) तालु-कण्ठ्य स्पर्श (Palatal gutturals)—इनका उच्चारण मुख के अगले भाग के साथ (या कठोर तालु के अग्र भाग के साथ) जिह्वा के स्पर्श से होता था।

तीनों श्रेणियों का लिखने में निर्देश हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं—

मूलकण्ठ्य स्पर्श—क, ख, ग, घ
 मध्यकण्ठ्य स्पर्श—क, ख, ग, घ
 तालु-कण्ठ्यस्पर्श—क, ख, ग, घ,

उत्तरवर्ती विकास

यह स्मरण रखना चाहिये कि भा० यू० मूलभाषा में कण्ठ्य स्पर्शों की उक्त तीन श्रेणियों की कल्पना का एक मात्र आधार उनका भारत-यूरोपीय भाषाओं में उत्तरकालीन विकास ही है। उस विकास को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि—

(१) उक्त परिवार की पश्चिमीय वर्ग की भाषाओं (दे० पृ० २६०) में मूल-कण्ठ्य स्पर्शों में कुछ ओष्ठ्यत्व आ गया था। दूसरे शब्दों में, उनके उच्चारण में ओष्ठों की भी सहायता ली जाने लगी थी; अतएव उनका उच्चारण करते हुए w या 'वू' जैसी अल्प श्रुति भी प्रतीत होती थी। हो सकता है कि इसकी वीजरूप से सत्ता मूलभाषा में भी रही हो।

पश्चिम वर्ग की भाषाओं में मूलभाषा के मध्य-कण्ठ्य स्पर्श तालु-कण्ठ्य स्पर्शों के साथ एक ही श्रेणि में आ गये।

(२) पूर्वीय वर्ग (दे० पृ० २९०) की भाषाओं में मूलकण्ठ्य स्पर्शों में ओष्ठ्यत्व के लक्षण नहीं आये, किन्तु मूलकण्ठ्य स्पर्श मध्यकण्ठ्य स्पर्शों के साथ एक ही श्रेणि^१ में आ गये।


इसी वर्ग की भाषाओं में तालुकण्ठ्य स्पर्श तालव्य घर्षक^२ बन गये।

१. पिछले अधिऋण में जिस तालव्यभाव के नियम का वर्णन किया है उसका सम्बन्ध भारत-ईरानी भाषावर्ग की साधारण कण्ठ-स्थानीय स्पर्शों की इसी श्रेणि से है।


२. इसी कारण से केन्दुम्-वर्ग का कण्ठस्थानीय स्पर्श सतम्-वर्ग में ऊष्मा ('शू' आदि) के रूप में देखा जाता है। दे० परि० ११, अधि० १६ (४)।

इस अधिकरण के विषय को नीचे दिये गये चित्रों द्वारा हम और भी अधिक स्पष्ट कर सकते हैं—

भा० यू० मूलभाषा में कण्ठ्य-स्पर्शों की तीन श्रेणियाँ



भा० यू० मूलभाषा में कण्ठ्य-स्पर्शों की तीन श्रेणियाँ



बारहवाँ परिच्छेद


— ❁ —

ईरानी भाषा-वर्ग

फारसी भाषा जिसका सम्बन्ध ईरानी भाषा से है भारतवर्ष में चिरकाल से पढ़ने-पढ़ाने में आती रही है। किसी समय इसका प्रचार भारतवर्ष में बहुत अधिक था, यहाँ तक कि बहुत दिनों तक मुसलमानी राज्य के समय में इसको राजभाषा का पद प्राप्त था। आज-कल यह उस पद से गिर गई है, तो भी इसके पढ़ने-पढ़ाने का प्रचार विद्यमान है। ऐसा होने पर भी फारसी भाषा एक आर्य-भाषा है और उसका कम से कम अपने प्राचीन रूप में संस्कृत से घनिष्ठ सम्बन्ध था यह कम लोग जानते हैं। भारतवर्ष में रहनेवाले पारसी लोगों की धार्मिक मूल-पुस्तक अवेस्ता की भाषा भी ईरानी भाषा का ही एक प्राचीन रूप है। उसका वैदिक भाषा से कितना अधिक सम्बन्ध है यह नीचे दिखलाया जायगा। इत्यादि कारणों से ईरानी भाषा-वर्ग का यहाँ कुछ वर्णन करना उचित प्रतीत होता है।

१—ईरानी भाषावर्ग की भाषायें

ईरानी भाषाओं के स्वरूप के प्राचीन इतिहास और विकास को ठीक-ठीक जानने के लिए पर्याप्त सामग्री न होने से पूर्ण रूप से इन भाषाओं का शृंखला बद्ध इतिहास नहीं बतलाया जा सकता। इसलिए प्राचीन और उसके पीछे के समय की ईरानी भाषाओं के मुख्य मुख्य भेदों का ही वर्णन किया जा सकता है। प्राचीन, मध्य-कालीन और अर्वाचीन भेदों को लेकर ईरानी भाषा-वर्ग में निम्न-लिखित भाषायें सम्मिलित हैं :—



काल-भेद से फ़ारसी भाषा की उपर्युक्त तीन अवस्थाओं का समय तथा फ़ारिस देश के इतिहास के तीन महत्त्वयुक्त युगों का समय परस्पर मिलता है। प्राचीन फ़ारसी का और हख़्मानी (Achaemenid, डेरियस आदि) राजाओं के साम्राज्य का समय (ईसा के पूर्व ५५० से ३३१ तक) एक ही है। उसी प्रकार ससानियन (Sassanian) राजवंश का समय (२२६ ईस्वी से ६५१ ईस्वी तक) और पहलवी या मध्य-कालीन फ़ारसी का समय भी परस्पर मिलता है। उत्कृष्ट साहित्यिक फ़ारसी का समय फ़ारिस देश में मुसलमानी सभ्यता की स्थापना होने के बाद जातीय पुनरुत्थान के समय (लगभग ६०० ई० से १००० ई० तक) से मिलता है।

ऊपर के लेख से यह स्पष्ट हो गया होगा कि फ़ारसी भाषा और ईरानी भाषा दोनों का अर्थ एक ही नहीं है। भाषा-विज्ञानियों के व्यवहार के अनुसार ईरानी भाषा-वर्ग के केवल पश्चिमी भाग का ही नाम फ़ारसी है। वास्तव में ईरान देश के एक पश्चिमी प्रान्त का ही नाम फ़ारिस है, तो भी आज-कल प्रायः फ़ारिस शब्द का प्रयोग सारे ईरान के लिये किया जाता है।

उपर्युक्त दृष्टि से ईरानी भाषा-वर्ग के फ़ारसी भाषा-वर्ग और तदितर-भाषा-वर्ग इस प्रकार दो उपभेद भी प्रायः किये जाते हैं।

२—ईरानी भाषाओं की सामान्य विशेषतायें

समस्म ईरानी भाषाओं की कुछ ऐसी विशेषताये, जो उनको विशेष-कर संस्कृत से पृथक् करती हैं, ये हैं :—

(१) भारत-यूरोपीय मूल-भाषा के s (स्) के स्थान में, जो संस्कृत में जैसा का तैसा पाया जाता है, ईरानी भाषाओं में h (ह्) हो जाता है; जैसे :—

संस्कृत	अवेस्तन	प्राचीन फ़ारसी	अर्वाचीन फ़ारसी
सिन्धु	hindu	hindu	hind (हिन्द)
सर्व	haurva	haruva	har (हर)

(२) भारत-यूरोपीय मूल-भाषा के वर्गों के चतुर्थ gh (घ्), dh (ध्), bh (भ्) के स्थान में क्रम से वर्गों के तृतीय g (ग्), d (द्), b (ब्) देखे जाते हैं; जैसे :—

संस्कृत	अवेस्तन	प्राचीन फ़ारसी	अर्वाचीन फ़ारसी
धर्म	garəma	garma	garm (गर्म)
धित (वैदिक = हित)	dāta	dāta	dād (दाद)
भूमि	būmi	būmi	būm (बूम)

(३) सघोष z (ज्) आदि ऊष्मा वर्गों का पाया जाना; जैसे :—

संस्कृत	अवेस्तन	प्राचीन फ़ारसी	अर्वाचीन फ़ारसी
असुरोमेधास्	Ahuro mazdaə'	Aura-mazdā	Ormuzd (उर्मुज्द)
बाहु	bāzu	bāzū (बाजू)
जानु	zānu	zānū (जानू)

३—अवेस्तन या अवेस्ता की भाषा

ऊपर ईरानी भाषा-वर्ग में सम्मिलित भाषाओं को दिखलाते हुए प्राचीन समय में ईरानी भाषा के दो भेद दिखलाये हैं :—एक अवेस्तन और

दूसरी प्राचीन फ़ारसी । इनमें से अवेस्तन का सम्बन्ध पूर्वीय ईरान से और प्राचीन फ़ारसी का पश्चिमीय ईरान से था ।

पारसी लोगों की मूल-धर्म-पुस्तक अवेस्ता (जिसको मूल से जिन्दा-वेस्ता भी कहा जाता है) की भाषा के लिए अवेस्तन नाम विद्वानों में प्रचलित है । अवेस्ता के अतिरिक्त, मध्य-कालीन टीकाओं में भी इस भाषा के कुछ वाक्य उद्धृत किये गये मिलते हैं । यह सब सामग्री थोड़ी होने पर भी अवेस्तन भाषा की रचना के समझने के लिए पर्याप्त है ।

अवेस्तन भाषा को कोई कोई प्राचीन बैक्ट्रियन भी कहते हैं । इस नाम से यह प्रतीत होता है कि अवेस्तन भाषा बैक्ट्रिया में ही परिमित थी, या कम से कम वहाँ बोली जाती थी । परन्तु यह एक कल्पनामात्र है । इस कारण से उपर्युक्त नाम इसको देना ठीक नहीं । इस प्रकार अवेस्तन भाषा के बोले जाने के प्रदेश के विषय में ठीक-ठीक निश्चय न हो सकने पर भी इसमें सन्देह नहीं कि अवेस्तन भाषा ईरान के पूर्वीय भाग में बोली जाती थी ।

भाषा-विज्ञानों के लिए अवेस्तन भाषा का महत्त्व, ईरानी भाषाओं में ही नहीं, किन्तु समस्त भारत-यूरोपीय भाषाओं में बहुत अधिक है ; स्वरूप की प्राचीनता की दृष्टि से यह वैदिक भाषा से समानता रखती है । अनेक बातों में इस भाषा में वैदिक भाषा से भी प्राचीनता की झलक अधिक पाई जाती है । संस्कृत से इसका पद इसी बात में नीचा है कि इसका साहित्य संस्कृत-साहित्य के समान विस्तृत नहीं, और इस पर व्याकरण की दृष्टि से ठीक-ठीक विचार नहीं किया गया ।

अवेस्तन भाषा के समय को निर्धारित करने के लिए अवेस्ता के समय का निर्धारण करना आवश्यक है । अवेस्ता अपनी वर्तमान दशा में एक ही ग्रन्थ-कर्ता या समय की कृति नहीं है । अवेस्ता में भाषा की दो अवस्थायें स्पष्टतया प्रतीत होती हैं । समस्त पुस्तक का कुछ ही भाग, जिसमें गाथायें या गीत हैं, एक प्राचीनतर भाषा में है ।

अवेस्ता के अन्य भागों की अपेक्षा इन गाथाओं की अधिक प्राचीनता इससे स्पष्ट है कि इनका उल्लेख और भागों में पाया जाता है । इनको पारसियों के परम आचार्य जोरोआस्टर या ज़रथुष्ट्र की वास्तविक

कृति समझना चाहिए । ज़रथुष्ट्र के विषय में विद्वानों का अनुमान है कि वे ईसा से पूर्व १४ वीं शताब्दी में हुए थे । भिन्न-भिन्न विद्वान् इस समय को ईसा से पूर्व तीसरी सहस्राब्दी में ले जाते हैं या प्रथम सहस्राब्दी में ले आते हैं ।

दूसरे भागों की अपेक्षा गाथाओं की भाषा और शैली बहुत कुछ खूबी है; उनमें शब्दों के रूपों की बहुलता भी अधिक है; और शब्दावली में भी भेद है । गाथाओं की भाषा की एक विशेषता यह है कि इसमें दीर्घ स्वरों का प्राधान्य है । जहाँ अवेस्ता के और भागों में शब्दों का अन्तिम स्वर प्रायः ह्रस्व आता है, वहाँ गाथाओं की भाषा में उसके स्थान में दीर्घ स्वर पाया जाता है; जैसे :—

संस्कृत	गाथाओं की भाषा	पीछे की अवेस्तन
अभि (= पास)	aibi	aiwi
ईहा	izhā	izha

गाथाओं की भाषा की अति प्राचीनता इससे स्पष्ट सिद्ध होती है कि यह अवेस्ता के दूसरे भागों की अपेक्षा वहीं अधिक वैदिक भाषा से मिलता-जुलती है । इन दोनों में समानता इतनी अधिक है कि इनको एक ही भाषा के दो प्रादेशिक भेद कहा जा सकता है । यहाँ तक कि कुछ वर्णपरिवर्तन-सम्बन्धी नियमों द्वारा गाथाओं के छन्द के छन्द वैदिक संस्कृत के रूप में आसानी से परिवर्तित किये जा सकते हैं ।

उदाहरणार्थ,

təm	amavantəm	yazatəm
sūrəm	dāmōhu	sevištəm
mithrəm	yazāi	zaothrābyō ^१

१. दे० :—*A. V. Williams Jackson* महाशय की *Avesta Grammar*, भूमिका पृ० ३१ । उन्हीं के अनुसार इसका अर्थ है :—‘मैं आहुतियों द्वारा उस बलवान् शक्तिशाली और सब प्राणियों के लिए अत्यन्त लाभकारी मिथ्र देवता की पूजा करूँगा ।’

इस अंश को कुछ वर्ण-परिवर्तन-सम्बन्धी नियमों के अनुसार

तम्	अमवन्तं	यजतम्
शूरं	धामसु	शविष्ठम्
मित्रं	यजै	होत्राभ्यः

इस प्रकार वैदिक भाषा का रूप दिया जा सकता है ।

अवेस्ता के दूसरे भागों की भाषा गाथाओं की भाषा की अपेक्षा नवीन है । अवेस्तन भाषा का बोला जाना कब बन्द हो गया था, इस बात के निर्णय के लिए हमारे पास पूरे-पूरे प्रमाण नहीं हैं । तो भी, इसमें कोई सन्देह नहीं कि अवेस्ता का कोई भाग भी ईसा के पूर्व पाँचवीं या चौथी शताब्दी से पीछे का नहीं हो सकता । सम्राट् अलेग्जैंडर के समय से पूर्व ही अवेस्ता लेख-बद्ध हो चुकी थी और पर्सीपोलिस नगर के राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित थी, यह बात इतिहास से सिद्ध है ।

अवेस्तन भाषा के स्वरों में एक विशेषता यह है कि इसमें ह्रस्व e (ए) और o (ओ) पाये जाते हैं । इनका संस्कृत तथा प्राचीन फारसी में अभाव है । उदाहरणार्थ, संस्कृत 'यदि' और प्रा० फा० *yadiy* के स्थान में अवेस्तन में *yezi* पाया जाता है ।

स्वरों के विषय में यह बात भी देखी जाती है कि अवेस्तन भाषा में अनेक स्वर प्रायः इकट्ठे प्रयुक्त होते हैं और शब्दों में अगले अक्षर के स्वर के प्रभाव से उससे पहले अक्षर में या शब्द के प्रारम्भ में एक लघु स्वर या स्वर-भक्ति का आगम हो जाता है; जैसे :—

संस्कृत	अवेस्तन
भरति	baraiti
रिणक्ति	irinakhti
रोपयन्ति	urūpayeinti

अवेस्तन भाषा में तीन स्वरों के भी संध्यक्षर देखे जाते हैं; जैसे :—

संस्कृत

अश्वेभ्यः

कृणोति

अवेस्तन

aspaēibyō

kərənaoiti

अवेस्तन भाषा के शब्दों में दो व्यञ्जनों के बीच में अकारणक स्वर भी आ जाते हैं; जैसे :—

संस्कृत

सव्य (=बाँयाँ)

धर्म

गर्म

अवेस्तन

hāvōya

garəma

garəwa

संस्कृत के साथ तुलना की दृष्टि से व्यञ्जनों के विषय में मुख्य मुख्य बातें ये हैं :—(१) चवर्ग में 'च्' और 'ज्' केवल दो ही वर्ण अवेस्तन भाषा में पाये जाते हैं; (२) संस्कृत टवर्ग का अवेस्तन में बिलकुल अभाव है; (३) अवेस्तन में वर्णों के द्वितीय और चतुर्थे सोष्म स्पर्शों का भी अभाव है, और उनके स्थान में और वर्ण देखे जाते हैं; (४) अनुनासिक व्यञ्जन कुछ अंश तक ही संस्कृत से मिलते हैं; (५) परन्तु अवेस्तन भाषा में 'स्', 'श्' आदि ऊष्माओं के संस्कृत की अपेक्षा अधिक भेद पाये जाते हैं; विशेषकर इन वर्णों के z (ज्) या zh ये सघोष रूप संस्कृत में न पाये जाकर अवेस्तन में ही पाये जाते हैं ।

अवेस्तन भाषा में 'ल' का बिलकुल अभाव है ।

सुबन्त प्रकरण में अवेस्तन वैदिक भाषा से बहुत अधिक समानता रखती है । वैदिक संस्कृत की तरह ही उसमें तीन लिङ्ग, तीन वचन, और सम्बोधन को मिलाकर आठ कारक (या विभक्तियाँ) होते हैं ।

धातुओं के रूपों में भी अवेस्तन संस्कृत से सामान्यतः मिलती है । धातुयें प्रायः एकाक्षरात्मक होती हैं और उनमें परिवर्तन संस्कृत के सदृश ही होते हैं । काल, क्रिया-प्रकार और वाच्य के भेद से होने वाले रूपों में भी दोनों में बहुत कुछ समानता है ।

निम्नलिखित उदाहरणों से संस्कृत और अवेस्तन के सम्बन्ध की वनिष्ठता स्पष्ट हो जावेगी :—

संस्कृत	अवेस्तन
ओजस् (= बल)	aojah
अनु (= पीछे)	anu
अन्य	anya
अन्तरू (= अन्दर)	antare
अप (= अलग)	apa
अम (= बल)	ama
अस्थि, अस्थन् (= हड्डी)	ast
अश्व	aspa
असुर (ऋग्वेद में = देव)	ahura (= पति)
पुत्र	puthra
शूर	sūra
सोम	haoma
सर्व	haurva
सत्य	haithya
हवन	zavana
हृद्	zard
जन्तु	zantu
होतर्	zaotar
हस्त	zasta
जात	zāta
सप्त	hapta
सचा (= साथ)	haca
स्वर्	hvar
वृक (= भेडिया)	vøhrka
वृत्र (= एक राक्षस)	verøthra
शिग्स	sarah
विश्व	vīspa

संस्कृत	अवेस्तन
वसिष्ठ	vahīsta
यज्ञ	yasna
यज् (= यजन करना)	yaz
अहम्	azəm
वयम्	vaēm
अस्मत्	ahmat
अस्माकम्, नः	ahmākəm, nō
ददामि, दधामि	dadāmi
अस्ति	asti
असि	ahi
अस्मि	ahmi

४—प्राचीन फ़ारसी

प्राचीन फारसी ईरान देश के पश्चिमी भाग (फारिस-प्रदेश) की प्राचीन भाषा थी । इसी को मध्य-कालीन तथा अर्वाचीन फारसी की मातृ-भाषा कहना चाहिये । प्राचीन फारसी कीलकाक्षरों में खुदे हुए अनेक प्राचीन लेखों में पाई जाती है । इन लेखों को हख्मानी राज-वंश के डेरियस (ईसा के पूर्व ५२१-४८५) आदि राजाओं ने खुदवाया था । इनमें से बेहिस्तुन की पहाड़ी में खुदे हुए प्राचीन लेख मुख्य हैं । पीछे के खुदे हुए लेखों में इस भाषा का स्वरूप बहुत कुछ विकृत हो चुका था । तो भी, साधारणतया इसको प्राचीनता में अवेस्तन की सम-कक्ष ही कहना चाहिये । इसमें अनेक बातें अवेस्तन के साथ समान पाई जाती हैं ।

अवेस्तन भाषा में जितना प्राचीन साहित्य मिलता है वह प्राचीन फारसी में उपलब्ध लेखों की अपेक्षा बहुत ही अधिक है । इस कारण से ऐसा प्रायः होता है कि फारसी के शब्दों के प्राचीन रूपों की खोज करते हुए अवेस्तन भाषा का शब्द उद्धृत कर दिया जाता है, क्योंकि प्राचीन फारसी में उस शब्द का वस्तुतः क्या रूप था यह जानने के लिए हमारे

पास किसी प्राचीन लेख का साक्ष्य नहीं है। ऐसी दशा में विद्यार्थी को यह भ्रम न होना चाहिये कि फ़ारसी अवेस्तन भाषा से निकली है।

प्राचीन फ़ारसी की वर्ण-माला अवेस्तन की अपेक्षा अधिक सादी है। उदाहरणार्थ, ह्रस्व e (ए) और o (ओ) का प्रा० फ़ारसी में अभाव है; उनके स्थान में संस्कृत के सदृश a (अ) ही देखा जाता है। उदाहरणार्थ,

अवेस्तन	प्राचीन फ़ारसी	संस्कृत
yezi	yadiy	यदि

व्यञ्जनों के विषय में यह बात उल्लेखनीय है कि प्राचीनतर z (अर्थात् सघोष s), जो अवेस्तन में जैसा का तैसा पाया जाता है, प्राचीन फ़ारसी में d के रूप में परिवर्तित देखा जाता है। उदाहरणार्थ,

सं०	अवे०	प्रा० फ़ा०	अर्वा० फ़ारसी
हस्त	zasta	dasta	dast (दस्त)
अहम्	azəm	adam

प्राचीन फ़ारसी के पदों के अन्त में व्यञ्जन प्रायः नहीं पाये जाते। इस विषय में प्राचीन फ़ारसी स्वसम्बन्धी अन्य भाषाओं से बहुत बड़ी-चढ़ी है; जैसे :—

सं०	अवे०	प्रा० फ़ा०
अभरत्	abarat	abara

अन्य प्राचीन ईरानी भाषाये'

ईरानी भाषा-वर्ग से सम्बन्ध रखनेवाली अन्य प्राचीन भाषाओं का केवल नाममात्र शेष है। प्राचीन लेखों में सागिडियाना, जैबुलिस्तान और हिरात आदि की प्राचीन बोलियों का उल्लेख मिलता है। किसी समय सागिडियन (या सुगदी) भाषा मध्य एशिया में दूर तक प्रचलित थी। इन भाषाओं के विषय में इनके नाम के आतिरिक्त और कुछ विशेष ज्ञात नहीं है। सिथियन, लिसियन और लिडियन भाषाओं के विषय में यह निश्चय नहीं कि उनका सम्बन्ध ईरानी भाषा-वर्ग से ही था या नहीं।

५—मध्य-कालीन फ़ारसी या पहलवी

हख्मानी साम्राज्य के नष्ट होने के बाद लगभग पाँच शताब्दियों तक फ़ारसी भाषा का कोई लेख नहीं पाया जाता। इसका कारण जातीय अधःपतन ही था। इसके बाद ससानियन राज-वंश के समय से तथा उसके कुछ पूर्व से ही फ़ारसी भाषा के लेख पहलवी के साहित्य तथा कुछ खुदे हुए लेखों में पाये जाते हैं।

ससानियन राज-वंश के खुदे हुए लेखों के अतिरिक्त, पहलवी भाषा का साहित्य मुख्यतया पारसियों के धार्मिक साहित्य से सम्बन्ध रखता है। अवेस्ता के कई भागों का पहलवी भाषा में अनुवाद अब तक सुरक्षित है।

पहलवी एक प्रकार की सेमिटिक लिपि में लिखी जाती थी। इसमें अनेक फ़ारसी शब्दों को प्रकट करने के लिए तद्वाची सेमिटिक शब्दों की वर्णानुपूर्वी (या हिज्जों) से ही काम लिया जाता था। उदाहरणार्थ, 'राजाधिराज' इस अर्थ में सेमिटिक 'मलिकानमलिक' शब्द को लिखकर उसका उच्चारण फ़ारसी में तद्वाची 'शाहनशाह' या 'शाहानशाह' ही किया जाता था; जैसे अंगरेज़ी में e. g. लिखकर उसको for instance ऐसा पढ़ते हैं।

हख्मानी राजाओं के समय की प्राचीन फ़ारसी की अपेक्षा मध्य-कालीन फ़ारसी में अनेक परिवर्तन देखे जाते हैं। प्राचीन फ़ारसी की तरह व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के रूपों का बाहुल्य मध्यकालीन फ़ारसी में नहीं दिखाई देता। भिन्न-भिन्न कारकों के लिए विभक्तियों का बहुत कुछ ह्रास देखा जाता है। उनके अर्थ को द्योतन करने के लिए हिन्दी 'को' 'का' जैसे सहायक शब्दों से काम लिया जाता है। इसी प्रकार लिङ्गों के भेद को द्योतन करने के लिए शब्दों के रूपों में कोई भेद नहीं किया जाता। उदाहरणार्थ, २४० सर्वनाम संस्कृत 'सः' 'सा', 'तद्' तीनों के लिए एक-सा ही प्रयुक्त होता है।

सामान्यतः मध्यकालीन फ़ारसी नीचे वर्णन की गई साहित्यिक फ़ारसी के ही ढंग की है।

६—अर्वाचीन फ़ारसी

फ़ारसी भाषा के विकास का अन्तिम स्वरूप अर्वाचीन फ़ारसी में पाया जाता है। इसका खवसे पुराना साहित्यिक रूप महाकावि फ़िरदौसी (६४०-१०२० ई०) की भाषा में मिलता है। इस महाकावि के शाहनामा नाम के काव्य की भाषा में अरबी भाषा का इतना प्रभाव नहीं दीखता जितना अन्य अर्वाचीन फ़ारसी साहित्य में देखा जाता है। धीरे-धीरे अर्वाचीन फ़ारसी पर विशेषकर साहित्यिक भाषा पर, अरबी भाषा का प्रभाव बढ़ता गया। अनेकानेक अरबी शब्द इसमें सम्मिलित हो गये। इसकी वाक्य-रचना तक पर अरबी का प्रभाव दीख पड़ता है। भारतवर्ष में जो फ़ारसी पढ़ने-पढ़ाने में आती है वह यही अर्वाचीन साहित्यिक फ़ारसी है।

शाहनामा के लिखे जाने के समय से अर्वाचीन फ़ारसी की रचना अब तक बहुत कुछ ज्यों की त्यों रही है। तो भी आज-कल की प्रधान फ़ारसी के उच्चारण तथा शब्द-भण्डार में बहुत कुछ भेद हो गया है। अनेक नई नई वस्तुओं और विचारों के लिए नये-नये शब्दों का प्रचलित होना स्वाभाविक ही है। कुछ थोड़ा-सा भेद व्याकरण की दृष्टि से भी हो गया है।

अर्वाचीन फ़ारसी में व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के रूपों का भेद मध्य-कालीन फ़ारसी की अपेक्षा भी कम है।

मध्य-कालीन और विशेषकर प्राचीन फ़ारसी की अपेक्षा अर्वाचीन फ़ारसी में होनेवाले उच्चारण-सम्बन्धी परिवर्तनों में सबसे मुख्य परिवर्तन k, t, p, और c (=च) के स्थान में g, d, b, और z का होना है; जैसे:—

प्राचीन फ़ा०
या अवेस्तन
mahrka (=मृत्यु)
hvatō (=स्व)
āp (=जल)
raucah (=दिन)

पहलवी
mark
khōt
āp
rōj

अर्वाचीन फ़ा०
marg (मार्ग)
khod (.खुद)
āb (आब)
rōz (रोज़)

प्राचीन y के स्थान में प्रायः j देखा जाता है; जैसे :—

अवेस्तन	अर्वा० फा०
yāma (= शीशा)	jām (जाम = शीशे का प्याला)
yātu	jādū (जादू)

शब्दों के आरम्भ में दो संयुक्त व्यञ्जन नहीं रहने पाते—या तो उनके मध्य में या आरम्भ में एक स्वर आ जाता है, जैसे :—

अवेस्तन और प्रा० फा० के stā (= ठहरना) धातु के स्थान में अर्वाचीन फारसी में sitādan (सितादन) या istādan (इस्तादन) हो जाता है ।

इसी प्रकार अवेस्तन और प्रा० फा० के brātar (= भाई) के स्थान में birādar (विरादर) हो जाता है ।

७—आधुनिक प्रादेशिक फ़ारसी बोलियाँ तथा अन्य ईरानी भाषायें

आधुनिक प्रधान फारसी भाषा के साथ-साथ अनेक प्रादेशिक बोलियाँ भी हैं जिनको अशिक्षित लोग बोलते हैं । ये प्रादेशिक बोलियाँ शीराज और फारिस्तान से कम या अधिक दूरी के अनुसार प्रधान फारसी से कम या अधिक भेद रखती हैं; यहाँ तक कि कैस्पियन समुद्र तक जाने पर ये बोलियाँ कठिनता से ही प्रधान फारसी बोलनेवाले की समझ में आ सकती हैं ।

प्रधान फारसी भाषा तथा फारसी प्रादेशिक बोलियों के अतिरिक्त कुछ अन्य अर्वाचीन भाषायें भी हैं जिनका सम्बन्ध ईरानी भाषा-वर्ग से ही है । उनमें मुख्य-मुख्य का वर्णन नीचे दिया जाता है :—

(१) ओस्सेटिक । काकेशस के एक छोटे प्रदेश में यह बोली जाती है । यद्यपि इसके उच्चारण में जार्जियन भाषा से कुछ समानता दिखाई देती है, तो भी इसके ईरानी भाषा-वर्ग में से एक भाषा होने में कोई सन्देह नहीं । इस पर काकेशस की अनार्य भाषाओं का प्रभाव बहुत कुछ पड़ा है ।

(२) कुर्दी या कुर्दिश । इसका सम्बन्ध अर्वाचीन फारसी से बहुत कुछ है । उसके साथ कई समान बातें इसमें मिलती हैं । उससे बड़ा भारी भेद इस बात में है कि इस भाषा में फारसी भाषा की अपेक्षा शब्दों का स्वरूप बहुत कुछ संक्षिप्त हो जाता है; जैसे :—

कुर्दी	अर्वाचीन फारसी
berā (= भाई)	birādar (विरादर)
spī (= सफ़ेद)	sipēd (सिपेद)

(३) ग़ालचा तथा पामीर की बोलियाँ । ये सुदूर उत्तरीय पहाड़ी प्रदेशों में बोली जानेवाली ईरानी बोलियाँ हैं और पामीर की पहाड़ियों तक फैली हुई हैं ।

(४) बलोची । यह बलोचिस्तान की भाषा है, और अर्वाचीन फारसी से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती है । उससे यह विशेषकर इस बात में भिन्न है कि इसमें प्राचीन *i* आदि के स्थान में 'व्' आदि स्पशे वर्ण हो जाते हैं; जैसे :—

अवेस्तन	अर्वाचीन फारसी	बलोची
hvafna (= स्वप्न)	khvāb (ख्वाब)	vāb
hapta (= सप्त)	haft (हफत)	hapt

(५) पश्तो । इसको अफ़ग़ानी भी कहा जाता है । इस पर धीरे-धीरे पड़ोस की भारतीय भाषाओं का शब्दों के रूपों, वाक्य-रचना, और शब्द-कोष की दृष्टि से बहुत कुछ प्रभाव पड़ा है । तो भी, इसको भारत और ईरान की एक मध्यवर्ती भाषा न कहकर एक ईरानी भाषा ही कहना चाहिये ।

इसका निश्चय नहीं कि अवेस्तन भाषा से निकली हुई कोई भाषा आजकल है या नहीं । पश्तो के विषय में ऐसा कोई-काई समझते हैं कि वह परस्परा-रूप से अवेस्तन भाषा से निकली हुई एक भाषा है ।

८—भारत और ईरान की मध्यवर्ती भाषायें

भारतीय और ईरानी भाषाओं के बीच में कुछ ऐसी भाषायें हैं जो हिन्दूकुश के प्रदेश से लेकर काश्मीर तक फैली हुई हैं । सामान्यतः इनका

वर्गीकरण भारतीय और ईरानी भाषा-वर्गों से पृथक् एक भारत-ईरान-मध्यवर्ती भाषा-वर्ग में किया जाता है। ये दरद् और काफ़िर भाषा-वर्ग के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें मुख्य बोलियाँ ये हैं :—

बशगाती, जिसको काफ़िरिस्तान के रहनेवाले काफ़िर लोग बोलते हैं,

खोवार या चित्राली,

शीना और काश्मीरी का कुछ अंश ।

प्रियसेन महाशय इन बोलियों को पैशाची भाषा-वर्ग का नाम देते हैं ।

ये भाषायें परस्पर बहुत कुछ भिन्न हैं। इनमें अनार्य भाषाओं का अंश भी बहुत कुछ विद्यमान है। जो कुछ आर्य-भाषा का अंश है उसमें भारतीय और ईरानी दोनों भाषा-वर्गों के लक्षण पाये जाते हैं। इसी कारण से प्रियसेन महाशय ने इनका वर्गीकरण एक तीसरे वर्ग में ही किया है।

यह भी सम्भव है कि ये भाषायें भारतीय और ईरानी भाषाओं की अवान्तर सीमा में होने से केवल दोनों के मेल से ही बन गई हैं, और वस्तुतः एक तीसरे वर्ग की नहीं हैं।

॥ इति ॥

परिशिष्ट

पारिभाषिक तथा अन्य उपयोगी हिन्दी शब्दों के अंगरेज़ी पर्याय

अंश	Element
अक्षर (या वर्ण)	Letter
अक्षर	Syllable
अक्षरलोप	Hapology
अधोष (या श्वासयुक्त, श्वासानुप्रदान, 'कठोर'	Surd, Unvoiced, Hard ✓
अणुपुञ्ज	Cells
अधिकरण	Section (of a book)
अनुकरणात्मक (या अनुकरण-मूलक)	Onomatopoeic शब्द
अनुच्चरित	Silent
अनुनासिक	Nasalized
अनुपद	Chorus ✓
अनुरणन-मूलकता-वाद	Ding-dong theory ✓
अनेकाक्षरात्मक	Polysyllabic शब्दों का
अन्त-स्था	Semivowel
अन्वय	Agreement
अपवाद	Exception
अप्रयुक्त (या लुप्त)	Obsolete ✓
अभिनिधान (अभिनिहितसंधि)	Elision ✓
अयोगात्मक	Isolating ✓
अर्थविज्ञान	Semantics :
अल्पप्राण (या निरुष्म वर्ण)	Unaspirate
अवान्तर श्रुति	Transitional sound
अव्यक्त या अ-वर्णात्मक शब्द	Inarticulate sound
असाक्षात्	Indirect
आकृति-मूलक वर्गीकरण	Morphological (or Syntactical) Classification
आड़ा	Horizontal

आदर्शरूप	Typical
आदिकालीन या आदिम	Primitive
आनुषङ्गिक	Accidental
उच्च- (या दक्षिणीय) जर्मन	High German
उच्चारणसम्बन्धी परिवर्तन, या वर्णविकार)	Phonetic change
उच्चारणसम्बन्धी (या वर्णविषयक) विचार, या ध्वनि-विज्ञान	Phonology
उच्चारणसम्बन्धी हास	Phonetic decay
उच्चारणोपयोगी शरीरावयव (या बोलने के स्थान, स्थान)	Vocal organs
उद्देश्य	Object
उद्धृत शब्द	Loan or Borrowed word
उपचयात्मक (या संचयात्मक)	Agglomerating
उपपरिवार	Subfamily
उपसर्ग	Preposition
ऊष्मा	Spirant
एकता (या तादात्म्य)	Identity
एकाक्षर, एकाक्षरात्मक	Monosyllabic
एकान्ततः	Absolutely
ऐतिहासिक क्रम	Chronology
ओष्ठ्य	Labial
कडा तालु	Hard palate
कण्ठपिटक (टेंडुआ या स्वरयन्त्र)	Larynx
कण्ठमूलीय	Glottal
कण्ठ्य	Guttural
कम्पन	Vibration
कला	Art
काग (=गले का 'कौआ')	Uvula
काल	Tense
कौलकाक्षर	Cuneiform (or wedge-shaped) letters
केन्द्रस्थ (या आभ्यन्तरप्रदेशस्थ) भाषा =पश्चिमी हिन्दी	Language of the Midland
केवल-ग्रहण	Simple apprehension
कोमल तालु (या कण्ठ)	Soft palate
कोष्ठक	Table

क्रिया-प्रकार	Mood
खण्ड (या पैरा)	Paragraph
खण-काव्य	Lyrics
खुदा हुआ लेख	Inscription ३१०
मूढ़ विचार	Abstract idea
घर्षक वर्ण	Fricatives ५१३
चित्रलिपि (या चित्रमय अक्षर)	Hieroglyphics ६
चिन्तन (या सोचना)	Thought
चिन्तनाणुवाद	Atomism of thought
जटिल (या संकीर्ण)	Complicated
तन्तु	Fibre ५१७
तर्कशास्त्र	Logic
तारा का चिह्न (*)	Asterisk
तालव्य	Palatal
तालव्यीभाव का नियम	Palatal Law
तिङन्त-प्रकरण (या धातुओं के रूप)	Conjugation
तिप्पत-बर्मीय	Tibeto-Burman
तुलना	Comparison
तुलनात्मक	Comparative
त्रिवर्णात्मक	Triliteral ६१
दन्तोष्ठ्य	Labio-dental
दन्त्य	Dental
'द्वितीय वर्ण-परिवर्तन'	Second Sound-shifting ५१७
द्व्यक्षरात्मक	Dissyllabic ५१७-५१८
धर्मशाली (या विधि-व्यवसायी)	Lawyer
धातु	Root
धातु-भवस्था	Root-stage
ध्वनि	Sound
ध्वनिविज्ञान	Phonology
नव-विधान	New Testament (५१३०००)
नाद	Voice
नासिक्य	Nasal
निम्न- (या उत्तरीय) जर्मन	Low German
नियम	Law
निरीक्षण	Observation
निर्णय	Reasoning

निर्वचन (निकास या व्युत्पत्ति)
 निश्चयात्मक विज्ञान
 नैसर्गिक प्रवृत्ति
 पदविज्ञान (अथवा रूपविज्ञान)
 पदार्थ (या प्रमेय)
 परिणामी अश (= प्रत्यय)
 परिष्कृत (या 'संस्कृत') भाषा,
 या शिष्ट-भाषा
 पारिवारिक (या उत्पत्ति-मूलक
 या ऐतिहासिक) वर्गीकरण
 पुराण-विज्ञान
 प्रकार
 प्रक्रिया
 प्रतीक (या संकेत)
 प्रत्यय (या साधक अंश)
 'प्रथम वर्ण-परिवर्तन'
 प्रधान भाषा
 प्रागुपजन (211111)
 प्रागैतिहासिक अनुसन्धान
 प्राचीन ढङ्ग की (या प्राचीन लक्ष्य-
 सपत्र) भाषा
 प्राचीन परिष्कृत (या उत्कृष्ट,
 साहित्यिक भाषा
 प्राचीन-विधान
 प्रादेशिक (या प्रान्तीय)
 भाषा (या बोली)
 प्रश्वास (211111)
 फेंफड़े
 बलाघात
 बर्च्य (अशुद्ध पाठ 'वर्च्य',
 दे० पृ० २२४)
 ब्राह्म प्रदेशस्थ भाषाये
 (= मगधी, बँगला आदि)
 बहु-भाषा-ज्ञानी (याबहु भाषाभाषी)

Derivation
 Exact science
 Instinct
 Morphology
 Phenomenon, Fact
 Modyfying element
 Refined language or
 language of the cultured
 Genetic or Genealogical
 or
 Historical Classification
 Science of Mythology
 Kind
 Method
 Symbol
 Suffix, Termination
 First sound-shifting
 Standard language
 Prothesis
 Urgeschichte or Linguistic
 Palaeontology
 Archaic language
 Classical language
 Old Testament
 Dialect
 Expiration
 Lungs
 Stress (accent)
 Alveolar or Post-dental
 Outer languages
 Polyglot

बहु संश्लेषणात्मक (या बहु- समिश्रणात्मक)	Polysynthetic
भारत ईरानी (मूल-) भाषा	The Indo-Iranian language
भारत ईरानी (या आर्य-) भाषाएँ	Indo-Iranian (or Aryan) Languages
भारत-चीनी	Indo-Chinese
भारत-जर्मनीय	Indo-Germanic
भारत यूरोपीय (मूल-) भाषा	The Indo-European (Mother) Language
भारतीय आर्य-भाषा वर्ग	Indo-Aryan Languages
भाव (विचार प्रत्यय या वृत्ति)	Idea
भाव (या मनोराग)	Emotion
भाषा	Language
भाषा परिवार	Family of Languages
भाषाविज्ञान	Science of Language
	Philology
भाषा विज्ञानी	Philologist
भूगर्भ विद्या	Geology
भौतिक आधार	Physical basis
भौतिक पदार्थ विज्ञान	Physics
मत-विज्ञान	Science of Religion
मध्यवर्ती या अन्तरवर्ती भाषाएँ (= गुजराती, पंजाबी आदि)	} Intermediate languages
मन (या बुद्धि)	Mind
मनुष्य-जाति-विज्ञान	Ethnology (<i>انسان شناسی</i>)
मनोराग-व्यञ्जक-शब्द-मूलकता-	Interjectional theory
	or
वाद (या-मूलक सिद्धान्त)	Pooh-pooh theory
महाप्राण	Aspirate
मात्रा	Degree
मनोविज्ञान	P-ychology
मानसिक आधार	Psychological basis
मानसिक प्रतिमा	Mental image
मानसिक व्यापार (या क्रिया)	Mental Process
मानसिक शब्दसंस्कार	Mental sound-record
मिथ्या-सादृश्य	False analogy (<i>اشبهائى</i>)

मूर्धन्य	Cerebral
मूल तत्त्व	Ultimate element
मूल-भाषा	Original, Parent or Mother language
मौलिक अंश (प्रकृति या धातु)	Radical element
यादृच्छिक	Arbitrary
योगात्मक	Agglutinative
रचना (या बनावट)	Structure
राज्य-(या राज-) भाषा	Official Language
लिखितवर्णानुपूर्वी (हिज्ज , वर्ण- विन्यास, या अक्षर-विन्यास)	Spelling
लेख-प्रणाली	System of writing
वनस्पति-विज्ञानी	Botanist
वर्ग	Group
वर्गीकरण	Classification
वर्ण	Alphabetic sound
वर्ण-विकार सम्बन्धी नियम (अथवा ध्वनि-परिवर्तन-सम्बन्धी नियम)	Phonetic law
वर्ण विज्ञान	Phonetics
वर्ण-विषयक (या उच्चारण- सम्बन्धी) विचार	Phonology
वर्णव्यत्यय (या स्थानविपर्यय)	Metathesis
वर्णात्मक (या व्यक्त) शब्द	Articulate Sound
वाक्य-विचार अथवा वाक्य-विज्ञान	Syntax
वाक्यांश (या शब्द-समुदाय)	Phrase
वाच्य	Voice
वाणी	Speech
वाद (या सिद्धान्त)	Theory, Doctrine
वास्तु-विद्या	Architecture
विकास (या उन्नति)	Development, Evolution
विचार (या भाव)	Idea
'विचार' (या उद्देश्य-विधेयात्मक विचार	Judgment
विचारों को साक्षात् रूप से प्रकट करनेवाले लिखित संकेत (या विचार-चित्रणात्मक संकेत)	Ideographs

विज्ञान	Science
विद्या-सम्बन्धी पुनरुद्धार	'Renaissance'
विधेय	Predicate
विप्रकर्ष	Diaeresis
विभक्ति	Inflexion
विभक्ति युक्त	Inflexional
विभक्त्यर्थक अव्यय (= हिन्दी 'का', 'के' आदि के सदृश)	Post-position (or Prepo- sition)
विवृत वर्ण	Open sound
विवृत्ति	Hiatus ^{हीनार}
विश्लेषण (विच्छेद, विवेचन या विभाग)	Analysis
विश्लेषणात्मक	Analytic ^{डिस्क-वी-विश्लेषण}
विषयीकरण (पुरोगामी तथा पश्चाद्गामी)	Dissimilation (progressive and regressive)
विस्मयादि-बोधक (या मनोराग- व्यञ्जक) शब्द	Interjection
व्यञ्जन	Consonant
व्यतिरेक	Difference, Disagreement
व्यापक (या सामान्य) नियम	General law
व्यावहारिक (या उपयोग-परक)	Practical ^{इतिहासिक}
व्युत्पत्ति (निर्वचन या निकास)	Derivation, Etymology
शब्द-संग्रह	Vocabulary
शब्द-रचना-(या शब्दाकृति)	Morphological Classifi- cation
मूलक वर्गीकरण	Etymology
शब्द-व्युत्पत्ति-(या प्रकृति प्रत्यय-) विचार	Onomatopoeic theory or
शब्दानु-करण-मूलकता-वाद (या अनु-करण-मूलक सिद्धान्त)	Bow-wow theory
शरीर-विज्ञान •	Physiology
शिष्ट (या शिक्षित वर्ग)	Cultured class
श्रमापहार-मूलकता-वाद	Yo-he-ho Theory
श्रावणी शिरा	Auditory nerve
श्वास	Breath
श्वास-नालिका	Wind-pipe ^{रिचोस नालिका}

संयोजक क्रिया	Copula
संयोजक रेखा	Hyphen
संवृत वर्ण	Closed sound
सञ्ज्ञेषणात्मक	Synthetic
संसार-भाषा	World language
संस्कृति	Culture
संस्था	Institution
सघोष (घोष, नादभागी, नादानु प्रदान या 'कोमल')	Sonant, Voiced, Soft
संध्यक्षर	Diphthong
समकालीन	Contemporary
समाज-शास्त्र	Sociology
समानाक्षर	Monophthong
समानाकार (या समानश्रुति) पर भिन्नार्थक शब्द	Homophone
समानार्थक	Synonymous
समीकरण या सवर्णीकरण (पुरोगामी तथा पश्चाद्गामी)	Assimilation (progressive and regressive)
संमिश्रणात्मक	Amalgamating
सर्वसाधारण को (या प्राकृत) / भाषा, या बोलचाल की भाषा	Vernacular
सहकारो	Auxiliary
साक्षात्	Direct
सांकेतिक	Conventional (or Symbolical)
सांकेतिक (या हस्तादिचेष्टात्मक) भाषा	Gesture language
सादृश्य	Analogy
साधारण भाषा	'Koine' or Common language
सामान्य (या व्यापक) नियम	General law
सामान्यात्मक (विचार या भाव)	Concept or General Idea
सार्यक अंश (= प्रकृति)	Significant element
साहित्य-सम्पन्न (या साहित्यिक या शिष्ट) भाषा	Literary language
सिद्धान्त	Principle, Theory, View
सुबन्त प्रकरण	Declension
सोष्म वर्ण	Aspirate

स्थानीय बोली (या भाषा)	Local dialect
स्थिति-स्थापक (या खिचकर सिक्कड जानेवाला)	Elastic झुंझिरो
स्पर्श वर्ण	Stop (or Check)
स्फोटक वर्ण	Explosive
स्फोटनरूप शब्द (या सशब्द स्फोटन)	Explosion
स्वतन्त्र चरमावयव (या चरम व्यक्ति)	Unit
स्वर	Vowel
स्वर (या लहजा)	Accent,, Tone, Intonation
स्वर-तन्त्रियाँ	Vocal chords
स्वरभक्ति	Anaptyxis टोलेपुत्री
स्वरलोप	Syncope अलोप
स्वरात्मक	Syllabic
साधक या रूप-साधक अंश (या प्रत्यय)	Formative element

तुलनात्मक भाषा-शास्त्र

अथवा

भाषा-विज्ञान

पर

सुप्रसिद्ध और विशेषज्ञ विद्वानों की कुछ सम्मतियाँ

१—भाषा-विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान् स्व० प्रो० ए० सी० तुलनर, एम० ए० (ऑक्सन), प्रिंसिपल, ओरियेण्टल कालेज, लाहौर, तथा वाइसचांसलर, पञ्जाब यूनिवर्सिटी—

डा० मङ्गलदेव शास्त्री हिन्दी जाननेवाले पाठको के सम्मुख तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के विषय को प्रथम बार उपस्थित कर रहे हैं यह देखकर मुझे प्रसन्नता है ।.....भाषा-शास्त्र से परिचित होना विशिष्ट विद्वानों के ही लिए नहीं, अपितु साधारण शिक्षितों के लिए भी उपयोगी है । डा० शास्त्री ने इस विषय को हिन्दी में प्रथम बार उपस्थित कर बड़ा उपकार किया है । पुस्तक में विषय-प्रतिपादन की प्रणाली एक विशेषज्ञ विद्वान् के योग्य होने के साथ साथ सुबोध भी है । मैं समझता हूँ, हिन्दी भाषा में तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के व्यापक सिद्धान्तों के प्रतिपादन करने का यह पहला प्रयत्न है ।

२—भारतरत्न डा० श्री भगवान्दास, एम० ए०, डी० लिट०, बनारस—

मैंने...पुस्तक को आद्योपान्त देखा । पुस्तक रुचिकर, सुपाठ्य, सुबोध, ज्ञानवर्धक, बहुत उत्तम है । भाषा-शास्त्र के प्रायः सभी विषयों का गरुडा-वलोकन इसमें किया है ।...जिन लोगों ने केवल संस्कृत का 'व्याकरण' देखा है, अथवा 'शिक्षा' और 'निरुक्त' पर भी ध्यान दिया है, उनके लिए इस ग्रन्थ में बुद्धि-विकास, उदारतावृद्धि, और संकोचहास की सामग्री है ।...इसमें पृथ्वी-

मण्डल की भूत और वर्तमान सैकड़ों मानवजातियों की सैकड़ों भाषाओं की उत्पत्ति और लय की चर्चा की है, और उनका कई मुख्य परिवारों में राशीकरण दिखाया है... मैं आशा करता हूँ कि इस पुस्तक का हिन्दी पढ़नेवालों में भी तथा संस्कृत के विद्वानों में भी अच्छा प्रचार होगा। और कालेजों के पाठ्यक्रम में इसका समावेश किया जावेगा।

३—स्व० महामहोपाध्याय डा० गङ्गानाथ भ्मा, वाइसचांसलर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी—

.....पुस्तक के लिखने की शैली श्लाघनीय है।.....

आपकी पुस्तक हमारे छात्रों की शिक्षा में निश्चय करके उपयोगी होगी।

४—डा० हरिचन्द्र शास्त्री, डी० लिट० (पैरिस), आदि, भू० पू० सुपरिंटेंडेण्ट ऑफ़ संस्कृत स्टडीज़, बिहार और उड़ीसा—

आपकी अत्यन्त महत्त्वयुक्त पुस्तक 'भाषा-विज्ञान' को मैंने बड़ी रुचि से पढ़ा। एक ऐसी प्रशंसनीय पुस्तक की रचना पर जिसकी आवश्यकता भारतवर्ष में सर्वत्र अधिक अनुभव की जा रही थी, मुझे आपको अवश्य बधाई देनी चाहिये। यह पुस्तक हिन्दी और संस्कृत के उच्च योग्यता के विद्यार्थियों के लिए निःसन्देह अत्यधिक उपयोगी होगी। पुस्तक में भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों की आधारभूत सामग्री को इतनी अच्छी तरह से रखा गया है और उसके लिखने की शैली भी इतनी स्पष्ट और सुवोध है कि इसके ग्रन्थकर्त्ता को अवश्य ही यश की प्राप्ति होगी। पुस्तक दीर्घकालीन खोज के बाद बड़े परिश्रम से लिखी गई है। हिन्दी साहित्य के लिए यह एक अतीव मूल्यवान् उपहार है।

५—महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथ कविराज, एम० ए०, डी० लिट०, भू० पू० प्रिंसिपल, गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, बनारस—

...हिन्दी साहित्य की एक बड़ी कमी को इसने पूरा किया है। तुलनात्मक भाषा-शास्त्र के अध्ययन में रुचि रखनेवाले यूनिवर्सिटी के तथा अन्य छात्रों के लिए भी इस विषय में प्रवेश कराने के लिए यह एक महत्त्वयुक्त पुस्तक सिद्ध होगी। यह एक प्रशंसनीय पुस्तक है और इस योग्य है कि इसका अत्यधिक प्रचार हो।

६—स्व० डा० लक्ष्मणस्वरूप, एम० ए०, डी० फिल (ऑक्सन),
यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ संस्कृत, लाहौर—

.....हिन्दी में इस विषय (तुलनात्मक भाषा-शास्त्र) पर यह पहली ही पुस्तक है । एक ऐसी पुस्तक की आवश्यकता चिरकाल से अनुभव की जा रही थी । इस आवश्यकता को पूरा करके आपने हिन्दी साहित्य का बड़ा उपकार किया है ।

७—डा० धीरेन्द्र वर्मा, एम० ए०, डी० लिट० (पैरिस), अध्यक्ष,
हिन्दी विभाग, प्रयाग-विश्वविद्यालय—

गत चार पाँच वर्षों से मैं प्रयाग विश्वविद्यालय में हिन्दी की बी० ए० तथा एम० ए० की कक्षाओं में भाषा-विज्ञान का विषय पढ़ाता रहा हूँ । मेरा निज का अनुभव यह है कि भाषा-शास्त्र के समस्त मुख्य मुख्य अङ्गों का प्रतिपादन जितने स्पष्ट तथा सुबोध ढङ्ग से डाक्टर मङ्गलदेव शास्त्री के भाषाविज्ञान में किया गया है वैसा हिन्दी में अभी तक किसी अन्य ग्रन्थ में नहीं मिलता है । डाक्टर मङ्गलदेव शास्त्री का ग्रन्थ विद्यार्थी वर्ग तथा इस विषय से जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक हिन्दी प्रेमियों के लिए अत्यन्त उपयुक्त है ।.....

८—प्रोफेसर के० ए० सुब्रह्मण्य अय्यर, एम० ए०, अध्यक्ष, संस्कृत
विभाग, लखनऊ यूनिवर्सिटी—

...आपका ग्रन्थ भाषा-विज्ञान के सिद्धान्तों और नियमों के विषय में बतौर सच्चे मार्गदर्शक के हिन्दी और संस्कृत के विद्यार्थियों और विशेषज्ञों के भी हाथ में दिया जा सकता है ।

९—डा० ताराचन्द, एम० ए०, डी० फिल (ऑक्सन), राजदूत
(ईरान में), भारत सरकार, तथा भू० पू० वाइसचांसलर, इलाहाबाद
यूनिवर्सिटी—

...पुस्तक तुलनात्मक भाषा-विज्ञान का वैज्ञानिक ढङ्ग से प्रतिपादन करनेवाली तथा उपयोगी है । मुझे विश्वास है कि यूनिवर्सिटियाँ इस पुस्तक का स्वागत करेगी और विद्यार्थीगण इससे लाभ उठायेंगे ।

१०—रायबहादुर पं० गङ्गाप्रसाद जी, एम० ए०, रिटायर्ड चीफ जज
और जुडीशल मेम्बर, टिहरी (गढ़वाल राज्य)—

“ग्रन्थ वैज्ञानिक ढङ्ग से लिखा गया है”। इस शास्त्र पर भारतवासियों के लिए ऐसी उपयोगी पुस्तक अंगरेजी भाषा में भी नहीं देखी गई।... पुस्तक इस योग्य है कि इन (एम० ए० आदि) उच्चपरीक्षाओं की पाठविधि में रखी जावे।...साधारण लोग भी जिनको इस विषय में रुचि हो पुस्तक को पढ़कर तुलनात्मक भाषाशास्त्र का ज्ञान-लाभ कर सकते हैं। आशा है कि हिन्दी के विद्वान् तथा यूनिवर्सिटी, गुरुकुल, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन आदि के अधिकारीगण पुस्तक का उचित आदर करेंगे।

११—स्व० प० पद्मसिंह शर्मा, सभापति, अष्टादश हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन—

“श्रीयुत डा० मङ्गलदेव शास्त्री...ने ‘भाषा-विज्ञान’ पर पुस्तक लिखकर हिन्दी को गौरवान्वित किया है।

विशिष्ट-पत्र-पत्रिकाओं की कुछ सम्मतियाँ :—

१—“सरस्वती” जनवरी १९२७—‘भाषा-विज्ञान’ का प्रणयन...एक कृतविद्य लेखक के परिश्रम का फल है।...पुस्तक उच्च कोटि की है।...लेखक को रोचक ढङ्ग से गम्भीर विषय के समझाने में सफलता प्राप्त हुई है”।...पुस्तक विश्वविद्यालयों तथा हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की उच्च परीक्षाओं में पाठ्य-पुस्तक बना देने योग्य है.....

२—“प्रताप” १ मई १९२७—हिन्दी भाषा में इस ढङ्ग से पुस्तक लिखने का प्रयास बहुत कम लोगों ने किया है। लेखक महाशय की आलोचना और तुलना बड़े ही शास्त्रीय विवेचन से पूर्ण है।...पुस्तक बड़े अनुसन्धान के पश्चात् लिखी गई है।...हिन्दी साहित्य के सर्वोच्च ग्रन्थों में इसको स्थान मिलना चाहिये।

डा० मङ्गलदेवशास्त्री द्वारा प्रणीत अथवा

संपादित पुस्तकों का परिचय^१

(सस्कृत में)

(१) ऋग्वेदप्रातिशाख्यम् , उवटाचार्यकृत भाष्य के सहित ।
प्रकाशक—इंडियन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद । ८॥॥

(२) प्रबन्धप्रकाशः । प्रथम भाग । छात्रोपयोगी अर्द्धितीय संस्कृत
निबन्धों का संग्रह । परिवर्धित तथा परिष्कृत नवम संस्करण । प्रकाशक—
इंडियन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद । ३॥

(३) प्रबन्धप्रकाशः । द्वितीय भाग । संस्कृत अभिभाषणों, ऐतरेय-
ब्राह्मणपर्यालोचन, तथा वेदादि शास्त्रों से अद्भुत सुभाषित-संग्रह से युक्त ।
प्रकाशक—इंडियन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद । ३॥

(४) न्यायसिद्धान्तमाला (दो भागों में) । प्रकाशक—गवर्नमेंट
प्रेस, इलाहाबाद । १॥॥

(५) उपनिदानसूत्रम् (सामवेदीय) । प्रकाशक—गवर्नमेंट प्रेस,
इलाहाबाद । ॥॥

(६) उपेन्द्रविज्ञानसूत्रम् (वेदान्त) । प्रकाशक—गवर्नमेंट प्रेस,
इलाहाबाद । १॥

(७-८) आश्वलायनश्रौतसूत्रम् (सिद्धान्तभाष्य के सहित)
(प्रथम भाग तथा द्वितीय भाग) । प्रकाशक—गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद ।

(९) आय विद्यासुधाकरः । प्रकाशक—मेसर्स मोतीलाल
बनारसीदास, बुक्सलेर्स, चौक, बनारस ।

(१०) भारतीय संविधान (के उत्तरार्ध) का संस्कृतानुवाद ।
प्रकाशक—Government of India.

१ गवर्नमेंट संस्कृत-कालेज, बनारस, के प्रिंसिपल के पद से ग्रन्थकर्ता द्वारा
संपादित अनेकानेक पुस्तकों का यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है ।

(११) रश्मिमाला (अथवा 'जीवनसंदेशगीताञ्जलिः') । जीवन में उदात्त आदर्शों के लिए प्रेरणा देनेवाले अद्भुत संस्कृत पद्यों का ग्रन्थ, हिन्दी अनुवाद सहित । उत्तरप्रदेश की सरकार से पुरस्कृत । प्रकाशक—हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । ३।।)

(१२) ऐतरेयारण्यकपर्यालोचनम् । प्रकाशक—मेसर्स मोतीलाल बनारसीदास, चौक, बनारस । २)

(१३) संस्कृतसाहित्यसम्मेलनस्य द्वाविंशाधिवेशने शिक्षापरिषदः सभापतेरभिभाषणम् । प्राप्तिस्थान—मेसर्स मोतीलाल बनारसीदास, चौक, बनारस । ३)

(इंग्लिश भाषा में)

(१४) ऋग्वेदप्रातिशाख्यम् (English Translation, Critical Notes, Appendices etc.) । प्रकाशक—मेसर्स मोतीलाल बनारसी दास, बुकसेलर्स, चौक, बनारस । २०)

(१५) ऋग्वेदप्रातिशाख्यम् (Critical Introduction, Text in Sanskrit Stanzas, Appendices, etc.). In the Press.

(हिन्दीभाषा में)

(१६) भाषाविज्ञान (अथवा तुलनात्मक-भाषाशास्त्र), परिवर्धित तथा परिष्कृत पञ्चम संस्करण । प्रकाशक—इंडियन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद ।

(१७) भारतीय आर्यधर्म की प्रगतिशीलता (भारतीय सस्कृतिक विकास का विवेचनात्मक अध्ययन) ।

प्रकाशक—इंडियन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद । ॥)

(१८) मिना (= प्रेम और प्रतिष्ठा का संघर्ष) ('मिना फ्रन वानेह्यल्म' नामक जर्मन नाटक का अनुवाद ।) प्रकाशक—हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद । २।)

(१९) वेदों का वास्तविक स्वरूप, अथवा—वेदों के महान्

आदर्श । प्राप्तिस्थान—मेसर्स मोठीलाल बनारसीदास, बुक्सेलसे, चौक, बनारस । १२)

(२०) भारतीय संस्कृति का विकास । प्रथम खण्ड, भारतीय संस्कृति की वैदिक धारा । प्रकाशक—समाजविज्ञान परिषद्, काशी विद्यापीठ, बनारस । ७)

(प्रकाशनाथे प्रस्तुत ग्रन्थ)

- (१) शतपथब्राह्मणपर्यालोचनम्
(२) कौषीतकिब्राह्मणपर्यालोचनम्
(३) वैदिकसूक्तसंग्रहः (अनुवादेन, विविधटिप्पणीभिः परिशिष्टैश्च सहितः ।

(४) अमृतमन्थनम् । हिन्दी अनुवाद-सहित खण्डत्रयात्मक (लक्ष्यानुसंधान, जीवनपाथेय, तथा प्रज्ञाप्रसाद) संस्कृत काव्य । प्रकाशक—चौखंबा विद्या भवन, बनारस । ४॥)

इत्यादि कतिपय ग्रन्थ ।

—

डा० मङ्गलदेव शास्त्री

द्वारा निर्मित

दो विशिष्ट ग्रन्थ

(१)

प्रबन्ध-प्रकाश

भाग १

इस की विशेषतायें :—

(१) संस्कृत भाषा में निबन्ध रचना-संबन्धी नियमों को बतलाते हुए, अनेक उपयोगी विषयों पर प्राचीन तथा नवीन सुप्रसिद्ध लेखकों के संस्कृत निबन्ध इसमें दिये गये हैं ।

(२) परिष्कृत और परिवर्द्धित रूप में पुस्तक का यह नवाँ संस्करण है ।

(३) डा० A. C. Woolner, वाइसचांसलर, पंजाब विश्वविद्यालय, म० म० डा० गङ्गानाथ झा, म० म० पं० गोपीनाथ कविराज, म० म० ए० नारायणशास्त्री खिस्ते, डा० लक्ष्मण स्वरूप, पं० ईश्वरीदत्त दौर्गादत्ति, आचार्य गोस्वामी श्री दामोदर शास्त्री, म० म० कविचक्रवर्ती पं० देवी-प्रसाद शुक्ल, पं० त्रिभुवन प्रसाद उपाध्याय (पूर्व इंस्पेक्टर, सं० पा०), श्री० प० रामभवन उपाध्याय आदि सुप्रसिद्ध विद्वानों ने मुक्तकण्ठ से पुस्तक की प्रशंसा की है ।

(४) B. A , M. A , संस्कृत की उच्च परीक्षाओं तथा प्रतियोगिता की परीक्षाओं के छात्रों के लिए पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है ।

पृष्ठ ३५४,

मूल्य ३)

प्रबन्ध-प्रकाश

भाग २

इसकी विशेषतायें :—

(१) संसार के प्रसिद्ध तात्त्विक विचारक भारत-रत्न डा० भगवान् दास पुस्तक पर अपने प्राक्कथन में लिखते हैं—
“आचार्य श्री मङ्गलदेवशास्त्रिणा, प्रगतेर्भाविनाया जागर्त्तिरेव संस्कृत-ज्ञानां साम्प्रतिकी मुख्यावश्यकतेत्यनुभवता, स्वोपज्ञमनोरमपद्धत्या सोपपत्ति च सरस-सरलैर्मञ्जुभिश्च पदैर्गूढगभीरविषयान् प्रतिपादयता, प्रगतिशीलविचारपरम्पराभिः परिपूर्णो भव्यैर्भावैर्विभूषितो भारतीयता-भावनाभावितश्च ग्रन्थोऽयं विनिर्मितः।स एष संस्कृतभाषाया-मिदं प्रथमत्वेन कृतो यत्नः संस्कृतज्ञानामवश्यमभिनन्दनीयो भविष्यतीति मे विश्वासः।.....”

देववाश्याः समुत्कर्षं भावयंस्तद्विदां तथा।
ग्रन्थ एष चिरं भूयाद्विदुषां हर्षवर्धनः ॥”

(२) इसमें ग्रन्थकर्ता द्वारा प्रसिद्ध संस्थाओं के महोत्सवों पर सभापतित्व के रूप में या दीक्षान्तभाषणादि के रूप में दिये गये (संस्कृत में) अभिभाषणों का संग्रह है। साथ ही—

(३) ग्रन्थकर्ता के ‘श्रतिविमर्श’ नामक महाग्रन्थ से ‘ऐतरेय-ब्राह्मण-पर्यालोचन’ भी दिया है, और वेदादिसच्छास्त्रों से उत्कृष्ट, बहुमूल्य, सुविचार-माधुकरि भी दी गई है।

(४) समस्त संस्कृत जगत् में अपने ढंग की वस्तुतः प्रथम पुस्तक है।

(५) संस्कृत-पुस्तकालयों, संस्कृत के विद्वान्, यूनिवर्सिटियों आदि के उच्च श्रेणी के संस्कृतछात्र, तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं के छात्र— सबके लिये अत्यन्त उपादेय पुस्तक है।

लगभग ३२५ पृष्ठों की सचित्र सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल ३) प्रकाशक—

इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद

